चतुर्दश माला, खंड 24, अंक 18

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2006
24 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. 18-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 3 Jan 2008

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 18, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2006/24 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	342 और 345 से 348	7-67
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	343, 344 और 349 से 361	67-120
अतारांकित प्रश्न संख्या	3385 से 3592	120-440
सभा पटल पर रखे गए पत्र		440-456
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
कार्यवाही सारांश		456
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
15वां प्रतिवेदन		456
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
16वां तथा 17वां प्रतिवेदन		457
जल संसाधन संबंधी संबंधी समिति		
(एक) छठा प्रतिवेदन		457
(दो) विवरण		457
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		
79वां तथा 80वां प्रतिवेदन		458
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति		
108वां प्रतिवेदन		458
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक)	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री अजय माकन	458

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल . 459

(तीन) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. दासरि नारायण राव 460

सभा का कार्य 461-465

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल में बीड़ी कामगारों की समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री किन्जरपु येरननायडु 469

डा. अंबुमणि रामदास 471

डा. बाबू राव मिडियम 474

श्री पी. करुणाकरन . 475

श्री बसुदेव आचार्य . . 475

श्री अधीर चौधरी. 476

श्री अबु हशीम खां चौधरी 477

श्री ऑस्कर फर्नांडीस . . 483

(दो) पश्चिमी झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोयला खान में दुर्घटना, जिसमें लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 484

डा. दासरि नारायण राव 484

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 488

श्री हंसराज जी. अहीर 489

विषय कॉलम

श्री शैलेन्द्र कुमार 490

श्री राम कृपाल यादव 491

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005—*वापस लिया गया* 494

सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 494

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, 2006 . . 495

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी.आर. किन्डिया 496

श्री जुएल ओराम 498

श्री मधुसुदन मिस्त्री 504

श्री बाजू बन रियान 513

श्री रामजीलाल सुमन 516

श्री राम कृपाल यादव 518

श्री ए. कृष्णास्वामी 521

श्री ब्रह्मानन्द पंडा 523

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 525

श्री महावीर भगोरा 528

श्री सन्दीप दीक्षित 529

डा. बाबू राव मिडियम 537

श्री कैलाश बैठा 539

श्री आर. प्रभु 540

श्री रवि प्रकाश वर्मा 544

श्री किरेन रिजीजू 548

श्री मो. ताहिर 551

विषय		कॉलम
	श्री प्रबोध पाण्डा	553
	डा. रामेश्वर उरांव	556
	श्री शैलेन्द्र कुमार	558
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	561
	श्री तापिर गाव	564
	श्री प्रशान्त प्रधान	568
	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	569
	डा. आर. सेनथिल	572
	श्री मनोरंजन भक्त	574
	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	575
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	577
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	581
	प्रो. चन्द्र कुमार	582
	श्री किन्जरपु येरननायडु	585
	श्री सीताराम सिंह	586
	श्री नारायण चन्द्र वरकटकी	587
	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	588
	श्री हंसराज जी. अहीर	589
	श्री बापू हरी चौरे	590
	श्री वीरेन्द्र कुमार	591
	श्री रामदास आठवले	592
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	593
खंड 2 से 16 और 1		603-616
पारित करने के लिए प्रस्ताव		617
राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		617

विषय कॉलम

आधे घंटे की चर्चा

कम बजट वाले होटल

श्री पी.एस. गढ़वी 618

श्री शैलेन्द्र कुमार . 621

प्रो. रासा सिंह रावत 622

डा. के.एस. मनोज 622

श्रीमती अम्बिका सोनी 624-631

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—*वापस लिया गया*

देश के सभी भागों के संतुलित और साम्यपूर्ण विकास के लिए उठाए गए कदम

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 631

श्री एम.वी. राजशेखरन 633

श्री सर्वानन्द सोनोवाल 642-645

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—*विचाराधीन*

व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना को तैयार किया जाना और कार्यान्वयन

श्री नवीन जिन्दल 645-646

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 659-660

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 659-672

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 673-674

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 673-676

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2006/24 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 342, श्री सुजान चक्रवर्ती।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु :(श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने प्रश्नकाल निलंबित करने का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमति नहीं रखता।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय यह अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी ओर से किसी को अनुमति नहीं है। यह सभा में कार्य किए जाने का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नियमों के विपरीत यह काम हुआ है...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी भी ऐसे मुद्दे को उठाने की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, कृपया सुनें। आप तो नियम भलीभांति जानते हैं। हमारे हमारे पास अब केवल तीन दिन का ही समय शेष है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : कृपया मुझे अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस विषय को उठाने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मसले पर अनुमति नहीं दी जा सकती। वैसे मैं सभी तरह के मुद्दे उठाने देता हूं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया जरा बैठिए। आज यदि आप यहां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाते हैं, मान लीजिए वे सही भी हैं, तो इसका तो फिर पिटारा खुल जाएगा। कोई भी आकर किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करेगा जो इस सभा के क्षेत्राधिकार में अनुमत्य नहीं है। यह कोई केंद्रीय विषय नहीं है। मैं कैसे इसकी अनुमति दे सकता हूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सी.बी.आई. द्वारा सारे मामले...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया दबाव मत डालिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने एक वक्तव्य में स्वीकार किया है कि...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह गंभीर आरोप है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा मत करें।

[अनुवाद]

श्री त्रिपाठी, कल को आपके मुख्यमंत्री पर भी आरोप आ सकता है। ऐसा मत कीजिए। देश के हर मामले में सी.बी.आई. का नाम लेने भर से वह राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं हो जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : एक मिनट का समय दें, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकण्ड भी नहीं। मेरी अनुमति नहीं मिलेगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : लेकिन महोदय, उन्होंने स्वयं माना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी बैठ जाएं और शैलेंद्र सिंह जी, आप भी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यदि इससे वन अधिनियम का उल्लंघन होता है तो यह केंद्रीय विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हैं? रामजीभाई, कृपया बैठिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : उन्होंने स्वयं माना है।

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ की मर्यादा की अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। मैं इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आपने ध्यानाकर्षण किया, पर यह मत करिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप क्यों यह सब कर रहे हैं, एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं नहीं हो रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप जान-बूझकर सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बड़े खेद की बात है। मैं एक सेकण्ड की भी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : कृपया इन्हें 'शून्यकाल' में यह मामला उठाने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर तो एक सेकण्ड की भी अनुमति नहीं मिलेगी। मैं आरोपों से सहमत हूं या नहीं, यह महत्व की बात नहीं है, यह तो संसद की शुचिता का प्रश्न है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर के चला जाऊंगा। आप बाहर जाकर आरोप लगाएं, मुझे आपत्ति नहीं। पर यहां मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए। सभा में कागज लहराना विशेषाधिकार-भंग की श्रेणी में आता है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है यह। आप बाहर जाकर जो कुछ कहना हो कहें, मुझे आपत्ति नहीं होगी।

*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : कृपया मुझे 'शून्यकाल' में बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर तो नहीं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वसुदेव आचार्य : यदि इससे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन हुआ है तो फिर यह एक केंद्रीय विषय है...*(व्यवधान)*

श्री किन्नरपु येरननायडु : कृपया मुझे 'शून्यकाल' में दो मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। इस सभा में किसी मुख्यमंत्री के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप सभा को चलने देना नहीं चाहते? सभा को ही यह फैसला करने दीजिए कि यहां क्या होगा। तीन सदस्य मिलकर एक ऐसे मुद्दे पर मनमानी पर उतारू हो रहे हैं जिसकी यहां अनुमति ही नहीं है। हर पार्टी का किसी न किसी राज्य में मुख्यमंत्री है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को इतना सस्ता नहीं होने दे सकता। मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। अब सभा ही फैसला करे कि क्या करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडु, मैं अनुमति नहीं दूंगा। आपको बार-बार कह चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. जगन्नाथ, आपने अध्यक्षपीठ को चुनौती देने की यह गंदी आदत बना ली है। मैं फिर विशेषाधिकार-नियम लगाऊंगा। आप सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। फिर मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करेंगे आप?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपसे बाहर निकल जाने को कहूंगा। मुझे नियम-पुस्तिका दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपको बाहर जाना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मुझे खेद है, आप एक पार्टी के नेता हैं और मुझे आपको बाहर निकल जाने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडु, जब आप मुझसे मिलने आए थे तब मैंने आपसे अनुरोध किया था। आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरा देखिए, सात-आठ मिनट एक ऐसे मुद्दे पर कार्य हो गए जिन्हें आपको यहां उठाने की अनुमति ही नहीं है। आप जान-बूझकर अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अध्यक्ष के निर्णय कोई महत्ता नहीं। यदि! आपको यह निर्णय पसंद नहीं तो आपके पास कार्रवाई करने के और कई उपाय हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां भी किसी मुद्दे को सभा में उठाने की अनुमति है, मैंने अनुमति दी है। डा. जगन्नाथ, उसमें आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. सुजान चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 342

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

+

*342. **डा. सुजान चक्रवर्ती :**
श्री मित्रसेन यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी हैं;

(ख) क्या बैंकों को उन ऋणों को वसूली में कठिनाइयां आ रही हैं, जिन्हें गैर-निष्पादनकारी घोषित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या बैंक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के कारण हुई नकदी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी पर ध्यान दे रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ)सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया सकल अग्रिम राशि मार्च 2003 में 5.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2006 में 11.35 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। इस वृद्धि के बावजूद उनकी सकल अनुपयोज्य आस्तियां इसी अवधि में 54,090 करोड़ रुपए (सकल अग्रिम का 9.4%) से घटकर 42,106 करोड़ रुपए (सकल अग्रिम राशि का 3.7%) की हुई। यह कमी इन बैंकों द्वारा "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम", कंपनी ऋण पुनर्गठन योजना, समझौता-निपटान योजनाओं के तहत की गई ठोस कार्रवाई गहन निगरानी एवं तुरन्त वसूली कार्रवाई के कारण ही संभव हुई है।

(ङ) और (च) सकल अनुपयोज्य आस्तियों के मौजूदा स्तर का सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नकदी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।

डा. सुजान चक्रवर्ती : महोदय, यह जानकर अच्छा लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल अग्रिम काफी बढ़ गया है और गैर-निष्पादनकारी आस्तियां घट रही हैं। किंतु एक अनुमान है कि भारतीय स्टेट बैंक और इससे सम्बद्ध बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंक चूककर्ता हैं और यह राशि 2.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गई है। महोदय, चूककर्ताओं की सूची समय-समय पर प्रकाशन नहीं की गई है। तुलनपत्र को स्वीकृति देकर विंदो ड्रेसिंग की जा रही है और इस प्रक्रिया में एक प्रश्न उठता है कि क्या पक्षपात किया जाता है। प्रश्न यही है कि चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित क्यों नहीं की जा रही है? यदि आवश्यक हुआ तो क्या सरकार कानून में संशोधन करके चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित करेगी अथवा क्या सरकार सूची को छिपाना चाहेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : हमने कई बार विधिक स्थिति को स्पष्ट किया है। जब कोई मामला दायर किया जाता है तब चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित की जाती है। जब तक मामला दायर नहीं किया जाता तब तक चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित नहीं की जाती है क्योंकि वह चूककर्ता है या नहीं यह तभी निश्चित किया जा सकता है जब मामला दायर किया जाए।

डा. सुजान चक्रवर्ती : मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा

है। दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल अग्रिमों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का अनुपात घट रहा है तो क्या मंत्री जी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के साथ वास्तविक वसूली और बट्टे खाते डाली गई राशि का ब्यौरा दे सकते हैं? सरकार राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए कौन से विशेष कदम उठा रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां, महोदय, मुझे जानकारी देने में प्रसन्नता होगी। मेरे पास वर्ष-वार जानकारी है। मैं पिछले वर्ष 2005-06 की जानकारी देता हूं उस वर्ष वसूली 23,210 करोड़ रुपए थी जिसमें से वास्तविक नगद वसूली 10,590 करोड़ रुपए थी; उन्नयन के कारण वसूली 2,787 करोड़ रुपए थी; समझौते और बट्टे खाते डालने के द्वारा वसूली 8,833 करोड़ रुपए थी। यह कुल राशि 23,2120 करोड़ रुपए है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मित्रसेन यादव—उपस्थित नहीं। श्री श्रीनिवास पाटील।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : मुझे यह अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

ब्याज वसूलने और इसे प्रति तिमाही पूंजी में जोड़ने की नई नीति के कारण बहुत से बैंकों को ब्याज पूंजी में जोड़ना होता है और इस तरह गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बढ़ा हुआ दर्शाया जाता है। ब्याज की गणना करते समय वार्षिक गणना करने और इसे गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में जोड़ने का तरीका था। नई नीति के कारण अनेक बैंक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि दर्शा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह नीति औद्योगिक ऋणों के विकास के लिए हानिकारक है यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं महोदय, यह नीति अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है। ब्याज से होने वाली आय वह आय है जो किसी बैंक का वाजिब हक होता है। यदि ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक इस आय से वंचित रह जाएगा। इसलिए, उस ब्याज की आय का हिसाब-किताब होना चाहिए और यदि इसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो यह बैंक को देय राशि होती है और इससे बैंक को हानि होगी।

श्री आर. प्रभु : महोदय, बहुत वर्षों से बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बहुत बढ़ गई हैं। इन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। सरकार-द्वारा एक-मुश्त समाधान योजनाओं के लिए 2002, 2003, 2004 और 2005 के दौरान विभिन्न योजनाएं बनाई गई। दुर्भाग्य से बैंक इन योजनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बैंकों पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि वे उनके और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करें।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सबसे पहले मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूं कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बढ़ रही हैं। गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बढ़ नहीं रही हैं। सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों दोनों की पूर्ण संख्या और कुल अग्रिमों के अनुपात में गिरावट आई है। इसलिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बढ़ नहीं रही हैं। वल्कि घट रही हैं।

दूसरे, महोदय मैंने अभी कहा है कि कार्य 2005-06 में बैंकों ने समझौते और बट्टे खाते द्वारा 8833 करोड़ रुपए की वसूली की है। समझौते और बट्टे खाते डालने का अर्थ है उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को लागू करते हुए जिनमें समझौता हो चुका है और बकाया का कुछ भाग बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इस प्रकार 8833 करोड़ रुपए की राशि समझौते और बट्टे खाते डालकर वसूल की गई है। मुझे ऐसे एक भी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें बैंक ने जानबूझकर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अवहेलना की हो। यदि ऐसा मामला मेरे सामने लाया जाता है तो निश्चय ही मैं बैंक को यह बताने के लिए कहूंगा कि उन्होंने उस मामले में समझौता क्यों नहीं लागू किया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटिड क्वैश्चन है। नैशनलाइज्ड बैंकों के ऊपर सरकार का दबाव रहता है कि नान परफार्मिंग ऐसेट्स को कम करे। इसके तहत बैंक अमूमन यह करते हैं कि जो उनके डिफालटर्स हैं, वे न उनके खिलाफ केस दायर करते हैं और न ही उसकी सूचना सरकार को देते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहते है कि बैंक सही समय में उन डिफालटर्स की भी जानकारी दे जो नान परफार्मिंग ऐसेट्स के तहत आते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : हम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर कोई कार्य करने के लिए दबाव नहीं डालते। एक नीति है कि ऋण मूल्यांकन

और वसूलियों में सुधार होना चाहिए। इसलिए हम सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की प्रगति की निगरानी करते हैं और क्योंकि हम गैर-निष्पादनकारी आस्तिओं की प्रगति की निगरानी करते हैं इसलिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में गिरावट आई है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है।

जहां तक चूककर्ताओं की सूची का प्रश्न हैं तो मैं एक बार फिर यह बात बताना चाहता हूं कि जब चूककर्ताओं के खिलाफ मामला दायर किया जाता है तो वह सूची उपलब्ध रहती है और प्रकाशित की जाती है। यह सूची सी आई बी एल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूची बैंक-वार उपलब्ध है। जहां भी मामला दायर किया जाता है वहा चूककर्ताओं की सूची जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऋण वसूली की अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जिन लोगों को बट्टे खाते में डाला गया है उनमें से कितने लोग आयकरदाता हैं और जो सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न में आय देते हैं तथा उन पर कितनी राशि बकाया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे लिए यह उत्तर देना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे आयकर का पैसा रखे हुए हैं। वे गरीब की भैंस खुलवा लेते हैं लेकिन उनसे नहीं वसूलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वह पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि यह कह रहे हैं कि सकल और निवल दोनों गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में गिरावट आई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बहुत से कानूनों के क्रियान्वयन का जिक्र किया है। यह पूर्ण सत्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : माननीय मंत्री कह रहे हैं कि कोई गैर-निष्पादनकारी आस्ति जब मामला दायर किया जाता है तभी गैर-निष्पादनकारी आस्ति होती है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विवरण उपलब्ध है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं केवल यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि चूक और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बीच क्या अंतर है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बैंकों को समझौते खातों के पुनर्गठन, एकमुश्त निपटान, जब से खाता चूककर्ता का खाता बन्द है तब से उस अवधि का ब्याज न जोड़ पाने में बैंकों की विफलता के कारण कितनी हानि हुई और उन्होंने कितनी वसूली की, क्या समझौता हुआ; और कुल बकाया के मुकाबले में कितनी वसूली की गई।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास कोई आंकडे हैं तो भी आपके प्रश्न का उत्तर देने में उन्हें पूरा दिन लग जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, यह विषय विशेष से संबंधित प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसमें बहुत सारे विषय हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : हमें बताइये कि क्या कानून लागू करके बैंकों और देश को हानि हुई है अथवा देश को लाभ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने प्रश्न नहीं पूछ सकते आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं कि केवल प्रश्न की अनुमति दी जाती है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का खाता एक ऐसा खाता है जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार या तो समय पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है या मूल देय का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भुगतान न करने से खाता गैर-निष्पादनकारी खाता हो जाता है। इसलिए, गैर-निष्पादनकारी आस्तियां एक वर्गीकरण है। एक बार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण हो जाता है तो बैंक धन वसूलने के लिए कदम उठाते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान न करने के अनेक कारण होते है। उदाहरणार्थ, बाढ़ आ सकती है जैसे सूरत में बाढ़ आई थी अथवा सुनामी आ सकती है, जैसे भारत के पूर्वी तट पर आया था। इसलिए, बैंक कर्जदार को

राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने हेतु कदम उठाते हैं। यदि वह थोड़ा विलम्ब से भुगतान करता है तो दंड ब्याज जोड़ दिया जाता है अथवा कभी-कभी दंड ब्याज को माफ कर दिया जाता है। राशि वसूलने के लिए हर प्रयास किया जाता है। हालांकि एक समय जब यह स्पष्ट हो जाता है कि धन की वसूली नहीं की जा सकती अथवा वह जानबूझकर चूककर्ता बना है और राशि का भुगतान करने का अनिच्छुक है जबकि उसके पास संसाधन होते हैं तब मामला दायर किया जाता है। एक बार जब मामला दायर कर दिया जाता है तब वह चूककर्ता बन जाता है। वह सूची उपलब्ध है। इसलिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के खाते वे खाते होते हैं जिनके कारण मामले दायर किए जाते हैं और एक बार मामला दायर हो जाता है तो वह चूककर्ता बन जाता है।

जहां तक राशि बट्टे खाते में डालने का प्रश्न है तो मैंने संख्या बताई है। मैं फिर संख्या बता दूंगा। वर्ष 2005-06 में समझौतों द्वारा 8833 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते डाली गई जिसका अर्थ है कि आप आंशिक राशि की वसूली करेंगे और शेष राशि को बट्टे खाते में डालेंगे। कुछ मामलों में छोटी राशि पूरी तरह बट्टे खाते में डाल दी जाती है। उदाहरणार्थ मैंने ऐसे बहुत से बैंकों से जिनके अंतर्गत जिनमें 10 से 15 वर्षों से ऐसे हजारों मामले बकाया हैं, 1 लाख रुपए से कम की राशि बकाया है, कहा है कि उन मामलों में यदि व्यक्ति 20,000 अथवा 30,000 रुपए का भुगतान करना चाहते हैं तो उसे समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और शेष राशि को बट्ठे खाते में डाल दिया। वर्ष 2005-06 में वह राशि 8833 करोड़ रुपए थी।

श्री रूपचंद पाल : ऐसा देखा गया है कि निश्चित उद्देश्यों के लिए ली गई अग्रिम राशि और ऋण पूंजी बाजार में सट्टेबाजी के लिए प्रयोग की जा रहे हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण समितियों ने यह टिप्पणी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खेद व्यक्त किया है कि अभी तक वास्तविक प्रयोग की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऋणों और अग्रिमों के वास्तविक प्रयोग की निगरानी हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वह प्रभावशाली तंत्र है—बैंक/बैंक ऋण प्रदान करेगा और उसी पर धन के अंतिम उपयोग की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। बैंकों के निदेशक मंडल बोर्ड को उन खातों की जांच-पड़ताल करनी होगी जिनमें ऋण का समय पर भुगतान नहीं हुआ या ब्याज अदा न किया गया हो ऋण राशि उपयोग की निगरानी का पूरा उत्तर दायित्व निदेशक-मंडल का होगा। इस निरीक्षण कार्य हेतु कोई अन्य स्तर रखे जाने का प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 343 — श्री हितेन बर्मन — उपस्थित नहीं।

श्री सुव्रत बोस — उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 344 — श्री हेमलाल मुर्मू — उपस्थित नहीं।

अब हमें शुक्रवार के दिन प्रश्नकाल नहीं रखना चाहिए।

प्रश्न सं. 345 — श्री हरिकेवल प्रसाद।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

+

*345. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्षेत्रवार कितनी पनबिजनी तथा ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार प्रत्येक क्षेत्र की कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता थी और उनमें वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार तथा राज्यवार विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कितनी-कितनी भागीदारी है; और

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 30 नवंबर 2006 की स्थिति के अनुसार जल एवं ताप विद्युत परियोजनाओं के राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल-नवंबर, 2006) के दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तथा उत्पादित वास्तविक विद्युत तथा प्रत्येक वर्ष में विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष/समान अवधि की तुलना में प्रतिशत वृद्धि के राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल-नवंबर, 2006) के दौरान राज्य-वार/क्षेत्र-वार क्षमता अभिवृद्धि अनुबंध-III के रूप में बतायी गयी है।

(ङ) 11वीं योजना (2007-12) के दौरान कुल मिलाकर 66,400 मे.वा. से भी अधिक क्षमता अभिवृद्धि की जानी है, जिसमें लगभग 17,100 मे.वा. हाइड्रो, लगभग 46,100 मे.वा. थर्मल तथा लगभग 3200 मे.वा. परमाणु क्षमता शामिल है।

अनुबंध-I

30.11.2006 की स्थिति के अनुसार हाइड्रो एवं ताप विद्युत केन्द्रों की क्षेत्र/राज्य-वार संख्या

राज्य	जल विद्युत स्टेशनों की संख्या				ताप विद्युत स्टेशनों की संख्या				कुल		
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य	निजी	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य	निजी	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य	निजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा	0	1	0	1	1	5	0	6	1	6	0
हिमाचल प्रदेश	3	16	2	21	0	1	0	1	3	20	2
जम्मू व कश्मीर	2	10	0	12	0	5	0	5	2	17	0
पंजाब	0	13	3	16	0	4	0	4	0	17	3
राजस्थान	0	8	0	8	1	3	0	4	1	11	0
उत्तर प्रदेश	1	13	0	14	7	5	0	12	8	19	0
उत्तरांचल	2	13	1	16	0	0	0	0	2	15	1
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
दिल्ली	0	0	0	0	1	4	0	5	1	4	0
उप-जोड़ (उ.क्षेत्र)	8	74	6	88	10	28	0	38	18	102	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गोवा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
गुजरात	0	3	0	3	2	21	7	30	2	24	7
छत्तीसगढ़	0	1	0	1	1	2	0	2	1	3	0
मध्य प्रदेश	1	7	1	9	1	4	0	6	2	11	1
महाराष्ट्र	0	24	3	27	1	8	3	12	1	32	6
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (प. क्षेत्र)	1	35	4	40	5	35	12	51	6	70	15
आंध्र प्रदेश	0	17	1	18	2	5	6	13	2	22	7
कर्नाटक	0	17	6	23	0	2	4	6	0	19	10
केरल	0	17	0	17	1	2	2	5	1	19	2
तमिलनाडु	0	23	0	23	1	9	7	17	1	32	7
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	11	0	11	0	11	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
उप-जोड़ (द. क्षेत्र)	0	74	7	81	4	30	19	53	4	104	26
बिहार	0	4	0	4	1	3	0	4	1	7	0
झारखंड	0	1	0	1	0	2	1	3	0	3	1
उड़ीसा	0	9	0	9	2	1	0	3	2	10	0
पश्चिम बंगाल	0	7	0	7	1	19	8	28	1	26	8
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	1	0	34	0	34	0	34	1
सिक्किम	1	7	0	8	0	2	0	2	1	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
डीवीसी	0	3	0	3	0	5	0	5	0	8	0
उप-जोड़ (पू. क्षेत्र)	1	31	1	33	4	66	9	79	5	97	10
असम	1	1	0	2	1	8	2	11	2	9	2
मणिपुर	1	1	0	2	0	22	0	22	1	23	0
मेघालय	1	5	0	6	0	5	0	5	1	10	0
नागालैंड	1	3	0	4	0	5	0	5	1	8	0
त्रिपुरा	0	2	0	2	1	9	0	10	1	11	0
अरुणाचल प्रदेश	1	7	0	8	0	1	0	1	1	8	0
मिजोरम	0	2	0	2	0	23	0	23	0	25	0
उप-जोड़ (उ.पू.क्षेत्र)	5	21	0	26	2	73	2	77	7	94	2
योग (अखिल भारतीय)	15	235	18	268	25	232	42	298	40	467	59

अनुबंध-II

2004-05 से 2006-07 (नवंबर, 2006) के दौरान राज्य-वार और क्षेत्रवार कुल विद्युत उत्पादन (थर्मल, न्यूक्लीयर और हाइड्रो) और उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत

राज्य	क्षेत्र	30.11.06 के अनुसार क्षमता	2004.05		2005.06		2006.07 (अप्रैल-नवंबर'06)	
			वास्तविक उत्पादन	बढ़ोत्तरी	वास्तविक उत्पादन	बढ़ोत्तरी	वास्तविक उत्पादन	बढ़ोत्तरी (पिछले के तदनुरूप अवधि में अतिरिक्त उत्पादन)
		(मेगावाट)	(मि.यू.)	(%)	(मि.यू.)	(%)	(मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़ राज्य	2	0		0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	केन्द्र	720	5463.6	0.6	5380.6	-1.5	3564.24	2.9
	राज्य	994.9	5708.52	10.6	5598.12	-1.9	3507.92	-5.0
हरियाणा	केन्द्र	430	3161.9	13.2	2952.8	-6.6	1879.18	-5.8
	राज्य	1602.4	7166.79	2.4	9220.85	28.7	7164.38	16.4
हिमाचल प्रदेश	केन्द्र	5249	19441	41.4	20328	4.6	15889.25	4.8
	राज्य	396.6	1273.33	-6.4	1291.84	1.5	1082.18	-2.0
	निजी	386	1462.82	0.6	1504.44	2.8	1452.93	1.4
जम्मू व कश्मीर	केन्द्र	1170	5650.41	-11.0	6205.37	9.8	4946.16	0.5
	राज्य	481.4	754.83	-18.0	788.37	4.4	769.99	28.1
पंजाब	केन्द्र	168.2	1050	-4.5	1269	20.9	503.68	-32.0
	राज्य	3262.5	17738.46	-4.7	19848.8	11.9	13582.61	-1.5
राजस्थान	केन्द्र	1153	7362.91	3.7	7115.08	-3.4	4157.94	-13.9
	राज्य	2838.8	18408.76	15.5	19448.38	5.6	12880.39	5.3
उत्तर प्रदेश	केन्द्र	8239	53061.86	3.0	55042.41	3.7	38625.42	10.1
	राज्य	4802.6	20873.08	-8.6	20655.14	-1.0	15407.83	13.5
उत्तरांचल	केन्द्र	900	496.69	-3.0	797.62	60.6	1701.31	185.2
	राज्य	978	3111.13	-8.3	3493.11	12.3	2500.08	-6.7
	निजी	400					746.53	
छत्तीसगढ़	केन्द्र	2100	17049	4.4	16001.3	-6.1	10317.65	-5.5
	राज्य	1405	8311.3	5.0	9311.11	12.0	6026.57	-1.2
गोवा	निजी	48	335.97		302.75		230.01	9.1
गुजरात	केन्द्र	1732	9370.13	-8.9	9729.34	3.8	6792.25	4.0
	राज्य	6902.7	29387.92	11.4	30411.91	3.5	21517.32	12.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निजी	1700	11292.78	12.2	12857.59	13.9	7991.4	-7.0
	निजी#	515	1516.46	179.3	1800.94	18.8	1107.97	-10.6
मध्य प्रदेश	केन्द्र	3760	19170.46	15.7	20877.57	8.9	14299.46	4.4
	राज्य	3177.5	16583.55	-0.9	16109.16	-2.9	10506.92	1.1
	निजी	13.5	29.75		23.88		14.2	19.5
महाराष्ट्र	केन्द्र	1400	2587.06	3.6	3714.63	43.6	3726.52	60.6
	राज्य	9722.8	51051.38	1.8	50199.59	-1.7	32643.49	-1.0
	निजी	3754	15387.72	4.5	15531.77	0.9	11363.64	7.1
आंध्र प्रदेश	राज्य	3600	25291.93	5.1	27432.5	8.5	18218.35	5.5
	केन्द्र	6823.4	31162.57	13.0	30900.32	-0.8	22704.14	13.6
	निजी	1640.2	6180.26	1.4	5585.25	-9.6	3307.68	-12.2
कर्नाटक	केन्द्र	440	2926.25	-6.3	2859.58	-2.3	1629.99	-16.8
	राज्य	4958.6	19736.54	3.2	20612.74	4.4	16956.05	44.6
	निजी	379.7	1070.94	-47.4	584.27	-45.4	336.03	26.5
	निजी#	260	516.33	-32.6	1382.95	167.8	978.59	20.8
केरल	केन्द्र	350	620.5	-70.7	358.5	-42.2	440.82	77.3
	राज्य	2050.3	6370.27	41.7	7598.36	19.3	5123.23	2.9
	निजी	226.8	198.22	-82.1	134.3	-32.2	149.28	37.8
लक्षद्वीप	राज्य	10	23.41		26.73		18.87	6.7
पांडिचेरी	राज्य	32.5	275.69	-0.5	256.71	-6.9	184.61	0.6
तमिलनाडु	केन्द्र	2930	18223.32	1.4	18099.56	-0.7	11517.24	-7.5
	राज्य	5571.6	26418.17	9.7	26889.66	1.8	19781.38	10.4
	निजी	1164.8	3301.69	-28.5	3741.22	13.3	3158.86	61.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य	45.4	48.44		53.35		54.66	66.2
	निजी	20	89.87		105.49		71.11	1.6
बिहार	केन्द्र	840	6082.1	1.8	6572.3	8.1	4126.88	-2.0
	राज्य	584.9	204.01	-49.5	195.86	-4.0	87.23	-32.4
झारखंड	केन्द्र	1756.5	4508.09	7.2	4789.52	6.2	3570.56	18.6
	राज्य	1390	2218.54	-13.1	2424.59	9.3	2341.61	67.4
	निजी#	360	811.43		1890.42		1230.74	23.3
उड़ीसा	केन्द्र	3470	19444.4	41.5	24714.86	27.1	18045.66	16.2
	राज्य	2281.5	10029.48	12.1	8122.36	-19.0	7525.01	42.0
	निजी#	0	1094.38	-3.9	913.8	-16.5	586.38	29.1
सिक्किम	केन्द्र	60	369.64	7.1	352.05	-4.8	133.44	-54.3
	राज्य	37	61.21	70.0	33.92	-44.6	23.67	5.2
पश्चिम बंगाल	केन्द्र	2850	16039.27	4.8	19233.19	19.9	12279.97	1.1
	राज्य	3561.5	17580.91	6.4	17753.06	1.0	12012.47	2.9
	निजी	1069.2	7238.48	8.2	7826.62	8.1	5508.89	2.0
अरुणाचल प्रदेश	केन्द्र	405	1641.51	68.7	1411.86	-14.0	855.08	-30.0
	राज्य	10.5	2	-81.8	0	-100.0	0.71	
असम	केन्द्र	516	2528.68	11.8	2825.44	11.7	1916.24	-5.9
	राज्य	574.5	755.39	6.8	810.92	7.4	515.98	-6.1
	निजी	24.5	136.33	9.1	121.28	-11.0	71.76	-13.6
मणिपुर	केन्द्र	90	629.07	24.8	586.15	-6.8	377.5	-5.2
	राज्य	36	0		0		1.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	केन्द्र	50	194.98	-5.3	197.58	1.3	128.37	-29.3
	राज्य	185.2	615.19	17.2	509.5	-17.2	289.9	-25.4
मिजोरम	राज्य	22.8	0		0.03		2.23	
नागालैंड	केन्द्र	75	254.16	55.0	183.02	-28.0	162.92	0.5
	राज्य	24	0		0		0	
त्रिपुरा	केन्द्र	84	571.18	0.9	638.21	11.7	425.58	3.6
	राज्य	126	554.2	7.2	483.99	-12.7	368.31	6.8
भुटान आयात					1764.12		2180.37	36.1
अखिल भारतीय		121392.3	587416.06	5.2	617510.44	5.1	436299.29	7.3

#ग्रिड में इंजेक्शन के लिए कैप्टिव यूनिटों से प्रतिबद्ध आपूर्ति

@सरप्लस क्षमता उपलब्धता एवं मांग पर निर्भर करती है

टिप्पणी : नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन शामिल नहीं है।

अनुबंध-III

2004-05 से 2006-07 (नवंबर, 2006 तक) के दौरान जल, ताप एवं न्यूक्लीयर विद्युत में क्षमता अभिवृद्धि

राज्य	क्षेत्र	क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)		
		2004.05	2005.06	2006.07 (अप्रैल-नवंबर, 06)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	राज्य	500		
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय			
	राज्य			84
राजस्थान	राज्य			

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	500	500	210
	राज्य		210	
उत्तरांचल	केन्द्रीय		280	500
	निजी			400
पश्चिम क्षेत्र				
गुजरात	केन्द्रीय	475	997	200
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय	500		500
	राज्य			60
महाराष्ट्र	केन्द्रीय		540	1280
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय	500		
	राज्य			
	निजी		453	137
कर्नाटक	राज्य	165	110	
तमिलनाडु	केन्द्रीय			
	राज्य		150	30
	निजी	70	87.8	14.8
पूर्वी क्षेत्र				
झारखंड	निजी		120	
उड़ीसा	केन्द्रीय	1000		
पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	210		
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य	6		

सोचा है 19 तारीख को मंत्री महोदय वहां फाउंडेशन ले करने के लिए जा रहे हैं, शायद मुझे भी आमंत्रण है, मैं भी जा सकता हूं क्योंकि जहां जिस राज्य में हाइड्रो बिजली का निर्माण नही हो सकता है, वहां नॉन-कंवेंशनल से हम बिजली निर्माण का काम कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लिअर की कोई कैपेसिटी वहां हो सकती है या कोई व्यवस्था हो सकती है, वह भी हम जरूर एग्जामिन करेंगे। थर्मल के बारे में भी और कुछ वहां हो सकता है, इस बारे में हम जरूर देख लेंगे क्योंकि बिजली हर राज्य को मिलना बहुत जरूरी है। माननीय सदस्य ने कहा था कि अभी-अभी मैंने उत्तर में कहा था कि यह राज्य की समस्या है। सेन्टर खाली सप्लीमेंट्री काम करता है। यह काम राज्य को ज्यादा करना होगा और उसमें हम सहयोग जरूर देंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जो इस देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है। हमने कई बार संसद में कहा है कि हमें आउटलेट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन हमें आउटकम पर ध्यान देना चाहिए। केन्द्र की ऊर्जा के क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी योजना-एपीडीआरपी-(एक्सीलिरेटेड पार्ट वैपन रिफार्म प्रोग्राम) है। इस योजना को गुना और शिवपुरी इन दोनों शहरों के लिए चार साल पहले साढ़े आठ-नौ करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था। आज तक उस योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हुआ है। वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकारी कंपनी ने लिखा है कि उस प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जहां आप राशि देते हैं और जहां की प्रदेश सरकार इस पर क्रियान्वयन नहीं कर पाती या धीमी गति से क्रियान्वयन किया जाता है या कार्य जो बंद हो जाते हैं, उनके विरूद्ध आप कौन से ठोस कदम उठाना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली के क्षेत्र से किसान और आम आदमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, यह आउटलेट्स और आउटकम की बात हमारे माननीय सदस्य सिंधिया जी ने कही है लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि एपीडीआरपी में गुना और शिवपुरी में जो उनको पैसा दे दिया है, उसके बारे में मैं जरूर इंक्वायरी करूंगा। वहां का काम नहीं रुकेगा, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री से भी बात करूंगा तथा इसमें क्या डिफिकल्टी है, वह मैं खुद देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री खगेन दास : महोदय, दसवीं योजनावधि के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1018 मेगावाट के क्षमता-वर्धन के लक्ष्य की तुलना में केवल 280 मेगावाट क्षमता ही वर्धित की गई है जिसमें इस क्षेत्र में विद्युत का भीषण संकट है। त्रिपुरा में तीन परियोजनाएं विलम्बित हैं, यथा: पलकाना परियोजना, धोनारचक परियोजना तथा 21 मेगावाट की बारमुड़ा परियोजना। क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं पर कार्य कब से चालू होगा और विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें अधिक विलम्ब न हो?

अध्यक्ष महोदय : क्या ये केंद्रीय परियोजनाएं हैं?

श्री खगेन दास : जी हां, महोदय।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, माननीय सदस्य और उनके राज्य के अन्य संसद जानते हैं कि हाल ही में हमारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ बैठक हुई थी जिसमें मैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। हमने मोनारचक परियोजना पर एक निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यद्यपि इसमें थोड़ी कठिनाई रही, तथापि मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और फिर हमने इन परियोजनाओं की इक्विटी के प्रतिशत के निर्माण पर विचार किया। मैं सभा को आश्वस्त करना चहता हूं कि त्रिपुरा के मामले में सरकार इन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देगी और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम इन परियोजनाओं की विशेष रूप से निगरानी करेंगे जिसका परिणाम आप शीघ्र देखेंगे।

व्यापार में भारत का स्थान (रैंक)

+

*346. **श्री निखिल कुमार** :
श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने 175 देशों में से भारत को व्यावसायिक माहौल के विभिन्न मानकों के आधार पर 134वां स्थान (रैंक) दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत को खराब रैंकिंग देने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार "डुइंग बिजनैस 2007 : हाऊ टू रिफोर्म" में दर्शाए गए स्थान से सहमत नहीं है। रिपोर्ट के निष्कर्ष एक चयनित वर्गीकरण पर आधारित हैं जिसमें ऐसे अनेक पैरामीटरों को छोड़ दिया है जो व्यवसाय से संगत हैं; यह ऐसे सर्वेक्षण पर आधारित है जिसका अत्यन्त सीमित व्याप्तिक्षेत्र है और इसमें केवल एक शहर के कुछ उद्योगों को शामिल किया गया है; सरकार के नीतिगत पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है; और इसमें सरकार तथा उद्योग संघों जैसे प्रमुख पणधारकों के साथ हुआ परामर्श शामिल नहीं है। वर्गीकरण की इन सीमाओं में से कुछ को स्वयं रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अध्ययन के निष्कर्ष व्यापक रूप से स्वीकार्य इस दृष्टिकोण से कि विश्व में भारत एक प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, से मेल नहीं खाते। सरकार के विचारों को अपने कार्यकारी निदेशक के माध्यम से विश्व बैंक और आईएफसी के प्रबंधन को बता दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.4 प्रतिशत थी और चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के लिए यह दर 9.1 प्रतिशत है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) व्यवसाय के वातावरण के विभिन्न पैरामीटरों में सुधार लाना एक अनवरत प्रक्रिया है और सरकार विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से इस पर लगातार नजर रखे हुए है।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिए लिखित उत्तर का अवलोकन किया है। यह सही है कि जैसे भी यह क्रमसूची तय हुई है मैं उस प्रक्रिया से अवगत नहीं हूं। परन्तु उसे यह आभास होता है कि चूंकि अब यह प्रकाशित स्वरूप में है, अत: हमारे विदेशी निवेशकों पर इसका अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है। अत:, इस विषय में हमें विशेष सर्तकता बरतनी होगी कि कहीं विदेशी निवेशक इससे हतोत्साहित न हों। क्या माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह हमें यह बताने का कष्ट करें कि विदेशी निवेशकों ने कितना लाभ कमाया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या फायदा मिलने में देर हुई? क्या इसमें कोई कठिनाई आई? उन्होंने लाभार्जन किस गति से किया गया?

श्री पी. चिदम्बरम : इस प्रश्न का विदेशी निवेशकों द्वारा अर्जित लाभ से कोई संबंध नहीं है। मेरे पास जानकारी तो है लेकिन आज उसे बता नहीं पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने ठीक कहा।

श्री पी. चिदम्बरम : यह एक संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में है जिसमें क्रमसूची तय की गई है। आप इससे इतने विचलित क्यों हैं? मेरे पास ऐसे अन्य बहुत से अध्ययन हैं जिसमें भारत का स्थान बहुत ऊपर आता है। मेरे पास ऐसे अध्ययन भी हैं जिनके अनुसार भारत निवेशक प्रयोजन से दूसरा सर्वोत्तम देश है। ऐसे अध्ययन हैं जो कहते हैं कि भारत का प्रदर्शन एशिया में सर्वश्रेष्ठ है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस अध्ययन से इतने विचलित क्यों हों?

हम इस अध्ययन को नहीं मानते।

श्री निखिल कुमार चौधरी : हम माननीय वित्तमंत्री जी की सलाह मानते हैं और इससे अब विचलित नहीं होंगे। लेकिन साथ ही हमें इस धारणा को भी खारिज करना चाहिए कि इस देश में ऐसे कानून और प्रक्रियाएं हैं जिनसे न्यायालय से न्याय पाने की प्रक्रिया में देरी होती हैं। इससे विदेशी निवेशकों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। हमें व्यापार-वार्ता के सुचारू कार्यकरण के पथ की बाधाएं हटानी पड़ेंगी। ऐसे कानून और कानूनी प्रक्रियाएं हटानी पड़ेंगी। क्या माननीय वित्तमंत्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : मौटे तौर पर, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से सम्मति रखता हूं। देश में अभी भी ऐसे कानून हैं जो जटिल हैं और कई प्रक्रियाएं हैं जो बहुत समय लेती हैं। ऐसा ही एक कानून है—अनकदीकरण संबंधी कानून। ऐसा ही एक अन्य कानून दिवालिएपन से संबंधित है। इनकी विधि मंत्रालय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। वास्तव में, जब 27 सितम्बर को यह अध्ययन प्रकाशित हुआ तो औद्योगिक संवर्धन तथा नीति विभाग ने एक प्रेस-नोट जारी किया जिसमें इस अध्ययन के विपरीत ऐसे कई उपाय जताए गए थे जो भारत में व्यापार के माहौल में सुधार लाने के लिए किए गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि भारत में व्यापार

का माहौल बिलकुल बढ़िया है, मैं मानता हूं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन मैं इस अध्ययन के निष्कर्षों से सहमत नहीं हूं। लेकिन इन्होंने जटिल और विलम्बकारी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जो कहा, वह सही है। ठीक बात कही है। मैं माननीय कंपनी कार्य मंत्री तक आपकी बात पहुंचा दूंगा।

श्री अधीर चौधरी : वर्ष 2006 में विश्व अर्थव्यवस्था व्यापार की प्रगति होती रही, साथ ही मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के भीतर माल-व्यापार भी काफी बढ़ा। 2006 के आरंभ में विश्व भर में वस्तुओं के मूल्य भी बढ़े जो वैश्विक स्तर पर मांगबर्धन को दर्शाता था। इस सिलसिले में, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि विश्व बाजार में हमारे माल-क्षेत्रक का हिस्सा क्या है; क्या सेना-क्षेत्र कमजोर हो रहा है; क्या हम लैटिन अमरीका और अफ्रीका के बाजारों की हड़ताल के लिए कोई विशेष पहल कर रहे हैं जहां कृषि गत आयात-निर्यात की काफी संभावनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह संबंधित मंत्रालयों तक यह बात पहुंचा देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे मित्र वाणिज्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। लेकिन यदि मुझे ठीक से याद है तो विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी एक प्रतिशत को पार कर गई है। यह बढ़ोत्तरी की स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि यह बढ़ोत्तरी आगे भी जारी रहेगी।

डा. के.एस. मनोज : जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था, उसका अंशिक उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। क्या सरकार विश्व बैंक, आई.एफ.सी. और आइ.एस.आई. रैंकिंग से असहमति रखती है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कोई अन्य अध्ययन हुआ है? यदि हां, इस रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि किस-किस व्यापार में भारत की स्थिति बेहतर है?

श्री पी. चिदम्बरम : अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कोई अध्ययन नहीं है। ऐसे कई तरह के अध्ययन हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 2006 की आई.एफ.सी. प्रेस विज्ञप्ति में दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन माना गया है। ए.टी.-कियर्ने एफ.डी.आई. कान्फिडेंस इंडेक्स-2005 के अनुसार, आकर्षक स्थल के संदर्भ से भारत चीन से थोड़ा ही पीछे है।

अंकटाड वर्ल्ड इनेवस्ट रिपोर्ट, जिसके मुख्य सारबिंदु मेरे पास हैं—में विशेषज्ञों की राय के अनुसार भारत को चीन और अमरीका के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है और निगमों की राय के आधार पर इसे चीन के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच के सूचकांकों में भारत को चीन तथा कई अन्य दक्षिण एशियाई देशों से कई सोपान ऊपर रखा गया है। वस्तुतः 'बिजनेस काम्पीटेटिवनेस 'इंडेक्स' में भारत का स्थान 27वां और चीन का 64वां है। पर मुझे नहीं लगता कि चीन इससे विचलित होगा और न ही मैं समझता हूं कि हमें इससे विचलित होने की आवश्यकता है।

श्रीमती जयाप्रदा : अध्यक्ष महोदय, यह अवसर देने के लिए आप का धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री काफी समझदार हैं और वे हमेशा आर्थिक क्रांति की बात करने को तैयार रहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या हम विश्व-व्यापार में अपनी सामग्री भेजने की सोच रहे हैं?

महोदय, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के इच्छुक हैं लेकिन उनके समक्ष समस्याएं हैं। कई लोग, बड़ी कंपनियां भारत में आकर निवेश करना चाहती तो हैं लेकिन मंजूरी मिलने में देरी होने से उन्हें समस्याएं पेश आती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मुख्य प्रश्न से संबंधित बात नहीं है।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, यह बहुत जरूरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी तो कई जरूरी बातें हैं।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, कृपया मुझे बात पूरी करने दीजिए।

भारत में व्यापार शुरू करने के लिए अभी तक कोई ऐसी 'एकल खिड़की' स्वीकृति प्रणाली नहीं है जहां से सारे काम पूरे हो सकें। यदि व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी प्राप्त करने में ही बरसों प्रतीक्षा करनी पड़े तो फिर लोग यहां क्यों आएंगे? फिर, प्रशासनिक रूप से भी विलम्ब होता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई 'एकल खिड़की' प्रणाली शुरू किए जाने का विचार है जिससे व्यावसाय-संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी मिल सके।

दूसरी बात, क्या इन सभी बातों की निगरानी के लिए कोई उच्चधिकार प्राप्त समिति है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से किसी प्रकार भी संबंधित है, लेकिन फिर भी इसे मंत्री जी पर छोड़ता हूं। यदि वे चाहें, तो उत्तर दें।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जहां तक यह 'एकल खिड़की' प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं की बात है, मेरे विचार से कुछ धारणाएं हम खुद ही बना लेते हैं। विनियामक एजेंसियों से विनियमन-स्वीकृति तो ली ही जानी होगी। यदि आपको रिजर्व बैंक की स्वीकृति चाहिए तो रिजर्व बैंक जाना होगा। राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए तो उसके पास जाना होगा, यदि भवनादि के लिए नगर पालिका की अनुमति चाहिए तो वहां जाना होगा। इन सबको एक ही खिड़की के तहत कैसे लाया जा सकता है? महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि व्यवसाय की शुरूआत करने में कितनी देर लगी। इस अध्ययन तक में यह बताया गया है—और मैं यहां फिर स्पष्ट कर दूं कि उस अध्ययन से मैं सहमति नहीं रखता—ओ.ई.सी.डी. देशों तक में कोई व्यवसाय आरंभ करने में औसतन 166 दिनों का समय लगता है, जबकि ये देश सबसे उन्नत और धनी देश हैं। हमारे क्षेत्र में यह औसत 32.5 दिनों का है। भारत में इस अध्ययन के अनुसार, यह समय 35 दिन का है। मुझे नहीं लगता कि व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में 16 दिनों और 35 दिनों के बीच का अंतर बड़ा भारी अंतर है। बेशक, हमें 35 दिनों को कम करके उसे 20 या 15 दिनों तक ले आने की कोशिश करनी होगी। लेकिल, जैसा मैंने कहा, इन्हीं मामलों पर तो हमें कार्य करना है।

बात तो यह है कि क्या भारत में हमारे पास व्यापार का उचित माहौल है? मैं मानता हूं कि ऐसा है। क्या यह माहौल और सुधर रहा है। मेरे विचार से सुधर रहा है। क्या इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है? मैं जानता हूं कि गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदय : अब बात केवल यह रही कि क्या आपने विश्व बैंक और आई.एस.सी. को जता दिया कि आप इससे सहमति नहीं रखते?

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां, महोदय। हमने उन्हें बता दिया है कि हम इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

+

*347. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अपने राज्यों के कुछ जिलों को शामिल करते हुए योजनाएं तैयार की हैं तथा उन्हें केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) के कार्यान्वयन में भाग लेने वाले 27 राज्यों (गोवा एवं दिल्ली को छोड़कर) अप्रैल, 2005 में आरजीजीवीवाय चालू होने के बाद अब तक 575 प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार और प्रस्तुत कर चुके हैं। जिनमें 546 जिलों को सम्मिलित करते हुए 28772.31 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में प्रस्तुत किया गया है।

(ग) 316 जिलों के लिए 317 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 27 राज्यों में 69534 अविद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों और 165124 गांवों का सघन विद्युतीकरण सम्मिलित करते हुए 11514.23 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त, 21105 गैर विद्युतीकृत गांवों और 88829 विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण हेतु 136 जिलों की 144 परियोजनाओं को निविदा देने तक के प्रारंभिक कार्यों को करने और निविदा मूल्यांकल के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। जिसमें 5892 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। ग्यारहवीं योजना परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किए जाने पर ही कार्य सौंपे जा सकते हैं।

राज्य वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) क्रियान्वयक राज्यों ने स्वीकृत आरजीजीवीवाय परियोजनाओं के तहत अब तक 2480.41 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। 8.12.2006 की स्थिति के अनुसार जारी निधियां राज्यवार अनुबंध-III में दी गई है।

अनुबंध-I

आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रारूप डीपीआर का राज्य ब्यौरा

08.12.2006 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त की गई कुल परियोजनाएं	सम्मिलित जिलों की संख्या	परियोजना की कुल लागत (लाख रुपये)	परियोजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए कवर किए गए गांव				परियोजना के तहत् शामिल आवासों की कुल संख्या	ग्रामीण घरों को जारी किए जाने वाले कुल प्रस्तावित कनैक्शनों की संख्या (बीपीएल घरों समेत)	परियोजना के तहत् विद्युतीकृत किए जाने वाले बीपीएल घरों की संख्या
					गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	निर्विद्युतीकृत हुए गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	घरों के विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित गांवों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	26	22	80493.81	0	0	27495	27495	76319	3957565	2592808
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	58119.67	1802	331	1768	3901	364	76438	40810
3.	असम	21	21	126390.43	3072	3831	12766	18494	36428	1341936	953044
4.	बिहार	43	38	333056.82	14067	10486	5605	30158	27599	5077218	2606498
5.	छत्तीसगढ़	15	15	96846.49	951	179	16979	16893	32646	1457589	770372
6.	गुजरात	25	25	30617.12	0	0	17934	17934	15923	1595853	955150
7.	हरियाणा	18	18	18570.36	0	0	5985	5985	3316	569686	224073
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	45429.80	97	0	17389	17486	18808	44444	12483
9.	जम्मू व कश्मीर	12	12	35657.19	198	8	5944	6150	20367	294433	134615
10.	झारखंड	22	22	261327.82	16965	2774	7622	27361	79099	2926260	1693281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	कर्नाटक	26	26	61336.95	132	0	28695	28827	47448	2005323	902373
12.	केरल	14	14	32101.02	0	0	1077	1077	2485	458248	206741
13.	मध्य प्रदेश	48	48	249054.42	604	454	48488	49546	47781	3747831	1825851
14.	महाराष्ट्र	34	34	40605.10	6	0	40289	40295	56274	2633641	1876303
15.	मणिपुर	4	4	15242.73	159	336	727	1222	792	76267	49188
16.	मेघालय	3	3	6171.20	90	103	1631	1824	1885	55688	37869
17.	मिजोरम	8	8	10244.68	42	95	570	707	707	44334	27417
18.	नागालैंड	5	5	4161.25	20	12	484	516	733	64548	38440
19.	उड़ीसा	23	22	293483.19	10809	3440	22523	36772	52984	3775005	2436457
20.	पंजाब	17	17	14493.02	0	0	11840	11840	4670	405023	148860
21.	राजस्थान	41	32	104948.22	761	3681	34842	39330	32989	2321306	1755720
22.	सिक्किम	4	4	5625.82	25	0	418	443	1700	28166	11458
23.	तमिलनाडु	29	29	44834.59	0	0	13137	13137	74498	1887943	585015
24.	त्रिपुरा	3	3	16238.64	127		150	277	1520	88984	58708
25.	उत्तर प्रदेश	67	65	330650.02	31657	1077	5608	38342	46021	2118859	1392599
26.	उत्तरांचल	13	13	64389.43	787	682	14105	15574	24428	357309	281615
27.	पश्चिम बंगाल	26	18	497141.04	4268	15	0	4283	4283	176170	108558
	कुल योग	575	546	2877230.82	86639	27504	344071	455869	712067	37586067	21726306

अनुबंध-II

आरजीजीवीआई संबंधी मॉनीटरिंग समिति द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत/ अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

14.12.2006

क्र. सं.	राज्य		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या		कुल परियोजना लागत लाख रुपय में
							कुल (बीपीएल सहित)	बीपीएल घर	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	ए	17	17	0	21623	3166161	2114317	64815.60
		बी	5	5	0	5215	633052	385200	13362.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	ए	2	2	237	321	7230	4377	4330.11
		बी	14	14	1896	1447	69208	36433	53789.57
3.	असम	ए	7	7	1831	3926	445804	329668	30044.38
		बी	8	8	2416	4873	341596	278036	47563.78
4.	बिहार	ए	29	29	18959	169	1196385	1008898	169438.47
		बी	9	9	3895	3932	2745435	965397	100855.98
5.	छतीसगढ़	ए	5	5	166	5642	494414	271170	23653.45
6.	गुजरात	ए	9	9	0	7347	580071	412628	12922.71
		बी	16	16	0	10587	1015782	542522	17694.41
7.	हरियाणा	ए	6	6	0	1820	205646	92948	7699.57
		बी	12	12	0	4165	364040	131125	10870.79
8.	हिमाचल प्रदेश	ए	1	1	0	1118	2531	647	2502.36
		बी	3	3	1	4100	11519	3587	7348.98

1	2		3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू व कश्मीर	ए	4	4	108	2044	126104	71914	14592.77
		बी	6	6	76	3227	152316	57538	15163.14
10.	झारखंड	ए	11	11	7563	4226	1256561	777234	106738.49
		बी	7	7	8500	2296	1166549	830501	99827.92
11.	कर्नाटक	ए	26	26	132	28695	2005323	902373	61336.95
12.	केरल	ए	7	7	0	373	227320	122187	22175.75
		बी	7	7	0	704	230928	84554	9925.28
13.	मध्य प्रदेश	ए	16	16	176	17998	1254435	625114	80946.91
		बी	5	5	77	5977	432018	212643	38295.40
14.	महाराष्ट्र	ए	17	17	0	20661	1394893	1016583	21481.37
15.	मणिपुर	ए	3	3	244	393	41622	26622	9462.64
		बी	1	1	251	334	34645	22566	5780.09
16.	मेघालय	ए	3	3	193	1631	55688	37869	6171.20
17	मिजोरम	ए	8	8	137	570	44334	27417	10244.68
18.	नागालैंड	ए	3	3	12	373	35601	22908	2569.27
		बी	2	2	20	111	28947	15533	1591.98
19.	उड़ीसा	ए	4	3	1329	3353	472752	324443	40977.25
		बी	5	5	1920	7579	754050	444086	54602.82
20.	पंजाब	ए	1	1	0	962	69125	25004	2297.11
		बी	16	16	0	10878	335898	123856	12195.91
21.	राजस्थान	ए	27	26	1820	16239	1064622	747711	48092.21
		बी	12	6	1974	16015	1085944	891618	44379.79

है कि जो काम आपके राजस्थान में अधूरे रह गए हैं, मय गांव के, उन कामों के लिए आप एक निश्चित तारीख बता दें कि आप उन्हें कब तक पूरा करा देंगे और क्या राजस्थान सरकार ने और भी प्रोजैक्ट मंजूरी के लिए भेजे हैं और अगर भेजे हैं तो उन पर भी आप दया करके उन्हें कब तक पूरा करा देंगे, यह मेरा आपसे सीधा-सीधा प्रश्न है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए नेवेली और न्यूक्लियर प्लांट के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और जो चर्चाएं हम बार-बार कर रहे हैं, उनके पावर सैक्रेट्री और मुख्य मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं। उन्हें एक तो कोल ब्लॉक की जरूरत थी, उसके लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से बात की है और जिस कोल ब्लॉक के लिए वे कह रहे हैं, उसके लिए भी मैंने कोल मिनिस्टर से खुद बात की है। पावर जेनरेशन के बारे में उस राज्य को जो भी सहायता चाहिए, वह हम देने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन केपेसिटी बढ़ाने का काम उन्हें और भी करना होगा, तभी बिजली देने के काम में वहां सुविधा पैदा हो जाएगी। जब ठंड के दिन आते हैं तो हम कहीं न कहीं से बिजली निकाल कर, जहां कोल्ड वेव आती है, उस राज्य को बिजली देने का प्रयास करते हैं। माननीय सदस्य जिस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने अभी दो दिन पहले कोल मिनिस्टर से बात की है।...*(व्यवधान)* यह जरूरी है, क्योंकि इसके सिवा वहां बिजली निर्माण नहीं होगा। माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं उनके और भी अधिकारियों को बुला कर, जहां भी कमी होगी, उसके लिए मैं पूछ लूंगा। यह केवल एक राज्य के बारे में हमारी सोच नहीं है, हर राज्य के बारे में हम यह काम कर रहे हैं। यदि चीफ मिनिस्टर या बिजली मंत्री जी नहीं आते हैं तो उनके राज्यों के सैक्रेट्रीस को बुलाकर कर रहे हैं और उन्हें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि यह काम आपको करना होगा। हम अभी इसमें थोड़े से स्ट्रीक्ट मेजर्स ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सहना भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, हम एक तरफ स्ट्रीक्ट मेजर्स ले रहे हैं और आरईसी एवं पीएफसी से उन्हें हम लोन दिलवाने का काम भी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अप्रैल 2005 में आरम्भ की गई थी तथा इसका लक्ष्य यह था कि पूरे देश में 2009 तक सभी अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि अब तक लगभग 23,000 ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया गया है। जो भी लक्ष्य हो, लेकिन मेरा यह विचार है कि 2009 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन सेठी : अब यह लगभग स्पष्ट है। पहले 300 अथवा इससे कम जनसंख्या वाले गांवों का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एनएनपी) के तहत विद्युतीकरण करने का विचार था। एनएनपी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी शामिल है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मानदंड को कि सभी गांवों, जिनकी जनसंख्या 300 है, को एमएनपी अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत किया जाएगा, को पूरा किया जाएगा, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मैं उस राज्य में उस जिले का रहने वाला हूं जहां लोग कहते हैं कि इस योजना को एमएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन जी, आपने विशिट रूप से यह पूछा है कि क्या यह योजना एमएनपी अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : योजनाओं पर विचार करते समय ग्रामीण विकास विद्युतीकरण योजना आठवीं योजना और नौवीं योजना में शामिल थी, परंतु 5 अप्रैल से, यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लाई गई थी। अब परिभाषा ही बदल गई है और अब इसे केवल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ही शामिल किया जाएगा। इसमें सभी छोटे-छोटे गावों को सम्मिलित किया गया है; इसलिए आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। हम मदद करने के लिए सभी राज्यों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि आठवी योजना में, 11,000 ग्रामों का पूरी तरह विद्युतीकरण किया गया था तथा नौवीं योजना में 14,000 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था। परंतु अप्रैल, 2005 से, यदि आप ध्यान दें। तो, अब तक 23,000 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है। अब मुझे यकीन है कि हम किए गए सभी वायदों को पूरा कर पाएंगे। वर्ष 2009 तक संपूर्ण देय के ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जाएंगा। तथा 2012 तक इस देश का प्रत्येक घर विद्युतीकृत हो जाएगा।

श्री सुनील खां : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कम परियोजनाएं क्यों स्थापित की गई हैं जबकि परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनेक प्रस्ताव भेजे गए थे।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अस्पष्ट है। मंत्री महोदय, क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ सूचना दी है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने उन्हें विशिष्ट रूप से यह बता दिया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को उन्हें वरिष्ठता के आधार पर पूरा करना होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्री तथा संबंधित मंत्री से इसके बारे में बात की है। यदि ये ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो हमने कुछ गावों के विद्युतीकरण का कार्य एनटीपीसी जैसी कपनियों को सौंप दिया है। हाल ही में, मैंने ऊर्जा मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की है और वे इस योजना को वरिष्ठता के आधार पर लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिहार के लिए कुल 43 परियोजनाएं प्राप्त होने की सूचना अपने उत्तर में दी है और एनैक्श्चर-दो में जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक 29 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और नौ योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति व्यक्त की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन नौ परियोजनाओं पर सैद्धान्तिक स्वीकृति व्यक्त की गई है, उन्हें और शेष 38 बची हुई योजनाओं पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, दसवें प्लान में हमने 5000 करोड़ रुपया अभी तक खर्च किया है और अभी इसमें पैसा लगेगा। इसके लिए टोटल 26 हजार करोड़ का खर्च होने वाला है, लेकिन 11वें प्लान में इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, पैसे के लिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए फ्री मीटर देने की स्कीम थी, लेकिन आजकल वह स्कीम बन्द कर दी है। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न इतना ही है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सबप्लान के अंतर्गत उनको फ्री मीटर देने के बारे में आप निर्णय लेने वाले हैं क्या? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में एनरान का प्रोजैक्ट ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न होगा, दो प्रश्न नहीं होंगे। आपका प्रश्न हो गया कि शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स को फ्री मीटर देना है। एनरॉन बाद में करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मीटर तो देने की बात नहीं है, लेकिन कनैक्शन बी.पी.एल. को, बी.पी.एल. में एस.सी., एस.टी. सब आते हैं, उसमें फ्री देने का अभी तय है। यह योजना बाकी दूसरे लोगों के लिए भी 90 परसेंट फ्री है और 10 परसेंट लोन है। इसके लिए आप सब लोगों से इस सभागृह के द्वारा मैं विनती करता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के लिए हम सब लोग प्रयास करें और जहां कोई दिक्कत हो तो डायरैक्टली मुझे बतायें। हम इम्मीडिएटली उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, यही मैं बताऊंगा।

डा. राजेश मिश्रा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रारम्भ में यह तय किया गया था कि जिन गांवों में बिजली नहीं है, उन गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर या देश के विभिन्न प्रदेशों के अन्दर तमाम ऐसे गांव हैं, जिन गांवों में 6-6, 7-7, 8-8 मजरे हैं और हर मजरे में 300 से ज्यादा की जनसंख्या रहती है। एक गांव में 6-7 मजरे हैं। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या उन गांवों में जहां पर 6-6, 7-7 मजरे हैं और यदि वहां पर बिजली नहीं है तो क्या उन गांवों को भी इसमें शामिल किया जायेगा? यदि शामिल किया जायेगा तो खासकर उत्तर प्रदेश में पैसा कब तक भेज दिया जायेगा?

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह यह नियम है कि 300 की जहां पोपुलेशन होगी, उसके ऊपर जो हैमलेट्स होंगे या मजरे होंगे, उनको इस योजना में लिया जायेगा, कोई भी इसमें बाकी नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश से जैसे-जैसे पैसा मांगते हैं, हम देते हैं, लेकिन एक ही मैं विनती करूंगा कि हम सब लोगों का यह काम है कि हमने एक परसेंट पैसा उसमें रखा है, जिसमें इसमें जो स्कीम के बारे में मालूमात करने के लिए और कुछ करने के लिए पैसा रखा है। एक परसेंट में वहां बोर्ड लगाया जाता है कि यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में की जा रही है। यह गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का है, इस तरह का हर गांव में बोर्ड लगा हुआ है। यह भी जरा सब सदस्य देखा करें, तब मालूम हो जायेगा कि उस गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण में इलैक्ट्रीफिकेशन हो गया है या नहीं।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

*348. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी कार्यों के कारण पनबिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा परियोजना प्रभावित लोगों के समुचित पुनर्वास हेतु कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। परियोजना प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास से संबंधित मुद्दों के कारण कुछेक जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है। इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आर. एंड आर.) संबंधी राष्ट्रीय नीति 2003 (एनपीआरआर-2003) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) द्वारा फरवरी, 2004 में अधिसूचित कर दिया गया है। नीति के उद्देश्य निम्नवत हैं;-

(i) विस्थापन को न्यूनतम बनाना और गैर-विस्थापन या न्यूनतम विस्थापन के विकल्पों का पता लगाना;

(ii) जनजातियों और कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं समेत परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना व पुनर्वास की योजना बनाना;

(iii) परियोजना प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन प्रदान करना; और

(iv) पारस्परिक सहयोग के माध्यम से जरूरतमंद निकाय और परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना।"

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए नीति, में प्रकाशित कुछेक लाभ संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

एनपीआरआर-2003 में परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रदान किए जाने वाले पैकेज और आधारभूत मानक निर्धारित किए गए हैं। कुछेक राज्य सरकारों ने अपनी आर एंड आर नीति बनाई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) यह सुनिश्चित करते हुए कि परियोजना प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले लाभ किसी भी दशा में एनपीआरआर-2003 के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से कम न हो, संबंधित राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित करारों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों को आर एंड आर लाभ प्रदान कर रहे हैं।

राज्य सरकारों और परियोजना प्रभावित परिवारों की विशेष आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सड़क विकास, स्कूलों व कॉलेजों का निर्माण, अस्पताल, औषधालय, मोबाइल हैल्थ वैन इत्यादि अतिरिक्त लाभ भी प्रदान कर रहे हैं।

अनुबंध-I

उन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जो परियोजना प्रभावित लोगों की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कारण परियोजना को समय से पूरा करने में समस्याओं का सामना कर रही हैं

क्र.सं.	परियोजना/राज्य/एजेंसी का नाम	वर्तमान स्थिति	समस्याएं
1	2	3	4
1.	सरदार सरोवर परियोजना (1450 मेगावाट), गुजरात सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	रिवर बेड पावर हाउस की प्रत्येक 200 मे.वा. की सभी छह यूनिटों और केनाल हैड पावर हाउस की प्रत्येक 50 मे.वा. की सभी पांच	परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्वास व पुनर्स्थापना की समस्याओं के कारण परियोजना चालू करने में देरी हुई है। इसके अतिरिक्त, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अनुमति के साथ आर. एंड आर. कार्यों को पूरा किए जाने के अनुरूप बांध की ऊंचाई बढ़ाए

1	2	3	4
		यूनिटों को चालू किया जा चुका है। तथापि, चूंकि बांध की ऊंचाई डिजाइन स्तर तक नहीं चहुंच पाई है, इसलिए विद्युत उत्पादन के पूर्ण लाभों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है।	जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण पूर्ण उत्पादन लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 8 मार्च, 2006 बांध की ऊंचाई 121.92 मीटर तक बढ़ाने के लिए अनुमति को दे दी है। वर्ष 2006 की मानसून अवधि से पहले बांध की ऊंचाई 119 मीटर तक बढ़ा दी गई है। डिजाइन के अनुसार परियोजना का पूर्ण जलाशय स्तर 138 मीटर है तथा बांध की शीर्षस्थ ऊंचाई 146.5 मीटर है।
2.	इंदिरा सागर परियोजना (1000 मेगावाट), मध्य प्रदेश नैशनल हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन	सभी 8 यूनिटें चालू हो गई हैं। बांध की ऊंचाई 267 मीटर के डिजाइन लेबल तक बढ़ा दी गई है। तथापि जलाशय स्तर को केवल 260 मीटर तक रखा जा रहा है। परियोजना को बिना किसी विलम्ब के चालू किया गया था।	माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश (जबलपुर) के आदेश और आर. एंड आर. कार्य पूर्ण न होने के कारण जलाशय को 260 मीटर तक रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के. सर्वे आफ इंडिया द्वारा कुछ प्रभावित गांवों का पुन: सर्वेक्षण किया जा रहा है। ताकि पहले किए गए सर्वेक्षण कार्य की पुष्टि की जा सके।
3.	टिहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), उत्तरांचल टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन	250 मे.वा. की दो यूनिटें चालू की गई हैं। – एक यूनिट दिसम्बर 2006 में चालू करने के लिए परीक्षणाधीन है। – अंतिम यूनिट बार्किंसग के उन्नत स्तर पर है तथा यह मार्च 2007 में चालू होने का अनुमान है।	पीएएफ द्वारा विरोध/आंदोलन, पुराना टिहरी शहर खाली न होने, आर. एंड आर. से संबंधित मामलों की जांच हेतु विभिन्न समितियों का गठन होने, पर्यावरण सुरक्षा, गंगा जल के स्वत: शुद्धीकरण, स्थानीय विरोध की वजह से टी-3 एवं टी-4 की बंदी को अनुमति न मिलने, स्पिल-वे के दाहिने किनारे में शाफ्ट टी-3 में अचानक चट्टानें गिरने, टी-2 की बंदी से रोकने के लिए कोर्ट में दायर मामले किए गए, आदि कारणों से चालू होने में विलम्ब हुआ।
4.	कोटेश्वर डैम पावर प्रोजेक्ट (400 मेगावाट), उत्तरांचल टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन	परियोजना को पूर्व में अप्रैल, 2005 में चालू किया जाना था। अब इसे मार्च, 2009 में चालू करने की आशा है।	भूमि अधिग्रहण में विलंब, पेंडर्स, मुलानी और गैरोजिसेरा नामक तीन गांवों के खाली नहीं होने, जिसे अप्रैल, 2005 से जनवरी, 2006 तक पूरा किया गया, ठेकेदार के खराब निष्पादन तथा राइट बैंक पर ढलाव के बार-बार बेकार हो जाने के कारण आरंभन में विलंब हुआ है।
5.	तुरियल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट), मिजोरम नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि.	परियोजना को जुलाई, 2006 में चालू किया जाना था। कार्य जून, 2004 से रुका हुआ है।	अन्य बातों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था समस्या, वन भूमि पर फसल क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपये के गैर-कानूनी मांग हेतु स्थानीय आंदोनल, जिसके लिए वन विभाग को क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है; प्रत्यावर्तित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य की अधिक राशि तथा परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए वित्तीय इंजीनियरी मॉडल सहित कई कारणों से कार्य रुका हुआ है।

अनुबंध-II

पुनर्वास एवं पुन:स्थापना पर राष्ट्रीय नीति, 2003 के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को प्राप्त लाभ (एनपीपीआर-2003 का अध्याय-VI)

1. पुन:स्थापना एंव पुनर्वास लाभ सभी परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ), चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे के हो, या इससे अलग हो, को प्राप्त होंगे।

2. किसी भी पीएएफ का घर या जिसका घर अधिग्रहीत कर लिया गया है। को अधिग्रहीत घर के क्षेत्र में हुई वास्तविक हानि की सीमा तक मुफ्त घर हेतु जगह दी जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग मी. तथा शहरी क्षेत्रों में 75 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगा।

3. बीपीएल समूह का प्रत्येक पीएएफ गृह निर्माण के लिए रु. 25000/- की एकमुश्त सहायता प्राप्त करेगा। यह सहायता गैर-बीपीएल परिवारों को नहीं मिलेगा।

4. प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि के मालिक प्रत्येक परिवार तथा जिनकी सारी भूमि प्राप्त कर ली गई है, को सिंचाई हुई भूमि के अधिकतम एक हैक्टेयर या दो हैक्टेयर गैर-सिंचाई भूमि/उपयोग योग्य अवशिष्ट भूमि जो जिलों में सरकारी भूमि की उपलब्धता की शर्त पर होगी, के वास्तविक हानि तक कृषि योग्य या उपयोग योग्य अवशिष्ट भूमि आवंटित की जा सकती है।

5. स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन हेतु देय शुल्क इच्छुक निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।

6. उक्त आवंटित भूमि सभी दायित्वों से मुक्त होगी। आवंटित भूमि पीएएफ के पत्नी एवं पति के संयुक्त नाम पर हो सकते है।

7. अधिग्रहीत भूमि के बदले बंजर/खराब भूमि के आवंटन के मामले में प्रत्येक पीएएफ भूमि विकास के लिए 10000/- रु. प्रति हैक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाएगी। कृषि भूमि आवंटन के मामले में कृषि उत्पादन हेतु प्रति पीएएफ रु. 5000/- वित्तीय सहायता दी जाएगी।

8. प्रत्येक पशु-स्वामी पीएएफ को पशु-शाला निर्माण के लिए रु. 3000/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

9. प्रत्येक पीएएफ को पशु से संबंद्ध भवन सामग्री के अंतरित करने के लिए परिवहन लागत के रूप प्रभावित क्षेत्र से पुन:स्थापन क्षेत्र तक ले जाने के लिए 5000/- रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

10. प्रत्येक ग्रामीण आर्टिजन/लघु व्यापारी तथा स्व-रोजगार वाले व्यक्ति को वर्किंग शेड/शॉप के निर्माण के लिए 10,000/- रु. की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

11. प्रभावित जोन में कृषि भूमि के स्वामित्व वाली प्रत्येक पीएएफ तथा जिसकी संपूर्ण भूमि अधिगृहित कर ली गई है, को "आजीविका की हानि" के लिए 750 दिन की न्यूनतम कृषि दिहाड़ी के बराबर एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी यदि न तो कृषि भूमि और न ही पीएएफ के एक सदस्य को नियमित रोजगार प्रदान किया गया है।

12. प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि के स्वामित्व वाला प्रत्येक पीएएफ और जिसकी पूरी भूमि अधिगृहित नहीं की गई है और परिणामस्वरूप जो एक सीमांत किसान बन गया है, को 500 दिन की न्यूनतम कृषि दिहाड़ी के बराबर एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

13. प्रभावित जोन में कृषि भूमि के स्वामित्व वाला प्रत्येक पीएएफ और जो परिणामरूवरूप एक छोटा किसान बन गया है, को 375 दिन की न्यूनतम कृषि दिहाड़ी के बराबर एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

14. "कृषि श्रमिक" अथवा "गैर-कृषि श्रमिक" की श्रेणी से संबंधित प्रत्येक पीएएफ को 625 की न्यूनतम कृषि दिहाड़ी के बराबर एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

15. प्रत्येक विस्थापित पीएएफ को 250 दिन के एमएडब्ल्यू तक एक वर्ष की अवधि के लिए 20 दिन की न्यूनतम कृषि दिहाड़ी प्रति माह के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

16. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 या किसी अन्य प्रभावी कानून के इसी प्रकार के प्रावधानों के आपातकालीन स्थिति में भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रत्येक पीएएफ को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन योजना के लंबित रहते हुए अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा। इन परिवारों को नीति के अंतर्गत उपरोक्त पैरा में वर्णित आर एंड आर लाभ भी प्राप्त होंगे।

17. भूमि के लम्बे भाग का अधिग्रहण: रेलवे लाइनों, राजमार्गों, पारेषण लाइनों तथा पाइप लाइन बिछाने से संबंधित परियोजनाओं के मामले में जहां कई किलोमीटर तक विस्तृत भूमि का केवल एक छोटा सा भाग अधिगृहित किया जा रहा है वहां पीएएफ को 10000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी और उन्हें कोई भी पुर्नस्थापना एवं पुर्नवास लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे।

18. परियोजना प्रभावित परिवारों को आर एंड आर लाभों के भाग के रूप में पुर्नस्थापना जोन पर स्व-रोजगार परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए एनट्रीप्रिन्यूरशिप के विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएँगे।

19. पीएएफ जो 25 अक्तूबर 1980 से पूर्व वन भूमि के स्वामित्व में थे, को नीति के अंतर्गत उपरोक्त पैरा में दिए गए सारे आर एंड आर लाभ प्राप्त होंगे।

20. प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति की श्रेणी के पीएएफ को पुनर्स्थापन जोन पर आरक्षण लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अनुसूचित जनजाति के परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए आर एंड आर लाभ

1. अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

2. प्रत्येक आदिवासी पी ए एफ को नीति के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित आर एंड आर लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

3. प्रत्येक आदिवासी पीएएफ को वन उत्पाद के परम्परागत अधिकारों/उपयोग की हानि के लिए 500 दिन की न्यूनतम कृषि दिहाड़ी के बराबर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4. आदिवासी पीएएफ को काम्पैक्ट ब्लाक के उनके प्राकृतिक आवास के सपीम दोबारा से स्थापित किया जाएगा ताकि उन्हें अपनी भाषा संबंधी तथा सांस्कृतिक पहचान वापस मिल सके।

5. आदिवासी पीएएफ को सामुदायिक एवं धार्मिक समारोहों के लिए नि:शुल्क भूमि प्राप्त होगी।

6. जिला/तालुका के बाहर पुर्नस्थापित आदिवासी पीएएफ को आर्थिक रूप से 25% अधिक आर एंड आर लाभ प्राप्त होंगे।

7. विषय पर प्रचलित विधियों एवं विनियमों के उल्लंघन में अधिगृहित आदिवासी भूमि को निरक्त समझा जाएगा तथा आर एंड आर लाभ केवल वास्तविक आदिवासी भूमि के स्वामी को ही प्रदान किए जाएंगे।

8. नदी/जलाशय/बांध में मछली पकड़ने के अधिकारों वाले परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

9. प्रभावित जोन में आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले आदिवासी पीएएफ को पुर्नस्थापन जोन में आरक्षण लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

पुनर्स्थापन जोन में प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाएं

इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या को पुनर्स्थापन क्षेत्र में शिफ्ट करते समय, आर एंड आर के लिए प्रशासक, जहां तक हो सके, सुनिश्चित करेगा कि-

1. यदि स्थानांतरित किए जाने वाले गांव/क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या किसी विशेष समुदाय से संबंधित है तो इस प्रकार की जनसंख्या/परिवारों को काम्पेक्ट क्षेत्र में एक साथ पुर्नस्थापित किए जाए ताकि स्थानांतरित किए जाने वाले परिवारों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक (सामाजिक सदभाव) संबंध बने रहें।

2. अनुसूचित जाति के पीएएफ के पुर्नस्थापन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका पुर्नस्थापन गांवों के समीपवर्ती स्थलों पर हो।

3. पीएएफ को समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पुर्नस्थापन स्थल पर मूलभूत आवश्यकताएं तथा ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह अपेक्षित है कि पेयजल, बिजली, स्कूल, डिस्पेंसरी का प्रावधान तथा अन्य बातों के साथ पुर्नस्थापन स्थलों तक पहुंच को पुन:स्थापन योजना में शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए तथा केवल एक सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, परियोजनाओं, विशेषरूप से ऊर्जा परियोजना से प्रभावित लोगों का समुचित पुनर्वास नहीं किया गया है। 2003 में पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी और दस वर्ष के बाद भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय बीत जाएगा। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, पुनर्वास एवं विस्थापन समस्याओं के कारण अनेक परियोजनाओं को छोड़ना पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय परियोजना प्रभावित लोगों विशेष रूप से जनजाति लोगों के समुचित पुनर्वास तथा जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए कोई नीति बनाएगा।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। इसलिए, आप इसका हां या न में उत्तर दें।

श्री सुशील कुमार शिंदे : जी नहीं, मैं हां कहूंगा तो यह एक आश्वासन होगा क्योंकि मूलरूप से उनका महत्व यह है कि मैं हां कहूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई स्पष्टीकरण न दें।

श्री वसुदेव आचार्य : आप इस पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

"हुडको" द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

*343. **श्री हितेन बर्मन** :
श्री सुव्रत बोस :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा वित्तपोषित राज्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों की "हुडको" के पास वित्तीय सहायता हेतु लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित किये जाने वाले नगरों/उपनगरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जायेगी?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों/एजेंसियों को स्वीकृत आवास और शहरी अवस्थापना परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

आवास

(करोड़ रु. में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण
2003-04	2084.88
2004-05	2958.58
2005-06	779.02

शहरी अवस्थापना

(करोड़ रु. में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण
2003-04	9234.31
2004-05	7848.52
2005-06	4987.29

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) आवास और नगर विकास निगम लि. (हुडको) ऋण लेने

वाली राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर संबंधित एजेंसियों को ऋण सहायता मुहैया कराता है। सभी परियोजनाएं मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा हुडको दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के हुडको द्वारा सार्वजनिक एजेंसियों को स्वीकृत की गई स्कीमों की स्थिति

राज्य	2003-2004			2004-2005			2005-2006		
	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	ऋण राशि	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	ऋण राशि	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	ऋण राशि
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	6	69608.98	45012.11	5	27195.85	11700.00	5	18484.20	0.00
अरुणाचल प्रदेश	6	851.49	763.23	1	215.57	180.00	0	0.00	0.00
असम	5	4868.10	3486.00	4	9783.86	7079.00	1	11077.00	5000.00
बिहार	1	204.80	0.00	1	140062.50	125000.00	1	60.00	0.00
छतीसगढ़	6	11559.24	5954.00	2	20025.28	10022.73	4	4776.00	3604.00
गुजरात	9	120397.47	12814.75	5	121900.95	10083.06	4	152069.97	35200.00
हिमाचल प्रदेश	4	29759.67	29523.12	3	1034.03	651.21	2	606.00	498.00
झारखंड	1	8000.00	4000.00	1	55600.00	50000.00	2	6922.40	4800.00
जम्मू और कश्मीर	4	857.33	0.00	3	2993.91	1231.85	0	0.00	0.00
कर्नाटक	11	50218.83	33112.19	10	52008.52	39542.52	2	26189.80	12500.00
केरल	3	11102.40	6300.00	3	14229.16	9535.00	2	15237.20	3723.72
महाराष्ट्र	14	19206.09	0.00	23	24246.58	0.00	16	9307.95	0.00
मणिपुर	3	1926.06	1000.00	1	113.85	0.00	1	126.00	0.00
मध्य प्रदेश	14	11670.26	8302.25	16	5714.13	2122.25	4	1500.07	494.50
मिजोरम	3	638.45	501.00	1	578.15	500.00	2	1167.05	1000.00
नागालैंड	12	4394.43	3002.14	10	4080.25	3300.00	8	3131.52	2515.00

1	2	3	4	5	8	7	8	9	10
उड़ीसा	10	3272.50	2500.00	7	6127.09	5410.00	0	0.00	0.00
पांडिचेरी	2	496.70	150.00	2	361.20	0.00	0	0.00	0.00
राजस्थान	5	5360.85	3000.00	4	15704.50	9864.00	0	0.00	0.00
तमिलनाडु	5	25167.59	6707.29	10	12047.73	441.35	0	0.00	0.00
त्रिपुरा	2	484.20	0.00	0	0.00	0.00	1	96.75	0.00
उत्तर प्रदेश	13	41259.44	25220.89	8	14090.82	6372.00	2	9795.24	8567.00
उत्तरांचल	6	18865.34	14823.12	2	687.85	343.92	0	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	14	6291.80	2316.00	17	6133.84	2490.00	2	257.00	0.00
कुल	159	446462.02	208488.09	139	534935.60	295858.69	59	260784.15	77902.22

विवरण–II

ऋण सहायता के लिए हुडको द्वारा राज्य सरकारों/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव
(8.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	एजेंसी	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	ऋण राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
असम				
	हाऊसफेड	हाऊसफेड गुवाहाटी, के सामने की ओर कार्यालय भवन	4.18	3.20
		कुल	4.18	3.20
मध्य प्रदेश				
	नगर निगम ग्वालियर	ग्वालियर शहर में सड़कों को चौड़ा करना, सुदृढ़ीकरण एवं सुधार	5.16	4.50
	नगर निगम देवास	देवास में शिप्रा जलवर्धन योजना	32.94	23.35
		कुल	38.10	27.85

1	2	3	4	5
रायपुर				
	म्यूनिसिपल काउंसिल कुम्हारी	कुम्हारी, जिला दुर्ग में समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) स्कीम	3.40	0.63
	म्यूनिसिपल काउंसिल डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ में समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) स्कीम	2.58	0.44
	म्यूनिसिपल काउंसिल डोंगरगढ़	कुर्द में समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) स्कीम	2.38	0.42
		कुल	8.36	1.49
उत्तर प्रदेश				
	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि.	विद्युत पारेसण के सुधार के लिए स्कीम	185.68	167.00
		कुल	185.68	167.00
झारखंड				
	यू डी डी, झारखंड सरकार	जमशेदपुर, खुंती, मैंगों, गिरीदीह, दुमका में जलापूर्ति स्कीम	158.61	140.00
		कुल	158.61	140.00
जम्मू एवं कश्मीर				
	जे के एच बी	पुलवाना में भूमि अधिग्रहण स्कीम	19.13	17.00
		कुल	19.13	17.00
		कुल योग	414.06	365.54

[हिन्दी]

खराब ए.टी.एम.

*344. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से परिचित है कि कई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दोषपूर्ण ए.टी.एम. मशीनों के कारण उपभोक्ता अक्सर अपनी जमा राशि ए.टी.एम. मशीनों से नहीं निकाल पाते हैं और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.टी.एम. मशीनों को ठीक करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की कोई कमी है;

(घ), यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ए.टी.एम. मशीनों के सुचारू कार्यकरण तथा जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सभी एटीएम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) बैकअप के साथ लीज्ड लाइनों के द्वारा केन्द्रीय एटीएम स्विच के साथ नेटवर्क से जुड़े एवं संबद्ध होते हैं। इससे उसके खराब होने का जोखिम कम होता है। तथापि, कभी-कभी, ग्राहक कुछ तकनीकी समस्याओं, जिन्हें न्यूनतम संभव समय के अंदर दूर कर दिया जाता है, की वजह से पैसा निकालने की स्थिति में नहीं होंगे। एटीएम के कार्यकरण की निगरानी केन्द्रीय स्थान से की जाती है और शाखाओं को एटीएम के जरिए ग्राहकों को 24×7 सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त हिदायतें दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) एटीएम उन विक्रेताओं से खरीदे जाते हैं, जो वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद वार्षिक रख-रखाव का प्रस्ताव करते हैं। बैंकों ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एटीएम की अधिकतम सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ सेवा स्तरीय करार किया हैं। बैंकों ने एटीएम की सक्रियता बनाए रखने और समस्याओं, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए एटीएम प्रबंध सेवाओं को आऊटसोर्सिंग भी की है। आऊटसोर्स की गई एजेंसी पूर्णरूपेण सक्षम तकनीकी स्टाफ की सहायता से एटीएम की देखरेख करती है। बैंकों ने अपने एटीएम नेटवर्क की निगरानी के लिए तकनीकी कार्मिकों की भर्ती भी की है। बैंकों ने तकनीकी अर्हताप्राप्त सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एटीएम मशीनों का सहज एवं निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके द्वारा ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

समुद्री-जल से विद्युत उत्पादन

*349. **श्री बंडिगा रामकृष्णा** : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान समुद्री-जल से विद्युत उत्पादन करने पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लागत प्रभावी विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में इसके लिए पायलट परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय, अधिक पूंजी लागत, निम्न स्तर के विद्युत उत्पादन और अन्य तकनीकी कारणों की वजह से ओटेक तथा तरंग ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना वाणिज्यिक पैमाने पर लागत प्रभावी नहीं पाया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में इलेक्ट्रानिक चैनलों का उपयोग

*350. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** :
श्री उदय सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के क्लोनिंग द्वारा धोखाधड़ी में शामिल संगठित गिरोहों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंकड़े चुराने में उपयोग में लाई जा रही तकनीक का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अदायगी के लिए बढ़ते इलेक्ट्रानिक चैनलों के उपयोग ने बैंकों के सम्मुख नई सुरक्षा समस्या खड़ी कर दी है;

(च) यदि हां, तो क्या इन अपराधों को नियंत्रण में लाने के लिए इस संबंध में कोई तकनीक विकसित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठ को वाणिज्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा पता लगाई गई सभी धोखाधड़ियों/जालसाजी से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के क्लोनिंग द्वारा धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोहों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) क्लोनिंग अर्थात् क्रेडिट कार्डों का स्किमिंग और नकली कार्ड तैयार करना एक तकनीक है जिसे आंकड़े चुराने और जाली कार्ड बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। स्किमिंग शब्द को असली क्रेडिट कार्ड के चुम्बकीय पट्टी आंकड़े को नकली प्लास्टिक कार्ड की चुम्बकीय पट्टी पर अंतरित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंकों ने बेईमान तत्वों द्वारा गैर कानूनी उपयोग के क्रेडिट कार्डों के स्किमिंग की कुछ घटनाओं की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी है।

(ङ) से (छ) बैंको को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से भुगतान से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26.6.2006 को बैंकों के लिए एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्हें कहा गया है कि धोखाधड़ियों से जुड़ी स्किमिंग को रोकने के लिए निवारक उपाय करें। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं:-

- ग्राहकों को अपनी एटीएम व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) की सुरक्षा करनी चाहिए, लेन-देन विवरणों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए इनकी आवधिक जांच करनी चाहिए, एटीएम/क्रेडिट कार्ड के गुम होने अथवा चुरा लिए जाने पर बैंक को तत्काल सूचना देनी चाहिए, इत्यादि।
- बैंकों को एटीएम मशीनों की नियमित जांच करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में ही मशीनों में नकदी डाली जाए, उन्हें एटीएम से जुड़ी हुई वस्तुओं में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की पहचान करने के लिए आकस्मिक जांच करनी चाहिए, एटीएम का दुरुपयोग होने पर ग्राहक की शिकायत की पुष्टि के लिए इसकी तत्काल जांच करनी चाहिए, एटीएम विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली स्किमिंक रोधी जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताओं का मूल्यांकन करना चाहिए तथा प्रत्याशित जोखिमों के आधार पर महत्वपूर्ण विशेषताओं को लागू करना चाहिए, आदि।

ट्यूबवैल चलाने के लिए सौर ऊर्जा

*351. **श्री संतोष गंगवार** : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्यूबवैल चलाने के लिए डीजल पर निर्भरता को कम करने हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ट्यूबवैल चलाने सहित सामुदायिक पेयजल आपूर्ति, कृषि और संबंधित उपयोगों जैसे अनुप्रयोगों हेतु सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) जल पंपन प्रणालियों की संस्थापना पर एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य नोडल एजेंसियों और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के मध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 200 वाट से 3000 वाट तक की प्रकाशवोल्टीय ऐरे क्षमता वाली सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां स्थापित की जा सकती हैं। इस मंत्रालय द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली प्रकाशवोल्टीय ऐरे क्षमता के प्रति वाट 30 रु. की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है जो प्रति प्रणाली अधिकतम 50,000 रु. के अध्यधीन है। इस योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2006 तक देश के विभिन्न भागों में कुल 7068 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

[अनुवाद]

निगमित ऋण बाजार के लिए मानदंड

*352. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगमित ऋण बाजार के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए वर्तमान कानूनों और नियमों में संशोधन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्रवाई करने/कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए क्या समय-सीमा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार ने कारपोरेट बांड बाजार के विकास में कानूनी, विनियामक, कर और बाजार अभिकल्पन संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए कारपोरेट बांडों एवं प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (पाटील समिति) का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2005 में सरकार को प्रस्तुत की। वर्ष 2006-07 के बजट में यह घोषित किया गया कि सरकार ने रिपोर्ट की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है और कारपोरेट बांडों के लिए एकल, एकीकृत एक्सचेंज-व्यापारित बाजार का सृजन करने के निमित्त कदम उठाए जाएंगे। समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संविधियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित होगा।

(घ) पाटील समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए पहले से ही किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिभूत लिखतों को "प्रतिभूति" की परिधि में शामिल करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 12 दिसम्बर, 2006 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें इस निर्णय की सूचना दी गई है कि बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पहली जनवरी, 2007 से कारपोरेट बांड संबंधी एक सूचना मंच की स्थापना और उसका अनुरक्षण करेगा, जैसाकि कारपोरेट बांड बाजार के प्रथम चरण के विकास में पाटील समिति द्वारा परिकल्पना की गई है।

(iii) सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए योजनाएं बनाने के निमित्त आंतरिक कार्य दलों का गठन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

(iv) राजस्व विभाग के स्टाम्प और पंजीकरण संबंधी राज्य सचिवों की स्थायी समिति ने ऋण लिखतों पर स्टाम्प शुल्क संबंधी अनुशंसा की जांच शुरू कर दी है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

*353. **श्री जोचाकिम बखला** :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य कमजोर वर्गों के लिए राज्यवार कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या आवासीय इकाइयों के दूर स्थित होने के कारण बने हुए कुछ आवासों का लाभार्थियों द्वारा कब्जा नहीं लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) देश में वर्ष 2005-06 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए मकानों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

(घ) इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित है कि आवासीय इकाइयां सामान्यत: गांव की मुख्य बसावट में वैयक्तिक

भूखंड पर बनाई जानी चाहिए। इन मकानों का निर्णय बसावट के भीतर समूह में भी किया जा सकता है ताकि आंतरिक सड़कों, नालियों, पेयजल आपूर्ति इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य आम सुविधाओं के विकास में मदद मिल सके।

विवरण

देश में वर्ष 2005-06 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए मकानों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(इकाई सं. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्न के लिए निर्मित मकानों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल (कॉलम 3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	56536	19239	56746	132521
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	5327	0	5327
3.	असम	23324	36722	44307	104353
4.	बिहार	178659	8043	144949	331651
5.	छत्तीसगढ़	5162	12568	8848	26578
6.	गोवा	10	50	555	615
7.	गुजरात	13302	28469	23831	65602
8.	हरियाणा	6090	0	3653	9743
9.	हिमाचल प्रदेश	1523	224	1284	3031
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	8231	8231
11.	झारखंड	18619	33805	22979	75403
12.	कर्नाटक	24621	9158	23165	56944
13.	केरल	18817	1981	15615	36413
14.	मध्य प्रदेश	17727	22522	19171	59420
15.	महाराष्ट्र	31793	25880	36601	94274
16.	मणिपुर	60	4429	473	4962
17.	मेघालय	222	6305	151	6678

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	0	2182	0	2182
19.	नागालैंड	0	7949	0	7949
20.	उड़ीसा	32083	21770	33217	87070
21.	पंजाब	6730	0	1138	7868
22.	राजस्थान	17609	7733	13129	38471
23.	सिक्किम	230	388	678	1296
24.	तमिलनाडु	39032	1384	26018	66434
25.	त्रिपुरा	2392	5183	4327	11902
26.	उत्तर प्रदेश	112072	452	73017	185541
27.	उत्तरांचल	6931	1875	12916	21722
28.	पश्चिम बंगाल	47277	14852	37130	99259
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	90	90
30.	दादरा व नगर हवेली	0	101	0	101
31.	दमन व दीव	0	5	1	6
32.	लक्षद्वीप	0	48	0	48
33.	पांडिचेरी	76	0	162	238
	कुल	660897	278644	612382	1551923

अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

*354. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लिए कृषि, उद्योग के क्षेत्र में और विकास संबंधी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर होने वाला व्यय चीन सहित अन्य उन्नत देशों की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, उद्योग, रेलवे, दूरसंचार आदि विभागों द्वारा आंतरिक रूप से चलाई

जा रही अनुसंधान परियोजनाओं के अतिरिक्त सरकार कृषि, उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को प्रायोजित करती रही है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को ''डाइरेक्टरी आफ एक्स्ट्राम्यूरल आर एंड डी प्रोजेक्ट्स 2004-2005'' नामक प्रकाशन में संकलित किया गया है। इस निदेशिका (डाइरेक्टरी) के अनुसार देश के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 570.50 करोड़ रु. की लागत की 2749 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। इनमें से 64.76 करोड़ रु. की लागत पर 222 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं और 153.54 करोड़ रु. की लागत पर 549 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को क्रमशः कृषि विज्ञान और इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान की गयी।

(ग) और (घ) अन्य देशों के साथ अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं पर व्यय की कोई तुलना संसाधनों की उपलब्धता, अनुसंधान तथा विकास के लिए अवसंरचना और वेतन विभिन्नताओं को देखते हुए सही नहीं होगी। वैज्ञानिक अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सामान्यतः अनुसंधान तथा विकास पर व्यय से संबंधित सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की प्रतिशतता के रूप में की जाती है। वर्तमान में जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान तथा विकास पर भारत का व्यय 0.80 है जबकि यह व्यय अमेरिका में 2.67, युनाइटेड किंगडम (यू.के.) में 1.88, जापान में 3.11, जर्मनी में 2.64 और चीन में 1.23 है।

देश में अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय को 9वीं योजना में 12,022 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10वीं योजना में 25,243 करोड़ रु. कर दिया है और 11वीं योजना में इसे और आगे बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा कई उपायों के माध्यम से संस्थानों और उद्योग दोनों में अनुसंधान तथा विकास पर निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कई पहलें की गई हैं। इन उपायों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवंटन में वृद्धि, विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु नए संस्थानों की स्थापना, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में उभर रहे तथा अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों और सुविधाओं का सृजन, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा विकास के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान तथा विकास भागीदारी का संवर्धन, औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान, अनुसंधान तथा विकास व्यय पर आयकर से छूट, प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर कटौती, सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं में प्रयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, कराधकाश और उत्कृष्ट अनुसंधान तथा विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

*355. श्री एम. शिवन्ना :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य सरकारों को विद्युत के उत्पादन, पारेषण और इसके अवसंरचनात्मक उन्नयन के क्षेत्र में आगामी परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से अनुमोदन, और धनराशियों की स्वीकृति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) वित्तीय संस्था के रूप में उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत संबंधी अवसंरचना आदि के उन्नयन के क्षेत्र में सामने आ रही परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। विगत 3 वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों समेत, परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) 316 जिलों के लिए 317 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 27 राज्यों में 69534 अविद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों और 165124 गांवों का सघन विद्युतीकरण सम्मिलित करते हुए 11514.23 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त, 21105 गैर विद्युतीकृत गांवों और 88829 विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण हेतु 136 जिलों की 144 परियोजनाओं को निविदा देने तक के प्रारंभिक कार्यों को करने और निविदा मूल्यांकन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। जिसमें 5892 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। ग्यारहवीं योजना परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किए जाने पर ही कार्य सौंपे जा सकते हैं।

राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान संस्वीकृत उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा प्रदान कोष करेगा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	आरईसी कोड	परियोजना का प्रकार	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना लागत	आरईसी द्वारा स्वीकृत ऋण	के दौरान संवितरण			
								2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (30.11.2006 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आंध्र प्रदेश										
1.	रायलसीमा-II के लिए अतिरिक्त ऋण	एपीजेनको	410005	थर्मल	2x210	1577.63	25.00	25.000	0.000	0.000	0.000
2.	विजयवाड़ा चरण-4, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	410007	थर्मल	660	3300.00	825.00	0.000	0.000	65.000	226.420
3.	कोनासीमा पावर प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश	कोनासीमा ईपीएस ओकवैल पावर लि.	410006	प्राकृतिक गैस	445	1383.00	132.00	0.000	18.298	93.972	12.676
	तमिलनाडु										
1.	तमिलनाडु में वासनथरावी गैस आधारित सीसीपीपी	आरके एनर्जी लि. हैदराबाद	480001	थर्मल	57.4	194.42	38.00	0.000	38.000	0.000	0.000
	पंजाब										
1.	गुरु हरगोविंद सिंह थर्मल प्रोजेक्ट चरण-II लेहरा मुहब्बत, पंजाब	पीएसईबी	161272	थर्मल	500	1789.67	1610.70	0.000	268.120	492.454	417.531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	गुरू गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रोपड़, पंजाब	पीएसईबी	161274	आर एंड एम थर्मल	6x210	52.89	29.51	0.000	18.150	9.228	0.266
	छत्तीसगढ़										
1.	कोरबा (ईस्ट) थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ एसईबी	280001	थर्मल	500	2045.00	1431.00	0.000	325.990	129.880	228.735
	पश्चिम बंगाल										
1.	संथालडीह थर्मल पावर प्रोजेक्ट विस्तार 5वीं यूनिट, पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	590001	थर्मल	250	1137.00	955.53	47.770	65.590	163.665	153.753
	गुजरात										
1.	गांधीनगर टीपीएस, गुजरात	गुजरात विद्युत बोर्ड	041139	आर एंड एम थर्मल	870	8.96	8.06	0.000	0.806	0.000	0.000
2.	वनाकबोरी टीपीएस, गुजरात	गुजरात विद्युत बोर्ड	041141	आर एंड एम. थर्मल	1470	56.31	50.68	0.000	5.068	0.000	4.900
	जम्मू व कश्मीर										
1.	जम्मू व कश्मीर बगलीहार एचईपी, चरण-1	जे एंड के पीडीसीएल	4000011	हाइड्रो	0.45	4000.00	400.00	0.000	180.000	87.000	0.000
	उड़ीसा										
1.	समल बैराज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, केलई, अंगुल जिला, उड़ीसा		600001	हाइड्रो	20.00	103.86	20.00	0.000	1.400	1.760	5.030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	हिमाचल प्रदेश										
1.	धानवी चरण-II, हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	060423	हाइड्रो	8	39.38	34.15	0.000	3.000	2.467	2.603
2.	मलाना-II एचईपी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	एवरेस्ट पावर प्रा.लि.	610001	हाइड्रो	100	598.00	328.90	0.000	0.000	0.000	22.450

वर्ष 2003-04 के दौरान संस्वीकृत उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा प्रदान कोष करेगा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	आरईसी कोड	परियोजना का प्रकार	स्थापित क्षमता (मे.वा.) ऋण	आरईसी द्वारा स्वीकृत	के दौरान संवितरण		
							2004-05	2005-06	2006-07 (30.11.2006 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	तमिलनाडु								
1.	तमिलनाडु में वालनथरावी के लिए अतिरिक्त ऋण	आरके एनर्जी लिमिटेड, हैदराबाद	480001	थर्मल		10.00	10.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़								
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में 2x250 मेगावाट की कोयला आधारित भिलाई विस्तार परियोजना	भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	660001	थर्मल	600	1285.00	100.00	31.00	84.00
2.	छत्तीसगढ़ राज्य के 300 मेगावाट (यूनिट-1 और 2) की कोयला आधारित पथड़ी परियोजना	मै. लेनको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	880001/2	थर्मल	300	516.57	0.00	46.56	34.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पंजाब								
1.	गुरू गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रोपड़, पंजाब का आर एंड एम कार्य (प्रोजेक्ट-II)	पीएसईबी	161275	आर एंड एम थर्मल	6X210	6.82	0.00	1.58	0.01
	गुजरात								
1.	गुजरात में उकाई एवं वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन का आर एंड एम कार्य	गुजरात विद्युत बोर्ड	041142	आर एंड एम थर्मल	850+1470	22.464	2.25	0.00	0.00
2.	गुजरात में वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन का आर एंड एम कार्य (फेज-II)	गुजरात विद्युत बोर्ड	041143	आर एंड एम थर्मल	1470	24.503	2.45	0.00	1.30
3.	गुजरात में धुवण थर्मल पावर स्टेशन का आर एंड एम कार्य	गुजरात विद्युत बोर्ड	041144	आर एंड एम थर्मल	534	30.375	3.04	0.00	1.16
4.	गुजरात में सिक्का थर्मल पावर स्टेशन का आर एंड एम कार्य	गुजरात विद्युत बोर्ड	041146	आर एंड एम थर्मल	240	4.03	0.40	0.00	0.00
5.	गुजरात में कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन का आर एंड एम कार्य	गुजरात विद्युत बोर्ड	041147	आर एंड एम थर्मल	140+75	1.80	0.18	0.00	0.00
	केरल								
1.	जिला कोझीकोड में कुटियाडी विस्तार स्कीम	केएसईबी	90982	हाइड्रो	100.00	154.35	0.00	31.08	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कर्नाटक								
1.	एमजीएचई टैलरेस एचईपी, कर्नाटक	अम्बूथिस्था पावर प्रा.लि.	460003	हाइड्रो	20.00	23.54	1.97	10.00	7.91
	मेघालय								
1.	मिंटू एडीशनल लोन, मेघालय		130060	हाइड्रो	84	94.00	58.32	12.89	62.08
	हिमाचल प्रदेश								
1.	जिला कुल्लू हि.प्रा. में एलियो एचईपी	एलियो मनाली हाइड्रो पावर प्रा.लि.	630001	हाइड्रो	3	6.90	2.50	2.00	0.00

वर्ष 2005-06 के दौरान संस्वीकृत उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा प्रदान कोष करेगा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	आरईसी कोड	परियोजना का प्रकार	स्थापित क्षमता (मे.वा.)	परियोजना लागत	आरईसी द्वारा स्वीकृत ऋण	2005-06	2006-07 (30.11.2006 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंध्र प्रदेश								
1.	आंध्र प्रदेश में कोयला आधारित भूपालपल्ली ताप विद्युत परियोजना 500 मेगावाट		410008	कोयला	500.0	2059.35	1544.51	50	21.766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अरुणाचल प्रदेश								
1.	राइन एसएचपी हेतु अतिरिक्त ऋण		230138	कोयला	2.0	13.91	6.04	5.659*	0
	मध्य प्रदेश								
1.	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रा.लि.		940001	कोयला	400	2245.30	250.00	10	10
	उत्तरांचल								
1.	उत्तरांचल में टिहरी चरण-1 परियोजना		330001	हाइड्रो	1000	7500.3	1860.00	201.31	1336.548
	मिजोरम								
1.	सेरूई बी एचईपी (अतिरिक्त ऋण)		240013	हाइड्रो	12	72.25	40	25.39*	0
	पंजाब								
1.	गंगूवाल एवं कोटला विद्युत गृह फेज-III (आर एंड एम)		161348	आर एंड एम हाइड्रो	57	102.00	34.22	10.0991	12.7931

*पूरी हो चुकी परियोजनाओं का संवितरण शामिल है।

गत वर्षों के दौरान टी एंड डी के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (1 सितंबर के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1342	688	1331	269
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	8	1	
3.	असम	0	0		
4.	बिहार	0	0		
5.	गुजरात	16	54	117	76
6.	हरियाणा	255	156	1	359
7.	हिमाचल प्रदेश	0	6	84	16
8.	जम्मू व कश्मीर	3	0	8	
9.	कर्नाटक	201	280	454	233
10.	केरल	138	257		
11.	मध्य प्रदेश	0	178	84	262
12.	महाराष्ट्र	487	475	1254	2506
13.	मणिपुर	0	0		
14.	मेघालय	0	0		
15.	मिजोरम	7	0		
16.	नागालैंड	0	15	4	
17.	उड़ीसा	296	0	45	
18.	पंजाब	160	342	93	48
19.	राजस्थान	245	139	1511	388
20.	सिक्किम	0	0		
21.	तमिलनाडु	937	430	215	456
22.	त्रिपुरा	0	0		
23.	उत्तर प्रदेश	75	79	496	142
24.	उत्तरांचल	100	0	28	162
25.	पश्चिम बंगाल	857	487	46	21
	कुल जोड़	5117	3592	5769	4938

गत वर्षों के दौरान टी एंड डी के अंतर्गत संवितरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	881	859	508
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	5
3.	असम	0	0	
4.	बिहार	0	0	
5.	गुजरात	121	107	
6.	हरियाणा	104	132	85
7.	हिमाचल प्रदेश	22	15	26
8.	जम्मू व कश्मीर	27	32	40
9.	कर्नाटक	464	224	204
10.	केरल	255	184	59

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	0	0	
12.	महाराष्ट्र	495	350	474
13.	मणिपुर	0	1	
14.	मेघालय	0	0	
15.	मिजोरम	4	7	
16.	नागालैंड	2	13	8
17.	उड़ीसा	0	0	9
18.	पंजाब	166	228	291
19.	राजस्थान	178	190	550
20.	सिक्किम	0	0	
21.	तमिलनाडु	521	588	343
22.	त्रिपुरा	0	0	
23.	उत्तर प्रदेश	126	46	20
24.	उत्तरांचल	29	71	40
25.	पश्चिम बंगाल	198	149	71
	कुल जोड़	3599	3198	2733

विवरण-II

आरजीजीवीआई संबंधी मॉनीटरिंग समिति द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

14.12.2006

क्र. सं.	राज्य		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या		कुल परियोजना लागत लाख रुपये में
							कुल (बीपीएल सहित)	बीपीएल घर	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	ए	17	17	0	21623	3166161	2114317	64815.60
		बी	5	5	0	5215	633052	385200	13362.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	ए	2	2	237	321	7230	4377	4330.11
		बी	14	14	1896	1447	69208	36433	53789.57
3.	असम	ए	7	7	1831	3926	445804	329668	30044.38
		बी	8	8	2416	4873	341596	278036	47563.78

1	2		3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	ए	29	29	18959	169	1196385	1008898	169438.47
		बी	9	9	3895	3932	2745435	965397	100855.98
5.	छत्तीसगढ़	ए	5	5	166	5642	494414	271170	23653.45
6.	गुजरात	ए	9	9	0	7347	580071	412628	12922.71
		बी	16	16	0	10587	1015782	542522	17694.41
7.	हरियाणा	ए	6	6	0	1820	205646	92948	7699.57
		बी	12	12	0	4165	364040	131125	10870.79
8.	हिमाचल प्रदेश	ए	1	1	0	1118	2531	647	2502.36
		बी	3	3	1	4100	11519	3587	7348.98
9.	जम्मू व कश्मीर	ए	4	4	108	2044	126104	71914	14592.77
		बी	6	6	76	3227	152316	57538	15163.14
10.	झारखंड	ए	11	11	7563	4226	1256561	777234	106738.49
		बी	7	7	8500	2296	1166549	830501	99827.92
11.	कर्नाटक	ए	26	26	132	28695	2005323	902373	61336.95
12.	केरल	ए	7	7	0	373	227320	122187	22175.75
		बी	7	7	0	704	230928	84554	9925.28
13.	मध्य प्रदेश	ए	16	16	176	17998	1254435	625114	80946.91
		बी	5	5	77	5977	432018	212643	38295.40
14.	महाराष्ट्र	ए	17	17	0	20661	1394893	1016583	21481.37
15.	मणिपुर	ए	3	3	244	393	41622	26622	9462.64
		बी	1	1	251	334	34645	22566	5780.09
16.	मेघालय	ए	3	3	193	1631	55688	37869	6171.20
17	मिजोरम	ए	8	8	137	570	44334	27417	10244.68

1	2		3	4	5	6	7	8	9
18.	नागालैंड	ए	3	3	12	373	35601	22908	2569.27
		बी	2	2	20	111	28947	15533	1591.98
19.	उड़ीसा	ए	4	3	1329	3353	472752	324443	40977.25
		बी	5	5	1920	7579	754050	444086	54602.82
20.	पंजाब	ए	1	1	0	962	69125	25004	2297.11
		बी	16	16	0	10878	335898	123856	12195.91
21.	राजस्थान	ए	27	26	1820	16239	1064622	747711	48092.21
		बी	12	6	1974	16015	1085944	891618	44379.79
22.	सिक्किम	ए	4	4	25	418	28166	11458	5625.82
23.	तमिलनाडु	ए	16	16	0	7758	1125715	388067	26501.26
		बी	13	13	0	5379	762228	196948	18333.33
24.	त्रिपुरा	ए	1	1	48	72	20548	13119	1957.77
		बी	1	1	79	78	68436	45589	3232.14
25.	उत्तर प्रदेश	ए	64	65	30802	3287	1694075	1120648	271951.59
		बी	2	0	0	1932	368994	56853	34371.79
26.	उत्तरांचल	ए	13	13	1469	14105	357309	281615	64389.43
27.	पश्चिम बंगाल	ए	13	13	4283	0	145918	97847	38503.56
	कुल	ए	317	316	69534	165124	17518353	10874786	1151422.67
		बी	144	136	21105	88829	10601585	5324585	589185.96
	कुल योग		461	452	90639	253953	28119938	16199371	1740608.64

ए - स्वीकृत परियोजनाएं

बी - "सिद्धांत रूप में अनुमोदित" परियोजना

विवरण-III

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

24.11.2006

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या		परियोजना लागत लाख रुपये में
						कुल (बीपीएल सहित)	बीपीएल घर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	17	17	0	21623	3166161	2114317	64815.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	237	321	7230	4377	4330.11
3.	असम	7	7	1831	3926	445804	329668	30044.38
4.	बिहार	29	29	18959	169	1196385	1008898	169438.47
5.	छत्तीसगढ़	5	5	166	5642	494414	271170	23653.45
6.	गुजरात	9	9	0	7347	580071	412628	12922.71
7.	हरियाणा	6	6	0	1820	205646	92948	7699.57
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1118	2531	647	2502.36
9.	जम्मू व कश्मीर	4	4	108	2044	126104	71914	14592.77
10.	झारखंड	11	11	7563	4226	1256561	777234	106738.49
11.	कर्नाटक	26	26	132	28695	2005323	902373	61336.95
12.	केरल	7	7	0	373	227320	122187	22175.75
13.	मध्य प्रदेश	16	16	176	17998	1254435	625114	80946.91
14.	महाराष्ट्र	17	17	0	20661	1394893	1016583	21481.37
15.	मणिपुर	3	3	244	393	41622	26622	9462.64
16.	मेघालय	3	3	193	1631	55688	37869	6171.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मिजोरम	8	8	137	570	44334	27417	10244.68
18.	नागालैंड	3	3	12	373	35601	22908	2569.27
19.	उड़ीसा	4	3	1329	3353	472752	324443	40977.25
20.	पंजाब	1	1	0	962	69125	25004	2297.11
21.	राजस्थान	27	26	1820	16239	1064622	747711	48092.21
22.	सिक्किम	4	4	25	418	28166	11458	5625.82
23.	तमिलनाडु	16	16	0	7758	1125715	388067	26501.26
24.	त्रिपुरा	1	1	48	72	20548	13119	1957.77
25.	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	3287	1694075	1120648	271951.59
26.	उत्तरांचल	13	13	1469	14105	357309	281615	64389.43
27.	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	0	145918	97847	38503.56
	कुल जोड़	317	316	69534	165124	17518353	10874786	1151422.67

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

*356. **श्री बालासोधरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) का मिशन अनुसंधान के व्यावसायिक अनुप्रयोग का प्रसार करने और प्रयोगशालाओं से प्रौद्योगिकी को कारपोरेट जगत को हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योग और शिक्षा जगत को नजदीक लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां, महोदय। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) सार्वजनिक क्षेत्र का एक अनूठा उद्यम है, जो अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों से उद्योग को प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के साथ-साथ उनके वाणिज्यीकरण के प्रति पूर्णरूप से समर्पित है। यह लक्ष्य निम्न प्रकार से पूरा किया जाता है:-

(i) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय और औद्योगिक ईकाइयां या तो उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को कारपोरेट जगत को हस्तांतरित करने और वाणिज्यीकरण करने के लिए एनआरडीसी को सौंपती हैं अथवा एनआरडीसी, भारत और विदेश में अनुसंधान एवं विकास प्रणाली/उद्योग से प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यीकरण योग्य बनाने का सक्रियक स्रोत है। उदाहरण के लिए, अनेक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय और उद्योग जैसे सीएमआईआर प्रयोगशालाएं, डीआरडीओ प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, केन्द्रीय नारियल जटा

अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, एम्स, दिल्ली विश्वविद्यालय और इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने औषध, रसायन, कीटनाशक, सिल्क प्रसंस्करण, यांत्रिक और निर्माण उद्योग, जैसे क्षेत्र में वाणिज्यिक संदोहण के लिए, प्रौद्योगिकियां एनआरडीसी को सौंपी हैं। इसके अतिरिक्त एनआरडीसी ने, अनेक विश्वविद्यालयों के साथ उनकी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें सम्मिलित हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जी बी पंत कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और दिल्ली विश्वविद्यालय।

(ii) एनआरडीसी, समाचार पत्र में विज्ञापन देकर प्रदर्शनियों में भागीदारी और बाजार सर्वेक्षण कराके पर्याप्त प्रचार करते हुए एनआरडीसी को सौंपी गई प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त लाइसेंसों के लिए और विस्तृत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रलेख एवं खोज तैयार करता है।

(iii) एनआरडीसी सौंपी गई प्रौद्योगिकियों में मूल्यवर्धन भी करता है और अपने वाणिज्यीकरण के सरलीकरण के लिए मूल अभिकल्पन अभियांत्रिकी पैकेज तैयार करता है। समय-समय पर, एनआरडीसी नई वाणिज्यीकृत प्रौद्योगिकी पर आधारित जोखिमों की ईक्विटी में भी भागीदारी करता है।

(iv) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और वाणिज्यीकरण में बौद्धिक संपदा संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। एनआरडीसी, प्रौद्योगिकी को एकान्तिक और अनेकान्तिक आधार पर एक लाइसेंसधारी को हस्तांतरित करने से पहले प्रौद्योगिकी को भारत और विदेशों में पेटेंट करने के लिए इसके प्रवर्तकों को तकनीकी, विधिक और वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

एनआरडीसी, अपनी स्थापना को 5 दशकों से अधिक समय से, उद्योग के विविध क्षेत्रों में लगभग 2500 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का एक बड़ा न्यासी बन गया है तथा इसने वाणिज्यिक संदोहण के लिए भारत और विदेश में लगभग 4500 उद्यमियों को प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं/लाइसेंस प्रदान किए हैं।

(ग) हाल ही में एनआरडीसी, शैक्षणिक संस्थाओं से प्रौद्योगिकियों के उद्योग में हस्तान्तरण और वाणिज्यीकरण के प्रयास में विशेष रूप से उद्यमशील रहा है, चूंकि इनमें से अधिकांश के पास, अपने निजी हस्तांतरण सैल नहीं हैं। एनआरडीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने निजी व्यय पर किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्य पर आधारित 20 पेटेंट दायर किए हैं, तथा जिनमें से 9 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण अनेकान्तिक आधार पर किया है। इसके अलावा, सरकार उद्योग और अकादमी को निकट लाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इन महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल हैं:-

(i) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में उद्योग द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर 125% भारित आयकर कटौती।

(ii) डीएसटी के भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि, डीएसआईआर के प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम, डीबीटी के लघु व्यापार नव-प्रवर्तन अनुसंधान शुरूआत (एसबीआईआरआई), सीएसआईआर के नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व शुरूआत (एनएमआईटीएलआई) आदि के अन्तर्गत उद्योग और शैक्षिक संस्थाओं की सहयोगी अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को सहायता देना। एनएमआईटीएलआई के अन्तर्गत, 42 नेटवर्क परियोजनाओं में 65 उद्योग के भागीदार और 222 अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान शामिल हैं।

(iii) डीएसटी ने शैक्षिक और अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ अन्योन्यक्रिया के माध्यम से लघु स्तर के उद्योगों को अनुसंधान और विकास की सहायता मुहैया कराने के लिए लगभग 15 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क (एसटीईपीएस) स्थापित किए हैं।

(iv) डीएसटी ने, उद्यमियों को अकादमी की सहायता और परामर्श सुनिश्चित करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित शुरूआतों को संपोषित करने की दृष्टि से कुछ 12 शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यापार ऊष्मायित्र (टीबीआई) स्थापित किए हैं। आईआईटी, दिल्ली में नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण फाउंडेशन (एफआईटीटी) का एक टीबीआई भी है जो उद्यमियों को उनकी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण में आईआईटी संकाय के साथ गहन सम्बन्ध बनाने में समर्थ बनाता है।

(v) टाइफैक (डीएसटी) ने चुनींदा शैक्षिक संस्थानों में 26 संगतता और उत्कृष्टता केन्द्र (सीओआरईएस) स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों में विशिष्ट विश्लेषणात्मक और परीक्षण सुविधाएं हैं, जिनका प्रबंध शैक्षिक संस्थानों के व्यावसायियों द्वारा किया जा है। ये सुविधाएं उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने के लिए हैं, और इस प्रकार उद्योग और अकादमियों के बीच सम्बन्धों को बढ़ावा मिलता है।

(vi) सरकार, समय-समय पर, एनआरडीसी को समर्थन देने के साथ-साथ उद्योग-संस्थान के सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलनों का आयोजन करती है।

[हिन्दी]

करों की वसूली

*357. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बकाया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बकाया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2003-04	87,885	15,516.69
2004-05	98,614	15,659.09
2005-06	1,17,083	21,593.43

(ख) बकाया की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने बकाया की वसूली करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बकाया से पर्याप्त वसूली हेतु बहुविध कार्यनीति का विकास करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए कार्यबलों का गठन शामिल है।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत यथानिर्धारित देय बकाया कर की वसूली के लिए किए जा रहे सांविधिक उपायों के अतिरिक्त (बैंक खातों/ऋण की जब्ती, अचल सम्पति की बिक्री एवं जब्ती इत्यादी सहित) प्रत्यक्ष कर बकाया की वसूली शीघ्र करने के लिए किए गए अन्य विशेष उपायों में आयुक्त (अपील) और आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लम्बित बकाया की पर्याप्त राशि वाले मामलों की पहचान और ऐसी अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए इन प्राधिकारियों को अनुरोध करना ताकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही मांग संग्रहित की जा सके, आयकर अधिनियम की धारा 254 (2 क) में यथानिर्धारित 180 दिनों के बाद मांग के स्थगन की अनुमति न प्रदान करने के लिए आयकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष से अनुरोध करना, ऊंची मांग वाले मामलों के शीघ्र निपटान के लिए समझौता आयोग से अनुरोध करना आदि शामिल है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, शीघ्र संग्रहण के लिए तैयार की गई कार्य नीति निम्नानुसार है:-

(क) आयुक्त/मुख्य आयुक्त के स्तर पर बकाया वसूली में की गई प्रगति की नियमित समीक्षा;

(ख) महत्वपूर्ण मामलों में स्थगन आदेशों को हटाने के लिए आवेदन भेजना;

(ग) न्यायालयों/सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दायर करना;

(घ) कड़ी कार्रवाई सहित चूककर्ताओं को लक्षित करना;

(ङ) लम्बित बकायों को अदा करने के लिए मुख्य इकाइयों को प्रेरित करना;

(च) बी.आई.एफ.आर./डी.आर.टी./ओ.एल./सी.ओ.डी. में लम्बित मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(छ) सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क सेवा कर अपील अधिकरण-न्यायालयों के अनुकूल आदेशों में संलिप्त बकाया की शीघ्र उगाही; और

(ज) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट पर चूककर्ताओं की सूची लगाना।

(ग) वसूले गए बकाया की राशि निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2003-04	5,540	668.36
2004-05	7,084	2642.87
2005-06	8,064	3139.65
2006-07 (अक्तूबर 06 तक)	7,767	1633.07

[अनुवाद]

लघु वित्तपोषण प्रणाली

*358. **श्री राजेन गोहेन :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में लघु वित्तपोषण के उभरते हुए बड़े बाजारों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1,50,000 करोड़ रुपए के लघु क्रेडिट की कुल अनुमानित मांग में से भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वास्तव में अभी तक केवल 8,000 करोड़ रुपए का ही वितरण हुआ है;

(ग) क्या लघु ऋण क्षेत्र को विनियमित करने के लिए सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वित्तपोषण अभियान को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उभरते हुए बाजार का दोहन करने के लिए क्या विस्तृत रणनीति बनाई गई है;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु वित्तपोषण प्रणाली के माध्यम से चालू वर्ष के दौरान ऋण स्वीकृत करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। व्यष्टि वित्त प्रदान करने के विभिन्न मॉडल हैं। वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम के तहत अपने/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संगठित स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को सीधा ऋण देते हैं या व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को ऋण देते हैं, ताकि एमएफआई द्वारा संगठित स्व-सहायता समूहों को ऋण दिया जा सके। 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने 23.72 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को सीधे 12,618 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इसके अतिरिक्त, 30 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रमों के तहम 23.89 लाख स्व-सहायता समूहों को 7498.57 करोड़ रुपए का ऋण एवं आर्थिक सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास एवं विनियमन) पर नए कानून के अधिनियमन से व्यष्टि वित्त में लगी संस्थाओं के लिए कानूनी ढांचा सुनिश्चित होगा और देश में व्यष्टि वित्त सेवाओं के विकास के लिए अधिक पारदर्शिता, प्रभावी प्रबंधन एवं बेहतर अभिशासन वाला वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। देश के उन लोगों, जिन्हें बैंकिंग सुविधा प्राप्त नहीं है, के लिए व्यष्टि वित्त सेवाओं की उपलब्धि व्यापक वित्तीय समावेश को सुकर बनाएगी।

(ङ) और (च) वर्ष 2006-07 के लिए एसएचजी बैंक संयोजक कार्यक्रम के तहत बैंकों द्वारा 3,85,000 नए स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाएं

*359. **श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत राज्य सरकारों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों की बहुत सी परियोजनाएं मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) दिनांक 3 दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया था। इस मिशन की शुरूआत से दिनांक 12.12.2006 तक जेएनएनयूआरएम के तहत प्राप्त राज्यवार प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 12.12.2006 तक जेएनएनयूआरएम के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जारी कुल धनराशि 51331.60 लाख रुपये हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। जेएनएनयूआरएम के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। तकनीकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तकनीकी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद परियोजना की लागत के आधार पर जो भी मामला हो उसके अनुसार उन्हें सक्षम स्वीकृति प्राधिकरण अर्थात् केन्द्रीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) या व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तकनीकी एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन पारस्परिक विचार-विमर्श प्रक्रिया के जरिये किया जाता है। राज्यों/नगरों को कहा जाता है कि वे तकनीकी एजेंसियों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण शीघ्र दें/सुझाये गये संशोधन शीघ्र करें।

विवरण

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत प्राप्त प्रस्तावों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	50
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	चण्डीगढ़ (यूटी)	3
6.	गुजरात	57
7.	हरियाणा	2
8.	जम्मू और कश्मीर	3
9.	कर्नाटक	22
10.	महाराष्ट्र	90
11.	मणिपुर	2
12.	मध्य प्रदेश	20
13.	नागालैंड	2
14.	उड़ीसा	4
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	9
17.	तमिलनाडु	5
18.	उत्तर प्रदेश	2
19.	पश्चिम बंगाल	15
	कुल	298

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति

*360. श्रीमती अर्चना नायक :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो नई नीति के कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस मुद्दे पर कतिपय पक्षों से कोई सुझाव प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) सरकार एक ग्रामीण नीति तैयार करने पर विचार कर रही है जो इस समय प्रारंभिक अवस्था में है। दी डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स (एक गैर-सरकारी संगठन) ने भारत के लिए ग्रामीण आवास नीति हेतु एक ढांचे का सुझाव दिया है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी ग्रामीण आवास क्षेत्र के वित्तपोषण संबंधी सुझाव दिए हैं। इन सुझावों की जांच की जा रही है और इन्हें ग्रामीण आवास नीति के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

डी.डी.ए. द्वारा फ्लैटों का निर्माण

*361. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों के निर्माण हेतु कोई मानक तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्लैटों के निर्माण के समय इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि वह उसके द्वारा बनाए जाने वाले फ्लैटों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) विनिर्देशनों और मानकों को अपनाता है।

(ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि निर्माण के समय उसके फील्ड इंजीनियरों द्वारा जांच की जाती है। वरिष्ठ इंजीनियरों, डीडीए के गुणता आश्वासन प्रकोष्ठ और मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्य की गुणता की जांच भी की जाती है।

(घ) और (ङ) डीडीए ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्यों में मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री के कथित उपयोग की 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं:-

(i) सेक्टर-18, द्वारकर में फ्लैटों का निर्माण

(ii) सेक्टर-3, पाकेट I तथा II द्वारका (फेज-I) में आंतरिक जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कों सहित 384 एसएफएस मकान

(iii) पॉकेट 23, सेक्टर 24, रोहिणी में 270 एमआईजी फ्लैट

(iv) पॉकेट 4, सेक्टर 24, रोहिणी, फेज-II में फ्लैट

(v) सरिता विहार पाकेट-के एवं एल में 504 एचआईजी मकानों का निर्माण

एक शिकायत के संबंध में डीडीए के दो कार्मिकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई है तथा नौ डीडीए कार्मिकों पर शास्ति लगाई गई है। दूसरी शिकायत की जांच में सहायता के लिए राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। शेष तीन शिकायतों में भी जांच की गई है।

जैव-ईंधन संबंधी अध्ययन

3385. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव-ईंधन के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों विशेषकर किसानों के हित में जैव-ईंधन परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) योजना आयोग ने बायोईंधनों के विकास पर जुलाई, 2002 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में योजना आयोग को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में वन और गैर-वन बंजर भूमि पर जटरोफा करकस के वृक्षारोपण पर विशेष बल सहित बायोडीजल पर एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने के लिए जुलाई, 2003 में नोडल मंत्रालय बनाया गया।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन और गैर-वन बंजर भूमि पर जटरोफा करकस और पोंगामिया पिनाटा के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर बल देने के साथ बायोडीजल पर एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया है। यह वृक्षारोपण मुख्य रूप से ग्राम समुदायों/पंचायतों/सरकार की निम्न श्रेणी की वन भूमि और बंजर भूमि और साथ ही सीमान्त तथा छोटे किसानों की उपयोग न की जा रही सीमान्त भूमि पर उन्हें अनुपूरक जीविकोपार्जन अवसर उपलब्ध कराने के साधन के रूप में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 3 लाख हैक्टेयर भूमि पर जटरोफा और पोंगामिया के प्रदर्शन संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति के साथ शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जटरोफा नर्सरी उगाने के लिए नौ राज्यों को 49 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

आर.आर.बी. कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन

3386. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग उद्योग में द्विपक्षीय समझौते के तहत 22.02.1991 और 20.03.1993 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों (आरआरबीएस) के लिए वेतन, अन्य सभी भत्तों और लाभों सहित वेतन संरचना में संशोधन किया है;

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के भत्तों आदि में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए आदेशों को विसंगति के कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 6.10.2005 को प्रायोजक बैंकों को बैंकिंग उद्योग में 8वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार क्षेत्री ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के अन्य सभी भत्तों और लाभों को संशोधित करने का परामर्श दिया है;

(ङ) क्या आरआरबी स्टाफ और प्रायोजक बैंक स्टाफ में वेतन और भत्तों के संदर्भ में विसंगति है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी विसंगति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिनियम (एनआईटी) के दिनांक 30.4.1990 के अधिनिर्णय तथा समीकरण समिति की दिनांक 16.1.1991 की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एनआईटी के अधिनिर्णय तथा समीकरण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए दिनांक 22.2.1991 को प्रादेशिक ग्रामीण बैं अधिनियम, 1976 की धारा 17 के उपबंधों के संबंध में अनुदेश जारी किए। तत्पश्चात, नाबार्ड ने दिनांक 20.3.1993 के पत्र के तहत समीकरण समिति की सिफारिशों के साथ पठित एनआईटी अधिनिर्णय, कर्मचारी सेवा विनियमों, भर्ती एवं पदोन्नति नीति, इत्यादि को लागू करने से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए।

(ख) और (ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरआरबी के अधिकारी संघों ने, त्यौहार अग्रिम, स्थानांतरण से जुड़े आकस्मिक व्यय, पट्टे पर लिए गए आवास तथा वेतन के पुनर्निर्धारण में 100/- रुपए के विशेष वेतन को शामिल न करने से जुड़े मुद्दों के संबंध में उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर की थी।

(घ) से (च) भारत सरकार के दिनांक 6.10.2005 के पत्र के अनुसार, आरआरबी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते को संशोधित करके राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की तदनुरूपी श्रेणी के समान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रायोजक बैंकों को, उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी के साथ अन्य भत्तों के संबंध में समझौता वार्ता करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय सरस मेले

3387. श्री फुरकान अंसारी : क्या विज्ञान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को कतिपय राज्यों विशेषकर 'झारखंड' ने क्षेत्रीय सरस मेलों को आयोजित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) झारखंड सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07 के दौरान सरस मेलों का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए सरस मेलों का एक कैलेंडर तैयार किया गया है जो संलग्न विवरण में है। झारखंड (रांची) में सरस मेले का आयोजन 16 से 30 जनवरी, 2007 तक किया जाना है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित होने वाले सरस मेलों का कैलेंडर

क्र.सं.	राज्य	स्थान	दिनांक
1	2	3	4
1.	नई दिल्ली	दिल्ली हाट	11-24 अप्रैल, 2006 (संपन्न)
2.	मध्य प्रदेश	भोपाल	11-24 मई, 2006 (संपन्न)
3.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	11-25 जुलाई, 2006 (संपन्न)
4.	नई दिल्ली	दिल्ली हाट	12-25 सितम्बर 2006 (संपन्न)
5.	हरियाणा	गुड़गांव	15-30 सितम्बर, 2006 (संपन्न)
6.	राजस्थान	जयपुर	2-14 अक्टूबर, 2006 (संपन्न)
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	6-16 अक्टूबर, 2006 (संपन्न)
8.	गुजरात	अहमदाबाद	2-13 अक्टूबर, 2006 (संपन्न)
9.	मणिपुर	इम्फाल	14-23 अक्टूबर, 2006 (संपन्न)
10.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	30.10.06-11.11.06 2006 (संपन्न)
11.	उत्तरांचल	देहरादून	1-10 नवम्बर, 2006 (संपन्न)
12.	आईआईटीएफ सरस 2005	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14-27 नवम्बर, 2006 (संपन्न)
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1-15 दिसम्बर, 2006
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	4-13 दिसम्बर, 2006

1	2	3	4
15.	केरल	अलापुज्जा	15-31 दिसम्बर, 2006
16.	गोवा	पणजी	22.12.2006-02.01.2007
17.	महाराष्ट्र	मुंबई	23.12.06-03.01.2007
18.	झारखंड	रांची	16-30 जनवरी, 2007
19.	त्रिपुरा	अगरतला	1-10 फरवरी, 2007
20.	असम	गुवाहाटी	1 से 15 फरवरी, 2007
21.	तमिलनाडु	चेन्नई	18.2.2007-3.3.2007
22.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	4-14 मार्च, 2007
23.	कर्नाटक	बंगलौर	7-18 मार्च, 2007
24.	बिहार	पटना	10-19 मार्च, 2007

छोटे तकनीक आविष्कारों को प्रोत्साहन

3388. श्री ब्रजेश पाठक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे तकनीकी आविष्कारों को प्रोत्साहन देने तथा इन नव आविष्कृत तकनीकों को बाजार में उतारने के लिए एक निधि की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) छोटे तकनीकी आविष्कारों को प्रोत्साहन देने तथा इन नव आविष्कृत प्रौद्योगिकियों को बाजार में उतारने के लिए एक अलग निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार अपनी कुछ योजनाओं के माध्यम से छोटे तकनीकी आविष्कारों को प्रोत्साहन देती रही है तथा उन्हें बाजार में उतारने के लिए सहायता करती रही है।

वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया तकनीकी उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (टी ई पी पी) व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को उनके आविष्कारी विचारों को कार्यशील प्रोटोटाइपों/माडलों में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मूल विचार/जानकारी/आविष्कार वाला किसान, शिल्पकार, गृहिणी, विद्यार्थी, अभियंता अथवा वैज्ञानिक सहित कोई भी भारतीय नागरिक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। 300 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से अब तक नए नवोन्मेषकों के एक सौ इक्यावन (151) आविष्कारों का निधिकरण किया गया है।

आधारिक स्तर के नवोन्मेषों की खोज करने और विभिन्न रूपों में उन्हें समेकित करने के लिए वर्ष 2000 में एक राष्ट्रीय नवोन्मेष फाउंडेशन (अन आई एफ) की स्थापना की गई। कुछ नवोन्मेषकों को अपने आविष्कारों को उन्नत बनाने में सहायता प्रदान की गई। सरकार द्वारा हाल में प्रारंभ की गई एक स्कीम, लघु उद्योग व्यवसाय अनुसंधान पहल (एस आई बी बार आई) के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लघु उद्योगों को उनके आविष्कारों को बाजार में उतारने योग्य प्रौद्योगिकी में परिणत करने के लिए ऋण/सहायतार्थ अनुदान से सहायता प्रदान की जाती है।

भोपाल-पट्टनम विद्युत परियोजना

3389. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सहयोग से गढ़चिरौली जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित भोपाल-पट्टनम विद्युत परियोजना का कार्य किस तिथि को शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त परियोजना से उत्पादित विद्युत के संवितरण हेतु कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भोपालपट्टनम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1000 मे.वा.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मई 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (सीईए) में प्राप्त हुई थी। डीपीआर की सीईए/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में जांच की गई थी तथा उनकी टिप्पणियां मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (एमपीईबी) को भेजी गई थीं। सीईए/सी डब्ल्यू सी की विभिन्न टिप्पणियों के उत्तरों को प्रस्तुत न करने के कारण डीपीआर मार्च 1985 में एमपीईबी को वापस कर दी गई थी। परियोजना को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1989 में निरस्त कर दिया गया था क्योंकि प्रस्तावित परियोजना के निष्पादन से इंद्रावती नेशनल पार्क समेत लगभग 80,000 हेक्टेयर वनभूमि का जलाप्लावन और बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों का विस्थापन होना था।

संबंधित राज्य सरकार से अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर

3390. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अशिक्षित और अदक्ष प्रवासी शहरों और नगरों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में परेशानी का सामना करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनको शोषण और कठिनाइयों से बचाने हेतु उनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरों/नगरों में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना करने और उन्हें उपलब्ध अवसरों तथा उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी देने के लिए बैठकें/सूचना देने संबंधी सत्र आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) अकुशल शहरी गरीबों, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवजन किया है या नहीं किया है, के लिए रोजगार के अवसरों का अभाव होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) में स्व-रोजगार या मजदूरी रोजगार के लिए शहरी गरीबों की बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने/उनके कौशल के उन्नयन पर जोर डाला जाता है।

सामुदायिक अधिकारिता स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की मुख्य विशेषता है। इसके तहत सामुदायिक विकास सोसायटियां सरकार के कार्यक्रमों, शहरी गरीबों के लिए उपलब्ध अवसरों तथा उनके अधिकारों के बारे में शहरी गरीबों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास करती हैं।

ए आई आर के अन्तर्गत

3391. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर की वार्षिक सूचना विवरणी (ए आई आर) के अंतर्गत संव्यवहार की वर्तमान सूची में विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-से संव्यवहार सूची में जोड़े जाने की संभावना है;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय का विचार कर अपवंचन के बारे में जानकारी एकत्रित करने में केन्द्रीय सूचना शाखा को अधिक सक्षम बनाने हेतु इसका पुनर्गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) कराधार को विस्तृत और व्यापक बनाने के विचार से वित्त मंत्री ने 2006 के अपने बजट भाषण में वार्षिक सूचना विवरणी में सूचित किए जाने वाले कुछ और संख्यांकों को विहित करने की घोषणा की। तथापि, अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि किन-किन संव्यवहारों को वार्षिक सूचना विवरणी में सूचित करने के लिए विहित किया जाना है।

(घ) और (ङ) सरकार ने इस शाखा की नई भूमिकाएं तथा कार्य तैयार किए हैं ताकि मुख्य अभिचिन्हक के रूप में पैन का प्रयोग करके वार्षिक सूचना विवरणी योजना के क्रियान्वयन के साथ इसके कार्यों के साथ सम्मिलित किया जा सके।

[हिन्दी]

जटरोफा से ऊर्जा

3392. श्री बालेश्वर यादव : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जटरोफा से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में जटरोफा से विद्युत का उत्पादन करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इस वित्तीय सहायता से देश में जटरोफा से विद्युत का उत्पादन करने हेतु किन-किन राज्यों में संयंत्र लगाने के कार्यक्रम लागू किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जटरोफा के बीजों से प्राप्त तेल और अन्य खाद्य तथा अखाद्य तेलों से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चार राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश में जटरोफा और अन्य अखाद्य तेलों जैसे महुआ, पोंगामिया और कुसुम से बिजली के उत्पादन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक प्रदर्शन परियोजना शुरू की गई है।

(ग) और (घ) इस प्रायोगिक प्रदर्शन परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 तथा 2005-06 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को क्रमश: 15.74 लाख रु., 13.91 लाख रु. और 16.60 लाख रु. की कुल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, और झारखंड को वर्ष 2003-04 में 7.79 लाख रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

पटना में रात्रि आश्रय स्थल का निर्माण

3393. श्री रामकृपाल यादव : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना में रात्रि आश्रय स्थल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित आश्रय स्थल का निर्माण कब तक कर लिये जाने की संभावना है तथा इस पर कितनी लागत आने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में रैन बसेरे की केन्द्रीय प्रवर्तित कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत पारेषण परियोजनाएं

3394. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) तथा निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत कई विद्युत पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई एजेंसी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रान्समिशन लिमिटेड) की स्थापना द्वारा मैसर्स टाटा पावर के साथ संयुक्त उद्यम में तला जल विद्युत परियोजना, पूर्वी-उत्तरी इन्टरकनैक्टर और उत्तर क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली की विशेष पारेषण लाइनों का कार्यान्वयन किया है। परियोजना 1612 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगस्त 2006 में पूरी की गई थी। पारेषण प्रणाली में सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से मंडोला (उत्तर प्रदेश) तक 2340 सर्किट किलोमीटर की 400 केवी लाईन थी। पीजीसीआईएल और मैसर्स टाटा पावर ने इस परियोजना में क्रमशः इक्वीटी और 51% इक्विटी का योगदान दिया।

पीजीसीआईएल ने पार्बती-II और पार्टनर कोलडैम जल विद्युत परियोजना से संबद्ध विशेष पारेषण लाइनों के निष्पादन हेतु संयुक्त उद्यम पार्टनर के रूप में मैसर्स रिलायन्स इनर्जी लिमिटेड का चयन किया है और संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु करारों को अंतिम रूप दिया है।

पीजीसीआईएल ने नीचे वर्णित उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी हेतु समर्पित पारेषण प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहनकर्त्ताओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(i) गुजरात में सूरत के निकट मैसर्स टौरेन्ट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (टीपीजीएल) द्वारा विकसित 1100 मेगावाट उत्पादन परियोजना। पीजीसीआईएल और मैसर्स टौरेन्ट पावर एईसी लिमिटेड के बीच जेवी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) हिमाचल प्रदेश में मैसर्स जेपी करचम हाइड्रो कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1000 मेगावाट करचम वांगटू जल विद्युत परियोजना।

(iii) मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1200 मेगावाट तीस्ता III उत्पादन परियोजना।

(iv) गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में मैसर्स एस्सार पावर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1500 मेगावाट गैस आधारित उत्पादन परियोजना।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी पीजीसीआईएल द्वारा की जाती है। पीजीसीआईएल की सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है।

अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी बेस

3395. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिका में तीसरे स्थायी बेस की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कतिपय ग्लोबल समूहों ने भारत को आस्ट्रेलिया के मौजूदा मॉसन स्टेशन का सह-उपयोग करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) लार्समेन पहाड़ी क्षेत्र (69° दक्षिणी अक्षांश तथा 76° पूर्वी देशान्तर) में तीसरे अनुसंधान स्टेशन के लिए एक व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन (सीईई) रिपोर्ट चुने गए स्थल पर पिछले तीन वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की जा रही है। यह कार्य, अंटार्कटिक संधि के पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल अथवा मेडरिड प्रोटोकाल के तहत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। तत्पश्चात् यह रिपोर्ट प्रोटोकाल के तहत गठित पर्यावरणीय प्रोटोकाल समिति (सीईपी) को प्रस्तुत की जाएगी। व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन (सीईई) रिपोर्ट की जांच करने के बाद समिति अनुमोदन के लिए इसे अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (एटीसीएम) में प्रस्तुत करेगी। नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना का कार्य केवल अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में अनुमोदन मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। परन्तु, हर वर्ष अभियान भेजकर अंटार्कटिका में ग्रीष्मकाल के दौरान नए स्टेशन के स्थल पर वैज्ञानिक प्रयोग नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इनलैंड कंटेनर डिपो

3396. श्रीमती जयाबहन जी. ठक्कर :
श्री जसुभाई धनाभाई बारड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (आई सी डी) ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) दिनांक 7.8.2006 से अंकलेश्वर में इनलैंड कन्टेनर डिपो (आई सी डी) कार्य कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत लागू नहीं।

[हिन्दी]

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

3397. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने उम्मीदवारों ने नोटरी पब्लिक के लिए आवेदन किया और राज्य-वार कितने उम्मीदवारों की नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति की गयी;

(ख) राज्य-वार कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) इन आवेदनों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष और पिछले एक वर्ष के दौरान नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदनों की और इन आवेदनों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की तथा लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या उपदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न (ग) के संबंध में निम्नानुसार कथन किया जाता है:-

(i) नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 में अधिकथित है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार तथा साथ ही राज्य सरकारें नोटेरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त हैं। केंद्रीय सरकार को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नोटेरियों को नियुक्त करने की शक्ति है, जबकि राज्य सरकार कोई संपूर्ण संबद्ध राज्य या उसके किसी भाग के लिए नोटेरी नियुक्त करने के लिए सशक्त है। नोटेरी नियमों के नियम 3 के अधीन विधि व्यवसायियों में से कोई व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह कम से कम 10 वर्षों से विधि व्यवसाय कर रहा हो। यदि नोटेरी के लिए आवेदक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का है या वह कोई महिला है तो नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के लिए शर्त 7 वर्ष का विधि व्यवसाय है। ऐसा कोई व्यक्ति भी नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है यदि वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो या यदि वह दस वर्षों तक न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या उसने अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण किया हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो या न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग में या सशस्त्र बलों के विधिक विभाग में कोई पद धारण किया हो।

(ii) पात्र व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए विहित प्ररूप, अर्थात् अभ्यावेदन में आवेदन कर सकेंगे, जिस पर किसी मजिस्ट्रेट, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधन, किसी वणिक और दो प्रमुख स्थानीय निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन की जांच करता है और उस राज्य विधिज्ञ परिषद से, जहां अभ्यावेदन अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, टिप्पणियों/आक्षेपों की मांग करता है। आवेदक से एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता है जिसमें शपथ पर यह कथन किया गया हो कि वह न तो किसी राज्य सरकार द्वारा पहले से ही नियुक्त किया गया नोटेरी है और न ही नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित है और साथ ही उससे व्यवसाय

के वांछित क्षेत्र में न्यायालयों की संख्या और नोटेरियों की संख्या का कथन करने का भी अनुरोध किया जाता है। आक्षेपों और विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी नियम 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार करने के पश्चात् उचित विनिश्चय करती है।

(घ) प्रश्न (घ) के संबंध में यह कथन किया जाता है कि नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पहले ही ऊपर उल्लिखित किया गया है। नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 में नोटेरी की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है। चूंकि, नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति से पूर्व उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा किया जाना होता है, इसलिए इसमें समय लग सकता है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष और पिछले एक वर्ष के दौरान नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदनों की और इन आवेदनों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की तथा लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या उपदर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू वित्तीय वर्ष और पिछले एक वर्ष के दौरान नोटेरी पब्लिक के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या		इन आवेदनों में से नोटरियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	इस अवधि के दौरान लंबित आवेदनों की संख्या
		2005	2006		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57	53	47	63
2.	असम	—	01	01	0
3.	बिहार	—	05	03	02
4.	गुजरात	218	158	118	258
5.	केरल	77	28	56	39
6.	मध्य प्रदेश	17	14	11	20
7.	तमिलनाडु	76	53	70	59
8.	महाराष्ट्र	345	220	251	314
9.	कर्नाटक	102	83	61	123
10.	उड़ीसा	03	03	02	04
11.	पंजाब	143	60	157	46
12.	राजस्थान	126	81	71	136

1	2	3	4	5	6
13.	उत्तर प्रदेश	317	125	263	179
14.	पश्चिमी बंगाल	34	13	11	36
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
16.	नागालैंड	–	–	–	–
17.	हरियाणा	127	72	178	21
18.	हिमाचल प्रदेश	02	01	02	01
19.	मणिपुर	–	–	–	–
20.	त्रिपुरा	01	02	01	02
21.	मेघालय	–	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–
23.	मिजोरम	–	–	–	–
24.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
25.	गोवा	07	03	02	08
26.	उत्तरांचल	01	02	03	0
27.	छत्तीसगढ़	–	03	03	0
28.	झारखंड	–	16	–	16
29.	दिल्ली	47	27	47	27
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–	–
34.	पांडिचेरी	–	01	01	0
35.	चंडीगढ़	02	02	–	04

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नाबार्ड सहायता

3398. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) और ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) अब तक इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 1 अप्रैल, 2002 से 1 दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान नाबार्ड ने राजस्थान राज्य सरकार को विभिन्न उद्देश्यों के लिए परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं उनमें आरआईडीएफ में से कुल 2,016.53 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। तथापि, इस अवधि के दौरान आरआईडीएफ से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की गई थी।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए अब तक संवितरित निधियां 915.53 करोड़ रुपए हैं।

[अनुवाद]

प्रोपर्टी डेवलपर द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना

3399. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोपर्टी डेवलपर्स को वित्तपोषित ऋण के लिए उनके द्वारा बैंकों को पूर्णत: प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अधिकांश प्रोपर्टी डेवलपर्स निर्धारित अवधि के भीतर बैंकों को पूर्णत: प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बैंकों ने इस मामले में कोई कार्यवाही आरम्भ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 नवम्बर, 2006 को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें बैंकों से अनाधिकृत निर्माण, संपत्तियों के दुरुपयोग और सरकारी जमीन के अतिक्रमण के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति के निदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अनुदेशों के अनुसार, निर्माण कार्य के पूरा होने के तीन माह के भीतर समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भवन निर्माण के लिए ऋण लेने वाले उधारकर्ता की जिम्मेवारी है जिसमें असफल रहने पर बैंकों को ब्याज लागत और अन्य सामान्य बैंक प्रभारों सहित समस्त ऋण के वापस लेने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा। बैंक द्वारा नियुक्त वास्तुविद भी भवनों के निर्माण के विभिन्न चरणों में अनिवार्य रूप से यह प्रमाणित करेगा कि भवन का निर्माण निश्चित रूप से मंजूर योजना के अनुसार है और किसी खास समय यह भी प्रमाणित करेगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन का समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) से (च) कुछ बैंकों ने बताया है कि वापसी-अदायगी अनुसूची नकदी प्रवाह अनुमान के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसकी आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। परियोजना में खर्च की गई/निवेश की गई राशि के संबंध में सनदी अभियंता तथा सनदी लेखाकार से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात निधियों को अलग-अलग चरणों में जारी किया जाता है। परियोजना के पूरा होने में देरी के मामलों में बैंक आहरणों और वापसी-अदायगी के पुनर्निर्धारण पर विचार करता है। कभी-कभी बैंक वित्त को परियोजना के समापन/कब्जे से पहले भी संपत्तियों के अंतिम खरीदार से संपत्ति का विकास करने वालों द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान/बिक्री आय से समायोजित किया जाता है। इसलिए, हमेशा समापन प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3400. **श्री अधिनाश राय खन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्थापित कर चुकी विदेशी कंपनियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कंपनियां किन-किन राज्यों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोल चुकी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में अपने उद्यम स्थापित करने की इच्छुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) अप्रैल, 2003 से सिम्बर, 2006 तक राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का वर्षवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इसमें स्वत: मार्ग से किए गए निवेशों के साथ-साथ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा अनुमोदन के पश्चात् किए गए निवेश शामिल हैं। एफडीआई अंत:प्रवाहों के राज्यवार अनुमोदनों का ब्यौरा भी पृथक रूप से विवरण-II में दिया गया है। भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के ब्यौरे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी की जाने वाली मासिक "एसआईए समाचार पत्रिका" में प्रकाशित किए जाते हैं। इसका संसद ज्ञानपीठ सहित व्यापक परिचालन किया जाता है। यह डाटा वेबसाईट http://siadipp.nic.in/publication/ pub_mn.stp पर भी उपलब्ध है।

विवरण-I

जनवरी, 2003 से सितम्बर, 2006 तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत:प्रवाह का वित्तीय वर्षवार विवरण

'राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	भा.रि. बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	जन.-दिस. 2003	जन.-दिस. 2004	जन.-दिस. 2005	जन.-दिस. 2006	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	275.99	858.09	723.28	1,675.47	3,532.53
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैण्ड, त्रिपुरा	15.45	20.00	0.00	0.00	35.45
3.	पटना	बिहार, झारखंड	1.13	0.00	0.00	0.60	1.73
4.	अहमदाबाद	गुजरात	1,042.63	688.46	635.21	1,270.00	3,636.30
5.	बंगलौर	कर्नाटक	999.07	1,064.25	1,606.98	1,353.58	5,023.88
6.	कोची	केरल, लक्षद्वीप	44.69	49.55	26.25	40.77	161.26
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	25.71	61.64	53.82	72.54	213.71
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली दमन और द्वीव	1,022.81	3,246.50	2,272.90	6,566.68	13,108.89
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	261.66	103.59	365.26

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जयपुर	राजस्थान	2.14	4.27	2.66	226.40	235.47
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	805.46	366.10	1,096.49	2,210.05	4,478.09
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.00	0.03	15.24	15.27
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	146.79	459.56	405.42	258.79	1,270.56
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	18.12	71.89	377.79	40.26	508.06
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाग	2,104.72	3,303.61	4,297.61	5,293.07	14,999.00
16.	पणजी	गोवा	131.22	79.85	81.40	347.57	640.04
17.	अनिर्दिष्ट राज्य*		2,928.37	4,507.60	7,429.22	8,899.74	23,764.93
		कुल योग	9,564.00	14,781.37	19,276.72	28,374.35	71,990.44

टिप्पणी: (i) इसमें केवल "इक्विटी पूंजी संघटक" शामिल हैं।

(ii) क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत:प्रवाहों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा प्रस्तुत भारतीय रिजर्व बैंक - क्षेत्रवार अंत:प्रवाहों के अनुसार किया जाता है।

(iii) विद्यमान शेयरों के अर्जन के जरिए अंत:प्रवाहों का द्योतक है। इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती।

विवरण-II

सरकार द्वारा अप्रैल, 2003 से सितम्बर, 2006 के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए वित्तीय वर्षवार ब्यौरे का विवरण

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	अप्रैल-मार्च 2003-04		अप्रैल-मार्च 2004-05		अप्रैल-मार्च 2005-06		अप्रैल-मार्च 2006-07		कुल	
		एफआई एन	एफडीआई रुपए में	एफआई एन	एफडीआई रुपए में	एफआई एन	एफडीआई रुपए में	एफआई एन	एफडीआई रुपए में	एफआई एन	एफडीआई रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	107	526.66	78	689.10	25	371.82	6	181.87	216	1,769.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	असम	0	0.00	1	0.40	1	0.51	0	0.00	2	0.91
3.	बिहार	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
4.	गुजरात	52	148.04	35	1,711.81	9	153.05	2	3.30	98	2,016.20
5.	हरियाणा	26	248.29	16	34.07	12	57.54	3	5.49	57	345.40
6.	हिमाचल प्रदेश	1	0.10	2	52.63	1	9.00	0	0.00	4	61.73
7.	कर्नाटक	257	449.41	191	1,099.44	39	917.02	9	3,571.69	496	6,037.57
8.	केरल	31	21.22	11	230.43	6	76.77	1	0.09	49	328.51
9.	मध्य प्रदेश	7	0.44	1	0.05	2	6.00	0	0.00	10	6.49
10.	महाराष्ट्र	361	1,527.34	302	1,579.60	111	3,961.85	19	252.67	793	7,321.46
11.	मणिपुर	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
12.	उड़ीसा	2	0.10	2	6.14	1	0.35	1	192.50	6	199.09
13.	पंजाब	9	465.50	10	690.49	3	19.11	0	0.00	22	1,175.10
14.	राजस्थान	15	28.03	4	4.14	2	0.20	1	0.00	22	32.38
15.	तमिलनाडु	223	815.18	109	348.17	39	261.63	5	173.00	376	1,597.98
16.	त्रिपुरा	2	2.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.41
17.	उत्तर प्रदेश	25	102.32	15	18.44	9	82.48	0	0.00	49	203.24
18.	पश्चिम बंगाल	36	303.45	29	278.23	9	113.66	1	0.00	75	695.34
19.	छत्तीसगढ़	0	0.00	3	200.16	0	0.00	0	0.00	3	200.16
20.	झारखंड	1	0.20	1	2.00	0	0.00	0	0.00	2	2.20
21.	उत्तरांचल	1	0.00	0	0.00	3	28.63	0	0.00	4	28.63
22.	चंडीगढ़	10	5.75	9	127.99	0	0.00	0	0.00	19	133.74
23.	दिल्ली	328	1,163.36	213	1,063.52	71	740.99	13	2,345.75	625	5,313.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	गोवा	39	19.13	39	9.07	3	39.41	0	0.00	81	67.61
25.	पांडिचेरी	8	42.61	2	0.12	0	0.00	0	0.00	10	42.73
26.	दमन और द्वीव	3	0.24	2	5.43	0	0.00	0	0.00	5	5.67
27.	अनिर्दिष्ट राज्य	82	353.73	84	576.27	79	1,750.98	15	627.73	260	3,308.71
	कुल योग	1628	6,223.52	1159	8.727.71	425	8,591.00	76	7,354.09	3288	30,896.32

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऑन लाइन ट्रेडिंग

3401. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विचार कुछेक ऑन लाइन ट्रेडिंग फर्मों के सहयोग से ऑन लाइन ट्रेडिंग आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के चार बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक आफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए शेयरों की आन-लाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी है। सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य बैंक भी आन-लाइन ट्रेडिंग शुरू करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

फर्जी कंपनियों को ऋण

3402. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई प्रतिष्ठित कंपनियां फर्जी नामों पर बैंकों से ऋण ले लेती हैं और उसे समय पर वापस नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए;

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) पिछले एक वर्ष में ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। तथापि, जब कभी ऐसे किसी मामले की सूचना दी जाती है, उसे उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया जाता है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंड निर्धारित किए हैं और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। बैंकों को समय-समय पर सतर्कता ढांचे को सुदृढ़ बनाने और निवारक एवं निषेधक उपाय शुरू करने का परामर्श दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में पता लगाई गई 1 लाख रुपए और इससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। 5 लाख रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ियों में शामिल उधारकर्ताओं के नाम सभी बैंकों में परिचालित किए जाते हैं और उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे उन्हें कोई ऋण सुविधाएं मंजूर करने से पूर्व उसकी गहन जांच करें। धोखाधड़ियों की कार्यशैली भी बैंकों में परिचालित की जाती है ताकि उन्हें ऐसी धोखाधड़ियां किए जाने के संबंध में सतर्क किया जा सके। धोखाधड़ियों के सभी मामलों में, बैंकों को पुलिस/सीबीआई के पास शिकायतें दर्ज कराने, अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली करने का प्रयत्न करने, स्टाफ की जवाबदेही की जांच करने, उसी प्रकार की धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने तथा एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के सभी मामलों को बोर्ड की विशेष समिति द्वारा समीक्षा किए जाने का परामर्श दिया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को समय-समय पर धोखाधड़ी की संभावनाओं वाले सामान्य क्षेत्रों और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श देता रहा है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र

3403. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से और ऊर्जा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) देश के ठंडे क्षेत्रों हेतु शिमला में सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की गई। राज्य सरकार को अपनी निधियों से इस केन्द्र की स्थापना करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में घोटाला

3404. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में अनियमितताओं और घोटाले के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार, द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भवनों का उपयोग

3405. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** वाणिज्यिक उपयोग हेतु भवनों के उपयोग के बारे में दिनांक 19.5.06 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4462 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एनडीएमसी द्वारा अनधिकृत निर्माणों को गिराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गिराए गए अनधिकृत निर्माणों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने यह सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार में रिहायशी क्षेत्र का व्यापक पैमाने पर वाणिज्यिकरण होने का पता नहीं चला है। जिन मामलों में दुरुपयोग का पता चला था, उनमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह बताया है कि अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए संगत कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। गत 2 वर्षों के दौरान 21 परिसरों में अनधिकृत निर्माण गिराए गए हैं। गिराए गए परिसरों की एक सूची संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

की गई कार्रवाई	मामलों की संख्या		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
(i) एनडीएमसी अधिनियम की धारा 252 के अंतर्गत नोटिस तथा न्यायालय में अभियोजन केस दाखिल	11	10	06

1	2	3	4
(ii) एनडीएमसी अधिनियम की धारा 252 के अंतर्गत नोटिस तथा न्यायालय द्वारा अभियोजन केस दाखिल	06	06	शून्य
(iii) एनडीएमसी अधिनियम की धारा 252 के अंतर्गत नोटिस तथा दुरुपयोग हटाने के बाद विभाग द्वारा निर्णय	06	14	04
कुल	23	30	10

विवरण-II

1. फ्लैट सं. 1303 नवरंग हाउस, केजी मार्ग
2. क्वार्टर सं. 7, सिंधिया हाउस, कनॉट प्लेस
3. फ्लैट सं. 205-206 नवरंग हाउस, के.जी. मार्ग
4. सी-11 कनॉट प्लेस की पिछली ओर
5. 21-ए, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस
6. एम-116, कनॉट प्लेस
7. फ्लैट सं.-603, सूर्य किरण बिल्डिंग, के.जी. मार्ग
8. एन-52ए (एन-87) कनॉट प्लेस
9. एल-7बी, कनॉट प्लेस
10. ई-13-29 बेसमेंट, हर्ष भवन, कनॉट प्लेस
11. भूतल-5, बाबर रोड
12. फ्लैट सं. 709, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बाराखंभा रोड
13. एलबी-17, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बाराखंबा रोड
14. एलबी-16, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बराखंबा रोड
15. एलबी-14, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बराखंबा रोड
16. एलबी-19, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बराखंबा रोड
17. अपर बेसमेंट, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बराखंबा रोड
18. लोवर बेसमेंट, इन्दर प्रकाश बिल्डिंग, बराखंबा रोड
19. फ्लैट सं. 418, अंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग
20. फ्लैट सं. 15, खान मार्किट
21. फ्लैट सं. 17, खान मार्किट

कृषि आय पर कर

3406. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब के संगरूर जिले के किसानों की कृषि भूमि पर कर लगाए जाने के कारण उनकी दुर्दशा के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का पंजाब के किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को किस तरह से दूर करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) पंजाब के संगरूर जिले में किसानों की कृषि भूमि पर केन्द्रीय आयकर के उद्ग्रहण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वस्तुत: कृषि आय को केन्द्रीय आयकर से छूट प्राप्त है। विनिर्दिष्ट शहरी सीमा से परे स्थित कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत अधिलाभ को भी केन्द्रीय आयकर से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, विनिर्दिष्ट शहरी सीमा के भीतर स्थित कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत अधिलाभ को भी केन्द्रीय आयकर से छूट प्राप्त है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पैन कार्ड संबंधी प्रक्रिया

3407. सुश्री इन्फ्राड मैक्लोड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैन कार्ड सेवाओं को यू टी एस एल और एन एस

डी एल को आउटसोर्स करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैन कार्ड आवेदकों तक सुरक्षित रूप से पहुंच रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) इनका संबंध पैन कार्डों की प्राप्ति न होने से है।

(ग) और (घ) जी, हां। ज्यादातर मामलों में आवेदकों के पास पैन कार्ड सुरक्षित रूप से पहुंच रहे हैं। तथा, कुछ मामलों में पैन कार्ड आवेदन पत्र में दिए गए पते से बिना वितरित हुए वापस आ जाते हैं। ऐसे मामलों में जब आवेदक कार्ड के प्राप्त न होने की सूचना देते हैं, पैन कार्डों को पुन: प्रेषित कर दिया जाता है।

मधुमेह रोगियों के लिए एलआईसी योजना

3408. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री ए. साई प्रताप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा क्षेत्र में कार्य कर रही कुछ निजी कंपनियों ने मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बीमा योजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार इसी तरह की योजनाएं शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि, उन्होंने आईसीआईसीआई प्रुडैन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 'डायबिटिक केयर' (नाजुक बीमारी) और 'डायबिटिक केयर प्लस' (नाजुक बीमारी) नामक दो उत्पादों को मंजूरी दी है।

(ख) आईआरडीए को मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बीमा योजनाएं प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या अन्य किसी जीवन बीमा कंपनी से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि वह भविष्य में इस प्रकार के उत्पादों को प्रस्तुत करने पर विचार कर सकता है।

आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण

3409. **श्री रामदास आठवले :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुडको द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को कितनी आवास ऋण पृथक-पृथक प्रदान किया गया है;

(ख) इससे राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के अनुसूचित जनजाति और कमजोर तबकों को कितना आवास ऋण स्वीकृत किया गया है;

(घ) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास ऋण के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा जनजातीय क्षेत्रों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के लिए, विगत 3 वर्षों में जारी परियोजना ऋणों की कुल राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

2003-04		2004-05		2005-06	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-शहरी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-शहरी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-शहरी
590.91	203.08	2002.50	270.54	48.00	171.18

ऊपर स्वीकृत ऋणों से विगत 3 वर्षों में लाभान्वित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या निम्नलिखित है:-

आवासीय यूनिटों की सं.

वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-शहरी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-शहरी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-शहरी
4873.13	181988	864857	225230	7600	175046

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वीकृत ऋण की राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

नौवीं पंचवर्षीय योजना

1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
351.26	1953.99	2138.81	1585.28	1013.86	7041.20

दसवीं पंचवर्षीय योजना

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 31.10.06 तक	कुल 31.10.06 तक
775.67	797.76	2273.07	219.18	151.07	4216.72

ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विगत 3 वर्षों में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) दिनांक 31.10.2006 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुडको द्वारा जारी आवासीय यूनिटों की राज्यवार संचयी स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

दिनांक 31.3.2004 के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यवार निष्पादन रिपोर्ट

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण	जारी धनराशि	प्राप्त वापसी भुगतान	आवासीय यूनिट								प्लॉट	सफाई यूनिट
							ईडब्ल्यूएस (आई)	ईडब्ल्यूएस (आई)	एलआईजी	एमआईजी	एसआईजी/किराया	उन्नयन	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अन्य : बुनियादी सफाई, आईएलसीएस तथा रैन बसेरा और भुगतान आधारित शौचालय शामिल नहीं हैं।																
राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	38	2192.93	1467.74	579.93	157.44	200079	19066	0	0	2385	0	2	221532	1216	1500000
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	8.51	7.63	0.30	0.00	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
3.	असम	10	70.32	46.76	18.09	33.81	0	1111	561	78	24	0	3	1777	0	0
4.	बिहार	1	2.05	0.00	0.00	0.71	0	512	0	0	0	0	0	512	0	0
5.	छत्तीसगढ़	11	184.32	66.42	16.41	8.80	0	10100	0	0	84	0	10250	20434	0	15822
6.	दिल्ली	4	229.75	90.18	32.72	5.04	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
7.	गोवा	3	232.34	137.00	35.70	7.66	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0
8.	गुजरात	14	4204.05	906.14	54.37	215.51	0	9259	0	0	0	0	2	9261	0	1756
9.	हिमाचल प्रदेश	9	2127.28	745.67	131.35	14.89	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	हरियाणा	0	0.00	0.00	141.34	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	2	90.27	46.57	0.00	4.63	0	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0
12.	जम्मू व कश्मीर	6	4020.66	310.25	0.00	0.42	0	894	0	0	0	0	0	894	0	276
13.	केरल	7	365.33	250.02	108.15	106.82	15750	10586	0	0	0	0	0	26336	0	0
14.	कर्नाटक	57	5218.74	2471.97	1114.78	946.62	265234	43122	293	577	205	233167	219	542817	3400	0
15.	मेघालय	3	153.44	112.40	32.90	363.34	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
16.	महाराष्ट्र	24	10282.69	1964.17	1454.62	222.53	0	33588	0	0	554	0	1	34143	0	7615
17.	मणिपुर	4	24.05	10.00	8.12	2.70	0	940	601	66	0	0	0	1607	0	3860
18.	मध्य प्रदेश	27	615.56	408.53	136.34	27.50	0	1983	211	50	91	0	8	2343	12	0
19.	मिजोरम	3	6.38	5.01	5.18	1.13	0	115	108	57	0	0	0	280	148	0
20.	नागालैंड	16	66.90	49.26	48.67	21.67	0	603	16	8	40	0	16	683	2	0
21.	उड़ीसा	13	642.77	631.70	311.67	20.23	6250	377	0	0	0	0	0	6627	0	0
22.	पंजाब	6	24.54	18.28	15.19	16.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	12	3257.51	873.96	432.53	80.92	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0
24.	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	30	844.55	535.85	486.24	223.85	0	11314	0	0	712	55115	251	67392	0	0
26.	त्रिपुरा	2	4.84	0.00	5.00	0.66	0	1076	0	0	0	0	0	1076	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27.	उत्तरांचल	9	248.44	186.85	46.83	2.91	0	2085	0	0	50	0	2	2137	2	30
28.	उत्तर प्रदेश	23	478.38	929.12	240.21	142.74	0	9709	0	145	0	0	3	9857	1062	0
29.	पश्चिम बंगाल	22	1602.16	1011.79	525.79	130.70	0	4340	0	0	823	0	2	5165	0	2034
	संघ शासित प्रदेश															
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00	0.00	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	पांडिचेरी	2	4.97	1.50	1.35	0.16	0	408	0	49	0	0	0	457	0	80
	कुल	364	38203.58	13284.78	5983.77	2794.99	487313	181988	1790	1030	4968	288282	10797	976168	5842	1531478

झुडको निवास सहित कुल संस्वीकृति

ऋण राशि : 13413.54 करोड़

जारी धनराशि : 6147.45 करोड़

आवासीय यूनिट : 969883

दिनांक 31.3.2004 के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यवार निष्पादन रिपोर्ट

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण	जारी धनराशि	प्राप्त वापसी भुगतान	आवासीय यूनिट								प्लॉट	सफाई यूनिट
							ईडब्ल्यूएस (आई)	ईडब्ल्यूएस (आई)	एलआईजी	एमआईजी	एसआईजी/किराया	उन्नयन	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अन्य : बुनियादी सफाई, आईएलसीएस तथा रैन बसेरा और भुगतान आधारित शौचालय शामिल नहीं हैं।																
राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	24	2611.19	1658.28	786.92	434.08	66857	23732	0	0	664	0	210	91483	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	6.51	5.50	1.95	0.00	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0
3.	असम	18	156.10	93.73	24.71	12.31	0	81	616	568	96	0	44	1405	0	0
4.	बिहार	2	1403.07	1251.70	0.93	12.41	500000	0	0	0	0	0	1	500001	0	0
5.	छत्तीसगढ़	10	287.47	143.48	22.54	12.24	0	0	10000	0	178	0	22	10200	0	0
6.	दिल्ली	3	107.47	72.70	158.85	78.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	1	59.00	50.00	79.90	37.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	10	6486.36	1268.63	21.66	285.60	0	793	0	0	0	0	52	845	0	514
9.	हिमाचल प्रदेश	5	138.23	119.24	109.88	27.32	0	0	0	0	32	0	0	32	58	0
10.	हरियाणा	2	60.51	33.97	86.75	34.73	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	झारखंड	3	696.74	600.55	150.00	0.00	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
12.	जम्मू व कश्मीर	4	35.12	15.47	0.00	1.18	0	1032	0	0	144	0	0	1176	0	0
13.	केरल	5	206.40	152.43	13.71	79.07	0	7698	7280	0	0	0	1	14979	0	0
14.	कर्नाटक	30	5639.97	1300.43	515.18	1056.24	83000	51455	0	0	3050	0	9	137514	0	0
15.	मेघालय	1	20.57	10.00	33.11	8.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	38	30457.66	3308.50	1478.15	206.01	0	38031	0	0	870	0	64	38965	0	17133
17.	मणिपुर	1	1.14	0.00	0.00	0.70	0	253	0	0	0	0	0	253	0	0
18.	मध्य प्रदेश	35	1657.53	1271.23	1105.26	383.96	0	6839	0	325	875	0	156	8195	438	80
19.	मिजोरम	1	5.78	5.00	5.62	2.21	0	0	327	0	0	0	0	327	0	0
20.	नागालैंड	25	117.65	84.26	65.17	11.31	0	240	0	0	195	0	2	437	0	48
21.	उड़ीसा	14	581.90	452.03	7.84	50.48	15000	202	0	0	108	0	4	15314	0	0
22.	पंजाब	0	0.00	0.00	7.31	23.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	राजस्थान	5	288.98	198.64	226.31	88.41	0	12335	0	0	0	0	0	12335	7306	0
24.	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	22	2146.08	477.06	162.25	949.19	0	67559	0	0	64	0	0	67623	0	1605
26.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	5.45	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	6	58.91	34.16	19.53	3.74	0	1806	0	0	0	0	41	1847	0	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.	उत्तर प्रदेश	16	1049.04	694.61	532.02	133.75	0	8629	0	0	700	0	26	9355	7669	155
29.	पश्चिम बंगाल	27	747.59	466.32	212.20	208.77	0	3642	0	36	1120	0	1	4799	287	8678
	संघ शासित प्रदेश															
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	6.18	4.00	1.17	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	पांडिचेरी	3	20.06	12.45	12.45	0.16	0	903	0	0	0	0	0	903	0	0
	कुल	317	55052.62	13784.35	5846.80	4153.26	864857	225230	18223	929	8136	0	635	1118010	15758	28293

हुडको निवास सहित कुल संक्षीकृति

ऋण राशि : 13862.21 करोड़

जारी धनराशि : 5919.89 करोड़

आवासीय यूनिट : 1119742

दिनांक 31.3.2004 के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार निष्पादन रिपोर्ट

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण	जारी धनराशि	आवासीय यूनिट								प्लॉट	सफाई यूनिट
						ईडब्ल्यूएस (आई)	ईडब्ल्यूएस (आई)	एलआई जी	एमआई जी	एसआई जी/किराया	उन्नयन	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अन्य : बुनियादी सफाई, आईएलसीएस तथा रैन बसेरा और भुगतान आधारित शौचालय शामिल नहीं हैं।															
राज्य															
1.	आंध्र प्रदेश	19	2615.23	2062.20	535.98	0	40652	0	0	72	0	0	40724	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.65	1.32	1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	10	132.73	59.87	42.39	0	0	0	0	730	0	5	735	0	0
4.	बिहार	10	16.84	10.00	8.43	0	150	0	0	8	0	60	218	0	0
5.	छत्तीसगढ़	14	1573.59	403.23	32.05	0	1333	2000	30	441	0	31	3835	0	0
6.	दिल्ली	1	102.07	55.00	94.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	1	25.63	17.00	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	12	15442.04	1100.40	711.78	0	2044	0	0	66	0	5	2115	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	5751.06	634.98	29.16	0	0	0	0	0	0	57	57	0	0
10.	हरियाणा	1	225.51	100.00	33.99	0	0	0	0	0	0	0	0	1368	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	झारखंड	6	87.00	59.29	400.36	7600	3118	0	0	96	0	0	10812	0	0
12.	जम्मू व कश्मीर	1	18.57	12.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	5	230.24	106.48	3.00	0	31315	0	0	0	0	0	31315	0	0
14.	कर्नाटक	10	5375.56	996.59	246.24	0	73000	0	0	0	0	0	73000	0	3000
15.	मेघालय	2	17.02	8.88	11.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	31	1933.51	814.62	292.15	0	19504	0	0	1194	0	303	21001	0	960
17.	मणिपुर	1	1.26	0.00	0.00	0	280	0	0	0	0	0	280	0	0
18.	मध्य प्रदेश	18	12980.45	1039.30	254.66	0	2048	0	0	369	0	62	2479	0	0
19.	मिजोरम	6	80.49	37.77	27.00	0	0	110	260	0	0	0	370	0	0
20.	नागालैंड	21	102.79	78.05	74.80	0	530	71	29	148	0	19	797	0	0
21.	उड़ीसा	5	2153.70	398.00	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	3	80.21	38.01	27.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
23.	राजस्थान	4	851.86	649.30	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	813	0
24.	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	6	51.83	30.07	328.68	0	0	0	0	184	0	0	184	0	0
26.	त्रिपुरा	2	121.04	54.00	9.29	0	215	0	0	0	0	0	215	0	0
27.	उत्तरांचल	5	98.47	48.36	21.66	0	0	0	0	720	0	0	720	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	उत्तर प्रदेश	9	916.14	456.80	263.41	0	0	0	0	503	0	0	503	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	14	402.66	214.62	22.15	0	859	0	0	996	0	111	1966	0	0
	संघ शासित प्रदेश														
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	1	0.73	0.35	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	1	615.42	553.88	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	224	52005.07	10040.38	3713.43	7600	175046	2181	319	5527	0	653	191326	2181	3990

*30.11.2005 को ऋण लेखा विंग से उपलब्ध वापसी भुगतान आंकड़ों की स्थिति।

झुडको निवास सहित कुल संस्वीकृति

ऋण राशि : 10098.23 करोड़

जारी धनराशि : 3765.69 करोड़

आवासीय यूनिट : 192197

विवरण-II

दिनांक 31.10.2006 को नौवीं दसवीं योजना के लिए संस्वीकृत वर्षवार ऋण/आवासीय यूनिट

वर्ष	संस्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	आवासीय
	ईडब्ल्यूएस	ईडब्ल्यूएस
1997-1998	351.26	3068.2
1998-1999	1953.99	1704586
1999-2000	2136.81	1398343
2000-2001	1585.28	2709115
2001-2002	1013.86	621250
कुल	7041.2	6740096
2002-2003	775.67	631768
2003-2004	797.76	724416
2004-2005	2273.04	1090087
2005-2006	219.18	182646
2006-2007 (31 अक्टूबर, 2006 तक)	151.07	830.24

विवरण-III

दिनांक 31.10.2006 को संस्वीकृत राज्यवार आवासीय यूनिट

क्र.सं.	राज्य	ईडब्ल्यूएस
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2379801
2.	अरुणाचल प्रदेश	1600
3.	असम	37987
4.	बिहार	72421
5.	छत्तीसगढ़	27624
6.	दिल्ली	7045
7.	गोवा	5369
8.	गुजरात	417541
9.	हिमाचल प्रदेश	66003
10.	हरियाणा	46910
11.	झारखंड	264094
12.	जम्मू एवं कश्मीर	20043
13.	केरल	1057346
14.	कर्नाटक	1659097
15.	मेघालय	9239
16.	महाराष्ट्र	288326
17.	मणिपुर	4214
18.	मध्य प्रदेश	67944
19.	मिजोरम	6493
20.	नागालैंड	4621
21.	उड़ीसा	221824
22.	पंजाब	85221
23.	राजस्थान	141056
24.	सिक्किम	6650
25.	तमिलनाडु	1147952

1	2	3
26.	त्रिपुरा	6288
27.	उत्तरांचल	51088
28.	उत्तर प्रदेश	497478
29.	पश्चिम बंगाल	3079678
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	28
31.	चंडीगढ़	6955
32.	दादरा एवं नगर हवेली	45
33.	पांडिचेरी	2740
	कुल	11690721

सॉफ्टवेयर कम्पनियों को आयकर छूट

3410. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के साथ पंजीकृत सॉफ्टवेयर कम्पनियों को आयकर छूट प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्र को भी इसी तरह की सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 10 क लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए किसी उपक्रम के द्वारा सामान अथवा वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त ऐसे लाभों तथा अभिलाभों की कटौती का प्रावधान करता है। यह कटौती अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे किसी उपक्रम को उपलब्ध है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से एवं इसके आगे सामान अथवा वस्तुओं अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण अथवा उत्पादन प्रारम्भ करता है जो इस अल्पकालिक खण्ड के अनुसार होगा कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के पश्चात् कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमरीका के साथ कोल फायर्ड इमिशन फ्री पावर प्रोजेक्ट संबंधी समझौता

3411. **श्री रशीद मसूद :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका के "कोल फायर्ड इमिशन फ्री पावर प्रोजेक्ट" (फ्यूचर जेन) में भागीदारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) भारत ने 3 अप्रैल, 2006 को संयुक्त राष्ट्र अमेरीका द्वारा प्रारंभ फ्यूचर जेन परियोजना की सहभागिता पर, सार्वजनिक-निजी भागेदारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरीका के साथ फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 950 मिलियन अमेरिकी डालर की परियोजना है। भारत पांच वर्ष की अवधि में देय 10 मिलियन अमेरीकी डालर का अंशदान करेगा। फ्यूचर जेन संयंत्र को 275 मेगावाट दक्षता के साथ प्रचालित करने की योजना है जिससे विद्युत एवं हाइड्रोजन दोनों का उत्पादन होगा। इस में कंबाईंड विद्युत उत्पादन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण करने एवं पृथक्करण करने के साथ संयोजित एकीकृत उन्नत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। 10(दस)

वर्ष की समय-अवधि में प्रथम कोल-फायर्ड एमिशन-फ्री पावर प्लांट का डिजाइन, परीक्षण एवं विकास करना परियोजना का लक्ष्य है।

फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल में भारत को इसके 10 मिलियन अमेरीकी डालर के अंशदान को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर जेन गवर्नमेंट स्टीयरिंग कमेटी में पूर्ण सदस्यता का अधिकार दिया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी जेनरेटर्स तथा कोयला उत्पादों के संघ द्वारा किया जा रहा है। संघ को कार्य क्षेत्र डिजाईन संबंधी उद्देश्य, परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा मूल्यांकन से संबंधित मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। भारत ने परियोजना सुविधा और परियोजना से संबंधित रिपोर्टों तथा अन्य सूचनाओं तक अपनी पहुंच प्राप्त कर ली है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

3412. **श्री सर्वे सत्यनाराय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगर अवसंरचना में निवेश हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक की क्या भूमिका और जिम्मेदारी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) भूमिका और उत्तरदायित्व राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गयी परियोजनाओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बीमा क्षेत्र में बैंक

3413. **श्री तूफानी सरोज** :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों का भारत तथा अन्य देशों में बीमा बाजार में प्रवेश करने के लिए विदेशों की प्रमुख बीमा कंपनियों के साथ समझौता करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी भागीदारी से बीमा कारोबार में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुमोदन प्रदान किया है:-

क्रम सं.	बैंक/बीमा कंपनी का नाम	विदेशी भागीदार का नाम	आरबीआई द्वारा अनुमोदन देने की तारीख
1.	पंजाब नेशनल बैंक (30%) का विजया बैंक (19%) के साथ बीमा ब्रोकिंग संयुक्त उद्यम	यूएसए का प्रधान वित्तीय समूह (26%)	20.01.2005
2.	पंजाब नेशनल बैंक (30%) का विजया बैंक (12%) के साथ बीमा संयुक्त उद्यम	यूएसए का प्रधान वित्तीय समूह (26%)	01.02.2006
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक (19%) के साथ इलाहाबाद बैंक-साधारण बीमा संयुक्त उद्यम (30%)	मै. सोम्पो जापान (26%)	22.03.2006

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संयुक्त उद्यम के भागीदारों की इक्विटी भागीदारी दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

करदाताओं का ब्यौरा इंटरनेट पर डालना

3414. श्री राघापति सांबासिवा राव :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग का करदाताओं का ब्यौरा इंटरनेट पर डालने को कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुनामी के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग

3415. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका के आतंकवाद संबंधी विशेषज्ञों से सुनामी के लिए दी गई धनराशि को आतंकवादियों के हाथों में कथित रूप से हस्तांतरित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पैन के लिए लंबित आवेदन

3416. श्री रेवती रमन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थाई खाता संख्या (पैन) के लिए कई आवेदन काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) दिनांक 30.11.2006 की स्थिति के अनुसार कुल 1,74,857 पैन आवेदन लंबित थे। उनका ब्यौरा निम्नवत है:-

वित्त वर्ष	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
2003-04	29,018
2004-05	19,222
2005-06	26,519
2006-07 (30.11.06 तक)	1,00,098
योग	1,74,857

(ग) उस मामले में जहां पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होता है, वहां आमतौर पर पैन 15 दिन में जारी कर दिया जाता है। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण ही पुराने आवेदन पत्र लंबित हैं जिन्हें आवेदकों ने सुधारा नहीं है।

(घ) पैन आवेदन पत्रों में उक्त कमियों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:-

(i) पैन सेवा प्रदाता त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदकों को सूचित करते हैं;

(ii) सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइट पर आवेदन पत्रों की स्थिति प्रदर्शित की जाती है;

(iii) पैन आवेदन पत्रों की स्थिति के बारे में एक काल सेंटर की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति

3417. **श्रीमती नीता पटैरिया :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण पेयजल योजना को पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। स्वजलधारा योजना दिसंबर, 2002 को शुरू की गई थी जिसमें ग्राम/ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं या प्रयोक्ता समूहों, जो भागीदारीपूर्ण, मांग आधारित दृष्टिकोण वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के सिद्धांतों से सहमत हैं और इनके लिए आगे आते हैं, द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। इन परियोजनाओं से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि लोगों को उनकी रुचि के हिसाब से सेवा का स्तर मिलता है और वे पूंजी लागत का आंशिक रूप से तथा संचालन एवं रख-रखाव के लिए पूरी तरह से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, संचालन एवं रख-रखाव तथा प्रतिस्थापन मूल्यों की पूरी लागत वसूली से स्वामित्व की भावना उत्पन्न होने तथा योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता एवं उपयुक्तता सुनिश्चित होने की संभावना है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) निधियों की 20% तक निधियां वार्षिक रूप से स्वजलधारा योजना के लिए आंबटित की जा सकती हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में, केंद्र की ओर से सभी राज्यों को वर्ष के लिए निर्धारित अंतर-राज्य एआरडब्ल्यूएसपी आबंटन अनुपात के आधार पर स्वजलधारा योजना के अंतर्गत निधियां आबंटित की जाती हैं। तब राज्य, जिला-वार आबंटन करते हैं और जिला जल एवं स्वच्छता समिति/राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करते हैं और उन्हें स्वजलधारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुमोदित करते हैं।

स्वजलधारा के निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:-

- मांग आधारित और समुदायिक भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण।
- सभी पेयजल योजनाओं का नियोजन, कार्यान्वयन, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन पंचायतों/समुदाय द्वारा किया जाएगा।
- प्रयोक्ताओं द्वारा पूंजी लागत वहन और शत-प्रतिशत परिचालन तथा अनुरक्षण लागत का वहन। प्रयोक्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली पूंजी लागत का अनुपात सेवा संबंधी मांग में वृद्धि के समानुपातिक बढ़ना चाहिए। सामुदायिक अंशदान, अनु.जाति/अनु.ज.जाति को छोड़कर, जहां यह सिर्फ वस्तु के रूप में हो सकता है, नकद अथवा वस्तु (श्रम, भूमि अथवा सामग्री) के रूप में हो सकता है।
- ग्राम पंचायतों के पास पेयजल परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व।
- प्रयोक्ताओं/पंचायतों द्वारा पूर्ण संचालन एवं रख-रखाव।
- योजना पूरी होने के बाद, इसे ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत/ग्राम जल और स्वच्छता समिति/लाभार्थी समूह द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इसके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेवारी ली जाएगी।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

3418. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
श्री अशोक अर्गल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1991 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के मानदण्ड को 20 हजार से बदल कर 50 हजार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की तरह त्वरित शहरी सीवरेज कार्यक्रम कार्यान्वित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी सीवरेज कार्यक्रम

तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम, हुडको तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ इस मामले पर बातचीत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) का विलय हाल ही में शुरू की गई छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना में कर दिया गया है जिसमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत शामिल नहीं किए गए शहरों/कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी इत्यादि सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परिकल्पना की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। त्वरित शहरी सीवरेज कार्यक्रम नामक कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

3419. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना हेतु इटली के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इटली सरकार के पर्यावरण एवं राज्य क्षेत्र मंत्रालय के बीच भारत-इटली अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम पर समझौते के लिए एक प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ नई और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावों को सुगमता प्रदान करना है।

आयकर छापे

3420. श्री सीताराम सिंह :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली, फरीदाबाद तथा चंडीगढ़ में आयकर संबंधी छापे मारे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 2006-07 (01.12.2006 तक) के दौरान आयकर विभाग द्वारा दिल्ली, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाइयों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

	निष्पन्न तलाशी वारंटों की संख्या	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में)
दिल्ली	200	2241.73
चंडीगढ़	55	258.20
फरीदाबाद	50	274.43

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले तथा गैस की कमी

3421. श्री महावीर भगोरा :
श्री रनेन बर्मन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले तथा गैस की मांग तथा आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या संबद्ध कंपनियां विभिन्न विद्युत संयंत्रों की कोयले तथा गैस आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले तथा गैस की कमी का सामना कर रही विद्युत परियोजनाओं को अपनी आवश्यकतानुसार कोयले तथा गैस का आयात करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की कोयले तथा गैस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) अप्रैल से अक्टूबर, 2006 तक की अवधि में राज्य-वार रूप से कोयला-आधारित ताप विद्युत केन्द्रों को प्रदत्त कोल लिंकेज एवं कोयले की प्राप्ति तथा राज्य-वार रूप से गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति की गई गैस का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

जहां विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति में काफी कमी आई है, वहीं संयंत्रों को घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्ति में केवल मामूली कमी दर्ज की गई है।

(ग) और (घ) कोयला और गैस के आयात के लिए विद्युत यूटिलिटियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू कोयले की मांग एवं आपूर्ति तथा विद्युत केन्द्रों पर पर्याप्त कोयला भंडार बनाने के लिए देश की विद्युत यूटिलिटियों को वर्ष 2006-07 के दौरान 20 मिलियन टन कोयले का आयात करने की सलाह दी गई थी। स्वदेशी गैस की मांग एवं उपलब्धता के अंतर को दूर करने के लिए कुछ विद्युत यूटीलिटी घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं से रिगैसीफाइड तरल प्राकृतिक गैस प्राप्त कर रहे हैं, जो एलएनजी का आयात कर इसे रिगैसिफिकेशन के बाद उन्हें आपूर्ति कर रहे हैं।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि वर्ष 2006-07 के दौरान देश में स्थित विद्युत संयंत्रों को कोयला और गैस की पर्याप्त आपूर्ति हो।

(i) कोयला:-

- ताप विद्युत केन्द्रों को होनेवाली विद्युत आपूर्ति की स्थिति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय में दैनिक आधार पर गहनता से मॉनीटरिंग की जाती है।
- कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली अवसंरचनात्मक बाधा समीक्षा समिति की उप-समूह, जिसमें विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेल मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर ताप विद्युत केन्द्रों को होने वाली कोयला आपूर्ति की समस्याओं की समीक्षा एवं समाधान करती है।
- मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में अवसंरचनात्मक बाधा समीक्षा समिति प्रत्येक माह कोयला उत्पादन तथा विद्युत केन्द्रों को होने वाली कोयला आपूर्ति की समीक्षा करती है।
- विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैप्टिव माइनिंग हेतु विद्युत उत्पादकों/यूटीलिटियों को कोयला मंत्रालय द्वारा नए कोल ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं।

(ii) गैस:-

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विद्युत केन्द्रों में गैस उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई इंगित की है:-

- मौजूदा घरेलू गैस फील्ड्स/वेल्स से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि।
- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत देश के विभिन्न अपरदार स्रोत आधार में अन्वेषण एवं उत्पादन कार्य के लिए गैस ब्लॉक सौंपकर घरेलू स्रोतों से गैस उपलब्धता बढ़ाना।
- तरल प्राकृतिक गैस से गैस के आयात को बढ़ावा तथा अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजनाओं के जरिए गैस के आयात हेतु प्रयास।
- कोल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों को खोजने एवं पैदा करने के लिए सरकार ने देश में सीबीएम की खोज एवं उत्पादन के लिए

आकर्षक राजस्वीय एवं संविदात्मक ढांचा प्रदान करने के लिए एक कोल बेड मीथेन नीति तैयार की है।

विवरण-I

अप्रैल-अक्टूबर, 2006 से टीपीएस के लिए राज्य-वार कोल लिंकेज एवं प्राप्ति

क्र. सं.	टीपीएस का नाम	लिंकेज (हजार टन में)	स्वदेशी प्राप्ति (हजार टन में)
1.	दिल्ली	3315	2782
2.	हरियाणा	5270	3937
3.	पंजाब	5595	5162
4.	राजस्थान	7725	6701
5.	उत्तर प्रदेश	28521	26347
6.	गुजरात	10150	9136
7.	मध्य प्रदेश	14730	13272
8.	छत्तीसगढ़	10720	10066
9.	महाराष्ट्र	19995	18521
10.	आंध्र प्रदेश	20840	18367
11.	कर्नाटक	5255	4016
12.	तमिलनाडु	7720	7156
13.	बिहार	3960	2867
14.	झारखंड	4975	3413
15.	पश्चिम बंगाल	21660	17472
16.	उड़ीसा	13910	12218
	कुल अखिल भारत	184341	161433

विवरण-II

90% पीएलएफ पर राज्य-वार गैस उपलब्धता तथा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की गैस खपत

31 अक्टूबर, 2006 के स्थिति अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी)	वास्तविक गैस आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	दिल्ली	2.94	2.48
2.	हरियाणा	2.06	1.49
3.	राजस्थान	2.53	2.09
4.	उत्तर प्रदेश	7.05	4.95
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)	14.58	11.01
	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	गुजरात	16.21	11.03
2.	महाराष्ट्र	5.24	3.42
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	21.45	14.45
	दक्षिणी क्षेत्र		
1.	आंध्र प्रदेश	8.82	3.12
2.	पांडिचेरी	0.16	0.18
3.	तमिलनाडु	3.98	1.78
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	12.96	5.08
	पूर्वोत्तर क्षेत्र		
1.	असम	3.00	2.42

1	2	3	4
2.	त्रिपुरा	1.47	1.32
	कुल (पूर्वोत्तर)	4.47	3.74
	सकल योग	53.46	34.28

*गैस की सी. वी. = 9000 के. कैल/एम पर नियामक गैस आवश्यकता

- 2900 के.कैल/के.डब्ल्यू.एच. ओपन साइकल हेतु तथा क्लोज साइकल के लिए 2000 के.कैल/के.डब्ल्यू.एच.

[अनुवाद]

डीडीए प्लॉटों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से स्वीकृति

3422. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री गणेश प्रसाद सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बड़ी संख्या के प्लॉट धारक [जो कि सहकारी आवास सोसाइटी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित किए गए हैं] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं नियम, 1959 के तहत प्लॉटों पर निर्माण हेतु लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने वाले कुछ प्लॉट धारकों को अनुमति नहीं दी गयी है, क्योंकि जांच करने पर उनके प्लॉट केन्द्रीय परिरक्षित संस्मारकों वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित पाये गये।

(ग) यह मामला उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

घड़ियों पर शुल्क को तर्कसंगत बनाना

3423. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में घड़ियों/उनके पुर्जों की तस्करी/अवैध रूप से आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ होरोलॉजिकल इंडस्ट्रीज (ए आई एफ एच आई) ने सरकार से घड़ियों के पुर्जों पर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तस्करी की जब्त घड़ियों/पुर्जों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	जब्त माल का मूल्य (करोड़ रु. में)
2003-2004	2.87
2004-2005	4.00
2005-2006	1.97

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को घड़ी और घड़ी के पुर्जों की तस्करी रोकने और उसे विफल करने के लिए सतर्क रहने हेतु पर्याप्त रूप से चौकन्ना कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। मंत्रालय को हाल ही में अखिल भारतीय घड़ी साज उद्योग संघ से घड़ी और उसके पुर्जों पर शुल्क को तर्कसंगत बनाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उक्त अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

शिक्षा पर उपकर

3424. श्री एम. अप्पादुरई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा पर उपकर को हटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगातार मांगें की जाती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार को शिक्षा उपकर को हटाने के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों और चेम्बर्स जैसे आंध्र वाणिज्य चेम्बर, कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग चेम्बर संघ (बंगलोर), एसोचेम (उत्तर प्रदेश), आयकर करदाता संगठन (नई दिल्ली), बम्बई वाणिज्य और उद्योग चेम्बर, अखिल भारतीय उद्योग संघ (मुम्बई) आदि से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) ऐसे अभ्यावेदनों को बजट अभ्यास के भाग के रूप में जांचा जाता है और सरकार के निर्णय वित्त विधेयक में दिखाई देते हैं।

पोत भंजन पर सीमा शुल्क में कमी

3425. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री हरिन पाठक :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु की खुरचन (स्क्रैप) के लिए पोत भंजन पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की वर्तमान दर पड़ोसी देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश तथा चीन में धातु की खुरचन (स्क्रैप) पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को पोत भंजन/पुनर्चक्रण पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क को कम करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पोत भंजन पर बुनियादी सीमा शुल्क 5% है। विश्व व्यापार संगठन के समेकित आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में पोत भंजन पर सीमा शुल्क दर प्रति हल्के विस्थापन टनेज अथवा एल टी डी 1000 बांग्लादेशी टाका (चालू मूल्यों के आधार पर यथामूल्य दृष्टिकोण से लगभग 3.7%) है। पाकिस्तान में सीमा शुल्क दर 5% है, जबकि चीन में दर 3% है। इस प्रकार पोत भंजन के लिए पोतों के आयात के लिए भारत में सीमा शुल्क दर पड़ोसी देशों में इसकी दर से काफी अधिक नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें पोतभंजन के लिए आयातित पोतों पर सीमा शुल्क में कटौती का अनुरोध किया गया है। सभी महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखकर सरकार ने पोतभंजन के लिए आयातित पोतों पर सीमा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है।

समलकोट विद्युत स्टेशन हेतु गैस की कमी

3326. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में समलकोट कम्बाइंड साइकल पावर स्टेशन के संचालन हेतु गैस की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां, गेल इंडिया लिमिटिड ने सूचित किया है कि मै. रिलायन्स एनर्जी, समलकोट, आंध्र प्रदेश की समलकोट कम्बाइंड साइकल पावर स्टेशन (सीसीपीपी) को वर्तमान आपूर्ति 1.0 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) (0.64 एमएमएससीएमडी) फर्म + 0.36 एमएमएससीएमडी फाल बैक) के आबंटन की तुलना में लगभग 0.56 (एमएमएससीएमडी) है।

(ख) गेल इंडिया लिमिटेड ने यह भी सूचित किया है कि कम उपलब्धता के कारण कृष्णा गोदावरी बेसिन में वर्तमान गैस आपूर्ति 16.36 एमएमएससीएमडी के कुल आबंटन की तुलना में लगभग 6.20 एमएमएससीएमडी है और समस्त उपलब्ध विद्युत की आपूर्ति आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के आधार पर वर्तमान ग्राहकों को की जा रही है।

(ग) कम होते हुए घरेलू गैस आपूर्ति स्रोतों को ध्यान में रखते हुए न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेन्सिंग पालिसी (एनईएलपी) स्रोतों से प्राकृतिक गैस घरेलू उपलब्धता में वृद्धि के माध्यम से क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए गेल इंडिया लिमिटिड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए भूमि का आबंटन

3427. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया को अपने कार्यकलाप जारी रखने के लिए बहादुरशाह जफर मार्ग पर प्रेस क्षेत्र में भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इन मीडिया एजेंसियों ने ऐसी भूमि पर बहुमंजिला वाणिज्यिक भवनों का निर्माण किया है और इन्हें वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए दूसरों को किराए पर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भूमि के आबंटन हेतु निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं है; और

(ङ) ऐसे उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया को कोई आबंटन नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) जी, हां। अनधिकृत निर्माणों और दुरुपयोग के विरुद्ध पट्टा विलेख की शर्तों के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

विवरण

प्रिंट मीडिया को बहादुरशाह जफर मार्ग पर प्रेस क्षेत्र में किए गए आवंटनों के ब्यौरा

क्र. सं.	प्लॉट सं.	आवंटियों का नाम	क्षेत्र
1.	3	यूनाइटेड इंडिया पेरिओडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	0.50 एकड़
2.	4	चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट	0.673 एकड़
3.	5	डेली प्रताप	0.364 एकड़
4.	5-ए	एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड	0.3365 एकड़
5.	6	मैसर्स गुलाब सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड	0.675 एकड़
6.	7	मैसर्स बेनेट कोलीमेन एंड कंपनी लिमिटेड	0.677 एकड़
7.	8	डेली ताज प्राइवेट लिमिटेड	0.251 एकड़
8.	8-ए	डेली मिलाप	2965 वर्ग गज
9.	9 और 10	द एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड	1.179 एकड़

[हिन्दी]

भूमि का वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकास

3428. श्री रामजीलाल सुमन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 525 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित करने के लिए दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि का विकास करने और इसका आबंटन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि उसने 525 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित करने हेतु प्राप्त नहीं किया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागरिक सुविधाएं

3429. श्री हरिन पाठक : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक बस्ती को मलिन बस्ती के रूप में वर्गीकृत करने का मापदण्ड क्या है;

(ख) क्या स्वच्छ जल की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त मापदण्डों पर विचार किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह मापदंड एक मलिन बस्ती को परिभाषित करने के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) स्लम के वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआई) द्वारा अपनाया गया मानदंड संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों में उपर्युक्त मानदंड को अपनाया जाता है।

(ङ) और (च) यूएन-हैबिटाट की परिभाषा के अनुसार, स्लम एक संस्पर्शी सटा हुआ बसाव है जिसमें आवासियों के पास अपर्याप्त आवास तथा बुनियादी सुविधाएं होती हैं। यूएन-हैबिटाट द्वारा स्लम की परिभाषा के लिए अपनाया गया मानदंड, कमोबेश भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड के समान हैं।

विवरण

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएसओ)

1. स्लम एक सघन बसाव है, जिसमें बेढंगे बने टेनमेंटों का समूह होता है जिनमें से अधिकांश अस्थाई किस्म के, भीड़-भाड़ युक्त और आमतौर पर अपर्याप्त सफाई तथा पेयजल सुविधा वाले तथा अस्वस्थ्यकर हालत में होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में यदि कम से कम 20 परिवार रहते हैं, तो उसे "गैर अधिसूचित स्लम" माना जाता है।

2. संबंधित नगर पालिकाओं, निगमों, स्थानीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा स्लमों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को "अधिसूचित स्लम" माना जाता है।

भारत के महापंजीयक (आरजीआई)

1. राज्य/स्थानीय शासन और संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा स्लम अधिनियम सहित किसी भी अधिनियम के तहत किसी नगर अथवा शहरी में स्लम के रूप में अधिसूचित सभी निर्दिष्ट क्षेत्र।

2. राज्य/स्थानीय शासन और संघ शासित प्रदेश प्रशासन, आवास और स्लम बोर्ड द्वारा स्लम के रूप में मान्य ऐसे सभी निर्दिष्ट क्षेत्र, जिन्हें औपचारिक रूप से किसी भी अधिनियम के तहत स्लम के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया हो।

3. कम से कम 300 की आबादी अथवा 60-70 परिवारों का एक सघन क्षेत्र, जिसमें अस्वास्थ्यकर पर्यावरण में बेढंगे बने भीड़-भाड़ वाले टेनमेंट हों जिनमें सामान्यत:, अपर्याप्त अवस्थापना सुविधा और समुचित सफाई तथा पेयजल सुविधाओं का अभाव होता है।

[हिन्दी]

अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन

3430. श्री सज्जन कुमार :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के लिए म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के उपयोग पर ऐसे संयंत्रों की स्थापना के लिए विगत सब्सिडी हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के संवितरण पर उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर अपने अंतरिम आदेश में ऐसे संवितरण पर मई, 2005 से रोक लगा दी है, इस याचिका में श्रेणी-I शहरों में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्टों को कम्पोस्ट में बदलने की वरीय विधि का सुझाव दिया गया है। जहां तक विद्युत उत्पादन उद्देश्यों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग का संबंध है, उत्पादन की उच्च लागत के मद्देनजर इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है जो इस समय लगभग 20 रु./किवा.घं. (बैटरी बैकअप के बिना) है। औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की सफल कमीशनिंग पर पुनर्अदायगी आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जारी की गई निधियों के उपयोग के समर्थन में राज्य सरकार विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा आवधिक रूप से प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। इसके अलावा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा संबंधित राज्य सरकार विभागों के लेखों की लेखा परीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) कार्य क्षेत्र स्तर पर अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन को सुगम करने के लिए 550 जिलों में जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलैक्टर/उपायुक्त होते हैं और परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद इसके सदस्य-सचिव होते हैं। इसके सदस्यों में संबंधित विभागों जैसे वन, उद्योग, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के जिला स्तरीय अधिकारी; जिला बार काउंसिल (अथवा सरकारी वकील), अग्रणी बैंक, गैर-सरकारी संगठनों, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, स्थानीय उद्योग संघों आदि के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। इस समिति में कम से कम छः महिला सदस्यों का होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां

3431. **श्री डी.वी. पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री** 15.3.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1833 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम विहार की 35 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के संबंध में भवन निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन सोसाइटियों में अनधिकृत निर्माण की वजह से कुछेक सोसाइटियों को पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा शिटपुट अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने और इन सोसाइटियों को पूर्णता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि 35 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में से 2 के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। शेष 33 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एकीकृत भवन उप-नियम, 1983 में भवनों में कम्पाउन्डिड परिवर्तन के विनियमन की व्यवस्था है। भवन उप-नियम और दिल्ली की मास्टर योजना के अनुसार, सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद पूर्णता/कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना कापरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए आवश्यक है।

विवरण

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	पूर्णता प्रमाणपत्र जारी न होने के कारण
1	2	3
1.	गस्ता सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
2.	महामानव सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
3.	नार्थ एंड सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
4.	जहाज सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
5.	आईआईटीडी सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
6.	लिबरल सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
7.	मयूर सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
8.	यूनिवर्सिटी टीचर सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
9.	शहीदे सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
10.	लेक व्यू सीजीएचएस	दिनांक 16.10.2006 को अनधिकृत निर्माण में सुधार/हटाने/नियमित करने के लिए आवेदन किया गया।
11.	बैकवर्ड क्लास सीजीएचएस	आवेदन नहीं किया गया।
12.	दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर सीजीएचएस (गैर-शिक्षित)	आवेदन नहीं किया गया।
13.	अशोका सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
14.	सब विहार सीजीएचएस	दस्तावेज पूरे नहीं होने तथा विकास कार्य न होने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र अस्वीकृत।
15.	शिव विहार सीजीएचएस	दस्तावेज पूरे नहीं होने तथा विकास कार्य न होने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र अस्वीकृत।
16.	नव भारत सीजीएचएस	पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया गया। अनधिकृत निर्माण किया गया। सुधार करने/हटाने/नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।
17.	रबीन्द्र सीजीएचएस	विकास कार्य पूरे नहीं होने तथा अनधिकृत निर्माण मौजूद होने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। सुधार करने/हटाने/नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।

1	2	3
18.	दिल्ली रेल कर्मचारी सीजीएचएस	विकास कार्य पूरे नहीं होने तथा अनधिकृत निर्माण मौजूदा होने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। सुधार करने/हटाने/नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।
19.	लार्ड बुद्ध सीजीएचएस	विकास कार्य पूरे नहीं होने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
20.	लैण्ड एंड हाउसिंग सीजीएचएस	दस्तावेज पूरे नहीं होने न होने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र अस्वीकृत। मौजूदा संरचना के नियमितीकरण के आवेदन नहीं किया गया।
21.	सनसाइन सीजीएचएस	दस्तावेज पूरे नहीं होने तथा अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र अस्वीकृत! मौजूदा संरचना के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।
22.	मयूरबाग सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। मौजूदा संरचना के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।
23.	एस.बी. माइल्स सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। मौजूदा संरचना के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।
24.	विराट सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। मौजूदा संरचना के नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया।
25.	विध्यांचल सीजीएचएस	प्रशमन फीस जमा नहीं कराने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
26.	दिल्ली चार्टर्ड एकाउंटेंट सीजीएचएस	विकास कार्य पूरा नहीं करने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
27.	बलजीत नगर सीजीएचएस	विकास कार्य पूरा नहीं करने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
28.	नई दिल्ली बंगाली सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। अनधिकृत निर्माण को सुधारने/हटाने/नियमित करवाने के लिए आवेदन नहीं किया गया।

1	2	3
29.	जे.के. अपार्टमेन्ट्स सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। अनधिकृत निर्माण को सुधारने/हटाने/नियमित करवाने के लिए आवेदन नहीं किया गया।
30.	सीआईएस आफिसर्स सीजीएचएस	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने तथा अशमनीय चिलनों/अतिक्रमण को नहीं सुधारने/हटाने के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
31.	आईएमडी सीजीएचएस	पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया गया, अनधिकृत निर्माण किया गया, उसे सुधारने/हटाने/नियमित करने के लिए आवेदन नहीं किया गया।
32.	आदर्श जीवन सीजीएचएस	अपूर्ण विकास कार्य तथा अनधिकृत निर्माण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। अनधिकृत निर्माण को सुधारने/हटाने/नियमित करवाने के लिए आवेदन नहीं किया गया।
33.	वीनस सीजीएचएस	अनधिकृत निर्माण के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। अनधिकृत निर्माण को सुधारने/हटाने/नियमित करने के लिए आवेदन नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आवास ऋण पर ब्याज

3432. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों को अंधेरे में रख कर उनसे ऊंची ब्याज दर ले रहे हैं, जैसाकि दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2006-07 की अपनी वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह बताया है कि कुछ बैंक आवास के लिए उधार देते समय अस्थायी दरों के संबंध में बैंचमार्क नियंत्रित करने वाली परिस्थितियों एवं कारकों का उल्लेख करने तथा इसके साथ-साथ खंडों को पुनर्निर्धारित करने के संबंध में पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं। अत: बैंकों से उन सभी पद्धतियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है जो उचित अथवा पारदर्शी नहीं हैं। बैंकों से इन उचित एवं पारदर्शी शर्तें प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को अवसर देने का भी अनुरोध किया गया है, जो कानूनी अपेक्षाओं एवं उचित व्यवहार के अनुरूप हों।

विदेशी मुद्रा भंडार

3433. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना विदेशी मुद्रा भंडार है;

(ख) देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किन-किन देशों की मुद्राएं उपलब्ध हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त भंडार में से कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त भंडार का उत्पादक कार्य हेतु उपयोग न किए जाने के कारण वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 1 दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (जिसमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित स्थिति शामिल है) 175.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था।

(ख) और (ग) देश के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सामान्यतया अमरीकी डालर और यूरो जैसी प्रमुख मध्यवर्ती मुद्राओं में किए जाते हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुरक्षा, नकदी और लाभ को ध्यान में रखते हुए बहु-मुद्रा और बहु-परिसंपत्ति पोर्टफोलियों में किया जाता है।

(घ) और (ङ) विदेशी मुद्रा संचयन की प्रत्येक इकाई के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में रुपए में तदनुरूप मूल्य निर्मुक्त किया जाता है। इसीलिए, भंडार का प्रयोग न करने का मुद्दा ही नहीं उठता।

बैंकों के लिए निगरानी तंत्र

3434. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के कार्यकरण की निगरानी हेतु फरवरी, 2006 में एक निगरानी तंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निगरानी तंत्र द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जमाराशियों, अग्रिमों, अनुपयोज्य आस्तियों, आय की तुलना में लागत अनुपात, लाभ आदि सहित विभिन्न कार्यनिष्पादन पैरामीटरों के संबंध में, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा प्रस्तुत "वार्षिक लक्ष्य संबंधी आशय विवरण (एसओआई)" के आधार पर उनके समग्र कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए भारत सरकार ने एक तंत्र स्थापित किया है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के वार्षिक लक्ष्य संबंधी आशय विवरण (एसओआई) में दिए गए वार्षिक लक्ष्यों के साथ-साथ उनके कार्यनिष्पादन की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक को उपयुक्त निदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से ऋण

3435. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए ऋण के संबंध में प्रतिबद्धता शुल्क अदा करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भुगतान किए गए प्रतिबद्धता शुल्क का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) प्रतिबद्धता शुल्क, विकास भागीदार द्वारा उनकी राशि की प्रतिबद्धता हेतु लगाया जाने वाला शुल्क है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किया गया प्रतिबद्धता शुल्क निम्नानुसार है:-

वर्ष	अदा किया गया प्रतिबद्धता शुल्क (करोड़ रुपए में)
2003-04	93.16
2004-05	165.11
2005-06	148.16

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धनराशि

3436. **श्री पी.के. टुम्मर :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि और निवेश के अभाव के बारे में केन्द्र सरकार पर शंका जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में धनराशि और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण सड़कें, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार आदि क्षेत्रों के लिए बजटीय परिव्यय में पर्याप्त अभिवृद्धि की है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में निधियों का प्रवाह और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य स्कीमें और कार्यक्रम जैसे कि भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि आदि भी कार्यान्वयनाधीन हैं।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3437. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक समान नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त नीति के प्रति अपनी आपत्ति दर्शाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ङ) इन मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) व्यापारिक नियमों के आबंटन के अनुसार 25 मे.वा. तक की विद्युत परियोजनाओं का विकास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को आवंटित एक विषय है। विद्यमान जल विद्युत नीति, 1998 जिसके साथ विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति (2005) और टैरिफ नीति (2006) संपूरक हैं, में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के पर्याप्त प्रावधान है। उक्त नीति के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु आसान इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट नवीन और एर्जेसी लिमिटेड/पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड/रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 मे.वा. क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के तीव्र विकास के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों/सब्सिडियों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 16 राज्यों ने लघु जल विद्युत में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों की भी घोषणा की हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

न्यायालय से बाहर विवादों का निपटान

3438. **श्री राजेन गोहेन :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मामलों के काफी अधिक लंबित होने को देखते हुए न्यायालयों से बाहर विवादों के निपटान को बढ़ावा देने का है जैसा कि दिनांक 18 नवंबर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, वैकल्पिक

विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करने के लिए उपाय कर रहा है, जिसका उद्देश्य माध्यस्थम, सुलह मध्यकता, न्यायिक समाधान या लोक अदालतों के माध्यम से पूर्व मुकदमेंबाजी और पश्च-मुकदमेंबाजी प्रक्रमों पर विवादों का शीघ्र समाधान करना है। सभी उच्च न्यायालयों में वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है।

मतदाता सूची में संशोधन

3439. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता सूची में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो संशोधनों के दौरान मतदाता सूची में से प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं;

(ग) मतदाता परिचय-पत्र के मुद्दे पर कितने व्यक्तियों के आवेदन रद्द किए गए और रद्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गैर-नागरिक भी मतदाता सूची में शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर-नागरिकों के नाम हटाने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि आयोग के स्तर पर प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान के व्यष्टिक अभिलेख रखने की कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है। जिला और/या उपमंडल स्तर पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसे कानूनी प्राधिकारी हैं जो निर्वाचन नामावलियों को बनाए रखने और उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर शिकायतें प्राप्त करते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अतिरिक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर भी शिकायतें प्राप्त की जा सकती हैं। इन शिकायतों को भी उचित कार्रवाई किए जाने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जाता है।

(ग) मतदाता पहचान-पत्र ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है, जिसका नाम प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रजिष्ट्रीकृत है। निर्वाचकों को इसके लिए कोई आवेदन फाइल करना अपेक्षित नहीं है।

(घ) से (छ) राज्य क्षेत्रीय सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती हैं। इन उपबंधों के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। तथापि, कभी-कभी गहन पुनरीक्षण (घर-घर जाकर गणना करना) या संक्षिप्त पुनरीक्षण (दावे और आक्षेप फाइल करने की अवधि) के दौरान कुछ ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम, जो भारतीय नागरिकता की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा मिथ्या जानकारी दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हो सकते हैं। जब कभी इस प्रकार गलत नाम सम्मिलित किए जाने के मामले निर्वाचन रजिष्ट्रीकरण प्राधिकारियों की जानकारी में आते हैं, ऐसे नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार ऐसे विदेशी नागरिकों के, जिन्होंने अपने नाम निर्वाचक नामावलियों में रजिष्ट्रीकृत करा लिए हैं, आंकड़े निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

औरैया विद्युत संयंत्र से विद्युत आपूर्ति

3440. श्री शरद सिंह दरबार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से औरैया विद्युत संयंत्र से ग्वालियर मालनपुर में विद्युत आपूर्ति को जारी रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश को कुछ विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर क्षेत्र की वोल्टेज समस्या की दृष्टि से इस मंत्रालय को सितंबर, 2006 में वाया 220 केवी औरैया-मालनपुर लिंक उत्तरी क्षेत्र से 100 मेगावाट विद्युत प्रवाह की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ख) 11.9.2005 से पूर्व मध्य प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों की आबंटित/समर्पित विद्युत से 200 मेगावाट का आबंटन किया गया था जिसमें पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बीच अंतर-क्षेत्रीय लिंकों और उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच 220 केवी औरैया-मालनपुर लिंक का उपयोग करते हुए उत्तरी क्षेत्र के रास्ते पूर्वी क्षेत्र स्टेशन प्रवाह से 50 मेगावाट शामिल है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र के संघटकों ने पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों और ईआर-एनआर लिंक के जरिए द्विपक्षीय विद्युत से अपने हिस्से के आहरण में समस्या महसूस की क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की विद्युत के लिए निर्धारित क्षमता मध्य प्रदेश को नियत किए जाने के कारण इसकी क्षमता घटकर 50 मेगावाट तक रह गई। तदनुसार, औरैया-मालनपुर लिंक के जरिए पूर्वी क्षेत्र से मध्य प्रदेश को उक्त 50 मेगावाट विद्युत का प्रवाह दिनांक 11.9.2005 से बाधित हुआ।

औरैया-मालनपुर लिंक के जरिए पूर्वी क्षेत्र से मध्य प्रदेश को उक्त प्रवाह बाधित होने के कारणों को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एमपीएसईबी) को इस अनुरोध के साथ सूचित कर दिया गया है कि एमपीएसईबी उत्तर क्षेत्र के भागीदार राज्यों के साथ द्विपक्षीय करारों के जरिए विद्युत प्राप्त कर सके ताकि मालनपुर क्षेत्र को कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिल सके।

(ग) और (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई उत्पादक कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादक स्टेशनों की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है यदि वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कनैक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों को अनुपालन करती हो। उत्पादक कंपनी को ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई स्वीकृति/लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सीईए से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की जरूरत है। जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव सीईए में स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों की पहचान

3441. श्री पी.सी. थामस : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के कुछ क्षेत्रों में लगभग हर वर्ष होनेवाले भूस्खलन और हिमखण्ड जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एहतियाती उपायों के लिए ऐसे स्थानों की पहचान की कोई प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) विभाग अस्थायी कारणों का वर्णन करने तथा ढलान के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय सुझाने के लिए लगभग हर वर्ष उत्तरी पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिमालय पर्वत शृंखला, देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा पश्चिमी घाटों/भारत के दक्षिण भाग में स्थित नीलगिरी पर्वतों में भी बार-बार होनेवाले तथा स्पष्ट रूप से होनेवाले सभी भूस्खलनों का अध्ययन करता है। देश के भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में पुराने स्थायी, निष्क्रिय इत्यादि जैसे अनेक प्रकार के भू-स्खलन होते हैं। जीएसआई इन सभी स्खलनों का विस्तृत अन्वेषण करता है।

हाल ही में बार-बार आनेवाले निम्नलिखित कुछ भू-स्खलनों का अध्ययन किया गया है:-

(i) शिलांग-सिलचर राष्ट्रीय राजमार्ग, मेघालय स्थित सोनपुर स्खलन, (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए पर स्थित 9 मील स्खलन, सिक्किम में लाटाखोला स्खलन, बी-2 स्खलन, इलाची स्खलन, शेरवानी स्खलन इत्यादि (iii) पगलझोरा स्खलन, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, (iv) विनाशकारी वारणावत स्खलन, उत्तरकाशी, सूर्खी स्खलन, मसूरी उत्तरांचल, (v) बिहर तथा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कुछ अन्य सुस्पष्ट स्खलन, (vi) हास्पीटल स्खलन, कुनूर, तमिलनाडु।

भारत में हिम स्खलनों का अध्ययन रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हिम और हिम स्खलन अध्ययन स्थापना (एसएएसई) द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बर्फ से घिरे हिम स्खलन संभावित क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों की उनके दैनिक आवागमन में सहायता करना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों के आवागमन को प्रभावित करने वाले सभी हिम स्खलन संभावित क्षेत्रों को हिम और हिम स्खलन अध्ययन स्थापना द्वारा पंजीकृत कर लिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग हिम स्खलनों का पूर्वानुमान करने के लिए मौसम विज्ञानी डाटा मुहैया कराता है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी प्रणालियां हैं जिनके द्वारा भू-स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को रेखांकित किया जा सकता है। जीएसआई ने उत्तर-पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाटों और नीलगिरी पर्वतमाला में फैले लगभग 1150 भूस्खलनों की सूची पहले ही बना ली है। जीएसआई भू-स्खलन संभावित पर्वतीय भू-भाग की भू-स्खलनों के लिए उनकी संवेदनशीलता की सीमा के अनुसार इसे विभिन्न मंडलों में सीमांकित करने के लिए अलग-अलग पैमानों पर भू-स्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने का कार्य कर रहा है। इस अध्ययन का मुख्य प्रयोजन भू-उपयोग पैटर्न के संबंध में योजनाकारों का मार्गदर्शन करना है।

हिम स्खलनों के कारण होनेवाली जोखिम को निम्नलिखित क्रिया-विधियों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है:-

(i) हिम-स्खलन संबंधी जागरुकता

(ii) हिम-स्खलन पूर्वानुमान

हिम और हिम-स्खलन अध्ययन स्थापना हिम-स्खलन संभावित क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों के लिए आसन्न खतरे के बारे में हिम-स्खलन पूर्वानुमान के संबंध में नियमित बुलेटिन जारी करता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्र में रहने वाली आबादी को भी इस आसन्न खतरे के बारे में प्रेस सूचना ब्यूरो और स्थानीय प्रसारण स्टेशनों के माध्यम से सूचित किया जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग

3442. श्री एल. राजगोपाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने यह मांग की है कि बीटी कपास की किस्मों को भारतीय स्थितियों में इनकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए इनके निष्पादन की समीक्षा की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) ने इस मामले में आपत्ति उठाए जाने के बावजूद कुछ राज्यों के लिए बीटी कपास की नई किस्मों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी नहीं, बीटी कपास किस्मों की भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता की जांच करने के लिए किसी भी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने उनके निष्पादन की समीक्षा की मांग नहीं की है। हालांकि स्थिर, कृषि केंद्र, भारत कृषक समाज, जीन कैंपेन और ग्रीन पीस जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को यह प्रस्तावना की फसल का कम उत्पादन, बुलवार्म हमले से सुरक्षा प्रदान करने की असमर्थता संकीग जैसे अन्य कीटों के ग्राह्य होने, जैसिड्स, कम उत्पत्ति, आनुवंशिक शुद्धता इत्यादि जैसी शिकायतों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इनमें से अत्यधिक खामियां आन्ध्र प्रदेश के वारांगल जिले में विशिष्ट थीं। उपरोक्त गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावित प्रस्तावनाओं पर जीईएसी की बैठकों में विचार किया गया था तथा विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर जिन्होंने यह रिपोर्ट दी थी बीटी कपास किस्मों के निष्पादकता अच्छी थी और बुलवार्म के विकसित होने की कोई आंशका नहीं थी, से स्पष्टीकरण मांगे गये थे। कपास में बीटी जीन को बॉलवार्म संक्रामण को नियंत्रित करने के लिए परिचालित किया गया था। अत: एक बीटी किस्म की सफलता केवल बॉलवार्म के विरूद्ध इसके प्रभाव की दिशा में ही नापी जा सकती है। भारत में वर्ष 2002-2004 के दौरान बीटी कपास की खेती में पूर्णत: वृद्धि हुई है। सीआईसीआर, नागपुर से प्राप्त रिपोर्ट यह दर्शाती हैं की बीटी कपास फसलों में बॉलवार्म संक्रमण आमत: हानि के मूल आर्थिक स्तर (ईटीएल) से कम ही रहा है।

(ग) और (घ) जीईएसी ने पर्यावरण में जारी करने के लिए तथा निजी क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए कुल 62 बीटी कपास हाइब्रिड्स को अनुमति दी है और इसका विस्तृत विवरण संलग्न है। पर्यावरण में जारी करने के लिए अनुमोदित हाईब्रिड्स को उनकी सुरक्षा, कृषक विशेष सक्षमता और आर्थिक लाभ के लिए जारी करने से पहले कठिन जांच तरीकों के माध्यम से गुजारा गया था। बीटी बीजों की विस्तृत दिशा-निर्देशों और इस कार्य के लिए तैयार किए गए तौर-तरीकों के अनुसार आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आरसीजीएम) की अध्यक्षता के तहत कंटेंड एवं बहु स्थानीय परीक्षणों में विस्तृत रूप से जांच की गई थी। इसके उपरांत भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जांच तंत्र के तहत जीईएसी द्वारा अनुमोदित तौर तरीकों के तहत बीटी बीजों के विस्तृत स्तर पर खेत परीक्षण किए

गए थे। वाणिज्यिक खेती के लिए बीटी हाईब्रिड्स को अनुमोदित करते समय जैव सुरक्षा अध्ययनों तथा कृषक मूल्यांकन के परिणामों के संदर्भ में जीईएसी ने अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन समिति (एमईसी) और आईसीएआर की सिफारिशों पर विचार किया था।

विवरण

वर्ष 2002-2006 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित बीटी कपास किस्में

क्र.सं.	हाईब्रिड्स का नाम	कंपनी का नाम	जीन घटना	क्षेत्र
1	2	3	4	5
		अप्रैल 2002		
1.	एमईसीएच 12 बीटी***	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय
2.	एमईसीएच 162 बीटी***	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण
3.	एमईसीएच 184 बीटी***	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण
		अप्रैल 2004		
4.	आरसीएच 2 बीटी***	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण
		अप्रैल 2005		
5.	एनसीएस-207 मलिका	मैसर्ज नूजीविदू सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय एवं दक्षिण
6.	एनसीएस-145 बन्नी मलिका	मैसर्ज नूजीविदू सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय एवं दक्षिण
7.	आरसीएच-144 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय
8.	आरसीएच-118 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय
9.	आरसीएच-138 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय
10.	आरसीएच-20 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण

1	2	3	4	5
11.	आरसीएच-368 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण
12.	आरसीएच-134 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर
13.	आरसीएच-317 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर
14.	एमआरसी-6322 बीटी	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण
15.	एमआरसी-6918 बीटी	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण
16.	एमआरसी-6301 बीटी	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण और उत्तर
17.	एमआरसी-6304 बीटी	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर
18.	अंकूर-651 बीटी	मैसर्ज अंकूर सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय और उत्तर
19.	अंकूर-2534 बीटी	मैसर्ज अंकूर सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर
20.	अंकूर-09 बीटी	मैसर्ज अंकूर सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय
21.	एमआरसी-6025 बीटी	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तरी क्षेत्र
22.	एमआरसी-6029 बीटी	मैसर्ज माहिको	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तरी
23.	एनसीएस-913 बीटी	मैसर्ज नूजीविंदू सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर/केन्द्रीय/दक्षिण क्षेत्र
24.	एनसीएस-138 बीटी	मैसर्ज नूजीविंदू सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर
25.	एनसीएस-308 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर
26.	आरसीएच-314 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	उत्तर

1	2	3	4	5
27.	आरसीएच-377 बीटी	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
28.	आरसीएच-111 बीजीआई	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
29.	आरसीएच-371 बीजीआई	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
30.	आरसीएचबी-708 बीजीआई	मैसर्ज रासी सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
31.	जीके-205 बीटी	मैसर्ज गंगा कावेरी प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय क्षेत्र
32.	जीके-204 बीटी	मैसर्ज गंगा कावेरी प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केन्द्रीय क्षेत्र
33.	जीके-209 बीटी	मैसर्ज गंगा कावेरी	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
34.	जीके-207 बीटी	मैसर्ज गंगा कावेरी	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
35.	केडीसीएचएच-9810 बीटी	मैसर्ज कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
36.	केडीसीएचएच-9632	मैसर्ज कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
37.	केडीसीएचएच-982 बीटी	मैसर्ज कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
38.	एसीएच-33-1 बीटी	मैसर्ज अजीत लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
39.	एसीएच-155-1 बीटी	मैसर्ज अजीत लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
40.	तुलसी 4 बीटी	मैसर्ज तुलसी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
41.	तुलसी 117 बीटी	मैसर्ज तुलसी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र

1	2	3	4	5
42.	एनपीएच 2171 बीटी	मैसर्ज प्रभात सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
43.	ब्रह्मा बीटी	मैसर्ज एमरजेंट जेनेटिक्स	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
44.	वीआईसीएच - 5 बीटी	मैसर्ज विक्रम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
45.	वीआईसीएच - 9 बीटी	मैसर्ज विक्रम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय एवं दक्षिण क्षेत्र
46.	पीआरसीएच - 102 बीटी	मैसर्ज प्रवर्धन सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
47.	पीसीएच - 2270 बीटी	मैसर्ज प्रभात सीड्स लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
48.	पीसीएच - 111 बीटी	मैसर्ज विक्की एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	क्राई एसी (मॉन 531 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
49.	एमआरसी-7301 बीजी II	मैसर्ज माहिको	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
50.	एमआरसी-7326 बीजी II	मैसर्ज माहिको	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
51.	एमआरसी-7347 बीजी II	मैसर्ज माहिको	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
52.	एमआरसी-7351 बीजी II	मैसर्ज माहिको	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
53.	एमआरसी-7201 बीजी II	मैसर्ज माहिको	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	दक्षिण क्षेत्र
54.	केडीसीएचएच-441 बीजी II	मैसर्ज कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
55.	एसीएच-11-2 बीजी II	मैसर्ज अजीत सीड्स लिमिटेड	क्राई 1 एसी एवं क्राई 2 एबी (मॉन 15985 इवेंट)	केंद्रीय क्षेत्र
56.	जेकेसीएच 1947 बीटी	मैसर्ज जे.के. एग्री जेनेटिक्स सीड्स लिमिटेड	क्राई 1 एसी जीन (इवेंट 1)	केंद्रीय क्षेत्र

1	2	3	4	5
57.	जेके वरुण बीटी	मैसर्ज जे.के. एग्री जेनेटिक्स सीड्स लिमिटेड	क्राई 1 एसी जीन (इवेंट 1)	केंद्रीय क्षेत्र
58.	जेक दुर्गा बीटी	मैसर्ज जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड	क्राई 1 एसी जीन (इवेंट 1)	दक्षिण क्षेत्र
59.	जेकेसीएच-99 बीटी	मैसर्ज जे.के. एग्री जेनेटिक्स सीड्स लिमिटेड	क्राई 1 एसी जीन ए (इवेंट 1)	दक्षिण क्षेत्र
60.	एनसीईए-6 आर	मैसर्ज नाथ सीड्स लिमिटेड	(क्राई 1 एबी + क्राई एसी) जीएफएम	उत्तरी क्षेत्र
61.	एनसीईए-2 आर	मैसर्ज नाथ सीड्स लिमिटेड	(क्राई 1 एबी + क्राई एसी) जीएफएम	केंद्रीय क्षेत्र
62.	एनसीईए-3 आर	मैसर्ज नाथ सीड्स लिमिटेड	(क्राई 1 एबी + क्राई एसी) जीएफएम	दक्षिण क्षेत्र

क्षेत्र-वार राज्यों का ब्यौरा: केंद्रीय क्षेत्र (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात) दक्षिण क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु) और उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, राजस्थान और हरियाणा)

***आंध्र प्रदेश के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण नहीं किया गया।

[हिन्दी]

रुपए की क्रय शक्ति

3443. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से भारतीय रुपए की क्रय शक्ति लगातार गिरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 में रुपए के मान के आधार पर वर्ष 1991-92 और 2006-07 में रुपए का औसत मान कितना रहा;

(ग) क्या देश के विभिन्न शहरों में रुपए की क्रय शक्ति में विसंगति है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रुपए के मान को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) महोदय, वर्ष 1980-81 को आधार मानते हुए, भारतीय रुपए का औसत मूल्य 1991-92 में 37 पैसे और 2006-07 में 14 पैसे था (अप्रैल-अक्तूबर की औसत)।

विभिन्न शहरों में रुपए की क्रय शक्ति में अंतर हैं। यह अंतर देश के विभिन्न शहरों में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) की विभेदक भारत पद्धति के साथ-साथ सभी शहरों के मूल्य व्यवहारों में भिन्नताओं के कारण है। इसी के परिणामस्वरूप विभिन्न शहरों में सीपीआई-आई-डब्ल्यू की वृद्धि की भिन्न दरें हैं जिसका सदृश रुपए की क्रय शक्ति बताता है।

मूल्यों के स्तर में वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप रुपए के मूल्य में गिरावट होती है। सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए इस दिशा में हाल में अनेक उपाय किए हैं। इनमें कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन, शुल्कों में कमी करना, आयात

के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मांग का प्रभावी प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और कुछ वस्तुओं का निर्यात रोकना शामिल है।

[अनुवाद]

पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में कोहरे पर अध्ययन

3444. श्री करकल राघवेन्द्रन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एक दशक से भी अधिक समय से जाड़े के महीनों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी भाग के अधिकांश क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस समस्या का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां। यह सर्वविदित है कि जाड़े के महीनों के दौरान उत्तरी और पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कोहरा छाया रहता है।

(ख) और (ग) चूंकि जाड़े के महीनों के दौरान कोहरा छाया रहना विशेष रूप से विमानन क्षेत्र के लिए चिन्ताजनक स्थिति है, इसलिए आईएमडी और अन्य अनुसंधान संस्थानों/संगठनों ने कोहरे के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके शुरू होने के समय, इसके बने रहने की अवधि, बनने की स्थितियों आदि, के बारे में कई अनुसंधान किए हैं। इसके अलावा, कोहरे के दौरान विमान प्रचालन में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए आईएमडी ने सभी हवाई अड्डों पर दृष्टिसीमा का मूल्यांकन करने और अन्य तात्कालिक पूर्वानुमान करने तथा सरल अभिकलन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव भी किया है।

आईएमडी और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के मध्यमान माडलों में कोहरे की समस्या का अध्ययन करने की संभावना मौजूदा है। ये मॉडल वास्तविक समय में चलाए जाते हैं तथा पूर्वानुमान करने वाले केन्द्र स्थान विशेष के लिए पूर्वानुमान करने में मार्गदर्शन लेने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आईएमडी की आधुनिकीकरण योजना में शामिल विस्तारित प्रेक्षणात्मक नेटवर्क से कोहरे के पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए मध्यमान मॉडल काफी कारगर उपकरण साबित हो सकते हैं।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली कोहरा बनने की स्थितियों तथा कोहरे की स्थितियों में परिवर्तन होने में मानवजनित प्रदूषकों की भूमिका पर अध्ययन कर रहा है। यह कार्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र के गणितीय माडलिंग एवं कम्प्यूटर अनुरूपण केन्द्र (सी-एमएमएसीएस) के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ताकि दिल्ली तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए सी-एमएमएसीएस द्वारा निर्मित माडल का प्रयोग करके कोहरे के मौसम में दृष्टिसीमा का पूर्वानुमान किया जा सके।

निजी बीमा कंपनियों का मूल्यांकन

3445. श्री अभिजीत मन्दी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी निजी बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कंपनियों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जैसाकि, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है, आदिनांक देश के बीमा क्षेत्र में 24 निजी कंपनियां हैं जिनमें से 15 जीवन बीमा क्षेत्र में और 9 गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) आईआरडीए ने सूचित किया है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 में निहित प्रावधानों, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए विभिन्न विनियमों और समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, बीमा कंपनियों के कार्य-कलापों की निरन्तर समीक्षा और निगरानी करता रहा है। इसके अतिरिक्त, यह परिचालन के विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, बीमा कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण भी करता रहा है।

विदेशी बैंकों संबंधी दिशा-निर्देश

3446. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में विदेशी बैंकों की भूमिका के संबंध में हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान अनेक विदेशी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 दिसम्बर, 2006 को जारी "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन और बैंकों के उनके साथ संबंध". से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, विदेशी बैंकों सहित बैंक किसी एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/एनबीएफसी-आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) में अपनी पूंजी निधियों का क्रमश: 15%/12% तक एक्सपोजर कर सकते हैं। बशर्ते क्रमश: 10%/15% से अधिक एक्सपोजर अवसंरचना क्षेत्र को एनबीएफसी/एनबीएफसी-एएफसी द्वारा दी गई निधियों के लिए हो। इसके अतिरिक्त, बैंक सभी एनबीएफसी में अपने कुल एक्सपोजर की आंतरिक सीमाएं निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि पूर्वोक्त मार्गनिर्देश 12 दिसम्बर, 2006 को ही प्रभावी हुए हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में रिक्त पद

3447 श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों विशेषकर समूह "क" के 65 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संदूषित जल

3448. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल में कार्सिनोजेनिक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है जैसाकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संदूषण स्तर कम करके इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक स्तर तक लाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यविधि तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के द्वारा कराए गए अध्ययन एवं केन्द्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वतंत्र रूप से की गयी जांचों के अनुसार, डीजेबी का शोधित जल विश्व स्वास्थ्य संगठन के पेयजल दिशानिर्देशों और अनुमत्य मानकों के अनुकूल है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिकों की संख्या

3449. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत, चीन एवं अन्य विकसित देशों में दस लाख की जनसंख्या में वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) भारत, चीन एवं अन्य विकसित देशों में अनुसंधान एवं विकास में प्रति व्यक्ति निवेश कितना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारत, चीन तथा अन्य विकसित देशों में 2002 के आंकड़ों के अनुसार प्रति मिलियन जनसंख्या पर अनुसंधानरत वैज्ञानिकों की संख्या और प्रति व्यक्ति अनुसंधान और विकास (आर. एण्ड डी.) व्यय से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	देश	प्रति मिलियन व्यक्ति पर वैज्ञानिकों की संख्या	यू.एस. डालर में प्रति व्यक्ति आर. एण्ड डी.
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	3446	281.07
2.	आस्ट्रिया	2346	564.59
3.	कनाडा	3487	459.63
4.	चीन	633	12.15

1	2	3	4
5.	डेनमार्क	4822	689.68
6.	फ्रांस	3134	552.08
7.	जर्मनी	3222	613.94
8.	भारत•	110	3.53
9.	जापान	5085	976.58
10.	कोरिया गणराज्य	2979	288.50
11.	सिंगापुर	4352	475.52
12.	स्वीडन	5171	1104.20
13.	यूनाइटेड किंगडम	2691	436.40
14.	संयुक्त राज्य अमेरिका	4526	962.15

स्रोत: •अनुसंधान और विकास सांख्यिकी 2004-05,

यू.आई.एस., यूनेस्को-2005

विश्व विकास संकेतक 2004/05, विश्व बैंक

चीन में हांगकांग शामिल नहीं है

नोट: 1 मिलियन - 10 लाख

शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम

3450. **श्री रनेन बर्मन :**
श्री रामकृपाल यादव :
श्री छितेन बर्मन :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी गरीबी का उपशमन करने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए और क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है;

(घ) क्या शहरी गरीबी के उपशमन हेतु आबंटित धनराशि ग्रामीण गरीबी उपशमन हेतु आबंटित धनराशि की तुलना में बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) देश में शहरी गरीबों की जीवन दशाओं में सुधार लाने तथा शहरी गरीबों के लिए रोजगार का सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से संपूर्ण भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में प्रथमत: नौवीं कक्षा तक ही पढ़े व्यक्तियों द्वारा स्व रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा द्वितीयत: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार मुहैया कराके शहरी बेरोजगारों एवं अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने की संकल्पना की गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय धनराशि तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के 1.12.1997 को प्रारम्भ होने की तारीख से 30.11.2006 तक प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्तियों की संचयी संख्या इस प्रकार है:-

माको/ग्रुप उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान किए गए शहरी गरीबों की कुल संख्या	911056
कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए शहरी गरीबों की संख्या	947819

मजदूरी रोजगार घटक के अंतर्गत सृजित कार्य के कार्य दिवसों की संख्या 586.86 लाख

(घ) से (च) वर्ष 1999-2000 में अनुमान लगाये गए 67.1 मिलियन शहरी गरीबों की कुल संख्या को देखते हुए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए केन्द्रीय आबंटन बहुत कम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए धनराशि का केन्द्रीय आबंटन निम्नवत है। यह देखा गया है कि बजट आबंटन में वृद्धि करने हेतु आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के जोरदार प्रयासों के परिणामत: स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन हाल के वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आबंटन	105.00	123.00	160.00	250.00

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय धनराशि तथा सूचित व्यय का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय धनराशि	सूचित केन्द्रीय धनराशि व्यय*	जारी केन्द्रीय धनराशि	सूचित केन्द्रीय धनराशि व्यय*	जारी केन्द्रीय धनराशि	सूचित केन्द्रीय धनराशि व्यय*
		2003-2004		2004-2005		2005-2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1390.19	1390.19	1116.41	319.86	1526.17	289.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.84	140.34	7.69	26.16	0.00	125.11
3.	असम	0.00	669.94	245.07	405.94	0.00	538.51
4.	बिहार	425.38	425.38	468.09	468.09	681.66	0.00
5.	छत्तीसगढ़	229.65	170.00	119.31	115.06	405.67	146.52
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	260.19	170.04	164.36	283.12	0.00	572.16
8.	हरियाणा	569.95	435.52	668.47	432.66	681.12	673.71
9.	हिमाचल प्रदेश	32.58	60.09	2.17	38.59	45.36	34.45
10.	जम्मू एवं कश्मीर	30.41	106.20	128.17	72.25	9.06	55.92

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	577.46	985.44	1165.15	796.92	822.99	756.29
13.	केरल	610.50	610.50	554.95	554.95	681.26	117.91
14.	मध्य प्रदेश	818.32	687.70	931.49	886.47	1596.76	1196.69
15.	महाराष्ट्र	322.56	1335.80	1508.66	1835.83	2552.92	2055.94
16.	मणिपुर	0.00	184.45	0.00	0.00	111.39	232.70
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	522.79	522.79	491.04	491.04	351.90	351.90
19.	नागालैंड	1.90	59.67	34.02	34.02	194.51	194.51
20.	उड़ीसा	0.00	291.61	48.91	162.04	469.86	211.92
21.	पंजाब	0.00	199.77	0.00	107.35	39.68	36.65
22.	राजस्थान	122.96	151.86	256.29	217.68	495.38	497.69
23.	सिक्किम	163.21	34.62	0.00	92.43	0.00	36.26
24.	तमिलनाडु	648.58	648.58	511.69	511.69	924.36	397.61
25.	त्रिपुरा	354.26	146.10	352.18	434.68	0.00	130.49
26.	उत्तरांचल	46.27	41.39	160.31	11.12	309.14	16.08
27.	उत्तर प्रदेश	1571.74	1732.80	2622.61	2811.28	3071.43	3155.45
28.	पश्चिम बंगाल	883.26	739.08	424.02	767.88	617.47	755.29
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	31.97	0.00	58.16	0.00	63.67
30.	चंडीगढ़	278.37	73.90	28.64	49.84	0.00	42.12
31.	दादरा एवं नगर हवेली	14.63	69.29	0.00	7.35	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	0.00	21.09	0.00	25.30	0.00	20.81
34.	पांडिचेरी	191.00	55.76	191.00	235.34	0.00	401.59
	कुल	10074.00	12191.87	12200.70	12253.10	15588.09	13107.92

*इस व्यय में पूर्व वर्षों के दौरान जारी धनराशि से व्यय की गई धनराशि शामिल है क्योंकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक चालू स्कीम है।

ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

3451. **डा. के. धनराजू** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसी संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में स्थापित ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और उसके बाद इन संस्थानों में राज्यवार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) और (ख) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (ई.टी.सी.) राज्य हैं जो राज्य स्तर और जिला/ब्लॉक स्तर पर क्रमशः ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, एस.आई.आर.डी. और ई.टी.सी. को वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सहित राज्यों की प्रशिक्षण गतिविधियों में मदद देता है। देश भर में 28 राज्य ग्रामीण विकास संस्थाएं हैं—प्रत्येक राज्य में एक और 89 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र हैं। राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं और उनके कार्य स्थलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों सहित उनके कार्य स्थलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों का नाम तथा उनके कार्य करने का स्थान

राज्य	स्थान जहां राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कार्य कर रहे हैं
1	2
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद
अरुणाचल प्रदेश	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ईटानगर
असम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, खानपारा, गुवाहाटी
बिहार	ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर
गोवा	गोवा ग्रामीण विकास एवं स्थानीय प्रशासन संस्थान, पणजी
गुजरात	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अहमदाबाद

1	2
हरियाणा	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, निलोखेड़ी (करनाल)
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्स, शिमला
झारखंड	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रांची
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू और कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संस्थान, श्रीनगर तथा जम्मू
कर्नाटक	अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर
केरल	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कोट्टारकारा, कोल्लम
मध्य प्रदेश	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर
महाराष्ट्र	यशवंत राव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे
मणिपुर	राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इंफाल
मेघालय	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, नॉंग्सदर
मिजोरम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कोलासिब
नागालैंड	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कोहिमा
उड़ीसा	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, भुवनेश्वर
पंजाब	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, नाभा
राजस्थान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर
सिक्किम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जोरेथांग (कारफेक्टर)
तमिलनाडु	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मरइमलाईनगर (कांचीपुरम)
त्रिपुरा	राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, अगरतला
उत्तर प्रदेश	डी.डी.यू. – राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
उत्तरांचल	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर
पश्चिम बंगाल	राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कल्याणी (नदिया)

विवरण-II

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम तथा उनके कार्य करने का स्थान

राज्य	स्थान जहां विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं
1	2
आंध्र प्रदेश	श्रीकलाहस्ती, वारंगल, बापटाला (गुंटूर), समलकोट (पूर्वी गोदावरी) तथा राजेन्द्रनगर (हैदराबाद)-5
अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट-1
असम	बोरहाट, जायसागर, कछिकुची तथा हैलाकांडी-4
बिहार	गया, सहरसा तथा मुजफ्फरपुर-3
छत्तीसगढ़	चन्दकुरी (रायपुर)-1
गुजरात	जूनागढ़, दीसा तथा नवसारी-3
हरियाणा	निलोखेड़ी-1
हिमाचल प्रदेश	मशोबरा-1

1	2
जम्मू एवं कश्मीर	आर.एस. पुरा (जम्मू) तथा बडगाम (श्रीनगर)-2
झारखंड	जसीडीह (संथाल परगना) तथा हजारीबाग-2
कर्नाटक	गुलबर्गा, सिरसी, मैसूर, गोवरीपेट (कोलार) तथा मांड्या-5
केरल	कोट्टारकारा, मन्नूथी (थ्रिशूर) तथा तालीपरम्बा (कन्नूर)-3
मध्य प्रदेश	उज्जैन, भोपाल, मुल्ताई, जबलपुर, इंदौर, नौगांव (छत्तरपुर) तथा ग्वालियर-7
महाराष्ट्र	परभनी, जालना, बुलडाना, कोसबाद हिल (ठाणे), गारगोटी (कोल्हापुर), के. वामडा (कोल्हापुर), मंजरी फार्म (पुणे) तथा अमरावती-8
मेघालय	नौंग्सडर-1
मिजोरम	पुकपुरी तथा थिंगसुलथिया-2
नागालैंड	तुएनसांग तथा फेक-2
उड़ीसा	भुवनेश्वर, क्योंझर तथा भवानीपटना-3
पंजाब	बटाना तथा नाभा-2
राजस्थान	डूंगरपुर, अजमेर तथा मंडोर-3
तमिलनाडु	टी. कुल्लूपट्टी, एस.वी. नगरम, भवानी सागर, पट्टूक्कोट्टई तथा कृष्णागिरि-5
उत्तरांचल	रुद्रपुर, हवालबाग, हल्द्वानी, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल-5
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, बाकवेर, बरौत, बिचपुरी, चिरगांव, छोरीघाट, बुलंदशहर, फैजाबाद, कालाकांकर, मैनपुरी, लखौनी, चारगांव, रायबरेली, गाजीपुर, बदायूं तथा अफीम की कोठी-16
पश्चिम बंगाल	कूच बिहार, बर्दवान, दिघा तथा रायगंज-4
कुल	89

[हिन्दी]

लघु वित्तपोषण संस्थाओं को ऋण

3452. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों द्वारा लघु वित्तपोषण संस्थाओं को ऋण देने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान इन संस्थाओं को दी गई धनराशि संबंधी जांच पूरी कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस प्रयोजनार्थ ऐसी कितनी संस्थाओं को धनराशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश के व्यष्टि वित्त संस्थानों (एमएफआई) से संबंधित कुछ मामले थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने व्यष्टि वित्त संस्थानों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए डा. वी.पी. जौहरी की नियुक्ति की थी। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि-

– व्यष्टि वित्त संस्थान के बोर्ड में सरकारी अधिकारी विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में होना चाहिए।

– व्यष्टि वित्त संस्थानों का वित्तपोषण करने से पूर्व, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों के साथ लेन-देन करते समय वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और कि व्यष्टि वित्त संस्थानों को एसजीएसवाई जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की डाटा एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली से व्यष्टि वित्त संस्थानों को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, बैंकों द्वारा 31 अक्तूबर, 2006 तक स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजना कार्यक्रत के अंतर्गत 23.72 लाख स्व-सहायता समूहों को दिया गया संचयी उधार 12,618 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, 23.89 लाख स्व-सहायता समूहों को 30 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 7498.57 करोड़ रुपए का ऋण और सब्सिडी प्रदान किया गया है।

बैंकों के लिए आचार संहिता

3453. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के साथ बर्ताव करने संबंधी आचार संहिता का बैंकों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उक्त संहिता के उल्लंघन के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(घ) आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा तैयार की गई ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता में बैंकों के अनुपालनार्थ बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानक दिए गए हैं और इसमें ग्राहकों के साथ बैंक के कार्य-व्यापार में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया है। इस स्वीकृत पारदर्शिता को प्राप्त करने के लिए टैरिफ अनुसूची के रूप में बैंक के शुल्क और सेवा प्रभारों के प्रलेखीकरण की व्यवस्था है और बैंकों से चेक संग्रह नीति, क्षतिपूर्ति नीति तथा प्रतिभूति पुनर्आधिपत्य नीति तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। इस संहिता में उत्पाद या सेवा को ग्राहक को बेचे जाने से पूर्व उन्हें पूर्ण जानकारी प्रदान किए जाने पर अधिक जोर दिया गया है। बिक्री पश्चात संव्यवहार के लिए इस संहिता में बैंकों पर इस बात के लिए जोर डाला गया है कि वे अपनी टैरिफ अनुसूची में वैसा कोई परिवर्तन या उत्पाद को नियंत्रित करने वाले निबंधन और शर्तों में वैसा कोई परिवर्तन करने से पूर्व ग्राहक को एक महीने का नोटिस दें जो ग्राहकों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। संहिता का विस्तृत ब्यौरा बीसीएसबीआई की वेबसाइट (http://www.bcsbi.org.in) पर उपलब्ध है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बीसीएसबीआई ने 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सदस्यता अनुमोदित की है जिसमें भारत में वाणिज्यिक बैंकों का 98 प्रतिशत से अधिक शाखा नेटवर्क कवर हो जाता है। बीसीएसबीआई का सदस्य बनने का निर्णय करने वाले किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इस संहिता को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है।

(ग) और (घ) बीसीएसबीआई की सदस्यता अपनाने वाले बैंक आपसी सहमति से निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है। इस संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रश्न उक्त सहमत समय-सीमा के पश्चात उठेगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम

3454. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के चुने हुए शहरों में पेयजल, सीवरेज सिस्टम और ठोस कचरे की समस्या के समाधान के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार जापान सरकार की सहायता से उड़ीसा में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो जापान ने सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी है;

(च) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(छ) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य सहित देश के सभी नगरों/शहरों में जलआपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और कचरा प्रबंधन सहित अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और छोटे तथा मझोले कस्बों का शहरी अवस्थापना विकास (यूआईडीएसएसएमटी) शुरु किया है। उड़ीसा के दो नगर जेएनएनयूआरएम और 136 नगर यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत शामिल हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार से 755.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भुवनेश्वर के लिए एकीकृत सीवरेज परियोजना जेएनएनयूआरएम के तहत सहायता के लिए प्राप्त हुई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर, कटक, संभलपुर और बहरामपुर नगरों में सीवरेज प्रणाली तथा कटक नगर में कचरा प्रबंधन सुविधाएं देने के लिए 1213.70 करोड़ रु. लागत वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके लिए जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेसन (जेबीआईसी) से सहायता की मांग की है।

1.	भवनेश्वर सीवरेज प्रणाली	:	427.00 करोड़ रुपए
2.	कटक सफाई परियोजना		341.10 करोड़ रुपए
3.	संभलपुर सीवरेज प्रणाली		298.00 करोड़ रुपए
4.	बहरामपुर सीवरेज प्रणाली	:	147.60 करोड़ रुपए

(ङ) से (छ) भारत सरकार, जेबीआईसी और उड़ीसा सरकार के बीच ड्राफ्ट करार पर 5.12.2006 को हस्ताक्षर किए गए। ड्राफ्ट करार के अनुसार, जेबीआईसी 23817 मिलियन जापानी येन की कुल लागत में से 19061 मिलियन जापानी येन की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है और परियोजना के 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

सार्वजनिक शेयर जारी करना

3455. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा 5000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक शेयर जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हांलाकि, एनटीपीसी ने वर्ष 2004 में भारत सरकार के अनुदान के पश्चात् प्रदत्त पूंजी के 5.25% की नए निर्गम के रूप में सार्वजनिक पेशकश और भारत सरकार द्वारा विक्रय पेशकश के रूप में 5.25% की सार्वजनिक पेशकश की है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदन

3456. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से अवसंरचना परियोजनाओं की तर्ज पर 500 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए कर छूट देने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑटोमोटिव उद्योग ने निर्यात लाभों और ऑटो सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए वन-स्टॉप क्लियरेन्स पर 100 प्रतिशत कर छूट (डिडक्शन्स) देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी के ज्ञापन में विभिन्न राजकोषीय नीति प्रस्ताव निहित हैं। बजटीय प्रक्रिया के दौरान ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा वित्त विधेयक में सरकार के निर्णय को परिलक्षित किया जाता है।

आई.आई.एफ.सी.

3457. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कारपोरेशन (आई.आई.एफ.सी.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.आई.एफ.सी. के अंतर्गत किन्हीं परियोजनाओं की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आई. आई.एफ.सी.) को 1,000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी और 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी से 05 जनवरी, 2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। प्रदत्त पूंजी को अब बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अब तक 32 परियोजनाओं के लिए 5,186 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। क्षेत्रीय ब्यौरा निम्नलिखित है:-

तालिका

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	आईआईएफसीएल में मंजूर ऋण (करोड़ रुपए)
सड़क	23	12746	2057
बन्दरगाह	3	1542	216
विद्युत	5	15467	1963
विमानपत्तन	1	5826	1150
कुल	32	35581	5186

[हिन्दी]

देश की राजकोषीय स्थिति

3458. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ.आर.बी.एम. एक्ट के प्रवर्तन के बाद से देश की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) जी, हां। जहां राजकोषीय घाटा वर्ष 2001-02 के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 6.2 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2005-06 में स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत हो गया, वहीं इसी अवधि में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 4.4 प्रतिशत से कम होकर 2.7 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों के लिए राजकोषीय और राजस्व घाटे का निर्धारित लक्ष्य स.घ.उ. का क्रमश: 3.8 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत है।

राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के सरकार के प्रयास राजस्वों में वृद्धि हेतु एक विवेकपूर्ण और स्थिर नीति का अनुपालन करने और साथ ही व्यय के बेहतर प्रबंध की ओर लक्षित हैं। कर नीति के अनुपालन में वृद्धि करना, कर प्रशासन की क्षमता में सुधार करना, "परिणामी (आऊट कम) बजट" शुरू करना, उपयोग प्रमाण-पत्रों/बजटीय आवंटनों की खर्च न की गई राशि की मानिटरिंग करना और अधिक खर्च करने वाले कुछ मंत्रालयों में नकद प्रबंधन प्रणाली शुरू करना, इस दिशा में निरन्तर किए जा रहे प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं।

[अनुवाद]

बायो-टेक्नोलॉजी में विकास

3459. **श्री के.एस. राव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बायो-टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) बायो-टेक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन कैसा रहा और भावी विस्तार योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित और प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मंत्रालय, भारत सरकार के लिए अब तक पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना निधी आबंटन वर्ष 2006-2007 में 521 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-2006 में 445 करोड़ रुपये और वर्ष 2004-2005 में 310 करोड़ रुपये रहा है। नीधि को उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, कृषि, स्वास्थ्य रख-रखाव पर्यावरण एवं औद्योगिक विकास क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा जैवप्रौद्योगिकी पार्कों एवं क्लस्टर्स की स्थापना पर खर्च किया गया था। जैवप्रौद्योगिकी विभाग के साथ-साथ अन्य वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक एर्जेसिया जैसेकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) भी जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रयोगों को सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निष्पादन विस्तृत रूप से www.dbtindia.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध जैवप्रौद्योगिकी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में देखा जा सकता है। जैवप्रौद्योगिकीय क्षेत्र अवसंरचना, पेटेंट प्रकाशनों एवं उत्पाद विकास विशेषकर महामारियों के लिए टीकों और नैदानिकी, बायोफार्मास्यूटिकल आनुवंशिक रूपांतरित फसलों, जैवकीटनाशकों तथा जैविक खादों के मामले में संतोषजनक रूप से विकसित हो रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में 37.42% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2005-06 में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व 6521 करोड़ रुपये की करीब है। मानव संसाधन विकास, औद्योगिक प्रोत्साहन और विकास, प्रौद्योगिकी विकास के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान और विकास, जैवप्रौद्योगिकी के अग्रणीय क्षेत्रों में नये संस्थानों की स्थापना और विनियामक तंत्र को मुख्य धारा में लाने तथा विस्तार करने के लिए एक राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति तैयार की गई है।

(ग) और (घ) जी हां, जैवप्रौद्योगिकीय क्षेत्र में कुल लागत में वृद्धि करने और जैवप्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। औद्योगिक बढ़ौतरी के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए जैवप्रौद्योगिकी उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट, 100% तक सीधा विदेश निवेश, एसइजेड के क्षेत्र को कम करते हुए इसे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बराबर लाना, पहचानित अन्तर्निर्मित अनुसंधान एवं विकास उद्योगों को विशाल सामान पर सीमा शुल्क की छूट, आयात शुल्क में कटौती और अनुसंधान एवं विकास पर किये गये व्यय में 150% की अनुपाती कटौती करते हुए वित्तीय भत्ते प्रदान करने के लिए शुरूआतें की गई हैं। संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए सार्वजनिक नीजि भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड तथा सीएसआईआर के नये मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी अग्रणी पहल (एनएमआईटीएलआई) के द्वारा आसान ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं। हाल ही में जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने एक मुख्य योजना "लघु व्यापार अनुसंधान पहल की भी शुरूआत की है ताकि लघु एवं मध्यम जैवप्रौद्योगिकी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद विकास के लिए आसान ऋण प्रदान किए जा सकें।

निर्धनों हेतु शरण स्थल

3460. श्री जोवाकिम बखला : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह्यूमन सेटलमेन्ट्स मैनेजमेन्ट इंस्टिट्यूट (एचएसएमआई) और सेन्टर फार डेवलपमेन्ट आल्टरनेटिव, अहमदाबाद ने निर्धन और जरूरतमन्द लोगों को स्थायी आवास शरण स्थल प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को निर्धन लोगों को समयबद्ध ढंग से कम लागत वाले आवास उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को इन अभिकरणों द्वारा दिए गए इस प्रकार के किसी सुझाव की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का व्यापार

3461. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर.बी.आई. मार्ग के माध्यम से विदेशी कंपनियों को तम्बाकू उत्पादों के व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सामान के थोक/खुदरा व्यापार पर 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु स्वत: अनुमोदित मार्ग पर अनुमति दी जाती है। तम्बाकू/तम्बाकू उत्पादों के कारोबार के लिए अलग से कोई नीति नहीं है।

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अध्यधीन सिगार और सिगरेट के उत्पादन के लिए सरकार की पूर्वानुमति से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

आयकर की अदायगी न करने वाले

3462. श्री गणेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में आयकर की अदायगी न करने वाले व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अदायगी न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) संघ सरकार देश में आयकर चूककर्ताओं की सूची को प्रकाशित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) सरकार के द्वारा चूककर्ताओं के विरुद्ध उठाए गए/उठाए जा रहे कदम मामला दर मामला भिन्न होते हैं और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित अध्याय XVII के उपबंधों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन उपायों में धारा 220 (2) के अंतर्गत सांविधिक सूचना जारी करना, बकायों की अदायगी न करने के लिए ब्याज का अधिरोपण एवं अर्थदण्ड का उद्ग्रहण, चूककर्ता के बैंक खातों एवं उधारकर्ताओं के द्वारा ऐसे चूककर्ताओं को देय राशि की कुर्की, चूककर्ता की चल/अचल सम्पत्तियों की कुर्की एवं बिक्री, चूककर्ता की गिरफ्तारी, चूककर्ता की चल/अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति इत्यादि।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग में सहायता

3463. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से धनराशि/ऋण सहायता मिली है;

(ख) राज्यों द्वारा राज्यवार किस प्रयोजनार्थ ऋण/सहायता प्राप्त की गई; और

(ग) राज्यों द्वारा इस धनराशि का कितना उपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग डीआईआईडी से अनुदान सहायता प्राप्त की है। डीएफआईडी से प्राप्त सहायता का उपयोग सामाजिक क्षेत्रकों यथा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी सेवाओं, ग्रामीण जीविकोपार्जन, पर्यावरण और सफाई-स्वच्छता और गरीबी कम करने वाले सुधार कार्यक्रमों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किया गया। विगत तीन वर्षों के दौरान डीएफआईडी से प्राप्त निधियों का राज्यवार संवितरण और उपयोग निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	624.326	233.909	202.750
हिमाचल प्रदेश	0.505	3.724	10.406
कर्नाटक	8.924	6.246	6.227
केरल	21.215	00	00
मध्य प्रदेश	00	12.189	50.490

1	2	3	4
उड़ीसा	32.047	137.429	179.748
राजस्थान	2.057	34.481	34.563
पश्चिम बंगाल	83.938	157.695	173.566

स्व-वित्तपोषण योजना

3464. श्री हितेन बर्मन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न शहरों में स्व-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जहां तक आवास एवं शहरी गरीबी दपशमन मंत्रालय का संबंध है, "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन" केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्व-वित्तपोषण आधार पर आवासीय परियोजनाएं चलाता है। ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मांग तथा उन स्थानों पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में चलायी जाती हैं।

[हिन्दी]

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों हेतु निजी क्षेत्र को भूमि का हस्तांतरण

3465. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए आरक्षित भूमि को, मकानों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार, द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 19.10.2006 को हुई प्राधिकरण की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त की प्रति भेजी है जिसमें नरेला उप-नगर में निजी क्षेत्र के जरिए समूह आवास प्लाटों के विकास और निपटान के लिए प्रस्तावित मानदंड अनुमोदित किए गए थे। ये मानदंड अन्य के साथ-साथ अनुमेय एफएआर, ऊंचाई, भूमि कवरेज, घनत्व तथा पार्किंग से संबंधित हैं और इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास हेतु एफएआर के 15% के आवंटन का भी प्रावधान है।

(ग) सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग

3466. श्री सुव्रत बोस : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग सरकार की शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) महानगरीय शहरों में रह रहे स्लम वासियों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी शहरी गरीबों के लिए लागू है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों तथा अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को, जो 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं, स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी

रोजगार का प्रावधान करके लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की निगरानी की जाती है। मंत्रालय में केवल राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे उपलब्ध हैं तथा शहर-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के मजदूरी रोजगार घटक के अंतर्गत गत दो वर्षों, अर्थात् 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान व्यक्तिगत/समूह लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या तथा सृजित श्रम दिवसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्वर्ण. जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार सहायता प्राप्त लाभार्थी

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	2004-2005			2005-2006		
		लघु/समूह उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की सं. (लाख में)	लघु/समूह उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की सं. (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17704	5631	6.11	2020	3957	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40	0	3.88	0	0	2.59
3.	असम	1150	4638	0.94	2825	2230	0.63
4.	बिहार	0	0	3.28	34087	4233	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1903	4559	0.56	558	2027	0.25
6.	गोवा	53	345	0.00	22	0	0.00
7.	गुजरात	4307	5958	0.27	2028	1585	0.12
8.	हरियाणा	2362	4171	0.37	2553	3078	0.69
9.	हिमाचल प्रदेश	302	839	0.00	89	450	0.08
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1265	1748	0.29	822	987	0.00
11.	झारखंड	0	0	0.00	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	4572	2709	1.24	3451	3451	1.28

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	3007	4736	0.12	1982	2541	0.53
14.	मध्य प्रदेश	8704	7524	1.47	817	5078	0.52
15.	महाराष्ट्र	19114	14518	0.53	9579	18382	2.77
16.	मणिपुर	0	2506	0.00	0	0	2.47
17.	मेघालय	0	0	0.00	0	0	0.00
18.	मिजोरम	1175	379	0.00	156	2126	22.36
19.	नागालैंड	265	250	0.00	131	154	0.53
20.	उड़ीसा	3967	2273	0.76	1179	1063	0.00
21.	पंजाब	527	1440	0.25	17	1236	0.01
22.	राजस्थान	4660	1957	0.50	3260	5555	0.16
23.	सिक्किम	76	176	0.56	104	170	0.00
24.	तमिलनाडु	2356	5016	0.59	1412	4756	0.00
25.	त्रिपुरा	544	4783	1.07	878	3081	0.48
26.	उत्तरांचल	153	1212	0.00	0	0	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	6919	29031	4.20	6345	5253	4.69
28.	पश्चिम बंगाल	4033	2361	1.92	4030	20222	1.46
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	0	0.87	16	0	0.62
30.	चंडीगढ़	72	961	0.00	35	0	0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	10	98	0.00	0	0	0.00
32.	दमन एवं दीव	0	0	0.00	0	0	0.00
33.	दिल्ली	214	220	0.00	170	300	0.00
34.	पांडिचेरी	1108	1792	1.46	1122	2152	0.64
	कुल	90566	111831	31.24	79688	94067	42.86

न्यायालय के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

3467. **श्री एस.के. खादरवेनचन :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से न्यायालय के भवनों के निर्माण वर्तमान ढांचों को सुधारने और न्यायाधीशों के लिए आवासीय कालोनियों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने एक 10 वर्षीय भावी योजना में 156 न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए 206.26 करोड़ रुपए और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के 299 आवासों के संनिर्माण के लिए 6.89 करोड़ रुपए मंजूर करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) ग्यारहवीं योजना में "न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास" संबंधी स्कीम के लिए लागत प्राप्त करने के इस विभाग के प्रस्ताव में तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया है।

बैंकों में पेंशन लाभ

3468. **श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों में पेंशन धारकों के लाभ के बारे में डी.एस. नकारा बनाम भारत सरकार तथा अन्यों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने पेंशनधारकों को लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कंपनियों और परियोजनाओं में विदेशी निवेश

3469. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों और परियोजनाओं में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने हेतु एक व्यापक अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अब तक प्राप्त विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों तथा जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकार ने एक उदार एवं पारदर्शी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तैयार की है जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रकों/गतिविधियों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है। विदेशी इक्विटी सीमाओं संबंधी उच्चतम सीमा तथा प्रक्रियाविधियों सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की सतत् आधार पर पुनरीक्षा की जाती है जिसका उद्देश्य उच्चतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत:प्रवाह को आकृष्ट करने के लिए एक बेहतर निवेश व्यवस्था का सृजन करना है।

(ख) अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2006 की अवधि के दौरान संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत:प्रवाह की राशि 43.286 बिलियन अमरीकी डालर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (सितम्बर 2006 तक) के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंत:प्रवाह की राशि 4.384 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) ब्यौरे "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति : अप्रैल 2006" में दिए गए हैं जो http://www.dipp.gov.in/publications/fdi_ policy_ 2006.pdf. में उपलब्ध हैं।

करेंसी नोटों की लाइफ

3470. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करेंसी नोटों की लाइफ का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेहतर कागज का प्रयोग करके करेंसी की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंक नोटों की जीवन-अवधि का सांख्यिकीय अनुमान लगाने का कार्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को सौंपा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 2003 में प्रस्तुत की थी। बैंक नोट के जीवनकाल को नोट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट के रूप में जारी किए जाने की तारीख और उस नोट के मैल नोट के रूप में परिचालन से वापसी की तारीख के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया था। नोटों की औसत जीवन-अवधि पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा निकाले गए अनुमान निम्नानुसार हैं:-

मूल्य वर्ग	10 रुपए	20 रुपए	50 रुपए	100 रुपए	500 रुपए
औसत	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष
जीवन अवधि	6 महीने	9 महीने	10 महीने	10 महीने	5 महीने

(ग) और (घ) बैंक नोटों की परिचालन अवधि जलवायु विषयक परिस्थितियों, उपयोग, संचालन की आदतों, अर्थव्यवस्था की रफ्तार और समग्र विकास जैसे कारकों पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कारकों पर ध्यान देते हुए भारतीय बैंक नोटों की जीवनावधि को बढ़ाने के वैज्ञानिक विकल्पों को एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम से ऋण

3471. श्री फुरकान अंसारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सरकार ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांगा गया ऋण प्रदान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) विद्युत यूटिलिटियों के अनुरोध पर पावर फाइनेन्स कारपोरेशन ने एपीडीआरपी के अंतर्गत झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को 222 करोड़ रुपये का काउंटर-पार्ट ऋण तथा झारखंड राज्य में तेनुघाट निगम लिमि. को 1892 करोड़ रुपये ऋण मंजूर किए। इन मंजूरियों के मुताबिक ऋण संबंधी नियम एवं शर्तों के अनुसार 65.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

बीमा संबंधी धोखाधड़ी

3472. श्री अधीर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने पाया है कि भारतीय कानून बीमा संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों में धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीमा संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रभावी कानून बनाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों में या कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ियों में वृद्धि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में, आंतरिक धोखाधड़ी, यदि कोई हो, के संबंध में, मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में उनके सतर्कता विभाग जांच-पड़ताल करते हैं और कार्रवाई करते हैं। बीमा कंपनियों पर व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में कंपनियों से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस में शिकायत दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के लंबित मामले

3473. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के लंबित मामलों से संबंधित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस जानकारी को कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2006 को अतारांकित प्रश्न सं. 2062 पूछा गया था। इस संबंध में दिए गए आश्वासन को दिनांक 10.11.2006 को पूरा कर दिया गया है। इसकी एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

चौदहवीं लोक सभा का सातवां सत्र, 2006

पूरा करने की तारीख 10.11.2006

वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

प्रश्न सं. तथा तारीख	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री किसनभाई वी. पटेल द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 2062	**न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास लंबित मामले** जिसमें पूछा गया था कि:- (क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के पास 2000 के दौरान चोरी हुए शेयरों के कुछ दावे लंबित हैं;	(क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	सूचना अनुबंध में दी गई है।	

1	2	3	4	5
	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;			
	(ग) क्या प्रतिभूति कंपनियों ने एफआईआर के निष्कर्षों को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई को सौंप दिया है;			
	(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिभूति कंपनियों ने दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की है;			
	(ङ) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मुंबई पुलिस द्वारा उनके कर्मचारियों को दोषी न पाए जाने के बावजूद दावा देने से इंकार कर दिया;			
	(च) यदि हां, तो एश्योरेंस कंपनियों द्वारा ऐसे दावों से इंकार करने के क्या कारण हैं; और			
	(छ) सरकार और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दावाकर्ताओं को और अधिक देरी किए बिना राहत देने के लिए उक्त लंबित दावों के निपटान हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?			

अनुबंध

सूचना नीचे दी गई है:

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

(क) दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) ने सूचित किया है कि अब तक, वर्ष 2000 के, गुम हुए/चुराए गए शेयर के संबंध में केवल एक दावा शेष है।

(ख) शेयर का ब्यौरा तथा लंबित होने के कारण:

बीमाधारक का नाम : मैसर्स कोयम्बतूर केपिटल

दावा सं. : 112700/46//00/5190000059

पालिसी सं. : 112700/46/00/51/00000062

मामले का ब्यौरा : शेयर कुरियर मैसर्स, ब्लयू डार्ट एक्सप्रैस लि. द्वारा पारवहन में गुम हुए।

गुम होने की तारीख : 5.9.2000,

लंबित रहने का कारण : कंपनी ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखे ताकि दावे पर कार्रवाई की जा सके।

1. पारवहन में गुम हुए शेयर्स का "अंतरण रोंकने के लिए" कोर्ट का निषेध आदेश।

2. अन्य स्थापन पत्र तथा विधिवत रूप से नोटरी से प्रमाणित मुख्तारनामा।

3. क्या, बीमाधारक ने, उनके द्वारा गुम हुए शेयर के लिए कोई अनुलिपि शेयर प्राप्त किए हैं—के बारे में पुष्टिकरण पत्र।

बीमाधारक ने पारवहन में गुम हुए शेयर्स के लिए "अंतरण रोकने" के निषेध आदेश के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। बीमाधारक ने अन्य दस्तावेजो सहित "कोर्ट के निषेध" आदेश की प्रति कंपनी में अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। कंपनी ने उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पत्र और अनुस्मारक भेजे हैं।

(ग) बीमाधारक मैसर्स कोयम्बतूर केपिटल ने मुम्बई पुलिस की दिनांक 4.9.2000 की एफआईआर सं. 266/2000 की प्रति प्रस्तुत की है।

(घ) कोई भी बीमाधारक कर्मचारी शामिल नहीं है। शेयर्स कुरियर कंपनी द्वारा परिवहन के दौरान गुम हुए थे।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) कंपनी ने, भाग "ख" पर दर्शाये गए अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए दावेदार को कई पत्र और अनुस्मारक भेजे हैं ताकि वे इस संबंध में कार्रवाई कर सके और शीघ्रातिशीघ्र दावे को निपटा सके। उपर्युक्त दस्तावेजों के प्राप्त होते ही बीमा कंपनी इस दावे की प्रक्रिया करके मामले को निपटाएगी।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजनाएं

3474. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची में आर.आर.वी.यू.एन. की दोनों ताप विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोटा और सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वदेशी कोयले का आवंटन किया जा रहा है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) के कोटा और सूरतगढ़ ताप विद्युत स्टेशनों हेतु कोयले की आवश्यकता लगभग 12 मिलियन टन (एमटी) है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) को घरेलू स्रोतों से 10.2 एमटी कोयले की आपूर्ति की जानी है और उन्हें वर्ष के दौरान लगभग 1.2 एमटी कोयले (1.8 एमटी घरेलू कोयले के समकक्ष) का आयात करने की सलाह प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

बने बनाये घरों की खरीद

3475. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से बंगलौर और मैसूर में तथा उसके आस-पास कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए तैयार घरों को खरीदने के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट

3476. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत स्वच्छता के मामले में पिछड़ रहा है तथा इसकी दो-तिहाई जनसंख्या को स्वच्छता सुविधाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकस कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2006 में यह उल्लेख है कि भारत में 33 प्रतिशत लोगों को हमेशा बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत जल एवं स्वच्छता सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली मास्टर प्लान

3477. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेन गोहेन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 से संबंधित विभिन्न मुद्दों हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त करने का निर्णय लिया है जैसाकि 21 नवम्बर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सरकार ने विशेषज्ञों का कोई पैनल गठित नहीं किया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 का प्रारूप तैयार करते समय उसने अनेक उप-दल गठित किए थे, जिनमें आवास, परिवहन, पर्यावरण, उद्योग, सामाजिक अवस्थापना आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों, संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों से विशेषज्ञों तथा व्यवसायिकों को समय-समय पर इनमें शामिल किया गया है।

आरक्षित पदों का बैकलॉग

3478. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एसटी/एसटी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बैंक-वार कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ. पि.व. हेतु रिक्तियों का कोई बैकलॉग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैकलॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार संख्या का बैंक-वार ब्यौरा (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के संबंध में सरकारी अनुदेश सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं बीमा कंपनियों को इस निदेश के साथ अग्रेषित किए गए थे कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, आरक्षित रिक्त पदों को भरा जाए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं एवं बीमा कंपनियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के महाप्रबंधकों के साथ हुई विभिन्न बैठकों में की गई थी तथा उनके साथ मामले को लगातार उठाया गया था। पहचाने गए आरक्षित 3558 रिक्त पदों में से 3381 रिक्त पद 30.11.2006 तक भर दिए गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्रवाई की निगरानी नहीं की जाती है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बैंक का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	3673	1014	219	4906
2.	आंध्रा बैंक	2414	725	413	3552
3.	बैंक आफ बड़ौदा	6730	2335	2168	11233
4.	बैंक आफ इंडिया	8574	3032	1333	12939
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3316	1041	636	4993
6.	केनरा बैंक	9465	2483	2702	14650
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	8573	2481	1662	12716
8.	कारपोरेशन बैंक	2046	480	863	3389
9.	देना बैंक	2283	1108	195	3586
10.	इंडियन बैंक	5243	954	618	6815
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6504	937	695	8136
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2966	631	886	4483
13.	पंजाब नेशनल बैंक	13160	2653	4045	19858
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1579	210	196	1985
15.	सिंडिकेट बैंक	5342	1545	232	7119
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	6476	1489	2084	10049
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3882	887	202	4971
18.	यूको बैंक	4632	1156	93	5881

1	2	3	4	5	6
19.	विजया बैंक	1475	550	785	2810
20.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	36699	11210	5391	53300
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2410	856	156	3422
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2185	697	1080	3962
23.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1115	679	221	2015
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1696	497	562	2755
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3292	168	730	4190
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1186	728	242	2156
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1964	375	1465	3804
28.	आई.डी.बी.आई.	522	184	155	861
29.	नाबार्ड	883	421	507	1811
30.	एक्जिम बैंक	23	18	16	57
31.	राष्ट्रीय आवास बैंक	7	4	13	24
32.	सिडबी	143	57	79	279
33.	भारतीय रिजर्व बैंक	5520	2085	660	8265
	कुल	155978	43690	31304	230972

[अनुवाद]

मारीशस के साथ दोहरा कराधान समझौता

3479. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारीशस सरकार के साथ कर मामलों संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या व्यापार समूह कर संधि में परिवर्तन के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारत-मारीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय पर

एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। संयुक्त कार्य दल के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित के जरिए भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अंतर्गत, सूचना के आदान-प्रदान हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल है:-

"(i) जहां अपेक्षित हो, वहां घरेलू कानूनों में उपयुक्त विधाई परिवर्तनों के लिए दोनों देशों के कार्यकारी और विधाई संगठनों को सिफारिश करते हुए यह सुनिश्चित करना कि भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अंतर्गत बैंकिंग सूचना सहित सूचना प्राप्त करने तथा उसका आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास शक्तियां हों।

(ii) नए ओ ई सी डी मॉडल करार के आधार पर "कर मामलों में सूचना के आदान-प्रदान पर व्यापक करार" निष्पन्न करना।"

संयुक्त कार्य दल की क्रमश: दिल्ली में और पोर्टलुईस में दो बैठकें हुई हैं।

(ख) किसी व्यावसायिक समूह से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत की हिस्सेदारी में कमी

3480. श्री काशीराम राणा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री हरिन पाठक :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के अनाबंटित कोटे से गुजरात को विद्युत आबंटन में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस कमी पर आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यू आर) में केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) के अनाबंटित कोटे से विद्युत के आबंटन को फरवरी, 2006 में संशोधित किया गया था और कंफर्टबल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गुजरात, जो कम बिजली आहरित कर रहा था और बिजली की बिक्री भी कर रहा था को आबंटन कम करके क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कमी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन किया गया था।

पूर्वी क्षेत्र (ईआर) में एनटीपीसी स्टेशनों के अनाबंटित/सरेंडर किए गए कोटे से विद्युत के आबंटन को नवम्बर, 2005 में संशोधित कर दिया गया था और गुजरात समेत दूसरे क्षेत्रों के अधिकांश राज्यों, का आबंटन कम कर दिया गया था क्योंकि पूर्वी क्षेत्र संघटकों की मांग थी कि पूर्वी क्षेत्र की विद्युत उन्हें पुन: बहाल की जाए।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने आबंटन को बहाल करने और पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र के सीजीएस से गुजरात को आबंटन में कमी के कारणों को संसूचित करने का अनुरोध किया है और इसे राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. ने पश्चिमी/क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र में सीजीएस की अनाबंटित विद्युत से आबंटन पुन: बहाल करने का अनुरोध किया है। विद्युत आपूर्ति की विद्यमान स्थिति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जरूरत (आकस्मिक/मौसमी के स्वरूप के आधार पर सीजीएस की अनाबंटित विद्युत के आबंटन की समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है।

विकास अधिकारियों के वेतन में संशोधन

3406. श्री के. फ्रांसिस जार्ज :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विकास अधिकारियों के वेतन में संशोधन करने से इंकार कर दिया गया है जो कि अगस्त 2002 में देय था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) दी जनरल इंश्युरर्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन आफ इंडिया (जिप्सा) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों में विकास अधिकारियों सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन प्रस्ताव (दिनांक 1.8.2002 से देय) के संबंध में कंपनियों की उत्पादकता एवं कार्यक्षमता को सुधारने के लिए एक संगठनात्मक एजेंडा भी शामिल है। इस संगठनात्मक एजेंडा में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण और अंतरणीयता नीति (टीएमपी) शामिल हैं तथा संबंधित संघों/संगठनों से वेतन संशोधन पैकेज के एक भाग के रूप में इससे सहमत होने की अपेक्षा की गई थी। श्रेणी-I, श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV कर्मचारियों के संघों/संगठनों ने संगठनात्मक एजेंडे पर सहमति दी थी और वैसे वेतन संशोधन के लाभ प्राप्त किए गए थे, जिसको तदनुसार दिनांक 21.12.2005 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, श्रेणी-II कर्मचारियों (विकास अधिकारियों) के संघों/सगठनों द्वारा संगठनात्मक एजेंडे पर सहमति न दिए जाने के कारण उनसे संबंधित वेतन संशोधन का कार्यान्वयन नहीं हो पाया। यह मामला इस समय कुछ विकास अधिकारियों एवं उनके संगठनों द्वारा विभिन्न अदालतों के समक्ष चुनौती दिए जाने के कारण न्यायाधीन है।

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण

3482. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निजी ऋण प्रदाताओं को लुभाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी तथा अन्यों के साथ बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवसरंचनात्मक परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि जुटाई जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। इस मुद्दे पर आर्थिक कार्य विभाग के अवसंरचना प्रभाग, पूंजी बाजार प्रभाग और बैंकिंग प्रभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक की एक बैठक हुई थी जिसमें अवसंरचना परियोजनाओं के निधीयन में निजी ऋणदाताओं की भागीदारी में आने वाली समस्याओं को रेखांकित करने के लिए एक मास्टर पेपर तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था। मास्टर पेपर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्यों के साथ चर्चा करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी समिति ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं का अनुमान इस प्रकार लगाया है : वर्ष 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में 2,20,000 करोड़ रुपए, वर्ष 2010 तक विमानपत्तन क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ रुपए और पत्तन क्षेत्र के लिए वर्ष 2012 तक 50,000 करोड़ रुपए। विभिन्न अनुमान दर्शाते हैं कि आगामी 4-5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्रों के लिए कुल निवेश आवश्यकता 320-350 बिलियन डालर होगी। उपर्युक्त आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आना चाहिए।

विद्युत परियोजनाओं हेतु कोल लिंकेज

3483. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) ने 250 मेगावाट की सन्तालडिह विस्तार परियोजना हेतु कोल लिंकेज में तेजी लाने तथा कटवा, सागरदिघी तथा बारकेश्वर विद्युत परियोजना हेतु कोल लिंकेज प्रस्तावों हेतु विद्युत मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ख) सदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल पावर डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) से 250 मेगावाट सन्तालडिह विस्तार परियोजना हेतु कोयला लिंकेज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है। कटवा, सागरदिघी और बारकेश्वर में विद्युत परियोजनाओं हेतु लम्बी अवधि कोल लिंकेज पर 11.05.2006 को कोयला मंत्रालय की स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी

(दीर्घावधि) द्वारा विचार किया गया था। हालांकि, समिति ने इन परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोल लिंकेज प्रदान नहीं की थी क्योंकि कोल ब्लॉकों का आबंटन पहले से ही डब्ल्यूबीपीडीसीएल को कर दिया गया था।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के अपने पत्र के माध्यम से डब्ल्यूबीपीडीसीएल से आवंटित कोयला ब्लाकों की अंत प्रयोग परियोजनाओं को चिह्नित करने तथा किसी कमी की स्थिति में प्रयोग किए गए कोल लिंकेज हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं हेतु धनराशि का आबंटन

3484. श्री ब्रजेश पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाएं चलाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों तथा अंतिम तिमाही के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागरिक सुविधाएं

3485. श्री हरिन पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगरीय शहरों के टाइप-I और टाइप-II सरकारी क्वार्टरों में रहने वालों से क्षेत्र में मलिन बस्ती जैसी स्थितियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) महानगरों के क्षेत्रों के सम्पदा प्रबंधकों और सहायक महानिदेशक से सूचना प्राप्त की जानी है।

[हिन्दी]

दिल्ली में केन्द्र सरकार के क्वार्टर

3486. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टाइप-I से टाइप-IV क्वार्टरों की टाइप-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ क्वार्टर गत कुछ वर्षों से खाली पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और क्वार्टर बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल रिहायशी वास (जीपीआरए) टाइपवार संख्या (टाइप-I से टाइप-IV) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न श्रेणियों के वास के अंतर्गत कुल 807 सामान्य पूल रिहायशी वास (जीपीआरए) खाली हैं। खाली क्वार्टरों का टाइप-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 807 क्वार्टरों में से 132 क्वार्टर बिजली के बिलों की अदायगी न होने के कारण खाली हैं, 295 क्वार्टर केलोनिवि द्वारा खतरनाक घोषित किए जाने के कारण खाली हैं, 76 क्वार्टर अस्थाई मरम्मत के कारण खाली हैं, 228 क्वार्टर इस कारण खाली हैं कि वे अलोकप्रिय स्थानों में हैं और उनके आसपास का इलाका अच्छा नहीं है तथा 76 क्वार्टर इसलिए खाली हैं कि उनमें अलग शौचालय, स्नानघर इत्यादि जैसी सुविधाएं नहीं हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिल्ली में कुछ क्वार्टरों का निर्माण करने की मंजूरी दी है। हुडको प्लेस एन्ड्यूजगंज, नई दिल्ली में 319 ट्रांजिट वास निर्माणाधीन है तथा इनका निर्माण कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूरा किया जाना है। दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के वास के अंतर्गत 2242 सामान्य पूल रिहायशी वास का निर्माण स्वीकृत किया गया है। योजनाओं के अनुमोदन, धनराशि के नियतन तथा स्थल सौंपने इत्यादि जैसे कारणों के कारण निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ।

विवरण

क्र. सं.	वास की टाइप	वास की संख्या	खाली पड़े वास की संख्या
1.	I	16960	240
2.	II	23705	436
3.	III	11870	103
4.	IV	5435	14
5.	IV(विशेष)	798	—
6.	Vए(डी-II)	1360	—
7.	Vबी(डी-I)	885	—
8.	VIए(सी-II)	446	7
9.	VIबी(सी-I)	158	4
	कुल	61617	807

ग्रामीण व्यापार केन्द्र

3487. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चलाए जा रहे ग्रामीण व्यापार केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन व्यापार केन्द्रों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन केन्द्रों के वित्त के स्रोत क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ गठित अधिशासी निकायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना का विस्तार कुछ अन्य राज्यों में किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इनका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण व्यापार केन्द्र/ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र, पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न राज्यों में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों या ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों (आरबीएच) के बारे में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), देश के विभिन्न ब्लॉकों में इन व्यापार केन्द्रों के सृजन के लिए पंचायतों, उद्योगों तथा व्यापार जगत के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इन्हें सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन करने/उनमें सुधार करने/परिष्कृत करने तथा उन्हें और अधिक बाजारों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

(ग) ग्रामीण व्यापार केन्द्र/आरबीएच केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है और इसके लिए राज्य या केन्द्र सरकार से कोई प्रत्यक्ष वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है। प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायतें कार्य कर रही हैं, वहां आरबीएच के लिए पंचायतें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के बीच समन्वय रखेंगी। ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों का वित्तपोषण, सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी सिद्धांत पर आधारित एक व्यापारिक गतिविधि के रूप में किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध 'टाप-अप' निधियों से भी सहायता मिलेगी। नाबार्ड, केवीआईसी आदि जैसे विशिष्टीकृत संस्थानों से भी सहायता प्राप्त किए जाने का विचार है।

(घ) केन्द्रों की स्थापना को गति देने के उद्देश्य से केन्द्र स्तर पर एक आरबीएच परिषद स्थापित की गई है जिसके सह-अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री और श्री सुनील कांत मुंजाल, निवर्तमान अध्यक्ष,

सोआईआई हैं। आरबीएच परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्य योजना तैयार करने में आरबीएच परिषद की सहायता करने के लिए सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में एक आरबीएच कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। आरबीएच की स्थापना में स्थानीय पंचायतों की सहायता के लिए कई राज्यों में राज्य आरबीएच परिषदें स्थापित की गई हैं जिसके राज्य के पंचायती राज मंत्री/सचिव, पंचायती राज विभाग और अध्यक्ष, राज्य सीआईआई सह-अध्यक्ष हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार का देश के सभी ब्लॉकों में आरबीएच स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, समूचे देश में आरबीएच स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र पहल के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए समझौतों की सूची

क्र.सं.	दिनांक	ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला/राज्य	कंपनी का नाम	उत्पाद
1	2	3	4	5
1.	13.8.05	रामगढ़ ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	नीमराना समूह एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
2.	13.8.05	बेतालघाट ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	जयकाली ग्रामोद्योग फल प्रसंस्करण एवं प्रसोधन इकाई एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
3.	13.8.05	काशीपुर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	कांशीपुर एग्रो इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
4.	13.8.05	भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	सेखो, जनशिक्षण संस्थान एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
5.	13.8.05	रामनगर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	डेलिशिया फूड्स (प्रा.) एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
6.	13.8.05	भमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	सुरूची फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
7.	13.8.05	रामनगर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	इमैजिनेशन एग्री एक्सपोर्ट्स एवं आईटीसी लिमिडेट	फल प्रसंस्करण
8.	13.8.05	हल्द्वानी ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	हैंड्स के इंटरप्राइजेज (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
9.	13.8.05	भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	नैनीताल फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण

1	2	3	4	5
10.	13.8.05	काशीपुर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	जिंदल फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
11.	13.8.05	हल्द्वानी ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	ब्लिस फूड प्रडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
12.	9.10.05	पिनागवान/पुन्हाना/मेवात/हरियाणा	डी । आयल्स इंडिया प्रा.लि.	जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल
13.	9.10.05	होडल और हसनपुर ब्लाक/फरीदाबाद/हरियाणा	डी । आयल्स इंडिया प्रा.लि.	जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल
14.	फरवरी, 06	बिलासपुर छछरोली जगाधरी और सधौरा ब्लाक/यमुना नगर/हरियाणा	डी । आयल्स इंडिया प्रा.लि.	जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल
15.	23.1.06	गौरीगंज ब्लाक/जिला सुल्तानपुर/उत्तर प्रदेश	सैल्फ एम्प्लायड विमेंस एसोसिएशन (सेवा)	हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद
16-37.	24.2.06 को 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए	कर्नाटक राज्य में विभिन्न ग्राम पंचायतें	मलवल्ली पॉवर प्लांट लि., बैंगलौर इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मंगलौर इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हुबली इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी गुलबर्गा इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	विद्युत उत्पादन/विवरण
38-42.	24.2.06 को 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए	हम्पी, कर्नाटक राज्य में पांच ग्राम पंचायतें	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	कलाकृति/गारमेंट डिजाइन
43.	29.7.06	मूवालूर पंचायत, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	क्लासिक बायोमास	बायो गैसीफायर
44.	29.7.06	कोडीमंगलम गांव, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	क्लासिक बायोमास	बायो गैसीफायर

1	2	3	4	5
45.	29.7.06	कोडीमंगलम गांव, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	शमीना फूड इंडस्ट्रीज	गुणवत्तापूर्ण अट्टा एवं मूल्य संबंधित उत्पाद
46.	29.7.06	वल्लालहरम गांव, मइलादुथूरई ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	केएमआर इंडस्ट्रीज	शुष्क नारियल चूर्ण तथा संबंधित नारियल उत्पाद
47.	29.7.06	कप्पुत गांव, कुट्टालम ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	एसीटी चैम्बर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	गुणवत्तापूर्ण चैम्बर ब्रिक्स
48.	30.7.06	कंजानगरम गांव, सेम्बानरकोईल ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	शिव शक्ति सीड्स	धान बीजों का उत्पादन
49.	30.7.06	अन्नावसल गांव, सेम्बानरकोईल ब्लाक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	एनएसी फार्म प्रोडक्ट्स	आर्गेनिक केलों का उत्पादन तथा प्रसंस्कृत उत्पाद
50.	30.7.06	सेमंगलम गांव, सेम्बानरकोईल ब्लाक, नागापट्टिनम जिला तमिलनाडु	आरकेएस डेरी फार्म	गुणवत्तापूर्ण दुग्ध प्रसंस्करण, उसकी पैकिंग तथा अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद
51.	20.8.06	थिरूवेंगडू गांव, सिरकाली ब्लाक, नागापट्टनम जिला	शिव शक्ति डेयरी फार्म	गुणवत्तापूर्ण दुग्ध प्रसंस्करण, उसकी पैकिंग तथा अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद
52.	20.8.06	थिरूवेंगडू पंचायत गांव, सिरकाली ब्लाक, नागापट्टनम जिला	श्री बालाजी मिल्क डेयरी (प्रशीतन संयंत्र)	दुग्ध प्रशीतन संयंत्र
53.	20.8.06	बालाजी नगर, सन्तानाथापुरम गांव, सिरकाली तालुक, नागापट्टनम जिला	श्री अप्सरा गारमेंट्स	रेडीमेड वस्त्र
54.	20.8.06	गांधी नगर, पल्लीवस्सम, तिरुवरूर जिला	श्री दुर्गा विलास	मूंगफली उत्पाद
55.	20.8.06	चिदम्बरम मेन रोड, अलकोन्डानाथम, पीओ कट्टूमनारकोइल तालुक, कुड्डालूर जिला	श्री अविरामी सॉ मिल	टिम्बर सॉ मिल और फर्नीचर तथा फिटिंग्स का निर्माण

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3488. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा उनसे सृजित की जा रही विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या आई.डी.बी.आई. और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक साथ मिलकर लघु विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) दिनांक 31.10.2006 के अनुसार देश में समग्र रूप से 1860 मेवा. की 566 लघुपनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिनके राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं से वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित विद्युत उत्पादन 3652 मिलियन किवा.घं. था।

(ख) और (ग) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम, आईडीबीआई, आईडीएफसी और बैंकों द्वारा पहले से ही अक्षय विद्युत परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा रहा है, ये परियोजनाएं सामान्यतया पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं की तुलना में छोटी हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों से नियमित आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण पाए जाते हैं अथवा स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं होते हैं। पूर्ण प्रस्तावों पर बजट प्रावधानों के अध्यधीन विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

संस्थापित एसएचपी परियोजनाओं (25 मेवा. तक) के राज्यवार विवरण (31.10.2006 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	स्थापित परियोजनाएं		वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमानित उत्पादित विद्युत (मिलियन किवा.घं. में)
		(संख्या में)	क्षमता (मेगावाट में)	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57	178.81	357.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	64	44.30	88.60
3.	असम	3	2.11	4.22
4.	बिहार	7	50.40	100.80
5.	छत्तीसगढ़	4	11.00	22.00
6.	गोवा	1	0.05	0.10
7.	गुजरात	2	7.00	14.00
8.	हरियाणा	5	62.70	125.40
9.	हिमाचल प्रदेश	56	132.58	264.16
10.	जम्मू एवं कश्मीर	32	111.49	219.48
11.	झारखंड	6	4.05	8.10
12.	कर्नाटक	60	351.13	659.26
13.	केरल	15	95.12	169.24

1	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	8	41.16	82.32
15.	महाराष्ट्र	27	207.08	414.16
16.	मणिपुर	8	5.45	10.90
17.	मेघालय	3	30.71	61.42
18.	मिजोरम	16	14.76	29.52
19.	नागालैंड	9	20.67	41.34
20.	उड़ीसा	6	7.30	14.60
21.	पंजाब	29	122.55	245.10
22.	राजस्थान	10	23.85	47.70
23.	सिक्किम	14	38.61	77.20
24.	तमिलनाडु	12	77.70	155.40
25.	त्रिपुरा	3	16.01	32.02
26.	उत्तर प्रदेश	9	25.1	50.20
27.	उत्तरांचल	76	75.45	150.90
28.	पश्चिम बंगाल	23	98.40	196.60
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	5.25	10.50
	कुल	566	1,860.79	3652.86

बैंकों में रिक्तियां

3489. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्तियों की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसी रिक्तियों के भरे जाने पर कोई प्रतिबंध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पेंशनरों का उत्पीड़न

3490. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशनरों को पेंशन के आहरण में उत्पीड़ित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को, पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी संघ से बैंकों के विरुद्ध महंगाई राहत/परिवार पेंशन, पेंशन खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखने, वृद्ध/बीमार/अक्षम व्यक्तियों, बैंक परिसरों में अपर्याप्त सुविधाओं, शाखाओं द्वारा पति/पत्नी, नामित व्यक्तियों के साथ संयुक्त खाते खोलने की अनुमति न देने आदि के संबंध में शिकायतें मिली हैं।

ऐसी शिकायतें संबंधित बैंकों को ब्यौरा देने हेतु तत्काल भेज दी जाती हैं और उन्हें शिकायत निवारण करने के लिए कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेंशन भुगतान करने वाले सभी बैंकों से कहा है कि वे सरकार द्वारा उन्हें डाक/फैक्स/ई-मेल द्वारा भेजे गए या संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकारियों की वेबसाइट में जाकर महंगाई राहत और अन्य भत्तों के संबंध में जारी सरकारी आदेशों की प्रतियों के आधार पर ही उन पर सीधे कार्रवाई करें और इसके लिए अगले अनुदेश मिलने की प्रतीक्षा न करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि उनके प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पेंशन योजनाओं/नियमों से संबंधित विषय शामिल करें। बैंकों को यह अनुदेश भी दिए गये हैं कि वृद्ध/बीमार/अक्षम व्यक्तियों के पेंशन खातों के परिचालन हेतु उनका बैंक शाखा में आना आवश्यक न बनाएं।

सीवेज डिस्पोजल स्कीम

3491. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर जिले की सीवेज डिस्पोजल स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 540.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इंदौर की सीवरेज परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी अनुमोदन तथा एशिया विकास बैंक/विश्व बैंक/आवास एवं नगर विकास निगम/एनसीआरडी से अनुदान/राज्य योजना कोष से संभव ऋण सहायता हेतु भी भेजी थी।

तकनीकी जांच के बाद मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत प्रस्तुत किया था। वर्ष 2006-07 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 307.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 30.715 करोड़ रुपयें की राशि जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

डीमैट खाता

3492. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीमैट खाते के लिए नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्ववर्ती नियमों की तुलना में इसमें समस्याएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो समस्या के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अनेकानेक डिमैट खातों को खोलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई समस्याओं का निवारण करने के उद्देश्य से, सेबी ने अपने ग्राहक को जानें मानदंडों को अभिवर्धित किया है। इसने पहली अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् डिमैट खाते खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य बना दिया है। पहली अप्रैल, 2006 से पूर्व खोले गए डिमैट खातों के संबंध में खाता धारकों के लिए 31 दिसम्बर, 2006 तक निक्षेपागारों को पैन उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) और (घ) निवेशकों को पैन अनुपालक बनाने के उद्देश्य से सेबी ने समयावधि को 31 दिसम्बर, 2006 तक बढ़ा दिया है तथा संक्रमण की प्रक्रिया में किन्हीं कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए स्पष्टात्मक परिपत्र जारी किए हैं। जहां पैन उपलब्ध नहीं कराया जाता, वहां डिमैट खाते को उसके उपलब्ध कराए जाने तक "डेबिट के लिए निलंबित" कर दिया जाएगा। सीबीडीटी ने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों को पैन जारी करना सुकर बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मैनुअल स्क्वैन्जर्स

3493. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक निर्धारित समयावधि के भीतर मैनुअल स्कैवेन्जिंग को समाप्त करने की व्यापक योजनाओं/स्कीमों के लिए एक दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता के मामले को केन्द्र

और राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के साथ जोरदार ढंग से उठाता आ रहा है।

मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय परिसर

3494. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए उनके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् आश्रय प्रदान करने के लिए आवासीय परिसर स्थापित करने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों हेतु उक्त आवासों का निर्माण करने में गैर-सरकारी संगठनों को समर्थ बनाने हेतु उन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

3495. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लाभार्थ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सूचना आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सूचना प्रणाली के माध्यम से आग, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जिला स्तर पर सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कराये गए पेटेंट

3496. श्री एल. राजगोपाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कराये गए पेटेन्टों का वर्ष-वार, देश-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या रणनीतियां अपनायी गई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) (i) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स का वर्ष-वार ब्यौरा:-

भारत - कुल संख्या 63

दिसम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002	दिसम्बर, 2002 से नवम्बर, 2003	दिसम्बर, 2003 से नवम्बर, 2004	दिसम्बर, 2004 से नवम्बर, 2005	दिसम्बर, 2005 से नवम्बर, 2006
6	11	9	15	22

विदेशी - कुल संख्या 74

दिसम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002	दिसम्बर, 2002 से नवम्बर, 2003	दिसम्बर, 2003 से नवम्बर, 2004	दिसम्बर, 2004 से नवम्बर, 2005	दिसम्बर, 2005 से नवम्बर, 2006
6	16	10	21	21

(ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	देश	फाइल किए गए पेटेंटों की संख्या
1	2	3
1.	इंडोनेशिया	3
2.	कोरिया	3
3.	जापान	7
4.	यूएसए	22
5.	सिंगापुर	1
6.	फिलीपीन्स	3
7.	यूरोपियन पेटेंट कार्यालय	11
8.	वियतनाम	2
9.	बंगलादेश	1
10.	श्रीलंका	2
11.	थाइलैंड	2
12.	रशिया	1
13.	ब्रिटन	1
14.	चीन	5
15.	दक्षिण अफ्रीका	3
16.	ब्राजील	1
17.	टर्की	1
18.	मलेशिया	1
19.	अरीपो	1
20.	आस्ट्रेलिया	1
21.	जर्मनी	1
22.	कनाडा	1

(iii) पिछले पांच वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	उत्पाद-वार
1	2
1.	पौध ऊतक रूपांतरण के लिए सुनहरे अणुओं पर डीएनए संगणन का एक तरीका
2.	पेनेसिड और गैर-पेनेलिड का गहन तंत्र हेटेरिज में पानी को नाइट्रीफाइंग करने के लिए बायोरिएकटर्स
3.	जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वायरस के लिए शिमेर्कटी हैल्पर बी कोशिका पेपटाइड टीका
4.	स्वेदेशी फरमेंटर (पेटेंट तथा आकार पंजीकरण)
5.	आण्विक नैदानिकी, एंट्रीक ज्वर तथा दूषित खाद्य नमूनों के लिए प्रक्रिया
6.	मानव बीमारियों के मच्छर वैक्टर के लिए एक सूक्ष्मीय नियंत्रण एजेंट
7.	ब्रुगुजा मेलाई 9 एमएफ ईएस-22 ग्लाकोप्रोटीन को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया
8.	फलैंकिंग श्रृंखला और एक किट देयरफॉर को विभाजित करने के लिए एक प्रक्रिया
9.	औपचारिक तकनीकों जोकि एम.ट्यूबरकुलोसिस के बिरूलेंस में एम. ट्यूबरकूलोसिस प्रभेद का प्रवेश कराती हैं और इसके अनुप्रयोग की क्षमता रखते हैं की मयूटेंट डेव आर जीन की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया

1	2
10.	रोटेरावायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षित बकरी कोलोस्ट्रम की तैयारी
11.	सहसंवर्धन द्वारा गौलिक अम्ल को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया
12.	एथिरोस्कलोरोसी और हाइपरलिपिडिमिया की तैयारी के लिए एक नोवन पॉली हर्बल
13.	एक लवण सहनीय एल मायो इनोसिटोल एक फासफेट का संश्लेषण और इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया
14.	कॉफी बैरी बाडर (सीबीबी) के विरुद्ध एक जैवकीटनाशक संगठन को तैयार करने की प्रक्रिया
15.	पशुओं में खाद्य मुख बीमारी (एफएफटी) की नैदानिकी के लिए एक मुख्य प्रतिरक्षा जैवसैंसर उपस्करण
16.	माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के हिस्टोन जैसे प्रोटीन का खंडन करने वाले हपबी जीन का चित्रण
17.	माडल तंत्र में लीवर की गंभीर असफलता में गोटहेपोटोसाइटिस का हेराप्यूटिक अनुप्रयोग एवं इन-विट्रो चित्रण
18.	भौतिक चरण पेपटाइड संश्लेषण के लिए एक नई लचीली तथा तंत्रिक स्थिर पालीमर सहायता
19.	पौधों में शुष्क सहनीयता के लिए एक मुख्य डीएनए मार्कर
20.	पोलोमनरी तथा अतिरिक्त पोलोमनरी की ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए एक किट
21.	ऑक टसर/कक्कून को पाइनेपल अर्क का प्रयोग करते हुए पकाने के लिए एक सुधरी हुई प्रक्रिया
22.	माइक्रोटिब्यूल के रूप में एक मुख्य संशलिस्ट योगिक, डीएटी 1 का प्रयोग
23.	फिनाजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर को इसको तैयार करने के लिए प्रक्रिया
24.	कैंसर के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला एक कीमोथयोरेपटिक कम्पोसजन
25.	क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस के लिए पीसीआर आधारित जांच तकनीक
26.	फर्न शेरटेंथिस से निकाले गए अर्क को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया
27.	स्पिलेरक्टिया न्यूक्लियर पाली हैड्रोसिस वायरस (एसओएनपीवी) पेपाटाइड्स को उत्पादित करने का तरीका
28.	ट्राइकोड्मा के पुन: प्रयोग ग्रेन्यूलर तैयारी के लिए एक प्रक्रिया
29.	वायरल विरोधी एवं राइबाजोम निष्क्रियता कार्यविधी के साथ सीडीएनए एनकोड करने वाला एक प्रोटीन
30.	यू वी किरणों का प्रयोग करते हुए चाय में स्वाद को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया
31.	जड़ अंग संवर्धन के लिए एक रिएक्टर
32.	पौध कॉलिस टिमोन रिजीडेस आरवीआर के अर्क की सूक्ष्मविरोधी/जैविक विरोधी कार्यविधी
33.	सक्षम एजैविक फासफेट को घोलने वाला
34.	जैवकीटनाशकों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक मुख्य प्रक्रिया
35.	पेरूडोमानोस-एसपी एमआई प्रभेद से एक गलैकटोसिडेज-एक एलंकाटी सहनीय उत्पादन के लिए प्रक्रिया
36.	भारतीय पोडोफिल्म, पोडोफिल्म हैक्साड्रम रायल की कोशिका पंक्तियों के उच्च उत्पादन में पोडोफिलो टाक्सिन की उत्पत्ति के लिए एक तरीका (सुधरी हुई प्रक्रिया)
37.	वर्टीकल भौतिक स्थिति रिएक्टर
38.	पाइपर निग्रम के लिए सूक्ष्म उपग्रह को विकसित करने के लिए एक तरीका

1	2
39.	चावल के एक नोवल जीन ओएसआईएसएपी 1 और जीन ओएसआईएसएपी 1 का प्रयोग करते हुए पौध तंत्रों में दबाव सहनीयता का परिचालन करने याला एक तरीका
40.	भौतिक चरण जैविक संश्लेषणक के लिए पीएस-ए-पीजी और डीएमए-ए-पीईजी जेल डेंडर मेर रेसिन्स फार सालिड फेस आर्गेनिक सिंथेसिस
41.	पेनेस मोनोडोन (जाइंट ब्लैक टाइगर श्रिम्प) के बीमारी अवरोधकता जनसंख्या को पहचानने के लिए एक सूक्ष्म उपग्रह डीएनए मार्कर
42.	एचआईवी-! सक्रिय बैक्टरियल बैकोलोवायरस पुनर्संयोजक ई-पैप
43.	साल्मोनेला टीफीटी 2 के आउटर मेंब्रेन प्रोटीन सी की क्लोनिंग एवं निष्पीडन तथा टायफायड ज्वर के लिए एक टीके के रूप में वीपौलीसेकेराइड के प्रयोग के लिए घुलनशील प्रोटीन को शुद्धिकरण एवं कन्जोगेशन
44.	आरनेबिया हिसपीडिसमिया के जेनेटिक रूपांतरण मध्यस्थ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स मध्यस्थ और कैलेस में सीधी पुनः उत्पत्ति, शीकोनीन परिचालन का तरीका
45.	संयुक्त भौतिक चरण जैविक संश्लेषण के लिए विनजेल, डेन्ड्राइमर रेजेंस और तरल चरण जैविक संश्लेषण के लिए बिनोजेल जैसे घुलनशीलों की एक नई श्रेणी
46.	आर्जेन पौध को बांधने वाले मैनोन्स लैक्टिन्स का प्रयोग करते हुए मानव हेमेटापीएटी स्टेम/प्रोजेनेटर कोशिकाओं का संरक्षण
47.	केलीमाइडिया ट्रेकोमैटिस और निसीरिया गानोरोइया का (नैदानिकी के लिए प्रोटोटाइप्स किट्स) पीसीआर आधारित आकार
48.	पौधों में चावल टुंग्रो बेसिली फोरम से लिए गए वायरल प्रोमोटर की जीन निष्पीडन प्रणाली
49.	ट्रेकोड्रमा हार्जियानम और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस वाले जैवकीटनाशकों के संयुक्त संगणन और एक जैविक उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास
50.	प्रोटोक्लोरोफाल्यूड ऑक्सीडो रेडक्टेज सी और इसकी अन्य आइसोफार्म के अत्यधिक निष्पीडन द्वारा जैविक तथा अजैविक दवाओं से पौधों की अवरोधकता
51.	फेनुग्रीक बीज का डायलाइजिस एजिएस अर्क हाइपो गलेसेरेमिक उत्पन्न करता है, मधुमेह में कार्यविधी....
52.	सुमियर माइक्रोस्कोपी संवर्धन और पोलीमेरेज श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा ट्यूबरकुलोसिस की नैदानिकी के लिए एक तरीका
53.	पेस्टेडेसपेटिस रूमिनेन्टस (पीपीआर) वायरस से संबंधित एंटीबाडीस की गुणवत्ता जांच के लिए स्ट्रिप्स टैस्ट
54.	बैक्टरोफेजेज का प्रयोग करते हुए श्रिम्प हैचरीस में लियूमिन्स बैक्टीरिया का जैवनियंत्रण
55.	जलकृषि तंत्रों में विवरियो एसपीसी के लिए की जांच एवं इनोमरेशन के लिए ओलिगोन्यूकलयोटाइड प्रोब
56.	ब्रुसिला टीके के रूप में फ्यूजन प्रोटीन एवं न्यूक्लूयोटाइड
57.	गांव के गोबर पर सूडोमानास फलोरोसेंसिस की बहुगुणा
58.	ब्यूटी प्रजातियों की स्टीरियापोराइसिस विरोधी सक्रियता
59.	पोलीहाइड्रोक्सिलएलकानोएट कोपॉलीमर के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया
60.	केपसाइसिन संश्लेषण और पंजेसि फैक्टर आइसोलेटिड के लिए इसकी जीन जिम्मेदारी तथा कैपसिकम एसपीपी के पलेसेंटल उतकों से चित्रित
61.	फ्यूसेंट प्रभेद का प्रयोग करते हुए वर्बेनोल के उत्पादन के लिए प्रक्रिया
62.	एक नोवल पेंसिलियोनम एसपी का प्रयोग करते हुए वाइसिकल (3-1-1) हैप्ट 3 आरएन 2 के उत्पादन के लिए एक सुधरी हुई प्रक्रिया

1	2
63.	जैविक अम्लों और उनके सहअम्लों के नाप के लिए महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया
64.	तीन कोमेरिनोलिग्नोएडस के संयोजन से बनी हुई एक इम्यूनोमोडेलेटरी फार्मास्यूटिकल यौगिक, और इसको तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया
65.	किसी ठोस प्रमिएबल सामान में गैस क्षमता को नापने के लिए एक उपस्कर तथा तरीका
66.	एक सूक्ष्म उपचार द्वारा एक कोलेजेनस साधन से एटिलोपेपटाइड कोलेगन के अर्क के लिए एक प्रक्रिया
67.	कालरा के लिए एक गैर-विषाक्तता मौखिक टीके को तैयार करने के लिए प्रक्रिया
68.	यूकेरियोटिक तंत्र में मिलानिन को इन्डयूस करने के रूप में महत्वपूर्ण प्लेसेंटल अर्क से एक सेरामाइड को तैयार करने की एक प्रक्रिया
69.	आनुवंशिक रूपांतरित जीवों और प्राकृतिक विभाजकों या बेसिलस थुरिनजियर्सिस में वनस्पति कीट प्रोटीन (वीआईपी) जीन की जांच के लिए पीसीआर आधारित कीट
70.	प्रोटीन्स के शुद्धिकरण के लिए सुधरी हुई पौलीमरी सहायता को तैयार करने की एक प्रक्रिया
71.	मेक्रोपोरस बीडीड क्रास लिंक्ड कोपोलीमर्स के डेरीवेटाजेशन के लिए एक प्रक्रिया
72.	पौध उत्पत्ति का एक मानकीकृत प्रतिरक्षा माडुलेटरी फ्रेक्शन
73.	सुबेरशिया चिराटा हेम की इन-विट्रो पुन: उत्पत्ति के लिए सीनरजिस्टिक ऊतक संवर्धन मीडिया संगणन
74.	एसेपेरागस रेसमोसस से एक नोवल ओलिगो स्पीरो स्टेनासाइड के विभाजन के लिए एक प्रक्रिया
75.	जैक फ्रूट बीज चूर्ण पर उगने वाली फीलेमेंटस फंगस एसपरगाइलेस फिकुअम (टीयूबीएफ) (1165) का प्रयोग करते हुए ठोस अवस्था किण्वन के द्वारा पर्यावरण सहायक खाद्य एन्जाइम फाइटेज के उत्पादन के लिए एक मुख्य प्रक्रिया
76.	मुख्य कलामाइडिया ट्रेकोमेटिस विशिष्ट एंटीबाडीस, इनके विभाजन के लिए एक प्रक्रिया कलामाइडिया ट्रेकोमेटिस की जांच के लिए एक नैदानिक किट, किट के उत्पादन के लिए एक तरीका और किट का प्रयोग करते हुए कलामाइडिया ट्रेकोमेटिस की जांच के लिए एक तकनीक

(ख) जैवप्रौद्योगिकीय क्षेत्र में अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियां

असंरचना सुविधाओं को तैयार करने और विकास एवं अनुसंधान पर परियोजनाओं में सहायता करने के उद्देश्य से जैवप्रौद्योगिकी विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा करने को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, (i) जैवप्रौद्योगिकी में मिड कैरियर वैज्ञानिकों और (ii) जीवविज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी के स्नातक शिक्षण में सम्मिलित महाविद्यालय शिक्षकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों को भी सहायता प्रदान करता है और पाठ्यक्रम सामग्री के भाग के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर नीधि प्राप्तकर्ताओं को भाषण शामिल करना अनिवार्य करता है।

इस विभाग के जैवप्रौद्योगिकी पेटेंट सुविधाकरण सेल (बीपीएफसी) ने एक समिति की स्थापना की है जोकि भारतीय वैज्ञानिकों (सार्वजनिक निधी प्राप्त संस्थाएं जैसेकि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों) के आग्रहों की समीक्षा करती है ताकि उनकी खोजों को पेटेंटिंग सहायता प्राप्त हो सके। समिति को जहां भी पेटेंट की शर्तों को पूरा करने वाला आग्रह प्राप्त होगा, यह उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन पत्रों का फाइल करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बीपीएफसी कार्यशालाओं, संगोष्ठियां, सम्मेलनों और देश के वैज्ञानिकों तथा अनुसंधकों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व के बारे में समझ एवं जागरूकता पैदा करने पर लक्ष्यित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी सहायता देता है।

एमपीबीएफ हेतु मानदंड

3497. **श्री ई. पोन्नुस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निगम उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम अनुमत्य बैंक वित्त (एमपीबीएफ) निर्धारित करने के लिए कतिपय मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो निगम उपभोक्ताओं/वर्तमान उधारकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी वित्त के आकलन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे दिशा-निर्देशों का सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उल्लंघन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंक ऋण के अनुवर्तन हेतु मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए बनाए गये टंडन कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1975 में अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एमपीबीएफ) निर्धारित किया था। तथापि, बैंकों द्वारा ऋण-वितरण से संबंधित मामलों के अनियमन की नीति से अनुरूपता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अप्रैल, 1997 से यह निर्धारण वापस ले लिया था और बैंकों को विवेकपूर्ण मार्गनिर्देशों और निर्धारित निवेश मानदंडों के अंतर्गत उधारकर्ताओं की कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करने की सलाह दी गई थी।

तब से बैंक कार्यशील पूंजी वित्त के मूल्यांकन के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि आर्थिक कार्यकलाप की प्रत्येक व्यापक श्रेणी के संबंध में ऋण-वितरण के लिए अपने बोर्डों के जरिए पारदर्शी नीति एवं मार्गनिर्देश निर्धारित करें।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा शुल्क अपवंचन

3498. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने करोड़ों रुपये के शुल्क भुगतान का अपवंचन किया है जैसा कि दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले की जांच से पता चला है कि मैसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स ने निविष्टियों और कारखानागत माल का आयात किया और आयात के समय भुगतान करते समय अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क के क्रेडिट का लाभ लिया। तथापि, कारखाना परिसरों से घरेलू बाजार में लाते समय इन आयातित निविष्टियों और कारखानागत माल की मंजूरी के समय मेसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाभ उठाए गए क्रेडिट के विशेष अतिरिक्त शुल्क संघटक का भुगतान नहीं किया/इसे वापस नहीं किया। उसके बाद से मैसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुल्क देयता को स्वीकार किया है और इस नाम पर 5.32 करोड़ रु. की राशि का भुगतान भी किया है।

(ग) जांच पूरी होने के बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत नियमों के अधीन मैसर्स एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पीपीपी-एसी के अंतर्गत रेल परियोजना

3499. श्री के.एम. आरून रशीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एपरेजल कमेटी (पीपीपी-एसी) द्वारा संचालित रेल परियोजना के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन अथॉरिटी ने वरसोवा-घाटकोपर मेट्रो लाइन के प्रथम चरण हेतु 650 करोड़ रुपए से अधिक के वायबिलिटी गैप फंडिंग की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस वित्त पोषण की मंजूरी प्रदान करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एपरेजल कमेटी (पीपीपी-एसी) गठित की गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण ने वरसोवा-घाटकोपर मेट्रो लाइन के प्रथम चरण के लिए 650 करोड़ रुपए के अर्थक्षमता अंतर (वायबिलिटी गैप) के निधीयन का अनुरोध किया है। प्रस्ताव पर अधिकार प्राप्त संस्थान और बाद में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया था। अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की, कि इस परियोजना का निधीयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसकी अर्थक्षमता अंतर निधीयन स्कीम/जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किया जाए। इसके निधीयन का लक्ष्य परियोजना की अर्थक्षमता में सुधार करना है।

[हिन्दी]

ऋण सहायता का प्रावधान

3500. **श्री महावीर भगोरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान को ऋण के रूप में कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) क्या 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार लोक खाते के माध्यम से बाह्य वित्त पोषित योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का निर्धारण योजना आयोग द्वारा 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-संशोधित व अनुमोदित गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है। कार्यक्रम से संबंधित सहायता से अन्य सभी प्रकार की केन्द्रीय सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 10:90 और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30:70 के औसत से ऋण-अनुदान जारी किया जाता है। तथापि, वर्ष 2005-06 से राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे योजना प्रयोजनों के लिए ऋण हेतु सीधे बाजार से संपर्क करें तथा केन्द्र ने 12वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप मध्यस्थ के रूप में कार्य करना समाप्त कर दिया है।

(घ) राजस्थान राज्य को योजना प्रयोजनार्थ मुहैया कराई गई कुल ऋण सहायता नीचे दी गई है:-

वर्ष	ऋण राशि (करोड़ रुपए में)
2003-04	1623.68
2004-05	1453.92
2005-06	365.93

(ङ) और (च) जी, नहीं। राज्यों को विदेशी ऋण लोक खाते के माध्यम से नहीं, बल्कि भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। ऐसा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप ही किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी नागरिकों द्वारा भूमि का अधिग्रहण

3501. **श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक के रूप में गोवा आने वाले कई विदेशी नागरिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भूमि अधिग्रहण के सौदों में संलिप्त हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गोवा में अचल सम्पत्तियों की खरीद में कथित रूप से संलिप्त गैर-भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों, भारत में और भारत के बाहर निवासी दोनों, के कुछ दृष्टान्त ध्यान में आए हैं।

(ख) जांच शुरू कर दी गई है और मामला जांचाधीन है।

[हिन्दी]

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूनियन मित्र योजना

3502. **श्री तूफानी सरोज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने "यूनियन मित्र" नामक कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वह योजना किन राज्यों में आरंभ की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दिनांक 14.11.2006 को यूनियन मित्र योजना शुरू की है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वित्तीय रूप से विपदाग्रस्त व्यक्तियों को परामर्श-सेवाएं देना।

(ii) वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ बैंक-उत्पादों के बारे में भी सूचना देना।

(iii) बैंक-खाता खोलने के संबंध में मार्गनिर्देश देना।

(iv) बचत प्रबंधन और निवेश के संभावित अवसरों के संबंध में सूचना देना।

(v) मौजूदा ऋण प्रबंधन के बारे में मार्गनिर्देश देना।

(ग) जी, हां। यह योजना मुख्यत: ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बनाई गई है। धीरे-धीरे इस योजना में शहरी लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

(घ) और (ङ) बैंक ने पूरे देश में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में 51 केन्द्रों पर वित्तीय शिक्षा सेवाएं अर्थात् "बैंक मित्र" शुरू कर दी हैं।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों हेतु आवास योजना

3503. **श्री रनेन बर्मन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निकट भविष्य में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में आवासीय गृहों का निर्माण करने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

3504. **श्री सर्वे सत्यनारायण :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाने हेतु मानदंडों में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक पुरस्कार की राशि संबंधी संशोधित मानदंड निम्नानुसार है:-

(i) ग्राम पंचायत स्तर के लिए:

1000 से कम जनसंख्या	050 लाख रु.
1000 से अधिक परन्तु 2000 से कम	1.00 लाख रु.
2000 से अधिक परन्तु 5000 से कम	2.00 लाख रु.
5000 से अधिक परन्तु 10000 से कम	4.00 लाख रु.
10000 और उससे अधिक जनसंख्या	5.00 लाख रु.

(ii) ब्लॉक पंचायत स्तर के लिए:

50,000 तक की जनसंख्या	10.00 लाख रु.
50001 तथा इससे अधिक की जनसंख्या	20.00 लाख रु.

(iii) जिला स्तर के लिए:

1 मिलियन जनसंख्या	30.00 लाख रु.
1 मिलियन से अधिक जनसंख्या	50.00 लाख रु.

(iv) व्यक्तियों के लिए:

ग्राम पंचायत स्तर	0.10 लाख रु.
ब्लॉक स्तर	0.20 लाख रु.
जिला स्तर	0.30 लाख रु.

(v) संगठन के लिए:

ग्राम पंचायत स्तर	0.20 लाख रु.
ब्लॉक स्तर	0.35 लाख रु.
जिला स्तर	0.50 लाख रु.

मानदंड में परिवर्तन केवल ग्राम पंचायत के लिए किया गया है। अन्यों के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डीआरडीए की बैठकें

3505. डा. के. धनराजू : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 के दौरान विभिन्न राज्यों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) की बैठकें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन राज्यों ने भाग लिया और की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इसमें प्रत्येक जिले के सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने भाग लिया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के परियोजना निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मलेन 16-17 अक्टूबर, 2006 को हुआ था।

(ख) सिक्किम को छोड़कर, सभी राज्यों ने बैठक में भाग लिया।

सम्मेलन में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई:-

(1) एनआरईजीए, एनएफएफडब्ल्यूपी तथा एसजीआरवाई

(2) एसजीएसवाई तथा डीआरडीए प्रशासन

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति तथा स्थाई आईएवाई प्रतीक्षा सूची

(4) निगरानी और आन लाइन जानकारी

(5) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(6) पेयजल और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

परियोजना निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अपने जिलों में प्राप्त सफलता का ब्यौरा प्रस्तुत किया जिस पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई।

राष्ट्रीय सम्मेलन में जिला ग्रामीण विकास एजंसियों के परियोजना निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में परस्पर चर्चा की और अनुभवों तथा जानकारी

का आदान-प्रदान किया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशों/सुझाव प्रस्तुत किए:-

(1) पेयजल आपूर्ति तथा सम्पूर्ण स्वच्छता

(2) स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिए विपणन नीति

(3) निर्धनतम, परिवारों के लिए लागत वहन करने योग्य आवास

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एनआरईजी) कार्य को वाटरशेड विकास योजनाओं में शामिल करना

(5) पुरा संबंधी भावी योजना तैयार करना तथा

(6) महिलाओं पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव में सुधार करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों द्वारा प्रशासनिक कारणों से अपने सभी परियोजना निदेशकों को बैठक के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है, जिसे संघ सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन में अधिकांश राज्यों की पर्याप्त भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व रहा।

विमान कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

3506. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एवं महानिदेशक (अन्वेषण और पंजीकरण) को भी निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) नागरिक विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें समय-समय पर यात्रियों से उन सेवाओं/सुविधाओं को न दिये जाने की बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो एयरलाइन्स द्वारा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। इनमें उड़ानों को विलंब/उड़ानों को रद्द होना, व्हीलचेयर की सुविधा, उड़ान के दौरान आवश्यक सुविधाएं, विलंब हुई/उड़ानों के यात्रियों को भोजन/अल्पाहार आदि निशुल्क प्रदान करना शामिल है।

(ख) नागरिक विमानन के महानिदेशक (डीजीसीए) ने एयरलाइन्स को यह निर्देश दिया है कि यात्रियों को निशुल्क प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और मूल्य पर उपलब्ध सुविधाओं की व्यापक जानकारी स्पष्ट रूप से अपने वेबसाइट पर सम्मिलित की जाए। सरकार और डीजीसीए ने घरेलू एयरलाइन संचालकों के साथ बैठकों के दौरान शिकायतों के स्पष्ट उत्तर दिये जाने पर बार-बार बल दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग तथा महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा प्राइवेट एयरलाइन्स के विरुद्ध प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न है। एमआरटीपी आयोग एक अर्द्ध-न्यायायिक निकाय है। जांचें आयोग के समक्ष निर्णयाधीन हैं। चूंकि, ऊपर उल्लिखित मामले आयोग के समक्ष जांच के विभिन्न चरणों में लंबित पड़े हैं, अत: अनियमितताओं के निष्कर्ष या इस पर आदेशित कार्रवाई, यदि कोई हो, कार्यवाही के पूरा होने पर ही ज्ञात हो सकती है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग को प्राप्त मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	यूटीपीई/आरटीपीई सं.	जांच के साथ-साथ प्रतिवादी का शीर्षक	मामले का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	*आरटीपीई 23/2004	कॉक्स एण्ड किंग्स (इं) प्रा.लि. मुम्बई बनाम डेल्टा एयरलाइन्स आईएनसी, मुम्बई	कॉक्स एण्ड किंग्स(इं) प्रा.लि. ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10(क)(i) के तहत डेल्टा एयर लाइन्स के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है। यह आरोप लगाया गया था कि एयरलाइन्य ने शिकायतकर्ता

1	2	3	4
			द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143 के तहत अदा की गई कर राशि की वापसी नहीं की। मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है तथा मामला खारिज हो गया है क्योंकि दिनांक 31.5.2006 को इसे वापस ले लिया गया है।
2.	आरटीपीई 26/2004	खगेश अग्रवाल फरीदाबाद, बनाम जेट एयरवेज (ई.) प्रा.लि. मुम्बई	श्री खगेश अग्रवाल ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10(क)(i) के तहत टिकटों के मूल्य से संबंधित शिकायत दर्ज की है। मामले, दिनांक 25.4.2006 को आयोग के पास सूचिबद्ध हुआ था तथा अभियोजन की आवश्यकता के कारण मामला खारिज कर दिया गया था, अर्थात् शिकायतकर्ता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।
3.	आरटीपीई 33/2005	स्टिक ट्रैवल्स प्रा.लि., नई दिल्ली बनाम मै. वर्जिन एटलांटिक एयरवेज लि., नई दिल्ली	स्टिक ट्रैवल्स प्रा.लि. ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10(क)(i) के तहत एक शिकायत दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी बगैर किसी कारण के शिकायतकर्ता के करार को समाप्ति कर रहा है। मामला दिनांक 15.1.2007 को विचारार्थ सूचिबद्ध है।
4.	आरटीपीई 15/2006	कंस्युमर एडुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, अहमदाबाद बनाम जेट एयरवेज इण्डिया लि., मुम्बई 2. एयर सहारा, लखनऊ 3. इंडियन एयर लाइन्स, नई दिल्ली	कंस्युमर एडुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, (सीईआरएस), अहमदाबाद के द्वारा एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 27 के तहत जेट एयरवेज तथा एयर सहारा के विलय की जांच करने का अनुरोध करते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। मामला दिनांक 30.11.2006 को आयोग के समक्ष सूचिबद्ध था तथा यह कहते हुए निपटाया गया कि इन दोनों एयरलाइन्स का प्रस्तावित विलय हुआ ही नहीं है।
5.	30(34)यूटीपीई**/06	डीजी(आई एण्ड आर)*** बनाम सहारा एयरलाइन्स लि., नई दिल्ली	कंपनी कार्य मंत्रालय ने श्री उदय सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रधानमंत्री के पास जेट एयरवेज द्वारा सहारा एयर लाइन्स को क्रय किए जाने के मामले की जांच डीजी (आई एण्ड आर) के द्वारा जांच करने तथा प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दिए गए आवेदन को अग्रेषित किया था। डीजी(आई एण्ड आर) ने एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है जिस पर आयोग द्वारा दिनांक 30.11.2006 को विचार किया गया था तथा यह कहते हुए निपटा दिया गया था कि इन दो एयरलाइन्स का प्रस्तावित विलय हुआ ही नहीं।

1	2	3	4
6.	यूटीपीई 36/:2006	मनीष चौधरी, नई दिल्ली बनाम एरोफ्लोट, नई दिल्ली	श्री मनीष चौधरी ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 36क तथा 12ख के तहत एयरोफ्लोट के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता ने वियना में अपनी हवाई टिकट खो दी थी तथा प्रतिवादी कंपनी ने डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। शिकायतकर्ता, प्रतिवादी द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संतुष्ट नहीं था। मामला दिनांक 9.01.2007 को विचारार्थ सूचिबद्ध है।
7.	यूटीपीई 51/2006	हितीश कुमार, दिल्ली (सूचनादाता) डीजी(आई एण्ड आर) बनाम स्पाइजेट, गुड़गांव	श्री हितीश कुमार ने स्पाइसजेट के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की थी जिसे डीजी (आई एण्ड आर) के पास जांच एवं जांच रिपोर्ट सौंपने का निदेश देते हुए भेज दिया गया था। डीजी (आई एण्ड आर) ने एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें यह कहा गया है कि प्रतिवादी एमआरटीपी अधिनियम की धारा 36क के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार में संलिप्त था। रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा आयोग ने जांच का नोटिस जारी कर दिया है। मामला दिनांक 16.1.2007 को मुद्दे बनाए जाने के लिए सूचिबद्ध है।
8.	यूटीपीई 87/2006	डीजी (आई एण्ड आर) बनाम विभिन्न एयरलाइन्स 1. इंडिया एयरलाइन्स, नई दिल्ली 2. गो एयरलाइन्स इंडिया(पी)लि. 3. मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स, नई दिल्ली 4. डेक्कन एविएशन(पी) लि. बंगलौर 5. स्पाइसजेट लि. नई दिल्ली 6. मै. एयरलाइन्स एलिट सर्विसेज लिमिटेड (एलायंस एयर) नई दिल्ली	इकॉनोमिक टाइम्स में दिए गए एक समाचार के आधार पर, आयोग ने डीजी (आई एण्ड आर) के द्वारा विभिन्न एयरलाइन्स के मामलों में प्राथमिक जांच के आदेश दिए हैं जिसमें यात्रियों द्वारा खरीदे गए टिकट के रद्द करने पर पैसे के जब्ती के निबंधन एवं शर्तों की जांच करना है। सभी एयरलाइन्स को जांच के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं तथा सुनवाई की अगली तारीख 14.2.2007 निर्धारित की गई है।
9.	यूटीपीई 90/2006	सुशील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली बनाम स्पाइसजेट, गुड़गांव	सुशील कुमार गुप्ता द्वारा यह आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है कि मैं. स्पाइसजेट ने उनके द्वारा बुक किए गए दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली के लिए हवाई टिकटों के रद्द किए जाने पर राशि की वापसी नहीं की। मामला डीजी (आई एण्ड आर) के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। डीजी (आई एण्ड आर) ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जांच स्थापित की है। मामला मुद्दे बनाने के लिए दिनांक 15.1.2007 के लिए सूचीबद्ध है।

*अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जांच, **अनुचित व्यापार व्यवहार जांच, ***महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण)

विवरण-II

महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण डीजी (आई एण्ड आर) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त मामलों का ब्यौरा

(i) मैसर्स जेट, सर्गोवियर लिमिटेड द्वारा, दिनांक 01.08.2005 के पत्र के माध्यम से की गई शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 12.06.2005 को पेरिस से साओपोलो और वापस पेरिस की यात्रा हेतु खरीदने गए एक यात्री टिकट से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को कम्पनी के पास भेजा गया। एयरलाइन्स का उत्तर शिकायतकर्ता के जानकारी में लाए जाने पर उसने अपनी शिकायत को आगे कार्रवाई के लिए नहीं बढ़ाया। मामला बन्द कर दिया गया।

(ii) तिमारपुर, दिल्ली निवासी श्री हितेश कुमार कुमार ने दिनांक 31 मई, 2006 को सचिव, एमआरटीपी आयोग को एक शिकायत की कि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड ने इन्टरनेट के माध्यम से 99 रुपये प्रतिटिकट के हिसाब से सीटें ऑफर की, लेकिन, कम्पनी ने टिकट बुक करने का वही उपयुक्त तरीका नहीं अपनाया और इसीलिए, शिकायतकर्ता अपने परिवार के लिए गोवा से वापसी का टिकट बुक नहीं करा सका। डीजी आई एण्ड आर द्वारा प्रस्तुत आरंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, माननीय आयोग ने दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत जांच का नोटिस जारी किया है।

(iii) डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली निवासी श्री सुशील गुप्ता से दिनांक 15.5.2006 को सचिव, एमआरटीपी आयोग के नाम लिखे अपने पत्र के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड दिल्ली से श्रीनगर और वापस दिल्ली आने हेतु बुक किये गए उनके हवाई यात्रा-टिकट के रद्द किये जाने पर टिकट की राशि वापस नहीं कर सका। डीजी, आई एण्ड आर द्वारा प्रस्तुत आरंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश के तहत टिकट खरीदने हेतु भुगतान की गई राशि की जब्ती से संबंधित इसके नियमों का उल्लंघन करने पर अनुचित व्यापार व्यवहार हेतु जांच संस्थित की है।

(iv) गो-एयरलाइन्स के विरुद्ध श्री देवराज मेनन से 25 दिसम्बर, 2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें टिकटों के रद्द होने पर किराया वापस न किये जाने तथा उन व्यक्तियों को कम किराये का लाभ न देने का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक किया था। शिकायत की जांच की जा रही है।

(v) डीजी आई एण्ड आर द्वारा एमआरटीपी आयोग के समक्ष प्रस्तुत आरंभिक जांच रिपोर्ट (पीआईआर) जिसमें निम्न एयरलाइन्स-मैसर्स गो एयरलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड के अतिरिक्त इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एलायन्स एयरलाइन्स द्वारा टिकटों के रद्द किये जाने पर इनकी राशि न लौटाए जाने की अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच करने का सुझाव दिया गया है। आरंभिक जांच रिपोर्ट माननीय आयोग के विचाराधीन है।

(vi) कोलकाता निवासी श्री हेमन्त पोद्दार से दिनांक 27 नवम्बर, 2006 के पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स इण्डिगो एयरलाइन्स टिकटों के रद्द होने पर इनकी राशि वापस नहीं कर सकी है। शिकायतकर्ता ने उड़ानों का समय आगे बढ़ाने के कारण टिकटों को रद्द कर दिया था। शिकायत की जांच की जा रही है।

(vii) गुवाहाटी निवासी श्री शुभ्रा सप्रु से दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि इण्डिगो एयरलाइन्स ने 27,594 रुपये कीमत के 6 टिकटों को रद्द किये जाने पर इनकी बुकिंग राशि वापस करने से इन्कार कर दिया है। शिकायत की जांच की जा रही है।

(viii) गुवाहाटी निवासी श्री भुवन दत्ता से दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के डीजी आई एण्ड आर के नाम लिखे उनके पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड टिकटों की बुकिंग राशि इनके रद्द होने पर वापस नहीं कर सकी। शिकायत की जांच की जा रही है।

(ix) जेट एयरवेज द्वारा सहारा एयर लाइन्स के खरीदे जाने की रिपोर्ट से संबंधित दिनांक 21 जनवारी, 2006 को श्री उदय सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। माननीय आयोग के समक्ष डीजी आई एण्ड आर द्वारा एक आरंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। इस मामले को माननीय आयोग द्वारा निपटा दिया गया है।

निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध जांच

3507. श्री वी.के. दुग्गर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना महानिदेशालय ने निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध जांच आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विमान कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और इन विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय ने निजी एयरलाइन्य अर्थात् जेट एयरवेज और एयर सहारा के विरुद्ध मुंबई और दिल्ली में मामले दर्ज किए हैं। ये मामले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बाद घरेलू उड़ान में परिवर्तित करने वाली उड़ानों के लिए एविएशन टर्बाईन फ्यूल पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए दर्ज किए गए हैं।

(ग) मुंबई में जेट एयरवेज और एयर सहारा के विरुद्ध दर्ज मामलों के संबंध में पक्षकारों ने क्रमश: 67 लाख रु. और 21 लाख रु. के परिवर्तनशील सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया है। दिल्ली में उक्त एयरलाइन्स के विरुद्ध दर्ज मामले जांच के अधीन हैं। जांच हो जाने के बाद परिवर्तनशील सीमा शुल्क की वसूली तथा अर्थदंड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

कारपोरेट उधारकर्ताओं को अग्रिम

3508. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक, मुम्बई की कारपोरेट शाखा ने कारपोरेट उधारकर्त्ताओं को दिए गए एक हजार करोड़ रुपए के अग्रिम को संदेहास्पद घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक ने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। आदिनांक पंजाब नैशनल बैंक की "बड़ी कार्पोरेट शाखा", मुंबई, के 52.32 करोड़ रुपए की अंतर्ग्रस्तता वाले केवल दो गैर-निष्पादनकारी ऋण हैं, जिनमें मुख्यत: मैसर्स पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड (सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) का, 49.78 करोड़ रुपए बकाया वाला, खाता शामिल है।

(ग) से (ङ) मैसर्स पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड के खाते का वित्तपोषण, नौ अन्य बैंकों के साथ मिलकर, सहायता संघ व्यवस्था के तहत किया गया था और सीडीआर तंत्र के तहत उसका पुनर्गठन किया गया है।

राज्यों के आवास और शहरी विकास मंत्रियों की बैठक

3509. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों के आवास और शहरी विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या आवास के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्प आय समूहों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) "आवास एवं मानव बसाव" के बारे में दिनांक 17 और 18 नवंबर, 2006 को हैदराबाद में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवास मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवास मंत्रियों तथा सचिवों/आयुक्तों ने शहरी आवास से संबंधित मुद्दों के बारे में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इस सम्मेलन में देश में सभी सुविधाओं से युक्त शहर बसाने तथा आवास एवं मानव बसाव का सतत विकास करने, सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने तथा जीवन स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता की पुन: पुष्टि की गयी।

(ग) और (घ) इस सम्मेलन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं कम आय वर्ग वालों के लिए आवासीय परियोजनाओं हेतु निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में भूमि तथा आवासों के लिए आरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयंत्रों की स्थापना

3510. **श्री वाडिगा रामकृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन और माइक्रो तथा नैनो टेक्नालॉजी से संबंधित प्रस्तावित अत्याधुनिक विनिर्माण परियोजना में सरकार की इक्विटी का निर्धारण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सेमी कन्डक्टर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित एक नीति का प्रतिपादन सरकार में विचाराधीन है।

बेघर महिलाएं

3511. **श्री सुव्रत बोस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बेघर महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनके लिए उपलब्ध आश्रय स्थलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार और आश्रय स्थल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में बेघर महिलाओं की संख्या 3719 है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली में छः आश्रय स्थल उपलब्ध हैं तथा एक और आश्रय स्थल प्रस्तावित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिए 1000 वर्गमीटर का रैन-बसेरा सहित बेघर लोगों की आश्रय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रावधानों की संकल्पना की गई है।

शहरों में रहने वाले गरीब

3512. **श्री के.एस. राव** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में शहरों में रहने वाले गरीबों की संख्या कितनी है;

(ख) बड़े शहरों में रहने वाले गरीबों की शहर-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गावों से शहरों की ओर पलायन करने वाले गरीबों की पलायन दर के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक राज्य में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) योजना आयोग करीब पांच वर्षों के अन्तराल पर सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए जाने वाले "घरेलू उपभोक्ता व्यय" संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का आंकलन करता है। ऐसे सर्वेक्षण के नवीनतम आकड़े 1999-2000 में कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 55वें राउंड से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या तथा प्रतिशतता क्रमशः 670.07 लाख तथा 23.62% थी। देश के छोटे तथा बड़े शहरों और महानगरीय शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि वर्ष 1999-2000 के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आने वाले गरीबों की प्रवजन दर के संबंध में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत समूह उद्यम स्थापित करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों के महिला समूहों का गठन किया जाता है। इन समूहों को शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) समूह कहा जाता है। इन समूहों को समूह उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 5% अथवा 125000/-, जो भी कम हो, बढ़ी हुई सब्सिडी के रूप में सहायता मुहैया कराई जाती है। जब ये समूह अपने समूह उद्यम क्रियाकलाप के अलावा स्वयं की थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाते हैं तो प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम 1000 रु. प्रति सदस्य के हिसाब से 25000/- रु. तक राशि के आवर्ती कोष के रूप में सहायता भी मुहैया कराई जाती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गठित डीडब्ल्यूसीयूए दलों की राज्यवार संख्या तथा साथ ही स्थापित थ्रिफ्ट सोसाइटीज की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

शहरी क्षेत्रों में राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के आबादी की संख्या एवं प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	शहरी	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का %
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.88	26.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	7.47
3.	असम	2.38	7.47
4.	बिहार	49.13	32.91
5.	गोवा	0.59	7.52
6.	गुजरात	28.09	15.59
7.	हरियाणा	5.39	9.99
8.	हिमाचल प्रदेश	0.29	4.63
9.	जम्मू और कश्मीर	0.49	1.98
10.	कर्नाटक	44.49	25.25
11.	केरल	20.07	20.27
12.	मध्य प्रदेश	81.22	38.44
13.	महाराष्ट्र	102.87	26.81
14.	मणिपुर	0.66	7.47
15.	मेघालय	0.34	7.47
16.	मिजोरम	0.45	7.47
17.	नागालैंड	0.28	7.47
18.	उड़ीसा	25.40	42.83
19.	पंजाब	4.29	5.75
20.	राजस्थाल	26.78	19.85
21.	सिक्किम	0.04	7.47
22.	तमिलनाडु	49.97	22.11
23.	त्रिपुरा	0.49	7.47
24.	उत्तर प्रदेश	117.88	30.89
25.	पश्चिम बंगाल	33.38	14.86
26.	अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह	0.24	22.11
27.	चंडीगढ़	0.45	5.75
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.03	13.52

1	2	3	4
29.	दमन और दीव	0.05	7.52
30.	दिल्ली	11.42	9.42
31.	लक्षद्वीप	0.08	20.27
32.	पुडुचेरी	1.77	22.11
	समग्र भारत	670.07	23.62

विवरण–II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गठित डीडब्ल्यूसीयूए समूहों तथा स्थापित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ प्रदेश	गठित डीडब्ल्यूसीयूए समूहों की संख्या	एसजेएसआरवाई के अंतर्गत गठित स्थापित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16131	73872
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	6
3.	असम	120	200
4.	बिहार	2120	0
5.	छत्तीसगढ़	448	5524
6.	गोवा	4	1
7.	गुजरात	7203	1968
8.	हरियाणा	396	810
9.	हिमाचल प्रदेश	54	29
10	जम्मू और कश्मीर	135	49
11	झारखंड	0	0
12	कर्नाटक	1661	12752
13	केरल	1796	8632
14.	मध्य प्रदेश	3529	9949
15.	महाराष्ट्र	5454	22014
16.	मणिपुर	96	88
17.	मेघालय	11	1
18.	मिजोरम	337	30
19.	नागालैंड	179	370
20.	उड़ीसा	1789	2102
21.	पंजाब	48	106
22.	राजस्थान	304	432
23.	सिक्किम	12	20
24.	तमिलनाडु	6342	15865
25.	त्रिपुरा	109	156
26.	उत्तरांचल	2	23
27.	उत्तर प्रदेश	3363	8437
28.	पश्चिम बंगाल	319	11995
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	4
30.	चंडीगढ़	7	34
31.	दादरा एवं नगर हवेली	5	1

1	2	3	4
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दिल्ली	47	56
34.	पुडुचेरी	362	1070
	कुल	52399	176596

[हिन्दी]

अधिक ब्याज दर वसूलना

3513. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि भारत में व्यवसायियों की तुलना में किसानों से अधिक ब्याज दर वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन

3514. श्री निखिल कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उत्पाद शुल्क अपवंचकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार बड़े उत्पाद शुल्क अपवंचकों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा अपवंचकों से अब तक ऐसे शुल्क वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष (नवम्बर, 2006 तक) के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु. में)
2003-04	9091	9489
2004-05	7927	4273
2005-06	6689	4606
2006-07	3407	8573

(ग) जी, हां।

(घ) जब कभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता चलता है, मामले को दर्ज किया जाता है। जांच के पूरा होने पर अपराध की गम्भीरता के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों पर अपवंचित शुल्क की राशि के बराबर अर्थदण्ड और व्यक्तिगत अर्थदण्ड के प्रस्ताव संबंधी कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया जाता है। उपयुक्त मामलों में शुल्क अपवंचकों के खिलाफ अभियोजन चलाया जाता है।

(ङ) उन प्रमुख उत्पाद शुल्क अपवंचकों जिन्होंने नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रु. से अधिक का अपवंचन किया है, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) अपवंचकों से ऐसे शुल्कों को वसूलने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	कंपनी का नाम	अनुबंध "क" राशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	2003-04	जी एम आर कार्पोरेशन	138.32
2.	2003-04	इंडियन अल्यूमिनियम कं.लि. (2 एम सी एन)	128.27
3.	2003-04	नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.	92.17
4.	2003-04	पी एस एल लि.	72.98
5.	2003-04	एम आर पी एल	52.87
6.	2003-04	बड़ोदा रेयन कार्पोरेशन लि., सूरत	50
7.	2003-04	इंडिया कोल एजेंसी	43.68
8.	2003-04	डी एस पी	42.51
9.	2003-04	आर के सिगारेट प्रा.लि. वाराणसी	40.67
10.	2003-04	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.	34.35
11.	2003-04	चम्बल फर्टिलाइजर्स लि., कोटा	33.59
12.	2003-04	चम्बल फर्टिलाइजर्स लि., कोटा	33.57
13.	2003-04	अमर ज्योति पैकर्स	33.2
14.	2003-04	बालाजी ट्रेडिंग कंपनी	32.28
15.	2003-04	एल जी ई आई पी एल, पांडिचेरी	30
16.	2004-05	रिलायन्स इंड. लि., जामनगर	172.86
17.	2004-05	रिलायन्स इंड. लि., जामनगर	82.28
18.	2004-05	सी पी सी एल	80.44
19.	2004-05	बी पी सी एल शकूर बस्ती (सार्वजनिक उपक्रम)	78.11
20.	2004-05	रिलायन्स इंड. लि., जामनगर	53.67
21.	2004-05	आई ओ सी एल, जयपुर	37.53
22.	2004-05	आई ओ सी एल, पानीपत	36.05
23.	2004-05	मुरारी लाल हरिशचन्द्र जायसवाल प्रा.लि.	34.5
24.	2004-05	इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग प्रा.लि.	34.41
25.	2004-05	सी पी सी एल	33.98
26.	2004-05	इब्राहिम गारमेंटस	27.17
27.	2005-06	सी पी सी एल	88.44
28.	2005-06	सी पी सी एल	45.18
29.	2005-06	टेराकाम	43.85
30.	2005-06	एच पी सी एल, शकूर बस्ती (सार्वजनिक उपक्रम)	36.99
31.	2005-06	टेराकाम	36.09
32.	2005-06	रुचि इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि.	28.11
33.	2005-06	एच पी सी एल	29.63
34.	2005-06	एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर	27.22
35.	2005-06	करिश्मा एन्टर प्राइजेज	26.49
36.	2005-06	डी एस पी	26.39
37.	2005-06	पी एस एल लि.	25.18
38.	2005-06	मिराज प्रोडक्ट्स वी टी.टी डी	25
39.	2006-07	जे एस डब्ल्यू स्टील्स लि.	121.99
40.	2006-07	जिलेट इंडिया लि. बाह्डी	86.43

1	2	3	4
41.	2006-07	जी पी आई लि.	67.55
42.	2006-07	एस्कोर्टस लि., फरीदाबाद	60.18
43.	2006-07	स्टरलाइट इण्डस्ट्री. लि.	47.87
44.	2006-07	कम्प्यूटर ग्राफिक्स लि.	40.74
45.	2006-07	टाइटन इण्डस्ट्रीज	27.58
46.	2006-07	रोनी सिल्क	27.38
47.	2006-07	जिंदल ड्रग्स लि. जम्मू	27
48.	2006-07	इंटरनेशनल टेक्ट्र लि.	26.21
49.	2006-07	भूषण लि.	26.12
50.	2006-07	शार्प मेंथोल इंण्डिया लि. एंड अन्य	25

जमा और अग्रिम

3515. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के एक कर्मचारी द्वारा औसतन कितनी ऋण राशि और खाते हैंडल किए जाते हैं; और

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा क्रमशः जमाओं और अग्रिमों के अंतर्गत कितने परिवारों को कवर किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशि एवं ऋण बकाया से संबंधित खातों की संख्या एवं राशि (प्रति व्यक्ति आंकड़े सहित) के संबंध में, जनसंख्या समूह-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जमाराशि एवं अग्रिम राशि द्वारा कवर किए गये परिवारों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जनसंख्या का समूह-वार जमाराशि और प्रति कर्मचारी ऋण
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

सरकारी क्षेत्र के बैंक मार्च, 2005

(खाते हजार में, धनराशि लाख रु. में)

जनसंख्या समूह	जमाराशि		कुल ऋण		कुल कर्मचारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी जमा-खातों की औसत संख्या	प्रति कर्मचारी औसत जमाराशि (लाख रुपये में)	प्रति कर्मचारी ऋण खातों की औसत संख्या	प्रति कर्मचारी औसत ऋण राशि (लाख रुपये में)
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्रामीण	93370	16089162	17320	8243844	127930	730	125.77	135	64.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अर्द्ध शहरी	102366	24520344	13911	10973081	165114	620	148.51	84	66.46
शहरी/महानगरीय	160953	88988268	12693	62517445	442310	364	201.19	29	141.34
कुल	356689	129597774	43924	81734370	735354	485	176.24	60	111.15

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मार्च, 2005

(खाते हजार में, धनराशि लाख रु. में)

जनसंख्या समूह	जमाराशि		कुल ऋण		कुल कर्मचारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी जमा-खातों की औसत संख्या	प्रति कर्मचारी औसत जमाराशि (लाख रुपये में)	प्रति कर्मचारी ऋण खातों की औसत संख्या	प्रति कर्मचारी औसत ऋण राशि (लाख रुपये में)
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि					
ग्रामीण	43540	4095713	10913	2301735	45062	966	90.89	242	51.08
अर्द्ध शहरी	11625	1515459	2764	752916	14323	812	105.81	193	52.57
शहरी/महानगरीय	2523	533518	491	214232	6214	406	85.86	79	34.48
कुल	57688	6144690	14168	3268883	65599	879	93.67	216	49.83

स्रोत : भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूल सांख्यिकी विवरणियां

[हिन्दी]

झालावाड़ में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

3516. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के किसी दल ने राजस्थान के झालावाड़ कस्बे में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने हेतु वहां का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थल चयन समिति की एक टीम ने राजस्थान में 1000 मे.वा. की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गुंजाइश तलाशने के लिए 14.11.2006 को राजस्थान के झालावाड़ जिले के दो विभिन्न स्थानों, यथा झालरापाटन में निमोधा गांवा तथा अकलेरा तहसील में बोरखेरी-गुजरन गांव का निरीक्षण किया।

(ख) और (ग) टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार निमोधा गांव स्थित स्थल 1000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रतीत होता है, बशर्ते कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल संबंधी प्रबंध सुनिश्चित हो जाए। बोरखेरी स्थल के लिए भूमि, जल एवं रेल कनेक्टिविटी आदि से संबंधित

अगली जांच की जानी है। टीम के प्रारंभिक निष्कर्ष राजस्थान सरकार को ज्ञापित कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने दिनांक 29.11.2006 के पत्र द्वारा के.वि.प्रा. को सूचित किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य घटकों के प्रबंध के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता

3517. श्री एम. शिवन्ना : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़कों के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु राज्य परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने सड़कें सुधारने/चौड़ी करने के लिए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 6 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें 3 परियोजनाएं केन्द्रीय स्वीकृति और मॉनीटरिंग समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदित की गई हैं, जबकि 2 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है और शेष 1 परियोजना तकनीकी मूल्यांकन एजेंसी के परामर्श पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को वापस कर दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत दिनांक 2.11.2006 को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा 3128.40 लाख रुपए की लागत पर देवनगिरी कस्बे के लिए सड़कों के सुधार/निर्माण के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

विवरण

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

सड़क/फ्लाईओवर सेक्टर के अंतर्गत कर्नाटक से प्राप्त स्थित परियोजना रिपोर्ट की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु में)	मंत्रालय में डीपीआर प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर आरओबी	मेल्लेश्वरम सर्कल पर ग्रेड सेपरेटर	1448.00	3.10.06	अनुमोदित
2.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर आरओबी	मिनर्वा सर्कल पर पर ग्रेड सेपरेटर	2508.00	3.10.06	संशोधन हेतु डीपीआर वापस
3.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर आरओबी	एमजी रोड क्षेत्र के आसपास पटरी का सुधार तथा सड़कों पर डामर कार्य	4850.00	3.10.06	मूल्यांकनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर आरओबी	कोरा मंगला क्षेत्र के आसपास पटरी का सुधार तथा सड़कों पर डामर कार्य	4916.80	3.10.06	मूल्यांकणाधीन
5.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर आरओबी	टैगोर सर्कल पर अंडर पास का निर्माण	2065.30	11.10.06	अनुमोदित
6.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़क/फ्लाईओवर आरओबी	आर.वी. टीचर्स कॉलेज सर्कल पर अंडरपास का निर्माण	1587.00	11.10.06	अनुमोदित
			कुल		17375.10		

इथियोपिया को ऋण

3518. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इथियोपिया को आसान ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इसी प्रकार का ऋण किसी अन्य देश को मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार द्वारा समर्थित भारत के निर्यात आयात बैंक द्वारा इथियोपिया सरकार को उनके चीनी उद्योग के नवीकरण हेतु 640 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, तत्संबंधी शर्तें यथासमय तय कर ली जाएंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न देशों को भारत सरकार द्वारा समर्थित भारतीय निर्यात-आयात बैंक की ऋण श्रृंखलाओं के प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र. सं.	प्राप्तकर्ता देश	ऋण श्रृंखला की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	प्रयोजन
1	2	3	4
1.	श्री लंका	100	रक्षा उपस्कर खरीद/आपूर्ति।
2.	नेपाल	35	विभिन्न सड़क, विद्युतीकरण और पन बिजली परियोजनाओं हेतु।
3.	मारीशस	60	पूंजीगत सामान का आयात, उन्नत हल्के हेलीकाप्टर का क्रय, सड़कों का निर्माण, भेषज उत्पादों की खरीद और आईसीटी शिक्षा।

1	2	3	4
4.	सूडान	48	कृषि निविष्टि, तकनीकी और प्रयोगशाला उपस्कर, वैज्ञानिक उपस्कर, सौर विद्युतीकरण और सूडान रेलवे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए।
5.	गैबन	14.45	आवास परियोजना के लिए।
6.	म्यांमार	80	हैवी ड्यूटी पानी के पंपों की आपूर्ति और विद्युत परियोजना।
7.	लाओपीडीआर	17.34	कृषि और सिंचाई योजनाओं के लिए।
8.	कंबोडिया	35.20	जल संसाधन विकास परियोजना, पानी के पंप और बिजली पारेषण लाइन परियोजना के लिए।
9.	वियतनाम	45	ताप संयंत्र परियोजना हेतु।

कांफ्रेस ऑन प्रॉ पूअर अर्बन गवर्नेंस

3519. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांफ्रेस ऑन प्रॉ पूअर अर्बन गवर्नेंस एण्ड प्लानिंग, मलिन बस्ती उन्नयन और दिल्ली में वित्तीय तौर पर सक्षम शहरीकरण के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के सहयोग से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन मुद्दों पर चर्चा की गयी और इन पर क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 13 से 16 दिसम्बर, 2006 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावास के सहयोग से आवास एवं मानव बसावट के बारे में प्रथम एशिया-प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य शहरीकरण, आवास एवं पर्यावास प्रबंधन, मिलेनियम विकास लक्ष्य, शहरी गरीबी तथा स्लम विकास की चुनौतियों का समाधान करना तथा समेकित विकास के लिए नीतियों का विकास करना है जिसमें भूमि तथा आवास महत्वपूर्ण घटक हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि तथा आवास और गरीबी उपशमन के लिए राष्ट्रीय और नगरीय स्तर की नीतियों के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान करना है।

भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगना

3520. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के अधिकारियों ने काफी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अच्छी कार्य परिस्थितियां मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 29 अप्रैल, 2005 से सेवानिवृत्ति विकल्प योजना प्रारम्भ की थी और 1 नवम्बर, 2006 से इसे वापिस ले लिया गया था। एसबीआई में कुल 58600 अधिकारियों में से, बैंक द्वारा 4068 अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया।

एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने के मुख्य कारण अगले ग्रेड/वेतनमान में पदोन्नति के लिए अवसर गंवा देना, खराब स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारण एवं अनुपयुक्त स्थान पर तैनाती है।

(ग) एसबीआई के कर्मचारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के तुल्य हैं। एसबीआई में कम्प्यूटरीकरण एवं स्वचलीकरण (आटोमेशन) के कारण इसकी कार्य-दशा में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऋण पर ब्याज राज-सहायता

3521. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋणों पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। सरकार ने आरजीजीवीवाई के तहत् अप्रैल, 2005 से प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50,000 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। निर्धारित किए गए लक्ष्य का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या
2005-06	10,000
2006-07	40,000
कुल	50,000

(ख) क्रियान्वयक राज्यों/एजेंसियों ने सूचित किया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2005 से इसके प्रारंभ होने से 8.12.2006 तक 23014 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) और (घ) रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) ऋण संघटक के लिए 5% ब्याज दर पर सुलभ ऋण प्रदान करता है जो कि कुल परियोजना लागत का दस प्रतिशत है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

3522. **श्री रामदास आठवले** :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री पी.सी. थामस :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) सरकार को निर्वाचनों के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपगत अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग से कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कम लागत पर विद्युत उत्पादन हेतु अनुसंधान

3523. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने हेतु कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां। विद्युत क्षेत्र के संगठन यथा-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), एनटीपीसी लि., भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल), नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन (एनएचपीसी) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की कुछ प्रयोगशालाएं, अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अन्य संगठनों में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित कर रहे हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्र, जहां अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है, ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित क्षेत्रों में इस समय कम लागत पर विद्युत उत्पादन अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) कार्य किया जा रहा है:–

- बेसिन, नदियों एवं जलाशयों के तलछट प्रबंधन, जलाशयों/इनटेक, मलबा एवं लट्ठा प्रबंधन बेसिन तलछट प्रबंधन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का प्रयोग जलाशय तलछट प्रबंधन, नदी बहाव/प्रवाह मापन, बाढ़ पूर्वानुमान इत्यादि।
- क्रोमियम निकल सी-13 क्रोम 4 निकल के जंग रहित इस्पात के संशोधित विकल्प के रूप में "जल विद्युत जेनरेटर्स की टरबाईनों के लिए गाद क्षरण प्रतिरोधी सामग्री का विकास" नामक अनुसंधान परियोजना।
- (i) विश्वसनीयता एवं उपलब्धि में वृद्धि (ii) दक्षता में सुधार तथा (iii) ईंधन के श्रेष्ठतम उपयोग के द्वारा विद्युत उत्पादक लागत में कमी लाने हेतु अनेक विद्युत केन्द्रों को वैज्ञानिक सेवाएं देने का प्रख्यान।
- विनिर्दिष्ट संघटकों को चलाने/मरम्मत करने/बदलने का निर्णय लेने के लिए केन्द्रों को सहायता देने के लिए लाभप्रद (हेल्प) आकलन अध्ययन जिसमें अनुरक्षण लागत में कमी आने के साथ-साथ संयत्र के जीवन काल से सुधार/सुलभता में सहायता।
- संयंत्र संघटकों की सुलभता तथा दक्षता के सुधार में केंद्रों को सहायता देने के लिए जंग नियंत्रण उपाय।
- बॉयलर्स तथा टरबाइन की दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम वृद्धि तथा गणितीय प्रतिरूपण पर आधारित वास्तविक समय प्रयालक परामर्शक/पर्यवेक्षकीय मापदंड।
- निर्बात सुधारने के लिए डियाजिट्स के न्यूनीकरण हेतु कंडेंसरों की जल-रसायन में सुधार।
- कूलिंग टावर्स की दक्षता में सुधार लाने हेतु मॉडलिंग एवं सिम्यूलेशन अध्ययन।
- दूसरी प्रणालियों से फ्लू गैस हीट रिकवरी तथा वेस्ट हीट रिकवरी का विकास।
- निकटस्थ ईंधन कण आकार वितरण बनाएं रखते हुए दहन दक्षता में सुधार।
- सहायक पंखों तथा नलिकाओं के उन्नत कार्य-निष्पादन द्वारा सहायक विद्युत खपत में कमी लाना।
- आर एंड डी पहल के रूप में रोबाटिक्स सदृश स्वचालित निरीक्षण मशीनों का विकास शुरू किया जा रहा है।
- विश्वनीयता बढ़ाने के लिए कोल-फायर्ड बॉयलर्स के लिए कम्प्यूटरीकृत फ्लो डिजाइन (सीएफडी) माडलिंग का विकास।
- एकीकृत गैसीकरण मिश्रित चक्र (आईजीसीसी) सदृश अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी का विकास।
- ऊर्जा लेखा-परीक्षा तथा मानचित्रण।
- सामग्री विकास तथा सिम्यूलेशन तकनीक।
- कोयला अनुसंधान (ब्लेंडिंग एवं लाभग्रहिता)।
- टरबाइन ब्लेड तथा जलमग्न पुर्जों की कोटिंग।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु नाबार्ड से सहायता

3524. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड कर्नाटक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु राज्य को वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नाबार्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक को दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है; और

(घ) नाबार्ड की सहायता से कर्नाटक में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) जी, हां। नाबार्ड ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) के निर्माण हेतु ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकासनिधि (आरआईडीएफ)

के तहत कर्नाटक सरकार को ऋण मंजूर किया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(रुपए करोड़ में)

ब्यौरा	वर्ष	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ऋण-राशि
आरआईडीएफ-VIII	2002-03	94	19.78
आरआईडीएफ-XI	2005-06	97	28.99
कुल		191	48.77

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार से 4.02 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

पैंच परियोजना

3525. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैंच परियोजना को इंडो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग नामक विदेशी वित्तपोषण एजेंसी से सहायता मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) पैंच परियोजना को बाह्य वित्त पोषण एजेंसी/इंडो-जर्मन द्विपक्षी विकास सहयोग कार्यक्रम से कोई सहायता नहीं मिल रही है।

[अनुवाद]

पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा पर भारत-क्यूबा समझौता

3526. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और क्यूबा ने पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) जी हां। बायोमास, लघु पनबिजली, सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय सहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और क्यूबा गणराज्य की सरकार के बीच एक प्रोटोकॉल पर हवाना में दिनांक 18 फरवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोटोकॉल के क्रम में क्यूबा के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं।

द्वारका में पानी की आपूर्ति

3527. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका उपनगर में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कमांड टैंकों को बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक कमांड टैंकों के निर्माण और उसके उपयोग में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन टैंकों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(घ) इस उपनगर के लोगों को किस सीमा तक लाभ हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन टैंकों को शीघ्रातिशीघ्र उपयोग योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि द्वारका में जल आपूर्ति के लिए छः कमांड टैंकों की योजना बनाई गई थी। कमांड टैंक संख्या 1 से 4 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कमांड टैंक संख्या 5 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तथा कमांड टैंक संख्या 6 योजना स्तर पर है।

(ग) डीडीए ने बताया है कि कमांड टैंक संख्या 1 से 4 के निर्माण पर 39.10 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। कमांड टैंक संख्या 5 के निर्माण पर आज की तिथि तक 2.23 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(घ) डीडीए ने यह भी बताया है कि सीमित जल आपूर्ति उपलब्ध होने के कारण केवल दो कमांड टैंकों का उपयोग किया जा रहा

है। तथापि, पूरे द्वारका उप-नगर को जल की आपूर्ति करने हेतु सभी चार कमांड टैंकों के नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) द्वारका में जल आपूर्ति को बढ़ाने से संबंधित मामला नांगलोई जल शोधन संयंत्र के लिए दिल्ली जल बोर्ड को बढ़ी हुई अशोधित जल आपूर्ति की उपलब्धता से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि उन्होंने इस मामले को हरियाणा सरकार के साथ-साथ केन्द्रीय जल आयोग के साथ उठाया है।

भूमि अर्जन की प्रक्रिया

3528. श्री एस.के. खारवेनचन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

3529. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) को देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने की कोई भूमिका दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन टी पी सी द्वारा अभी तक राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के 29 जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत् ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यों का निष्पादन कार्य नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को सौंपा गया है। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुसार एनटीपीसी को सौंपे गए इस कार्यभार में, अब तक 27 जिलों के 13639 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, निर्विद्युत किए गए 2277 गांवों का पुन: विद्युतीकरण तथा 19977 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जाना शामिल है। राज्यवार/जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एनटीपीसी ने अब तक पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर ब्लॉक के 83 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी है।

विवरण

आरजीजीवाई के कार्यान्वयन के लिए एनटीपीसी को आवंटित जिलों हेतु डीपीआर के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य एवं जिले का नाम	परियोजना के अंतर्गत आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गांव			
		गैर विद्युतीकृत गांवों की संख्या	निर्विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	छत्तीसगढ़				
1.	चंपा जंजगीर			889	889

1	2	3	4	5	6
2.	कोरबा	17	32	573	622
3.	बिलासपुर	0	0	1565	1565
4.	जशपुर नगर	23		672	695
5.	रायगढ़	36	0	1397	1433
	कुल छत्तीसगढ़	76	32	5096	5204
	झारखंड				
1.	देवघर	1295	119	760	2174
2.	चतरा	685	0	278	963
3.	गोड्डा	1168	65	391	1624
4.	दुमका	2253	49	365	2667
5.	रांची	1109	177	704	1990
6.	पाकुर	902	82	144	1128
7.	लोहरदंगा	138	144	69	351
8.	साहिबगंज	943	181	183	1307
	कुल (झारखंड)	8493	817	2894	12204
	मध्य प्रदेश				
1.	गुना	0	0	1241	1241
2.	अशोकनगर	0	72	746	818
3.	शिवपुरी	11	0	1305	1316
4.	ग्वालियर	0	0	583	583
	कुल (मध्य प्रदेश)	11	72	3875	3958

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा				
1.	अंगूल	280	314	1034	1628
2.	नयागढ़	335	268	873	1476
3.	ढेनकनाल	87	163	828	1078
4.	जारसुगुडा	16	27	305	348
5.	कोरापुट	1256	17	579	1852
6.	संबलपुर	382	76	766	1224
7.	देवागढ़	319	29	344	692
8.	कालाहांडी	1147	46	920	2113
9.	बोलानगिर	369	95	1300	1764
10.	कियोंझर	643	321	1163	2127
	कुल (उड़ीसा)	4834	1356	8112	14302
	पश्चिम बंगाल				
1.	पश्चिम मिदनापुर (केवल खडगपुर ब्लॉक)	225			225
2.	**पश्चिम मेदनिपुर** (केवल खरगपुर ब्लाक) **अनुपूरक डीपीआर**				
	कुल (पश्चिम बंगाल)	225			225
	सकल योग	13639	2277	19977	35893

[अनुवाद]

भारत में विदेशी कंपनियां

3530. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्यवार कितनी विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी कंपनियों का पंजीकरण किया गया;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न दस्तावेजों को भरने हेतु शुल्क आदि के माध्यम से राजस्व प्राप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कंपनियों से प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को क्या रियायतें/सुविधाएं दी गई है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्त) : (क) वर्तमान में, भारत से बाहर निगमित की गई 2069 विदेशी कंपनियों ने भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 592(1) के अंतर्गत अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:—

राज्य	भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	26
बिहार	01
दिल्ली	1280
गुजरात	15
हरियाणा	57
जम्मू और कश्मीर	01
कर्नाटक	159
केरल	07
मध्य प्रदेश	03
महाराष्ट्र	361
उड़ीसा	05
पांडिचेरी	01
राजस्थान	02
तमिलनाडु	75
उत्तर प्रदेश	14
पश्चिम बंगाल	62
कुल	2069

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत की गई विदेशी कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	विदेशी कंपनियों की संख्या
01.	2003-04	152
02.	2004-05	167
03.	2005-06	211

(ग) जी, हां।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों से प्राप्त की गई शुल्क राशि निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	विभिन्न दस्तावेज दायर करने हेतु इन कंपनियों से प्राप्त की गई शुल्क राशि, आदि
01.	2003-04	2,63,17,225
02.	2004-05	3,41,54,075
03.	2005-06	3,56,45,689

(ङ) भारत से बाहर जो कंपनियां निगमित की गई है और जिन्होंने भारत में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग XI के उपबंधों (अन्य संबंधित उपबंधों के साथ पठित) के अनुसार विनियमित किया जाता है। इन कंपनियों को संवैधानिक ढांचे के अनुपालन संबंधी कोई रियायत/सुविधा प्रदान नहीं की गई हैं।

गांवों का डिइलैक्ट्रिफिकेशन

3531. श्री एम. शिवन्ना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने गांवों की बिजली की आपूर्ति बंद की गई और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या जिन गांवों की विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया था वहां विद्युत आपूर्ति बहाल की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि. (आरईसी) ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) के अंतर्गत 27 राज्यों (गोवा और दिल्ली को छोड़कर) से अबतक 575 प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की हैं, जिसके अंतर्गत अन्य के साथ-साथ इन 27 राज्यों में से 16 राज्यों में 27504 निर्विद्युतीकृत गांवों का पुनर्विद्युतीकरण किया जाना है। प्रारूप डीपीआर में आरजीजीवीवाय के अंतर्गत पुनर्विद्युतीकरण हेतु शामिल निर्विद्युतीकृत गांवों के राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

ऐसा समझा जाता है कि बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृति आपदाएं तथा विद्युत लाइन के सामानों की चोरी विद्युतीकृत गांवों के निर्विद्युतीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है।

(ख) से (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के समवर्ती विषय होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा किए जाते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल और कर्नाटक राज्यों ने आरजीजीवीवाय के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत गांवों का वास्तविक रूप से विद्युतीकरण शुरू कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों ने इसके लिए सर्वेक्षण/मार्ग निर्माण, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था आदि समेत प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्रियान्वयक राज्यों ने 8 दिसंबर, 2006 तक 23014 गैर-विद्युतीकृत गांवों (निर्विद्युतीकृत गांवों समेत) के विद्युतीकरण की सूचना दी है। आरजीजीवीवाय के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2009 तक आरजीजीवीवाय के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत एवं निर्विद्युतीकृत गांवों समेत सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है।

विवरण-I

प्रारूप डीपीआर में आरजीजीवीवाय के अंतर्गत शामिल निर्विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त की गई कुल परियोजनाएं	सम्मिलित जिलों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	निर्विद्युतीकृत गांवों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26	22	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	1802	331	2133
3.	असम	21	21	3072	3831	6903
4.	बिहार	43	38	14067	10486	24553
5.	छत्तीसगढ़	15	15	951	179	1130

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	25	25	0	0	0
7.	हरियाणा	18	18	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	97	0	97
9.	जम्मू व कश्मीर	12	12	198	8	206
10.	झारखंड	22	22	16965	2774	19739
11.	कर्नाटक	26	26	132	0	132
12.	केरल	14	14	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	48	48	604	454	1058
14.	महाराष्ट्र	34	34	6	0	6
15.	मणिपुर	4	4	159	336	495
16.	मेघालय	3	3	90	103	193
17.	मिजोरम	8	8	42	95	137
18.	नागालैंड	5	5	20	12	32
19.	उड़ीसा	23	22	10809	3440	14249
20.	पंजाब	17	17	0	0	0
21.	राजस्थान	41	32	761	3681	4442
22.	सिक्किम	4	4	25	0	25
23.	तमिलनाडु	29	29	0	0	0
24.	त्रिपुरा	3	3	127	0	127
25.	उत्तर प्रदेश	67	65	31657	1077	32734
26.	उत्तरांचल	13	13	787	682	1469
27.	पश्चिम बंगाल	26	18	4268	15	4283
	कुल योग	575	546	86639	27504	114143

विवरण-II

आरजीजीवीवाय के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार ग्राम विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्य	2005-06 के दौरान विद्युतीकृत गांव	2006-07 के दौरान विद्युतीकृत गांव	कुल
1.	बिहार	1600	1961	3561
2.	कर्नाटक	47		47
3.	राजस्थान	230	274	504
4.	उत्तर प्रदेश	7503	9588	17091
5.	उत्तरांचल	87	481	568
6.	पश्चिम बंगाल	352	891	1243
		9819	13195	23014

[हिन्दी]

निर्यातक गिरोह का पता लगाना

3532. **श्री ब्रजेश पाठक :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने निर्यात बीजक में अधिक लागत दिखाकर राजस्व की धोखाधड़ी करने वाले निर्यातक गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा शुल्क विभाग ने यह पता लगाया है कि काफी निर्यातकों ने नकली पहचान बनाकर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा लाने हेतु घरेलू बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) निर्यात किए जाने वाले माल की अधिक लागत बताने के अनेक मामले वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अक्तूबर, 06 तक) के दौरान दर्ज किए गए हैं। विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	मामलों की सं.	लागत (करोड़ रु. में)
2005-06	9	54.19
2006-07 (अक्तूबर 06 तक)	12	43.91

(ग) से (ङ) ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें निर्यातकों ने विदेशी रकम मंगाने के लिए घरेलू बैंकिंग चैनलों और हवाला के रास्तों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अक्तूबर 06 तक) के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	मामलों की सं.	की गई कार्रवाई
2005-2006	5	11 व्यक्ति गिरफ्तार, 4 व्यक्ति कोफेपोसा के अंतर्गत हवालात में रखे गये
2006-2007 (अक्तूबर 06 तक)	2	1 व्यक्ति गिरफ्तार

राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए सतर्क और चौकन्ने हैं।

जल-मल व्ययन हेतु योजनाएं

3533. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम में 1991 की जनगणना पर आधारित 20 हजार जनसंख्या की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार जनसंख्या करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल-मल व्ययन कार्यक्रम को त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की तरह से लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम/त्वरित शहरी जल-मल व्ययन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जीवन बीमा निगम, आवास और शहरी विकास निगम और वित्तीय संस्थाओं से ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) का विलय हाल ही में शुरू किए गए छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचनात्मक विकास स्कीम में कर दिया गया है जिसमें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरम) के तहत शामिल नहीं किए गए शहरों/कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी इत्यादि सहित अवसंरचनात्मक विकास की परिकल्पना की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। त्वरित शहरी सीवरेज कार्यक्रम नामक कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल और स्वच्छता के लिए निधियां

3534. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एन.डी.पी. रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत में जल और स्वच्छता के लिए निधियों का आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल और स्वच्छता पर व्यय में बढ़ोत्तरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) यूएनडीपी रिपोर्ट 2006 में बताया गया है कि: जल आपूर्ति तथा सफाई पर वास्तविक सरकारी खर्च पर पूरी पकड़ बनाना कठिन है जिसके कारण आंशिक रूप से विभिन्न मंत्रालयों में वित्तपोषण का वितरण, आंशिक रूप से विकेन्द्रीकरण और आंशिक रूप से डोनर वित्तपोषण का अकसर बजट में शामिल न होना है।

भारत में पहली पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक जल आपूर्ति और सफाई के लिए कुल योजना परिव्यय कुल सार्वजनिक परिव्यय का 1.07% से लेकर 4.46% तक रहा है। इसी योजना अवधि के दौरान शहरी जल आपूर्ति और सफाई के लिए योजना परिव्यय 0.65% से लेकर 2.16% रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) "शहरी जल आपूर्ति और सफाई राज्यों का विषय है और राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों/शहरी स्थानीय निकायों के जरिए राज्य योजना राशियों से जल आपूर्ति और सफाई स्कीमों के लिए योजना, डिजाइन बनाने और उन्हें निष्पादित करने का दायित्व राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का है। तथापि भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के जरिए उनके प्रयासों में सहायता की जाती है।

इस मंत्रालय ने दिसंबर, 2005 में दो कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए 50,000/- करोड़ रुपये का बजट नियतन किया गया है जिसे शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए 7 वर्षों में खर्च किया जाना है। इन कार्यक्रमों का नाम जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को जल आपूर्ति और सफाई सहित अवस्थापना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

विवरण

योजनावार-निवेश-जल आपूर्ति तथा सफाई क्षेत्र

क्र. सं.	योजना अवधि	कुल सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय	जल आपूर्ति एवं सफाई क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय		शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई के लिए योजना परिव्यय		ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई के लिए योजना परिव्यय	
			राशि	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का %	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का %	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का %
			कालम 4 x 100 कालम 3		कालम 6 x 100 कालम 3		कालम 8 x 100 कालम 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I योजना (1951-56)	3360.00	49.00	1.46	43.00	1.28	6.00	0.18
2.	II योजना (1956-61)	6750.00	72.00	1.07	44.00	0.65	28.00	0.41
3.	III योजना (1961-66)	8573.00	105.70	1.23	89.37	1.04	16.33	0.19
4.	3 वार्षिक योजनाएं (1966-69)	6664.97	106.42	1.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	IV योजना (1969-74)	15902.00	437.00	2.75	282.00	1.77	155.00	0.97
6.	V योजना (1974-79)	39303.49	1030.68	2.62	549.44	1.40	481.24	1.22
7.	वार्षिक योजना (1979-80)	12549.83	430.22	3.43	197.93	1.58	232.29	1.85
8.	VI योजना (1980-85)	97500.00	4047.00	4.15	1766.68	1.81	2280.32	2.34
9.	VII योजना (1985-90)	180000.00	6522.47	3.62	2965.75	1.65	3556.62	1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	2 वार्षिक योजनाएं (1990-92)	137033.15	4427.29	3.23	1721.37	1.26	2705.92	1.97
11.	VIII योजना (1992-97)	434100.00	16711.03	3.85	5982.28	1.38	10728.79	2.47
12.	IX योजना (1997-2002)	859200.00	39538.00	4.46	18624	2.16	20914.00	2.43
13.	X योजना (2002-2007)	1525639.00	44206.55	2.89	19758.55	1.30	24448.00	1.60

स्रोत: योजना आयोग

मुंबई में क्षतिग्रस्त भवनों का नवीकरण/ पुनरूद्धार

3535. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बाढ़ से तबाह मुंबई के क्षतिग्रस्त भवनों तथा अवसंरचना के नवीकरण तथा पुनरूद्धार हेतु जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई है;

(ख) मुम्बई में भवनों, सड़कों तथा अन्य संबंधित अवसरंचना को इससे हुई क्षति का ब्यौरा क्या है तथा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जानी वाली योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाढ़ से अनुमानित कितनी हानि हुई तथा नवीकरण तथा पुनरूद्धार परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) पिछले वर्ष बाढ़ से हुए विनाश के पश्चात् मुंबई में क्षतिग्रस्त भवनों के नवीकरण तथा पुनरूद्धार के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत विशिष्ट रूप से कोई राशि आवंटित अथवा जारी नहीं की गई है। तथापि, ग्रेटर मुंबई के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से अवस्थापना क्षेत्र की चार परियोजनाएं जेएनएनयूआरएम के तहत मंजूर की गई हैं। अभी तक अनुमोदित लागत की पहली किश्त के रूप में केवल मुंबई सीवेज निपटान परियोजना स्टेज-II प्राथमिकता कार्य के लिए 1505 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भागीदार राज्यों को सहायतानुदान

3536. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भागीदार राज्यों को सहायतानुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान किए गए अनुदानों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठ विनिर्दिष्ट समय पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट करते रहे हैं;

(घ) यदि नहीं तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य महानगरों/बड़े शहरों में इसी प्रकार का क्षेत्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संघटक राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भागीदारी के कारण उन्हें कोई अनुदान सहायता मुहैया नहीं करायी जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निगरानी प्रकोष्ठों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती है, यद्यपि कभी-कभी ये निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निगरानी प्रकोष्ठों द्वारा प्रगति रिपोर्टें समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने एक व्यापक प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

3537. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसजीएसवाई के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर आबंटन धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को एसजीएसवाई के अंतर्गत दस व्यक्तियों के स्थान पर पांच व्यक्तियों का समूह बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) आज तक, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष परियोजनाओं के लिए63 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 63 प्रस्तावों में से 22 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया था तथा 25 प्रस्ताव राज्य सरकार को लौटा दिए गए थे क्योंकि एसजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। शेष 16 प्रस्ताव कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसकी मंत्रालय में जांच की जाती है और अनुमोदन के लिए दो अंत-मंत्रालय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये समितियां परियोजना जांच समिति तथा परियोजना अनुमोदन समिति हैं। यदि ये समितियां इन प्रस्तावों को बेहतर तथा प्रभावी बनाने के लिए कोई टिप्पणी करती हैं तो उन्हें अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। इसीलिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, संशोधन और अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात की व्यापकता के आधार पर आबंटित की जाती हैं। एसजीएसवाई के अंतर्गत 15% आबंटन विशेष परियोजनाओं के लिए अलग से रखा जाता है। एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना तब मंजूर की जाती हैं जब राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा मंत्रालय में उन्हें व्यवहार्य पाया जाता है। इस प्रकार, विशेष परियोजनाएं मांग आधारित होती हैं।

(ङ) और (च) एसजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक स्व-सहायता समूह में आमतौर पर 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। तथापि, मरुस्थल तथा पर्वतीय जैसे दुर्गम क्षेत्रों तथा छितरी और छिट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों और लघु सिंचाई तथा अपंग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 हो सकती है।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों का रख-रखाव

3538. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल प्राधिकरणों द्वारा कई सरकारी कार्यालयों की काफी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है जैसा कि 1 नवंबर, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इन भवन परिसरों के रख-रखाव में कोई अनियमितताएं मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) लोक नायक भवन एक नागरिक निकाय एनडीएमसी द्वारा निर्मित और स्वामित्वाधीन भवन है। इस भवन में अनेक सरकारी कार्यालयों ने स्थान लिया है। एनडीएमसी ने वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूतल पर कुछ स्थान पट्टे पर दे रखा है। भवन का रखरखाव भवन के मालिक के पास है। केलोनिवि, भवन की संरचनात्मक मजबूती को नष्ट किए बिना विभाजन व ले आउट द्वारा कार्यालय स्थल का उपयोग करने में सरकारी कार्यालयों की सहायता करता है। भवन के रखरखाव में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है।

केलोनिवि अपने निर्मित भवनों तथा इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व उनके संबद्ध कार्यालयों को आबंटित कार्यालय स्थान का रखरखाव करता है। विभागों को अपने झाउसकीपिंग कार्य करने होते हैं, जबकि केलोनिवि सिविल व विद्युत मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुन:स्थापन इत्यादि कार्य करता है।

भवन निर्माताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापन

3539. **श्री मोहन सिंह** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भू-संपदा में कार्यरत भवन निर्माता भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से क्रेताओं से बड़ी मात्रा में पैसा एकत्र कर रहे हैं तथा बाद में उन्हें धोखा दे देते हैं;

(ख) यदि हां, तो आवास क्षेत्र में इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार क्रेताओं को भवन निर्माताओं तथा कंपनियों से बचाने के लिए तथा उन्हें सस्ते आरामदायक आवास प्रदान करने के लिए किसी व्यापक नीति पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

3540. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में आवाजाही में सुधार लाने के लिए शहरी यातायात में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ शहरों में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सरकार ने एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समेकित भूमि उपयोग और परिवहन आयोजना, सार्वजनिक परिवहन तथा यात्रा के लिए मोटर रहित वाहनों का अधिक उपयोग करने और कम प्रदूषण वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें प्रदर्शनात्मक प्रयोगिक परियोजनाओं सहित पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ मोटर रहित वाहनों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, अवस्थापना में निवेश करने हेतु केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। यह संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता निर्माण, नवीनतम वित्तीय तंत्रों, संस्थागत समन्वय, निजी क्षेत्र के सहयोग तथा सार्वजनिक जागरूकता और सहयोग की आवश्यकता को प्रोत्साहित करती है।

(घ) और (ङ) शहरी परिवहन राज्य का विषय है तथा शहरों में तीव्र जन परिवहन प्रणालियों (एमआरटीएस) के लिए प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता से कुछ शहरों में कार्यान्वित की जा रही तीव्र जन परिवहन प्रणालियां इस प्रकार हैं:–

1. मेट्रो परियोजनाएं : दिल्ली, बंगलौर, मुंबई और कोलकाता।

2. तीव्र बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) परियोजनाएं : अहमदाबाद, भोपाल, इन्दौर और पुणे।

भूंकप और सुनामी

3541. **श्री विजय कृष्ण** : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथ्वी से पदार्थों का खनन तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इन दिनों बार-बार भूकंप तथा सूनामी आते है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। देश में खनन कार्य के जरिए खनिज उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

(ख) जी, नहीं ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि खनन कार्य के कारण ही महत्वपूर्ण भूकप सक्रिय हुआ है अथवा भूकंप के कारण सुनामी आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेजिन्दर खन्ना समिति की सिफारिशें

3542. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजिन्दर खन्ना समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोन-कौन सी सिफारिशें मान ली गई हैं; और

(ग) शेष सिफारिशों को न मानने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) तेजिन्दर खन्ना समिति की मुख्य सिफारिशें अनधिकृत निर्माण, परिसरों के दुरूपयोग, लाल डोरा तथा विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश, प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका, संस्थानिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन इत्यादि से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर तथा निर्धारित सांविधिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, दिनांक 7.6.06 तथा 22.9.06 की अधिसूचनाओं के जरिए मिश्रित उपयोग से संबंधित प्रावधानों एवं रिहायशी प्लाटों के विकास के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किए गये हैं।

सरकार ने फार्म हाउसों, लाल डोरा क्षेत्रों तथा डीडीए फ्लैटों/समूह आवास में परिवर्द्धन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए भी तीन समितियों का गठन किया है। इन समितियों का कार्यकाल दिनांक 31 दिसंबर, 2006 तक है।

अन्य सिफारिशों के संबंध में अंतर-विभागीय परामर्श किए गए हैं।

[अनुवाद]

शेयर बाजार में निवेश

3543. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के संबंध में केन्द्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मतभेद है जैसाकि दिनांक 8 अक्तूबर, 2006 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न शेयर बाजारों को "डिम्यूचुलाइज्ड" कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा "डिम्यूचुलाइज्ड एक्सचेंजों" का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) इन अधिकरणों की भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियां हैं तथा इसीलिए उनके सापेक्ष महत्व भिन्न हैं। अत: विभिन्न मुद्दों के संबंध में उनकी राय भिन्न हो सकती है। तथापि, परामर्श प्रक्रियाओं में इन मतभेदों को सुलझाकर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) और (ङ; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि इसने दो एक्सचेंजों का पहले ही निगमीकृत एवं अपरस्पीकृत होना अधिसूचित कर दिया है। इसने 19 अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण तथा अपरस्परीकरण की योजनाओं को अनुमोदित करने वाले आदेश भी अधिसूचित कर दिए हैं। ये अधिसूचनाएं इसकी वेबसाईट (www.sebi.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

चुनाव संबंध खर्चों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3544. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्रीमती रुपताई डी. पाटील :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि विधान सभा तथा संसदीय चुनावों के लिए निर्धारित चुनाव संबंधी खर्चों की सीमा का कोई फायदा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा खर्चे पर नियंत्रण रखने के लिए चुनाव सुधार का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) विश्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में निर्वाचन संबंधी व्ययो के विषय पर विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्वाचन विधियों और अन्य संबंधित विषयों में सुधार/परिवर्तन की प्रक्रिया एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

हडको द्वारा व्यावसायिक स्थल

3545. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको) द्वारा विकसित व्यावसायिक स्थल का उपयोग नहीं किया गया है/का कई वर्षों से नीलामी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) ने यह सूचित किया है कि भीकाजी कामा प्लेस स्थित अगस्त क्रान्ति भवन में 37% स्थान अभी भी हडको के कब्जे में है, क्योंकि उसकी बिक्री के लिए अप्रैल, 2006 में आमंत्रित खुली बोली में कोई उचित बोली नहीं प्राप्त हुई। उस क्षेत्र की पुन: नीलामी / पुन: निविदा के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। इसके अलावा, एन्ड्रयूजगंज में 9 गेस्ट हाउस तथा होटल स्थल मुकदमेबाजी के कारण अभी भी हडको के कब्जे में हैं।

सुनामी में भवनों का ध्वस्त होना

3546. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार 26 दिसंबर, 2004 को देश में सीआरजेड के उल्लंघन में सुनामी में लगभग कितने भवन ध्वस्त हुए हैं?:

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों का विकास

3547. श्री विजय कृष्ण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता और हैदराबाद का सिंगापुर की तर्ज पर विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने जल आपूर्ति, सीवरेज, परिवहन, सड़क और वर्षा जल निकास आदि जैसी अवस्थापना का विकास करने के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता देने हेतु दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद सहित 63 चुनिंदा शहरों में 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) शुरू किया है ताकि भारतीय शहरों को रहने के लिए अपेक्षाकृत और उपयुक्त तथा जन-अनुकूल बनाया जा सके। वर्ष 2005-06 से शुरू सात वर्ष की मिशन अवधि के लिए जे एन यू आर एम हेतु 50,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सामुदायिक भवनों हेतु भूमि आबंटन

3548. डा. राजेश मिश्रा :
श्री सज्जन कुमार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर कई स्थानों पर बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में दिविप्रा द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि उसने सामुदायिक हालों के निर्माण के प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की है जिनका सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यदि यह पाया जाता है कि किसी सामुदायिक हाल का बैंक्वेट हाल आदि जैसी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है तो जांच के बाद इसके पट्टे को समाप्त करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि उसने हाल ही में जांच के बाद व्यवसायिक गतिविधि के लिए दुरूपयोग किए जाने के कारण दो सामुदायिक हालों के पट्टे को समाप्त कर दिया है।

[अनुवाद]

बैंककारी सुविधाएं

3549. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक घरों में ए.टी.एम. सुविधा सहित बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुविधा सेवा प्रदान करने हेतु "कारोबार सुविधा प्रदाता और सम्पर्कियों" के रूप में डाक घरों की सेवाओं का उपयोग करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। ऐसी सेवाओं में (i) उधारकर्ताओं की पहचान और क्रियाकलापों का निर्धारण, (ii) प्राथमिक सूचना आंकड़ों के सत्यापन सहित ऋण आवेदनों का संग्रह एवं प्रारम्भिक कार्रवाई, (iii) बचतों और अन्य द्रव्यादों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और धनराशि और ऋण परामर्श के बारे में शिक्षा/सलाह देना, (iv) आवेदनों पर कार्रवाई करना और उन्हें बैंकों में जमा करना, (v) स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को बढ़ावा देना और पोषण करना; (vi) मंजूरी उपरांत निगरानी, (vii) स्व-सहायता समूहों / संयुक्त देयता समूहों/ ऋण समूहों/अन्य की निगरानी और संचालन और (viii) वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई को शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

आयकर प्रपत्र

3550. **श्री राकेश सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर प्रपत्र-2 एफ में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नए सरल को जारी रखने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) प्रपत्र-2 एफ के विशेष लाभ, यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) फार्म सं. 2 च में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फार्म सं. 2 च को भरना कठिन कार्य नहीं है।

(ग) नया सरल (फार्म सं. 2 ङ) को जारी न रखने के कारण इस प्रकार हैं:

(i) चूंकि यह एक पृष्ठ का विवरणी फार्म था, इसलिए संगत ब्यौरों को भरने के लिए इसमें पर्याप्त स्थान नहीं था;

(ii) यह करदाताओं को धन के अंत: प्रवाह और बहिर्प्रवाह को प्रकट करने का अवसर नहीं देता था। विवरणी फार्म में इन ब्यौरों के न होने से, लेन-देनों जिनकी वार्षिक सूचना विवरणी में सूचना दी जाती है, को स्पष्ट करने के लिए करदाता को बुलाना पड़ता था।

(घ) फार्म सं. 2 च में संगत ब्यौरों को भरने के लिए पर्याप्त स्थान है। इसके अलावा, इस फार्म को ऐसा व्यक्ति भी आसानी से भर सकता है जिसको कर कानून का पर्याप्त ज्ञान न हो क्योंकि इस फार्म की सभी प्रविष्टियों को विधिवत् स्पष्ट किया गया है तथा वे प्रति संदर्भित हैं। इस फार्म में उपलब्ध नकद प्रवाह विवरण धन के अंतर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह को प्रकट करने का करदाताओं को अवसर प्रदान करता है जिससे स्पष्टीकरण के लिए करदाताओं को बुलाए बिना वार्षिक सूचना विवरणी में वर्णित लेन-देनों का सत्यापन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया राशि को जारी करना

3551. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों को राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राशि अभी भी अदा करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की अदायगी करने हेतु राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) जी, नहीं। मंत्रालय ने सभी एनएफएफडब्ल्यूपी राज्यों/जिलों को उनके आबंटन तथा कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी हकदारी के अनुसार निधियां रिलीज की थीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

3552. **डा. के.एस. मनोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय की सूची में निजी सलाहकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा तैयार की गई तथा सहायता वाली परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तिथि तक श्रेणीवार उन्हें कितनी फीस का भुगतान किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के कार्यान्वयन हेतु शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा ली एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रायवेट लिमिटेड, इंडिया तथा टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, इंडिया के सहयोग से प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्रायवेट लिमिटेड, इंडिया को नियुक्त किया गया है।

(ख) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए मंत्रालय की सूची में कोई प्रायवेट परामर्शदाता नहीं है।

(ग) शून्य।

(घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त की गयी फर्मों को मंत्रालय द्वारा किसी फीस का भुगतान नहीं किया जाना है।

[हिन्दी]

सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जलापूर्ति

3553. श्रीमती निवेदिता माने : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दक्षिण दिल्ली तथा पूर्वी दिल्ली को जलापूर्ति शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली को उन कॉलोनियों का ब्यौरा क्या है जहां इस संयंत्र से पानी की आपूर्ति होती है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की मयूर विहार फेज - तीन को उक्त संयंत्र से पानी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मयूर विहार फेज-तीन को जलापूर्ति कब तक शुरू हो जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की निम्नलिखित कालोनियों में सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है:–

दक्षिणी दिल्ली

ओखला, महारानी बाग, फ्रेंड्स कालोनी, तैमूर नगर, आश्रम, जंगपुरा, भोगल, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, सिद्धार्थ इंकलेव, किलोकरी गांव तथा आस-पास के क्षेत्र, श्रीनिवासपुरी, सरिता विहार, ग्रेटर कैलाश-पार्ट I तथा II, अलकनंदा कालोनियों का समूह, ईस्ट ऑफ कैलाश, गढ़ी, कैलाश हिल्स, डिफेंस कालोनी, सीजीओ काम्पलेक्स, प्रगति विहार होस्टल, एनडीएसई-पार्ट I तथा II, कोटला, मुबारकपुर, लाजपत नगर, नेहरु नगर, सनलाइट कालोनी, कालकाजी, सी आर पार्क, गोविन्दपुरी, गिरि नगर, मस्जिद मोठ, चिराग दिल्ली, सावित्री नगर, शेख सराय, दक्षिणपुरी, मदनगीर, लाडो सराय, सादिक नगर, महरौली, साकेत, मालवीय नगर, शिवालिक, गीतांजली, नवजीवन विहार, सर्वोदय इंकलेव, अदचीनी. विजय मंडल इंकलेव, पंचशील पार्क, पंचशील इंकलेव, सोमी नगर, एमएमटीसी एवं एसटीसी कालोनी, गुलमोहर पार्क, उदय पार्क, नीति बाग, आनंद लोक, एन्ड्रयूजगंज, में फेयर गार्डन, एशियाड विलेज, शाहपुर जाट गांव, मुनीरका, मुनीरका विहार, ग्रीन पार्क, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नेब सराय, बेर सराय, कटवारिया सराय, महरौली, वसंत कुंज, किशनगढ़ एवं मसूदपुर गांव।

पूर्वी दिल्ली

ब्रह्मपुरी X ब्लॉक, ब्रह्मपुरी ई, एफ, जी, एवं एच ब्लॉक, गौतमपुरी, शास्त्री पार्क।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि डीडीए द्वारा जल आपूर्ति नेटवर्क को क्रियाशील किये जाने के बाद मार्च, 2007 के अंत तक मयूर विहार फेज-III को सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जल की आपूर्ति की जा सकती है।

'प्ली बारगेनिंग'

3554. श्री बालेश्वर यादव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मामलों के त्वरित निपटान तथा अभियुक्त को राहत देने के लिए 'प्ली बारगेनिंग' की अवधारणा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नया अध्याय 21क जोड़कर "सौदा अभिवाक" से संबंधित आवश्यक उपबंध को पहले ही दंड न्याय प्रणाली में सम्मिलित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सट्टा बाजार में विदेशी संदान

3555. **श्रीमती नीता पटैरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशदान के रूप में प्राप्त धनराशि को सट्टे बाजार में निवेश किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्राप्त हुए विदेशी अंशदान को जिन उद्देश्यों के लिए इसे प्राप्त किया गया है उन्हें निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाना है।

सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को आयकर से छूट

3556. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेदांता कल्चरल फाउंडेशन, मुंबई को आयकर अधिनियम की धारा 35(i) और (ii) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फाउंडेशन ने इस कर छूट के नवीकरण के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर छूट के नवीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस फाउंडेशन को यह छूट कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(iii) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 14.11.2003 के तहत वेदांता सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, मुंबई को 1.8.2003 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रतिष्ठान ने आयकर निदेशक (छूट), मुंबई के कार्यालय में 15.5.2006 को नवीकरण के लिए आवेदन किया।

(ङ) आवेदन की प्रोसेसिंग में कोई अनुचित विलंब नहीं हुआ है क्योंकि इसे 15.5.2006 को ही दायर किया गया। आवेदक से निर्धारित फार्म 2 ग च में आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी जिसे 15.6.2006 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, कुछ जानकारी मांगी गई तथा आवेदन के उत्तर की आयकर निदेशक (छूट), मुंबई के कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है। क्षेत्रीय प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को विहित प्राधिकारी अर्थात् केंद्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

बी पी ओ उद्योग की गुणवत्ता

3557. **श्री इंसराज जी. अहीर :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बी पी ओ) अथवा कॉल सेंटरों में रोजगार के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी पी ओ हेतु राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित कराने के लिए किसी संस्था/विश्वविद्यालय को प्राधिकृत किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शॉपिंग माल का निर्माण

3558. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शॉपिंग माल एम सी डी/डीडीए द्वारा अनिवार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए बिना चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी मॉलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन मॉलों द्वारा पर्याप्त अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं.

(घ) यदि हां, तो इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान इन मॉलों में कितने व्यक्ति मारे गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उसने शॉपिंग माल के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी है, यद्यपि वर्ष 2005-06 में 3 वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि भवन स्वामी द्वारा भवन का कब्जा लेने से पूर्व कब्जा/पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना कब्जा/ पूर्णता प्रमाण पत्र के भवन का कब्जा लेने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि कब्जा/ पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना किसी भी शॉपिंग माल में कार्य शुरू किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनिवार्य स्वीकृति प्रमाणपत्र, जहां कहीं भी लागू है, प्राप्त करने के बाद ही कब्जा/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि गत दो वर्षों के दौरान आग लगने के कारण मालों में कोई प्राणघातक दुर्घटना घटने की सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

3559. श्री रशीद मसूद :
श्री रघुनाथ झा :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करके बेरोजगारी में कटौती करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के माध्यम से कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) देश में शहरी गरीबों की जीवन दशाओं में सुधार लाने तथा शहरी गरीबों के लिए रोजगार का सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 01.12.1997 से सम्पूर्ण भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में प्रथमत: नौवीं कक्षा तक ही पढ़े व्यक्तियों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा द्वितीयत:, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार मुहैया कराके शहरी बेरोजगारों एवं अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने की संकल्पना की गयी है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत माइक्रो/ग्रुप उद्यम लगाने में बेरोजगार शहरी युवकों सहित 4 लाख शहरी गरीबों को सहायता प्रदान करने तथा 5 लाख शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य नियत किया गया है।

[अनुवाद]

रेजिडेंसियल वेल्फेयर एसोसिएशन को भूमि/ स्थान का आबंटन

3560. **श्री वृंदा भूषण शरण सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास डीडीए द्वारा विकसित कालोनियों/समूह आवास समितियों को रेजिडेंसियल वेल्फेयर एसोसिएशनों को कार्यालय के लिए स्थान/भूमि का आबंटन करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस नीति के अंतर्गत डीडीए को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) डीडीए द्वारा विकसित उन कालोनियों/ समूह आवास समितियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ स्थान/भूमि का आबंटन किया गया है;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार डीडीए के पास कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(च) इन मामलों का निपटान कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि नीति के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 के तहत उनके पास पंजीकृत आवासी कल्याण संगठनों (आरडब्ल्यूए) को प्लांट/निर्मित स्थान आबंटित किए जाते हैं बशर्ते कि वे उपलब्ध हों।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान डीडीए को 5 आरडब्ल्यूए से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) डीडीए द्वारा जिन 12 आरडब्ल्यूए को स्थान/भूमि आबंटित की गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि 5 मामलों में विभिन्न कारणों से भूमि/ निर्मित स्थान आबंटित नहीं किया जा सका जैसे कि अपात्रता, प्लाटों/निर्मित स्थान की अनुपलब्धता आदि। इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

विवरण

डीडीए द्वारा भूमि/ कार्यालय स्थान/ समुदाय हॉल के लिए आबंटन प्राप्त आवास कल्याण संगठनों की सूची

1. आवासी कल्याण संगठन, फ्रेंज खास, एसएफएस फ्लैट
2. आवासी कल्याण संगठन, मुनिरिका फेज-II
3. आवासी कल्याण संगठन, मुनिरिका, एसएफएस फ्लैट
4. आवासी कल्याण संगठन, सी-3, एमआईजी फ्लैट, केशव पुरम
5. आवासी कल्याण संगठन, एम आई जी फ्लैट, चित्रकूट, ईस्ट ऑफ लोनी रोड
6. आवासी कल्याण संगठन, एच ब्लॉक, साकेत
7. आवासी कल्याण संगठन, जी-8 एरिया, राजौरी गार्डन
8. आवासी कल्याण संगठन, कैलाश कुंज, ग्रेटर कैलाश
9. आवासी कल्याण संगठन, के.सी. ब्लॉक (एमआईजी) अशोक विहार, फेज-I
10. आवासी कल्याण संगठन, के.सी. ब्लॉक (एमआईजी) अशोक विहार, फेज-I
11. आवासी कल्याण संगठन, जीएच-13, एसएफएस, पश्चिम विहार
12. आवासी कल्याण संगठन, एशियन गेम्स विलेज कंप्लेक्स

चल प्रभार

3561. **श्रीमती अर्चना नायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ही क्षेत्र में पानी के टैंकरों द्वारा जलापूर्ति के लिए अलग-अलग धनराशि वसूलता है;

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र में ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली जल बोर्ड सम्पूर्ण दिल्ली में एक समान पानी की दरें वसूल कर रहा है;

(ग) क्या डीडीए के पास द्वारका की जलापूर्ति को दिल्ली जल बोर्ड को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि अप्रैल, 2006 तक द्वारका के सेक्टर-12 में पांच हाउसिंग सोसाइटियों से विशेष मामले के रूप में 125/- रुपए प्रति टैंकर लिया जा रहा था, क्योंकि इन सोसाइटियों को जल की कमी के कारण पाइप के जरिये जल आपूर्ति नहीं की जा रही थी। तथापि, इस समय द्वारका में सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 300/- रुपए प्रति टैंकर की दर से टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की एक समान दर है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि वह द्वारका में जल आपूर्ति का कार्य दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को सौंपने का मामला उठा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने सी डब्ल्यू पी सं. 537/ 1992 में 10.5.2000 को जारी माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग के साथ-साथ हरियाणा सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। उपर्युक्त के आलोक में, इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

एल आई सी पालिसियों पर सम्प्रभु गारंटी

3562. श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने सरकार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जीवन बीमा पालिसियों पर से सम्प्रभु गारंटी को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एल आई सी द्वारा दिए गए रक्षोपाय के लिए सम्प्रभु गारंटी को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेट लगाना

3563. डा. राजेश मिश्रा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों के नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू के फ्लैटों और उनके आवासी परिसरों में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर ग्रिल-गेट लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता

3564. श्री पी.सी. थामस : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और उसे अद्यतन बनाने हेतु 65.32 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध करते हुए सी.एम. एल.आर की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) केरल की राज्य सरकार ने राजस्व एवं पंजीकरण विभागों के कम्प्यूटरीकरण, आधुनिक सर्वेक्षण उपस्करों के जरिए राज्य का पुनर्सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण अभिलेखों के अंकीकरण के कार्य को शामिल करते हुए भूमि अभिलेखों के विस्तृत आधुनिकीकरण (सी.एम.एल.आर.) की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 431.32 करोड़ रुपये की लागत का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) भूमि अभिलेखों के विस्तृत आधुनिकीकरण (सी.एम. एल.आर.) की योजना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

3565. श्री अमिताभ नन्दी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में अंशकालिक सफाईकर्मियों/कर्मचारियों की सेवाओं को पूर्णकालिक सफाईकर्मियों/ कर्मचारियों के रूप में नियमित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इस निर्णय को लागू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली में 12 अप्रैल, 2006 को संयुक्त सचिव (इन्फ्रा/एससीटी) की अध्यक्षता में अ.जा./अ.ज.जा. संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

परिसंघ/संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया था कि बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 2000-3000 रुपए प्रतिमाह की अत्यंत कम मजदूरी पर अंशकालिक आधार पर रखा गया था, जबकि बैंकों के नियमित कर्मचारी अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ अंशकालिक कर्मचारी तो 10-12 वर्ष से कार्य रहे थे और आज की तारीख तक वे अंशकालिक कर्मचारी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है। यह सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने तथा भविष्य में सिर्फ नियमित आधार पर नियुक्तियां करने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए जाएं। परिसंघ/संघ के प्रतिनिधियों को यह सूचित किया गया था कि उपयुक्त सुझावों को विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु बैंकों को भेजा जाएगा। बैठक के कार्यवृत्त सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में परिचालित कर दिया गया है।

किसी बैंक से विशेष रूप से क्रियान्वयन रिपोर्ट नहीं मांगी गई है।

शहरी नवीकरण परियोजना हेतु निजी क्षेत्र

3566. श्री के.सी. पल्लानी शम्मी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी नवीकरण परियोजना हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) क्या सरकार को निजी क्षेत्र से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एक वैकल्पिक सुधार है।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं अभिज्ञात शहरों के स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पैरा स्टेटलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं न कि केन्द्र सरकार द्वारा। इसलिए, शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना शहरों/ पैरा स्टेटलों पर निर्भर है। अभी तक, राजकोट नगर निगम ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी एक परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। यह परियोजना अनुमोदित हो गई है।

[हिन्दी]

रोहिणी हाउसिंग प्रोजेक्ट 1981

3567. श्री तूफानी सरोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की रोहिणी हाउसिंग प्रोजेक्ट 1981 को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटन हेतु कितने आवेदकों ने आवेदन किया था;

(घ) क्या सभी आवेदकों को मकान आबंटित कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस प्रोजेक्ट में किसी घोटाले की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 के अंतर्गत कुल 82,384 पंजीयकों में से 54,707 पंजीयकों को प्लॉटों का आवंटन कर दिया गया है। 1820 पंजीयकों ने अपने रजिस्ट्रेशन / आवंटन रद्द/ वापिस कर दिए हैं। इस समय स्कीम के अंतर्गत बैकलॉग 25,857 है। भूमि की कमी और अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण इस स्कीम के सभी पंजीयकों को प्लॉट आवंटित नहीं किए जा सके। चूंकि प्लॉटों की बिक्री भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करती है। इसलिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस स्कीम में किसी घोटाले की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास हेतु निर्धारित धनराशियों का उपयोग न किया जाना

3568. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास हेतु राज्य सरकारों को जारी धनराशियों को योजना शीर्ष के अंतर्गत खर्च नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो योजना शीर्ष के अंतर्गत उपयोग न किए जाने के कारण ये धनराशियां कितनी राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने योजना शीर्ष के अंतर्गत धनराशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं और ऐसी धनराशियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास हेतु जारी धनराशियों का योजना शीर्ष के अनुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए किया जाता है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा तक निधियों का उपयोग करना होता है। तथापि, व्यावहारिक कठिनाइयों जैसे कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा और जन प्रतिनिधियों के चुनाव होने की वजह से कभी-कभी उपलब्ध संसाधनों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जाता है। रिलीज की गई निधियों के विषय में उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट निधियों की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, राज्य/जिला स्तर पर जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रभाव की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा,

राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही/सामाजिक लेखा-परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी। इन उपायों से ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्य को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

फन एण्ड फूड विलेज

3569. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दिल्ली में बिना किसी स्वीकृत भवन योजना के कृषि भूमि पर व्यावसायिक स्थल "फन एण्ड फूड विलेज" की स्थापना की जांच करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कोई जांच करने का आदेश नहीं दिया है। दिल्ली नगर निगम ने यह भी बताया है कि फन एण्ड फूड विलेज का परिसर लगभग सात एकड़ भूमि में है जिसमें से चार एकड़ भूमि लाल डोरा क्षेत्र में है तथा तीन एकड़ भूमि कापसहेड़ा गांव की कृषि भूमि है। जहां तक कृषि भूमि पर निर्माण का संबंध है, दिल्ली नगर निगम पहले ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबंधों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा यह भी बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, फन एण्ड फूड विलेज को दिनांक 7.4.06 को बंद (सील) कर दिया गया था, क्योंकि वह 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मॉनीटरिंग समिति के निर्देशों के अनुसार, मालिकों द्वारा बाद में दिए गए शपथ-पत्र के पश्चात् इस संपत्ति को खोल दिया गया।

स्वापक नियंत्रण संबंधी एजेन्सियां

3570. **श्री के फ्रांसिस जार्ज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक नियंत्रण संबंधी सरकार की एक से अधिक एजेन्सियां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये एजेन्सियां अंतर्राष्ट्रीय स्वापक-आतंकवाद से किस प्रकार निपटती है;

(घ) क्या उनके समक्ष किसी प्रकार की कठिनाइयां आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको मिलाकर एक एजेंसी बनाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने स्वापकों के नियंत्रण के लिए एक बहु एजेंसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। औषधी और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन डी पी एस अधिनियम) के उद्देश्य और कारण के विवरण में पूर्ववर्ती विधानों में बहुत सी त्रुटियों की सूची है जिसके कारण स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को अधिनियमित किया गया था। सूचीबद्ध त्रुटियों में से एक यह है कि कई केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ववर्ती कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तन की शक्ति नहीं दी गई थी। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम धारा 41(2) और 42 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी संबद्ध सरकारों के किसी विभाग के अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तार करने की शक्तियां देने के लिए प्राधिकृत करती हैं। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा शक्ति प्रदान की गई है और वे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों और कारण के विवरण के दृष्टिगत कानून का प्रवर्तन करते हैं।

(ग) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी एजेंसियां ड्रगों को जब्त करती और अपराधियों को गिरफ्तार करती हैं। केन्द्र और सभी राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी एजेंसियों द्वारा जब्ती और गिरफ्तारी करने से संबंधित सूचना स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी) को दी जाती है जो उक्त सूचनाओं का

संकलन करता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अन्य देशों में अपने सहयोगियों से भी आसूचना का आदान प्रदान करता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इन्टरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों को भी देखता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशें

3571. **श्री के.एस. राव :**
श्री निखिल कुमार :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार से मीडिया द्वारा आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के समय, जांच और विचारण के दौरान अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग को रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) "मीडिया द्वारा विचारण : दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन स्वतंत्र वक्तव्य और निष्पक्ष विचारण (न्यायालय अवमान संशोधन अधिनियम, 1971 के संशोधन)" विषय पर विधि आयोग की 200वीं रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी मुद्रणालयों हेतु मशीनरी/उपकरण की खरीद

3572. **श्री जोयाकिम बखला :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों के लिए खरीदी गई मशीनरी/उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इनका मूल्य कितना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : विगत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों के लिए खरीदे गए मशीनरी/उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मशीन का नाम	खरीदी गई मात्रा	खरीदी गई वस्तुओं का प्रैस वार वितरण	प्रत्येक मशीन का मूल्य (रुपये में)	कुल मूल्य (रुपये में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2003-04 के दौरान खरीदी गई मशीनरी/उपकरण				
डिजिटल डूपलिकेटर	2	रिंग रोड (1) आर.पी. भवन(1)	6,17,032	12,34,064
स्पाइरल बाइडिंग	1	सांत्रागाछी	74,970	74,970
स्पाइरल बाइडिंग	1	सांत्रागाछी	74,970	74,970
फ्रैंकिंग मशीन	4	मिन्टो रोड (1) निलोखेड़ी (1)	87,500	3,50,000

1	2	3	4	5
		फरीदाबाद (1)		
		नासिक (1)		
डीटीपी सिस्टम	79	सांत्रागाछी (6)	अलग-अलग दर	71,74,337
		टीएसकोल (1)		
		अलीगढ़ (1)		
		नीलोखेड़ी (2)		
		नासिक (8)		
		कोयम्बटूर (6)		
		कोरट्टी (1)		
		आरपी भवन (1)		
		मिन्टो रोड (50)		
		फरीदाबाद (2)		
वर्ष 2004-05 के दौरान खरीदी गई मशीनरी/उपकरण				
कम्प्यूटराइज पेपर कटिंग मशीन	3	रिंग रोड (2)	अलग-अलग दर	27,00,000
		कोरट्टी (1)		
पेपर कटिंग मशीन (45") गिलोटिंग	16	मिन्टो रोड (4)	अलग-अलग दर	1,40,00,000
		रिंग रोड (2)		
		आर.पी. भवन (1)		
		नीलोखेडी (1)		
		फरीदाबाद (2)		
		कोयम्बटूर (1)		
		टीएस कोलकाता (2)		
		सांत्रागाछी (3)		
दो कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन	12	मिन्टो रोड (2)	49,59,172	2,54,87,488
		रिंग रोड (2)	49,59,172	

1	2	3	4	5
		फरीदाबाद (3)	53,04,986	
		कोयम्बटूर (1)	3,45,814	
		नासिक (2)	49,59,172	
		सांत्रागाछी (2)	49,59,172	
एक कलर ए-2 साइज ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन	6	नीलोखेडी (1)	12,30,843	73,85,058
		नासिक (2)	24,61,686	
		टीएस कोल (1)	12,30,843	
		सांत्रागाछी (2)	24,61,686	
वर्ष 2005-06 के दौरान खरीदी गई मशीनरी/उपकरण				
तीन नाइफ ट्रिमर	1	कोरट्टी	17,52,376	17,52,376
वायर स्टिचिंग मशीन 1''	16	मिंटा रोड (2)	46,592	7,45,472
		रिंग रोड (2)		
		आर.पी. भवन (1)		
		निलोखेड़ी (2)		
		फरीदाबाद (4)		
		कोयम्बटूर (1)		
		टी.एस. कोल (2)		
		सांत्रागाछी (2)		
प्लेट प्रोसेसर	10	मिंटो रोड (2)	3,43,200	34,32,000
		रिंग रोड (2)		
		निलोखेड़ी (1)		
		अलीगढ़ (1)		
		कोयम्बटूर (1)		
		नाशिक (1)		
		टी.एस. कोल (1)		

1	2	3	4	5
किताब सिलाई मशीन	2	मिंटो रोड (1)	2,34,000	4,88,000
		फरीदाबाद (1)		
ओटोमेटिक फोल्डिंग मशीन	5	रिंग रोड (1)	18,80,884	94,04,420
		टी.एस. कोल (2)		
		सांत्रागाछी (2)		
प्रिंटिंग डाउन फ्रेम	12	मिंटो रोड (2)	1,87.200	22,46,400
		रिंग रोड (2)		
		निलोखेड़ी (1)		
		अलीगढ़ (1)		
		कोयम्बटूर (1)		
		नाशिक (2)		
		टी.एस. कोल (1)		
		सांत्रागाछी (2)		
नाइफ ग्रेंडर	2	कोरट्टी (1)	2,24,640	4,49,280
		टी.एस. कोल (1)		
गैदर स्टिचर	2	कोरट्टी (1)	38,92,984	1,05,07,856
		टी.एस. कोल (1)	66,14,872	
एक कलर ए-1 साईज आफ सेट प्रिंटिंग मशीन	14	आर.पी. भवन (1)	19,57,236	2,74,01,304
		निलोखेड़ी (1)		
		फरीदाबाद (1)		
		अलीगढ़ (1)		
		नाशिक (6)		
		सांत्रागाछी (4)		
लैमिनेशन मशीन	1	सांत्रागाछी	49,608	49,608
एक कलर ए-1 साईज	9	निलोखेड़ी (1)	33,08,512	2,97,76,608

1	2	3	4	5
आफसेट प्रिंटिंग मशीन नम्बरिंग यूनिट		फरीदाबाद (2)		
		कोयम्बटूर (1)		
		नाशिक (2)		
		टी.एस. कोल (1)		
		सांत्रागाछी (2)		

[हिन्दी]

शहरी सहकारी बैंकों के पंजीकरण पर प्रतिबंध

3573. श्री बालेश्वर यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी सहकारी बैंकों के पंजीकरण पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रतिबंध को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में यूसीबी क्षेत्र को नए लाइसेंस जारी करने का उल्लेख है। इसमें यह निर्धारित है कि इस क्षेत्र को मजबूत, सुदृढ़ और स्थिर बनाने के लिए इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कानूनी एवं विनियामक ढांचे सहित यूसीबी से संबंधित एक व्यापक नीति तैयार कर दिए जाने के पश्चात ही नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इस घोषणा के अनुसार, इस संबंध में स्थिति की समीक्षा करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई घोषणा करने के पश्चात ही नए यूसीबी के गठन हेतु अथवा सहकारी ऋण समितियों को यूसीबी में परिवर्तित करने के किसी नए प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। एक शुरूआती कदम के रूप में, राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर विनियामक सहयोग स्थापित करने के मद्देनजर तथा शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित कार्यबल (टीएएफसीयूबी) के सकारात्मक अनुभव के आधार पर मध्यावधि समीक्षा में यह कहा गया था कि राज्यों में पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तथा वे यूसीबी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हुए हैं, को विद्यमान विस्तृत पटलों को कुछ शर्तों के अध्यधीन पूर्ण शाखा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में 13 नवंबर, 2006 को यूसीबी को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नई शाखाओं/लाइसेंस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित प्रगति के बारे में प्रत्येक राज्य की समीक्षा पूरी होने के बाद ही वह नई शाखाओं/लाइसेंस की अनुमति प्रदान करेगा।

[अनुवाद]

'कैच दैम यंग' का ध्येय

3574. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने 'कैच दैम यंग' अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किन उद्देश्यों और ध्येयों को प्राप्त किया जाएगा; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव संसाधन का विकास और पोषण सरकार की कार्यसूची में हमेशा शीर्ष पर रहा है। सरकार ने विद्यार्थियों को उनकी युवावस्था में स्कूल से कालेज तक और उसके बाद शीर्षस्थ स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान तथा अनुसंधान और विकास के विभिन्न स्तरों पर अभिनव योजनाओं के माध्यम से विज्ञान शिक्षा अपनाने हेतु उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रमुख महत्व दिया है।

सरकार ने विज्ञान में कैरियर अपनाने हेतु मेधावी विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए पहले से ही अनेक स्कीमें शुरू की हैं। इनमें स्कूल और कालेज स्तर पर आकर्षिक किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्तियों से लेकर कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां, स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां, रमन्ना अध्येतावृत्तियां, अनुसंधान स्तर पर युवा वैज्ञानिक परियोजनाएं और पुरस्कार, जे सी बोस और रामानुजन अध्येतावृत्तियां हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड जैसे कार्यक्रम भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनौतीपूर्ण और रूचिकर क्षेत्रों में युवाओं द्वारा कार्य करने के उद्देश्य के लिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुधार हेतु निधि (फिस्ट) कार्यक्रम के माध्यम से और अनुसंधान सुविधाओं तथा उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना द्वारा भी सरकार ने हमारे मौलिक विज्ञान अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रतियोगी अनुसंधान अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में, कोलकाता, पुणे और चण्डीगढ़ में तीन नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर) स्थापित किये गये हैं जिनमें अग्रणी और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी अनुसंधान कराने के अलावा एक बहु - विषयी और शैक्षिक रूप से लचीले तथा अनुसंधानोन्मुखी वातावरण में एकीकृत एम. एस सी. कार्यक्रमों को भी चलाया जायेगा।

सरकार 11वीं योजना में "इन्सपायर" (इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) नामक एक नई स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव कर रही है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं होंगी (1) स्कूलों में नवोन्मेष वित्त व्यवस्था (एक मिलियन युवा आविष्कार); (2) वैज्ञानिक विभूतियों के साथ ग्रीष्म कैंप (उच्च निष्पादकों के लिए); (3) प्रमाणित प्रतिभा बल हेतु सुनिश्चित अवसर स्कीमें; और (4) सार्वजनिक - निजी सहभागिता के माध्यम से सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा को बनाये रखना।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जट्रोफा पौधरोपण को शामिल किया जाना

3575. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने जैव-डीजल का उत्पादन करने और इसके फलस्वरूप भारत द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम किए जाने के उद्देश्य से जट्रोफा के पौधरोपण को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिसंघ ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत जट्रोफा पौधरोपण और जैव-डीजल के उत्पादन को एक हिस्से के रूप में शामिल किए जाने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) जी, नहीं। ग्रामीण विकास विभाग को रतनजोत पौधरोपण को बढ़ावा देने, ताकि बायो-डीजल का उत्पादन किया जा सके तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम किया जा सके, के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ से कोई सुझाव नहीं मिला है। तथापि, बायो-डीजल उत्पादन की प्रक्रिया का प्रथम चरण जिसमें पौधरोपण तथा तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है क्योंकि यह काम अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित कार्यों के अंतर्गत आता है।

करों के संबंध में विश्व बैंक अध्ययन

3576. **श्रीमती मनोरमा मादवराव** :
डा. सुबान चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 9000 पेजों के आयकर कानून हैं, जैसा कि दिनांक 14 नवंबर, 2006 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या जटिल आयकर प्रक्रिया की वजह से कर अपवंचन होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने एक खंडन जारी किया है जिसके आधार पर हिन्दुस्तान टाइम्स ने दिनांक 28.11.2006 के अपने संस्करण में 'संपादक के नाम पत्र' के कॉलम में निम्नलिखित प्रकाशित किया:

> "रिपोर्ट कि इंडिया में आयकर कानून (14 नवम्बर) के 9000 पृष्ठ हैं से यह परिलक्षित होता है कि भारत में जटिल आयकर विधान है। यह रिपोर्ट 'पेइंग टैक्सेज़, दि ग्लोबल पिक्चर' नामक एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स-वर्ल्ड बैंक स्टडी पर आधारित है। इस स्टडी के 16वें पृष्ठ पर, भारत में प्राथमिक कर विधान के पृष्ठों की संख्या 9,000 के रूप में दर्शायी गई है। 17वें पृष्ठ पर, स्टडी में कहा गया है कि भारत के प्राथमिक संघीय कर विधान के पृष्ठों की संख्या सबसे अधिक 9000 है। इसमें स्पष्ट रूप से सभी केन्द्रीय कर विधानों का उल्लेख किया गया है न कि सिर्फ आयकर का।"

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सभी 9000 पृष्ठ केवल आयकर कानून से संबंधित हैं। यह रिपोर्ट सही नहीं है और यह जनहित के विरुद्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। जटिल आयकर प्रक्रियाएं कर-अपवंचन तथा कर परिहार को बढ़ावा देती हैं। अत: सरकार ने नई सरलीकृत आयकर संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया हैं उक्त समूह ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.09.2006 को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सरकारी व्यय में कटौती

3577. श्रीमती अर्चना नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजकोष में वृद्धि करने के फलस्वरूप सरकारी व्यय में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) प्रमुख क्षेत्रों में उच्चतर संसाधन आबंटन करने के उद्देश्य से सरकार ने द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें एक ओर, उचित दरों, बेहतर अनुपालन तथा कराधार के विस्तार के जरिए राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, 2003-04 का सकल टैक्स- जी.डी.पी. अनुपात 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 (बजट अनुमान) में 11.2 प्रतिशत हो गया है।

इसके साथ ही सरकार ने 2006-07 में गैर-योजना व्यय की वृद्धि को 5.5 प्रतिशत तक नियंत्रित किया है जो कि हाल के वर्षों में सबसे कम है। इसके फलस्वरूप, 2006-07 के दौरान योजना व्यय में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से हम आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए 15,088 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन कर सकें हैं, ये कार्यक्रम हैं:

> सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम, राजीव गांधी पेय जल मिशन, समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंटिग्रेटिड चाइल्ड डेवल्पमेंट सर्विसेज़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा जवाहर लाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन।

व्यय की विभिन्न श्रेणियों के तहत् होने वाले व्यय के रूझानों का ब्यौरा बजट 2006-07 के साथ प्रस्तुत व्यय बजट के खण्ड-I के अनुबंध 3, 3.1, 3.2, 3.3 में दिया गया हैं ये रूझान, विकास तथा निवेश के लिए आबंटित संसाधनों में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

निधियों को विदेशों में हड़पने (साइफनिंग) के मामले

3578. श्री चौ.के. दुम्मर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में विदेशों में पंजीकृत न्यासों के जरिए भारत से निधियों को हड़पने (साइफनिंग) और धनशोधन के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले की जांच करने तथा इन न्यासों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) इस मंत्रालय की संबंधित एजेंसियों को विदेश में पंजीकृत न्यासों के जरिए भारत से निधियों को हड़पने (साइफनिंग) और धनशोधन के मामलों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पास बुक जारी करना

3579. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कार्य कर रहे सभी बैंकों द्वारा बचत खाता धारकों को नि:शुल्क पास बुक और मासिक विवरणियां जारी करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंक आर बी आई के आदेशों का पालन करने के इच्छुक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस मामले में छूट देने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई से संपर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर आर बी आई की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2006 के अपने दिशानिर्देशों के तहत, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सलाह दी है कि वे अपने सभी बचत बैंक खाता धारकों (अलग-अलग व्यक्ति) को पासबुक सुविधा अवश्य प्रदान करें। यदि, बैंक खाता विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है. और ग्राहक ने इस विवरण को लेने का विकल्प दिया है, तो बैंक को मासिक खाता विवरण अवश्य जारी करना चाहिए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि ऐसी पासबुक अथवा विवरण प्रदान करने की लागत ग्राहक से नहीं ली जानी चाहिए।

(ग) से (च) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश बैंक कोर बैंकिंग प्लेटफार्म अपनाने के लिए प्रयासरत हैं जिसमें ग्राहकों को एटीएम, फोन-बैंकिंग, नेट बैंकिंग, आदि द्वारा 24 घण्टे बैंकिंग सेवाओं की सुविधा है, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने भारतीय रिजर्व बैंक से उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा उठाए गए मामले की जांच कर रहा है।

शहरी गांव

3580. **श्री सुव्रत बोस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने शहरी गांव हैं;

(ख) विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में शहरी गांव की परिभाषा क्या है;

(ग) इन गांवों को क्या सुविधाएं/रियायतें प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) इन गांवों में मकानों के निर्माण संबंधी नियम और विनियम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा-507 के अंतर्गत गांवों को शहरी गांव के रूप में अधिसूचित किया जाता है। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार अधिसूचित किए गए 135 शहरी गांव हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसे गांवों के संबंध में सड़कें, जल-निकास, खरंजा (उनके सुधार सहित) मुहैया कराना तथा पार्कों का उन्नयन और सुधार करने जैसे विकास कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। सामुदायिक हाल, मिल्क बूथ, बारात घर आदि जैसी सुविधाएं विकास योजना के अनुसार मुहैया करायी जाती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए उसने नागरिक सुख-सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू की है।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि शहरी गांवों की निर्माण गतिविधियां दिल्ली के मास्टर प्लान 2001/ जोनल प्लान विनियमन तथा गांव की संबंधित पुनर्विकास योजना/भवन उप नियमों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसलिए, दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन के नक्शों का अनुमोदन इन गांवों में निर्माण के लिए पूर्वापेक्षित है। भवन नक्शों को स्वीकृति प्रदान करते समय 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास प्रभार भी लगाया जाता है।

आयकर प्रतिदाय पर ब्याज

3581. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी धनराशि का उसके ब्याज सहित प्रतिदाय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का प्रतिदाय किया गया और उस पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया; और

(ग) विलंब के लिए प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी. हां। आयकर अधिनियम, 1961 के सांविधिक उपबंधों के अनुसरण में कर निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग जारी करना अथवा कर निर्धारितियों को प्रतिदाय देना आयकर विभाग की एक एतत प्रक्रिया है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में कर निर्धारितियों को प्रतिदाय तथा उस पर ब्याज दिया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर निर्धारितियों को संदत्त प्रतिदाय एवं उस पर ब्याज की कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वित्त वर्ष	कर निर्धारितियों को संदत्त प्रतिदाय की कुल राशि (करोड़ रुपए में)	कर निर्धारितियों को संदत्त ब्याज (करोड़ रुपए में)
2003-2004	25737	4701
2004-2005	28514	3865
2005-2006	29435	4553

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा जांच

3582. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कितने अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में सी.बी.आई. जांच कर रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने बताया है कि वह दो मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी संलिप्त हैं तथा उसने वर्ष 2004 से आज की तिथि तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के 16 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, सूचना का प्रसार, सुविधा केन्द्रों की स्थापना, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, इंटरएक्टिव वेबसाइट शुरू करने, अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक जनता की पहुंच आसान बनाने और पुस्तिकाओं के प्रकाशन आदि जैसे विभिन्न कदम उठाये हैं।

[अनुवाद]

एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना

3583. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एसजीएसवाई के अंतर्गत तीन विशेष परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है और किन-किन जिलों में इन्हें क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 24 विशेष परियोजनाओं के लिए निधियों की पहली किस्त मंजूर एवं रिलीज की है। विभिन्न क्षेत्रों में मंजूर की गई इन 24 विशेष परियोजनाओं जिनमें अन्य के साथ-साथ कृषि और भूमि विकास, वस्त्र, बांस, वानिकी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे, हस्तशिल्प, कॉयर एवं नारियल, डेयरी विकास, पशुधन विकास, रेशम उद्योग, बागवानी, पशु पालन और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में स्वीकृत परियोजनाएं

(12.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृत परियोजना की अवधि	परियोजना अवधि वर्ष में	कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निजामाबाद स्थित सामान्य सुविधा केंद्र के जरिए तकनीकी एवं विपणन प्रौद्योगिकियां मुहैया कराकर हल्दी उत्पादकों को जीविकोपार्जन साधन में वृद्धि हेतु परियोजना	आंध्र प्रदेश	कृषि एवं भूमि विकास	डीआरडीए, निजामाबाद	2006-07	3	1383.350
2.	वस्त्र निर्माण एवं वस्त्र प्रसंस्करण, विजयनगरम के जरिए ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए आय सृजन	आंध्र प्रदेश	वस्त्र	डीआरडीए, विजयनगरम	2006-07	3	1216.320
3.	तेजू सी डी, लोहिता जिला में चीलिंग गांव में बांस रोपण परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	बांस	डीआरडीए, लाहित	2006-07	2	95.800
4.	असम के 6 जिलों में कृषि एवं विपणन विस्तार की सहायता सेवाओं की सहायता से कृषि में उद्यमिता विकास	असम	कृषि एवं भूमि विकास	एसआईआरडी, असम	2006-07	2	1500.000
5.	रायगढ़, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती	छत्तीसगढ़	वानिकी	डीआरडीए, रायगढ़	2006-07	3	487.630

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सरगुजा जिले के प्रेमनगर और बलराम ब्लॉकों में लिफ्ट द्वारा सिंचाई, मत्स्य पालन और डेयरी विकास के लिए विशेष परियोजना	छत्तीसगढ़	विविध क्षेत्र	डीआरडीए, सरगुजा	2006-07	3	1215.990
7.	महासमुंद में बागवानी विकास के लिए विशेष परियोजना	छत्तीसगढ़	कृषि एवं भूमि विकास	डीआरडीए, महासमुंद	2006-07	3	1395.000
8.	बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए विशेष परियोजना, कांकेर	छत्तीसगढ़	विविध क्षेत्र	डीआरडीए, कांकेर	2006-07	3	1407.890
9.	ग्रामोत्थान के लिए सुगंध वाले और औषधि वाले पोधों की कृषि, मूल्य संवर्द्धन और विपणन	हिमाचल प्रदेश	औषधि एवं सुगंध वाले पौधे	जैव प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन के लिए एचपी सोसायटी, एचपी	2006-07	5	1448.350
10.	झारखंड के रांची जिले के खूंटी के बुनकरों के लिए नई डिजाइन और प्रौद्योगिकी का विकास	झारखंड	हस्तशिल्प	डीआरडीए, रांची	2006-07	2	363.240
11.	धारवाड़ जिले के कालाघाटगी और हुबली ब्लॉकों में प्राकृतिक संसाधनों के भागीदारीपूर्ण प्रबंधन के लिए जोनाथन परियोजना	कर्नाटक	कृषि एवं भूमि विकास	डीआरडीए, धारवाड़	2006-07	3	388.32
12.	केरल में मूल्य संवर्द्धित नारियल जटा और इससे बने उत्पादों का उत्पादन और विपणन	केरल	नारियल जटा और नारियल	डीआरडीए, अलप्पुझा	2006-07	3	1480.00

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अमरावती जिले में पशुपालन और डेयरी फार्म की स्थापना	महाराष्ट्र	डेयरी विकास	डीआरडीए, अमरावती	2006-07	5	1390.450
14.	जल समृद्धि, हिंगोली जिला	महाराष्ट्र	पशुधन विकास	डीआरडीए, हिंगोली	2006-07	5	1416.380
15.	मणिपुर में सेनापति जिले में समेकित सामुदायिक डेयरी विकास के जरिए झूमियां जनजातियों का गरीबी उन्मूलन-संशोधित प्रस्ताव	मणिपुर	डेयरी विकास	डीआरडीए, सेनापति	2006-07	2	134.080
16.	पश्चिम गारो पहाड़ी और पश्चिम खासी पहाड़ी जिले में एनईआरसीआरएमपी-आईएफएडी गांवों में अलोवीरा की खेती	मेघालय	औषधि एवं सुगंध वाले पौधे	डीआरडीए, पश्चिम खासी पहाड़ी	2006-07	3	507.210
17.	मध्य प्रदेश में 210 समेकित पशुधन विकास केंद्रों की स्थापना	मध्य प्रदेश	पशुधन विकास	डीआरडीए, भोपाल	2006-07	5	1417.410
18.	उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में जीविकोपार्जन आधारित विकास परियोजना	उत्तर प्रदेश	विविध क्षेत्र	बीएआईएफ और एलएबीएस	2006-07	5	1497.360
19.	डेयरी विकास परियोजना, इटावा, उ.प्र.	उत्तर प्रदेश	डेयरी विकास	डीआरडीए, इटावा	2006-07	5	461.780
20.	उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जीविकोपार्जन आधारित विकास परियोजना	उत्तर प्रदेश	विविध क्षेत्र	डीआरडीए, रायबरेली	2006-07	5	1489.860
21.	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में गोंद चुनने वाले जनजातीय लोगों के कौशल विकास के माध्यम से आय सृजन	विविध राज्य	वानिकी	ट्राइफेड	2006-07 (17.04.06)	2	227.200

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	उत्तरी भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बायोडीग्रेडेबुल इमल्सन का विकास, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार और नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं के अपशिष्टों की अवधि में वृद्धि कर उन्हें नष्ट होने से बचाना।	विविध राज्य	कृषि एवं भूमि विकास	आई.आई.टी. दिल्ली	2006-07	5	1118.840
23.	उत्तरांचल में मलबरी रेशम कृषि का विकास	उत्तरांचल	रेशम कृषि	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर	2006-07	5	757.840
24.	सिक्किम, एसआईआरडी, जोरथांग, दक्षिण सिक्किम में फूल की खेती	सिक्किम	कृषि एवं भूमि विकास	एसआईआरडी, सिक्किम	2006-07	5	695.440

हथकरघा बुनकरों हेतु ऋण

3584. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को दिए जा रहे ऋण की तर्ज पर हथकरघा बुनकरों को कम ब्याज पर ऋण देने की योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और अन्य स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करके हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

एलआईसी एजेंट

3585. **श्रीमती मनोरमा माधवराव** :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी के लिए आय कर छूट की सीमा 1 लाख रु. है, जबकि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंटों के लिए आयकर छूट 5000/- रु. है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एलआईसी एजेंटों के उपदान की गणना करने हेतु उपदान नियमों में संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या एलआईसी ने लेपसेशन मानदंड शुरू किया है, जो कि एलआईसी एजेंटों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) एजेंटों की ड्रॉप आऊट दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार, वैयक्तिक निर्धारिती के मामले मे 01 लाख रु. से अधिक की आय पर कर प्रभार्य है, जबकि एलआईसी अभिकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए 5000/- से अधिक के कुल कमीशन पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत्र पर कर कटौती (टीडीएस) की जाती है। बीमा अभिकर्ता को अदा किए गए कमीशन में से टीडीएस के संबंध में, 5000/- रु. की प्रारंभिक सीमा, दिनांक 01.06.1987 से वित्त अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) एलआईसी ने सूचित किया है कि दिनांक 1.4.2001 को व्यपगमन मानदंड संशोधित क्लब सदस्यता नियमावली में प्रस्तुत किए गए थे। यह खंड एलआईसी अभिकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। यदि, किसी अभिकर्ता के पालिसी व्यपगमन का अनुपात 15% से अधिक हो जाए तो उसकी क्लब सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। किंतु, अन्य सभी लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ, अभिकर्ता को कमीशन, अवधि आवश्वासन तथा ग्रेच्युटी का निरन्तर भुगतान करना शामिल है। वर्ष 2004-05 में अभिकर्ता की छटनी दर 17.52% थी। दिनांक 31.3.2006 को समाप्त हुए वर्ष में इसे 15.72% तक कम करने में सफलता मिली है।

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना

3586. **श्री एस.के. खादरवेनचन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए पहचान किए गए प्रस्तावित स्थल के संबंध में कुछ मतभेद उभर आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) तमिलनाडु में उपयुक्त स्थान पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) लगाने

के संबंध में तमिलनाडु सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के बीच कोई मतभेद नहीं है। स्थान का अंतिम चयन करने के लिए उपयुक्त पोर्ट, जहां कोयले की हैंडलिंग करने की पर्याप्त क्षमता हो, की उपलब्धता पूर्व आवश्यकता है। सीईए तथा राज्य प्राधिकारी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य स्थान को ढूंढने का कार्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

वैज्ञानिकों हेतु बौद्धिक संपदा अधिकार

3587. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के उन विश्वविद्यालयों में आविष्कार एवं नव्यता को बढ़ावा देने हेतु एक नया यू डी प्रकार का विधान लागू करने का है जहां वैज्ञानिकों को पहली बार उनके आविष्कारों के लिए बौद्धिक संपदा का स्वामित्व दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से विश्वविद्यालयों को कितना लाभ मिलेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्र हेतु उपकरणों का निर्माण

3588. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के सहयोग से विद्युत संयंत्र हेतु उपकरणों का निर्माण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एनटीपीसी ट्रांसफार्मर तथा सहायक विद्युत उपकरण बनाने वाले तथा उससे संबंधित सेवाएं देने वाले केरल सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स केरल लि. (टीईएलके) के साथ अनुकूल भागेदारी शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस संबंध में, 18 अगस्त, 2006 को टीईएलके के साथ अभिरूचि की अभिव्यक्ति पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एनटीपीसी, टीईएलके तथा केरल सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य-बल इसके लिए उपयुक्त प्रयास के लिए गठित किया जा चुका है।

दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन

3589. **श्री सुब्रत बोस :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान के उल्लंघन के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि मास्टर प्लान के उल्लंघन के मामलों का पता चलने पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1957 की धारा 29(2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त तथा अन्य संगत साक्ष्य के आधार पर, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के विनिर्दिष्ट न्यायालय में अभियोजन शुरू किया जाता है। वर्ष 2005-06 में डीडीए ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 405 अभियोजन के मामले दायर किये थे।

बी एस यू पी कार्यक्रम

3590. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पूअर (बीएसयूपी) कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या बीएसयूपी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ शहरों/नगरों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शहरों/नगरों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य शहरों में करने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं?

आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय की राज्यमंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के उद्देश्य और लक्ष्य अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित अनुसार हैं:–

– मिशन के तहत शामिल नगरों में अवसंरचना सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक बल देना।

– किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई

– शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सेवाओं को मिलाना

– शहरी गरीबों को जहां तक संभव हो उनके व्यवसाय स्थल के समीप आवास मुहैया कराना।

– परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंध के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का ठीक ढंग से रखरखाव सुनिश्चित हो सके।

– शहरी गरीबों के लिए उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ाना।

– शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना।

(ख) और (ग) बीएसयूपी के अंतर्गत 63 शहरों/नगरों को चुना गया है, राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(घ) और (ङ) संसाधनों की कमी और शहरी गरीबों के लिए लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के तहत सभी शहरों/नगरों को शामिल करने में प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, मानकों/मानदण्डों के अनुसार केवल निम्नलिखित अनुसार 63 चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया है।

	श्रेणी	संख्या
क	2001 की जनगणना अनुसार 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर	07
ख	एक मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम आबादी वाले शहर	28
ग	चुनिन्दा शहर (राज्य राजधानियां और धार्मिक/एतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य शहर/नगर समूह	25

देश में सभी अन्य नगरों/शहरों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर/नगर/शहरी समूह का नाम (जेएनएनयूआरएम के तहत श्रेणी)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (ए)
		विजयवाडा (बी)
		विशाखापटनम (बी)
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर (सी)
3.	असम	गुवाहाटी (सी)
4.	बिहार	बोध गया (सी)
		पटना (बी)
5.	छतीसगढ़	रायपुर (सी)
6.	गोवा	पणजी (सी)
7.	गुजरात	अहमदाबाद (ए)

1	2	3
		राजकोट (बी)
		सूरत (बी)
		वडोदरा (बी)
8.	हरियाणा	फरीदाबाद (बी)
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला (सी)
10.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू (सी)
		श्रीनगर (सी)
11.	झारखंड	धनबाद (बी)
		जमशेदपुर (बी)
		रांची (सी)
12.	कर्नाटक	बंगलौर (ए)
		मैसूर (सी)
13.	केरल	कोचिन (बी)
		तिरुवंतपुरम (सी)
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल (बी)
		इन्दौर (बी)
		जबलपुर (बी)
		उज्जैन (सी)
15.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (ए)
		नागपुर (बी)
		नान्देड (सी)
		नासिक (बी)
		पुणे (बी)
16.	मणिपुर	इम्फाल (सी)
17.	मेघालय	शिलांग (सी)
18.	मिजोरम	आइजोल (सी)
19.	नागालैंड	कोहिमा (सी)
20.	उड़ीसा	भुवनेश्वर (सी)
		पुरी (सी)
21.	पंजाब	अमृतसर (बी)
		लुधियाना (बी)
22.	राजस्थान	अजमेर-पुश्कर (सी)
		जयपुर (बी)
23.	सिक्किम	गंगटोक (सी)
24.	तमिलनाडु	चेन्नई (ए)
		कोयम्बटूर (बी)
		मदुरई (बी)
25.	त्रिपुरा	अगरतला (सी)
26.	उत्तरांचल	देहरादून (सी)
		हरिद्वार (सी)
		नैनीताल (सी)
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा (बी)
		इलाहबाद (बी)
		कानपुर (बी)
		लखनऊ (बी)
		मथुरा (बी)
		मेरठ (बी)
		वाराणसी (बी)

1	2	3
28.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल (बी)
		कोलकाता (ए)
29.	दिल्ली	दिल्ली (ए)
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी (सी)
31.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (सी)

[हिन्दी]

ग्रामीण शिल्पकारों हेतु नाबार्ड योजना

3591. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण शिल्पकारों हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-04 से आज तक नाबार्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को मुहैय्या करायी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से लाभान्वित हुए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) जी, हां। नाबार्ड ने ग्रामीण कारीगरों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। वर्तमान में चल रही योजनाएं हैं:

(i) समूह विकास कार्यक्रम

(ii) ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम

(iii) कौशल विकास उपाय

(iv) ग्रामीण मार्ट योजना

(v) विपणन सहायता

(vi) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (एससीसी)

उपर्युक्त में से, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाएं अनुदान के आधार पर तथा गैर-सरकारी संगठनों, प्रशिक्षण केन्द्रों, विकास संघों, इत्यादि के माध्यम से लागू की गयी हैं। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड एक ऋण उत्पाद है और इसे बैंकों द्वारा लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम (एनपीआरआई) के तहत नाबार्ड ने विकास के लिए 65 ग्रामीण समूहों की पहचान की है और 17 राज्यों में 55 समूहों के विकास का कार्य प्रगति पर है और 16000 (लगभग) लाभार्थी) इनमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीआरआई के तहत समर्थित समूहों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में है।

31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण मार्ट की स्थापना के लिए स्व-सहायता समूहों को 18.35 लाख रुपए तथा 6 राज्यों में 19 ग्रामीण मार्टों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए एनजीओ को 0.84 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 3 राज्यों यथा पंजाब और हरियाणा (9), उड़ीसा (1) एवं राजस्थान (1) में 11 ग्रामीण मार्टों की सहायता के लिए 2.76 लाख रुपए की कुल राशि जारी की गई थी।

31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, 12 राज्यों में 27 ग्रामीण हाटों की सहायता के लिए 63.60 लाख रुपए की संचयी राशि संस्वीकृत की गई। 27 ग्रामीण हाटों में से 13 हाटों ने परिचालन शुरू कर दिया है। एससीसी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार एनपीआरआई के तहत नाबार्ड द्वारा अंगीकार किए गए समूह

क्र. सं.	राज्य	समूहों की संख्या	क्रियाकलाप	स्थान/जिला	अनुदान/आरएफए के रूप में मंजूर राशि रु.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	मूर्ति बनाई	मंगलम, चित्तूर जिला	47437

1	2	3	4	5	6
			ब्रास एंड बेल मेटल क्राफ्ट	सर्वकोटा, श्रीकाकुलम जिला	217127
			इमीटेशन ज्वेलरी	मछली पट्टनम, कृष्णा जिला	8329
			आईडोल/ममेन्टो बनाई	डिवलापल्ली, महबूब नगर जिला	156890
			हैंडलूम समूह	पोचमपल्ली, नलगोंडा जिला	54880
2.	असम	2	ब्रास मेटल क्राफ्ट	जोरहट	80000
			केन और बांस समूह	नोगांव	
3.	बिहार	2	मधुबनी पेंटिंग	मधुबनी	505596
			लेदर क्राफ्ट	नालंदा में बिहार सरीफ	55270
4.	गुजरात	4	बांस एवं कागज आधारित	दाहोड	311800
			चमड़ा समूह	खरवादा, कच्छ	451500
			बांधनी	जामनगर	600000
			आक्सीटाइजड मेटल वर्क	राजकोट, गुजरात	600000
5.	हरियाणा	1	हरियाणा	जरी ज्वेलरी, रीवाडी	180000
6.	झारखण्ड	1	लौहारगिरी	भेन्द्रा गांव, बोकारो	314300
7.	कर्नाटक	6	बीड़ी उद्योग	बिदार	105600
			सिल्क बुनाई	चित्रदुर्ग	18251
			सिसल फाबर रस्सी बनाई	कुदरु, चामराज नगर	57000
			चमड़ा उद्योग	अल्हंद, बेलगांव	118000
			बंजारा कढाई	संदूर बेल्लारी	487930
			कसौटी रजाई बनाई	धारवाड़	24304
8.	केरल	3	बेल मेटल क्राफ्ट	चंगनाश्शेरी, कुटय्यम	347600
			स्ट्रा आर्टस क्राफ्ट	पेरियनाड, कुल्लम	8210
			कोरा ग्रास समूह	आलप्पूझा	

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	2	ब्लाके/बाटिक प्रिंटिंग	उज्जैन	32765
			लुहारगिरी	बगरौजी, जबलपुर	2435
10.	महाराष्ट्र	4	काजू प्रसंस्करण	सिंदूर्ग	6639876
			गणेश मूर्ति निर्माण	पेन ब्लॉक, रायगढ़	50178
			पलघानी साडियां	इयोला, नासिक	39024
			टसर सिल्क	भंडारा	3802
11.	नागालैण्ड	1	कास्ट कला बनाई	डेलजेपे ग्राम, दीमापुर	69500
12.	उड़ीसा	7	ब्रास एंड बेल मेटल	रेमकली ब्लॉक संभलपुर	888262
			डोकरा ढलाई	अंगुल	302000
			हॉर्न क्राफ्ट	गजपति	
			टेराकोटा सिल्क	हलधर ब्लॉक, क्योझर	188000
			बांस एंड मेटल क्राफ्ट	नया गढ़	
			हैंडलूम प्लस्टर	नवा पटना, कटक	199000
			कास्ट सिल्क समूह	खेरपडर, कालाकांडी	
13	पंजाब	1	जूता बनाई	गिद्धरवाह ब्लॉक, मुक्तशर	120000
14.	राजस्थान	5	बुनकर समूह	बाकनल ब्लॉक, झालावाड़	
			जूट बनाई	इस्माइल पुर गांव, अलवर	369921
			हैंड बुक प्रिंटिंग	अकोला ब्लॉक, चितौर गढ़	392500
			शीशा कढ़ाई	डेली पुगल तलाल, बीकानेर	10000
			शीशा कार्य एवं कढ़ाई	नवालिया बारमेर	9500
15.	तमिलनाडु	6	कास्ट कला	कुरुची, विरुपुरम	437434
			नारियल सेल सिलप	कन्याकुमारी	207150

1	2	3	4	5	6
			पेपर मेचो टॉय बनाई	कांचीपुरम	90000
			सिरामिक टॉयस	विंध्याचलम, कुडालूर	
			हाथ छपाई टाई एंड डाई	मदुरै	
			केला आधारित उत्पाद	तिरुचिरापली	
16.	उत्तर प्रदेश	4	हार्न एंड बोन क्राफ्ट प्रोडेक्टस	मुरादाबाद	271788
			कास्ट सिल्क	बिजनौर, नगीना	107055
			पॉटरी समूह	चूनार गांव, मिर्जापुर	6172
			पॉटरी समूह	खुर्जा, बुलंद शहर	2275
17.	पश्चिम बंगाल	1	हैंडलूमस	नवाद्वीप ब्लॉक, नदिया	468559

विवरण-II

30 सितम्बर, 2006 (प्रारम्भ से) की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से जारी किए गए स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस सी सी)

(लाख रुपये में)

राज्य	जारी किए गए एस सी सी की संख्या	संस्वीकृत ऋण सीमा
1	2	3
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	73	20.75
आंध्र प्रदेश	61439	37237.625
असम	2381	631.85
बिहार	23756	17208.71
छत्तीसगढ़	13524	2849.98
गोवा	327	392.08
गुजरात	15522	4049.8
हरियाणा	39357	10442.18
हिमाचल प्रदेश	5028	1717.54
झारखण्ड	6536	1570.18
कर्नाटक	50480	17713.14
केरल	59504	46488.06
मध्य प्रदेश	14765	4765.51
महाराष्ट्र	8601	1618.34
मिजोरम	95	47.1
नागालैण्ड	4	1.19

1	2	3
उड़ीसा	30746	7354.49
पंजाब	14852	4673.36
राजस्थान	19816	5626.84
तमिलनाडु	20837	9017.23
त्रिपुरा	23	6.43
उत्तर प्रदेश	79505	25120.83
उत्तरांचल	6092	1955.18
पश्चिम बंगाल	21876	8708.45
कुल	495139	209215.845

* अनंतिम

शिक्षा ऋण

3592. श्री रामदास अठावले :
श्री उदय सिंह :
श्री चीमनभाई ए. पटेल :
श्री ए.वी. वेल्लारमिन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा हेतु अनिवार्य ऋणों की स्वीकृति में अनावश्यक प्रभावों के प्रयोग के विरुद्ध बैंकिंग उद्योग पर निगरानी रख रही है जैसा कि 20 नवम्बर, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों से उच्च शिक्षा हेतु ऋण ले चुके काफी संख्या में छात्र इसे बैंकों को लौटाने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने, इस उद्देश्य से कि कोई योग्य/मेधावी विधार्थी वित्तीय सहायता के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए, सरकार से परामर्श करके शिक्षा ऋण योजना, 2001, जिसे 2004 में संशोधित किया गया था, सभी सदस्य बैंकों को कार्यान्वित करने हेतु परिचालित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का अक्षरश: कार्यान्वयन किया जाए, अत: योजना के अंतर्गत बैंकों को शिक्षा ऋण योजना के परिचालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं और लागू करने वाले बैंकों को योजना को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों/माता-पिता की सुविधा के अनुरूप परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। योजना के अंतर्गत ऋण का एक बहुत बड़ा भाग अभी चुकौती हेतु देय नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5518/2006]

(ख) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5519/2006]

(ग) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5520/2006]

(2) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5521/2006]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 101 के अंतर्गत केन्द्रीय विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5522/2006]

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5523/2006]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं अधिनियम 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2006 जो 24 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 2016(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं:—

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5524/2006]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5525/2006]

(2) (एक) इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5526/2006]

(3) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदनों—दिसंबर, 2006 के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5527/2006]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये सं. एल.टी. 5528/2006]

(2) (एक) इंडियन सांइस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सांइस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5529/2006]

(3) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5530/2006]

(4) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5531/2006]

(5) (एक) जवाहर लाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5532/2006]

(6) (एक) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5533/2006]

(7) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5534/2006]

(8) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5535/2006]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 3536/2006]

(10) (एक) अघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अघरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5537/2006]

(11) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5538/2006]

(12) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5539/2006]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5540/2006]

(14) (एक) नेशनल सेंटर फॉर, सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर, सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5541/2006]

(15) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5542/2006]

(16) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5543 /2006]

(17) (एक) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5544/2006]

(18) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5545/2006]

(19) (एक) टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5546/2006]

(20) (एक) नेशनल सेंटर फॉर एंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर एंटार्कटिक एण्ड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5547/2006]

(21) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं. एल.टी. 5548/2006]

(22) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5549/2006]

(23) कंपनी अधिनियम,, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5550/2006]

(ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5551/2006]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं श्री प्रेमचंद गुप्ता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम,, 1956 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621 (अ), जो 6 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5552/2006]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अपील प्राधिकरण (प्राधिकरण के सभापति तथा सदस्यों को देय भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन व शर्तों और प्राधिकरण के व्यय को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5553/2006]

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* सं. एल.टी. 5554/2006]

(4) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5555/2006]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :– महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5556/2006]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5557/2006]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5558/2006]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2061 (अ) जो 1 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2032 (अ) जो 27 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2033 (अ) जो 27 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 719(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 720(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 81/2006-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 721(अ) जो 22 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 81/2006-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* सं. एल.टी. 5559/2006]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, देखिये सं. एल.टी. 5560/2006]

(ख) (एक) यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाईटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, देखिये सं. एल.टी. 5561/2006]

(ग) (एक) नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, देखिये सं. एल.टी. 5562/2006]

(घ) (एक) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, देखिये सं. एल.टी. 5563/2006]

(ङ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, देखिये सं. एल.टी. 5564/2006]

(च) (एक) ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गयी, देखिये सं. एल.टी. 5565/2006]

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ संख्या 11/30/2004-बीओए जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 और 15(1) के उपबंध पांच वर्ष की अवधि के लिए इंडियन बैंक पर लागू नहीं होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5566/2006]

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) विजया बैंक अधिकारी सेवा संशोधन विनियम, 2006 जो 25 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/पीए एण्ड पीडी/5244/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियमन, 2006 जो 23 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 146 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5567/2006]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2006 की संख्या 9) (गैर कर प्राप्तियां)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 5568/2006]

(दो) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल)-(2006 की संख्या 20) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)-सुनामी राहत और पुनर्वास के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5568/2006]

(6) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने तथा शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2006 जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1961 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2053 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5569/2006]

(7) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 6 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये सं. एल.टी. 5570/2006]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं आठवें और नौवें सत्र के दौरान आयोजित गैर-सरकारी सदस्यों में विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की इक्कीसवीं से चौबीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¼ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

16वां तथा 17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रुपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'बीमा कंपनियों द्वारा मोबाइल हैंडसेटों के बारे मे विशेष आकस्मिक नीतियां'-नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 2005 की संख्या 4 के अध्याय 10 पर आधारित, के बारे में 16वां प्रतिवेदन।'

(2) 'गेल (इंडिया) लिमिटेड' के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01¾ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

(एक) छत्र प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राव्यपति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के संबंध में 5वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का छत्र प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

[अनुवाद]

श्री राव्यपति सांबासिवा राव (गुन्टूर) : महोदय, में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे तथा चौथे प्रतिवेदनों (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

79वां और 80वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, मैं, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) काफी उत्पादकों की समस्याओं के बारे में समिति के बहत्तरवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट इसकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 79वां प्रतिवेदन; और

(2) मसाला बोर्ड के कार्यकरण संबंधी 80वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02¾ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

108वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण और कार्यनिष्पादन' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 108वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

---

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2006-07 के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[अनुवाद]

*शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अवय माकन) : महोदय, मैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री एस जयपाल रेड्डी की ओर

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5571/2006

[श्री अजय माकन]

से यह वक्तव्य माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73 ए, जो निम्नलिखित अनुसार है, के अनुसरण में प्रस्तुत कर रहा हूं:–

"संबंधित मंत्री, अपने मंत्रालय के संबंध में विभाग से संबंधित लोक सभा की स्थाई समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में छह माह में एक बार सदन में विवरण देंगे।"

सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि शहरी विकास संबंधी 14वीं लोक सभा की स्थाई समिति की 14वीं रिपोर्ट लोक सभा में 22 मई, 2006 को पेश की गई थी। रिपोर्ट में 19 सिफारिशें निहित हैं सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति अनुलग्नक में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शाई गई है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर अगस्त, 2006 की स्थिति अनुसार की गई कार्रवाई का नोट शहरी विकास संबंधी स्थाई समिति को 28 अगस्त, 2006 को भेजा गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जिन 19 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है उनके संबंध में, जहां कहीं आवश्यक होगा, आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस वक्तव्य का अनुलग्नक सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.03½ बजे

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[अनुवाद]

*विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन – भाग-II, दिनांक 01 सितंबर, 2004 के तहत जारी लोक में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पी एस सी) की एक सौ पचपनवीं (155वीं) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 18 मई, 2006 को अपना एक सौ पचपनवीं (155वीं) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की 155वें प्रतिवेदन में कुल 13 सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को दी गई थी। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण अनुबंध में है।

अपराह्न 12.04 बजे

(तीन) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[अनुवाद]

*कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : महोदय, मैं, लोक सभा संसदीय बुलेटिन-भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुसरण में कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध संसद की स्थायी समिति की 14वें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कोयला तथा इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 14वां प्रतिवेदन 22.3.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में कृत कार्रवाई के विवरण कोयला और इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति को 13.6.2006 को भेज दिए गए थे।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने 15 सिफारिशें की हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है। ये सिफारिशें मुख्यत: कोल इंडिया लि. में जनशक्ति आयोजना, अतिरिक्त जनशक्ति के उपयोग, बोर्ड

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5572/2006

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5573/2006

स्तर के पदों को भरने, पेंशन योजना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, प्रशिक्षण, हैम की खरीद और उपयोग तथा आउटसोर्सिंग आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं घोषणा करता हूं आपकी अनुमति से कि सत्र की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित किए जाने वाले सरकारी कार्य किया जाएगा:–

1. आज की कार्यसूची से अग्रेनीत सरकारी-कार्य की किसी मद पर विचार करना।

2. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:

   (क) सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006;

   (ख) त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; और

   (ग) राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 पर विचार कर और इसे पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित बाल विवाह निषेध विधेयक, 2006 पर विचार करना और उसे पारित करना।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रशासनिक अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार करना और उसे पारित करना।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, अगले सप्ताह के दौरान सभा में चर्चा के लिए निम्नलिखित दो मदों को सम्मिलित किया जाए:–

1. संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता।

2. उन किसानों, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है, के लिए पेंशन योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:–

1. सुप्रसिद्ध अल जजीरा और अल अकबर दूरदर्शन और रेडियो चैनलों से भारत में प्रसारण करने पर रोक लगाने का सरकार का निर्णय, ऐसी कार्यवाही है जो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुरूप से मेल नहीं खाती है।

2. उन सैकड़ों वृद्ध देशभक्तों, जिन्हों ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन किया है, को यह पेंशन न देने की केन्द्र की नीति पर चर्चा करना।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाये:–

1. देश-विदेशों में 22 करोड़ भोजपुरी भाषा बोलने वालों का सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा हेतु भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

2. पूरे देश में प्राइमरी में उच्च शिक्षा तक सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मनमाने ढंग से फीस वसूली पर रोक लगाने हेतु एक फीस निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए

[श्री रामदास आठवले]

1. देश की सरप्लस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित समुदाय के भूमिहीन लोगों को सिर छिपाने और जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु भूमि का आवंटन सुनिश्चित किए जाने मे संबंधित विषय।

2. कृषि और उससे जुड़े आर्थिक सैक्टरों में सुधार के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति को गठित करके किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाए जाने से संबंधित विषय।

श्री एम. अंजनकुमार यादव (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न प्रस्तावों को लोकसभा की अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाये।

1. हैदराबाद में मैट्रो रेलवे की सुविधा दिलवाये जाने का कार्य, जिससे हैदराबाद के लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके और उनकी यात्रा का समय बच सके।

2. हैदराबाद को ए वन सिटी बनाने का कार्य, जिससे यहां के साफ्टवेयर और हार्डवेयर व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सके।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न प्रस्तावों को लोकसभा की अगले हफ्ते की कार्यवाही में शामिल किया जाए:

1. नेपाल गोरखपुर देवरिया भागलपुर सिकन्दरपुर बक्सर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, उसका कार्य लोकहित में शीघ्र अति शीघ्र पूरा किये जाने का कार्य

2. भाटपारा भिंगारी भवानी छपर से बिहार जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है उसे शुरू करने का कार्य।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:–

1. नामशूद्र, पोण्ड्रा और मालो जैसी जातियां पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अनूसूचित जातियां हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में इन जातियों, विशेषरूप से बंटवारे के दौरान विस्थापित लोगों, को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं की गई है।

2. दिल्ली में विशेषरूप से करोलबाग में बंगाली स्वर्णकारों का रात्रि में काम करने के पश्चात अपने कार्य स्थल छोड़कर जाते समय पुलिस द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जाना। पुलिस द्वारा उन्हें सोना देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसा न करने पर उन्हें या तो जेल में बंद कर परेशान किया जाता है या फिर उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है।

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें की जाएं:–

1. असंगठित कारीगरों और खिलौना बनाने वालों जो बच्चों के लिए सामान बनाते हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।

2. परम्परागत जिमनास्टों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना और उनमें से संभावित खिलाड़ियों और प्रशिक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, जिनकी देश को महती आवश्यकता है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाए:–

1. महिला आरक्षण विधेयक क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति है।

2. आंध्र प्रदेश के नालगौंडा जिले में सेरीपल्ली नामक गांव में जनमत के विपरीत यूरेनियम प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना करना, जिससे नागार्जुन सागर का जल प्रदूषित होगा।

डा. करन सिंह यादव (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची' में सम्मिलित किया जाए:

1. उच्च न्यायिक सेवाओं की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता।

2. संसद और विधान सभाओ में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करते समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान की की आवश्यकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक, वन अधिकार विधेयक, को पारित करने की तात्कालिकता को देखते हुए मैं इसे सभा में प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, कृपया उनकी बात सुनिए। आपको उनको जवाब देना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने दलों के साथ विचार विमर्श किया है। यद्यपि में सरकारी तौर पर कहता हूं फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमे पूर्वोदहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा। क्या आज हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को सायं 6.00 बजे तक स्थगित कर सककते है ताकि वन अधिकार विधेयक को पारित किया जा सके? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचार जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इस बिल के आज पारित किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसे पहले करने का मंत्री जी ने जो प्रपोजल दिया है, वह भी ठीक है, लेकिन यह इरेगुलर तरीका है। अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं।

[अनुवाद]

हमें संशोधन भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

आज बिल भी नहीं आया है और बिल को सरकुलेट किया जाना चाहिए था। पुराना बिल जो पहले था, स्टैण्डिंग कमेटी की रिकमेंडेशन्स क्या हैं, वह नहीं आई हैं, जो अमेंडमेंट्स की जाएंगी वह भी पता नहीं है और हम अमेंडमेंट्स में क्या अमेंडमेंट्स करें यह भी पता नहीं है। इसलिए यह एक इरेगुलर तरीका है, लेकिन चूंकि यह बिल बहुत जरूरी है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसे पास कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नही लिया जाएगा। क्योंकि सभी पक्ष इसमे सहमत हैं, मै इसकी अनुमति देता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और हम काफी दिनो से इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे है इस विधेयक को आज पारित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल अभी सरकुलेट नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : बिल सरकुलेट हुआ है, लेकिन मेरी बात सुनिए।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी (पुरी) : इसे अभी तक परिचालित भी नही किया गया है। हमें अभी तक प्राप्त भी नहीं हुए हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यही तो समस्या है। यदि अध्यक्ष कुछ कहना चाहता है तो कोई सुनना नहीं चाहता। आप चाहते है कि मैं सिर्फ आपकी बातें सुनूं। लेकिन कभी आप भी मेरी बात सुनने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। क्या आप सहमत हैं?

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : मैं तो यह अनुरोध कर रहा हूं कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को बदलने के इस सुझाव को पूर्वोदाहरण के रूप में न लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह बता चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : दूसरा जिस तरीके से सरकार इस विधेयक को ला रही है, वह सही नहीं है। हमें अभी तक संशोधन भी नहीं मिले हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्या मैं विषय को स्पष्ट करूं? सभा के सभी वर्ग इस विधेयक को पारित करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैंने अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं देता। अतः इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, इससे पहले कि आप अपना विनिर्णय दें, प्रक्रियागत पहलू भी देखा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कर रहा हूं। श्री दासगुप्त मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : यह बिल आज ही पास होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि पूरा सदन, जैसाकि मैंने पहले ही बता दिया है, यह चाहता है कि इसे पारित किया जाए और जैसाकि आप सभी ने इसके महत्व और ताटकालिकता के बारे में कहा है तो हम प्रक्रिया से हटते हुए, सामान्य तरीके में काम करने के तरीके में थोड़ा हटकर यह कर रहे हैं। मैं सहमत हूं। अतः भविष्य में भी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता अब तक कि असाधारण परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, और सभी वर्ग के सदस्य सहमत नहीं होते।

यहां मुझे बताया गया है कि विधेयक परिचालित कर दिया गया है जिसे स्थायी समिति को भेजा गया था और स्थायी समिति ने कुछ सुझाव भी दिए थे और स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे सभी माननीय सदस्यों के पास भेजा गया था। ऐसा लगता है कि माननीय प्रत्येक सदस्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं इसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। इसलिए प्रक्रिया के अनुसार, इसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल एक बात है कि संशोधन अंग्रेजी संस्करण में तुरंत परिचालित किए जा रहे हैं। अतः हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर कोई सदस्य संशोधन देना चाहते तो उसे भी आप अनुमति दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम उसकी भी अनुमति दे देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सात दिन पहले इस बिल को केबिनेट ने पास कर दिया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा जी, मैं अपनाई गई इस प्रक्रिया के बारे में सभी माननीय सदस्यों की टिप्पणियों से सहमत हूं।

अब हम मद संख्या 21 लेते हैं।

श्री वृंदा किशोर त्रिपाठी : महोदय, सरकार को इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। यह विधेयक नियमानकूल नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा नहीं करना है। अध्यक्षपीठ की टिप्पणी सबके लिए अनिवार्य है यह देश की सरकार सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 21 पर चर्चा करेंगे। मेरा अनुरोध है कि कृपया नियमों का पालन करें ध्यानाकर्षण मामले हैं। यह महत्वपूर्ण विधेयक है कुछ महत्वपूर्ण मामले भी हैं। मैं उसको अनुमति देना चाहता हूं। लेकिन कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि नियमो का पालन है। आप टिप्पणियां कर सकते हैं और स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

श्री येरननायडु।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद "शून्य काल" पर चर्चा होगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : "शून्य काल" कुछ नही है।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : आप अपना "शून्य काल" खो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं उस पर बाद में आऊंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब यह काम का समय है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल में बीड़ी कामगारों की समस्याएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और केरल में बीड़ी कामगारों के सामने आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

अध्यक्ष महोदय : मै समझता हूं कि वक्तव्य को परिचालित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय हमारी सूचना केरल और आंध्र प्रदेश से ही संबंधित नही है बल्कि पूरे देश से है... *(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, यह समस्या श्रम मंत्रालय से भी संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को भेजा है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, श्रम और रोजगार मंत्री को भी यहां उपस्थित होना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह व्यवधान डालते रहना बेमानी है। आपको पहले अध्यक्षपीठ की बात सुनिये।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, श्रम और रोजगार मंत्री भी यहां हैं। वह भी इसका ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय : आपकी मूल्यवान टिप्पणियां नोट कर ली गयी हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : जी हां।, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का उत्तर उनके द्वारा पढ़े जाने के बजाय सभा पटल पर रखा गया मान लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप सभी को यह मिल गया है।

*स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदय बीड़ी उद्योग ने तम्बाकू के इस्तेमाल के बुरे प्रभावों को प्रदर्शित करने वाली खोपड़ी और हड्डियों की विनिर्दिष्ट क्रासरूपी चेतावनियां और सचित्र चेतावनियां छापने के लिए व्यवस्था करने हेतु हाल ही में अधिसूचित 'सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2006' पर अपनी चिंता जताई है। उनके अनुसार बीड़ी के पैकेजों पर सचित्र चेतावनियां छापने की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है क्योंकि बीड़ी का सेवन करना तम्बाकू के अन्य रूपों की तुलना में कम हानिकारक है और ऐसी अपेक्षा बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है जिसके परिणामस्वरूप लाखों बीड़ी कामगार बेरोजगार हो रहे हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस समय देश में बीड़ी के रूप में कुल इस्तेमाल का लगभग 45 प्रतिशत बीड़ी के रूप में है, सिगरेट और खाए जाने वाला तम्बाकू का उपयोग क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। बीड़ी का सेवन अधिकतर बच्चों सहित गरीब और समाज के कम पढ़े-लिखे वर्ग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं हैं कि किसी भी रूप में तम्बाकू का इस्तेमाल कम हानिकारक है। विश्व बैंक और टाटा इंस्टीटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित भारत में तम्बाकू पर अनुसंधान के संकलन में यथासूचित तुलनीय उत्पादन मूल्यांकन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि बीड़ी में परम्परागत सिगरेट की अपेक्षा निकोटीन का अधिक सांद्रण होता है और यह मानना तर्कसंगत है कि बीड़ी के सेवनकर्ताओं को निकोटीन का आदी होने का खतरा रहता हैं यद्यपि बीड़ी परम्परागत सिगरेट से छोटी होती है, फिर भी वे परम्परागत सिगरेट की ही तरह घातक एवं व्यसनी हो सकती है। इसके अतिरिक्त बीड़ी का सेवन बार-बार और अधिक लंबे कश लगा कर किया जाता है, इसलिए इससे वास्तव में अधिक निकोटीन सांस के जरिए अंदर जाता है और इससे सिगरेट की अपेक्षा अधिक हृदयवाही प्रभाव होते हैं तथा 2-3 गुना अधिक टार सांस के जरिए अंदर जाता है। कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि सिगरेट के सेवन की अपेक्षा बीड़ी के सेवन से अत्यधिक मौतें होती हैं और रोगों से ग्रस्त होने का अधिक खतरा रहता है। बीड़ी के सेवन से मुख के कैंसर के होने का तीन गुणा अधिक खतरा रहता है और अध्ययन ने यह भी दर्शाया है कि बीड़ी का सेवन हृदयवाहिका रोग का एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे के अध्ययनों से इंगित होता है कि बीड़ी बनाने वाले बच्चे पालथी मार कर घंटों काम करते हैं और वे प्रायः पीठ-दर्द और घुटनों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं और आगे आने वाले समय में कई बच्चों को चिरकारी श्वसनी-शोथ, दमा और क्षय रोग भी हो जाता है।

इन तथ्यों और तम्बाकू के उपभोग के कारण कैंसर से होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतों को देखते हुए वर्ष 2003 में बनाए गए कानून का मुख्य लक्ष्य तम्बाकू-उत्पादों के सेवन को निरूत्साहित करना था। इस कानून में विभिन्न तम्बाकू उत्पादों में कोई अंतर नहीं किया गया। यह अधिनियम मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है जिनमें विशिष्ट तौर पर सिफारिश की गई थी कि लिखित चेतावनी के अलावा खोपड़ी एवं क्रास बोन्स जैसे कुछ चिन्ह ऐसे अन्य चित्र भी निरक्षर अथवा कम साक्षर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दिखाए जाएं। समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के पूर्व विभिन्न तम्बाकू उद्योग/संघों के साथ व्यापक परामर्श किया था। हम तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन ढांचागत कनर्वेशन (एफसीटीसी) के एक पक्षकार भी हैं जिसका उद्देश्य वैश्विक रूप से तम्बाकू के सेवन को कम करना है जिसके तहत हमें तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियां दिखाने सहित अनेक उपाए करने हैं।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हाल ही में अधिसूचित किए गए नियमों का रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं अवश्य ही यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह इंगित करने के लिए भी अध्ययन किए गए हैं कि वर्तमान उपाय जैसे विभिन्न सकारात्मक जनस्वास्थ्य उपायों का तम्बाकू उत्पाद की नशीली प्रकृति तथा मांग में कमी लाने के लिए लगने वाले समय के कारण उद्योग पर कोई तात्कालिक आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, इन सकारात्मक जनस्वास्थ्य उपायों से राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये नियम अभी लागू होने हैं और इसलिए यह निष्कर्ष निकालने का अभी समय नहीं आया है कि ऐसी सचित्र चेतावनियों के प्रभाव से बीड़ी विनिर्माण इकाइयां बंद हो जायेंगी और कामगार बेरोजगार हो जायेंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु : भारत सरकार द्वारा 5.7.2006 की अधिसूचना में उत्पादकों को निदेश दिया गया है कि वे 01 फरवरी, 2007 से बीड़ी पर खोपड़ी हड्डी आदि का चित्र प्रदर्शित करें। उद्योगों के मालिक सभी बीड़ी उद्योग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। करीब तीन करोड़ लोग पूरे देश में इस उद्योग पर निर्भर कर रहे हैं विशेषकर तीन लाख बीड़ी मजदूर आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश गरीब वर्ग से हैं, महिलाएं, अनुसूचित जाति,

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5574/2006

अनुसूचित जनजाति; अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों से हैं। इस अधिसूचना द्वारा यदि उद्योग बंद हो जाते हैं तो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम द्वारा रोजगार उपलब्ध करा रही है वहीं दूसरी तरफ ऐसी अधिसूचनाएं लाकर हम उन्हें बेरोजगारी की और धकेल रहे हैं।

ऐसे परिदृश्य में, आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं यहां इसका उल्लेख करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पहले ही सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है और भारत सरकार द्वारा 5.7.2006 को जारी अधिसूचना वापस लेने के लिए सूचित किया है। इसी कारण मैं भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बीड़ी मजदूरों के हित के लिए इस अधिसूचना को वापस ले लें। अन्यथा उन्हें अपूरणीय हानि उठनी पड़ेगी। वे अपना रोजगार खो देंगे।

हाल ही में माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भी बयान में कहा था कि इस अधिसूचना को लंबित रखा जाएगा। और उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने भी आंध्र प्रदेश के लोगों विशेषकर बीड़ी मजदूरों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले की पड़ताल कर आवश्यक कदम उठाएंगे।

ऐसे परिदृश्य में बीड़ी मजदूरों के हित में यह बेहतर होगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वापस ले लिया जाय। अन्यथा, दस लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। आपने वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए बगैर अचानक ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया। यह विधान 2003 में पारित किया गया था। लेकिन आपने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं जारी किया? वे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहते थे और उन्हें मजदूरों का संरक्षण करने हेतु कदम उठाना था। इसी कारण पिछली सरकार ने इस अधिसूचना को जारी करने में देर की।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें।

श्री किन्जरपु चेरननायडु : ऐसे परिदृश्य में आपको आंध्र प्रदेश के लोगों की भावना का आदर करना चाहिए। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है। इसका अर्थ है कि आंध्र प्रदेश के आठ करोड़ लोगों की अभिरूचि इस अधिसूचना को वापस लेने में है। भारत सरकार को इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : डा. बाबू राव मिडियम को केवल एक स्पष्टीकरण चाहिए।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : धन्यवाद, महोदय बीड़ी उद्योग बीड़ी पीने की आदत को बढ़ावा दे रही है। बीड़ी पीना आजकल गरीब लोगों की विलासिता है।...*(व्यवधान)* इस संबंध में मैं पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से नहीं बल्कि श्रम और रोजगार मंत्री से सवाल करना चाहता हूं।

करीब 42 लाख लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। बीड़ी उद्योग को वनों से कच्चा माल मिलता है, जनजातीय महिलाओं द्वारा तेंदु के पत्ते जमा किए जाते हैं। इस बीड़ी उद्योग का यही पहला चरण है। दूसरा चरण है वे किसान जो तंबाकू उपजाते हैं। तीसरे चरण में बीड़ी बनाने का काम आता है। बीड़ी बनाने की भी कई प्रविधियां हैं। नि:संदेह यह स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है।

क्या सरकार बीड़ी मजदूरों को किसी प्रकार का परिचय पत्र देगी? केवल एक तरह का पत्र ही दिया जाना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा हैं कानून 1966 या 1970 से ही बने हैं। ये कानून लागू नहीं किए जा रहे हैं। मैं माननीय श्रम मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे इन मजदूरों को कोई परिचय पत्र जारी करेंगे।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से है। उनके लिखित उत्तर में यह कहा गया है कि केवल बीड़ी से ही सिगरेट से अधिक मुख कैंसर हो रहा है। सरकार उत्पाद शुल्क के रूप में प्रति हजार बीड़ी पर 6 रुपये प्राप्त कर रही है लेकिन प्रति हजार सिगरेट पर उत्पाद शुल्क के रूप में 15 रुपये प्राप्त कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य के मद्देनजर सरकार बीड़ी द्वारा होने वाले खतरे को कम करने के लिए काम करने जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सही है कि यदि बीड़ी इतना कैंसरकारी है तो इस स्थिति में खोपड़ी और क्रासरूपी हड्डियों आदि को दर्शाने वाले विज्ञापन को क्यों बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? यह लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है उनकी आजीविका और उद्योग के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा विज्ञापन दर्शाना तर्कसंगत नहीं है अन्यथा कृपया इसे वापस लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, माननीय श्रम मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। बीड़ी उद्योग में लगे लाखों मजदूरों, जिनमें अधिकांश महिलाएं है जो कम मजदूरी पा रही हैं, को देखते हुए मैं सरकार और मंत्रालय का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या सरकार उन राज्यों में, जहां बीड़ी उद्योग का प्रभुत्व है, बीड़ी और सिगार अधिनियम लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी? क्या सरकार बीड़ी की उत्पादित कुल संख्या पर उत्पाद शुल्क लगाने के बजाय तंबाकू पर यह शुल्क लगाने पर विचार करेगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बीड़ी कल्याण कोष को और अधिक निधि आवंटित करने के लिए कदम उठाएगी ताकि मजदूरों को लाभ दिया जा सके। क्या सरकार आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 40,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख करने पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री पी. करुणाकरन : क्या सरकार बीड़ी कामगारों के लिए अस्पतालों की स्थापना करने पर विचार करेगी? पूर्व श्रम मंत्री ने इस सभा को आश्वस्त किया था कि सरकार बीड़ी उत्पादक क्षेत्रों में अस्पताल खोलेगी। बीड़ी कामगारों के असंगठित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सभी बीड़ी कामगारों, चाहें वे सरकारी क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में हों, को शामिल करते हुए एक विशेष बीमा योजना प्रदान करेगी?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, देश में 65 लाख बीड़ी कामगार हैं। इसका तात्पर्य है कि लगभग चार करोड़ लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। हम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में बताने के खिलाफ नहीं हैं परंतु समस्या यह है जो इन्होंने अंत में बताई है कि एक खोपड़ी और दो हड्डियों के साथ चेतावनी के तौर पर तस्वीर दिखाने या प्रकाशित करने से बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ही बड़ी संख्या में बीड़ी उद्योग बंदी के कगार पर हैं। हजारों बीड़ी कामगार जो कि हमारे देश के पिछड़े वर्ग और गरीब वर्गों से संबंधित हैं उन्हें प्रतिदिन 1,000 बीड़ियां बनाने के लिए सिर्फ 50 रुपए से 100 रुपए तक मिलते हैं। बीड़ी के पैकेट पर एक चित्रमय चेतावनी छापने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी विनिमय अधिसूचना के द्वारा इसे अनिवार्य बनाया जाता है तो इसका निश्चय ही बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव और हमसे बहुत सारे बीड़ी कामगार प्रभावित होंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में पांच या छः जिलों मे आठ लाख बीड़ी कामगार हैं। उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न वर्गों के लोगों, कामगारों मजदूर संघों और संसद सदस्यों, भले ही वे किसी भी राजनैतिक दल के हों, की ओर से भी मांग उठ रही है कि चित्रमय चेतावनी के बजाय किसी अन्य एक रूप में चेतावनी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य है 'शब्दों में'।

श्री वसुदेव आचार्य : यह सिगरेट के मामले में भी किया जा रहा है। ऐसी चेतावनी बीड़ी के पैकेट पर मुद्रित होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि लाखों बीड़ी कामगारों जिनकी आजीविका पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नए विनियमों नई अधिसूचना के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, के हित में इस प्रस्ताव पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : आपको और नहीं बोलना चाहिए। हमे बहुत सा कार्य करना है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : डा. स्वामीनाथन के अनुसार हमारे सपनों का संसार जिसे तंबाकू मुक्त होना चाहिए। इससे पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे जो लोग आजीविका से वंचित हो जाएंगे उनका उचित ध्यान रखा जाए।

इसलिए मैं धूमपान के रूप में अपना धूमरहित रूप में तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देने की दलील नहीं दे रहा हूं। सच्चाई यह है कि लाखों आदिवासी लोग जो केंदु पत्ते और तेंदु पत्ते तोड़ते हैं वे इससे अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आपको भलिभांति पता है कि विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र अब नक्सलियों का निशाना बन रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की बेरोजगारी से इन क्षेत्रों में नक्सल आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश ने तंबाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन ढांचागत सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर तंबाकू की खपत को कम करना है।

मैं जिला मुर्शिदाबाद से हूं जिसमे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बीड़ी कामगार हैं उनकी संख्या लगभग छः लाख से अधिक है। उन बीड़ी बनाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई और वैकल्पिक रोजगार नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस संबंध में एक चरण-बद्ध तरीका अपनाएं। पहले हमें बीड़ी पीने वाले लोगों को बताना होगा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

दुनिया भर में तंबाकू के सेवन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया है। परंतु हमारे देश में इससे लाखों करोड़ों गरीब और

निरीह लोगों की जीविका जुड़ी है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि खोपड़ी और तिर्थगस्थियों अथवा कफन में लिपटी हुई लाश के चित्रमय वर्णन के बजाय सरकार केवल लिखित चेतावनी पर विचार करे। बीड़ी शंक्वाकार है। इसलिए बीड़ी निर्माताओं के लिए बीड़ी के पैकेट पर इस तरह का वर्णन मुद्रित करना बहुत कठिन होता है।,

क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या ढांचागत सम्मेलन द्वारा खोपड़ी और तिर्थगस्थियों अथवा कफन में लिपटी लाश का चित्रण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही पांच माननीय सदस्यों को बुला लिया है। परंतु एक नए सदस्य श्री अबु हशीम खां चौधरी ने अनुरोध किया हैं एक बार फिर पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं बल्कि समायोजन के तौर पर मैं उन्हें बुला रहा हूं। श्री खां चौधरी अपना प्रश्न कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नए सदस्य नहीं हैं। इस विचार को छोड़ दीजिए कि यदि कोई भी सूचना देता है तो उसे बुलाने के लिए मैं बाध्य हूं। पहले नियम पढ़िए। यह गलत विचार पनप रहा है कि यदि कोई सूचना देता है तो उसे बुलाया ही जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बाधा न पहुंचाएं, वह नए सदस्य हैं।

श्री अबु हशीम खान चौधरी (मालदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालदा जिले में बहुत सारे लोग यानी लगभग तीन लाख लोग बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं। मुझे कामगारों की चिंता है। मैं नहीं समझता कि बीड़ी को ही क्यों चुना गया है और वे मुर्दे की तस्वीर बीड़ी के पैकेट पर बनाना चाहते हैं। बीड़ी पीने से तत्काल मृत्यु नहीं होती। उस तरह की तस्वीर लोगों को बीड़ी पीने से डरायेगी। वे जो सिगरेट के मामले में कर रहे हैं वही बीड़ी के मामले में भी किया जाना चाहिए। उन्हे बीड़ी के मामले में भी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रचार करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस सभा में आपके पहले भाषण के लिए बधाई देता हूं अब, माननीय मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और बाहर चला जाऊंगा। मैं इस तरह का हंगामा करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप चिल्लाते रहिए। हर चीज की एक हद होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाप्रदा, फिर उचित चर्चा के लिए कहिए।

इसका एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा को बाधा न पहुंचाए। यह बहुत गलत है। श्रीमती जयाप्रदा यह बहुत गलत है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं जी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री आठवले, क्या आप अपने स्थान पर जाएंगे? कृपया खड़े होकर व्यवधान पैदा न करें!

कोई भी नियमों की परवाह नहीं करता। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति की परवाह किए बिना किसी भी समय शोर मचाते हैं। कृपया इस सभा को हास्यास्पद न बनाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : परमीशन नहीं देंगे।

हैड मास्टर अच्छी पोस्ट है, हैडमास्टर खराब पोस्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप हिन्दी बोला करें, आपकी हिन्दी अच्छी है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

डा. अंबुमणि रामदास : स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मुझे भी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में उतनी ही चिंता है। अपने उत्तर में मैंने उन लोगों का प्रतिशत बताया है जो धूम्रपान करते है और तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में लगभग 250 मिलियन लोग तंबाकू का प्रयोग करते हैं।

जब हम 250 मिलियन लोग कहते हैं तो यह तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। 250 मिलियन लोगों में से 40 से 45 प्रतिशत लोग बीड़ी पीते हैं, लगभग 15 प्रतिशत सिगरेट पीते हैं और शेष धूम्ररहित तंबाकू यानी खाने वाले तम्बाकू का प्रयोग करते है। मैं यहां माननीय सदस्यों को तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में व्याख्यान नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसके प्रयोग के प्रभावो के बारे में जानते हैं। यह केवल कैंसर का ही कारण नहीं बनता, वस्तुत: हमारे यहां भारत में तम्बाकू के प्रयोग से लगभग एक मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। तंबाकू से केवल कैंसर से मौतें नहीं होती बल्कि इससे हृदय रोग, फेंफड़े की समस्या, गुर्दा रोग, त्वचा रोग, नपुन्सकता, मास-फोरमेशन की समस्याए; और सभी प्रकार की समस्याएं तंबाकू से जुड़ी हुई हैं।

मैं एक कदम और आगे जा सकता हूं इस देश में लगभग 40 प्रतिशत स्वास्थ्य समस्याएं तंबाकू के कारण हैं। तंबाकू के सेवन के कारण इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांशत:, 10 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे जो कि सकूलों से बाहर हैं तंबाकू लेते हैं। इसमें वे मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चिय ही हमें इन बच्चों को इन उत्पादों के प्रयोग से बचाने के लिए अपने लिए एक ढांचागत प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।

बहुत पहले वर्ष 2003 में पूर्व शासन के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सभी तम्बाकू उत्पादों में चित्रमय चेतावनी को अनिवार्य बनाया जाए। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति ने भी विभिन्न एसोसिएशनों, उद्योग और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति से पर्याप्त परामर्श करके सिफारिश की थी कि इन अनिवार्य चेतावनियों को लागू किया जाना चाहिए।

भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत सम्मेलन (एफ सी टी सी) पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में है जिसमें यह उललेख किया गया है कि इन चीजों को उचित समय पर लागू किया जाना चाहिए। वस्तुत: विश्व के बहुत से देश इन चित्रमय चेतावनियों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि हम चित्रमय चेतावनियों के बजाय शाब्दिक चेतावनी क्यों रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमारी सांविधिक चेतावनी है: "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभाव बहुत नगण्य है और तम्बाकू के प्रयोग में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक तौर पर इसका बहुत अर्थ नहीं है।

फिर, मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति ने बताया कि ग्रामीण लोगों में साक्षर और अर्ध-साक्षरों, ग्रामीण युवाओं, जो कि धूम्रपान करते हैं के लिए ये चित्र इसकी आदत डालने से निरूत्साहित करेंगे।

आगामी वर्ष 2007 से देश में पैकेट बंद सभी खाद्य उत्पादों के पैकेट के एकतरफ संघटक तथा दूसरी तरफ पोषक लाभ अनिवार्य रूप से लिखना होगा। इससे लोगो को यह पता लग पाएगा कि वे क्या खा रहे है, इससे उन्हें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है और इसमें संतृप्त वसा कितनी है। लोगो को इन सारी बातो के बारे में जानना चाहिए। लोगो को इन उत्पादा के प्रयोग रोकने के लिए उनमे जागरूकता पैदा करने का यह एक तरीका है?

मै नहीं जानता कि इस प्रकार की सचित्र चेतावनियों से यह उद्योग कैसे बंद हो जाएगा। इसे आज ही लागू नहीं किया जा रहा है इसे यह फरवरी, 2007 से लागू किया जाएगा।

मुझे पता नही कि आज उद्योग यह कैसे कह रहा है कि हमने इस उद्योग को पहले ही बंद कर दिया है क्योंकि यह आज से ही अनिवार्य नहीं किया गया हैं यह अधिसूचना 2007 से लागू होगी। कुछ माननीय सदस्यो जो श्री येरननायडु जैसे अच्छे मित्र है, द्वारा उठाए गए मुद्दों में इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई है।

इस अधिनियम में जिसे इस सम्माननीय सभा द्वारा 2003 में बनाया गया था, यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की चेतावनी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान नहीं किया जाना चाहिए, तम्बाकू

उत्पादों से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी विज्ञापन नहीं होना चाहिए तम्बाकू उत्पाद को 18 वर्ष से कम उम्र के अवयस्कों को नहीं बेचा जाना चाहिए, तथा तम्बाकू उत्पादों को शिक्षण संस्थानो के आस-पास 100 मीटर के दायरे में नहीं बेचा जाना चाहिए, सचित्र चेतावनी अंकित होनी चाहिए जिसमें निकोटिन और टार, तथा सभी तम्बाकू उत्पादों के संघटकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। हमने उसी को अक्षरश: लागू करने की कोशिश की है जिसे इस सम्मानीय सभा द्वारा पारित किया गया है।

डा. बाबू राव ने गरीबों की विलासिता वस्तु के रूप में इसकी चर्चा की है। मैं नहीं जानता कि यह गरीबो की विलासिता की वस्तु कैसे है, यह बयान मेरी समझ में नहीं आता इसके प्रयोग से आनन्द मिलेगा अथवा कष्ट मिलेगा। कुछ माननीय सदस्यो द्वारा पूछे गए सवालो के बारे में, यदि आप अनुमति दे तो श्रम मंत्री जी इनका जवाब दे सकते हैं।

वे यहां केवल ध्यानाकर्षण के लिए आए है। यदि आप उन्हे अनुमति दें तो वे माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों जैसे बीड़ी कर्मकारो के लिए पहचान पत्र के संबंध में जबाव दे सकते हैं। मेरे मित्र, डा. बाबू राव ने पूछा है कि क्या बीड़ी से कैंसर होता हैं मेरे उत्तर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीड़ी और सिगरेट में कोई अंतर नहीं है। सभी कैंसर जनक है। वास्तव में, बीड़ी गरीब, अशिक्षित और सीधे-सादे लोग पीते हैं, उनमें बीड़ी पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साफ-साफ कहा गया है. ..*(व्यवधान)*

श्री करुणाकरण ने बीड़ी कल्याण कोष, आवासीय योजना और अस्पतालों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी अनुमति से मेरे माननीय सहयोगी इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य ने कहा है कि बड़े पैमाने पर बीड़ी उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। मैं इस बात को पुन: दोहराना चाहता हूं कि यह अधिसूचना अभी लागू नही की गई है। यह 2007 में लागू होगी। वास्तव में उन्होने सचित्र चेतावनी के स्थान पर कोई अन्य चेतावनी चाहते थे। मैने पहले ही स्पष्ट किया है कि इस समय एक ही चेतावनी लिखी जाती है "कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" लेकिन उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश इसकी स्थिति श्रम कानून जैसी ही है।

डा. अंबुमणि रामदास : जी हा महोदय। कनाडा ब्राजील थाइलैंड; सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों में इसे लागू कर दिया है और वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि यह बहुत ही प्रभावी रही है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी यह जानना चाहते थे कि क्या एफ.सी.टी.सी. तम्बाकू नियंत्रण आयोग का ढांचा अनिवार्य है या नही। जैसा कि भारत के सचिव ने कहा है कि यह कार्य निर्धारित समय से किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है। आप अच्छे जानकार है। कृपया जाइए और उनसे मिलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास : इन सब ब्यौरों के बावजूद मुझे विभिन्न पक्षो, कई सांसदों उद्योगों के कई प्रतिनिधि मंडलों तथा उद्योग के लगभग सभी वर्ग से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि इससे रोजगार की समस्या पैदा होगी। इन सभी बातों पर विचार करते हुए आपकी अनुमति से यदि सभी सदस्य सहमत हों तो हम इस अधिसूचना को चार माह तक के लिए स्थगित करने की कोशिश करेंगे। फरवरी की जगह हम इसे मई के अंत तक के लिए स्थगित कर सकते है।...*(व्यवधान)* यह तभी सम्भव है जब माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यही करेंगे तो मैं श्रम मंत्री को उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा। वे जवाब नहीं देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्रम मंत्री चाहें तो इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते है।

(व्यवधान)

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : महोदय, मैं केवल माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप देख सकते है कि यहां भी भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए जा रहे है। विचार व्यक्त करने का यह कोई तरीका नहीं हैं। इसकी एक सीमा होती है। पांच सदस्यों को अनुमति दी गई है। वस्तुत: छठे सदस्य को भी अनुमति दी गई है।

हम देख रहे हैं कि श्रम मंत्री जी स्वेच्छा से यहां आए है।

आप उनकी बात सुनिए। आप लोग लगातार प्रश्न पूछे जा रहे है और टिप्पणियां कर रहे है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : महोदय, डा. बाबू राव मीडियम ने बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने का मामला उठाया हैं कार्ड पहले से ही दिया जा चुका है लेकिन अब हम श्रमिकों का पक्का पहचान पत्र जारी करेंगे जिसका उपयोग व्यापक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। हम देश के सभी भागों में आवास, छात्रवृत्ति, शिक्षा आदि जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 22 पर विचार करेंगे। श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मेहता के भाषण के अतिरिक्त किसी और का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते है कि दूसरे ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो, तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

अपराह्न 12.45 बजे

(दो) पश्चिमी झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोयला खान में दुर्घटना, जिसमें लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"पश्चिमी झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोलियरी में दुर्घटना, जिसके कारण लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

[अनुवाद]

**कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : महोदय भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीएल) की भाटडीह कोलियरी के वेस्टर्न झरिया क्षेत्र की नागदा खान में 6.9.2006 को रात्रि लगभग 8.00 बजे (द्वितीय पाली) में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 50 लोगों की मृत्यु हो गई और चार लोगों को गंभीर चोटें आई। यह दुर्घटना जो प्रथमदृष्टया विस्फोट प्रतीत होती है, महुदा की निचली सीम के 17वें इन्क्लाइन में घटित हुई जहां खनन की बोर्ड और पिल्लर प्रणाली और रेत भराइ से डिप्पलरिंग का कार्य चल रहा था।

दी गई जानकारी के अनुसार, 17वें इन्क्लाइन के फैन ड्रिफ्ट से रात्रि लगभग 8.00 बजे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5575/2006

"ओ" स्तर में लगे तीन व्यक्ति (एक हॉलेज खलासी और 2 ट्रामर) खान से बाहर आए और वे कोयले की धूल से ढंके थे। दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त होते ही बी.सी.सी.एल. के वरिष्ठ अधिकारी, सीएमडी, बीसीसीएल, सीएमडी, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी बचाव कार्य की व्यवस्था करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। तत्कालीन कोयला मंत्री और सचिव (कोयला) ने भी 7.9.2006 को खान दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली, कोल इंडिया लि. के मुख्यालय, कोलकाता, बीसीसीएल के मुख्यालय, धनबाद और मूनीडीह खान में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। विस्फोट से निकली जहरीली गैस को खान से निकालने के बाद सभी 50 शवों को 44 घंटों के भीतर ढूंढ लिया गया। भूमिगत खदानों में ताजा हवा के आधारों की स्थापना करके बचाव दल और पर्यवेक्षक कार्मिकों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और प्रयासों से ही यह कार्य हो सका।

दुर्घटना के तुरंत बाद अध्यक्ष, सीआईएल के अनुमोदन से सीएमडी, बीसीसीएल ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा घटना की जांच करने का आदेश दे दिया। इस समिति में सीएमडी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल), निदेशक (तकनीकी, सीआईएल, निदेशक (पी एण्ड आई आर), सीआईएल और निदेशक (तकनीकी), सीएमपीडीआईएल को शामिल किया गया। जांच की जा रही है और समिति को 1.1.2007 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया गया हैं

यद्यपि दुर्घटना के बारे में कई अटकलें हैं, किंतु इस दुर्घटना के कारणों के बारे में विस्तृत जांच के बाद ही पता चल सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.10.2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1756(ई) के तहत जांच न्यायालय का पहले ही गठन कर दिया गया हैं जांच न्यायालय की रिपोर्ट तीन महीने में आ जाने की उम्मीद है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मैं बताना चाहूंगा कि बकाया दे राशि चुकाने, मुआवजे का भुगतान करने आदि के साथ-साथ रेस्क्यू/बचाव और पुनर्वास संबंधी सभी कार्य शीघ्र अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से पूरे कर दिए गए थे। प्रत्येक मृतक के आश्रित 8.75 लाख रु. से 11.06 लाख रु. के बीच मुआवजा पाने के हकदार हैं। इसमें अनुग्रह राशि, जीवन-रक्षा, हितकारी निधि, अंतिम सरकार व्यय, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार मुआवजा और उत्पादन का भुगतान शामिल हैं। इसमें तत्कालीन कोयला मंत्री की घोषणा के अनुसार प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 3.00 लाख रु. की अतिरिक्त अनुग्रह राशि और झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रत्येक को एक लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक को 1.00 लाख रु. की अनुग्रह राशि के भुगतान की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा भविष्य निधि का भुगतान किया जा रहा है। 50 मृतकों में से, मृतक कामगारों के 48 आश्रितों को रोजगार पहले ही दे दिया गया है (दो अवयस्क आश्रित लड़कों को रोजगार रोस्टर में रखा गया है और उनके वयस्क होने तक उनकी माताओं को मौद्रिक मुआवजा दिया गया है)। एक महिला आश्रित ने मौद्रिक मुआवजा का विकल्प चुना है जो उसकी 60 वर्ष की उम्र होने तक जारी रहेगा तथा एक विधवा को उसके दावे की वास्तविकता की जांच कर लिए जाने के बाद रोजगार प्रदान किया जाएगा।

इस खान दुर्घटना के बाद, सचिव (कोयला) ने कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (एससीसीएल) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) के सभी सीएमडी को कोयला कंपनियों के सभी प्रचालनों में सभी स्तरों पर सुरक्षा की संस्कृति उत्पन्न करने की आवश्यकता पर जोर देने के निदेश जारी किए गए हैं। तत्कालीन कोयला मंत्री और मैंने भी कोयला खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध स्थायी समिति की दिनांक 17.11.2006 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में सीआईएल, एससीसीएल, एनएलसी की कोयला खानों और निजी क्षेत्र की अन्य कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

मैं, इस सम्माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार और कोयला/लिग्नाइट के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सुरक्षित खनन स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, झरिया में बीसीसीएल की भटदीह कोयला खदान में पिछले 6 सितम्बर को 50 मजदूरों की मौत हो गई और 4 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये। मैं स्वयं घटना स्थल पर गया था और मेरे बाद माननीय सदस्य श्री वसुदेव आचार्य भी गये थे। मजदूरों से बात करने के बाद वहां के अधिकारियों से भी हम लोगों ने बातें कीं। लोगों ने बताया कि इस संबंध में

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

कई बार मैनेजमेंट को लिखित रूप से यूनियन ने दिया है कि यह खदान चलने लायक नहीं है क्योंकि इस खदान में बालू की भराई ठीक से नहीं होती है। जितनी बालू की भराई की जाती है, उसके लिये दुगना पैसा लिया जाता है और दुगना पैसा लेकर बुक की जाती है। इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है। जब चासनाला में खान दुर्घटना हुई थी, उस समय 274 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद गज़लीटाड में 64 मजदूर और भटदीह खान दुर्घटना में 50 मजदूरों की मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की भराई ठीक से होती तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती। पदाधिकारियों को कई बार रिप्रेजेंटेशन दिये गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर बालू की भराई ठीक से नहीं की गई तो ऐसी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अब तक जितनी भी खान दुर्घटनायें हुई हैं, उसके लिये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई हो या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई हो, उन सबमें डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माईन्स दोषी पाये गये हैं। आज तक डायरेक्टर जनरल सेफ्टी माइन्स पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा जनरल मैनेजर, या सीएमडी होता है, उसके बाद टैक्नीकल पदाधिकारी होते हैं, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके चलते ऐसी घटनायें घट रही हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि बीसीसीएल के सी.एम.डी. चेयरमैन हो गये हैं और जो डायरेक्टर (पर्सोनल) हैं, वह सीएमडी हो गये हैं, जो 6 अधिकारी सस्पैंड किये गये हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक लेबर मिनिस्ट्री से नहीं आई है लेकिन उन्हें ड्यूटी पर ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। जब भी किसी कोलियरी में दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसमें कहा गया है कि जांच और गवाही के आधार पर यह पाया गया है कि यह भारत सरकार के महानिदेशक, खान की जिम्मेदारी है कि उस मामले की जांच करे और उस बात का स्पष्टीकरण करे कि ऐसी हालत में खान को न चलाया जाये। इसके अलावा वर्ष 2001 से कोयला मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री ने किसी भी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। बागडिगी कोलियरी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी, उसके निष्कर्ष की कुछ लाइनें मैं पढ़ कर सुनाता हूं। मैं उन आलोचनाओं और विचारों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन गवाही से जो निष्कर्ष निकलता है, उससे पता चलता है कि बागडिगी कोलियरी में खान सुरक्षा महानिदेशालय खान सुरक्षा से संबंधित नियम और कानून का पालन करने में अपने कार्य और ड्यूटी में असफल रहा है।

महोदय, हमेशा छोटे पदाधिकारियों पर कार्यवाही होती है, किसी भी बड़े पदाधिकारी पर जीएम, सीएमडी एवं डायरेक्टर पर कभी भी कार्यवाही नहीं होती। इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होने वाला है, यह एक राष्ट्रीय आपदा है इल्लिगल माइनिंग में हर वर्ष सैंकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं। अंडर ग्राउंड माइनिंग की संख्या पूरे कोल इंडिया में 72 है, लेकिन इसकी कोई देख-रेख नहीं करता। कोयला मंत्रालय केवल कोयला ब्लाक का आवंटन एवं कोल इंडिया के पदाधिकारी आउटसोर्सिंग और ई-आक्शन में लगे हुए हैं। अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी नहीं हुई और सस्पैंड अधिकारियों का निलम्बन वापस ले लिया। इसलिए हमारी मांग है कि लोक सभा की एक कमेटी बना कर इसकी जांच करें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाता, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस पर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम अपेक्षा रखते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति जीडीपी आठ प्रतिशत हो। सब जानते हैं कि ऊर्जा उसकी एक प्रमुख भूमिका रखता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला होता है। आज जो कोयला खदान काम कर रही है, उसकी सुरक्षा कितनी है। हाल ही में जो बीसीसीएल में घटना हुई, यह हमें दर्शाती है कि कितनी सीरियसनैस है, हम कितने केजुअल हैं। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी, उस पर मैं दो-तीन क्वेरी पूछता हूं। उन्होंने कहा कि आठ बजे घटना की सूचना हुई। हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक ढाई घंटे तक कोई रेसक्यू ऑपरेशन वहां शुरू नहीं हुआ था, उसके बारे में मंत्री जी बताएं।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी दुर्घटना अचानक नहीं होती है, उसके पहले उसकी ध्वनि वहां सुनाई देती है।

उस क्षेत्र में वहां क्या उस बेढ़ मिथाइल गैस की सूचना पहले थी। वहां ऐसा कुछ पूर्वाभास था। वहां के अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी थी, उस विषय में आपने कुछ उल्लेख नहीं किया, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं?

अध्यक्ष महोदय, जो अपराध करता है, गुनाहगार है, क्या उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि उसने गुनाह किया या नहीं किया, तो न्याय नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनिंग डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी, मंत्री जी की रिपोर्ट में, उत्तर में एक बार भी डीजीएमएस के बारे में उल्लेख नहीं

है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें सीएमपीडीआई को भी शामिल किया। कोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीएम भी आता है, जिन्होंने गुनाह किया, उन्होंने खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए कमेटी बनाई। डीजीएमएस की उसमें क्या रिपोर्ट थी, उसकी एनालायसिस क्या है, उसके बारे में आप कृपा करके बताएं? मेहता जी ने कहा है और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार नीचे के स्तर के कुछ अधिकारियों को आपने सस्पैंड किया था और उन्हें फिर रिइंस्टेट किया है। आप कोई इंक्वायरी तक मत रूकिए। आपने उन्हें क्यों रिइंस्टेट किया, उसके बारे में बताएं? हमारी सूचना के हिसाब से 590 करोड़ रुपए हैं, उनमें से कितने रुपए खर्च हो पाए? देशभर में जितनी अंडर ग्राउंड माइनिंग हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र के तालचर और ब्रजराजनगर के बारे में मानव अधिकार आयोग के वहां से एक केस, महानदी कोयला कंपनी के वहां आया है। वहां का जलस्तर घट रहा है और उसका पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। उस मामले में आप क्या काम्प्रीहैंसिव देश भर की अंडर माइनिंग सेफ्टी के लिए एक हाई लेव इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे, यह आप कृपा कर बताएं?

श्री इंसराव जी. अहीर (चन्दपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर मसले पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए आपको धन्यवाद। नागदा माइन भटडीह कोयलियरी में जो 50 कामगारों की मौत हुई है, यह कोई पहली घटना नहीं है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जहां घटना हुई, वहां खनन का काम नहीं किया जा रहा था वहां बोर्ड एवं पिलर्स सिस्टम में रेत भराइ का काम जारी था। आप जानते हैं कि जहां रेत भराई का काम होता है वहां खनंन करने वाले मजदूर काम नहीं करते हैं वहां उन मजदूरों से काम कराने की किस की जिम्मेदारी थी, पहले तो इस बात का उत्तर मंत्री महोदय दें।

महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जहरीली गैस निकालने के बाद उन्होंने मदद पहुंचाई। मैं बताना चाहता हूं कि नई विकसित प्रणाली में जहरीली गैस की जांच करने के लिए एक चिड़िया को ले जाया जाता है और उसे वहां ले जाकर जांच की जाती है कि वहां जहरीली गैस है कि नहीं, लेकिन हमारे यहां इस नई प्रणाली को डैवलप नहीं किया गया है। जहां सेंट्रल माइनिंग डिजाइन इंस्टीटयूट खनन करने वाली कोयलरी का डिजाइन बनाता है, वहां खनन का काम किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां यह दुर्घटना हुई, वहां का डिजाइन सी.एम.पी.डी.आई. के मुताबिक बना था या नहीं। डायरेक्टर जनरल मायनिंग सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है कि जहां मायनिंग की जाती है वहां कोल मायनिंग रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत वैधानिक पदों को पूर्ण रूप से भरा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि वैधानिक पद जैसे मायनिंग सरदार, मायनिंग मैन, मायनिंग अंडर मैनेजर, सुपरवाइजर आदि को भरा गया था या नहीं, क्योंकि देखने में यह आता है कि इन वैधानिक पदों को न भरने के कारण ठीक प्रकार से जांच नहीं होती है? जहां मैनेजर को जाना चाहिए, वहां वे नहीं जाते हैं। इसलिए भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं।

महोदय, मैं अपने यहां की एक घटना बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कावडी माईनम में गलत तरीके से बैंच बनाए गए, जो ढह गए। उनके ढहने से 10 कामगार मारे गए। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से गलत मायनिंग की जाती है। वर्तमान दुर्घटना की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन्हीं से आपने इसकी जांच कराई, यह ठीक नहीं है। आपको सी.आई.एल. के अधिकारियों से जांच नहीं करानी चाहिए थी। जैसा हमारे माननीय मेहता जी ने सवाल किया है, मैं अंत में वही सवाल करना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिए लोक सभा की एक समिति बनाकर जांच कराई जाए।,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल पांच सदस्यों को ही अनुमति दी जाएगी। कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है, तो भी आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम आपको बोलने के लिए समय दें।

श्री राम कृपाल यादव : सर, हम तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप चुप बैठिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य ने कॉल-अटेंशन में ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि पश्चिमी झरिया में नागदा माइन भटडीह, बी.सी.सी.एल. में काम करते

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

हुए 50 मजदूर मरे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि उन मृतकों के प्रत्येक परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी और प्रत्येक परिवार को 11 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं और इसकी पूरी तथा ठीक प्रकार से जांच कराई जाए तथा जो दोषी पाए जाएं उन्हें सख्त सजा दी जाए।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं दो छोट-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस दुर्घटना में लगभग 50 लोगों की मौत हुई। उनके लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता की घोषणा की गई। राज्य सरकार, प्रधान मंत्री और डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें सहायता देने की घोषणा की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीनों स्थानों से सहायता के लिए की गई घोषणा की राशि या मुआवजा उन मृतकों के परिवारों को मिला या नहीं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि नए संदर्भ में, इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप कौन से नए तरीके के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके? कोयला खानों में गरीब लोग खटते हैं और वे जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहते हैं। उनका ख्याल प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से कौन से ऐसे पग उठा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

डा. दासरि नारायण राव : महोदय, मुझे इस दुर्घटना को लेकर बहुत दुख हुआ है...*(व्यवधान)* मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कोयला खनन एक खतरनाक पेशा है। इसलिए, इन दुर्घटनाओं को रोकने और यदि संभव हो, तो इन्हें पूर्णतया समाप्त करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाते हैं।

महोदय, यहां माननीय सदस्यगण एक के बाद एक यह कह रहे हैं कि यह खान खनन के लिए उपयुक्त नहीं है। सच्चाई यह है कि डी.जी.एम.एस. श्रम मंत्रालय के हैं। वे तकनीकी प्राधिकारी हैं जिन्हें यह प्रमाणित करने का अधिकार है कि यह खान खनन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। डी.जी.एम.एस. ने जुलाई 2005 में नागड़ा खान का निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने खनन कार्य स्थगित कर दिया था और बी.सी.सी.एल. से उसमें और अधिक रेत भरने को कहा था इसके पश्चात, समुचित रूप से रेत भरे जाने के बाद अगस्त, 2005 में खनन कार्य पुन: आरम्भ हो गया था। इसके अलावा डी.जी.एम.एस. ने 9.11.2005 से 1.12.2006 तक इस खान का निरीक्षण किया और उसमें किसी अनियमितता का पता नहीं लगा। उस क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी ने जून 2006 में नागड़ा खान का निरीक्षण किया था। फरवरी 2006 में मुख्यालय स्तर का निरीक्षण किया गया। अगस्त, 2006 में 'पिट सेफ्टी कमेटी' ने भी इसका निरीक्षण किया था।

महोदय, सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागड़ा खान में निम्नलिखित गैस जांच उपकरण उपलब्ध हैं। दुर्घटना के समय नागड़ा खान में पांच मेथनो मीटर थे जो कार्यशील थे। एक कार्बन मोनोआक्साइड का पता लगाने वाला यंत्र और 13 सुरक्षा लैंप भी थे। इस प्रकार वहां सभी प्रकार के उपाय किए गये थे। तथापि, दुर्भाग्यवश यह दुर्घटना घट गई।

महोदय, यह दुर्घटना लगभग रात्रि 8.00 बजे हुई थी। सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार बचाव दल को खान के 35 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। दानसार बचाव स्टेशन इस खान से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वे सुबह 9.0 बजे तक इस स्थान पर पहुंच गए थे। पूरे क्षेत्र में धूल ही धूल थी। खान में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं थी। अत: उन्होंने दो घंटे तक प्रतीक्षा की और 11.30 बजे से बचाव कार्य शुरू हुआ तभी वहां कोल इंडिया लिमिटेड के सी.एम.डी. और बी.सी.सी.एल. के सी.एम.डी. पहुंच गए। अगले ही दिन तत्कालीन कोयला मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया। यह पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा है। बचाव कार्य 40 घंटे में पूरा हो गया और सभी शव बरामद कर लिए गए। इस प्रकार उन्होंने सही तरीके से सारे बचाव उपाय किए।

जहां तक जांच कराए जाने का संबंध है, कि वहां आंतरिक सुरक्षा संगठन है। लेकिन इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त की है। उन्होंने पांच अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है जिससे कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़खानी न कर सकें। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही निलम्बन समाप्त किया गया था। साक्ष्य के पश्चात उन्हें उस स्थान से स्थानान्तरित कर दिया गया...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जांच चल रही है। श्री आचार्य उन्हे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं नेताओं के साथ कोई विशेष बर्ताव नहीं कर सकता।

*(व्यवधान)**

डा. दासरि नारायण राव : डी.जी.एम.एस. एक सांविधिक संगठन है और जांच न्यायालय का भी गठन किया गया था। वे पहले ही जांच न्यायालय का गठन कर चुके हैं। लेकिन, वास्तव में बी.सी.सी.एल. के सी.एम.डी. ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है और वह समिति कार्य कर रही है। यदि हमारे पास दो रिपोर्टें होंगी, तो मेरे विचार से हम उनका आपस में मिलान कर सकते हैं। परंतु, कल ही हमारी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी हमने एक ही बात पर चर्चा की थी। हम किसी भी दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने पर विचार करना चाहते हैं। मेरे विचार से यह विचाराधीन है। मेरे विचार से हम उसपर चर्चा करने जा रहे हैं। जांच के बारे में हमारा यह दृष्टिकोण है।

मुआवजे के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था कि प्रत्येक मृतक के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया था। प्रत्येक मृतक के आश्रित 8.78 लाख रुपये से 11 लाख रुपये तक का मुआवजा पाने के हकदार हैं। इसमें 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी सम्मिलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में से 1 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं और 1 लाख रुपया झारखण्ड के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। यह पूरी धनराशि दे दी गई है केवल झारखण्ड के मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपया दिया जाना शेष है। यह भी शीघ्र ही दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी मृतकों के आश्रितों को भविष्य निधि में से मृतकों की आयु और शेष सेवा अवधि के अनुसार 4-5 लाख रुपये मिलेंगे और अंतिम वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। 48 मृतकों के आश्रितों को रोजगार दिया जा चुका है। एक विधवा ने मासिक मुआवजे का विकल्प चुना है। उसका भुगतान किया जाऐगा। यह उसके 60 वर्ष की आयु होने तक 4000 रुपये प्रतिमाह होगा। लेकिन वर्ष 1994 से ही यह 4000 रुपये की राशि निर्धारित है वर्ष 1994 में यह राशि निर्धारित की गई थी। इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है? अब, हम इस राशि में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. दासरि नारायण राव : डी.जी.एम.एस. इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमें तीन महीने के अंदर-अंदर प्रतिवेदन मिल जाएंगे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति एक माह के अंदर-अंदर अपना प्रतिवेदन सौंप देगी। जैसे ही मुझे यह प्रतिवेदन मिल जाएगा उस पर मैं कार्यवाही शुरू कर दूंगा।

अपराह्न 1.07 बजे

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 1.08 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, श्री दयानिधि मारन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2006 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

डा. शकील अहमद : महोदया मैं विधेयक पुर: स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 1.08½ बजे

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, 2006**

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 1.09 बजे

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज भोजनावकाश नहीं होगा। मद संख्या 26 - श्री पी.आर. किन्डिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर नही देता। श्री पी.आर. किन्डिया

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर नहीं दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर दोनों पक्षो ने चर्चा की मांग की थी। कृपया उनकी बात सुनिए।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 1.09½ बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियो से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें परिचालित किया जाएगा। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। उन्हे पहले ही परिचालित किया जा चुका है। इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप सभा पटल के निकट खड़े होकर इस प्रकार मुझसे बात नहीं कर सकते। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.10 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : येरननायडु जी, आप जानबूझ कर सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने सुबह ही कहा था कि मैं इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी तरह से अनुचित है। मैंने सुबह ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने यह कहा था। मैंने कोई अनुमति नही दी। आपको गलतफहमी है कि मैंने ऐसा कहा कि प्रश्न काल के पश्चात मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि इस विषय को उठाने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती। यदि आप इसे किसी दूसरे तरीके से उठाना चाहते हैं मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैंने नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

बैसीमुथियारी जी, यदि आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है इस पर विचार किया जाएगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : परंतु इसे स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आपके संशोधन को परिचालित किया जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन को परिचालित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे परिचालित कर दिया गया है।

अपराह्न 1.12 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री चुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार को जिस गंभीरता से विचार करके इस बिल को लाना चाहिए था, वैसा नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट की सिफारिशों को हाउस में पहले से सर्कुलेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।...*(व्यवधान)*

श्री भोजन सिंह (देवरिया) : वह अभी मिल रही है।...*(व्यवधान)*

श्री चुएल ओराम : जेपीसी का मैम्बर में भी था। जेपीसी रिपोर्ट सर्कुलेट हुई थी लेकिन सरकार उसे मान रही है या नहीं मान रही, जेपीसी रिपोर्ट को फर्दर कैबिनेट में ले जाकर पास किया या नहीं, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए। अन्यथा, आपको परेशानी होगी।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : मैं चेयर को ही एड्रैस कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक परिचालित नहीं किया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही व्यवस्था दे दी है। आपका संशोधन परिचालित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अमैंडमैंट इन-प्रौसैस है, उसके बाद वे देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जब विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है, उसी समय उसे परिचालित किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद वह स्थायी समिति को जाता है। स्थायी समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यह भी इस सभा का एक भाग है। तत्पश्चात् सरकार इस पर निर्णय लेती है। यदि सरकार इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि सरकार संशोधन प्रस्तुत करने का निर्णय लेती है, तो सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया जाता है यही कुछ क्षेत्र है। वह यह क्यों कह रहे हैं कि विधेयक परिचालित नही किया गया है। प्रस्तुत करने के दिन ही इसे परिचालित किया गया था।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हम अपने संशोधन प्रस्ताव कैसे दे सकते हैं?*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रत्येक को संशोधन प्रस्ताव रखने का हक है। अध्यक्ष महोदय ने सुबह ही यह कहा था।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : हम जेपीसी के मैम्बर थे। जेपीसी की रिकमैंडेशन्स हाउस में सर्कुलेट हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने क्या किया, उसे माना या नहीं माना, उसमें से आधा माना और आधा नहीं माना। मेरी जो जानकारी है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने दो दिन पहले इसे मंजूर किया है। अगर आप इसे दो दिन पहले सर्कुलेट करते, तो आपको इसमें क्या परेशानी होती? हम उसे डिटेल में पढ़ते और अगर फर्दर कोई अमैंडमैंट होती, तो उस बारे में बताते या बोलते। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैस कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ट्राइबल्स के बारे में ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभव नहीं है। अब सरकार इसे बाध्य हो कर ला रही है, आनंद में नहीं ला रही है। सरकार हम लोगों के प्रैशर से बाध्य होकर इस बिल को ला रही है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 दिसम्बर, 2005 से इसकी मान्यता होनी चाहिए। जो भी फौरेस्ट ड्वैलर्स बचे हुए हैं, परिभाषा में जो चेंजिस हैं, उसे मानने के लिए कहा गया था। अब जानकारी मिली है कि मंत्री जी उन्हें मान रहे हैं। आप संशोधन को स्वीकार कर रहे है। जेपीसी ने जिसे रिकमंड किया है, हमें उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। हमें केवल धन्यवाद देना है। लेकिन आप अभी मान रहे हैं, यह अच्छी बात है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। तीन जनरेशन का डेफीनीशन - 25 पर जनरेशन 75 ईयर - इसे सरकार ने माना है। यह ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसे नाइंथ शैडयूल में डालना चाहिए। जेपीसी की डिमांड थी, यूनेनीमस रिकमंडेशन थी कि इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाये। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज इसमें हल्ला-गुल्ला नहीं कर सकतीं, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शैड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वैलर्स की जमीन को रिकग्नाइज या रेग्युलेराइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही नोडल मिनिस्ट्री होगी, लेकिन मैंने इसमें देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमैंट एक्सपर्ट कमेटी आदि बनाएगा, लेकिन वह मंजूर नहीं होगा। सैंचुरी में, नेशनल पार्क में कोर एरिया की डेफीनीशन के लिए हमने जो सुझाव दिया था, सरकार उसमें चेंजिज करने जा रही हैं आपने उन सिफारिशों को पूरा नहीं माना है। आप जब उत्तर देंगे, तब इस बारे में भी हमें बतायें।

माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस - आप जानते हैं कि जंगल या उसके आस-पास बसने वाले ट्राइबल्स और अदर्स जंगल पर आश्रित होते हैं। जंगल के प्रोड्यूस से ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें बांस, स्टोन आदि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने सर्कुलर में जो दिया है, उसमें कुछ को माना है और बाकियों को नहीं माना। जेपीसी ने क्या रिपोर्ट दी थी और उसे आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं, यह भी आप बताइये। आप जानते हैं कि नार्थ ईस्ट में बैम्बू उनका मेजर प्रोड्यूस है। अगर आप उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं मानेंगे, तो फिर इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

हमने बताया था कि वहां से लोग डिसप्लेस होने से, स्पेशली कोर एरिया से लोग अगर डिसप्लेस होंगे, तो उन्हें जमीन की नेट प्रैजेंट वेल्यू मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि लैंड की जितनी कीमत ऐसेस की जाती है, वह उन्हें पता नहीं है। उस जमीन के नीचे बहुत से मैग्नीज, आयरन और, क्रोमाइट तथा और बहुत से कीमती मिनरल्स होते हैं। इसे देखते हुए, आप जमीन को जो रेट तय करते हैं, वह बहुत कम होता है। उस हिसाब से उनको कम्पेनसैशन देना, सफीशैंट नहीं है। इसके लिए जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी कि उसमें नेट प्रैजेंट वेल्यू को ऐसेस करके दिया जाना चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में एक हजार एकड़ जमीन होने पर लोगों के पास 200 एकड़ का पट्टा होता है, लेकिन बाकी 800 एकड़ के ऊपर उस गांव का इनडायरेक्टली राइट होता है। उसमें लकड़ी, बांस या जो कुछ भी हो, वे उसे यूज करते हैं। लेकिन सरकार जब लैंड ट्रांसफर करती है, एक्वीजिशन करती है, तो 200 एकड़ की वेल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते है - यह नहीं होना चाहिए। जेपीसी ने इस बारे में भी पूरी रिपोर्ट दी थी कि उसमें जो कुछ भी है, वह कम्युनिटी यूज के रूप में होना चाहिए। जेपीसी ने ऐसी रिपोर्ट दी थी। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के समय इस बारे में भी बतायें।

मैं इस बिल के संदर्भ में एक-दो बातें और बताना चाहता हूं। जब हम इस मिनिस्ट्री को हैंडल करते थे, आप जानते हैं कि एनडीए सरकार ने पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनायी। इसका कारण यह है कि एससी-एसटी को अलग कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने ट्राइबल को स्पेशल अटैंशन देने के लिए यह किया था। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार को ढाई साल से अधिक समय हो रहा है, आज तक आपने आदिवासियों के लिए केवल तीन काम किए हैं - पहला यह कि आज आप यह बिल लाए हैं। इसकी काफी समय से हम लोग डिमाण्ड करते रहें हैं। इसके लिए जेपीसी की यूनैनिमस रिकॉमेंडेशन है। दूसरा यह कि नेशनल पॉलिसी आफ ट्राइबल, जिसे आपने वेबसाइट पर दिया है, लेकिन उसे एडाप्ट करके उसमें जो विसंगति है, उसे दूर नहीं किया है और तीसरा यह कि एक छोटा सा कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, आपने बिहार की लोहरा जनजाति से संबंधित प्रावधान को अमेंड किया है। इसके अतिरिक्त पिछले ढाई साल में ट्राइबल्स के लिए आपने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिए हैं, जो दुख की बात है। यहां दासमुंशी जी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बाकी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप हमारी अनदेखी कर रहे हैं।

टाइगर्स बिल के बारे, में बहुत से लोगों ने बाहर हल्ला-गुल्ला किया कि जंगल खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर यह रेगुलेराइज होगा तो जंगल की कितनी जमीन इसमें आएगी, तो उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। मैंने उन्हें बताया कि केवल दो प्रतिशत जमीन आएगी, बाकी 98 प्रतिशत में आप बाघ रखिए, भालू रखिए, हिरण रखिए। लेकिन केवल दो प्रतिशत जमीन, जो कि जंगल नहीं है, वहां 0-40 साल से हम लोगों के बाप-दादा रहते आए हैं, खेती करते आ रहे हैं। दुर्भाग्य से वह जमीन रिजर्व्ड फॉरेस्ट या सैंचुरी के नाम से नामित है, जिसकी वजह से हम लोगों का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड्स में नहीं आता है। उनके अधिकारी हर साल वहां आते हैं और पूछते हैं कि यह खेती किसने की है। इस पर उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह रेवेन्यु वाले आते हैं, उनको भी दीजिए, जबकि हम वहां ऑक्युपेशन में हैं, हम वहां खेती कर रहे हैं। इसमें ग्राम सभा को महत्व दिया गया है, मंत्री जी ने ग्रामसभा को माना है, लेकिन फिर उसमें एक अड़ंगा डाल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट को जो भी डिस्प्युट होगा, उस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का निर्णय फाइनल होगा। आप जानते हैं कि आज भी पैसा ऐक्ट के कारण ग्रामसभा इस बारे में निर्णय करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है कि उस एरिया की जमीन को माइनिंग के लिए देना है या नहीं देना है, इंडस्ट्री के लिए देना है या नहीं, लेकिन उस ग्रामसभा

[श्री जुएल ओराम]

की भी, मिसयूज करके, जमीन उसमें से चली जाती है। आप जानते हैं कि ग्रामसभा का सरपंच या गांव के कुछ लोग अगर डिस्प्युट कर दें और सब-डिवीजनल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर आदि बड़े-बड़े अधिकारी उस पर फाइनल निर्णय देकर जमीन देने के लिए कहें, तो क्या होगा। इस प्रावधान के कारण हमें बहुत तकलीफ है। हालांकि इससे हमें कुछ राहत मिली है। आप जानते हैं कि गांव में शादी-ब्याह कैसे होते हैं लोग यह देखते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, कितने हल हैं, उसके हिसाब से उसका स्टेटस माना जाता है। अगर ट्राइबल के पास कोई पट्टा नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, तो उसका कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए गवर्नर्स कांफ्रेंस में भी यह रिकॉमेंड किया गया था कि जिसके पास जमीन नहीं है, उसे जमीन का पट्टा दिया जाए। शैड्यूल एरियाज एण्ड शैड्यूल ट्राइब्स कमीशन, जो भूरिया जी की अध्यक्षता में बना था, उसकी भी रिपोर्ट आपके पास आई है, लेकिन उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। उसमें से कुछ प्रावधान आप मान रहे हैं या नहीं, उस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। वर्ष 1961 में चेवर कमीशन बना। उसके बाद कोई कमीशन नहीं बना, जबकि अनुच्छेद 339 में प्रावधान है कि हर साल शैड्यूल एरिया और शैड्यूल ट्राइब्स की स्थिति को देखने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए जो यह देखे कि प्रावीजन्स का रिवीजन करना है या नहीं करना है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या होना चाहिए। हमने उनके लिए कमीशन बनाया था, उस समय मैं मंत्री था। उस कमीशन की रिपोर्ट अब आपके पास आई है। आप उसके बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन्स को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्कूलों के बारे में, मेडिकल के बारे में और अन्य दूसरी बहुत सी चीजों के बारे में आप क्या निर्णय कर रहे हैं?

महोदय, शैड्यूल एरियाज के बारे में गवर्नर महोदय स्पेशल रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देते हैं। शैड्यूल एरियाज के बारे में गवर्नर को पावर है कि वह उसमें इन्टरवीन करके रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को संप्रेषित करें। मगर गवर्नर रिपोर्ट ठीक से नहीं हो रही है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ठीक से नहीं हो रही है। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केवल पैसे देने से कुछ नहीं होता है। मैं हिसाब करके देख रहा था कि शैड्यूल एरिया के लिए स्पेशल सब-प्लान एरिया 1974-75 से एडमिट हुआ है। लेकिन 1974-1975 से स्पेशल ग्रांट देने के बावजूद हम लोग हर सेक्टर में बहुत पीछे हैं। जितने भी ह्यूमन डैवलपमेंट टैंडेसिज़ के इंडिकेटर्स हैं, उनमें हम लोग बहुत पीछे हैं। बीपीएल में हमारा 50 प्रतिशत से ज्यादा पिछड़ापन है और एजुकेशन में 90 प्रतिशत ड्राप आउट है। इसी तरह से मेडिकल फेसलिटीज भी बहुत कम है। इसलिए सरकार को गंभीरता से इसे डील करना चाहिए। मंत्री जी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन देखने में आता है कि वह निर्णय लेने में हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। इस बिल के संबंध में फौरेस्ट डिपार्टमेंट और कई विभागों ने काफी लॉबिंग की थी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। हमने जो इनीशिएटिव लिया था, उसके कारण ही यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन इस बिल में कमियां हैं, जिसे आपने खुद स्वीकार किया है वे आपको दूर करना चाहिए। जब इस बिल पर खंडशः विचार होगा, तब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे।

बैसीमुथियारी जी ने भी इस बिल पर काफी कुछ कहना है। इसलिए उपाध्यक्ष जी आप हमें क्लाज बाई क्लाज पर डिसकशन के समय अलाऊ करें, क्योंकि यह बिल आज ही सर्कुलेट हुआ है यह बात ठीक है कि जेपीसी ने 14-15 सीटिंग करके इस बिल को तैयार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। आउट आफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। हम लोग काफी समय तक इस चीज से दूर रहे हैं और आदिवासियों की भलाई के लिए सरकार सदन में बिल लाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्लाज बाई क्लाज पर नहीं, आप अभी अपने अमेंडमेंट्स दे दें।

श्री जुएल ओराम : उस समय भी हम डिटेल में बोलेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। साथ ही मैं मंत्री जी को यह बिल सदन में पेश करने के लिए बधाई देता हूं। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि विपक्ष भी इस बिल का समर्थन करेगा। ट्राइबल्स के हितों के लिए हम सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह टाइगर्स के बचाव से ज्यादा ट्राइबल्स की सुरक्षा पर ध्यान दें। जो लोग टाइगर्स को बचाने के लिए इस बिल का विरोध करने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उनकी बात न मानकर आप ट्राइबल्स की सुरक्षा के बारे में सोचें, तो ज्यादा ठीक रहेगा।

मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) विधेयक, 2006 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा। यह एक नया विधेयक है। मैंने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संशोधन प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया बैठ जाइए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल को सदन में पेश करने के लिए देश के प्रधान मंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन, सोनिया गांधी जी और सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं इस बिल से संबंधित संसद की संयुक्त समिति के सभापति और सदस्यों को भी बधाई देता हूं। उस जेपीसी में मैं भी सदस्य के रूप में शामिल था। जेपीसी ने काफी जद्दोजहद के बाद इस बिल को तैयार किया। जेपीसी ने इसके लिए देश के सभी एरियाज से लगभग 100-125 एनजीओज को बुलाकर उनकी राय ली और एक्सपर्ट्स को भी समिति में बुलाकर राय ली। उसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी और यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए पेश हुआ है। इस बिल में जो संशोधन आए हैं, जो क्लाज बाई क्लाज कंसिडरेशन के समय पेश होंगे, उन से पता चलता है कि जेपीसी की ज्यादा से ज्यादा सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। काफी समय से देश के आदिवासियों को यह ऐतिहासिक न्याय देने की बात चल रही थी। उसे सेट लाइट करना, इसका मकसद था। सरकार अगर सोचती थी कि इस जमीन का फोरेस्ट लैंड के रूप में सैटलमेंट करेगी, तो कोई सैटलमेंट नहीं हो सकता था। पूरे देश के अंदर जमीन का सैटलमेंट करने के लिए जरूरी है कि अगर आप जमीन जोतते है, तो फोरेस्ट आफिसर से उसकी रिपोर्ट मांगी जाए और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं या दूसरे लोग भी हैं, जो आदिवासी नहीं हैं, लेकिन जंगल में रहते हैं, इस बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1951 में जब काका कालेलकर कमीशन पूरे देश में घूमा, तो कितनी ऐसी जातियां थीं, जो जंगल में रहती थीं, लेकिन कई कारणों से एनलिस्ट नहीं हुई। हालांकि उनकी परम्परा, खाना-पीना, रहन-सहन सब कुछ आदिवासियों की तरह है, लेकिन फिर भी वह आदिवासी एसटी जाति के अंतर्गत नहीं आई। ये लोग भी जंगल जोतते हैं और सालों से जोतते आ रहे हैं। इनके पुरखे भी जमीन जोतते थे, लेकिन वे भी आदिवासी नहीं माने गए। इस वजह से उन्हें जमीन नहीं देने की बातचीत हुई और आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों और आदिवासियों के बीच में कांफिलिक्ट होता, इसलिए बहुत सोच-समझ कर जेपीसी ने उन्हें भी इसमें शामिल किया। मुझे खुशी है कि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो जमीन जोतते हैं, उस जमीन को 13 दिसम्बर, 2005 तक उन्हें देने की बात सरकार ने मानी। उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिए ग्राम सभा को पावर दी गई है। इतना ही नहीं अगर किसी के पास लिखित एविडेंस नहीं है तो मौखिक एविडेंस ग्राम सभा से ले सकता है और जमीन प्राप्त कर सकता है। उसके लिए जमीन पर जो झाड़ है, उसकी कितनी आयु है, उस जमीन पर जो टेरिस बना है, वह कब बनाया गया और वह व्यक्ति कितने समय से उस जमीन को जोतता आ रहा है, इन सभी बातों को देखा जाता है और उन्हें जमीन दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है

महोदय, मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जब पूरे देश में सैटलमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो जो वायलेंट मूवमेंट देश में चल रहा है, उसमें भी कमी आएगी। फारेस्ट इकोनोमी से लोग एग्रीकल्चर इकोनोमी के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि फारेस्ट के अंदर रहने वाले सिर्फ जंगल की इनकम पर ही निर्भर थे। फारेस्ट इकोनोमी स्पोर्टिंग इकोनोमी नहीं है, मेन इकोनामी तो एग्रीकल्चर इकोनोमी है और इस इलाके के अंदर जो लोग सदियों से जमीन जोतते हैं, उन्हें जमीन पर अधिकार देने की वजह से एग्रीकल्चर इकोनोमी आसानी से मिल सकेगी। इस वजह से उनकी आय बढ़ेगी और जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीपीएल के अंदर रहते है, इससे उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनका एग्रीकल्चर इकोनोमी में प्रवेश होगा और बीपीएल की कैटेगिरी में से ये लोग बाहर आ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी सामने से ओराम जी ने भी कहा है कि इसमें से स्टोन, फिश निकाले गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फारेस्ट प्रोड्यूस का ऐसा इंटरप्रेटेशन किया है कि फारेस्ट से मिलने वाली सभी चीजें,

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

[अनुवाद]

वन उत्पाद हैं, जिसमें मछली और बालू आदि सम्मिलित हैं।

महोदय, यहां तक की गुवाहाटी उच्चन्यायालय ने भी यह कहा है कि यदि वन-क्षेत्र में बालू पाया जाता है, तो यह वन उत्पाद है। इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचता कि बालू, मछली, पत्थर आदि को सम्मिलित करने में कोई समस्या होगी। उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन्हें इससे बाहर नही किया जाना चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इस देश के अन्य कई न्यायालयों ने पहले ही यह प्रमाणित कर दिया है कि वे वन उत्पाद हैं।

[हिन्दी]

मेरा दूसरा सुझाव है कि इसमे 25 साल की उम्र रखी गई है। मैं मानता हूं कि मैरिज आयु को 25 साल की बजाए 21 साल कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

आप एक मिनट चुप रहिए। यह मेरा दृष्टिकोण है। आपके अपने विचार हो सकते है। आपके विचार अच्छे हैं। ये मेरे विचार हैं।

[हिन्दी]

जब देश आजाद हुआ उस समय या उसके बाद जो लोग जंगलों में रहते थे, जो इनटाइटल थे, उनकी ऐज को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अमैंडमैंट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचने का जिसे अधिकार है, उसे ले जाने का भी अधिकार है। उसमें जो वर्ड ट्रांसपोर्ट था, उसे निकाला गया हैं आज ऐसी परिस्थिति है कि यदि कोई किसी को बेचना चाहे तो उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पास नहीं मिलेगा तो वह उसे ले जा नहीं सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा एप्रिहैंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रक या दूसरी व्हिकल्स में उन्हें लाएंगे और बेचेंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट की जगह कैरी शब्द लगाना चाहिए। साकिल में ले जाएंगे तो कोई प्रॉबलम नहीं होगी। बोट में ले जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या दूसरे किसी डिपार्टमेंट को प्रॉबलम नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह ट्रक में ले जाकर उसे बेचने जाए। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी स्टेटस में 1980 तक की जमीन किसी के नाम करने पर स्टे लगा है? बाहर हल्ला किया गया था कि जमीन देने से पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे और पूरे देश की जमीन चली जाएगी। ऐसी कोई डर की बात नहीं होनी चाहिए। कई सरकारों ने 1980 तक की जमीन किसी के नाम करने का रैजोल्यूशन पास किया था। 1980 के बाद की जो जमीन 2 परसेंट बता रहे हैं, वह अभी तक की टोटल ऐसी जमीन है जो 1980 तक जमीन जोतते थे, वे जमीने उनके नाम करने के लिए सरकार ने कहा था, उनका भी उसमें समावेश होता है। सरकार ने 1980 तक की जमीन उनके नाम पर की है लेकिन उसका इम्पलीमैंटेशन कितनी स्टेट्स में बाकी है? 1980 से 2005 के बीच जो जमीन तबदील करके आदिवासियों को दी जाएगी, वह एक छोटा सा सैक्शन है लेकिन इसकी फीगर्स बाहर नही आ रही है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितनी जमीन इसके अंदर गई है? गुजरात में बहुत सी जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। अगर एक बार उसमें पौधा लगाएं, वह उगे न उगे, इसकी बात जाने दो, वह टोटल जमीन कवर करें तो 58 साल लगेंगे। हमने यह सब कैलकुलेट किया था। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। टॉप लेअर ऑफ सॉयल बारिश के अंदर धुलते-धुलते दरिया में चला जाता है। इससे पर्वत नंगे हो रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने इलाकों में फैंसिंग की है जैसे कि बॉर्डर में फैंसिंग हो रही हैं ग्रेजिंग हाइली वॉयलेटिड है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर लगभग सारी बाते सम्मिलित हैं, ग्रेजिग राइटस कितने गए हैं?

[अनुवाद]

वस्तुत: कई राज्यों में, जिसमे मेरा राज्य भी है, पारंपरिक अधिकारों को वन विभाग द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है।

[हिन्दी]

गाइडलाइन्स और मैन्युअल के पार्ट थ्री में यह बात देने के बावजूद भी उसका वॉयलेशन हो रहा है। हमने जेपीसी की रिपोर्ट देखी है। उसने बहुत विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें दी हैं। उन्हें स्वीकार करने पर मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं। जंगल में रहने वाले लोगों के बीच झगड़ा भी होता है।

उस डिस्प्यूट को सैटल करने का प्रॉसेस और मशीनरी दी गई है, लेकिन वह इम्पलीमेंट नहीं होती है। हम 1992 से लड़ रहे हैं। 20,000 से 25,000 लोग अहमदाबाद में जुलूस लेकर गए थे और 39,000 हेक्टेयर जमीन 66,000 किसानों को मिली थी। लेकिन आज तक सरकार 1992 से लेकर 2005 तक सिर्फ 32,000 लोगों की ही जमीन मुहैया करा सकी है, क्योंकि इनके पास न तो सर्वेयर्स हैं,

न डिमार्किट करने वाले हैं और न ही हैंडओवर करने वाले हैं। जिसे पट्टा दिया गया है, उसे जमीन के कल्टीवेशन राइट्स दिए गए हैं और वे उस जमीन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन जिसने प्लांटेशन किया है, वहां से उसे बेदखल किया जा रहा है। इसमें और भी चीजें इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 दिसंबर, 2005 से पहले इस देश में जो लोग जंगल में जमीन जोतते थे, अगर उन्हें उनके राइटस के अगैंस्ट जमीन से हटाया गया है तो उन्हें वापस वहीं पर बसाया जाए। जिस जमीन पर वे तीन जनरेशन से ज्यादा रह चुके हैं, उन्हें राइट्स दिए जाएं और जमीन वापिस दी जाए।

फॉरेस्ट प्रोडयूस के संबंध में देखा गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूज नेशनलाइजेशन एक्ट की वजह से ज्यादातर फॉरेस्ट प्रोड्यूज को नेशनेलाइज किया गया है। इस नेशनलाइजेशन के अंदर महुआ, सालसी और तेंदू पत्ता तीन मेजर इनकम वाले प्रोड्यूस आते हैं। हर स्टेट में फॉरेस्ट डेवलपमेंट सबसे ज्यादा पेसा इसी से कमाता है और कम से कम पैसा कलैक्शन करके लाने वालों को देता है। वे किसी वर्कर्स लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं, किसी मजदूर कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। कितने लोग झाड़ से नीचे गिर जाते हैं और कितनी बार उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है उन्हें कितनी बार व्यापारी पैसा दिए बिना भाग जाते हैं, हमारे देश में इन सबको सैटल करने के लिए एक ही चीज है लेकिन किसी को फारेस्ट प्रोड्यूस से सबसटीट्यूट करना, इसे मैं नहीं मानता हूं।, इसलिए मेरी मिनिस्टर साहब से डिमांड है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसी तरह से देश में फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राइस कमीशन सेटअप होना चाहिए, जो हर साल फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सपोर्टिंग प्राइस तय करें अगर उस रेट से कम में चीज बिकती है तो उसे सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खरीदे, और अगर उसे व्यापारी से ज्यादा दाम मिलता है *[अनुवाद]* उन्हें इसे कहीं भी बेचने की अनुमति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

आज मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता समस्त मध्य प्रदेश एक्सचेकर में इतनी बड़ी इनकम देने वाली चीज हो गई है, लेकिन जो लीव कलैक्टर हैं, जिनमें आदिवासी और गैर आदिवासी भी हैं, उनकी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें चालीस रुपए प्रति सौ बंडल रेट मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पांच रुपए बोनस के मिल जाते हैं, *[अनुवाद]* मध्य प्रदेश में केवल तेंदू के पत्ते से ही राज्य को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही थी।

[हिन्दी]

जब मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य था। लेकिन जो लोग जंगल में रहने वाले हैं, जिनके राइट्स डिफाइन किए गए हैं, जो लोग यह काम करते हैं उनको इसे बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर चीज में अड़ंगा लगाता है और उसकी डेफिनीशन को और टाइट करता है, जिससे वे लोग काम न कर सकें। इस परिस्थिति से बचाने के लिए यह बिल रास्ता निकालेगा।

मैं एक और बात की ओर ट्राइबल मिनिस्टर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि *[अनुवाद]* भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षक अधिनियम, पशु चारागाह अधिनियम, पर्यावरण एवं जैवविविधता अधिनियम *[हिन्दी]* जितने एक्ट हैं, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस पर जितने भी ऑक्यूपेशन्स हैं, उन्हें एन्क्रेज नहीं, बल्कि डिस्क्रेज करते हैं। अगर आप जंगलवासी हैं, तो उनकी परमिशन के बगैर कुछ कर नहीं सकते, जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते। अगर आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कोई चीज बनानी है या इंकम कमानी है, तो नहीं हो सकता है। वे बांस से कोई चीज नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे खेत के बांस से मैं टोकरी बनाऊंगा तो मुझे प्रूव करना होगा कि ये बांस मैं जंगल से नहीं लाया हूं, यह मैंने अपने खेत में *[अनुवाद]* मुझे सावित करना है। साबित करने की जिम्मेदारी विभाग नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है

[हिन्दी]

लेकिन वे प्रूव करते हैं कि ये घास, पत्ते और बांस जंगल में से लाए हैं, जबकि आपको प्रवू करना होगा कि आप जंगल में से नहीं लाए हैं।

इसकी वजह से इस देश के पूरे आदिवासी इलाके, जिनकी जनसंख्या आठ परसैन्ट है, उन सभी इलाकों का आज जंगल के रॉ मैटिरियल के ऊपर ऑक्युपेशन बेस्ट जो उनका डेवलपमैन्ट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसी वजह से जो लैन्ड है, वह लैन्ड ट्रांसफर नहीं की गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनोमी में लोग नहीं आ सके। जितने भी डैम्स बने, वे ट्राइबल एरियाज में बने, जिससे सारा पानी नीचे चला गया, पानी ऊपर नहीं ले जा सके। इसलिए एग्रीकल्चर का वहां डैवलपमैन्ट नहीं हुआ। वाटर शैड डैवलपमैन्ट में भी वही प्राब्लम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कीमें पूरी नहीं हो सकीं। इसी वजह से पूरे देश में एक स्टारवेशन जैसी सिचुएशन है जहां पत्थर मैदानों में जाता है, पानी मैदानों में जाता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैदानों में जाती है और जो बाकी कुछ बचा था, लेकिन अब सैकड़ों नहीं

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

हजारों, लाखों की संख्या में सारा आदिवासी समुदाय, जंगलों में रहने वाला समुदाय, खेत मजदूरों के रूप में, कंस्ट्रक्शन लेबर और दूसरे छोटे धंधों में लगने के लिए, ट्राइबल एरियाज से दूसरे एरियाज में माइग्रेट करते हैं।

[अनुवाद]

महोदय यह उपयुक्त समय है, और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस पर गौर करे और पूरी जनजातीय उप-योजना की समीक्षा करें।

[हिन्दी]

ट्राइबल सब-प्लान के अंदर जो पैसा स्टेट्स को दिया जाता है, उसका बहुत ज्यादा डाइवर्जन होता है। लेकिन ट्राइबल सब-प्लान के अंदर, वाकई कितने चेंजिज करने की जरूरत है या नहीं, केवल यही नहीं, इस पापुलेशन के साथ, पूरे देश में जो पापुलेशन है, उनके रिसोर्सेज और स्टेट्स के रिसोर्सेज उसके साथ जाते हैं, या नहीं - ये सब चीजें ट्राइबल एरिया सब-प्लान के रिव्यू के अंदर भी हमें देखनी पड़ेंगी। इसी तरह से एस.सी. और एस.टी. के बारे में जो रिर्वेशन का बिल आया था, वह इसके साथ इसलिए जुड़ा है, क्योंकि वह इंकम एरयोर करता है।

[अनुवाद]

कृषि से आय सुनिश्चित हो रही है। सिंचाई से आय सुनिश्चित हो रही है।

[हिन्दी]

इसीलिए जो लैन्ड है, उस लैन्ड का मालिकाना हक उनके नाम में ट्रांसफर होने के बाद उनका जमीन पर जो अधिकार होगा, उस अधिकार की वजह से उनकी आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़े सुधार आयेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसमें जे.पी.सी. ने जितनी रिकमैन्डेशंस दी हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा रिकमैन्डेशंस को उन्होंने स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं उनसे कहना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, बीस मिनट हो गये हैं। अभी बहुत से स्पीकर बोलने वाले हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं समाप्त कर रहा हूं इसमें बहुत सी क्लाजेज है, उनमें से क्लाज 2(1) के अंदर यह लिखा है - " [अनुवाद] जलाने की लकड़ी और पत्थर, स्लेट और बोल्डर्स जैसे" [हिन्दी] जो प्रोडक्ट्स ओमिट की गई हैं, उन्हें वापस इसके अंदर डालना चाहिए। उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसमें 25 साल की उम्र के स्थान पर 21 साल की उम्र करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट को जो क्लाज 3(1) सी अमैन्ड किया गया है, उसमें मैं मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के बजाय, उसमें कैरी शब्द करना चाहिएं मैं यह भी मानता हूं कि क्लाज 4 (2) बी. में लिखा है--

[अनुवाद]

"... सभी अधिकार प्राप्त लोगों की सहमति तथा स्वतंत्र पारिस्थिति और सामाजिक वैज्ञानिकों के परामर्श से"

[हिन्दी]

यह जरूरी है और इसे उसमें रखना चाहिए। इसी तरह से क्लाज 4/7 और 4/8 में हम ऐसा मानते हैं कि इसे भी रखना चाहिए। ऐसे कितने ही क्लाजेज हैं, जिनके रखने से काफी अंतर पड़ सकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसे इम्पलीमैन्ट करना है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों को मिलकर, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फंड देकर, सर्वे करवा कर, इन जमीनों को डिमार्केट किया जाए और उनके हवाले किया जाए, जो लोग नेशनल पार्क्स और सैंक्चुएरीज में जिस जमीन को सदियों से जोतते आ रहे हैं, उनको वहां से हनी कॉम्बिंग न करते हुए एक पैरिफैरी में यह जमीन दी जाए। इसके अलावा आज का जो सर्कुलर है कि नेशनल पार्क और सैंक्चुएरी 1980 के बाद यदि एक बार डिक्लेयर हो जाए, तो उसमें उस आदमी को यह जमीन नहीं दी जाती है, जो उस जमीन को जोतता है - यह ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से यदि उन्हें यह जमीन अंदर नहीं देते तो पैरिफैरी के ऊपर देनी चाहिए। इस सर्कुलर में बहुत बड़े चेंजिज लाने चाहिए। मैं फिर से इस सरकार को, मिनिस्टर को, हमारी चेयरपर्सन को और माननीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देता हूं। इसके कारण आज पूरे देश के अंदर आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों में आशा जगी है, उनमें आशा का संचार हुआ है। इससे यू.पी.ए. के प्रोग्राम का एक और कमिटमैन्ट पूरा हुआ है। सिर्फ इसके इम्पलीमैन्टेशन के बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद जल्दी से जल्दी

इसका इम्पलीमैन्टेशन हो और वैरी एटीट्यूड ऑफ दि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव आये, जब ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग हुई है, इसलिए ट्राइबल मिनिस्ट्री अपने में खुद एक मैकेनिज्म तैयार करे। जिसकी वजह से इन लोगों को जमीन पूरे देश के अंदर मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि गरीबों की जिन्दगी में नया सूरज उगना है और हमारी सरकार को जो गरीबों की तरफ कमिटमेंट है, वह आज हमारे सामने है। मैं एक बार फिर से इस सरकार को, हमारे माननीय मंत्री जी को और सभी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं महसूस करता हूं कि संप्रग सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए एक कदम बढ़ाया है, जिसे अंग्रेजी शासन काल से उत्तरोत्तर चली आ रही सरकारों ने ठीक नहीं किया। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान उन्होने 1846 में वन अधिनियम और 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया था। भारतीय वनों में रहने वाले जन जातिय लोगों को इन्ही अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता था।

हमारे देश को आजादी प्राप्त हुए 59 वर्ष हो गए हैं। एक देश के रूप में भारत ने तरक्की की है और इन 59 सालों में भारतीय जनता ने भी उन्नति की है। लेकिन देश की कुल आबादी के अनुसूचित जन-जाति के नौ प्रतिशत लोगों की सामाजिक-आर्थिक दशा बद से बदत्तर हुई है इस समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जन-जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों जो पारंपरिक रूप से वनो में रहते आ रहे हैं, की लंबे समय से मांग रही है कि उनके अधिकारों को सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस पर अब तक ध्यान नहीं दिया हैं यह संपग्र सरकार कम-से-कम एक ऐतिहासिक विधेयक जरूर लायी है। इस ऐतिहासिक विधेयक के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में गरीब जन जातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश में उनकी भी कुछ हिस्सेदारी होगी।

हमारे पास भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 है। उस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सरकार इस बात से सहमत थी कि लाखो लोग वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। तथापि, सरकार ने उन लोगों, जो पारंपरिक रूप से वन क्षेत्र में रहे रहे है, को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया सरकार ने ऐसी 43 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की, जिस पर जनजातीय लोगों का अनधिकृत रूप से कब्जा है। इसमें से लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर रह रहे जनजातीय लोगों को हटा दिया गया है जबकि अन्य अभी भी वहां रहे रहे हैं। मैं नही समझता कि ये जन-जातीय लोग और वनो में संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोगो अनधिकृत कब्जाधारी लोग हैं। वे अंग्रेजी शासन काल से ही वहां रह रहे हैं वे अपनी आजीविका के लिए वन-उत्पादों का उपयोग करते हैं।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार ने बताया है कि वन में रहने वाले जनजातिय लोगों और वनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। यह बिल्कुल सत्य हैं। यही तथ्य है। ये लोग वनों में जीवन यापन करते है और इन वनो की रक्षा करते है। देश के लगभग सभी भागों में वन नष्ट किए जा रहे है। जनजातिय लोग वनो को नष्ट नहीं कर रहे है बल्कि इच्छुक व्यक्ति और वन ठेकेदार इन्हें नष्ट कर रहे हैं। क्या वनों से नष्ट करना सरकार की नीति है? यह विधेयक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा लाया गया है। मुझे संदेह है। पर्यावरण और वन मंत्रालय सरकार के वन विभागों और अन्य विभागों, को एक-दूसरे के समन्वय से कार्य करना चाहिए और जनजातीय लोगो के हितो की ईमानदारी के साथ देखभाल करनी चाहिए। यदि काफी लंबे समय से वनो में रह रहे जनजातीय लोगो को वहां से हटाया जाता है तो यह उनके लिए काफी कठिन होगा। वे साबित नहीं कर सकते है कि वे लंबे समय से वहां रहे है क्योंकि उनके पास कोई राजस्व रिकार्ड नही हैं। रिकार्ड के लिए उनके पास छोटी छोटी झुग्गियां हैं, कुछ पेड़ है और वनों में अन्य मूल्यवान लकड़ियां हैं। उनके पास कोई ऐसी चीजे नहीं है जिसमें वे यह साबित कर सकें कि वे काफी लम्बे समय से वहां रह रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जनजातीय कार्य विभाग भविष्य में उन्हें जमीन भी देगा। स्वतंत्रता के पश्चात इन जनजातीय लोगों को हमारे देश के किसी भी भाग में जनजातीय के रूप में मान्यता नहीं दी गइ थी।

मैं त्रिपुरा में हूं और अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं। मैं त्रिपुरा में रियांग समुदाय से हूं। मेरे रिश्तेदार उसी समुदाय से है और उसी संस्कृति से अपनाने वाले है, वे भी असम में रह रहे है लेकिन उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नही दी गई है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् त्रिपुरा के रियांग समुदाय के लोगो को

[श्री बाबू बन रियान]

तो भूमि मिल जाएगी लेकिन असम के रियांग समुदाय के लोगों को भूमि नहीं मिलेगी। उन क्षेत्रों में उन्हें परम्परागत वन निवासी कहा गया है। इस प्रकार से पूरे देश में ऐसे काफी लोग है जिन्हें परम्परागत वन निवासी कहा जाता है और वे वन उत्पादों पर निर्भर रहते है और उनकी आजीविका वन है। जब यह विधेयक लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया था तो इस परम्परागत वन निवासियों के बारे में विचार नही किया गया था। संयुक्त संसदीय समिति में उनके साक्षियों और उन लोगो को बुलाया गया था जो समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहते थे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के तीन वक्ताओं के नाम दिए है और आप पहले ही आठ मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री बाबू बन रियान : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष काफी लोग साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुए थे। मैं भी इस संयुक्त संसदीय समिति जे.पी.सी. का सदस्य था। हमने कुछ गैर-सरकारी संगठनों सहित काफी लोगो की जांच की थी। उन्होंने हमें बताया कि गडरिया समुदाय को देश के किसी भी भाग में अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं लिया जाता उनकी आजीविका और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है कि कौन जनजातीय लोग होंगे। लेकिन वास्तव में वे जनजातीय लोग है लेकिन उन्हें जनजातीय लोगों के रूप में नही माना जाता हैं। जेपीसी के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने इसे स्वीकार किया है और आज इसे परिचालित किया हैं मैने देखा है कि कुछ संशोधन स्वीकार किए गए है। जेपीसी की सिफारिशों के अनुसार संशोधन में परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों को भी यहां मान्यता दी जाएगी। इस प्रकार वे भी इस विधेयक में लाभान्वित होगें।

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यदि आप और समय लेते हैं तो आपके दल के सदस्यों को बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा।

श्री बाबू बन रियान : महोदय, हमारी आजादी के पिछले 59 वर्षों से उनके साथ अन्याय किया गया है। संप्रग सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने जनजातीय लोगों के अधिकारों को मान्यता दी है। अब प्रश्न यह है कि लाभार्थियों की पहचान कौन करेगा। पंचायतें, ग्राम सभाएं और कुछ स्थानों पर गांव समितियां मुख्य निकाय होगीं जो लाभार्थियों की पहचान करेंगी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उसने सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अधिकार मिले, यह बहुत समय से मांग की जाती रही थी, आज के इस अवसर पर कई सालों से जो जन संगठन, समाजसेवी संगठन इस सवाल को लेकर सक्रिय थे, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि एक लम्बी लड़ाई के बाद उन्हें इंसाफ मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बिल पेश किया, फिर संयुक्त संसदीय समिति बनी, मैं इस अवसर पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, श्री किशोर चंद जी और उनके समस्त साथियों को, जिन्होंने इस समिति में काम किया, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत परिश्रम करने के बाद बहुत अच्छी संस्तुतियां उन्होंने सरकार को दी।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रारम्भ में ही यह लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकार और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति एतिहासिक अन्याय हुआ है। हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि एक लम्बे अर्से से जो आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कहा यह जाता है कि हमारे संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए करीब 25 प्रावधान हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों के लिए जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, वह कानून ही बराबर हमारे देश में चलता रहा। भारतीय वन अधिनियम 1927, भू-अधिग्रहण नियम 1894, पुलिस कानून 1860, जो पुराना कानून है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि बदलते परिवेश में जो कानून अव्यवहारिक हो गए हैं, उन कानूनों में भी तब्दीली या सुधार करने की आवश्यकता है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम पर लगभग दो करोड़ आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। यूपीए का जो घोषणा-पत्र था, उसकी प्रतिबद्धता थी और जब प्रारंभ में संयुक्त अधिवेशन हुआ तो राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए कानून बने, इसकी

वकालत की थी। लगभग आठ करोड़ लोग जंगल में रहते हैं और 1862 में अंग्रेजी हुकूमत ने उपनिवेशवाद को मजबूत बनाने के लिए तथा भारत के प्राकृतिक संसाधनों का बेदर्दी से दोहन करने के लिए वन विभाग की स्थापना की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, वही सिलसिला आज तक हमारे देश में चला आ रहा है हमारे देश में जो जंगल थे, वे घटकर सिर्फ 20 प्रतिशत रह गए हैं। ये जंगल आदिवासियों अथवा वहां रहने वाले लोगों ने बर्बाद नहीं किए, बल्कि फॉरेस्ट एवं वनमाफियाओ के लोगों ने बर्बाद किए। अंधाधुंध कटाई फारेस्ट के लोगों की देख-रेख में होती रही है। बेदर्दी से जंगलों की कटाई होने का परिणाम यह हुआ कि आज देश में सिर्फ 20 प्रतिशत जंगल रह गए हैं।

महोदय, मंत्री जी ने यह जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है इसमें कहा गया है कि–

[अनुवाद]

"राज्य सरकार **ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और इनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए जिला स्तर की समिति का गठन करेगी। अधिकारों से संबंधित अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा। राज्य सरकार वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाए, ऐसे अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी। राज्य"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि यह जमीन देने की प्रक्रिया शुरू होगी और ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि ग्राम सभा रैवेन्यू रिकॉर्ड को देखकर कौन पात्र व्यक्ति है, कौन सा समुदाय पात्र है, उसे देखकर, उसका रिकॉर्ड तैयार करेगा और रिकार्ड तैयार कर के प्रस्ताव पास कर के तालुका कमेटी को भेज देगा और जो पीड़ित आदमी है, यदि उसे कोई ऐतराज है, तो वह 60 दिन के अंदर अपना ऐतराज दर्ज कराएगा। तालुका कमेटी के बाद भी यदि किसी को दिक्कत है, तो वह जिला कमेटी के पास जाए। मैं कहना चाहूंगा कि इन कमेटियों के जो सदस्य होंगे उनमें एक राजस्व विभाग का अधिकारी होगा, एक वन विभाग का अधिकारी होगा, एक आदिवासी विभाग का अधिकारी होगा और पंचायतीराज संस्थाओं से दो आदिवासी और एक महिला प्रतिनिधि होगी। ग्राम पंचायतों को छोड़कर विभिन्न स्तरों पर इनके अध्यक्ष कौन होंगे, इनके हैड कौन होंगे, इस बारे में यह विधेयक मौन है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इन कमेटियों में पीड़ित पक्षों के नुमाइंदे नहीं होंगे, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं होगा और अधिकारियों की ज्यादा दखलंदाजी रहेगी, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन कमेटियों को व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है। इनमें प्रयास होना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि अधिक से अधिक हों, उनका हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो और विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधि उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

महोदय, पूर्व में जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था, तो आधा-अधूरा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद मांग आने पर इसे संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया। मैं संसदीय संयुक्त समिति के चेयरमैन और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल में खामियों और कमियों को दूर कर सदन में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त सुझाव दिए। इस प्रकार से इस सदन ने जंगलों में रहने वाले लोगों और आदिवासियों को इंसाफ दिलाने का काम किया हैं इससे निश्चित रूप से जो सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित थे, उनको हक मिलेगा। मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। आज सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सरकार द्वारा जो विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया था, उसमें जो कमियां और खामियां थीं, उन्हें दूर करने और एक व्यापक विधेयक सदन में प्रस्तुत करने हेतु इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया और संयुक्त समिति ने इस पर विस्तार से विचार-विमर्श कर के जो सुझाव दिए उनके अनुसार अब यह विधेयक सदन में लाया गया है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को और यू.पी.ए. सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इस विधेयक को यहां लाने का काम किया हैं इस देश की

[श्री राम कृपाल यादव]

आबादी का लगभग नौ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की आबादी है, जिनका पूर्व काल से, वर्षों से वनों से संबंध रहा है। मगर विडम्बना यह थी कि वन में तो वे आदि काल से रहते आ रहे थे, मगर कुछ कानूनी व्यवधान की वजह से वन का उनका अधिकार नहीं था और वे अपनी जीविका सही ढंग से उपार्जित नहीं कर पा रहे थे। कई तरह के व्यवधान थे, जो अंग्रेजो के समय बने हुए पुराने कानून थे, उन कानूनों की वजह से उनके हाथों-पैरों में बेड़ियां सी बंध गई थीं और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जिन कानूनों के माध्यम से और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जो वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून चले आ रहे हैं। आज हालात बदल गये हैं, परिवेश बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, आवश्यकताएं भी हैं, उसके अनुसार समय-समय पर मैं देख रहा हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो पुराने कानूनों की बंदिश को तोड़कर लोगों को स्वतंत्र करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से खास तौर पर इस देश का जो सबसे गरीब, आर्थिक विपन्नता है, जिसमें अशिक्षा है, जिसको परेशानी है, आज भी आप चले जाइये, कई गांवों में सुदूर इलाके हैं, जंगलों में खास तौर पर जहां आदिवासी रहते हैं, वहां लगेगा ही नहीं कि हिन्दुस्तान के 59 साल के बाद उन तक आजादी पहुंच पाई है, हमारे जैसे लोगों को देखकर वे डरकर भाग जाते हैं, आदिवासियों की ऐसी स्थितियां हैं। इस देश के मूल इतिहास में, चाहे इस दुनिया के मूल इतिहास में उन्हीं का इतिहास है, उन्हीं के माध्यम से हमारी इतनी बड़ी जैनरेशन फैली है और हमारी दुनिया फैली है। मगर आज वही उपेक्षित हैं, जो मानव जाति के पैदा करने वाले लोग हैं, वही उपेक्षित हैं, वही परेशान हालत में हैं, वही बदहाली की हालत में हैं। निश्चित तौर पर यह कानून की सहायता प्रदान करने का काम करेगा। अब वे उससे रोजी-रोटी कमा सकते हैं। आज भी वे छत के नीचे नहीं रहते हैं, करोड़ों ऐसे आदिवासी हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, वे कपड़ा नहीं पहनते, आज भी उनके पास साधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, सरकार वैसे अनवरत प्रयास कर रही है कि उन तक हम साधान मुहैया करायें, उन तक शिक्षा ले जायें, उनको अपलिफ्ट करने का काम करें। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से जब उनको अधिकार मिल जायेगा तो वे व्यवसाय कर पाएंगे। बड़े पैमाने पर हमारे जंगलों को काट दिया गया है, बड़े-बड़े ठेकेदारों के माध्यम से, बड़े-बड़े भू-माफियाओं के कारण से। जंगल और आदिवासी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आज भी आदिवासियों को आप शहर के इलाके में लाकर रख दीजिए तो वे रह नहीं पाएंगे, वे जी नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, जिनको शहर की रौनक को देखने से ही डर लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण कदम है, सरकार ने बहुत सोच-समझकर इसे लाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो संयुक्त समिति ने प्रावधान दिया है, बहुत बारीकी से कई स्तरों पर, जो इस विधेयक में कमी थी, उन कमियों को दूर करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से आदिवासियों में जो विपन्नता है, जो आर्थिक परेशानी है, उससे वे निकल पाएंगे और कुछ हद तक वे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, जब यह अधिकार उन्हें मिल जायेगा तो वे अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि वे आगे बढ़ने में सहायक भूमिका अदा करनी पड़ेगी, लेकिन हम माननीय मंत्री जी एक निवेदन करेंगे कि बहुत सारे कानून बने हैं। आज भी बहुत सारे कानून हैं, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, लेकिन कोई सरजमीं पर नहीं आ पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो जो आशंका और शक हैं, कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कानून जरूर बनाइये, यू.पी.ए. सरकार ही है, जो बहुत सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो कमिटमेंट है, लोगों के उत्थान के लिए जो इस देश में आने वाली जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ रोता, कलपता, बिलखता हुआ व्यक्ति है, उसको आगे ले जाने का काम हम कानूनों के माध्यम से, हम अपने प्रयासों के माध्यम से, अपनी इच्छा-शक्ति से कर सकते हैं इस इच्छाशक्ति के बल पर आप इस कानून को लाये हैं मैं समझता हूं कि उस इच्छा-शक्ति के बल पर जिस कानून को हम बना रहे हैं, उस कानून को सरजमीं पर लाइये और जनजातियों की, आदिवासियों की, जिनकी आबादी 9 प्रतिशत है, जो इस देश की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए निराश लोग हैं, जिन्होंने आजादी की किरण तक नहीं देखी है, उस तक पहुंचाने का काम कीजिए।

इस विधेयक का मैं पुनः स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी का, यू.पी.ए. सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और जो लोग छूट गये हैं, उनको भी इसमें जोड़ने का काम कीजिए, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। इसमें बहुत सारी जातियां अभी छूट गई हैं, उन छूटे हुए लोगों को भी इसमें जोड़िये, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। वे भी आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे हैं, इस कानून की मदद से वे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपका नाम अभी तक नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहले, मैं संबंधित स्थायी समिति के सभापति श्री चन्ददेव को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस विधेयक से संबंधित समस्याओं का हल ढूंढने के लिए काफी मेहनत की है। मैं भी इस समिति का सदस्य रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि उन्हें सभी वर्गों, के जनजातीय लोगों और अधिकारियों को बुलाने में और उनके साक्ष्य लेने में काफी प्रयास करने पड़े है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और सरकार ने स्थायी समिति के अधिकतर सुझावों को मान लिया हैं। अत:, मै सभापति महोदय और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं केवल यही नहीं कहना चाहता हूं। यह विधेयक अनन्य रूप से अनुसूचित जनजाती में रहने वाले अन्य वन निवासियों को चाहे वे अनुसूचित जाति के हों अथवा पिछड़े वर्ग से संबद्ध हों भी इसमें शामिल करने के लिए सघंर्ष किया है ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।

इस विधेयक में वह सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है और यह विधेयक पारित होने वाला है।

उन्होंने वन भूमि से संबंधित कुछ खण्डों का उल्लेख किया हैं। वन भूमि में वन के आसपास की भूमि भी शामिल है जिसे वनभूमि के रूप में उपयोग किया गया है। वनभूमि के बारे में इस बात पर कोई दो भिन्न राय नहीं है। लेकिन वन भूमि के निकट काफी भूमि खाली है जहां मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग काफी वर्षों से रहते हैं। वह भूमि उन्हें नहीं दी गई है जबकि वे कई सालों से वहां रह रहे हैं।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वह उन लोगों को ऐसी भूमि का पट्टा दे जहां वे लगातार कई वर्षों से रह रहे हैं।

खण्ड 6 में ग्रामसभा के अधिकारों के बारे में बताया गया है। ग्राम सभाओं के पास की प्रकृति और विस्तार निर्धारण के लिए शक्ति होगी। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। ग्राम सभा को वन भूमि की पहचान करने की भी और शक्तियां दी गई है और उसे संकल्प पारित करने की शक्ति भी है और इन संकल्पों के साथ सरकार अथवा न्यायालय इस विषय में संबंधिम मामलो को उठा सकते है।

स्थायी समिति की एक अन्य सिफारिश चरवाहा समुदाय के बारे में है। मदुरै में मुझे इस संबंध में एक शिकायत मिली है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारम्परिक चरवाह समुदाय होते हैं जिन्हें चरागाह भूमि पर अपनी गाय-भैंस चराने का अधिकार होता है।

मैने इसकी पुरजोर सिफारिश की और उसे समिति और सरकार द्वारा स्वीकार किया गया हैं मैने इसकी जोरदार सिफारिश की थी। इसे समिति के साथ-2 भारत सरकार ने भी स्वीकार किया हैं अब मैं खंड 10 उद्धत करना चाहता हूं:

> "कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या...."

मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि पिछले 100 वर्षों से वन अधिकारी वनो की रक्षा करने के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहे है और जनजातीय लोगों को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे है। इस विधेयक के खण्ड 10 द्वारा इसे हटा दिया गया हैं लेकिन खण्ड 12 में "सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही की संरक्षा" के बारे में बताया गया है।

> "इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।"

मुझे "सदभावनापूर्वक" शब्द के बारे में आशंका है। जो अधिकारी बुद्धिमान है वे अपनी चालाकी में हर किसी को यह जतला कर कि वे यह काम सदभावनापूर्वक कर रहे है, जनजातीय लोगो को अपना शिकार बना सकते है। अत: हमें इस खण्ड 12 की ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी। हमें 'सदभावनापूर्वक' शब्दो का लोप करना होगा और इसे खण्ड 10 की तरह ही रखना होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यही विनम्र अनुरोध हैं।

महोदय, आज संप्रग सरकार यह विधेयक लाई हैं। कल उन्होने केन्द्रीय संस्थाओं में आरक्षण संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया था। यह

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

सरकार दलितों के लिए और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रही हैं इसलिए, द्रुमुक पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करने के साथ-2 इसका भी समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक कानून का प्रस्ताव रखने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि हमारे सांस्कृतिक विकास का सूत्रपात वनों के माध्यम से हुआ है। हम सबने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वनों ने सांस्कृतिक विकास में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है।

श्री रविन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार भारतीय संस्कृति की विशिष्टता इस बात में निहित है कि वनों में जीवन व्यतीत करना सांस्कृतिक विकास का सर्वोच्च सोपान है। पश्चिमी सभ्यता का निर्माण ईंटों और लकड़ी से हुआ है। इसका आधार शहरों में है। परंतु भारतीय सभ्यता इस मामलों में विशिष्ट हैं क्योंकि इसकी पुनरूत्थान सामग्री और बौद्धिक सम्पदा के स्रोत वनों में हैं, न कि शहरों में। जनजातीय लोगों और प्राणवान प्रकृति के बीच के घनिष्ठ संबंध प्रकृति के स्रोत बने।

मुझे गर्व है कि मेरा देवता जनजातीय है। आप जानते हैं कि जनजातीय लोग शताब्दियों से सेवा, पूजा कर रहे हैं। हमारे कर्मठ नेता, स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक, जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर राष्ट्रीय हीरों के रूप में उभरे और इण्डोनेशिया के "भूमिपुत्र" कहलाए, का यह सपना था कि वनों का समुचित संरक्षण किया जाए और जनजातीय लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तदनुसार, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान आदिवासियों और जनजातीय लोगों को कुछ पुलिस शक्तियां प्रदान की गईं। वर्तमान मुख्यमंत्री का लोकप्रिय नारा है - जनजातीय लोगों के हितों और उनकी वन भूमि की रक्षा करना।

अपराह्न 2.25 बजे

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

प्रस्तावित विधेयक में उन अनुसूचित जनजातीयों के लिए मान्यता देने की बात कही गई है जिन्हें कभी यह सभी परम्परागत अधिकार प्राप्त थे। हमारा प्रयास है कि इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया जाए। दुर्भाग्य से, इस विधेयक को कुछ आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। कहा जाता है कि यह धारणा अथवा जानकारी गलत हैं मुझे आशा है कि उपयुक्त समय पर इस मिथ्या धारणा और अस्पष्टता का निवारण किया जाएगा। जब कोई नया कानून पेश किया जाएगा तो अस्पष्टता निश्चित रूप से परिलक्षित होगी।

अनुसूचित जनजाति वन अधिकार विधेयक, नि:संदेह, प्रगतिवादी कानून है। आदिवासियों और जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में बहुत ही विधिसम्मत और नीतिसम्मत तर्क दिए गए हैं। अनेक मामलों में, ये जनजातीय लोग इस भूमि के वासी हैं। परंतु उनके पूर्वजों से अनेक अनुचित तरीकों से उनसे यह भूमि छीन ली थी। उपनिवेश काल और स्वतंत्र भारत में भी उनके अधिकारों और जीविकोपार्जन को ध्यान में रखे बिना वन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया गया।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस विधेयक की दूसरी आलोचना यह है कि यह नेताओं और बाबुओं के लिए अनुकूल है। जनजातीय लोगों को वनों के अंदर अपनी भूमि पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके रहने के स्थानों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे विनम्र निवेदन पर ध्यान दें।

महोदय, उड़ीसा, विशाल वन क्षेत्रों वाला ही बहुत ही सुन्दर राज्य है। मेरी मातृभाषा में कहावत है।

बनानी विभूषा मंदिर मालिनी
प्रकृति गन्ता घर।

उड़ीसा घने जंगलों, विशद प्राकृतिक संसाधनों और भगवान जगन्नाथ जैसे मन्दिरों से परिपूर्ण है जिनमें जनजातीय लोगों को सेवा और पूजा करने का अधिकार सदियों से प्राप्त है। यह बात शान्ति व बंधुत्व, सामाजिक एकता का पाठ पढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। यही धर्म निरपेक्षता का वास्तविक संदेश है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से यह संदेश प्रवाहित हो रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वयं भी वन में रहे। इस क्षेत्र के पर्वत को नील शैल के नाम से जाना जाता हैं

प्रस्तावित जनजातीय विधेयक अत्यधिक मतभेद और विरोध को जन्म देता है। कहा जाता है कि यह विधेयक चीजों को सही दिशा में लाने का प्रयास है। परंतु मेरे मन में यह विचार आता है कि यह जनजातीय विधेयक जनजातीय लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने में निश्चित ही कारगर सिद्ध होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि वे इस भूमि

के सच्चे वारिस हैं क्योंकि उन्हें सदियों से इस बात का गर्व है। हमें जनजातीय लोगों के सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उत्थान पर गर्व होता है। इसका वास्तविक सूत्रपात जनजातीय लोगों से हुआ है। इसलिए, जनजातीय लोगों की उन्नति के लिए माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक वास्तव में एक बेहद प्रगतिवादी कानून है। इसके परिणामस्वरूप, उनके अधिकारों की भली भांति सुरक्षा की जा सकेगी।

इस संदर्भ में, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे राज्य के वन क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों और बंगलादेश से भी लोगों द्वारा भूमि का अतिक्रमण जारी है और वे वनों को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वन क्षेत्रों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर रहे हैं और इस भूमि पर अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन कारगुजारियों को रोकने के लिए इस विधेयक में सुरक्षा के उपाय करें।

इसके अतिरिक्त, मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति ने सुझाव दिया था कि इन अधिकारों का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, इन क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने वालों को कैसे रोका जाएगा? सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए। मानचित्र के अनुसार वहां वन क्षेत्र है, परंतु वास्तव में कुछ स्थानों पर किसी प्रकार के वन नहीं है।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि वन सम्पदा को राज्यों के नियंत्रण में लाया जाए क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की केन्द्र सरकार हमारे देश के विभिन्न भागों में स्थित वन क्षेत्रों की देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए, इसे राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाया जाए।

इन शब्दों के साथ, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बेहद प्रगतिवादी कानून है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यूपीए सरकार को भी बधाई देता हूं कि साझा मिनिमम कार्यक्रम में आदिवासी और गरीब लोग जो जंगल में वास करते हैं, उनके लिए जो विधेयक लाने की बात थी, उसे इन्होंने पूरा किया है। इस विधेयक के लिए जो जेपीसी कमेटी बनी थी, उसने जो सुझाव दिये, उन सुझावों को इस सरकार ने मान लिया। मैं उस कमेटी के सभी सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को मूल रूप से जमीन पर लाने का काम किया।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान को आजाद हुए लगभग 60 वर्ष हो गये हैं। लेकिन पहली बार आदिवासी गरीब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक बिल आया है। जो आदिवासी गरीब जंगल में रहते हैं, आप देखेंगे, झारखंड को मुझे अनुभव है, इसके बगल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर यदि आदिवासी लोगों ने लकड़ी काट ली या कुछ और जंगल के प्रोड्यूस को यूज कर लिया, तो इसके तहत उन पर केस कर दिया जाता है। वहां की कोर्ट में 50-60 परसेंट केसेज आदिवासियों पर दर्ज हैं। मुझे अनुभव है कि सैंकड़ों आदिवासी जंगल के केस में जेल जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विधेयक में कहीं चर्चा नहीं है कि जंगल में आदिवासियों पर जो केस चल रहे हैं जिनकी संख्या लाखों में होगी, उन केसों को सरकार वापस ले रही है। मेरी मांग है कि यहां से स्टेट गवर्नमैंट को डायरेक्शन जानी चाहिए कि उन केसों को वापस लिया जाये। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बिल को लाने का कोई फायदा नहीं है। ये केसेज ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी मंत्री जी ने कहा कि जनरेशन को 25 कर रखा है। यदि तीन जनरेशन की बात कही है तो तीन जनरेशन के हिसाब से 75 साल हो जायेंगे। हमने अमेंडमेंट में दिया है कि इसे घटाकर 15 से 18 वर्ष करना चाहिए ताकि सही मायने में यह विधेयक जमीन पर आ सके। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, हमारा तो झारखण्ड में यह अनुभव रहा है, चाहे वह शहीद बिरसा मुण्डा रहे हों, चाहे सिद्ध व कान्हू रहे हों, आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में उस समय भाग लिया जब देश के दूसरे भागों में आजादी के आंदोलन शुरू भी नहीं हुए थे। यह है आदिवासियों का इतिहास, लेकिन आज आदिवासी बहुत तकलीफ में हैं। जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनका हर तरह से शोषण हो रहा है, वे सबसे ज्यादा शोषित होते हैं और वे ही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। उनकी जंगल में या बाहर जो भी जमीन है, उस जमीन पर महाजनों का अधिकार है। थोड़े से पैसे या अनाज देकर महाजनों ने उनकी जमीनों पर अधिकार जमा लिया है। इसलिए मेरा कहना है कि आदिवासियों की जो जमीनें महाजनों ने छीनी हुई हैं, उसके संबंध में भी केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए एक विधेयक लाना चाहिए और वह जमीन आदिवासियों, गरीबों, दलितों को महाजनों से वापस दिलवाना चाहिए। यह जो अमेंडमेंट आया है, उसके पेज संख्या 3 और 4 पर लिखा गया है:

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

[अनुवाद]

"ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउलडर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली, अपतृण सम्मिलित है.."

[हिन्दी]

मेरा निवेदन है कि इसे अमिट करना चाहिए, इसे नहीं मानना चाहिए, इससे आदिवासियों के हित और अधिकारों पर चोट पहुंचेगी। जो अधिकार उनको देने की बात कही गयी है, उनसे वे वंचित हो जाएंगे। फॉरेस्ट अधिकारी लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगलों के दुश्मन हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा किसी को वन और वृक्ष से प्रेम है तो वह आदिवासी लोग हैं। हमारे यहां सरना त्यौहार होता है, करमा त्योहार होता है, इन सभी त्योहारों में लोग वृक्षों की पूजा करते हैं और राखी बांधते हैं। ऐसा करके वे आदिवासी वृक्ष और वन की हिफाजत करने की बात करते हैं। उनको वनों से स्नेह और प्राकृतिक प्रेम होता है। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर खो विहोर, पहाड़िया आदि जनजातियों का जीवनस्तर बहुत नीचे है। इन जनजातियों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। मंत्री जी के पास इसका सर्वे होगा, उससे पता चलता होगा कि आज इस क्षेत्र में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की संख्या में कमी आती जा रही है। कैसे इन जनजातियों का उत्थान हो, कैसे उनको बचाया जा सके, इसके लिए विचार करने की जरूरत है। आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा चर्चा इस बिल में नहीं की गयी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए एक स्पेशल बिल लाना चाहिए। मैं झारखण्ड से आता हूं जहां 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी है, इसे आदिवासी राज्य के नाम से जाना जाता है। आज लोग पलायन करके इधर-उधर जा रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है आज वन की जो हालत है वह वन पदाधिकारियों और वन-माफियाओं की वजह से है। वे लोग वनों को काटकर करोड़ो रुपए कमा रहे हैं और इसका दोष आदिवासियों को देते हैं। वन में रहने वाले आदिवासियों को यह जो अधिकार दिए गए हैं, वह सराहनीय है। उसके साथ ही साथ वन से जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए और आदिवासियों के विकास के लिए, एससी-एसटी के विकास के लिए एक योजना बनानी चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के कल्याण केलिए जो फण्ड दिए जाते हैं, चाहे वह केन्द्र सरकार से दिए जाते हैं या राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वह सही मायने में जमीन पर खर्च नहीं होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि लाखों आदिवासी नंगे और भूखे रहते हैं, उनकी महिलाएं एक ही साड़ी को पहनकर और उसी को ओढ़कर जीवन व्यतीत करती हैं। आज आदिवासियों की यह हालत है।

यह बिल लाने के लिए मैं आपको और केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं और इसमें आदिवासियों के विकास के लिए जो कमी रह गयी है, उसे पूरा करें।

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, जनजातीय मंत्री जी द्वारा पेश किए गए अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2006 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए इस बिल के संबंध में गठित की गई संसद की संयुक्त समिति के सभापति और सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके, विचार विमर्श करके अपनी तरफ से सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हालांकि पहले जो बिल प्रस्तुत किया गया था, उसमें उन सिफारिशों को सम्मिलित नहीं किया गया था। अभी मंत्री जी ने इस बिल में जिन संशोधनों का ब्यौरा दिया है, उससे लगता है कि यह बिल आदिवासियों को कुछ राहत देगा।

आदिवासी लोग बरसों से वनों में या उसके आसपास रहते आए हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, परंतु उसकी सुनवाई आजादी के 59 साल बाद आज हो रही है। मैं इसके लिए मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूं। जुएल ओराम जी द्वारा, मिस्त्री जी द्वारा और माननीय श्री रामजीलाल सुमन द्वारा कही गई बातों से मैं सहमति दर्शाते हुए अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

देश की आजादी के बाद आदिवासियों की आबादी 12 प्रतिशत थी। 1991 में 8.08 प्रतिशत और दस साल की ग्रोथ साढ़े तीन प्रतिशत के करीब है। उसे अगर जोड़ दें तो यह करीब 12 प्रतिशत होती है। वनों पर आजादी के पहले आदिवासियों को अधिकार था। ब्रिटिश सरकार आई, तो उसने अपना कानून बनाया, परंतु वन उपज का हिस्सा निश्चित रूप से जनजातियों को दिया जाता था। अब वन सुरक्षा समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के वनों की सुरक्षा करेंगी और जो वहां उत्पन्न होगा, उसमें से 50 प्रतिशत उन्हें मिलेगा।

वनों के लिए आरक्षित भूमि अपेक्षा के अनुसार 33 प्रतिशत है, जिसके मुताबिक इतनी वन सम्पदा देश में होनी चाहिए। लेकिन सुमन जी ने वह 20 प्रतिशत कही है। मेरी जानकारी के अनुसार वास्तव में वह नौ प्रतिशत ही रह गई है। उसके क्षेत्र का विस्तार करके कैसे उसे 33 प्रतिशत पर लाएं, इसके लिए आवश्यक है कि हम वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा उन आदिवासियों और आसपास रहने वाले लोगों को दे दें। वन विभाग वृक्ष लगाने के लिए जो राशि खर्च करता है, उसी अनुपात में उन्हें भी वह पैसा दिया जाए और यदि दोनों में प्रतियोगिता हो कि वन विभाग कितने वृक्ष लगाता है और आदिवासी कितने लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वनों का आदिवासी अधिक विस्तार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से फैंसिंग का काम अगर आदिवासियों को दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से वे वनों का काफी विस्तार करेंगे, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। संसद की संयुक्त समिति ने इस संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उन्हें पूर्णतः मानते हुए शत-प्रतिशत इस विधेयक में शामिल करके फिर इसे पारित किया जाए, ताकि जो वनवासियों के जो बरसों पुराने अधिकार हैं, उनसे उन्हें वंचित न किया जा सके और उन्हें राहत मिले, जिससे वे अपना जीवनयापन सही कर सकें।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, काफी संदर्भ इस बिल के बारे में दिया जा चुका है, लेकिन मैं दो-चार बातें जरूर सदन के सामने रखूंगा। यह जो बिल आया है, एकरूप में बड़ा क्रांतिकारी बिल है। मेरे ख्याल से पहली बार पिछले 80 या 100 साल के अंदर जब 1927 में फारेस्ट एक्ट आया था हिन्दुस्तान में, जिसकी बात आदिवासियों के हक में कही गई थीं, वे बातें केवल कागजों में और पालिसी स्टेट्मेंट्स पर ही कही गई है। मेरा ख्याल है कि पहली बार कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, जहां एक लीगल सैंटिटी उन बातों को मानने के लिए दी जाती है। हिंदी फिल्म का एक गाना है "हम लाए है तूफान से किश्ती निकाल कर", मेरे ख्याल से यह बिल उससे भी ज्यादा जद्दोजहद के बाद संसद में आया है श्री ओराम ने कहा था कि इस बिल को लाने में कई दिक्कतें हैं। मैं मानता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में ऐसा समाज है जिसमें कसक है कि यह बिल किसी रूप में ही सही, लेकिन आया है इतने सालों में जब पूरा का पूरा जंगल प्रबंधन फारेस्ट विभाग के पास है, आप रायपुर चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए, टिम्बर माफिया की बड़ी-बड़ी कालोनियां वहां हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, बड़े-बड़े घर खदान माफिया के हैं, लेकिन मैंने किसी आदिवासी के बड़े घर आज तक नहीं देखें हैं, जिन पर उंगुली उठाई जाती है कि वे जंगल काटते हैं। मैंने बड़ी-बड़ी कांफ्रेंसिस जंगल विभाग की देखी हैं, वहां आदिवासी को केवल केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उन वर्कशाप्स में प्रमुख वक्ता के रूप में उन्हें कभी सामने नहीं आने दिया जाता है। जो व्यक्ति जंगल में रहता है, जिसका जीवन जंगल पर निर्भर है, उसे कठपुतली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से संसद का इससे संबंधित एक्ट आया है, हर एक्ट में, हर पालिसी में कहा गया है कि सबसे पहले आदिवासियों का या जंगल में रहने वाले दूसरे लोगों का हक निर्धारित किया जाएगा, उसे पेपर पर लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरे काम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 1951-52 में जब सरदार पटेल के प्रयासों से पूरा भारत एक हुआ, बहुत से राज्य अपने मन से और कुछ हिंदुस्तानी फौजों के प्रभाव से हिन्दुस्तान में आए, तो उस समय जो जंगल बने हुए थे, उनकी एक परिभाषा बना दी गई, उसे अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार को शून्य के रूप में मान लिया गया। मैं इस बात पर भी सवाल उठाता हूं कि 1950-51 में जंगल की एक नीति बनी थी, जिसमें कहा गया था कि हिन्दुस्तान की एक तिहाई भूमि को जंगल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तिहाई भूमि को ही जंगल क्यों? 18% या 20 प्रतिशत जंगल था या 25 प्रतिशत जंगल था तो आपने 7-8 प्रतिशत बढ़ा दिया, किस बेस पर आपने भूमि को बढ़ाया? यह वही भूमि बढ़ाई गई, जहां आदिवासी रहते थे, गरीब लोग रहते थे, जो बोल नहीं पाते थे, वे लोग रहते थे। उन इलाकों में जंगल डिक्लेयर नहीं किया गया जहां समाज के प्रभावी लोग रहते थे, जहां जमींदार लोग रहते थे या राजा-महाराजा रहते थे या बड़े-बड़े उद्योगपति रहते थे। दिल्ली में रिज को जंगल बना दिया, लेकिन जहां दिल्ली में बड़ी-बड़ी कालोनियां बनती हैं, उस इलाके का सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। मैं केवल बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आदिवासी और जंगल को ट्रीट किया गया है, इस रूप में किया गया है जिससे बड़े लोग इसका फायदा उठा सकें और जो आदिवासी वहां है, उसे अनदेखा किया जाए। एक जजमेंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह दिल्ली के बारे में है, लेकिन मैं पूरे सदन से कहूंगा कि इस स्टेटमेंट को सुने। दिल्ली में रिज है, रिज जंगल का इलाका माना जाता है, दिल्ली की लाइफ लाइन माना जाता है। उस रिज इलाके में कुछ जमीन डीडीए ने बड़े-बड़े ठेकेदारों को आवंटित कर दी। उसके बारे में जब केस चला, तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़कर सुनाता हूं, दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है—

[श्री सन्दीप दीक्षित]

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"यदि समाज के इन प्रभावी लागों को इस बात का जरा भी आभास होता कि इस जमीन के आबंटन के संबंध में दि.दि.प्रा. की अनुमति नहीं ली गई है तो वे इसमें अधिक पूंजी का निवेश नहीं करते....।"

[हिन्दी]

मतलब जो पैसे वाला है और बड़ा आदमी है, वह अगर गलती करे, तो हो सकता है कि उसने गलती से और अनजाने में कर दिया हो, लेकिन अगर गरीब आदमी, जिसके पास कोई साधन नहीं है, पता करने का कि क्या रूल है, क्या रेग्यूलेशंस हैं, उसे हमेशा चोर मानते हैं।

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है:

यह निर्णय कि जहां-जहां अनधिकृत निर्माण किए गए हैं, उनको गिराना ही एक मात्र विकल्प है, मौजूदा मामलों में यह लागू नहीं होता।"

[हिन्दी]

यदि जंगल की जमीन पर बड़े लोग अधिग्रहण करें तो वहां डेमोलिशन अप्लाई नहीं होगा।

[अनुवाद]

इसमें आगे यह कहा गया है:

"..... विशेषरूप से, जब उनमें कोई समानता नही है, जब कुछ निजी व्यक्तियों अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों अथवा फर्मों को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जा रही है, कारपोरेट निकाय और संस्थाएं हैं....."

इसमें आगे कहा गया है:

"..... कारपोरेट निकाय और संस्थाएं और अनुमोदन अथवा स्वीकृति लेने में उनके किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता।"

[हिन्दी]

जब बड़े-बड़े लोग जंगल का अधिग्रहण करते हैं तो कोर्ट कहती है कि उन्होंने गलत रूप से किया है, लेकिन यह बात हम मान नहीं सकते। अगर आदिवासी अधिग्रहण करे तो उसे जेल हो सकती है, उसे जहां चाहे उठा कर ले जा सकते हैं। यह हिन्दुस्तान के मुख्य समाज की मंशा है। अफसोस की बात है कि हम ऐसे समाज के सदस्य हैं। इस तरह की जजमैंट कोर्ट देता है। ऐसी मंशा को बदलने के लिए ही अपने में यह बिल पूर्ण है। मैंने बहुत से तर्क सुने हैं। हमने उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया। वह मात्र इतना चाहता है कि हिन्दुस्तान की 2 परसेंट जमीन नहीं, जंगल की 2 परसेंट जमीन, जिसके बारे में उसने कहा है कि उन पर हमारा हक है और उसे दे दीजिए, हम 4 हैक्टेयर से कम की जमीन में जी लेंगे, आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। वे आदिवासी दिल्ली और मुंबई नहीं आते हैं, वे केवल अपने इलाके में रहना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप उन्हें उसका हक दें। हमें यह बात माननी चाहिए कि हममें से कई लोग देश में बाद में आए थे, पहले वह आदिवासी समाज देश में रह रहा है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। देश का असली हकदार कोई है तो आदिवासी लोग हैं।

श्री हरिन्दर स्वाईं (आस्का) : आपकी पार्टी की सरकार 7-8 साल से दिल्ली में है। आपने कैसे कह दिया कि एनडीए की सरकार ने इसे किया।...*(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : वह जमीन डीडीए की थी और डीडीए ने ऐलोकेट की थी।...*(व्यवधान)* डीडीए आपके अंडर थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई इंटरप्शन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप मत लड़िए, अपनी बात कहिए।

श्री सन्दीप दीक्षित : अगर आपकी मंशा सही होती तो विरोध नहीं करते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सन्दीप दीक्षित : यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जमीनें एलॉट करती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

*(व्यवधान)**

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : यह कोर्ट का जजमैंट पढ़ कर सुना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री हैं। आप खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इनकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और खास तौर से मंत्री लोगों का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं इतना कहना चाहता हूं कि वह मेरी बात सुनने का धैर्य रखें। मैंने डीडीए की बात कही थी और जजमैंट पढ़ कर सुनाया। यह वही बात हुई जैसे "चोर की दाढ़ी में तिनका" मैंने एनडीए की बात नहीं की है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने ठीक से आपकी बात नहीं सुनी।

(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित : उन्होंने डीडीए को एनडीए सुन लिया।

सभापति महोदय : दीक्षित जी आप बातचीत बंद करके अपनी बात कहिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैंने जो तर्क दिया, वही नहीं, एक और मजे की बात है। जिस तरीके से इस बिल के खिलाफ एक माहौल बनाया गया मैं एक न्यूजपेपर से कोट करके सुनाना चाहता हूं। वह दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। उसमें कहा गया है।

[अनुवाद]

"यद्यपि, मोटे तौर पर हिसाब लगाने से यह बात उजागर होती है कि इस विधेयक के कानून बन जाने पर भूमि को उन्हें दिया जा सकेगा।"

[हिन्दी]

इस बिल की बात हो रही।"

[अनुवाद]

"भारत की भूमि की लगभग 20 प्रतिशत भूमि जोकि 68 मिलियन हेक्टेयर है वह वन भूमि है। देश की 8 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है। यदि देश का प्रत्येक जनजाति परिवार ढाई हेक्टेयर भूमि की मांग भी करता है, तो उनको कुल 50 मिलियन हेक्टेयर भूमि देनी होगी।"

[हिन्दी]

यह बिल्कुल असत्य है, यहां 13 मिलियन हैक्टेयर जमीन की बात हो रही है और इस समाज में जो अखबार या एन्वायर्नमेंटल लॉबी है, जगह-जगह यह बात फैलाती जा रही है जैसे लाखों करोड़ों हेक्टैयर जमीन आदिवासियों को बांटी जाएगी, वह भी आदिवासियों को नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे भू-माफिया इसमें घुस जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री चुएल ओराम : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वे बोल चुके हैं, वे हिंट नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी।

*(व्यवधान)**

श्री सन्दीप दीक्षित : आप जो कह रहे हैं वह बिल आना चाहिए, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। यह बिल्कुल आना चाहिए, कोई भी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सन्दीप दीक्षित]

बिल आए हम उसका समर्थन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि समर्थन करो और जितने आदिवासी हैं, उन्हें डीडीए की जगह दिल्ली में जगह मिले। हम इस बात का स्वागत करेंगे।

सभापति महोदय : ऐसी बात जो नहीं होने वाली है, उसका समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं एक और बात बताता हूं, सन् 1980 से लेकर अब तक, जब यह बात आई थी कि करीब 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर इनका हक दिया जाए, सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि इन्हीं पिछले पच्चीस सालों में इसी जंगल की 10 मिलियन जमीन इन्हीं जंगल के अधिकारियों द्वारा माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज के लिए डाइवर्ट की गई है। इसका मतलब है कि उन लोगों का हक, जो हम सन् 1927 से मानते आ रहे हैं, स्वाधीन भारत में भी हक माना गया है, उनकी जमीन देने में बड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन माइनिंग कांट्रेक्टर्स और इंडस्ट्री को 10 मिलियन हेक्टेयर जमीन दे दें, उसमें सबको न जाने किस बात की दिक्कत होती है। मैं दो सुझाव देकर बैठ जाऊंगा कि किस तरह से फारेस्ट डिपार्टमेंट कुछ चीजों को इम्पलीमेंट कर रहा है। यह बार-बार कहा गया है और गोडवर्मन केस में मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट का कहना है कि जब-जब हमने आदेश दिए हैं कि आदिवासियों और फारेस्ट ड्वैलर्स का हक माना जाए, उस बात को कोई राज्य नहीं मानता है, उन्होंने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने थोड़ा काम जरूर किया है। लेकिन जब एविक्शन की बात आती है, जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फारेस्ट छोटी सी चिट्ठी भेज देते हैं कि जो वहां बैठे हुए हैं उन्हें बेदखल किया जाए तब एकदम डंडा चलाकर सबको बाहर कर दिया जाता है। मैं आपको बहुत रूचिपूर्ण बात बताता हूं, सन् 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट ने कहा कि फारेस्ट डिपार्टमेंन्ट को डेड वुड हटाने की परमिशन नहीं है, जो लकड़ी वहां पड़ी रहती है उसे फारेस्ट विभाग नहीं हटा सकता है लेकिन उन्होंने इसका क्या अर्थ लगाया कि कोई भी माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस, कोई भी इकट्ठा करे उसे हटाना मना है। सरकार को जब कोई आदेश आता है तब फारेस्ट डिपार्टमेंट जिस रूप में चाहे उसे मोड़ लेता है लेकिन जब उसके हक की बात आती है तो मैंने आज तक किसी फारेस्ट डिपार्टमेंट को या वाइल्ड लाइफर को इस बात के लिए चिंतित नहीं देखा है कि उसकी जमीन या उसके हक को पूर्ण कर दें और उसके बाद हम पूरे वाइल्ड लाइफ की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज भी कहता हूं कि जिस दिन यह क्रियान्वित हो जाएगा, अगले तीन, पांच या सात साल में आप देखेंगे कि न केवल हिन्दुस्तान का जंगल, जिसमें इतनी गुणवत्ता है, वह बढ़ेगी बल्कि जिन जानवरों की हमें चिंता है कि वह लुप्त होता जा रहा है, शायद इन्हीं आदिवासियों के संरक्षण से इस देश में वापिस आएगा। मैं मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किलों के साथ आपने इस बिल को यहां इंट्रोड्यूस किया है। इसमें दो-तीन चीजें हैं, आप इसें संज्ञान में जरूर रखें और इस अमेंडमेंट को प्रेजेंट एक्ट में लाइए। एक बात यह है कि आपने जो एनटीएफपी की एक्सपेंडेंट डेफिनेशन की है और इस बिल में कहीं न कहीं मना किया है जिसमें छोटे पैथर, ककड़ी, मछली की बात है, मेरा निवेदन है कि उस अमेंडमेंट को छोड़ दीजिए, जैसे वह थी वैसे ही उसे रहने दीजिए। दूसरी बात है शिफिंटग या झूम के बारे में है, पूरे सैंट्रल ईस्टर्न रीजन में यह काम होता है कि कुछ समय के लिए वे गांव में रहते हैं और साल या दो साल के बाद फिर लौट आते हैं, शिफिंटग कल्टीवेशन को ओमिट किया है, इस ओमिशन को मत कीजिए, नहीं तो लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी।

अपराह्न 3.00 बजे

इसमें एक और बहुत छोटी बात ट्रांसपोर्ट के बारे में कही गई है। जनरेशन के बारे में लोगों ने कहा है कि इसे 25 साल करना ठीक नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है, उसमें मंत्री जी जैसे ही आप इससे ट्रांसपोर्ट की बात को हटा देंगे तो जो फारेस्ट गार्ड है, जो हिन्दुस्तान का शायद सबसे ज्यादा दमनकारी अधिकारी है। जो हिन्दुस्तान में दमन का एक सबसे बड़ा नमूना है, यदि सिर के ऊपर एक छोटी सी गठरी लेकर कोई आदिवासी महिला या फारेस्ट ड्वैलर जा रहा होगा तो उसे वह पकड़ लेगा और उसे परेशान करेगा। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप ट्रांसपोर्ट की परिभाषा बदल दीजिए। उसमें आप नॉन-मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट हटा दीजिए, छोटे और बड़े व्हीकल्स हटा दीजिए। लेकिन अगर वह बसों में अगर वह अपने सिर पर या गठरी में कुछ ले जाना चाहे, अपनी बैलगाड़ी में ले जाना चाहे, तो उसे आप उसकी अनुमति जरूर दे दीजिए।

इसके अलावा आपने क्लाज 5 में ई. एक से पांच जो प्रोविजन हटाने की बात की है, मेरा आपसे निवेदन है कि उन्हें भी रहने दें, वे इस बिल के लिए बहुत आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री कैलाश बैठा - उपस्थित नहीं। अब, डा. बाबू राव मिडियम बोलेंगे।

[अनुवाद]

डा. बाबूराव मिडियम (भद्राचलम) : सभापति महोदय, मुझे अवसर, प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। सर्व प्रथम मैं माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री पी.आर. किन्डिया तथा संयुक्त समिति के सभापति, श्री वी. किशोर चन्द्रदेव को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस सभा के दोनो वरिष्ठ सदस्य जन-जातीय लोगो के हितों की रक्षा के लिए यह ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं।

इस विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों' के कथन में यह कहा गया है कि जनजातीय लोग तथा वनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक सच्चाई है। जैसा कि इतिहास से ज्ञान होता है हमारे देश के प्राचीन लोग जन-जाति के थे। उनका मुख्य निवास-स्थल मध्य भारत-राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा थे। ये ऐसे राज्य हैं जहां जनजातीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जनजातीय लोगों के 705 वर्ग है और हमारे देश में लगभग 10 करोड़ जनजातीय लोग हैं। उनकी आजीविका मुख्य रूप से वनों पर आश्रित है। वनों और जनजातीय लोगों में गहरे संबंध हैं और ये लोग वनो में सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजो द्वारा बनाए गए कानून से 1927 का वन अधिनियम या स्वतंत्रता के बाद बनाए गए कानून भी जिन्हे लागू किया गया, वे इन दोनो को अलग करना चाहते हैं तथा जनजातीय लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करते हैं।

वनो का संरक्षण करना वनविभाग का पहला कर्तव्य है। लेकिन आजादी के पिछले 50 या 60 सालो की हमारी प्रथा से यही पता चलता है कि वनो को नष्ट करने या उन्हे कम करने वाला सबसे बड़ा विभाग वन विभाग ही है। इसके अतिरिक्त आजकल कुछ पर्यावरणविद् तथा कुछ लोग जनजातीय लोगों को उनकी झूम खेती के लिए दोषी ठहरा रहे है जैसे झूम खेती ही वनो के विनाश तथा उनकी संख्या कम करने के लिए जिम्मेदार हो। यह सच नहीं है। सूखा तथा कम की वर्षा की घटना वर्षा करने वाले वनो के कम होने के कारण हो रही है।

झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती जनजातीय लोगों की खेती की वह पद्धति है जिसे वे कृषि काल के पूर्व से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खेती के दौरान वे बड़े पेड़ों को नहीं काटते है। वे किसी आरे या किसी ऐसे उपकरण का इस्तेमाल नही करते जिससे वनो के पेड़ काटे जाते हैं।

वे केवल कुछ उपकरणों के प्रयोग से झाड़ियों को साफ करते हैं और वहां कुछ बीज वो देते हैं। इस प्रकार वे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।

इस तरह वे वर्ष में केवल तीन से चार माह तक ही आजीविका प्राप्त कर पाते हैं। झूम खेती किसी आदिवासी परिवार के जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। आदिवासियों का जीवन मुख्य रूप से झूम खेती पर निर्भर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के अधिकारों के अध्याय में झूम खेती करने वालो इन लोगों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाए ताकि वे इस विधेयक को लाभ प्राप्त कर सके। झूम खेतिहर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृषि करने का स्थल यहां से वहां बदलते रहते हैं। वे एक क्षेत्र में एक या दो वर्षों तक कोई उपज उगाते हैं और तीन वर्षों के बाद वे उस क्षेत्र से इतर क्षेत्र में खेती करने लगते हैं। वे इस नए स्थल पर झाड़ियों को साफ करके कुछ न कुछ बो देते हैं और उपज से कुछ लाभ हो जाता हैं वे किसी बड़े वृक्ष अथवा वर्षा-सिंचित वन को नहीं काटते हैं। इसलिए, उनकी जीविका झूम कृषि पर निर्भर है। हमें झूम खेतिहरों की पहचान कर झूम कृषि को उनकी आजीविका साधन के रूप में स्वीकृति देनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में झूम खेतिहरों को शामिल किया जाए।

अब हम झूम कृषि और वनों के विनाश के बारे में विचार करते हैं। यदि हम घने जंगल में जाकर पहले के एजेंसी क्षेत्र अथवा अधिसूचित क्षेत्र में वन ग्राम अथवा राजस्व ग्राम देखें तो हम पाएंगे कि वहां साधारण आदिवासी परिवार निवास करते हैं। हमें उनके घरों में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। हमें सोने की चारपाई नहीं दिखाई देगी। आदिवासी फर्श पर सोता हैं उसके घर में फर्नीचर का कोई सामान नहीं मिलेगा। वनों के बीच निवास करने वाले आदिवासियों की ऐसी दुरवस्था है। यदि वे वनों का उपयोग और दोहन करना चाहें तो वे अपने मतलब के वनों का उपयोग कर सकते हैं और उन्हे अपने लिए आरक्षित कर सकते है, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। यह सदियों से होता आ रहा है परंतु वनों की दुर्गति को वन विभाग द्वारा शह दी जा रही हैं

इस विधेयक के संबंध में मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं। पृष्ठ 2 पर खण्ड 2 (ग) में "वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों"

[डा. बाबूराव मिडियम]

को परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य है "जो मुख्यत: वनों में या वनो से सटी हुई भूमि में निवास करते हैं।" मैं इसमें "वनों से सटी हुई" भूमि जोड़ने का सुझाव देता हूं। पृष्ठ 3 पर यह कहा गया है "ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के, पत्थर स्लेट और बाउलडर्स जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली और अपतृण सम्मिलित है का लेप करे..." परंतु मैं उन्हें हटाने के लिए न कहकर उन्हें लघु उत्पाद में रखने के लिए कहता हूं। पृष्ठ 8 पर खण्ड 6(1) में "उस शर्त का संकल्प" के बाद "इस अधिनियम के अंतर्गत लाभग्राही भू धारकों की सूची" शब्द जोड़ें।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि, ग्राम सभा को इस अधिनियम के अंतर्गत लाभग्राहियों का निर्धारण करने का पूरा-पूरा अधिकार दिया जाए। मैं चाहता हूं कि समिति के स्तर पर ग्राम सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाने वाली समितियों के विभिन्न स्तरों पर उन लोगों को सम्मिलित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मैत्र (बगहा) : सभापति महोदय, मुझे दूसरी बार सदन में बोलने का मौका मिला है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आजादी के इतने दिनों बाद समाज में अन्तिम पायदान पर रहने वाले लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनकी मुसीबतों की तरफ आज ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री जी जो यह विधेयक लाए हैं और संसदीय समिति ने जो जनजातीय समुदाय की तमाम समस्याओं को छुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, जंगल में जनजातीय लोगों के अलावा गैर-जनजातीय लोग भी रहते हैं जिन्होंने आज तक जंगलों की रक्षा की है। इस सब के बावजूद आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। जंगल से बड़ी-बड़ी जंगलें से लकड़ियां बाहर चली जाती हैं लेकिन जनजातीय लोगों को अपनी बेटी की शादी के फर्नीचर के लिये लकड़ी नहीं मिलती है जिसे वह अपनी बेटी को उपहारस्वरूप दे सकें। जंगल ही इन लोगों की जीवकोपार्जन का साधन है।

सभापति महोदय, बिहार राज्य में गांधी जी की कर्मभूमि पश्चिमी चम्पारण में टाइगर प्रोजैक्ट में जनजातीय लोगों को जो अधिकार मिला हुआ था, उसे छीन लिया गया है। इसके अलावा जंगल में पेड़ों के पत्तों से आदिवासी पतरौल बनाकर अपना गुजारा करता था, उससे भी उसे वंचित कर दिया गया है गरीब जनजातीय लोग सूखी लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करता था, उससे भी उसे वंचित कर दिया गया है। आज जनजातीय व्यक्ति को हजारों गलत मुकदमों में फंसाकर रखा गया है। अधिकारी लोग समय पर कोर्ट में नहीं आते हैं लेकिन आदिवासी लोग जाकर लौट आते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय, जंगल की लाखों एकड़ जमीन है जिन पर वन नहीं हैं। परम्परागत तरीके से आदिवासी लोग जमीन जोता करते थे लेकिन वनाधिकारियों के जाते ही आदिवासियों को जमीन छोड़ने के लिये विवश किया जाता है। अगर कुछ आदिवासी लोग उन वनाधिकारियों की सेवा करते हैं तो वहीं जमीन फिर आदिवासी जोतते हैं। नेपाल की सीमा से लगे हुये जंगलों को चार भागों में बांटा जा सकता है जहां आदिवासी मूल के लोग रहते हैं। उन लोगों की जमीन छीने जाने से ये लोग माओवादी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ आदिवासी वहां से पलायन भी कर रहे हैं। इसलिये माओवादी गतिविधियों का खतरा हमारी सीमा पर बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि हजारों-हजार लोग रोजी-रोटी की तलाश में पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों में भटक रहे हैं वनाधिकारियों और माओवादी लोगों के बीच सांठ-गांठ से सारा जंगल उजड़ गया है। जिन लोगों ने वनों की रक्षा की, वे भूखों मर रहे हैं।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के निचले तबके के लोगों के बारे में सोचा है और यह विधेयक लेकर आये हैं जिसका मैं स्वागत करता हूं। संयुक्त संसदीय समिति ने जिन सिफारिशों को दर्शाया है, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। जिन आदिवासियों ने सूखी लकड़ी ली और उन पर मुकदमा चल रहा है, वे लोग अपना माल-मवेशी बेचकर मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें इन गलत मुकदमों से बरी किया जाये। सरकार समाज के गरीब तबके के प्रति सचेष्ट है, उसके लिये मैं सरकार को लाख-लाख बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर प्रभु (नीलगिरि) : सभापति महोदय मुझे बारी से कुछ पहले ही बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं सटीक और सारगर्भित ढंग से अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा।

वन-अधिकार संबंधी इस विधेयक को लाने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि यह उन कुछ विधेयकों में से एक

है जिन्हें, भिन्न राजनैतिक अभिमतों के बावजूद, पूरे सदन का समर्थन मिल रहा है हमारे विशाल देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में—फिर चाहे किसी राज्य विशेष के अलग-अलग हिस्सों में ही सही-कदाचित् कतिपय जनजातियों और समुदायों को अनुसूचित जनजाति मान लिया गया है और ऐसी ही पृष्ठभूमि के अन्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना गया है। इसी कारण सरकार यह संशोधन लाई है जिसके अनुसार परंपरागत रूप से वन में रहने वाले निवासियों को भी इसकी परिधि में ले आया जाए।

मैं थोड़ा अतीत की बात करूंगा। यह विधेयक गत वर्ष दिसंबर में पुर:स्थापित किया गया था और इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था जिसके सभापति, आंध्र प्रदेश वासी मेरे मित्र श्री किशोर देव थे। मेरा निवेदन यह है, महोदय, कि मैं इस विषय से जाती तौर पर जुड़ा हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों ने मेरे पास आकर इस आशय के अनेक प्रमाण और अभिलेख प्रस्तुत किए कि वन में रहने वाली अन्य जातियों, खासकर अनुसूचित जातियों और अत्यंत निर्धन तबके, को भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाए।

अब मैं मुद्दे पर आता हूं। इस संशोधन में क्र.सं. 7 के तहत, कहा गया है कि 'अन्य पारंपरिक वनवासी' का आशय किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय से है जो 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व, कम से कम तीन पीढ़ियों से उस क्षेत्र विशेष में रहता हो। फिर आगे उसमें पीढ़ी की परिभाषा देते हुए उसे 25 वर्षों की कालावधि से इंगित किया गया है। मैंने पीढ़ियों का काल दस-पंद्रह साल तो निर्धारित होते सुना है, लेकिन यदि एक नई परिभाषा लाकर इसे 25 वर्ष कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि-तीन पीढ़ियों से निवास करता हो- तो इस तरह हम 2005 से 75 वर्ष पीछे पहुंच जाएंगे; अर्थात् स्वतंत्रतापूर्व के काल में। अब स्वतंत्रतापूर्व की किसी स्थिति का हम यहां बैठकर विधायन कैसे कर सकते है? मुझे तो लगता है कि जैसे यह छपाई की गलती हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से इसे कृपया पुन: देखने का आग्रह करूंगा। यदि यह वाकई छपाई की गलती है तो फिर सुधारना आसान है। कृपया विचार कीजिए और पीढ़ी का काल 10 या 15 वर्ष निर्धारित कीजिए, तो यह अधिक उपयुक्त परिभाषा बनेगी। हमें स्वतंत्रताकाल से परे जाने की जरूरत नहीं है

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में भी भारत के अन्य हिस्सों की तरह स्थिति है और दो समस्याएं हैं: एक तो वह समस्या जो हमारे यहां 'जन्मम' भूमि से जुड़ी है, जो नीलाम्बूर के महाराजा परिवार की संपत्ति थीं और अब मलाबार संपत्ति अधिनियम के तहत केरल के स्वत्वाधिकार में है। उनके पास लगभग "लाख हेक्टेयर वनभूमि है। 1969 में तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार ने 'जन्मम' अधिनियम को समाप्त करने वाले विधान लगभग साथ-साथ पारित किए। इस तरह से यह भूमि सरकार की हो गई। केरल ने तो अपने हिस्से की भूमि वन विभाग को सौंप दी लेकिन तमिलनाडु में इसको लेकर कुछ संभ्रम हुआ और कुछ भूक्षेत्र राजस्व विभाग को और कुछ वन विभाग को सौंपा गया। 1969 में यह अधिनियम आने के पूर्व बहुत से वनवासी यहां रहते थे, उनमें से कुछ को महाराजा की ओर से पट्टे पर भूमि दी गई थी कि वे पट्टेदार के रूप में वहां रहकर जीवन-यापन करें। कुछ लोग जो पीढ़ियों से राजपरिवार की सेवा में थे उन्हें भी गुजर-बसर के लिए कुछ भूमि दी गई थी। 1969 के बाद इस भूमि का निर्धारण तमिलनाडु में एक बड़ी समस्या बन गया कि यह वन भूमि है, राजस्व विभाग की भूमि है या कुछ और है। 1981 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दी गई और न्यायालय ने निदेश दिया कि समाप्त 'जन्मम' संबंधी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि धारा 17 में वर्णित परिभाषा के अंतर्गत है और उक्त सभी जन राज्य सरकार को आवेदन करें; राज्य सरकार इन सभी आवेदनों की समीक्षा करे और तय करे कि यदि ऐसा दो-तीन पीढ़ियों से चल रहा हो तो उन लोगों को पट्टे दे दिए जाएं। इस बीच कई राज्य सरकारें आई-गईं लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज पारित होने वाले इस विधेयक से इन सभी लोगों-अनुसूचित जातियों और इनसे भी बदतर स्थिति में पड़े लोगों, अनुसूचित जातियों तथा अत्यंत गरीब लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे।

महोदय, इस सिलसिले में साठ के दशक में एक और समस्या आई-हरित क्रांति की। उस समय काफी बंजर भूमि और अन्य चारागाह थे जो वन या राजस्व विभाग से नहीं जुड़े थे बल्कि यह समस्त भूमियों ही बेकार पड़ी थी। आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों को इस भूमि पर लाकर अधिकाधिक खाद्य उपजाने को कहा गया। उन्हें उत्साहित किया गया। फिर इन गरीबों ने उस भूमि में मेहनत की, अन्न उपजाया, फसले खड़ी की और फिर अचानक बन विभाग ने उन्हें वहां से निकल जाने का आदेश दिया। जब श्री दीक्षित बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जंगलों पर कब्जा जिन अमीरों का है उन्हें निकाल बाहर नहीं किया गया, केवल गरीबों को निकाला जा रहा है। यह एक सच्चाई है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यही नहीं, एक और समस्या है कि इन बंजर और चारागाह के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमियों को 1970 में तमिलनाडु सरकार ने गलत ढंग से 'वनभूमि' के बतौर वर्गीकृत किया। अब हम इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं कि आपने इनका वर्गीकरण ही गलत किया

[श्री आर. प्रभु]

है। इसलिए कृपया इसे देखिए। फिर, अधिकारी आए लेकिन वे स्थल पर नहीं गए। वे अतिथि-ग्रह में ही ठहरकर वर्गीकरण का प्रयास करते रहे।

महोदय, भारत भर में एक चीज तो एक सी है, भले ही हमारे रहन-सहन, रीति-व्यवहार या खान-पान भिन्न-भिन्न हो। यह कि वन विभाग के कर्मचारियों की उच्छृंखलता देश में सभी जगह एक सी ही है। उनका व्यवहार ऐसा होता है मानो वे खुद ही कानून हों और राज्य या केन्द्र सरकार का उनपर कोई नियंत्रण न हो।

महोदय, अनुमति दें तो मैं किसी का नाम लिए बगैर एक उदाहरण बताता हूं जिससे स्पष्ट होगा कि वे लोग किस हद तक दुर्व्यवहार करते हैं। आपको विदित है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को वजह से देशभर में जिला ग्रामीण विकास समितियां बनी हैं और मुझे ऐसी दो समितियों का सभापति होने का गौरव मिला है। जब भी मैंने बैठक की तो पाया कि वन विभाग के कर्मचारी कभी भी इन बैठकों में नहीं आते। हमने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वे नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर, आखिरकार अंतिम बैठक में वे पधारे। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि वे आए थे। जनप्रतिनिधियों विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ ऐसी बात कह रहे थे कि ग्रामीण इलाकों की वन्यभूमि को गलत ढंग से वर्गीकृत करके वन विभाग वहां से लोगों को अनुचित तरीके से हटा रहा है, इत्यादि।

इसलिए, यह व्यक्ति बैठकों में कुछ नहीं कहता। मुझे अथवा जिला कलेक्टर को कुछ नहीं बताता है। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को पत्र लिखता है, जिसमें यह उल्लेख होता है बैठक में कि चेयरमैन और जिला कलेक्टर तथा प्रत्येक व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तथा मुझे मान-सम्मान के साथ जीवित रहने दें। इस अधिकारी की आयु केवल 28 वर्ष है तथा उसने पहला पद धारण किया है। परंतु वह इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। इसलिए, आप अंदाजा लगा सकते है कि वनवासियों के साथ ये अधिकारी किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। इसलिए, यह व्यापक विधेयक, जिसे आज सभा के समक्ष रखा गया है, वनवासियों चाहे वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति में, आदिवासी हों या कोई और के लिए बड़ा वरदान है।

समग्र विकास का यही अर्थ है। पण्डित जी के दिनों से लेकर जबसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई हम यह कहते आ रहे है कि देश में समग्र विकास होना चाहिए। परंतु जब तक हमारे गांव के, जनजातियों के तथा गरीब लोगों का समाज के दूसरे लोगो द्वारा उत्थान नहीं किया जाता तब तक इस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। हम 8.7 प्रतिशत विकास दर की बात कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 8.7 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इसका औसत निकालें तो यह 8.7 प्रतिशत नहीं होगी। इसलिए, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम 5 से 6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए, उस दिशा में यह एक बड़ा कदम है और हम इन लोगो को मान सम्मान के साथ जीने का तथा उनकी लघु जीविका बनाए रखने का अधिकार देंगे, ताकि वे अपना गुजर बसर कर सके।

मैं सरकार, विशेषरूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अन्य वन निवासियों को भी सम्मिलित करने में अत्यधिक रूचि दिखाई। मैं हमारे प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देता हूं। मैं पूर्णरूप से इस विधेयक का समर्थन करता हू।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। वाकई में माननीय मंत्री जी इस विधेयक को सदन में लाने के लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं जैसा कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिस ट्रेन में चढ़ने से रह गए, उन्हें उसमें चढ़ाकर दुबारा विकास यात्रा पर ले जाने की तैयारी हो रही है, यह बिलकुल सत्य है। हमारे माननीय वक्ताओं ने कहा है कि जंगलों को जो मैनेजमेंट हो रहा था, उनका माइंडसैट कहीं न कहीं ब्रिटिश माइंडसैट था। जिसके कारण, जिस तरह से जंगलों को मैनेज किया जा रहा था और उसके कारण जितने व्यक्ति जंगलों के बीच में फंसे हुए थे, वे बहुत परेशान हो रहे थे। यह एक ऐतिहासिक भूल का सुधार हुआ है और सच्चाई तो यह है कि वन विभाग के जो कर्मचारी रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका रहा है, आज उनकी जो असंवेदनशीलता है, उसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे हिन्दुस्तान ने दी है और जहां-कहीं भी जनजाति के लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां पर इतना जबरदस्त वन अधिकारियों ने शोषण किया है, इतने मुकदमें कायम किये हैं कि जनता के बीच में एक रोष व्याप्त हो गया है और नोर्थ ईस्ट में भी और हिन्दुस्तान के दूसरे क्षेत्रों में, जहां-कहीं भी जब सीमा के बाहर दमन हुआ है, वहां पर नौजवानों ने बन्दूकें उठा ली हैं और हमारी दृष्टि में ट्राइबल भी गलत

रास्ते पर निकल पड़े हैं और आज सरकार चिन्तित हो गई है कि कैसे हम उनको मुख्य धारा में लायें। यहां पर मैं इस बात को खास तौर पर दोहराना भी चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है कि पिछले वर्षों में आज जब हम इस बात को तय कर रहे हैं कि हमारे सभी जनजाति के साथी, जो कि हमारी आजादी के आन्दोलन में भी साथी रहे हैं, हिन्दुस्तान की आजादी में भागीदार रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो इस बीच में जो भी मुकदमे उन पर कायम हुए हैं या जो भी प्रोसीक्यूशन की उनकी कार्रवाई उन पर हुई है, उसको वापस करने की भी कार्रवाई वैधानिक रूप से उन पर होनी चाहिए।

मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं खाली कुछ मुद्दों की बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जब जमींदारी खत्म हुई, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे तो भारत सरकार इस दबाव में काम कर रही थी कि हमको करीब 25 परसेंट या 30 परसेंट या एक तिहाई भूखण्ड, जमीन हमको जंगल में बदलनी है, इसलिए जब जमींदारी खत्म हुई, तो बहुत से काश्तकार तो जान भी नहीं पाये कि कब सैक्शन चार की कार्रवाई हो गई, सैक्शन पांच की कार्रवाई हो गई, सैक्शन 20, जो कि फाइनल एक्वीजीशन होता है, वे जमीनें सब जंगल में निहित कर दी गई। आज भी वहां पर खेती हो रही है। वे निवासी, जो आज से नहीं, 100 साल से, 150 साल से उन जमीनों पर पल रहे थे, वे खेती कर रहे हैं। वहां जंगल नहीं हैं, हमने बहुत से मामले भारत सरकार को दिये, माननीय राष्ट्रपति जी के यहां भी अपील की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बहुत तनाव उन क्षेत्रों में व्याप्त रहा। मुझे यह उम्मीद है कि जिस तरीके से वे जमीनें नोटीफाई कराई गई थीं, मेरे अकेले जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग 24 गांव हैं, जहां कम से कम 25 हजार आबादी रहती है, जो बकायदा खेती कर रहे हैं, वे जमीनें फोरैस्ट लैंड के तौर पर नोटीफाइड हैं और समय-समय पर वहां से एविक्शन की कार्रवाई वन विभाग के कर्मचारी भारी संख्या में पुलिस लेकर आते हैं और उनको निकाल कर बाहर करते हैं और जैसी कि सच्चाई है कि वह कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे, अज्ञात कारणों से रूक जाती है और लोग वहां पर आज भी कायम हैं। हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का कारण, भ्रष्टाचार का जो कारोबार है, उस बीच में फल-फूल रहा है और किस तरह से जनता का शोषण किया जा रहा है

ट्राइबल तो बहुत ही कमजोर रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनके आगे बढ़ने का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। निश्चित रूप से आज वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके जो तौर-तरीके हैं, जितने असंवेदनशीलतापूर्ण व्यवहार उनके साथ में हो रहा है, वे भी तो बहुत ही ज्यादा शोषण के शिकार रहे हैं। मुझे इस बात को महसूस करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह जो वन ग्रामसभाएं हैं, इनको पंचायत का अख्तियार दिया जा रहा है और निश्चित रूप से इसमें सबसे अहम बात यह है कि खाली ट्राइबल ही नहीं, जो दूसरे लोग, जो दलित जातियों के लोग हैं या पिछड़ी जातियों के लोग हैं या दूसरे लोग भी हैं, वे लम्बे समय से ट्राइबल्स के बीच में रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं या जिन्होंने ट्राइबल लड़के-लड़कियों के साथ शादी की है, उनसे संबंध बन चुके हैं, उनको भी इस बात में आपने अख्तियार दिया है, यह एक अच्छी बात है और निश्चित रूप से मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत के माध्यम से जो पंचायती योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए जो विकास की योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए यह एक अच्छा उपक्रम खड़ा हो गया है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये जंगल के निवासी, वन निवासी हैं, इनकी जो सामाजिकता का स्तर है, जो ह्यूमन डैवलपमेंट इंडीकेटर्स हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनके रोजगार का स्तर, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर है, उसमें सुधार हो सकेगा।...*(व्यवधान)* मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ मामले हैं, जिनको मैं उठाना चाहता हूं। उन सभी मामलों को इस कानून के माध्यम से मदद मिल सकेगी। मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 134 गांव ऐसे हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास हैं या हमारे जो वन विभाग का जो खीरी नार्थ डिवीजन और साउथ डिवीजन है, उसके पास जंगल के बीच में हैं। ये सभी गांव भी वन ग्राम हैं। सच्चाई तो यह है कि इनके बीच में जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके तौर-तरीके के कारण और उनकी समस्याओं के कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है। मैंने सरकार को भी इस बारे में लिखा था और मैंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया कि जो करेंट मारने वाली फेंसिंग होती है, वह जंगल तथा गांव के मध्य लगा दी जानी चाहिए। करीब 134 जो गांव है, अगर उनमें यह कार्य हो गया होता, तो जो टकराव की स्थिति बनी, वह रूक सकती थी। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में पंचायती राज के माध्यम से वन के निवासियों की जिंदगी और रहन-सहन की स्थिति को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा और हम इस कार्य को जल्दी कर पायेंगे।

मैं सैंक्चुअरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां कहीं भी अभ्यारण्य बने हुए हैं, वाईल्ड लाइफ सैंकचुअरी बनी हुयी है और हमारे

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

यहां भी प्रोजेक्ट टाइगर दुधवा नेशनल पार्क है, वहां जो मैनेजमेंट हुआ है, उसमें इंसानों को बहुत ही निचला स्थान दिया गया है। जबकि सच्चाई है कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति के भाई और बहनें हैं, यह उस ईको सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये आज से वहां नहीं है, हजारों साल से उसी पर्यावरण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह बात बार-बार कही गयी है और मैं समझता हूं कि पहले भी यह बात उठायी जा चुकी है कि जो वन उत्पादों का कारोबार करने वाले लोग हैं, यह नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया गया है। अगर किसी सैंक्चुअरी में शेर मर रहे थे, तो इसलिए नहीं मर रहे थे कि वहां लोग मार रहे थे, बल्कि दिल्ली में कोई संसार चंद बैठा हुआ था। जो उनको मार रहा था, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। हमारे यहां सुरमा एक ग्राम सभा थी, वहा थारू जनजाति के लोग रहते हैं। उन्हें वहां से बाहर निकालने का उपक्रम किया गया था, आज बीस-पच्चीस साल हो गये हैं, न तो उनके लिए मकान बना कर दिए गए हैं, न उन्हें बसाने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन अब उनको उजाड़ने की तैयारी हो रही है। मैं समझता हूं कि जो नया कानून बना है, उसमें इस पूरी स्थिति को पूरी समग्रता के साथ देखा जाएगा। जो वहां के निवासी हैं, उनको अगर बाहर निकालना है, उन्हें कहीं बसाना है, तो पहले उनके लिए आवास और जमीन का पुख्ता इंतजाम मुहैय्या हो, उसके बाद ही उन्हें वहां से हटाने का प्रावधान कराया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात वन अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। वन अधिकारियों का यहां निवास करने वाली जनजातियों से बहुत ही सीधा रिश्ता अतीत में भी रहा है और आगे भी रहेगा। इनका जो रवैया और तौर-तरीका है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि एक स्पेशल कैडर की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। जिससे वे ज्यादा संवेदनशील होकर जो नया बायो डाइवर्सिटी एक्ट बना हुआ है, उसकी स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे वन के निवासी हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बना सकें। मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारी फारेस्ट मैनेजमेंट की प्रणाली है या जो भी अफिलिएट अथारिटीज इसके अंदर हैं, वे बहुत ही संवेदनशील होकर, जो जमीनी मुद्दे हैं और जिस तरह से इंसान के लिए संविधान में वर्णित किया गया है "राइट टू लिव डिग्निटी," उसके अनुसार एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार उनको दे सकेंगे।

इस बिल को लाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक नामक इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करता हूं।

परंतु मुझे हैरानी है कि मैं कहां से आरम्भ करूं क्योंकि अंतिम क्षेत्र में अनेक संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं। इसलिए मैं अत्यंत भ्रमित हूं। पिछले दो वर्षों से हम इस विधेयक की रूपरेखा और क्या हो, इस संपूर्ण वाद-विवाद तथा चर्चा का अभिन्न अंग रहे हैं। परंतु अचानक, अपराह्न लगभग एक बजे जब ये संयोजन प्रस्ताव लाए गए तो मैं अत्यंत भ्रमित हो गया तथा इसकी कुछ धाराओं को समझ नहीं पाया। अंतिम क्षण मे अचानक बड़े पैमाने पर उलट-फेर किया गया। परंतु, मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और मूर्तरूप ले पाया है। व्यक्तिगत रूप से भी, मैं माननीय मंत्री महोदय का सम्मान करता हूं तथा सभा में यह विधेयक लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं

[हिन्दी]

इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उनके बारे में बोलना जरूरी है। हमारे कुछ सदस्यों ने गुजरात और बाकी राज्यों के बारे में कहा। मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री से कहना चाहूंगा कि जब आप गुजरात को देखते हैं तो आपकी दृष्टि ठीक है, लेकिन जब पूर्वोत्तर को देखते हैं तो आपको चश्मा बदलकर देखना पड़ेगा क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है। हर जगह के जंगल, जमीन और वातावरण अलग-अलग हैं। कानून भी वहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। इस देश में तकरीबन दस करोड़ ट्राइबल्स हैं। आजादी के बाद अब जो बिल लाया जा रहा है, यह उनके लिए बहुत बड़ा जीवन दान है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलेगा, वह ऐतिहासिक होगा। कई जगह कहा गया कि ट्राइबल्स ऐनक्रोचर्स हैं। लेकिन इस बिल के एम्स एंड ऑब्जैक्टिव्ज में मंत्री जी ने कहा है कि - जनजातियां एवं वनों को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं इसे मानता हूं। ट्राइबल्स से ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि जंगलों की रक्षा कैसे होनी चाहिए। इसे आदिवासी ही समझ सकते हैं क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, उसी के साथ पले-बढ़े हैं। इसलिए जब उन्हें एनक्रोचर्स का

टाइटल दिया जाता है तो इसे लोग गलत तरह से समझते हैं। उन्हें अधिकार देने के साथ-साथ उसमें जिम्मेदारी का प्रावधान होना चाहिए। मैं इस हाउस में क्लीयरली कहना चाहूंगा कि ट्राइबल लोगों में भी लोभ आ गया है। ट्राइबल लोगों में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो पैसे कमाने के लिए जंगलों को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए बिल में ऐसे प्रावधान भी रखने चाहिए जिससे राइट्स का ऐब्यूज और मिसयूज न हो। जब हम पूर्वोत्तर की बात कहते हैं, आपको डैडलाइन देनी चाहिए कि उन्हें कब से मान्यता मिलेगी। इसका निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बांगलादेश के जितने इल्लीगल माइग्रेंट्स पूर्वोत्तर, खासकर आसाम से आ रहे हैं, यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम ऐसे छूट दे देंगे जिसका भरपूर फायदा बंगलादेश से आए हुए इललीगल माइग्रेंटस उठाएंगे, तो यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बचपन में हम जिस रास्ते से जाते थे, वह बिल्कुल खाली था। हम कहीं भी रूककर आराम से खाना-पीना खा सकते थे और बैठ सकते थे। आज वह जगह पूरी औकूपाई हो गई है। उसे औकूपाई करने वाले कौन हैं? उसे औकूपाई करने वाले भारत के पड़ोसी नहीं हैं बल्कि ज्यादातर लोग बंगलादेश से आए हुए हैं। कानून बनाते समय इस बात की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

मंत्री जी, आप पूर्वोत्तर राज्य से आते हैं। आपको ज्यादा विस्तार से इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको इस बात का एहसास है। आपने जो कोर एरियाज की बात कही है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व फॉरैस्ट किसी जमाने में डिक्लेयर किया गया है, अंग्रेज डिक्लेयर करके गए हैं। वहां की डीमारकेशन की कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि पूरा फॉरैस्ट एरिया रिजर्व कर दिया गया है। वहां जो लोग रहते हैं, उन्हें अधिकार नहीं है। पंचायत आदि बन गई, फिर भी कहा जाता है कि आपको जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि यह रिजर्व फॉरैस्ट एरिया है। कहीं न कहीं इनवायरनमैंट फॉरैस्ट मिनिस्ट्री से ट्राईबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वार्ता होनी चाहिए, यह तय होना चाहिए कि कौन सा रिजर्व फॉरैस्ट एरिया है। हमने उसे रिजर्व फॉरैस्ट एरिया मानने की सहमति नहीं जताई थी। अंग्रेजों के जमाने में अपने आप उसे डिक्लेयर किया गया। उसे हमें मानकर चलना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इसकी डैफीनेशन होनी चाहिए। मंत्री जी, कानून बनाते समय आप इस पहलू को भी नजर में रखिए। जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल लोगों के एरियाज में रिसोर्सेज हैं, वह देश के हित में जा रहे हैं। जनजातियों द्वारा संशोधनों की रक्षा किए जाने के कारण देश ने अपने आपको समृद्ध बना लिया है। ट्राइबल लोगों ने देश के लिए यह बहुत बड़ा काम किया है। उस ट्राइबल एरिया में जब कोई परियोजना बनती होती है, कोई बड़ा प्रौजेक्ट बनता है, उस समय लोगों को जो डिसप्लेसमैंट होता है, उसके लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन यानी रीसैटलमैंट का जो पैकेज है।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी अभी हमारी पार्टी के और कितने मैम्बर्स बोलने वाले हैं?

सभापति महोदय : अभी आपके छः माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप थोड़ा समय का ध्यान रखिये।

श्री कीरेन रिजीजू : मैं समय का ध्यान रखकर ही बोल रहा हूं। उस परियोजना के तहत रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ट्राइबल्स लोगों को मिलना चाहिए। उसका जिक्र इस बिल में नहीं किया गया है। आगे चलकर इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसलिए इसको अभी ही क्लीयर कर लेना चाहिए। यदि आप इसे लागू करेंगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हिन्दुस्तान का 50 प्रतिशत हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी अकेले हमारे प्रदेश में है। सबसे ज्यादा हमको नुकसान होने वाला है। लेकिन हमें बिल लाने से खुशी है। हम इसके लिए तैयार हैं। हम परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। हमारे यहां गांव में रहने वाला आदिवासी जो उस, खेती जमीन पर निर्भर करता है, उसकी जमीन जब उस परियोजना में डूब जायेगी, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आपको पूर्वोत्तर का बहुत अच्छा ज्ञान है इसलिए आप मेरे से सहानुभूति जतायेंगे और मुझे दो-तीन मिनट एक्स्ट्रा बोलने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बिल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की गयी है। पूर्वोत्तर में करीब-करीब झूम कल्टीवेशन है। वहां यह बहुत जोर से चलता है। इस बारे में हमारे कुलीग्स ने कहा है। मंत्री जी को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे मेघालय से आते हैं। आपको इस बारे में मालूम है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में जो कमेटी बनायी गयी, उसमें सबसे ज्यादा महत्व ग्राम सभा को दिया गया। आपने यह भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। अब मेरा सवाल यह है कि उस कमेटी का हैड कौन होगा? ग्राम सभा तो उस जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके किसी निर्णय को अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लैवल की कमेटी, उसके आगे स्टेट लैवल कमेटी है, लेकिन मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का डिसीजन फाइनल है। इसलिए हमारा कहना

[श्री कीरेन रिजीजू]

है कि उसका हैड नौकरशाही से न होकर जन-प्रतिनिधि होना चाहिए, नहीं तो वे लोगों की रक्षा नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ आपने बिल के अमैंडमैंट में, जो पेज-7, लाइन 28 में है कि चार हैक्टेयर की लैंड सीलिंग की बात कही गयी है। मेरा मानना है कि यह बहुत कम है। हमारे यहां चार हैक्टेयर की लैंड बहुत कम है। इसमें हम कुछ नहीं कर पायेंगे। हम जिस तरह से जीवन जीते आये हैं, उससे चार हैक्टेयर से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। हमारी आपसे मांग है कि इस पर विचार करके इसे बदलना चाहिए।

आखिर में जैसे मैंने पहले कहा, उसको जोड़कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जंगल, जमीन और आदिवासी तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आदिवासी खुद ही जंगल काट रहे हैं। कहीं-कहीं लोग हन्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं।...*(व्यवधान)* मेरे साथ जो साथी बैठे हैं, उनसे मेरे मतभेद हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा .... *करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं बहुत शांतप्रिय आदमी हूं। मैं नहीं करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसको काट दीजिए। यह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : आपने कहा, तो उन्हें मानना पड़ेगा। मेरा मंत्री जी से कहना है कि हन्टिंग को रोकना पड़ेगा। अगर जंगल रहेगा तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। अगर जंगल नहीं होगा तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा।

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : माननीय सभापति महोदय, श्री पीआर किन्डिया जी ने जो बिल पेश किया है, उसका मैं और हमारी बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है। आजादी के 59 साल बीत जाने के बाद आज यह काम हुआ, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को आपाके माध्यम से मुबारकबाद देता हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

बंजारों की शक्ल में खानाबदोश जिन्दगी जीते हैं, उनके अधिकारों को सफल बनाने का प्रयास इस बिल में किया गया है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं कि उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाने, बच्चे जो अभी तक शिक्षा से वंचित रहे हैं, आने वाले समय में उनको शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। उनके बच्चों जो अभी तक कुपोषण के शिकार होते थे, जिनमें बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलती थीं, टीके नहीं लगते थे, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी, उनको अब चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उससे अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनको पानी, बिजली आदि सुविधाएं मिलेंगी और सारी योजनाएं उन तक पहुंचेगी और उन्हें लाभ होगा। अगर उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है तो उनके साथ इंसाफ करना होगा वरना उनकी जो बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में है, अगर उनको काटकर देश का विकास करना चाहें तो वह इम्पॉसिबल होगा। उत्तर प्रदेश में और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तरांचल में हमने देखा है कि ये लोग बंजारों के रूप में इधर से उधर जाते हैं, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल और तन पर कपड़े नहीं होते हैं, ठंड से ठिठुरते रहते हैं। एकाध भैंस, बकरी, कुत्ते वगैरह लेकर वे टहलते रहते हैं। उनका जीवन खानाबदोश जिन्दगी होती है। आदिवासी, दलित और जनजातीय लोगों के साथ इंसाफ तभी होगा जब तक उनके दर्द को समझेंगे। अगर हम उनके दर्द को नहीं समझेंगे तो अभी आजादी के लगभग 59 साल बीते हैं, सैकड़ों साल और बीत जाएंगे, मगर हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम जब उनका दर्द समझेंगे और एक पॉजिटिव सोच होगी तभी हम उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ पाएंगे।

अभी हमारे साथी माननीय सदस्य ने कहा कि असम में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग आते हैं। हम इसे मानते हैं कि हमारे देश में कुछ बांग्लादेशी लोग आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस देश के मुस्लिम समाज को ही बांग्लादेश कहकर उन पर शक किया जाए तो यह गलत होगा। हिन्दुस्तान में वर्ष 1857 से लेकर बहुत से लोगों ने खून बहाया, हो सकता है कि वे भी उन लोगों में से हों और उनको हम बांग्लादेशी कहकर कहीं निकाल न दें। इसलिए, इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा कभी ऐसा न हो कि हमारे देश के जो मूल निवासी मुसलमान हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाए। मैं यह मानता हूं कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान है, जो जंगलों में पड़े हुए हैं, जो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : भारत के मुसलमानों का कोई भी विरोध नहीं करता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : स्वाई जी, आप बैठिए, आप की ही बात को उन्होंने भी कहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। मैं कुछ ही मिनट का समय लेना चाहता हूं। मैं केवल कुछेक मुद्दे ही उठाना चाहता हूं।

महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यह पहले ही काफी हो चुका है। बंगाली साहित्य में, हम सजीव चन्द्र द्वारा लिखित एक वाक्य से अत्यंत परिचित हैं। यह बंगाली में है, जिसमें यह उल्लेख है. "बनयेरा बने सुंदर, शिसुरा मातृ क्रोड़"

इसका अर्थ है "वन वासी वन में ही प्रसन्न रहते हैं तथा बच्चे अपनी मां की गोद में प्रसन्न रहते हैं।" वनवासियों और वनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनवासियों की मदद के बिना, वनों को संरक्षित नहीं किया जा सकता तथा वनों के बिना वनवासियों का जीवन नहीं चल सकता। परंतु औपनिवेशिक शासन ने इस वास्तविकता की अनदेखी ही नहीं की बल्कि उन्होंने वन-वासियों के अधिकार छीन लिए, विशेषरूप से जनजातीय लोगों तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के अधिकारों को छीना। बंगाल, उड़ीसा तथा कुछ अन्य राज्यों में हम ब्रिटिश राज के तथाकथित स्थायी बंदोबस्त से भली भांति परिचित हैं, जिसने जनजातियों तथा अन्य वनवासियों के अधिकार छीन लिया। इसलिए, इतिहास में विद्रोह को व्यापक स्थान दिया गया हैं सोनोटल विद्रोह, पेक विद्रोह तथा चुरूर विद्रोह को हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट स्थान दिया गया है तथा स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद हम उसी प्रथा का निवर्हन कर रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय तथा संप्रग सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसमें जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार देने का प्रावधान है। यह विधेयक आजादी के 59 वर्ष बाद लाया गया है। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है तथा इसलिए, मैं हृदय से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

संशोधन के अनुसार विधेयक में वनों में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार देने का प्रावधान किया गया है जिनके पास 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि थी। इस विधेयक के अनुसार, एक वनवासी परिवार अधिकतम 2.5 एकड़ वन भूमि पाने का हकदार होगा। इस विधेयक में उनके लिए विशेष वन अधिकारों का भी प्रावधान किया गया हैं ग्राम सभा को पात्र व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति दी गई है। मैं इन सभी प्रावधानों का स्वागत करता हूं।

इसलिए, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछेक मुद्दों पर माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि 'परम्परागत वन वासी' की परिभाषा में 'निवासी' जो वन भूमि के समीप निवास करते हैं तथा मुख्य रूप से वन भूमि पर निर्भर करते हैं, शब्द सम्मिलित किए जाएं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तथा कोई सकारात्मक बात कहेंगे। तत्पश्चात्, उन वर्गों के समुदायों के हितों, जो जीवित रहने तथा अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं परंतु वनवासी नहीं है, को भी इस विधेयक के अधिकारक्षेत्र में लाया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक में अंतिम तिथि तो विनिर्दिष्ट की गई है, परंतु वनों के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के लिए जिस तरह का साक्ष्य अपेक्षित होगा, उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में वन निवासियों का अनधिकृत रूप से वन भूमि पर कब्जा करने का दोषी ठहराया गया है तथा उनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं। बड़ी संख्या में लोगो को वन भूमि से पहले ही बेदखल कर दिया गया है तथा उन्हें दण्ड भी दिया गया है। उनका क्या होगा? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भूमि उन्हें वापिस दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह बात स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

मैं अब संशोधन प्रस्तावों पर आता हूं। मैंने आज परिचालित किए गए संशोधन प्रस्तावों का अध्ययन किया हैं संशोधन संख्या 5 में यह उल्लेख है:

> "पृष्ठ 3, पंक्ति 9 और 10 में, "ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउलडर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमे मछली, अपतृण" का लोप करें।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठेकेदार एवं वन-माफिया वन संसाधनों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं तथा हमारे वन को समाप्त कर रहे हैं। परंतु गरीब वन निवासी अपने जीवनयापन हेतु ईंधन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं, इसलिए यह अधिकार जनजातियों को दिए जाने चाहिएं।

[श्री प्रबोध पाण्डा]

इसलिए, पत्थर, स्लेट तथा मलबा इत्यादि शब्दों का लोप किया जाए परंतु ईंधन के लिए लकड़ी तथा 'मछली, खरपतवार इत्यादि सहित जल निकायों' शब्दों को इस विधेयक में बनाए रखा जाए।

अब मैं संशोधन संख्या 7 पर आता हूं। इसमें यह उल्लेख है:–

"परम्परागत वन निवासी" से कोई सदस्य या कोई समुदाय अभिप्रेत है जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से निवास करता रहा है और जो वनों या वन भूमि पर निर्भर है;

अपराह्न 3.56 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

महोदय, ब्रिटिश शासन काल में भी कानून यह था कि परिवार का कोई भी सदस्य, जिसका 12 वर्ष तक भूमि पर कब्जा रहता है वह उस भूमि को पाने का हकदार होगा। इसलिए कागजों में जो उल्लेख किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 12 वर्ष उसकी पात्रता की अवधि होनी चाहिए।

अब, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जिसके अंतर्गत लकड़ियों से वनवासियों को उचित हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए ऐसा उपबंध होना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि अधिकांश वन क्षेत्रों, में माफिया राज है। वे वहां के स्थानीय निवासियों तथा कुछ क्षेत्रों में वन अधिकारियों की मिलीभगत से वनों को लूट रहे हैं। इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? हम इस विधेयक को पारित करने की जल्दी में है। यह बिल्कुल सही है। अधिनियमन की आवश्यकता है। यह बात बिल्कुल सही हैं परंतु वन क्षेत्रों में माफिया राज चल रहा है। आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? आप इस पर किस प्रकार रोक लगाएंगे?

मेरे विचार से मंत्री महोदय इन सभी बातों पर विशेषरूप से उन संशोधन प्रस्तावो जिनका मैंने उल्लेख किया है, पर विचार करेंगे। उल्लेख मैं दो बातों का उल्लेख किया गया है पहली 12 वर्ष की अवधि का उललेख किया जाना चाहिए तथा दूसरी ईंधन की लकड़ी इत्यादि के बारे में हैं विधेयक में ऐसा होना चाहिए। माननीय मंत्री जी को अन्य बातों जिनका उन्होंने पहले उल्लेख किया है, का लोप करें परंतु जिन बचतों का मैंने जिक्र किया है, वे बनी रहनी चाहिएं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह विधेयक लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी तथा सप्रंग सरकार का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बिल का समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं जानता हूं कि आदिवासियों का दर्द क्या है। सदियों से हम विस्थापित होते रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कई बार हमें विस्थापित होना पड़ा है और हमारी जमीन हमसे छीनी जाती रही है। यह पहला मौका है जब हमें स्थापित किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया जी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्री किन्डिया जी को, जिन्होंने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जेपीसी के सदस्यों और जेपीसी के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब मूल बिल आया था; उसमें सिर्फ एसटी लोगों की बात की गई थी। अगर ऐसा होता, तो शायद एक बार फिर गैर-आदिवासियों के साथ अन्याय होता, जो सदियों से जंगल में रहते आए हैं। उनके साथ समाज की समरसता है, सिर्फ एसटी लोगों को जमीन पर अधिकार मिलता, तो शायद गैर-आदिवासियों के मन पर ठेस लगती, इसलिए जेपीसी के सदस्यों और जेपीसी के अध्यक्ष को एक बार पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, इतिहास में जाने की जरूरत है कि किस तरह से जंगल और आदिवासी अविभाज्य रहे हैं। पहले आदिवासी और दूसरे लोग जंगलों को फ्री में उपयोग करते थे। अंग्रेज लोग आए और 1864 में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तब से आदिवासी और वन विभाग में सघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष ने आंदोलन का रूप लिया। झारखंड के बिरसा मुंडा जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर बस्तर में 1911 में आंदोलन का रूप लिया। झारखंड के बिरसा मुंडा जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर बस्तर में 1911 में आंदोलन हुआ। जंगल पर राज के नियंत्रण को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन

हुआ। फिर कुमायूं में किसानों ने जंगल पर अधिकार को लेकर आन्दोलन किया था। जंगल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ही सारे संघर्ष हुए। जंगल और आदिवासी अविभाज्य हैं। इसके क्या मायने हैं? हमारा जीवन, संस्कृति और धर्म तीनों जंगल पर निर्भर करते हैं।

जुएल ओराम जी बोल रहे थे। उनका काफी भावनात्मक भाषण रहा। मैं और आगे बढ़ कर बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अन्य जातियों के सरनेम और गोत्र होते हैं। ये ज्ञान या दूसरे आधार पर होते हैं। तीन वेद जानने वाले को त्रिवेदी कहा गया और चार वेद जानने वाले को चतुर्वेदी कहा गया और जो सिर्फ पढ़े उसे पाठक कहा गया। हमारा क्या है, हमारा गोत्र कैसे जुड़ता है? हमारा टोप्पो है। इसका हिन्दी में क्या मतलब हुआ? हिन्दी में काठखोदवा हुआ जिसका मतलब है कि काठ में बैठकर जो पक्षी खोदता रहता है। उसे अंग्रेजी में वुडपैकर कहते हैं। जुएल ओराम जी का क्या गोत्र है मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है। कुजूर होते हैं, लकड़ा होते हैं जिसका मतलब टाइगर है। जितने भी हमारे गोत्र होते हैं वे वन्य प्राणियों,, पशु-पक्षी या पेड़ के साथ जुड़े होते हैं। उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध हैं आदिवासियों का जंगल के साथ अटूट संबंध है।

बड़े खेद की बात है कि जब बिल आने लगा तो वे लोग जिन के पुरखे टाइगर मार कर और डैड बॉडी पर पैर रख कर, कंधे पर बंदूक रख कर फोटो खिंचा कर ड्राइंग रूप में रखते हैं, उन पर्यावरणविदों ने हमारे खिलाफ बोलना शुरू किया। कहा कि इस बिल से जंगल और वन प्राणी दोनों नष्ट हो जाएंगे। मैं उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वे नहीं थे, हम ही थे जिन्होंने जंगल को बचाया और जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों को भी बचाया। जो लोग पूरे देश में गलतफहमी फैला रहे हैं और जैसा जुएल ओराम जी ने कहा कि टाइगर वर्सिज ट्राइबल्स। यह बहुत अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे और एलीट कहे जाने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इनसे देश को होशियार रहने की जरूरत है।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और विषय पर बोल रहे है लेकिन समय सीमित है, कृपया ध्यान रखें।

डा. रामेश्वर उरांव : यह हमारा सबजैक्ट है। इसमें ग्राम सभा के लिए व्यवस्था की गई है। नीचे तबके की डैमोक्रेसी को इसमें इनवॉल्व किया गया हैं ग्राम सभा का महत्व दूसरे लोग नहीं जानेंगे। ट्राइबल होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा सारा काम ग्राम सभा से होता है। कहां क्या होगा और गांव में क्या होना चाहिए यहां तक कि शादी-ब्याह कहां तय होना चाहिए वह भी ग्राम सभा तय करती है। हम किताबें पढ़ते हैं कि लिच्छवियों के जमाने में वैशाली में गणतंत्र था लेकिन इसके बाद गणतंत्र खत्म हो गया। लेकिन आज तक आदिवासी समाज में गणतंत्र व्याप्त है। 1947 के पहले से है और आज तक है। ग्राम सभा का इतना महत्व है, और उसे सारे अधिकार दिए गए हैं जो बहुत अच्छी बात है। यह भी अच्छी बात है कि सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर 50 परसेंट सदस्य पंचायती राज सिस्टम के होंगे। इससे ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वलैलर्स के राइट की भी रक्षा होगी। आपने समय की बात कही है तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इस मौके पर एक बात अवश्य बोलूंगा कि ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वलैलर्स बहुत इन्सेक्योर हैं। आज झारखंड में क्या हो रहा हैं इंडियन आर्मी नेतरहाट में एक फील्ड फायरिंग रेंज गुमला जिले में बनाने जा रही है। इससे दो सौ गांव उजड़ेंगे और यहां पर पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लोग रहते हैं। हम लोग तो कुछ पढ़ लिख गए हैं और लोकसभा में भी चुनकर आ गए हैं लेकिन जिन लोगों ने पीटीजी को देखा होगा उन्हें पता है कि उनकी हालत बहुत खराब है, वे अभी भी हंटिंग एज में चल रहे हैं जबकि उनको हंटिंग करने के लिए कुछ मिलता नहीं है लेकिन उनकी एज वही है। अगर 200 गांव के पीटीजी को फील्ड फायरिंग बनाने के नाम पर वहां से हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे तो जिस तरह से मछली बिना पानी के तड़प कर मर जाती है, इनकी स्थिति वही होगी। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री से इस मौके पर मांग करता हूं कि वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज हटा लें और इसे वहां स्थापित न करें।

एक माननीय सदस्य ने सही कहा है कि आदिवासी लोग एक ही चीज से त्रस्त हैं और वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केस कर दिया, तो भले इसकी सजा एक महीने की है लेकिन केस दस साल तक लड़ना पड़ता है और बहुत ही मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। इस मौके पर भारत सरकार और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी फॉरेस्ट केसिस हैं, उन्हें विदड्रॉ किया जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक, 2006 के विषय पर चर्चा चल रही हैं मैं इस बिल के समर्थन में

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे इस कमेटी में सदस्य रहने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश में छोटे से वन विभाग मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका भी मिला था। मैंने जनजाति या परंपरागत तरीके से रहने वाले आदिवासियों के दर्द को बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि हम उनके बीच में ट्राइबल्स-डे या अन्य फंक्शनों में जाते थे इसलिए उनकी दुर्दशा को बहुत नजदीक से देखा और जाना है। मैं आज किंडिया साहब का, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सभापति श्री देव साहब का और माननीय सदस्यों का आभर व्यक्त करता हूं क्योंकि कई मीटिंग्स इसके लिए हुईं और बहुत जद्दोजहद से, समय-समय पर तमाम एनजीओज़ को इकट्ठा करके बहुत सोच विचार और मंथन के बाद तमाम सुझावों के साथ इस विधेयक को पेश किया गया। मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर इस विधेयक को पेश किया गया है हालांकि बहुत पहले इस विधेयक को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब यह आया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। यहां पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं और तमाम सुझाव सामने आए हैं लेकिन प्रेक्टिकल तौर पर देखा जाए तो उन आदिवासियों को या परंपरागत तरीके से रहने वाले लोगों को, जो जंगलों में रहते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक समुदाय, घुमक्कड़ जाति या चरवाहे से संबंधित तमाम प्रजातियां हैं, उनको प्रेक्टिकल रूप में सुविधाएं कैसे दे सकें, इस पर विचार करना होगा। रिपोर्ट में जो प्रतिवेदन आया है इसमें सभी बातें सम्मिलित हैं। आज देखा जाए तो पूरे हिन्दुस्तान में, चाहे किसी भी प्रदेश का मामला हो, जहां नकसलवाद या नौजवानों ने हथियार उठाए हैं, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि दो, तीन या चार पीढ़ियों से समाज की मुख्यधारा से अलग रहे हैं। आज उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नकसलाइट जिले हैं, जहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जाकर उनके नेताओं से बात की और वहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हें वोटर बनाया गया। जब उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ा और समाज की मुख्य धारा में आये तब कहीं जाकर उन्हें सम्मान मिला और वहां का विकास हुआ। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में तथाईर्द-गिर्द जो भी प्रदेश हैं, जहां नकसलाइट एरियाज हैं...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : क्या उत्तर प्रदेश में जंगल हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : थोड़े बहुत जंगल हैं। लखीमपुर खीरी में हैं, इधर उत्तरांचल के बॉर्डर पर हैं।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, समय सीमित है, अन्यथा मुझे आपको रोकना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, यह पूछने लगे, इसलिए मैंने बताया है आपने मुझे याद दिला दिया, इसलिए मैंने कहा है। जो लोग नौजवान हैं, उन्हें इससे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके कारण जो तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, उन पर इस विधेयक के माध्यम से रोक लगेगी। इसके अलावा जंगल में जो आदिवासी लोग हैं, चाहे वे लकड़ी बीनकर अपना जीवनयापन कर रहे हों, चरवाहे के रूप में जानवरों को चराने का काम कर रहे हैं या कुछ लोग जंगलों से शहद निकालने का काम कर रहे हों। इन सभी लोगों के अपने इस तरह के छोटे-मोटे धंधे हैं। इनसे जंगलों को कोई नुकसान नहीं होता, केवल जंगल से उनकी सुरक्षा होती है और उनसे जंगलों की सुरक्षा होती है। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में जो भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी प्राकृतिक सम्पदा अक्षुण्ण रहे। उसकी सुंदरता, संस्कृति और आदिवासियों की सभ्यता बरकरार रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इसमें इसका समावेश करके उसमें सुधार करने की बात कही है। इस विधेयक को उनके बारे में बड़े विस्तार से अध्ययन करने के बाद रखा गया हैं।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जंगलों में गये हैं। वहां हमने देखा कि उनकी बहुत बुरी हालत थी। ऐसा लगता था कि समाज और देश की मुख्य धारा से वे लोग अलग-थलग थे। आज जरूरत इस बात की है कि जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके बीच उन तमाम वस्तुओं की उचित कीमत की दुकानें हों। उनके बीच में अस्पताल और स्कूल हों। उनके बच्चों की आज बड़ी दुर्गति हो रही है। उनके बच्चों के लिए वहां अस्पताल और स्कूल होने चाहिए। आई.सी.डी.एस. बाल विकास योजना को सैन्टर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं, चाहे वह दूरसंचार, विद्युत, तालाब, पीने का पानी, चैक डैम या पानी के तमाम सोर्सेज हों, उनकी व्यवस्था वहां होनी चाहिए। जैसे अन्य जगहों पर सुविधाएं होती हैं, वैसे उनके लिए भी होनी चाहिए।

इसके अलावा एक मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां के आदिवासियों से बात करने पर पता चला कि उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत जंगलात के अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण होती है। समय-समय पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन पर फर्जी मुकद्दमे लगा दिये जाते हैं। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने देखा कि बहुत से अधिकारी वहां के माफिया लोगों से मिले हुए थे। जिसके कारण आदिवासियों की हालत बदतर थी। आज जरूरत इस बात की है कि इन आदिवासियों की देखरेख करने के लिए एक अलग विभाग

बनाया जाए तथा अलग से अधिकारी नियुक्त किये जाएं, तभी हम आदिवासियों का संरक्षण कर सकते हैं और उन्हें शोषण से बचा सकते हैं।

एक अन्य बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं इनके बीच में ट्राइबल्स डे पर गया था। ये लोग अपने हाथों से बहुत सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं बनाते हैं, जिनमें ओर्नामैन्ट या घरेलू सजावट की बहुत सुन्दर वस्तुएं ये लोग बनाते हैं, जिन्हें हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। मैं समझता हूं कि समय-समय पर ट्राइबल्स डे में इनके लिए अलग से एक बाजार हो, ताकि इनके द्वारा हाथ से बनाई हुई चीजों को बाजार में लाया जा सके। इनके द्वारा बनाई गई चीजों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस माध्यम से इन लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी। हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 लागू किये। उनमें इतनी ज्यादा शक्तियां थीं, जिनके कारण इनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, इससे हम अलग नहीं हट सकते, इससे हम अछूते नहीं रह सकते। लेकिन आज बिल के पास हो जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे साथी बैसीमुथियारी बैठे हुए हैं; ये कुछ अमैन्डमैन्ट रखना चाहते हैं, मैं इनकी बातों को पहले से सपोर्ट करता हूं तथा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनकी बातों को ध्यान से सुना जाए।

इन्हीं बातों के साथ सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ए.वी. वेल्लारमिन** (नागरकोइल) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो यह वन का उपयोग करने वालों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करेगा।

हमारी मातृभूमि एक प्रायद्वीप है जहां बहुत बड़े - क्षेत्र में पहाड़ियां, पर्वत और सभी प्रकार के वन संसाधन हैं, यहां उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्रों और दूर तक फैली विंध्य सतपुड़ा और पश्चिमी घाट जैसी पर्वतमालाओं के कारण हमारा देश कुछ ऐसे बहुत थोड़े से देशों में से एक है जो वर्षा वनों का एक प्रमुख स्थल है। पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व के ये वन हमारे देश की जलवायु को स्थिर रखने में योगदान देते हैं तथा इनमें हमारी भव्य जैव-विविधता विद्यमान है। इन वनों के क्षेत्र विशेष में एक अलग ही प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव-जन्तुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि से स्थायी त्रासदी आ सकती है।

इस विधेयक के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों के समुदायों और जनजातियों को उनके पारंपरिक रूप में कायम रखने के लिए इन वनों के आसपास के प्रतिरोधक (बफर) वनों का बचाना तथा उनके जीव-जगत और वनस्पतियों की रक्षा करना होना चाहिए।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इन वनों में रहने वालों का संरक्षण जीविका, स्वास्थ्य देखभाल और मूलभूत शिक्षा की गारंटी देना होना चाहिए। यहां दो प्रकार के वन-वासी हैं। एक तो वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां हैं जिन्हे वनों में रहने वाली जनजातियां अधिसूचित किया गया है, वे कई शताब्दियों से इन्हीं वनों में रह रहे हैं। उन्हें वनों में रहने वालों की तरह समझा और घोषित किया जाना चाहिए। वन प्राधिकारियों के कोई भी अधिकार या गतिविधियां उनके दैनिक जीवन और जीविका में बाधक नहीं होने चाहिए। एक क्षेत्र विशेष में वनों की गुफाओं में अपने समुदायों में रहते हैं। लेकिन जिस भूमि पर वे रहते हैं उसपर उनका कोई अधिकार नहीं है

वे खेती करते हैं परंतु इनके यहां उनके उत्पादों के विपणन के लिए कोई सुविधा नहीं है। वे एक वंचित और निःसहाय के रूप में रहते हैं उनके यहां न तो पेयजल है, न ही मुख्य आहार है, न बिजली है यहां तक कि यात्रा करने के लिए सड़कें भी नहीं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्राधिकारियों ने इन्हें टेलीफोन कनेक्शन या बिजली की लाइनें बिछाने की भी अनुमति नहीं दी हैं। संक्षेप में वे मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे मुख्य भूमि से कटे हुए हैं ऐसी स्थिति में इस विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि इन लोगों को उनकी भूमि का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार इन्हें जीवन की अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

उक्त प्रकार के वनवासियों के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के वनवासी वे लोग हैं जो आसपास के क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों से इन वनों में रह रहे है। उन्हें भी सामान्य जीवन के अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए.वी. वेल्लारमिन]

वनवासियों और वन प्राधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि स्थानीय क्षेत्रों में वन्य जीवन, वनों और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए वनों के अधिकार प्राप्त लोगों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जल निकायों और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा होगी। यहां रहने वालों को भी जंगली जानवरों से बचाया जाना चाहिए जो अक्सर उनकी फसलों और जीवन को अपूर्णीय क्षति पहुंचाते है। जिन समुदायों का जैसे कि नीलगिरी में रहने वाले पोडर, कोई सहारा नहीं है उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी भी लगभग 17 सदस्य और बोलने वाले हैं विषय ऐसा है जिस पर अधिकाधिक लोग बोलना चाहेंगे। समय सीमित है और उसके बाद हमें प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

[अनुवाद]

यह आधे-घंटे की चर्चा है। अत: हमें आधे घंटे की चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य ही लेने हैं। अत: प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट ही बोले।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आज सुबह यह निर्णय लिया गया था कि पहले इस विधेयक को निपटाया जाऐगा। उसके बाद, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य और आधे-घंटे की चर्चा ली जाऐगी। हम उसी का पालन कर रहे है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यदि माननीय सदस्यगण लिखित में अपने भाषण देते हैं, तो उन्हें भी स्वीकार किया जा सकता है।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्यगण चाहें तो वे अपने भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय, पटल पर ले करना तो ठीक है। एक-दो लोग रखें लेकिन बाकी माननीय सदस्यों को भाषण करने का मौका मिलना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल है, सारा देश इस बिल की ओर देख रहा है, जो अधिकार हम इसके अंतर्गत दे रहे हैं।

सभापति महोदय : पहले यह बिल पास होगा। उसके बाद ही अशासकीय संकल्प या विधेयक लिया जाएगा। लेकिन पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : सर, पांच-पांच मिनट में हम अपनी बात कैसे समाप्त करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : मेरी स्पीच के समय ही आप हमेशा डिस्टर्ब करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री तापिर गाव बोलेंगे।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, इस देश के जनजातिय समुदाय का संसद सदस्य होने के नाते हमें वास्तव में इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत समय से लंबित यह ऐतिहासिक विधेयक पारित होने जा रहा है, हम माननीय जनजातिय मंत्री और उनके इन अधिकारियों का, जिन्होंने इसे तैयार करने और सभा में लाने के लिए अत्यधिक कार्य किया है, स्वागत करते हैं।

लेकिन, इस विधेयक में ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं हूं इसका कारण यह है कि जब यह विधेयक इस सभा में रखा गया तो हमारे पास दो प्रारूप विधेयक थे। बहुत से संशोधनों को लेकर हम इस बात को लेकर भ्रमित थे कि किस पक्ष के संशोधनों को स्वीकार करें उन्हें अंतिम रूप से तैयार किया जाऐगा। यह वह कार्यवाही है जिससे हम इसमें कुछ ऐसे खण्ड और जोड़ सकते हैं ताकि हमारे देश के लोगों को इस विधेयक का वास्तविक रूप से लाभ मिल सके।

महोदय, मैं इस वन अधिकार विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति से जुड़ा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने 40 बैठकें की और 15 से अधिक गवाहों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनके साथ विस्तार से इस बारे में चर्चा की। लेकिन वे देश के जनजातिय क्षेत्रों का दौरा किए बिना ही दिल्ली के वातानुकूलित कक्षों में बैठकर इसे कैसे महसूस कर सकते हैं।? इसीलिए मुझे इसमें संदेह है। यह कार्य हमारे अधिकारियों और मंत्रालयीय कर्मचारियों ने दिल्ली में बैठकर

ही किया होगा। यदि हमारे अधिकारी तथा संयुक्त संसदीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातिय क्षेत्रों, गुजरात व अन्य स्थानों का दौरा किया होता तो यह बेहतर होता। लेकिन यह सैद्धान्तिक है जो कि बहुत सतही और देखने में सरल है। लेकिन वास्तव में यह विधेयक इस देश के जनजातीय लोगों की सच्ची भावनाओं को परिलक्षित नहीं करता हैं

अब, मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं मैं इसपर लम्बा भाषण नहीं दूंगा। निर्धारित वर्ष के संबंध में, पिछले विधेयक में, जो संसद के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया था, निर्धारित वर्ष वन अधिनियम, 1980 था। अब, दूसरे संशोधित विधेयक में यह 13 दिसम्बर, 2005 कर दी गई है हम किस पर भरोसा करें? अत: यह भ्रामक है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यदि निर्धारित वर्ष 2005 है तो इसे चार पीढ़ियों तक बढ़ा दिया जाए। यदि यह वन अधिनियम, 1980 से है तो हम तीन पीढ़ियों के लिए ही सहमत है। इस संशोधन विशेष के बारे में भी मैं पीढ़ियों के बारे में रोशनी डालना चाहूंगा। यह बताया गया है कि "इस खंड के प्रयोजनार्थ पीढ़ी का अर्थ 25 वर्ष की अवधि से है। भविष्य में इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। तीन पीढ़ीयों की गणना 25 वर्ष के अंदर-ही की जा सकती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी और इस सरकार से यह अनुरोध है कि इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि एक पीढ़ी का तात्पर्य 25 वर्ष से हैं इसमें एक शब्द को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में इसकी गलत व्याख्या होगी और इसका दुरूपयोग किया जाऐगा।

अब, मैं भूमि की अधिकतम सीमा पर आता हूं। भूमि की सीमा को दो दशमलव कुछ हेक्टेयर से बढ़ाकर चार दशमलव कुछ हेक्टेयर कर दिया गया हैं जनजातीय लोग वनों, अभ्यारण्यों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के अतिक्रमणकारी नहीं रहे हैं, अपितु वन विभाग इस देश में पारंपरिक रूप से जनजातीय भूमि पर अतिक्रमणकारी हो गया है।

अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। लोग आदि काल से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहे हैं। केवल ब्रिटिश ही ऐसे लोग थे जो जमीनी वास्तविकताओं को जाने बिना देश के उस भाग में पहुंचे और वनों को आरक्षित किया। अत: उन्होंने जनजातिय भूमि और जनजातिय बहुल क्षेत्रों में अतिक्रमण किया। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूमि की अधिकतम सीमा को चार हेक्टेयर तक ही सीमित कर दिया जाए। यह सीमा हटा दी जानी चाहिए।

मै इस बात को लेकर प्रसन्न हूं कि अधिकांश संशोधन संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से लिए गए हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अंतिम भाग में इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि इस विधेयक को इस देश के संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, इसका महत्वपूर्ण भाग संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों से नहीं लिया गया है। मेरा सरकार उसे यह विनम्र अनुरोध है कि वह इस विधेयक को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करे।

मुझे इन सब चीजों को बताते हुए दुख हो रहा है। मेरे मित्र ने भी कुछ बातें कही हैं। किंतु मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब उनके पास केवल हवा सांस ही बची है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तापिर गाव : महोदय, हमारे पास 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। थोड़ा और समय देने की कृपा करें।

अध्याय दो, खंड 3(1) में अंतिम भाग में यह उल्लेख किया गया है "किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने और उन्हें फंसाने या उनका शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है।"

इसका तात्पर्य है कि आदिवासियों को घास रखना चाहिए। घास को भी सीमित कर दिया गया है। यह इस तरह है जैसे घोड़े को घास खाने से रोक दिया जाय। आदिवासी हिमालय में कैसे जीवित रहेंगे? कानून आदिवासी क्षेत्रों के भीतरी इलाकों में पहुंच सकता है। किंतु उन क्षेत्रों में विकास कभी भी समय पर नहीं पहुंचेगा।

इस खंड से आदिवासियों को कठिनाई पेश आएगी। आने वाले समय में वन विभाग आदिवासियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार करेगा। 'निकालने' के बजाय इसे 'शामिल' किया जाना चाहिए। वहां 'शामिल किया जाना' होना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर घोड़े से कहेंगे कि वह घास मत खाये, वैसे ही अगर ट्राइब्ल से कहेंगे कि वह ट्रैपिंग नहीं कर सकता, हंटिंग नहीं कर सकता,

[श्री तापिर गाव]

नदी से मछली नहीं उठा सकता तो ट्राइबल जीयेगा कैसे? इसलिए, मेरा यह विनम्र निवेदन है। इसलिये इस क्लॉज़ को एक्सक्लूड करने के बजाय इन्क्लूड करना चाहिये।

मैं मुद्दे तक ही सीमित हूं। यह ट्राइबल राइट बिल है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गाव, मुझे पता है कि आप आदिवासी क्षेत्र से हैं परंतु आपके दल के चार और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री तापिर गाव : महोदय, मैं केवल दो बिंदुओं पर बोलूंगा। यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए खतरनाक है। श्री दासमुंशी को लखनऊ में 1972-73 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र याद होगा। श्री प्रणब-मुखर्जी ने भी सत्र में भाग लिया था क्योंकि वह भी एक सदस्य थें यह संकल्प लिया गया था कि बांग्लादेशियों को असम की मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। वह दस्तावेज मेरे पास है। उनके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आईएमडीटी एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट समाप्त कर दिये गए थे।

अब, ट्राइबल फॉरेस्ट राइटस बिल में क्या यह ऐसा खंड नहीं है कि जिसमें आप असम में भी बांग्लादेशियों को समायोजित नहीं करने जा रहे हैं? मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण अथवा आश्वासन चाहता हूं।

इसके साथ ही एक और खतरनाक बात है। हमें अन्य गैर-आदिवासी मित्रों, नागरिकों और वनवासियों को इस विधेयक में दिए गए शब्द में शामिल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं। उनका समायोजन आदिवासियों के लिए हानिकारक नहीं हैं परंतु आदिवासी भूमि के संबंध में फर्जी दस्तावेजों के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि आदिवासी अभी भी पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। इसके पश्चात, गलत दस्तावेज तैयार करने, जाली दस्तावेज इत्यादि के काम होंगे और गैर-आदिवासी जिन्होंने आदिवासियों के पशुओं और वनों का शोषण किया है, वे भूमि के बड़े भाग पर अधिकार कर लेंगे। परिणामस्वरूप, आदिवासी पुन: इस देश के अन्य कोनों में जाने के लिए बाध्य होंगे। यह एक खतरनाक कानून है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री, श्री किन्डिया से विनम्र निवेदन है कि इन दो विधेयकों संशोधन विधेयक और पूर्व विधेयक पर विचार करते हुए इस खंड में सुधार करने की कृपा करें।

इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, पूर्वोत्तर के हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री किन्डिया को शिलांग और तुरा में खासी भाईयों को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने यह कानून क्यों बनाया जो खासी को ही नहीं बल्कि इस देश के सभी आदिवासी लोगों को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री और संपग्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों को वितरित इन दो विधेयकों पर विचार करते हुए इसमें इस सम्माननीय सभा में जो कहा है उस पर पुन: विचार करें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप का धन्यवाद करता हूं।

श्री प्रशांत प्रधान (कॉटई) : माननीय सभापति महोदय, मैं ऐतिहासिक ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स बिल के संबंध में कुछ बातों पर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों और प्रतिवेदन का स्वागत करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। देश में कुल आदिवासी जनसंख्या में से केवल आठ प्रतिशत जनसंख्या वनों में रह रही है। वनों में रहने वाले लोगों यानी अनुसूचित जनजातियों, जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं और वन भूमि पर जिनका अधिकार है, के अधिकारों को अभी तक पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई है जिससे वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों, जो कि वन पारस्थितिकी तंत्र के बने रहने और इसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, के साथ ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है यदि वनों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला जाता है तो इससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हो जाएगा क्योंकि ये लोग वन्य जीवन के भी अभिन्न अंग हैं।

जहां तक मुझे पता है वनों और आदिवासी लोगों के अधिकारों का संरक्षण पश्चिम बंगाल में मेरे जिले मिदनापुर के आदिवासी लोगों की भागीदारी और प्रबंधन से शुरू किया गया था। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में विशेषकर मिदनापुर बाखुदा, पुरूनलिया और ऐसे अन्य जिलों में वनों तथा आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक मंत्री को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। यह माडल देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए। मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

मैं आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनकी मांगों, उनकी आजीविका, उनकी स्थिति तथा उनके उत्पीड़न पर भी ध्यान देने के लिए यह विधेयक लाने हेतु संप्रग सरकार और इसके मंत्रियों को बधाई देता हूं। वन अधिकारी, वन ठेकेदार और माफिया कभी-कभी

आदिवासी लोगों का उत्पीड़न करते हैं परंतु यह अभीयान चलाया जाता है कि आदिवासी लोग वनों को नष्ट करते हैं। यह सही नहीं है। आदिवासी लोग वनों में रहते हैं। उन्हे वनों और वन उत्पादों यथा फलों, महुआ, चिरुली, शहद, साल-पत्तियों, तेदु पत्ता इत्यादि से अपनी आजीविका प्राप्त होती है। वे वनों से इतना अधिक प्रेम करते हैं। इस संबंध में उनमें बेदखली का शक होता है। इसे रोका जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इसे लागू करने से यह रुक जाएगा क्योंकि सिफारिशों में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हे पट्टा अथवा लीज अधिकार दिए जाने चाहिए और लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा ग्राम समितियों द्वारा की जानी चाहिए और अंत में यह जिला समिति के कलेक्टरेट द्वारा भी चुनी जानी चाहिए। वे इसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं। मेरी भी वही राय है जो श्री मधुसूदन द्वारा व्यक्त की गई है कि यह पीढ़ी-दर पीढ़ी हो रहा है। एक पीढ़ी का अर्थ है 25 वर्ष। स्वतंत्रता के पहले से वे वनों के भीतर रह रहे थे। मेरा विचार है कि एक पीढ़ी का अर्थ है 21 वर्ष और तीन पीढ़ी का अर्थ है 63 वर्ष और 63 वर्षों को बनाये रखा जाना चाहिए। इन सबको इस विधेयक को पारित करने के पश्चात अल्पावधि में लागू किया जाना चाहिए।

एक बार पुन: मैं मंत्री जी और संप्रग सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक को पारित करके वन अधिकार और आदिवासी लोगों के अधिकार बहाल हो सकेंगे।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : महोदय, मुझे वन अधिकार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विधेयक में अन्य पारम्परिक वन निवासी जोड़ने के लिए माननीय मंत्री और संयुक्त समिति का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात ही विभिन्न राज्यों में लोगों का जनजातियों के रूप में वर्गीकरण किया गया इसका अर्थ हैं कि कुछ राज्यों में जनजातीय लोग संभवत: अन्य राज्यों में जनजातीय के रूप में वर्गीकृत न हों। उदाहरणार्थ उत्तराखंड के बुक्सा और थारू अन्य राज्यों में संभवत: जनजातीय न माने जाते हों और अन्य राज्यों के जनजातीय उत्तराखण्ड में संभवत: जनजातीय न माने जाएं। इसलिए, 'अन्य पारम्परिक वन निवासी' को विधेयक में शामिल करने से देश के विभिन राज्यों में रहने वाले सभी जनजातीय लोगों को अन्य वन निवासियों के साथ इस विधेयक में शामिल करने में मदद मिलेगी।

महोदय, उत्तराखण्ड एक ऐसा स्थान है जहां केवल 3.2 प्रतिशत जनजातीय लोग हैं हमारे मामले में कुछ भिन्नता है इसलिए अन्य वन निवासी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में सदियों से संभवत: हजारों वर्षों से लोग अपने पशुओं, बकरियों इत्यादि को चराने के लिए पर्वतों से नीचे आया करते थें जब वे तराई और भाभर में नीचे यानी हिमालय के निचले पर्वतों पर आए तो वे "गोठ खत्ता और पड़ावों में रहे।"

[हिन्दी]

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने जानवर चुगाने के लिए पहाड़ से नीचे मैदानी क्षेत्र में आते थे और वे खत्ते, गोठ या पड़ावों में रहते थे, फिर वे गर्मियों में वापस पहाड़ पर चले जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद कुछ लोग वही निवास करने लगे यानी वहां पर रह रहे हैं, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अन्य जंगल के लोगों की तरह उनको भी ट्रीट किया जाये। विकसित ग्राम के लोगों की तरह उनको ट्रीट किया जाये और उनको भी उसी तरह की सुविधाएं दी जायें और उनकी जमीन को जो हमारे यहां खत्ते और पड़ाव के नाम से हैं, उनको रैगुलाइज़ किया जाये। आज तक वे फौरैस्ट लैंड में गिने जाते हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उनको फौरैस्ट लैंड से रेवेन्यू लैंड में कन्वर्ट किया जाये।

मैं आपको इसका उदाहरण भी दे सकता हूं हमारे यहां एक जगह बिन्दु खत्ता है। बिन्दु खत्ता एक ऐसी जगह है, जहां पर सड़कें भी हैं और स्कूल भी हैं, पर हमें फिर भी अड़चन आती है। कोई भी डैवलपमेंट हम वहां करना चाहें तो फौरैस्ट की कोई न कोई अड़चन वहां पर लग जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिन्दु खत्ता एक ऐसा खत्ता है, जो अभी भी फौरैस्ट के नाम से चलता है और उसके आसपास कोई भी फौरैस्ट नहीं है। उसको अगर फौरैस्ट बनाना भी चाहें, तो किसी हालत में आप फौरैस्ट उसको नहीं बना सकते। उसकी आबादी आज 60 हजार की है। हमारी ऐसी जो जगहें हैं, जो खत्ते हैं, जैसे हमारे यहां एक जगह बग्गा-54 है, वह जरूर जंगल के बीच में हैं, पर वहां पर हमारे पूर्व सैनिक लोग बसे हुए हैं और अन्य जाति इन्क्लूडिंग शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बसे हुए हैं। फिर हमारे यहां एक अपर कोसी पापड़ी है, जिसको पूंछड़ी कहते हैं। वहां भी अलग-अलग जाति के लोग बसे हुए हैं और पुश्तों से बसे हुए हैं। सरकार ने उनको वहां पर बसाया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां वनों में लोगों को सरकार ने बसाया था। सुन्दर खाल में केवल दलित परिवार रहते हैं, रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। रामनगर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पटरानी है, जहां केवल हमारे दलित परिवार वहां रह रहे हैं। बाजपुर में नई बस्ती हरिपुरा हरसान एक जगह है, वहां

[श्री के.सी. सिंह 'बाबा']

भी केवल हमारे दलित भाई रहते हैं। मालधन चौड एक ऐसी जगह है, जहां सरकार ने लोगों को बसाया है और वहां पर भी केवल दलित लोग रहते हैं। ये लोग जो हैं, ये वहां के ट्राइबल्स नहीं हैं, पर ये लोग अन्य वर्ग में आते हैं मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाये, क्योंकि ये भी वन में ही रह रहे हैं और उनकी भूमि अभी तक रैगुलाइज़ नहीं हुई है। अभी तक फॉरैस्ट की भूमि में उनको रखा गया है और जिस कारण उनका कोई भी डैवलपमैंट का कार्य नहीं हो सका। आप यह समझिये कि हम उनको छोटा सा पेयजल का नल भी नहीं दे सकते हैं। आज के जमाने में, 21वीं सदी में अगर ऐसा हो तो यह बहुत अफसोस की बात है। हमारे यहां कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जहां ब्रिटिश शासन काल में टॉंगियाग्राम के नाम पर लोगों को बसाया गया था। ये वे लोग थे, जो जंगल में काम करते थे। वे जहां जंगल में काम करते थे, उन्हें पड़ोस के जंगल में ही बसाया गया था, लेकिन आज वे बड़े-बड़े गांवों में परिवर्तित हो गए हैं। वहां आज अच्छी-खासी खेती होती है। इसी प्रकार हमारे यहां राम नगर डिवीजन है। राम नगर डिवीजन फारेस्ट कार्बेट एरिया में आता है। इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उस डिवीजन में चोपड़ा आदि गांव है और इसी प्रकार से अन्य गांव भी हैं, जो अभी भी फारेस्ट में आ रहे हैं। कार्बेट नेशनल पार्क का नाम सभी ने सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में जिन लोगों की राजस्व जमीन थी उन लोगों को बफर जोन से, फारेस्ट और पार्क के फायदे के लिए हटाया गया। उन लोगों को राजस्व की जमीन से हटा दिया गया। जमीन के बदले उन लोगों को वनों से जमीन दी गयी, लेकिन आज तक उसकी ठीक से नाप नहीं हुयी है। किसी की चार हैक्टेयर जमीन वहां थी, तो उसे वहां चार हैक्टेयर जमीन जरूर मिल गयी, लेकिन वहां राजस्व भूमि में सड़कें अलग से थीं। चूंकि वह राजस्व भूमि थी, लेकिन आज उनकी ही जमीन से सड़कें काटी जा रही हैं, क्योंकि वह फारेस्ट लैंड में है। इसलिए हम उनको स्कूल नहीं दे पा रहे हैं और अन्य विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। पेयजल के लिए और पानी की टंकियां तक नहीं दे पा रहे हैं। वन भूमि के मामलों में हमारा उत्तराखंड थोड़ा सा भिन्न है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो ऐसी जमीनें हैं, उनको रेग्युलराइज्ड किया जाए और राजस्व भूमि में रखा जाए।

आखिर में मैं इस बिल के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

जहां तक खंड 2(क) का संबंध है तो जिन वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की पहले ही स्थापना की जा चुकी हैं और जहां अधिकारों का पहले ही निर्धारण कर दिया गया है, मुआवजा दे दिया गया है उन्हें "सामुदायिक वन संसाधन" की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्हें "महत्वपूर्ण वन्यजीव प्राकृतिक निवास" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।"

जहां तक खंड 2(ख) की बात है तो समिति द्वारा इस खंड के अंतर्गत किसी क्षेत्र को महत्वपूर्ण वन्यजीव प्राकृतिक वास के रूप में घोषित किए जाने की विधि भविष्य में अधिसूचित अथवा अभी तक अनिर्धारित क्षेत्रों में लागू की जानी चाहिए।

खंड 2(ण) के अंतर्गत वन भूमि से "अति निकटता" को और परिभाषित और स्पष्ट किया जाना चाहिए।

खंड 2(ञ)(फ) का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि यह वनों पर जबरन अतिक्रमण को वैध करने के समान है।

जहां तक खंड 3(1)(ग) की बात है तो लघु वन उत्पाद एकत्र करने के अधिकार को गांव की प्रचालित सीमाओं तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जैसा कि खंड 2(क) में प्रस्तावित है। खंड 3(1) (ङ) के अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों की पहचान की जानी चाहिए और विधेयक में ही सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

खंड 3(4) के अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के विकास के लिए फ्री-होल्ड भूमि खरीदी जानी चाहिए और वन भूमि का उपयोग नही बदला जाना चाहिए। परियोजना को वन भूमि की लागत पर चलाने की बजाय भूमि की लागत के परियोजना की लागत में जोड़ें।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं पुन: संप्रग सरकार, संयुक्त समिति और विशेषकर अपनी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वनों में रहने वाले लोगों जिनमे आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों शामिल हैं के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए यह ऐतिहासिक विधान लाने में विशेष रूचि ली।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. आर. सैनथिल (धर्मपुरी) : महोदय, मैं पी.एम.के. पार्टी की ओर से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। संप्रग सरकार डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तथा श्रीमती सोनिया गांधी

के कुशल मार्गदर्शन में एक और उपलब्धि हासिल कर रही है। सरकार ने अपने मार्गदर्शन के रूप में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर उसके अंतर्गत किए गये एक और वायदे को पूरा किया है। इसलिए, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा शुरू करने से पहले सम्माननीय सभा को एक जानकारी देना चाहता हूं। पूरे विश्व में वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। लेकिन उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों से यह पता चलता है कि विश्व के कुछ भागों में वन क्षेत्र बढ़ा है। वर्ष 1983 से 2003 तक पूरे विश्व में एक वन के कुल क्षेत्र में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह वन सत्यमंगलम है। इस वन के क्षेत्र में वृद्धि होने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में वन लुटेरा वीरप्पन छिपा हुआ था। चूंकि वीरप्पन इस वन में छिपा हुआ था इसलिए किसी वन अधिकारी ने वन में जाने का साहस नहीं किया और इसलिए वह वनक्षेत्र बढ़ता रहा। ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसा वीरप्पन को मारे जाने के पश्चात् 'दि हिन्दू' समाचार पत्र के लेख में छपा था। इसमें कहा गया कि जब तक वीरप्पन उस वन में रहा तब तक किसी भी वन अधिकारी ने वहां जाने का साहस नहीं किया और यह वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा लेकिन चूंकि वीरप्पन को मार दिया गया है इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं कि अब वन अधिकारी वन में जाएंगे और वन का विनाश हो सकता है।

महोदय, मैं यह मुद्दा इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक पर मुख्य आपत्तियां उन लोगों ने की हैं जिनका मानना है कि यदि वनों को आदिवासियों और स्थानीय लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो वन नष्ट हो जाएंगे। मैं पुनः इस बात की फिर पुष्टि करना चाहता हूं कि वनवासी लोग प्रकृति से मिल-जुलकर रहते है और वे वनों में सुधार कर सकते हैं, जैसाकि हर किसी ने कहा है उन्हें विधेयक के प्रावधानो में यथा अंतर्विष्ट अधिकार देकर सरकार ने उनके प्रति किए गए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त कर दिया है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। कई लोगों ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकारों के बारे में आशंका व्यक्त की है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कर्नाटक के सीमावर्ती तमिलनाडु के पश्चिमोत्तर भाग को देखा जाए तो यह पता चलेगा कि वहां अधिकांश वन निवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय के नहीं हैं अपितु वे अति पिछड़ा समुदाय के हैं। इसी प्रकार विरुधुनगर जिले की घुमन्त जनजातियों के लोग भी अनुसूचित जनजातियों के नहीं हैं। लेकिन ये लोग भी वनों में रहते हैं। यद्यपि मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, तथापि मैं मंत्री महोदय से विधेयक में, यथाशीघ्र संशोधन करने का अनुरोध करता हूं ताकि ये अधिकार अनुसूचित जनजातियों के लोगों तक सीमित न रख कर वनों में रहने वाले सभी लोगों को दिए जा सकें।

महोदय, इस विधेयक में एक बहुत प्रशंसनीय प्रावधान है अर्थात पहली बार सरकार ने स्थानीय सरकार के महत्व को मान्यता दी है तथा स्थानीय सरकार को सभी अधिकार दिए हैं। सरकार ने ग्राम सभाओं के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए है। मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि ये अधिकार वन अधिकारियों के साथ-साथ जिला पंचायतों को भी दिए जाने चाहिए क्योंकि हमने निर्वाचित निकायों को अधिक अधिकार देने चाहिए क्योंकि हमारे निर्वाचित निकाय अधिकाधिक पेशेवर होते जा रहे हैं। इससे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में तेजी लाने में सहायता मिलेगी जो अब तक नहीं देखी गई है।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री किन्डिया द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा था कि वन क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया जाना चाहिए।

मैं सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य वन निवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया नहीं जाना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप में गांधी नगर, शांति नगर, पश्चिम सागर, गायना डाबला, बाड़ा डाबला, बर्मा चाल, गिरिजीनाला तथा निकटवर्ती पहलगांव क्षेत्र हैं। वस्तुतः, इस विधेयक के पारित किए जाने की तारीख तक सभी अतिक्रमणों को नियमित किया जाना चाहिए तथा सभी कब्जाधारियों को विनियमित किया जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए उन्हें पेयजल, स्कूल, औषधालय तथा गरीब लोगों की जीविका के लिए सभी अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मनोरंजन भक्त]

मैं, इस विधेयक को पारित करके जनोपयोगी कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार और संप्रग सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मैं तहे दिल से इस बात का समर्थन करता हूं कि सरकार द्वारा किसी भी आदिवासी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। निकोबार जिले विशेषरूप से काछल द्वीप में किए जा रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय द्वारा ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। पहली बार वन निवासियों विशेषरूप से अनादिकाल से वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याओं के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है

महोदय, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जिसे ऐतिहासिक विधान कहा गया था के पारित होने के पश्चात् तथा इस विधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् जनजातिय लोगों तथा लम्बे समय से वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष कई समस्याएं आयी थीं। उस विधेयक में वन निवासियों को समाज के अन्य सभी वर्गों को प्रदान की गई मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित रखा गया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक जनजातिय लोगों की बस्तियां हैं यथा इडुक्की जिले में इनामेलकुड्डी बस्ती जहां तक पहुंचने के लिए 18 कि.मी. का रास्ता तय करना पड़ता है।

महोदय, उन गरीब लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपनी बस्ती से बाहर जाने-आने के लिए प्रतिदिन 36 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती हैं। यदि उनके बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें रोज जंगली जानवरों जैसे हाथी, चीता आदि का सामना करते हुए 36 कि.मी. की दूरी तय करनी होती है। मैं उस बस्ती में गया हूं। उनकी केवल एक ही मांग है कि उनके लिए एक सड़क बनवाई जाए जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत नि:संदेह संभव नहीं थी। उनके लिए अन्य और कोई सुविधा नहीं है। उनके यहां टेलीफोन अथवा बिजली की कोई सुविधा नहीं है। नि:संदेह प्राकृतिक स्रोतों का जल वहां उपलब्ध है। लेकिन गर्मियों में उन्हें हाथी जैसे जंगली जानवरों का सामना करते हुए पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस व्यवस्था को बदला जाए। जब हमारे देश में अन्य सभी वर्ग इन मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

तो वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गरीब भाइयों के यहां ऐसी कोई सुविधा नहीं हैं। यह अन्यायपूर्ण है। इसलिए यह विशेष विधेयक, जिसमें लगभग सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है एक स्वागत योग्य कदम है। पहली बार, कोई परिवर्तन किया जा रहा है। और मुझे आशा है कि इससे अलग-अलग पड़े वन क्षेत्रों में सदियों से रहने वाले इन गरीब लोगों की स्थिति में काफी सुधार होगा।

लेकिन एक दो मुद्दे ऐसे है जिनपर चर्चा की जानी चाहिए। जनजातीय लोगों के अलावा, वन क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे और लोग भी है जिन्हे वन निवासी कहा जाता है। जहां तक केरल का संबंध है वहां पर वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में एक सर्वदलीय समझौता किया गया है। उन्होंने वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा नहीं किया है। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान "अधिक खाद्यान्न उपजाओ कार्यक्रम" (ग्रो मोर फूड प्रोग्राम) के अंतर्गत वन क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वे वहां काफी लम्बे समय से रह रहे हैं। जनजातीय लोगों के साथ उन्हे भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पारित होने के बाद बेदखल किया गया हैं। केरल राज्य में निर्णय लिया गया था कि 1.1.1977 के पूर्व वन क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए जहां वह रह रहे है और उन्हे पक्का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में यह मामला है और यह मामला अभी भी चल रहा है। सभी मालिकाना हक इस शर्त के साथ दिए गये है कि उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के बाद ही ये हक मान्य होंगे।

इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार के मालिकाना हक का कोई फायदा नही है क्योंकि वे लेन-देन नही कर सकते अथवा इनका किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं कर सकते है। इसलिए इस प्रकार के अन्याय को ठीक किया जाए और वन क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासियों को नियमित पट्टा दिया जाए।

अभी यह कानून दिसम्बर 2005 में प्रभावी होगा इसलिए वन क्षेत्रो के निवासियों को, चाहे वे गैर-जन-जातीय ही हो, भूमि का अधिकार अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए और इस कानून को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए ताकि वर्तमान में उच्चतम-न्यायालय में लंबित मामले की तरह अन्य न्यायिक मामले दर्ज न हों।

एक अन्य मुद्दा ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में है, जिसका जिक्र इस विधेयक में किया गया है। ग्राम सभा ऐसी निकाय होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए और प्रत्येक बसती में इन आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए कितनी भूमि प्रदान की जाए हैं ग्राम सभा की शक्तियां सरकार द्वारा बाद में किए जाने वाले किसी भी कानून से ऊपर होनी चाहिए।

चूंकि यह विधेयक अन्तिम रूप में पुरस्थापित किया है इसलिए इस विधेयक के महत्व और माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए सरकार को माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

इन्ही शब्दो के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, एसटी लोगों को जंगलों की जमीन पर हक दिलाने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उस पर बोलने का मुझे मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक को टेबल करने के लिए मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन, इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का भी मैं विरोध करता हूं।

इसके साथ ही मैं इस बिल के उद्देश्यों और मुद्दों पर जोर देते हुए बोलना चाहता हूं कि एसटी लोगों को जंगलो की जमीन पर हक देने के लिए 13 दिसंबर, 2005 को जो बिल पेश किया गया था, वह बहुत अच्छा था। उसे ट्राइबल लोगों को अधिकार देने के लिए पेश किया गया था, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के पास उस बिल को रेफर करने के बाद, अब जो हालत बनी है, उनके सामने बहुत सी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में टोटल 8 राज्य हैं। इन आठ राज्यों में से केवल तीन राज्यों से ही सदस्य इस जेपीसी में लिए गए थे, शेष पांच राज्यों - असम, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल देश का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं था। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर लाए गए इस विधेयक में जो नए-नए प्रॉविजन्स इन्सर्ट किए गए, वे हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए खास तौर पर 6 शैड्यूल के प्रावधान के आधार पर जहां जहां जितनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स और टेरीटोरियल कौंसिल्स हैं, जैसे बोडोलैण्ड टेरीटोरियल कौंसिल, कार्बी-आंगलांग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और मिजोरम राज्य में स्थित ऑटोनोमस कौंसिल्स स्थायी रूप से प्रचलित हैं, ऐसे अंचलों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। उन्हें बनाते समय वहां के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, जो बड़े दुख की बात है। अगर जेपीसी का उद्देश्य अच्छा था तो हमारे नॉर्थ-इस्टर्न रीजन के विभिन्न ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करनी चाहिए थी, उनके व्युप्वाइंट को सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं सुना गया। उनकी कोई ओपिनियन नहीं ली गयी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मेरी तरफ से जो अमेंडमेंट्स पेश किए गए हैं, उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले मेरा अमेंडमेंट यह है कि सेक्शन 2 के सबक्लॉज (ओ) के प्रावधान को नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन पर कदापि लागू नहीं किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में धारा 2 (ओ) के अधीन किए गए प्रावधान को हटाया जाना चाहिए अन्यथा, इस प्रकार के आधे अधूरे प्रयास से उस क्षेत्र में काफी कठिनाइयां और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ और समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले में ही काफी अशान्त और असुब्ध क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए सेक्शन 2 के सबक्लॉज (ओ) में *[हिन्दी]* जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें बिल से वापस ले लेना चाहिए, खासकर हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। हिन्दुस्तान के बाकी प्रदेशों और विभिन्न अंचलों में आप लोग इसे लागू कर सकते हैं, मुझे मंजूर होगा, लेकिन हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के ट्राइबल लोगों के ऊपर यह डेट्रीमेंटल क्लॉज है। उसे इम्पोज करके नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लोगों को और ज्यादा दुख देने और वहां के जनजाति लोगों को ज्यादा भयानक परिस्थिति और विपति में धकेलने की कोशिश मत कीजिए। विधेयक के सेक्शन में रखे गए प्रावधान में

अपराहन 5.00 बजे

ग्राम सभा के बदले नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्र में जहां-जहां आटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हैं, जैसे बोडोलैंड आटोनोमस टैरिटोरियल कौंसिल है, उन्हीं को ही उस प्रावधान का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हमारे बोडोलैंड आटोनॉमस टैरिटोरियल कौंसिल की अवधि के अंदर अभी तक पंचायत सिस्टम लागू नहीं किया गया हैं

[अनुवाद]

आपको इस गंभीर तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए कि आज की स्थिति के अनुसार पंचायती राज प्रणाली के पास सुरक्षित वनों के मामले में कोई अधिकार नही हैं। यह बिलकुल स्पष्ट हैं।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

अपराह्न 5.02 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

जंगलों की जमीन के ऊपर ग्राम सभा को कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है।

[अनुवाद]

ग्राम सभा का सुरक्षित वनों के बारे में कोई क्षेत्राधिकार नही हैं ऐसी स्थिति में वन भूमि पर जनजातीय लोगों को पंचायती राज प्रणाली के अधीन विशेषकर इस कानून के लाभार्थियों की पहचान करने के संबंध में किस प्रकार समान अधिकार प्रदान किए जा सकते है? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि धारा 6 के अधीन विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में, जहां 1952 में ही स्वायत्त शासी जिला परिषद मौजूद हैं यह पंचायती राज प्रणाली किस प्रकार लाई गई है। अत: इस विधेयक को पारित करते समय इन गंभीर पहलूओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

अभी तक हम काफी तकलीफ बर्दाशत कर रहे हैं। फिर भी आप हमें और तकलीफ देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे मित्र पड़ोसी देशों में उनके क्षेत्र में गैर-कानूनी आप्रवासियों की लगातार घुसपैठ के बारे में पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं। विदेशों के अलावा वहां पर देश के अन्य विकसित भागों के लोग भी घुसपैठ कर गए हैं।

[हिन्दी]

ऐसी परिस्थिति में, ट्राइबल का क्या होगा, क्योंकि असम में जितना भी ट्राइबल बैल्ट और ब्लॉक थे, पड़ोसी देश और दूसरे राज्यों से आए लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है।

[अनुवाद]

महोदय, भारत सरकार ने 1960 में यू.एन. देवार आयोग का गठन किया था उस आयोग ने भारत सरकार से जनजातियों से ली गई भूमि को उन्हें वापस लोटाने के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। लेकिन आजतक 40 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उस आयोग की एक भी सिफारिश को भारत सरकार ने अभी तक लागू नही किया हैं। यह शर्मनाक बात हैं। मैं भारत सरकार से विशेषकर माननीय मंत्री जी से, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, अपील करना चाहता हूं कि कम से कम वह धारा 2(ओ) के अधीन रखे गए मेरे संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करें। विधेयक की धारा 6 के संदर्भ में छठी अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में ग्राम सभा के स्थान पर बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद् की तरह स्वायत्तशासी जिला परिषद् और स्वायतशासी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाए।

कुल 36 संसद सदस्यों ने भारत के प्रधानमंत्री और संबद्ध मंत्री महोदय को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि संशोधन के लिए हमारी वास्तविक मांगों पर विचार किया जाए। अत: भारत सरकार को हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए और विधेयक में हमारे संशोधनों को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में विशेषकर नार्थ-ईस्ट रिजन में जितने अधिकृत फारेस्ट विलेज हैं, उन्हें रिवेन्यू विलेज में कंवर्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण उन फारेस्ट विलेज में रहने वाले लोगों को विकास का कोई अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तथा विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है।

[अनुवाद]

अत: मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यमान चिन्हित वन गांवों को राजस्व गांवो में परिवर्तित किया जाए। वन और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सी आई एम एफ की तर्ज पर एक केन्द्रीय बल गठित किया जाए जिसका मैं काफी लंबे समय से मांग कर रहा हूं। अत: सी आई एम एफ की तर्ज पर केन्द्रीय वन संरक्षण बल नामक एक बल का गठन किया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह हमारे संशोधन पर विचार करें और अनुसूचित जनजातियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य परम्परागत लोगों के बेहतर हित

में उन्हें विधेयक में शामिल करें, साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक, 2006 के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी एवं एससी, एसटी तथा ओबीसी को इससे पहले भूमि से कई बार बेदखल किया गया। हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके घर सैंकड़ों सालों से वहां हैं, लेकिन उन्हें पट्टे की मल्कियत अभी तक नहीं मिली। वे खेती करते हैं, मगर रिकार्ड में भूमि जंगल की लिखी है, जबकि खेती भी कई वर्षों से करते हैं। उन्हें अतिक्रमित कहा गया, जिनके घर जंगल की भूमि पर है, लेकिन अब वहां जंगल नहीं है। इस विधेयक की दृष्टि से मेरी पहली मांग होगी कि उन्हें मल्कियत के पट्टे मिलें।

महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जंगल भूमि, जिसे झुड़पी जंगल कहते हैं, जिसे अन्य भागों में चराई की भूमि कहते हैं, ऐसी भूमि पर झोपड़ियां हैं, खेती होती है, मकान हैं। 1955 में इस भूमि को वन भूमि में बदला गया, लेकिन बताया नहीं गया। ऐसी स्थिति में उन्हें बेदखल करना नाजायज है। कोर्ट में केस लम्बित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन सब लोगों को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर 6 महीने के अंदर पट्टा देने की कृपा करें और इस विषय में राज्य सरकारों को भी सूचित किया जाए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो टाइगर अभ्यारण्य है, वहां वास्तविक रूप से गांव बसे हुए हैं। उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, इसे आपको स्पष्ट करना चाहिए। तेंदू पत्ता, गोंद, महुआ आदि पर फारेस्ट विभाग का अधिकार है और राज्य सरकार इससे पैसा लेती है। पैसा भी बहुत कम मिलता है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, जहां केवल 40 करोड़ रुपया मिलता है। मेरी चौथी मांग है कि फारेस्ट प्रोड्यूस के सारे अधिकार ग्राम सभा को दे दें। फारेस्ट प्रोड्यूस से जो रेवेन्यू आएगा, वह ग्राम सभा का होगा, वह गांव का होगा। इससे उनका विकास तेजी से हो सकेगा।

महोदय, मैं केवल कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आदिवासियों ने जंगल काटे, यह सच नहीं हैं जंगलों में रहने वाले लोगों ने कभी जंगलों का विनाश नहीं किया। इस बारे में आप छानबीन करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने जंगल काटे, वे सबसे भ्रष्ट हैं। इसलिए फारेस्ट के अधिकारियों पर नियंत्रण लगाएं। क्या इस संबंध में प्रशासनिक पहल की जा सकती है? जो लोग जंगल में रहते हैं, उनके पेड़ उस भूमि पर हैं, मैं महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूं, लेकिन उन पेड़ों को काटने का अधिकार उन्हें नहीं है। फारेस्ट विभाग उन्हें काट देता है और जो पैसा मिलता है, वह राज्य सरकार का होता है। इस बारे में केंद्र सरकार दखल दे कर फारेस्ट प्रोड्यूज, खेती और पेड़ हैं, उनके संबंध में पहल करे।

आपराधिक गतिविधियों के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी माननीय सदस्य ने इस बारे में नहीं कहा है। फारेस्ट में रहने वाले लोग अपराध नहीं करते हैं। अपराध माफिया के द्वारा कराए जाते हैं। वन अधिकारियों द्वारा भी अपराध कराए जाते हैं। इसलिए इसमें आपराधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है। वनों में रहने वाले लोगों को छह महीने के भीतर मल्कियत के पट्टे दिए जाएं। जो वन उपज है, वह ग्राम सभा को दें। जो लोग वनों में रहते हैं, उनके रास्ते के लिए, स्कूल अस्पताल और पीने के पानी की जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं उन्हें पहुंचाने का काम करें। यह काम केन्द्र और राज्य सरकार का है।

इस बिल में काफी अच्छी बातें शामिल की गई हैं। सैक्शन 9 में इसका समावेश करना आवश्यक है। बांग्लादेशी, जो असम में बड़े पैमाने में हैं, 9 जिले पूरे के पूरे उनके हाथ में हैं। ...*(व्यवधान)* बांग्लादेशियों की छानबीन करने की आवश्यकता है। इस बिल के कारण धोखा हो सकता है। असम के जंगलों में छा न जाएं, उसके बारे में देखना होगा। जिला समिति में लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए। लोक सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष हो, ताकि उसे ठीक से देख सके। जन प्रतिनिधियों की एक समिति होनी चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रैडिशनल फॉरेस्ट डैवलर्स बिल, 2006, जो माननीय सदन में रखा गया है, मैं उस चर्चा में भाग लेते हुए, इसका समर्थन करता हूं। एक संयुक्त समिति श्री किशोर चन्द्र एस. देव की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें बहुत से पर्यावरणविद, प्रोफेसर और दूसरे विशेषज्ञ लोगों ने अपने सुझाव दिए। उन सब को इलैबोरेट करके इस बिल में रखा है। मैं एक-दो बातें ट्राइबल लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का 1/4 एरिया ट्राइबल है जिसमें पांगी, भरमौर और लाहौल स्फीति शामिल है। वहां दो किस्म के ट्राइबल्स हैं - एक वे हैं जो वहां परमानैंटली सैटल्ड हैं और दूसरे किस्म के घुमन्तु हैं, जिन में गद्दी, गूजर और

[प्रो. चन्द्र कुमार]

बकरवाल आते हैं। वे सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते रहते हैं। जब गर्मी होगी, तो हाई एलिवेशन के ऊपर चले जाते हैं। वे अपनी जान हथेली पर रख कर चलते हैं। गर्मी की ऋतु आएगी तो ऊपर की ओर जाएंगे और सर्दी की ऋतु आएगी तो वे हिमालय पर्वत के फुट हिल्स इलाकों की तरफ ज्यादा जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एंडरसन को जो सैटलमैंट हुआ था, उसमें सब के राइट्स रिकॉर्डिड है। जो लोग वहां सदियों से ट्राइबल्स के रूप में रह रहे हैं, उनको हर किस्म के राइट्स दिए जाते हैं। इस बिल में जो अदर राइट्स डवैलर्स के हैं और जो उसके नजदीक रहते हैं, उनको फॉरेस्ट में बहुत से राइट्स हैं। ट्रैडिशनल डवैलर्स ट्राइबल एरिया के बीच में रहते हैं, तब बात बनती है। वे वहां न रह कर, उसके पैरीफेरी में रहते हैं, तो उनको फॉरेस्ट के सारे राइट्स दिए जाते हैं। इस बिल की मंशा पूरी नहीं होगी अगर आप इसे ठीक से इम्पलीमैंट नहीं करेंगे - वे कौन से डवैलर्स हैं, वह नोटिफाइड एरिया है या ट्राइबल एरिया है? हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल का एरिया है, वहां नॉन ट्राइबल आदमी जमीन नहीं खरीद सकता जबकि ट्राइबल का आदमी नॉन ट्राइबल एरिया में रहने वाले हैं, अगर ट्राइबल की परिभाषा में आते हैं और जैसा आपने कहा है कि कम से कम तीन जनरेशन या 20-25 साल तक लगातार रहने चाहिए, लेकिन आज वहां बड़ी ओपनिंग हो गई है। लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर में जमीनें बेनामी भी खरीदी जा रही हैं। दूसरों के नाम पर लोग जमीनें खरीदते हैं। वहां ट्राइबल्स इलाकों में बड़ी-बड़ी सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि वहां के ट्राइबल लोगों को ही इसका हक दिया जाए, किसी भी बाहर के आदमी को बेनामी ट्रांजैक्शन करने का कोई हक न दिया जाएं इसके बारे में हमें सोचना होगा। आजकल हिल एरियाज ज्यादा एक्सप्लोर हो गये हैं उनमें बसने की मंशा हो गई है। सैंक्टयूरी एरियाज को एक्सप्लोर करें, जहां वाइल्ड लाईफ है उसे एक्सप्लोर करें। ईको टूरिज्म के नाम पर कहीं ऐसा न हो कि वहां के ट्राइबल लोग, बेनामी ट्रांजेक्शन के कारण उनकी रिकंस्ट्रक्शन का शिकार हो जाएं और स्वयं नौकर बनकर सारी उम्र रहें, इसलिए इस बिल में इसका प्रावधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब 1980 में फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बना था, मैं 1982 में हिमाचल प्रदेश में वन मंत्री था। स्वर्गीय राजीव गांधी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्हें इकॉलाजी और एन्वायर्नमेंट से बहुत प्यार था। 1980 में जब यह बिल बना तब यहां पर एक कांफ्रेंस हुई और बहुत से फॉरेस्ट मिनिस्टर्स यहां आए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट में रोड्स को ओपन कर दिया जाए, पानी की स्कीमों को ओपन कर दिया जाए और लोगों को जमीनें दे दी जाएं। उस वक्त राजीव गांधी ने कहा था कि 1980 के कन्जर्वेशन एक्ट में प्रोवीजन किया गया है कि भारत सरकार की आज्ञा के बिना किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। जंगलों में बहुत एन्क्रोचमेंट हो रहा है। लोगों को जंगल की जमीन का बहुत लालच है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्राइबल लोगों को रहने के लिए जमीन देंगे भी तो मिनिमम रखना चाहिए। आपने चार हैक्टेयर रख दिया, हिली एरियाज में चार हैक्टेयर जमीन नहीं मिल सकती है। अगर हिली एरियाज में एक आदमी को चार हैक्टेयर जमीन देंगे तो कम से कम 60 कनाल जमीन आपको देनी पड़ेगी। वहां जंगल भरे हुए हैं इसलिए आपको पेड़ काटकर जमीन प्रदान करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि ट्राइबल एरिया में, जहां नेशनल वाइल्ड लाइफ के सैंचुरी एरियाज और नेशनल पार्क्स हैं, वहां कई पशु-पक्षी की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो एक्सिंटक्ट होने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, समय समाप्त हो गया है। आपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार : हिमाचल प्रदेश में कई पशु-पक्षियों के हैबीटेट्स खत्म होने जा रहे हैं और हम वहां कमीशन में यह बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें प्रोवीजन होना चाहिए कि जमीन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बफर जोन में रखा जाए और कोर जोन्स हैं, उन्हें अवाइड किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचारों की कद्र करता हूं लेकिन मुझे खेद है कि अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं टिम्बर राइटस के बारे में बताना चाहता हूं। पांच रुपए का स्टैंडिंग ट्री वहां के लोगों को राइट्स में दिया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे बैन कर दिया है। उनका कहना है कि इस तरह से टिम्बर राइट देंगे तो फॉरेस्ट में पेड़ों की समस्या हो जाएगी। इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि जो अमेंडमैंट आप करेंगे वह कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर

यह कोर्ट में चैलेंज होगा तो वहां के लोगों के राइट्स के ऊपर एन्क्रोचमेंट होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित अनुसूचित जन-जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पारंपरिक वन वासियों के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय होता आया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समूहों ने संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन का स्वागत किया है। श्री किशोर चन्द्र देव की सभापतित्व वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अद्भूत सुझाव दिए हैं तथा बहुत से सुझावों को उस विधेयक में शामिल भी किया गया है। यही कारण है कि मैं संयुक्त संसदीय समिति के सभापति, श्री किशोर चन्द्रदेव की सराहना करता हूं।

आजादी के समय से ही लोग उपेक्षित हैं। इस अधिनियम के द्वारा अब हम जन-जातीय लोगों तथा पारंपरिक रूप से वनो में रहने वाले लोगों को विधिक दर्जा दे रहे हैं। आजादी के बाद, सुधारों के बाद, वैश्वीकरण के बाद, हमने धन अर्जित किया है। इसमें कोई संदेह नही है। हर वर्ष हमारा सकल घरेलु उत्पाद बढ़ रहा हैं लेकिन यह धन निर्धनतम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।

आज भी, यदि आप जन-जातीय क्षेत्रों में जाएं और देखें, तो आज पायेंगे कि वहां अभी भी विद्यालय, सड़कें, बिजली और यहां तक की न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इस अधिनियमन के माध्यम से हम विलेज असेम्बली में ग्राम सभा पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। इसलिए, 1996 में उन्होंने पंचायत विस्तार अधिनियम पारित किया था, लेकिन हमें मुख्य रूप से ग्राम सभा पर जोर देना है।

वे जो कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी, इसीलिए हमें इसे अनिवार्य बनाना है।

इस अधिनियम के पारित होने के बाद शीघ्र क्रियान्वयन के लिए इसे नौंवी अनुसूची में भी सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा, कोई न्यायालय में जाएगा और मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है। इसलिए, मेरा यह भी एक सुझाव है।

यद्यपि वर्तमान विधेयक वन संबंधी संयुक्त राष्ट्र पारंपरिक जैविक विविधता मंच की प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों के अनुरूप है। इसलिए, इस विधेयक में भी हमने संयुक्त राष्ट्रके सभी दिशानिर्देशों का संकलन किया हैं

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : माननीय अधक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। काफी लंबे समय के बाद इस देश के मूलवासियों के लिए यह बिल लाया गया है। यही आदिवासी, ट्राइब्स और जंगलवासी इस देश के मूल वासी है। वर्षों तक इनके लिए कोई नई सोच, नई सुविधा देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गयां यू.पी.ए. सरकार काफी सोच-समझकर इस विधेयक को लाई है, इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए दो-तीन मुख्य सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या जो लोग वनों में बसते हैं, चाहे वे दूसरी जाति से आते हों, यह बहुत आवश्यक है कि दोनों को वनवासी का दर्जा मिलना चाहिए और इस कानून से दोनों को लाभ पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई पुश्तों से जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो लोग उस संस्कृति में पल रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून के माध्यम से सरकार इन लोगों को जो अधिकार दे रही है, उसमें इन लोगों ने पहले से पूरे देश के पैमाने पर करीब 17 हजार जंगल सुरक्षा समितियों का निर्माण किया हुआ है। इस बिल के माध्यम से सुरक्षा समितियों को वह अधिकार रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग यह कहते हैं कि जंगल में रहने वाले ही जंगलों को बर्बाद करते हैं, यह बात सही नहीं है। जो जंगल के वासी है, वही जंगल की सही रक्षा करते हैं। यह अलग बात है कि वे उसी जंगल की लकड़ियों से अपना जीवनयापन करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनसे जंगल बर्बाद नहीं होता है, जो समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं, वे उनका उपयोग करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें इसका अधिकार रहना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन ये उन जंगलों में जोतते हैं, उन जमीनों पर इन्हें जो टाइटल मिलना चाहिए, कानून के द्वारा उन्हें ये टाइटल नहीं मिला है। हमारा सुझाव है कि सरकार

[श्री सीताराम सिंह]

के कानून के द्वारा उन्हें ये टाइटल मिलना चाहिए और उन जमीनों पर उनका अधिकार होना चाहिए।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जंगलों में बसे हैं, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। सरकार को उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल करते हुए वहां सड़कें बनानी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नई टैक्नोलोजी के युग में उनके पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें टेलीफोन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। उनकी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जंगलों में विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े और वे बेहतर काम कर सकें।

महोदय, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वन में रहने वाले वनवासी जिन अधिकारों का उपयोग आज तक करते रहे हैं और जिन्हें सरकार ने मान्यता नहीं दी है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उसे कानून बनाकर मान्यता प्रदान करे, लेकिन इस पर एक बार और सोचना पड़ेगा। जो वनवासियों का अधिकार है, उस अधिकार में वन के अधिकारी और कर्मचारी अनावश्यक इंटरफियर करते हैं। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें सोचा गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, तो उस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक अधिकार उन्हें दिये जाए, ताकि वे लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें।

इसके के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*श्री नारायण चन्द्र बरकटकी (मंगलदोई) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। देर आए दुरूस्त आए। यदि यह विधेयक पहले आ गया होता तो बंगलादेश से आने वाले घुसपैठियों द्वारा असम के कई वन क्षेत्र है अतिक्रमण से बच गए होते। यह स्वागत योग्य कदम है कि वन-क्षेत्र के गांवों में जन-जातियों को आवास दिए जायेंगे। मैं यह भी महसूस करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर का जोत आर्थिक जोत के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

पारंपरिक वन निवासियों के संबंध में मुझे कुछ आशंका है यद्यपि तीन पीढ़ियों की शर्त रखी गई है।

महोदय, असम के काजीरांगा, काजीरंगा ओरंगा और मानस जैसे राष्ट्रीय पार्कों तथा वन-भूमि का काफी अतिक्रमण हुआ है। ये अतिक्रमणकारी बंगलादेशी घुसपैठिये के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यह आरोप लगाया जाता है कि घुसपैठियों ने गुप्त रूप से नागरिकता तथा पी.आर.सी. प्राप्त कर ली है।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि झूठी गवाही देने वालों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए। 1000 रुपये का जुर्माना बहुत ही कम है।

इसी दौरान अनेक वन भूमि पर लोग अवैध रूप से बस गए हैं। ऐसी वन-भूमि जहां पहले से ही लोग बस गए है के लिए इस विधेयक में किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। इस मुद्दे को भी इस विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तथा अवैध रूप से बसे हुए लोगो से भूमि वापस लेने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़) : महोदय, इस विशेष विधेयक के संबंध में मुझे तीन बाते कहनी है।

पहली तथा सबसे महत्वपूर्ण आशंका है कि इस विधेयक जिसे 2005 में अनुसूचित जनजाति वन अधिकारों की मान्यता विधेयक के नाम से लाया गया था, का नाम संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद बदल दिया गया था और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को भी इसमें सम्मिलित करने पर विचार किया गया है।

महोदय, जैसा कि आप जानते है, मैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति के बारे में बोल रहा हूं सीमा पार से बड़ी संख्या में लोगो का आना जाना है। यहां तक की भारत सरकार भी अपने गहन आकलन के बाद, यह समझ गई है कि अधिकांश वन क्षेत्र के गांवो में संदिग्ध अवैध आप्रवासी रह रहे हैं।

भारत सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारें भी उन अवैध आप्रवासियों की पहचान करने के लिए कदम उठा रही हैं। प्रश्न यह है कि एक बार यदि यह विशेष कानून पारित हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यह उन अवैध आप्रवासियों के लिए संरक्षण का काम करेगा और मै समझता हूं कि उन्हें एक संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए, यह आशंका दूर की जानी चाहिए। अन्य विशेषरूप से तीन पीढ़ियों की बात करते रहे हैं और प्रत्येक पीढ़ी 25 वर्ष की हो, और इस बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है तथा इसके बारे में पूरी तरह जानकारी भी नही दी गई है। यही कारण है कि

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उस विशेष मुद्दे पर विशेषरूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए जिससे कि अवैध आप्रवासियों को इस विधेयक द्वारा संसरण न मिल पाए। यह पहला मुद्दा था।

दूसरी बात है कि आदिवासियों की वन-गांवों में रहने की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उनकी आजीविका भी वन पर आश्रित है। हम उस क्षेत्र में उन लोगों को संरक्षण देने के विरोध में नही है जो तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। लेकिन महोदय, प्रमाणपत्र जारी करने के समय 'सक्षम प्राधिकारी' का नाम स्पष्टरूप से बताया जाना चाहिए। यदि यह सक्षम प्राधिकारी आज के वास्तविक भारतीय नागरिको को संगत दस्तावेज जारी करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होतो कल अन्य लोग भी इसका फायदा उठाएगें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जनजातीय और अन्य परंपरागत रूप से वनों में रहने वाले निवासियों को वन भूमि पर उनके अधिकार को स्वीकृत करने वाला जो बिल यह सरकार लेकर आई है, मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूं और वनवासियों को स्वामित्व, मालकियत देने का जो अधिकार इसमें दिया गया है, यह एतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन वनवासियों को दबाव में जीने की जो परंपरागत प्रथा बनी थी, मालिक होते हुए भी इनके साथ अपराधी की तरह जो बर्ताव वन अधिकारी करते थे, उससे इन वनवासियों को निश्चित ही मुक्ति मिली है। मैं इतना ही कहूंगा कि वन भाग में रहने वाले सभी वनवासी, जो खेती करते हैं, जो गैर वनवासी, आदिवासी हैं, मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, उन लोगों को खेती के साथ जो उनको मलकियत दी गई है, उनकी खेती के विकास हेतु यहां पर सिंचाई परियोजनाएं बड़े पैमाने पर लाने की जरूरत है। परंपरागत ढंग से खेती करना या नैसर्गिक आधार पर खेती करना फायदे का व्यवसाय नहीं रहा है। सिंचाई की परियोजनाओं को पूरी करने का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन वनवासियों पर न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं, उन मामलों को तुरंत खारिज किया जाए। पिछले पांच वर्षों में वन अधिकारियों ने अनेक वनवासियों और वन क्षेत्र में रहने वाले भाइयों की जिस भूमि को अपने कब्जे में लिया, उसे तुरंत लौटाए जाने के बारे में भी इसमें लिखा जाए। सड़क, बिजली, स्कूल तथा अन्य बातों का यहां प्रावधान किया गया है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां सिंचाई की नहरें जाने के लिए भी लिखा है। इस बारे में भी आप गौर से यह बात समझें कि जब तक हम सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक खेती में बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। वन क्षेत्रों में हमारे किसानों के वनवासी बेरोजगार नौजवान लड़कों के लिए वन उपज का कलैक्शन, संतुलन, स्टोरेज तथा बिक्री करने का भी अधिकार उनको दिया जाए ताकि वे अपना आर्थिक सुधार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विदर्भ में विशेषकर झुड़पी नाम का एक भूमि क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत कहा जाता हैं हालांकि यह जंगल नहीं है लेकिन इसे वन्य भूमि में लिखा हुआ बताया गया हैं इस कारण इस भूमि पर वन्य जीवन विधेयक, 1980 लागू होता है। मेरा निवेदन है कि इस भूमि को गायों के लिये चरागाह या अन्य भूमि मानकर इस एक्ट से मुक्त किया जाये।

**श्री बापू हरी चौरे* (धुले) : महोदय, अनुसूचित जनजाति वन अधिकारों की मान्यता विधेयक 2005 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का प्रयोजन सदियों से आदिवासियों के ऊपर हुए अन्याय को मिटाने के लिए हुआ है। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यूपीए चेयरपर्सन महोदया सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह व अनुसूचित जनजाति के मंत्री श्री किंडिया जी, इनका मैं दिल से आभार मानता हूं कि जिन्होंने लाखों गरीब आदिवासियों की दुआ लेने का काम किया है। ये लोग सदियों से जंगल में रह रहे हैं। मगर शासन की तरफ से उनको सार्वजनिक विकास से दूर रखा गया है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के निवास को मान्यता नहीं थी। इसलिए वो विकास से दूर थे जैसे शिक्षा आरोग्य, सड़कें इनके ऊपर सरकार खर्चा नहीं करती थी। मगर अब इस विधेयक के माध्यम से इनको ये सुविधायें मिल सकती हैं। अत: इसलिए इस विधेयक का महत्व अधिक है। ये जो लोग हैं अंग्रेजों के जमाने में विकास परियोजना द्वारा विस्थापना के कारण पुनर्वास द्वारा वनों भूमि पर बसाये गये हैं मगर उनकी तरफ किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वन क्षेत्र में जो आदिवासी या बगैर आदिवासी खेती उपज के लिए जंगल को उपभोग में ला रहे हैं उनको उस वन भूमि से वंचित किया गया हैं मगर इस विधेयक से उनको ये अधिकार प्राप्त किया जायेगा। मगर इसमें नेशनल ट्राईबल पॉलिसी के मुताबिक 1972 से 25 अक्टूबर, 1980 के बीच जिन्होंने वन भूमि को उपभोग में लाया है उसी को इसका अधिकार दिया गया है। 1972 से पहले जो लोग खेती उपज का इस्तेमाल करते थे वे लोग इस पीरियड में न आने के कारण खेती के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको चुनने के लिए ग्राम

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बापू हरी चौरे]

सभा को अधिकार दिये गये हैं और ग्राम सभा में जिनका नाम नहीं आया है उनको जिला कमेटी में अपील करने का अधिकार दिया है सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शिता रखी जाये। किसी के भी ऊपर अन्याय न हो इसका मैं निवेदन करता हूं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकार्ड में उनका अधिकार प्रदान करने की मैं मांग करता हूं।

अनुसूचित जनजाति के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारम्परिक रूप से वन अथवा वन भूमि के नजदीक रहते हैं। उनको भी ये अधिकार प्रदान करने की मैं मांग करता हूं। भारतीय घटना के मुताबिक आदिवासियों का विकास करने के लिए आदिवासी उपयोजना स्थापित की है और उसके माध्यम से बहुल आदिवासी क्षेत्र के ऊपर खर्च करने के लिए निधि केन्द्र से दिया जाता है उसके लिए हर तहसील में ट्राइबल सब प्लेन के गांवों की सूची बनायी है। उनको ही टी.एस.पी. का लाभ मिलता है तो मेरी मांग है कि इस विधेयक के अंतर्गत जो गांव आयेंगे उनको भी इस सूची में समाविष्ट किया जाये ताकि उनको इस विधेयक का लाभ मिल सके। महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, कई पीढ़ियों से वनों में रहने वाले आदिवासियों को अधिकार देने का जो बिल लाया गया है हम इसका स्वागत करते हैं, किंतु इसमें कुछ बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है जे.पी.सी. की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। मैं सागर संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां नोरादेही अभ्यारण्य में सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले के कई गांवों के लोग इसलिए भयभीत हैं कि उन्हें गांव खाली करके जाना पड़ेगा। पोफला, कुशयारी, रमपुरा के नागरिक बहुत ही चिंतित हैं। मैं पिछले दिनों मोहली पटना, आंकीखेड़ा गांव गया था, जहां के लोगों ने बड़ी ही दयनीय व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि हम वर्षों से कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अत: सेंचुरी क्षेत्र के गांवो के व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनको वहां से हटाया जाये। सेंचुरी के गांवों में सांसद निधि से पैसा देने पर भी वन विभाग के अधिकारी कार्य नहीं करने देते। लोग 10-10 किलोमीटर नारकीय जीवन जी रहे हैं। बीसई भरई गांव में तो पांचवीं शिक्षित युवक डाक्टरी कर रहा है। आसपास के झील झिंगोड़ा बंधा सिमरिया समेत दर्जनों गांव के लोग उसी पर निर्भर हैं।

अत: ऐसे गांवों में पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधायें एवं मार्गों का विकास करने की पहल प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए।

*श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, वन अधिकारों की मान्यता विधेयक, 2006 का मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए, की ओर से सपोर्ट करता हूं।

इस बिल में अनुसूचित जनजातियों को उनका अधिकार मिल रहा है। सदियों से जनजातियां ऐसे कानून की मांग कर रहे थे। यूपीए सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। इस कानून में जनजातियों के साथ जनजाति का भी उल्लेख होना जरूरी था। फारेस्ट में रहने वालों को इस कानून का फायदा होगा। अच्छी बात है।

इस कानून से जनजातियों को आर्थिक उन्नति करने का मौका मिलेगा। जंगल में जहां खेती के लायक भूमि होगी उसको जनजातियों को बांटना चाहिए। जंगल की सम्पत्ति का उपयोग जनजातियों को होना चाहिए। फारेस्ट कंसर्वेजन एक्ट 1989 में भी अच्छा परिवर्तन हो रहा है। उससे विकास कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा।

माननीय किंडिया जी के जीवन में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल पास करने का मौका मिला।

जहां मंगल होता है, उसे जंगल कहते हैं।

जहां दंगल होनी नहीं है, उसे भी दंगल कहते हैं।

बड़े पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को नीचे लाकर उनका पुनर्वास करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभा के सभी पक्षों का अभिवादन करता हूं। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहुत ही सकरात्मक चर्चा हुई जिसमें उप माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : अध्यक्ष जी, मेरा हॉफ-एन-ऑवर...

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : वह आज होगा।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीच ले कर दीजिये, वह डिबेट में आ जायेगी।

***डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता, विधेयक खण्ड पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने के कानून और उसी तर्ज पर आज भी वनवासियों के साथ हो रहे व्यवहार में परिवर्तन आये एवं अनुसूचित जनजातीय समाज की स्वतंत्रता की झलक देख सके, उसका आनंद ले सके, अपना विकास कर सके। इस बात का ध्यान रखते हुए उन पिछड़े आदिवासियों एवं वनवासियों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में यह संशोधन विधेयक कार्य कर सकेगा, ऐसा विश्वास है।

मान्यवर, विधेयक में ग्राम सभा को अधिकार देकर वास्तविकता के आधार पर निर्णय होगा एवं सही लोगों को अधिकार प्राप्त हो सकेगा।

मान्यवर, किंतु मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन कानूनों के कारण - वन्य जीव (संरक्षक) अधिनियम 1972 और वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002, के परिपेक्ष्य में अधिकारियों का आतंक एवं गरीबों पर अत्याचार आज भी कायम है।

बुंदेलखंड के खजुराहो संसदीय क्षेत्र, दमोह संसदीय क्षेत्र एवं सागर संसदीय क्षेत्र में स्थित पन्ना नेशनल पार्क, नौरादेही अभ्यारण्य आतंक के पर्याय बने हैं। पन्ना नेशनल पार्क में पलकुआं खरयानी ढोडन आदि 10 ग्राम जहां आदिवासी रहते हैं उनकी जमीनें हड़प ली गयी हैं। पशुपालन बंद हो गए हैं। सांसद निधि से भी विकास के कार्य बंद हैं। फसलें नष्ट कर दी जाती हैं।

आवागमन की सुविधा बद्तर है। सड़कों का निर्माण बंद है। शादी विवाह में बरातों में रोकथाम की जाती है। बसों की सुविधा बंद है। न तो उन्हें अन्यत्र बसाया जा रहा है, न मुआवजा दिया जा रहा है और न ही उन्हें वहां बसने दिया जा रहा है। वहां के बच्चे तरसते हैं जबकि दूसरी तरफ नेशनल पार्क के अधिकारी अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर लोगों को आंतकित करते हैं।

अवैधानिक हीरा खनन किए जा रहे हैं तथा कीमती लकड़ी काट कर उसकी चोरी करा रहे हैं। जंगल जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। जंगल जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। किंतु, आम आदमी का गरीब आदिवासी का प्रवेश भी निषेध है।

मान्यवर, वन विभाग एवं राजस्व विभाग का अभी विवाद है। वन विभाग द्वारा वन अधिनियम, 1980 का आदेश देकर हर वर्ष एक किलोमीटर से ज्यादा की हद बढ़ाकर संकेतक लगाये जा रहे हैं जिससे कई गांव उजाड़ हो रहे हैं।

हर वर्ष वन विभाग की सीमा बढ़ जाती है इसे रोका जाये। क्षेत्रों का निर्धारण सही किया जाये। साथ ही आदिवासियों को बैंक ऋण आदि की सुविधा प्राप्त हो सके ताकि उनका भी विकास हो सके तथा मुख्य धारा में जुड़े। अत: मान्यवर, इस बिल का समर्थन करता हूं तथा उठाये गए सवालों का समाधान चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अनेक माननीय सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा अपने बहुमूल्य विचार और टिप्पणियां रखीं।

अब, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं तथा इस चर्चा के बाद बनी व्यापक सहमति के लिए उन्हें एक बार फिर धन्यवाद देता हूं जो इस अच्छी सोच पर खुश होने के लिए हमारे पास आए हैं क्योंकि, मैं समझता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों और अन्य समुदायों के प्रश्न पर इस प्रकार की शानदार चर्चा हुई। आज चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि यह एक आम सोच है कि वन में रहने वाले जनजातियों और अन्य समुदायों पर उचित ध्यान नही दिया गया है और इस मुद्दे को यहां जोरदार तरीके से रखा गया है।

जैसा कि हम सभी जानते है कि एक मात्र कारक जिसका बहु आयामी प्रभाव है, जिससे संप्रग सरकार यह विधेयक लाने के लिए प्रेरित हुई है, वह वन क्षेत्र में रहने वाले समुदायों विशेषकर जन-जातीय लोगों, की दयनीय स्थिति को महसूस करना है।

एक माननीय सदस्य ने वन क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.आर. किन्डिया]

बारे में एक प्रश्न उठाया कि उनकी किसी भी प्रकार की मूलभूत न्यूनतम सेवाओं तक भी पहुंच नहीं है। यह भी सही है कि बहुत से वनवासी जनजातियों, जिनको भूमि संबंधी अधिकार से कई पीढ़ियों से, अनंतकाल से ही वंचित रखा गया है और उन्हें उनके अधिकार औपचारिक रूप से नहीं दिए गए हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें अतिक्रमणकारी समझा गया तथा उन्हे बाहर खदेड़ दिया गया। वे पीड़ित लोग थे।

वन में रहने वाले जन-जातीय लोग भयाक्रांत रहते हैं। वे अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं कि कभी उन्हें निकास दिया जाएगा। वे मनोवैज्ञानिक तथा शरीरिक दोनो रूप से अलग प्रकृति के हैं। वे निराश्रय की स्थिति में होते हैं।

वे निराश रहते हैं। उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। कोई भी उचित दर की दुकान नहीं है। कुछ भी नहीं है।

मुझे खुशी है कि इस सभा में पंडित जवाहर लाल ने इस की चर्चा हुई जो 1950 के प्रारंभ में जन-जाति नीति के सूत्रधार थे। 1945 में भी जब वे, शिलांग मे आए थे – और मैं उनसे मिला था तब उन्होने जनजातिय लोगो को देश की मुख्य धारा मे लाने के बारे में जोरदार ढंग से कहा था। वे ट्राइबल पंचशील के लेखक थे। यह बहुत समीचीन है कि उन्होने इसका उल्लेख किया। यदि आप इसे पढ़े तो आपको आश्चर्य होगा कि पंचशील में एक बात भूमि और वन में जनजातियों के अधिकारो की मान्यता देने के बारे में है। उन्होंने अपनी इच्छाएं व्यक्त की थी। आज हम जन-जातियों की आजीविका की बात की आपको खुशी होती है कि कुछ किया जा रहा है। भारत के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट विचार रखने वाले वे पहले भारतीय थे जैसा कि होना चाहिए।

आज यह बात माननीय सदस्यों के भाषणों में वस्तुत: प्रतिबिंबित हुई है।

उस समय उन्होंने कहा था कि जन-जातीय लोगों को अपनी बुद्धि और गति से विकास करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही मुझे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का भाषण याद आ रहा है और आना भी चाहिए—जब हम जन-जातीय लोगों और वनो के संबंधों की चर्चा करते हैं। वनों को काटने वाले जनजातियों के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। मैं स्वयं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 31 मार्च, 1989 को महाराष्ट्र के नंदूरबार, पुणे में दिए गए भाषण का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा था:–

"जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं तभी से मैं पंडित जी और इंदिराजी की तरह आदिवासियों पर ध्यान देता रहा हूं। यदि हम भारत को बचाना चाहते हैं, यदि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, तो हम हर तरह से अपने पर्यावरण का संरक्षण करें हमारे लिए आवश्यक है। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि ये गरीब आदिवासी लोग ही है जो वनों को काटते हैं और अक्सर सरकार बहुत उनके साथ कड़ाई से पेश आती है। लेकिन आदिवासी हजारों सालों से वनों के बहुत करीब रहते आये हैं और वन नष्ट नहीं हुए हैं, वे लुप्त नहीं हुए हैं।"

जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में उपलब्ध ब्यौरे के आधार पर कह सकता हूं कि जहां कहीं आदिवासी हैं वहां वन हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा। मेरे सामने तथ्य पड़े हुए...*(व्यवधान)*

आपका स्वागत है। आपको जानने का पूरा अधिकार है। मैंने आपकी बात सुनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वन मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से यह बात साबित हो गई है कि जहां कहीं भी आदिवासी हैं उन स्थानों में घने जंगल हैं। देश में 187 जनजातीय जिले हैं।

इस समय में मैं संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का अवश्य आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस विधेयक को लाने के बारे में सोचा तथा इस प्रस्तावित कानून के बारे में स्पष्ट अवधारणा तथा रूप रेखा तैयार करने के प्रारंभिक चरण में ही बहुत योगदान दिया वह मेरे लिए और हम सभी के लिए वास्तव में सतत् प्रेरणा का स्रोत रही हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वामपंथी दलों के लिए भी।

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : यह कहने की आवश्यकता नहीं, यह तो है ही।...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. किन्डिया : इसके साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। जनवरी, 2005 में उन्होंने विरोध के बावजूद मेरे मंत्रालय को यह विधेयक तैयार करने का आदेश दिया था। उन्होंने हमारे द्वारा 13 दिसंबर, 2005 को इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के तुरंत बाद बयान दिया था। उन्होंने कहा कि "इस विधेयक से अधिकार वंचित जनजातीय लोगों

को एक बार फिर अधिकार मिल जाएंगे।" यह अच्छी बात थी ...*(व्यवधान)*

अब जनजातियां वनों में रह रही हैं। उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे। उन्हें उस पर मालिकाना हक दिए जाएंगे। देश में मूलरूप से बसनेवाले वे पहले लोग हैं। इसे हम बहुत ही स्पष्ट कर दें। वे मूल रूप से वनवासी हैं। मैं इस तथ्य को जानता हूं। मैं स्वयं भी जनजातीय व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं। हम देश के उस भाग में हजारों वर्ष तक रहे हैं जहां मैं रहा इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं।

इसलिए, आज जैसा कि पंडित नेहरु ने इंदिरा जी को एक बार लिखा जिसमें उन्होंने कहा: "मेरी प्रिय बेटी, इतिहास पढ़ना अच्छी बात है पर इतिहास रचना इनसे भी बेहतर है।" मै समझता हूं कि आज यह सभा इतिहास रचाएगी...*(व्यवधान)* आइये, हम सभी दलों के लोग एक साथ मिलकर, इतिहास बना दें। हम एक साथ हो लें। यह सभा सर्वोच्च है।

मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कई तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं समझता हूं कि हमें एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि वनों की पारिस्थितिकी प्रणाली का पुनरूद्धार करने उसे जीवित रखने और सतत् रूप से बनाये रखने में वनवासी लोगों की अभिन्न भूमिका है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। इससे संरक्षण शासन को मजबूती मिलेगी। इससे जैवविविधता को शक्ति मिलेगी। आप मेरी बातों को नोट कर लें। ऐसा ही होगा। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूं। लेकिन आप मेरी बातें याद रखना। इस विधेयक से ऐसा होगा।

लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है कि इतिहास बनाया जा रहा है। यह उन्हें भूमि अधिकार देने का सवाल नहीं है। इसका असर दूर तक होगा। जनजातीय लोग खुश होंगे। जनजातीय लोग गीत गाएंगे और कहेंगे - आज हम मुक्त हुए हैं। वे दूसरों की दया पर सदैव आश्रित रहने की दासता से मुक्त हो जाएंगे।

आज यह महत्वपूर्ण है। मैं आज बहुत खुश हूं। आपने कई बार वनवासी समुदायों की आजीविका और खाद्य संरक्षा के बारे में बात की है। उन्हें केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से उनके अधिकार दिए जाने चाहिए और उन्हें गौण वन उत्पादों का स्वामी बनाया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं के संबंध में निर्णय कर सकें। इस विधेयक के माध्यम से ऐसा होगा। उन्हें उनके अधिकार अवश्य दिए जाने चाहिए। अब तक उन्हें उनके अधिकार नहीं दिये गये थे। जनजातीय लोग देश के हर कोने में जा रहे हैं। वे कुछ निगमों, धनाढ्य स्वामियों समृद्ध लोगों के यहां कुली के रूप में काम कर रहे हैं। हम इस विधेयक के माध्यम से गौण वनोत्पादों का सम्मानीय स्वामी बना देना चाहते हैं।

एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इसका उत्तर-पूर्वी राज्यों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमें जनजातीय लोगों के रूप में भी रह रहे लोगों सहित जनजातियों की परंपराओं, रिवाजों और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पंडित नेहरु के शब्दों में "उनकी मेधा और प्रतिभा के अनुसार" विकसित होने देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के संबंध में, मैं संयुक्त संसदीय समिति सभापति और उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने देश का दौरा कर कई गैर-सरकारी संगठनों से मुलाकात करने में अपना बहुत समय लगाया तथा हमें ऐसी अच्छी सिफारिशें प्रस्तुत की जो राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संगत हैं। इसलिए, अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों का समावेश किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद देखा है। आपको यह याद रखना होगा। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद देश में कई जनजातियां थी। वास्तव में, पंडित जवाहरलाल नेहरु ने 1945 में मेरे समुदाय को माइक्रोस्कोपिक अल्पसंख्यक कहा था। वह अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। और उन्होंने 'माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी' शब्द का प्रयोग किया था। वे उसी तरीके से पूरे देश का भ्रमण किया। उस समय, इस छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या केवल 3.5 लाख थी और आज मेरे समुदाय की संख्या करीब 14 लाख है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन देश के लिए महान योगदान दिया है।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. किन्दिया : महोदय, ऐसा है।

उस समय 'अनुसूची' शब्द उसमें नहीं था। 'अनुसूची' शब्द तो बहुत समय बाद संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद आया। कई ऐसे छोटे जनजातीय समुदाय हैं जो अनुसूचित नहीं है लेकिन वे जंगलों में रहते हैं। यह इसका एक भाग है। इसका दूसरा भाग हैं वे लोग जिन्हें उपनिवेशी शासकों द्वारा कुली के रूप में लाया गया था और निर्माण मजदूर, लकड़ी काटने वाले मजदूर आदि के रूप में काम करते थे और वहीं टिक गए। वे जनजातीय लोगों की संस्कृति के अंग बन गएं उन्होंने उस संस्कृति को आत्मसात कर लिया। वे वनवासियों की तरह रहने लगे।

[श्री पी.आर. किन्डिया]

मैं इस सभा का ध्यान और महत्वपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और अपने अनुभव बांटना चाहूंगा। मैं इस देश के कई भाग में जाता रहा हूं लेकिन एक स्थान पर मुझे 20 या 22 वर्ष की युवा जनजातीय लड़की मिली। मैंने उनसे पूछा, "क्या तुमने कभी पेड़ काटा है? उसने कहा, "नहीं"। मैंने कभी किसी पेड़ को नहीं काटा।" जब मैंने पूछा, क्यों तो लड़की ने उत्तर दिया कि पेड़ उसके मां-बाप हैं। इन बातों से वनों के संरक्षण में मदद मिलती है

वास्तव में, मैं स्वयं जनजातीय लोगों और वन वासी लोगों को लंबे अर्से से जानता हूं। मैं कह सकता हूं कि जनजातीय और अन्य वनवासी समुदाय शायद सबसे प्रभावकारी संरक्षणविद् हैं क्यों कि वे वन मे ही रहते हैं; वन उत्पाद पर उनका जीवन निर्भर करता है और इसलिए वे वन के लिए ही जीते हैं। वे वनों की देखभाल करते हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि संयुक्त संसदीय समिति ने इस आधारभूत वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि कई ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हैं और वे अनुसूचित भी नहीं हैं।

एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। अंतिम तारीख के बारे में बात होती रही है। मैं अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि यह सत्य है कि मेरे मूल विधेयक में हमने अंतिम तारीख 1980 रखी थी पर मैंने यह भी महसूस किया कि वर्ष 1980 से 2005 के बीच, जब मैंने विधेयक को पुर:स्थापित किया, एक नयी पीढ़ी भी आ गयी है। इस नयी पीढ़ी के बारे में क्या किया जाये? इसलिए हमें अपनी सोच में सुधार करना चाहिए और आधारभूत वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसी कारण, आज हमने अंतिम तारीख 13.12.2005 कर दी है।

एक अन्य बिन्दु जिसपर आज चर्चा की गयी, वह है पंचायतों को शक्ति प्रदान करना, लोगों को शक्ति देना। भारत महान देश है। यह शक्ति आधारभूत स्तर पर जनता में रहती है। मैं एक बार फिर सोनिया जी का उल्लेख करूंगा। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसा ही कहा था। कई भारत हैं, हलचल करती अर्थव्यवस्था वाला भारत, जहां सूचकांक ऊपर जा रहा है, भूखे, गरीब और सबसे गरीब लोगों का भारत। मैं ऐसा कहना चाहूंगा। हम आज उस भारत पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे है जहां जनता की आवाज नही है, जनसंख्या के उस भाग पर ध्यान केन्द्रित कर रह हैं जिन्हें सभ्यता की कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें मुक्त करने की जरूरत है और जो सतत भय के आगोश में रहता है। भय सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तव में, अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक ने एक बार कहा था कि आपको सिर्फ खुद से डरना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

आज, इस विधेयक द्वारा हम भय को दूर करेंगे और जब भय की विजय नहीं होती तो सत्यता हावी हो जाएगी। इसलिए हमें जनता को शक्ति संपन्न करना होगा। पंचायती राज संस्थाएं हर स्तर पर अपना काम करें। उन्हें अपना काम करने दें और आधारभूत स्तर पर हमारे लिए एक सलाहकार निकाय होगा जो नौकरियों के लिए नाम और नामों की तालिका की सिफारिश करेंगे। लेकिन हमें शासन प्रणाली को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता हमें अनुमण्डलीय स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था करने की जरूरत है जहां जब आप सही काम करें तो उसे ऐसे जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किया जाये जिसे अर्द्धन्यायिक शक्तियां प्राप्त हों वेसा ठीक तरह से किया जाएगा। यदि शासन अव्यवस्थित है तो हर चीज अव्यवस्थित हो जाएगी। आज हमारे पास पंचायतों में शासन प्रणाली है और पंचायतों के साथ हम बहुत अच्छे निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

अब मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि हम जनजातियों के कल्याण के बारे में काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जब तक हम अवरोध की उस दीवार को दूर नहीं करेंगे जहां से हम वनों में पहुंच सकें, तब तक जनजातियां सभ्यता के लाभ नहीं उठा पाएंगी। उन्हें सभ्यता के लाभ उठाने दीजिए। जो लोग वनों में रह रहे हैं, उन्हें कम से कम स्वास्थ्य सुविधा तो मिलनी ही चाहिए, उन्हें कम से कम उचित मूल्य की दुकान की सुविधा तो होनी ही चाहिए क्योंकि उन्हें कुछ दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें सभ्यता के लाभ दिये जाने की आवश्यकता है। इसी कारण, मैं कहता हूं कि हम इतिहास रच रहे हैं क्योंकि इससे अन्य नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

अपराह्न 5.54 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ, *पीठासीन हुई*]

कुछ सदस्यों ने पूर्वोत्तर के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की संवेदनशीलता के बारे में अवगत हूं। मुझे यह भी पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक समान नहीं हैं। इसमें आठ राज्य हैं, जिनकी अपनी समस्याएं हैं तथा अपनी सभ्यता है। प्रत्येक का अपना स्वयं का कार्यकरण का तरीका है तथा समस्याएं हैं। परंतु मैं यह बता सकता

हूं कि आज जो भी चर्चा हुई हम उसके प्रति संवेदनशील है। यदि अधिक परामर्श तथा चर्चा की आवश्यकता है, मैं ऐसा कभी भी करने को तैयार हूं ताकि इस विधेयक के बारे में किसी भी प्रकार की गलत धारणा को मिटाया जा सके। बृहद परामर्श हुआ।

परंतु, आज यदि आवश्यकता महसूस हो रही है कि हमें आगे चर्चा करनी चाहिए, तो हम ऐसा करने को तैयार हैं। मैं "नही" नहीं कह रहा हूं। आप हमसे यह आशा नहीं कर सकते हैं कि इसे अभी किया जाए। प्रश्न यह है कि क्या पर्याप्त चर्चा हुई है। हो सकता है आपने इस पर विस्तृत चर्चा न की हो, परंतु संयुक्त संसदीय समिति में की गयी है। उसमें पूर्वोत्तर से भी सदस्य हैं- उस समिति में मणिपुर तथा त्रिपुरा से एक-एक सदस्य हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : यह सदस्य अकेले ही संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते है...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. किन्डिया : आपने सुना नहीं होगा जब मैने कहा कि पूर्वोत्तर एकरूपता वाला क्षेत्र नही हैं। वहां इसमें आठ राज्य हैं प्रत्येक की अपनी समस्याएं हैं। मैं मेघालय के बारे में जानता हूं, चूंकि मैं मेघालय से हूं। हमारी अपनी समस्याएं हैं। आप असम और बोडोलैण्ड के बारे में बेहतर जानते हैं। इसलिए, हमें एक दूसरे से चर्चा करने तथा परामर्श करने की आवश्यकता है। यहां पूर्वोत्तर से अन्य सदस्य भी हैं। हम चर्चा करेंगें। मैं यह नहीं कह रहा कि हम चर्चा नहीं करेगें। मैं 'हां' भी नही कह रहा चूंकि यह एक विधेयक है जिसे काफी चर्चा के बाद संकल्पनाबद्ध किया गया है तथा मूर्तरूप दिया गया है इस विधेयक को लाने में लगभग दो वर्ष लग गए। इसलिए, हमें चाहिए कि हम उचित रीति से कार्य करें। ऐसा निर्णय न करें जिससे कामरेड की भावना, जिसका संचार हुआ, व्यर्थ जाए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : विधेयक को रोकने का कोई सवाल ही नही है। हम सब इसका समर्थन करते है परंतु हम उन उपबंधों पर आपत्ति कर रहे हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के समग्र हित को प्रभावित करते हैं। उन विशेष उपबंधों को हटाने में क्या बुराई है? मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी, भाजापा, कांग्रेस, एजीपी तथा कुछ अन्य दल पहले ही मेरे प्रस्तावित संशोधनों पर सहमत हो चुके हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप यह सब मंत्री जी के भाषण के समाप्त होने के बाद कह सकते हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया : हमने जिला परिषदों के संबंध में भी कार्यवाही की है। छठी अनुसूची में दस स्वायत्त जिला परिषदें हैं। एक माननीय सदस्य के निर्वाचन स्थान पर भी है। यदि आप सावधानीपूर्वक विधेयक के उपबंधों को देखें, तो आप पाएंगे कि स्वायत्त जिला परिषद के लिए एक उपबंध हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : मंत्री जी के भाषण समाप्त होने पर आप जो भी चाहें कह सकते हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया : पूर्वोत्तर तथा अन्य स्थानों पर भी झूम खेती (शिफ्टिंग कलटीवेशन) के बारे में चर्चा की गई है यह महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि पूर्वोत्तर में झूम खेती एक प्रकार की कृषि की सांस्कृतिक पद्धति बन गई है। हमने उस पर कार्यवाही की है। हमने इस विषय पर खण्ड 31(1) में विशेष ध्यान दिया हैं यह बृहद रूप धारण कर रही है। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झूम खेती उनकी संस्कृति का एक भाग है, उनकी पद्धति तथा परम्परा का एक भाग है, तथा रहेगा।

एक अन्य सदस्य ने राहत और पुर्नवास पर राष्ट्रीय नीति के बारे में प्रश्न उठाया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस विषय पर समग्र रूप से कार्यवाही की जाएगी। यदि आप राष्ट्रीय जनजाति नीति के मसौदे को देखेंगे वहां पर भी यह लिखा है। मेरे मंत्रालय द्वारा जो कुछ भी किए जाने की आवश्यकता होगी, हम करेंगें। मुझे खुशी है कि यह मुद्दा उठाया गया।

एक अन्य मुद्दा पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय से इसके संबंध के बारे में उठाया गया।

सायं 6.00 बजे

वन्य जीव अभ्यारणय से संबंधित कार्य एमओएफ के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, हम एक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोई भी समस्या जो सामने आती है, आप निश्चिन्त हो सकते हैं कि हम उसे निर्बाध रूप से सुलझायेगें।

मैं पूर्वोत्तर के बारे में एक और बात कहूंगा। मैं अवैध प्रवासियों की समस्या की गंभीरता के विषय पर सदस्यों के विचारों से सहमत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी.आर. किन्डिया]

हूं। इसे कड़ाई से निपटाना होगा। मैं इस मुद्दे पर संवेदनशील हूं। यह सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। हम इससे कड़ाई से निपटेंगे तथा कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं को समझता हूं, चूंकि मैं वहां से संबंध रखता हूं।

मेरा विचार है कि वन उत्पादों का बाहरी क्षेत्रों में ले जाया जाने के बारे में एक मुद्दा उठाया गया है। नि:संदेह, हमने 'निपटान' शब्द का उपयोग किया है परंतु 'निपटान' शब्द का अर्थ यह भी है कि आप यह कार्य करते रहें। परंतु अगर यह शर्त पूरी नहीं होती तो हम नियम बना कर ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यही कहूंगा कि अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए तथा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उन पर कार्यवाही करेंगे तथा मेरे मंत्रालय की ओर से मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, मैं नियम बनाकर करूंगा।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब सभा, विधान पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड-2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, - '(ख) "संकटपूर्ण वन्य जीव आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामले वार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अतिक्रमणीय रखे जाने के लिए अपेक्षित है जैसा केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से खुले परामर्श की प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित की जाए। उक्त समिति में उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा और धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार होगी;' (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 26-29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, - '(ग) "वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो मुख्यत: वनों में निवास करते हैं और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर आश्रित हैं और जिनके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी हैं'; (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30-31 में, "**वन के रूप में लेखबद्ध या अधिसूचित किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन विद्यमान" के स्थान पर "वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि आश्रित है, और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन विद्यमान" रखें; (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 3 का लोप करें. (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 से 10 में "ईंधन काष्ठ, और उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउलडर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली, अपतृण" का लोप करें; (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17 में "अधिनियम, 2002" के पश्चात् "की धारा 2 के खंड (ण)" जोड़ें; (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 18 से 39 और पृष्ठ 4 पर पंक्ति 1 के स्थान पर पर निम्नलिखित रखें–

(ण) "अन्य परम्परागत वन निवासी" से कोई सदस्य या कोई समुदाय अभिप्रेत है जो 13 दिसंबर, 2006 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से निवास करता रहा है और जो

वनों या वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं के लिए निर्भर है;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से 25 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है"; (7)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 से 5 में "इस बात को ध्यान में रखे बिना कि अन्तर्वलित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, अथवा नहीं" का लोप करें; (8)

पृष्ठ 4, पंक्ति 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें- "(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र या" (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 7 में, "(ii)" के स्थान "(iii)" रखें; (10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 में, "(iii)" के स्थान "(iv)" रखें; (11)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

श्री चुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदया, सबसे पहले माननीय मंत्री जी सारे अमैंडमैंट मूव कर दें। उस पर मंत्री जी जो बोलना चाहते हैं, वे बोल दें। उसके बाद हम अपने अमैंडमैंट पर बोलेंगे।

[अनुवाद]

खंड-3 वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन-अधिकार

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 23 में, "जो वन भूमि में होते थे के अधिकार" का लोप करें; (12)

पृष्ठ 4, पंक्ति 25 में, "परिवहन" का लोप करें; (13)

पृष्ठ 4, पंक्ति 35 में "बसने का' के स्थान पर "बसने और संपरिवर्तन के" रखे; (14)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें "(झ) किसी सामुदायिक वन संसाधनों को सुरक्षित पुनरूजीवित, संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार जिसका वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं;" (15)

पृष्ठ 5, पंक्ति 12 से 13 में "निवासियों को" शब्दों के पश्चात् "13 दिसंबर, 2005 के पूर्व" अंत:स्थापित करें; (16)

पृष्ठ 5, पंक्ति 19 से 26 का लोप करें; (17)

पृष्ठ 5, पंक्ति 27 में "4" के स्थान पर "(2)" रखें; (18)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29 में, "प्रयोजना" के स्थान पर "हेक्टेयर" रखें; (19)

पृष्ठ 6, पंक्ति से 8 का लोप करें; (20)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

श्री चुएल ओराम : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 15 में "ऐसे अन्य पारंपरिक अधिकार" के स्थान पर "प्राचीन काल से चले आ रहे प्रतीकात्मक वार्षिक वन्य जीवों के शिकार परंपरा से संबंधित अधिकार सहित ऐसे अन्य पारंपरिक अधिकार" प्रतिस्थापित किया जाए। (49)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : मैं लिस्ट में क्रम संख्या-4 पर लिखा अपना अमेंडमेंट पेश करता हूं। इस विधेयक की क्लॉज 3 के सेक्शन (एल) में लिखा गया है:

[अनुवाद]

"..... अन्य पारंपरिक अधिकार जिनका वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है और जो खंड (क) से (ट) में वर्णित नहीं हैं किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है।"

[श्री जुएल ओराम]

[हिन्दी]

मेरा अमेंडमेंट यह है कि इसकी जगह यह इन्सर्ट किया जाए कि

[अनुवाद]

"प्राचीन काल से चले आ रहे प्रतीकात्मक वार्षिक वन्य जीवों के शिकार परंपरा से संबंधित अधिकार सहित"।

[हिन्दी]

मान्यवर, मंत्री महोदय जानते हैं कि उनके प्रदेश का कस्टमरी लॉ बाकी प्रदेशों के कस्टमरी लॉ से अलग है। ट्राइबल्स में कस्टमरी लॉ बहुत ही स्ट्रांग होता है और वह बहुत ही अहम भूमिका रखता हैं आपके प्रदेश में किसी पुरुष के नाम पर जमीन नहीं होती है, आपके प्रदेश में जमीन महिलाओं के नाम पर होती हैं हम हन्टिग का सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन हम साल में एक बार ट्रेडिशनल हन्टिंग करने जाते हैं और अगर कोई उसमें नहीं जाता है तो हम उसे जाति से निकाल देते है। इसे आप मना नहीं कर सकते हैं, यह हमारा कस्टमरी राइट है। इसी तरह 12 साल में एक बार महिलाएं हन्टिग करने के लिए जाती हैं। ऐसा प्रावधान करके आप हमारे राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आप हमें इससे इंकार नहीं कर सकते और इस प्रकार आप हमें हमारे परंपरागत कानून का प्रयोग करने से रोक रहे है। यह नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है। दूसरे, मंत्री जी ने कंसीडरेशन स्टेज में जब बोल रहे थे,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय कोई भी अब उस बात पर चर्चा नहीं कर सकता है जिसपर विधेयक पर किए जाने के दौरान चर्चा कर ली गई हो। उन्हें केवल संशोधन के बारे में ही बात करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : उस समय मैं खड़ा नहीं हुआ। बहुत सी बातों का मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। मैं अपने अमेंडमेंट पर जोर देता हूं आप इसे मानिए। आप ट्राइबल मिनिस्टर हैं और ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने में आपकी पार्टी को 50 साल लगे। ट्राइबल्स के इस कस्टमरी लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।

सभापति महोदया : ओराम जी, आप अपना अमेंडमेंट रख चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : महोदया, मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं विनम्रतापूर्वक केवल यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने प्रतीकात्मक वार्षिक शिकार करने के बारे में उल्लेख किया है।

महोदया, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि "प्रतीकात्मक' ...*(व्यवधान)* का क्या अर्थ है, मेरा यह कहना है कि जनजातीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का शिकार परंपरा और संस्कृतिक के अनुसार होता है।

सभापति महोदया : अब मैं श्री जुएल ओराम द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या-49 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन संख्या 49 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 **वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना।**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 27 से 28 में, "और सभी अधिकार धारकों की सहमति से तथा उस क्षेत्र से परिचित पारिस्थितिकीय और समाज विज्ञानी के परामर्श से" का लोप करें; (21)

पृष्ठ 6, पंक्ति 31 से 36 के स्थान पर, "ग राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि अन्य युक्तियुक्त विकल्प जैसे सहअस्तित्व"; उपलब्ध नहीं हैं;" रखें; (22)

पृष्ठ 6, पंक्ति 39 में, "राष्ट्रीय अनुतोष और पुनर्वास नीति" के स्थान पर "सुसंगत विधियों और नीति" रखें; (23)

पृष्ठ 7, पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर, "(ङ) प्रस्तावित पुर्नव्यवस्था और पैकेजों के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभा की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त की गई;" रखें; (24)

पृष्ठ 7, पंक्ति 8 से 9 का लोप करें; (25)

पृष्ठ 7, पंक्ति 25 के स्थान पर "निर्बाधित होगी और किसी भी दशा में चार हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र नहीं होगा;" रखें; (26)

पृष्ठ 7, पंक्ति 26 से 30 का लोप करें; (27)

पृष्ठ 7, पंक्ति 31, "(9)" के स्थान पर "(7)" रखें; (28)

पृष्ठ 7, पंक्ति 35, "(10)" के स्थान पर "(8)" रखें; (29)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पष्ठ 7 पंक्ति 10, "किसी राज्य" के स्थान पर,- "उत्तर-पूर्व राज्यों को छोड़कर किसी राज्य" प्रतिस्थापित किया जाए। (42)

पृष्ठ 7, पंक्ति 14, के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

"परंतु यह कि उत्तर-पूर्व राज्यों के संबंध में इस उपधारा के उपबंध 25 अक्तूबर, 1980 से लागू होंगे।" (43)

धारा 2 के उपखंड (ण) में के अधीन उल्लिखित उपबंधों के स्वदेशी अनुसूचित जनजातियों और पूर्वोत्तर के स्वदेशी लोगों के हितों में छठी अनुसूची क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होना चाहिए। मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदया : मैं श्री बैसीमुथियारी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को सभा के मदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य और राज्य सरकार के दायित्व

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 3, "ग्राम सभा" शब्दों के स्थान पर, "किसी वन्य अधिकार के धारक, ग्राम सभा" शब्द रखें; (30)

पृष्ठ 8, पंक्ति 14 से 35 का लोप करें; (31)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पष्ठ 8, पंक्ति 3, "ग्राम स्तर की संस्थाएं" के स्थान पर "ग्राम स्तर की संस्थाएं और बोडोलैंड राज्य क्षेत्रीय जिला परिषद और उत्तर-पूर्व राज्यों में छठी अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में स्वायत्त जिला परिषदें," प्रतिस्थापित किया जाए; (44)

सभापति महोदया : अब मैं संशोधन संख्या 44 को मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन संख्या 44 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, वन अधिकार निक्षत करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 9, पंक्ति 3 से 40 खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखें–

"6. (1) ग्राम सभा को, किसी व्यष्टि या सामुदायिक वन्य अधिकार या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अनुसूचित जनजातियों के वन निवासियों को, दावे स्वीकार करते हुए, उनके समेकन और सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र का सीमांकन करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिया जा सकेगा और ग्राम सभा उस भाव का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात् उसकी एक प्रति उसी उप खंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी।"

(2) ग्राम सभा के संकल्प द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उप खंड स्तर सीमिति को कोई याचिका कर सकेगा और उप खंड स्तर समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटान करेगी:

परंतु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प के पारित करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर की जाएगी:

परंतु यह और कि याचिका का व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उप खंड स्तर समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उप खंड अधिकारी की मार्फत किसी अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर समिति को अग्रेषित करेगी।

(4) उप खंड स्तर समिति के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उप खंड स्तर समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिनों के भीतर जिला स्तर समिति को कोई याचिका कर सकेगा और जिला स्तर समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटान करेगी:

परंतु कोई याचिका ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध जिला स्तर समिति के समक्ष प्रत्यक्षत: तब तक नहीं की जाएगी जब तक वह उप खंड स्तर समिति के समक्ष न की गई हो और उस पर विचार न कर लिया गया हो :

परंतु यह और कि याचिका का व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(5) राज्य सरकार, उप खंड स्तर समिति द्वारा तैयार किए गए वन्य अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक राज्य स्तर समिति का गठन करेगी।

(6) वन्य अधिकार के अभिलेख पर जिला स्तर समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

(7) राज्य सरकार, वन्य अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाएं, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी।

(8) उप खंड स्तर समिति, जिला स्तर समिति और राज्य स्तर मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व, वन और जनजातीय मामलों के विभागों के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज संस्था के तीन सदस्य होंगे जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसमें दो अनुसूचित जनजातियों से और कम से कम एक महिला होगी, जो विहित की जाए।

(9) उप खंड स्तर समिति, जिला स्तर समिति और राज्य स्तर मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।"; (32)

पृष्ठ 10, पंक्ति 1 से 39, का लोप करें; (33)

पृष्ठ 11, पंक्ति 1 से 39, का लोप करें; (34)

हिन्दी पाठ में आवश्यकता नहीं है। (35)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

डा. बाबू राव मिडियम : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी.आर. किन्डिया द्वारा प्रस्तावित संशोधन और धारा 6 की उपधारा (1) में संशोधन की सूची संख्या 1 में क्रम संख्या 32 के रूप में मुद्रित,... में

"प्रभाव" के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए:–

"ऐसे भू-धारक जो इस अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित होंगे कीर सूची दर्शाई जाए"। (47)

"कि श्री पी.आर. किन्डिया द्वारा प्रस्तावित संशोधन और धारा 6 की उपधारा (8) में संशोधन की सूची संख्या 1 में क्रम संख्या 32 के रूप में मुद्रित,... में

"पंचायती राज संस्थाओं" के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए:–

"ग्राम सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ"। (48)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पष्ठ 11 पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

"(13) उत्तर-पूर्व राज्यों के संबंध में इस धारा में 'ग्राम सभा' के उल्लेख से बोडोलैंड राज्य क्षेत्रीय जिला परिषद् और संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित सभी स्वायत्त जिला परिषदें या राज्य अधिनियमों के अधीन स्वायत्त परिषदें अभिप्रेत होंगी।"। (45)

सभापति महोदया : मैं डा. बाबू राव मिडियम तथा श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 ग्राम सभाओं की समितियां

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब तक कि इसे सभा के मतदान के लिए नहीं रखा जाता है, तब तक यह निर्णीत नहीं है। इसे सभा के मतदान के लिए अस्वीकृत करवाने के लिए रखा गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : उन्होंने "नहीं" कहा है। उसे अस्वीकृत कर दिया गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। सभा का कार्य चलने दीजिए।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : उत्तरवर्ती खंडों का तदनुसार पुनर्संख्यांकन किया जाएगा।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 से 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 14 केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 7 और 8, का लोप करें। (36)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,–

1996 का 40	"15. इस अधिनियम और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न उनके अल्पीकरण में।"; (37)	अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण में न होना।

(श्री पी.आर. किन्डिया)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदया : अब, मंत्री महोदय संशोधन सं. 38 और 39 प्रस्तुत करेंगे

खंड 16 नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 13, पंक्ति 27 से 32 का लोप करें; (38)

पृष्ठ 13, पंक्ति 33 "छ" के स्थान पर "ड" रखे। (39)

(श्री पी.आर. किन्डिया)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदया : खंड 1 में दो संशोधन हैं। श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 4, "और अन्य परंपरागत वन निवासी" का लोप किया जाए। (40)

पृष्ठ 2, पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

"(3) परंपरागत वन निवासियों से संबंधित उपबंध उत्तर-पूर्व राज्यों, विशेषकर संविधान की छठी अनुसूची के अधीन स्वायत्त जिलों और राज्य अधिनियमों के अधीन गठित स्वायत्त परिषदों पर लागू नहीं होंगे।" (41)

सभापति महोदया : मैं श्री बैसीमुथियारी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 40 और 41 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन संख्या 40 और 41 मतदान के लिए रखे गए अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 16, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदया : अब मंत्री महोदय विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदया, मैं इसका जोरदार विरोध करते हुए सभा से बाहर जा रहा हूं।

सायं 6.21½ बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी सभा-भवन से बाहर चले गए।)

सायं 6.22 बजे

राज्यसभा से संदेश
तथा
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचानल नियमों के नियम 111 के उपबधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 14 दिसम्बर 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित बाल विवाह (प्रतिषेध) विधेयक 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 14 दिसम्बर 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ।"

2. महोदया, मैं 14 दिसम्बर 2006 को राज्य सभा द्वारा यथापारित बाल विवाह (प्रतिषेध) विधेयक, 2006 तथा प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

सायं 6.23 बजे

आधे घंटे की चर्चा

कम बजट वाले होटल

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब सभा 'आधे घंटे की चर्चा' का मुद्दा लेगी। श्री पी.एस. गढ़वी।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदया: 'कम बजट वाले होटलों' के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 123 के संबंध में पर्यटन और संस्कृति मंत्री द्वारा 30.11.2006 को दिये गये उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर एक चर्चा शुरू करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सइसे पहले, मैं माननीय मंत्री महोदया और उनके विभाग द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे कदम उठाये जाने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं।

महोदया, श्री प्रभुनाथ सिंह और श्री के.एस. राव द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 123 मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के बारे में था जिन्हें पर्यटन महत्वपूर्ण स्थानों/शहरों में किफायती श्रेणी के आवास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में माननीय मंत्री महोदया ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि कम बजट श्रेणी के होटलों में कमरों की कमी के कारण कभी-कभी आम पर्यटकों को इस श्रेणी के आवास ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर दिया है कि देश में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 1,50,000 होटल कमरों की कमी है। परिवहन,

[श्री पी.एस. गढ़वी]

पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने भी अपने 104वें प्रतिवेदन में विभिन्न श्रेणियों में होटल आवास की कमी विशेषकर कम बजट के होटलों की कमी जो कि सही प्रतीत नही होती, के बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की है। इसीलिए समिति ने अपने 104वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि पर्यटन विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थान उपलब्ध कराने पर और बजट होटलों का निर्माण किया जाए। पर्यटन गंतव्य के रूप में देश को प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए इस प्रकार के होटलों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जानी चाहिए और होटलों के लिए स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब तक केन्द्र सरकार की भूमि पर कितने होटलों के लिए भूमि उपलब्ध करायी गयी है या भूमि का चयन किया गया है ऐसे कम बजट के होटलों के निर्माण के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये है या क्या उपाय किये गए हैं। माननीय मंत्री महोदया से यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आजकल घरेलू, ग्रामीण और इसके साथ-साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। हम सभी जानते है कि घरेलू और ग्रामीण पर्यटकों की संख्या भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। घरेलू और ग्रामीण पर्यटक पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। यह सत्य है कि केवल पर्यटन उद्योग द्वारा ही रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा रहा है। इस से गरीब लोगों, जैसे रिक्शा चलाने वालों, टैक्सी वालों और व्यापारियों को लाभ होगा। हम सभी जानते हैं कि आम आदमी, निम्न और निम्न-मध्यम श्रेणी के लोग भी तीर्थयात्रा करने के इच्छुक रहते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता हैं। वे अपनी धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों पर जाना चाहते हैं बशर्ते कि उन्हें इन स्थानों पर ठहरने की आवश्यक सुविधाएं मिलें।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार के पर्यटक आमतौर पर समूहों में यात्रा करते हैं। वे एक या दो बसों में इकटठे जाते हैं, और उनमें होटलों में ठहरने की सामर्थ्य नही होती। पहले हमारी संस्कृति के अनुसार उनके लिए धर्मशालाएं बनवाने की परम्परा थी। आजकल ऐसे पर्यटक 'डोरमिट्री' आवास में रहना चाहते है जिनमें अच्छे शौचालयों तथा स्नानगृहों की सुविधा हों। उनके लिए उचित मूल्य पर भोजन की सुविधा भी अपेक्षित है। यह सही बात है कि सरकार ने कुछ होटलों को राजसहायता प्रदान करने की एक योजना बनायी है। एक सितारा होटल के लिए 25 लाख रुपये, दो तथा तीन सितारा होटलों के लिए 50 लाख रुपये देने की योजना है। इस तरह विभाग की होटलों को राजसहायता देने की योजना है। परन्तु हमारे देश में ऐसे होटलों में ठहरने की सामर्थ्य कितने लोगों में है? केवल 10 प्रतिशत लोग ही होटलों में ठहरते हैं इसका मतलब यह हुआ कि केवल 10 करोड़ लोग ही इन सितारा होटलों में ठहरने में समर्थ हैं। यह अच्छी बात है कि आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या विभाग ऐसे सामाजिक संस्थानों को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगा जो इस तरह के 'डोरमिट्री' आवासों के निर्माण को बढ़ावा देंगे? यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में एक गुजराती समाज है। ऐसे ही अन्य समाज भी हो सकते हैं। इनके पास वातानुकूलन सुविधासहित इस तरह के डोरमिट्री आवास हैं। एक समाज विशेष द्वारा अपने समाज को विशेष तरह की सुविधा दी जा रही है, अन्य लोगों का क्या होगा? महिला पर्यटकों का क्या होगा? क्या माननीय मंत्री महोदय इन सब बातों पर विचार करेंगे? समूह में पर्यटन के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस सूचना के अनुसार, कुल मिलाकर 550 मिलियन पर्यटक है। इसमें से 150 मिलियन शहरी पर्यटक है परन्तु 400 मिलियन पर्यटक ग्रामीण पर्यटक हैं। यदि ये ग्रामीण पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते है तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि पर्यटन उद्योग को अवसंरचनात्मक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सरकार कुछ एक-सितारा, दो-सितारा और तीन-सितारा होटलों को प्रोत्साहन दे रही है। क्या सरकार टैरिफ पर्यटकों पर नियंत्रण करने पर विचार कर रही है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं राजसहायता प्राप्त करने के बाद वे पर्यटकों से मनमर्जी का शुल्क तो नही वसूल रहे हैं। इस प्रकार के नियत्रंण हेतु क्या किया जा रहा है?

देश के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। उदाहरण के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 'कच्छ का रण' विश्व भर में एक अनुपम क्षेत्र हैं। इसके साथ ही धोलावीरा और अन्य स्थल भी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा स्थानों के भ्रमण हेतु पर्यटकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह देश के मध्यम वर्ग से संबधित है। आम आदमी की बात की जा रही है। आम आदमी की बात करने वाले आज टू थ्री और फाइव स्टार होटलों की बात कर रहे हैं? यह ठीक है, आप कीजिए मुझे इस बात से कोई फर्क नही पड़ता।

[हिन्दी]

लेकिन आम आदमी को आप धर्मशालाओं या डोरमेट्री जैसी जगहों में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, कृपया यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : बैलट के अनुसार, इस आधे घंटे की चर्चा में केवल चार सदस्य ही बोल सकते हैं। अब मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को बुलाती हूं और यह आग्रह करती हूं कि वह केवल प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : मैडम, आधा घंटे की चर्चा में कुछ तो बोल लेने दीजिए।

सभापति महोदया : टोटल पांच मैम्बर्स को इस पर बोलना है, अभी मैम्बर्स और बोलेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : कम बजट वाले होटलों के बारे में माननीय सदस्य, श्री पी.एस. गढ़वी ने जो चर्चा उठाई है, उस पर थोड़ा बोलने के बाद मैं प्रश्न पूछूंगा। जैसा कि पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार और भारतीय रेल सहित भूस्वामित्व वाली अन्य एजेन्सियों को भू आवंटित करके उन्हें होटल देने के मामले में, आवास एवं संरचना के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने एक सितारा होटल के लिए 25 लाख रुपये, दो सितारा होटल के लिए पचास लाख रुपये और तीन सितारा होटलों के लिए 75 लाख रुपये दिये हैं और सहायता की शर्त पर बजट तथा कम बजट श्रेणी वाले होटलों को मूल ऋण में दस परसैन्ट की इम्दाद की घोषणा की है। इसमें प्रोत्साहन स्वरूप गैस्ट हाउस ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, मैंने आपसे कहा था कि आप केवल क्वैश्चन पूछ लें, डिटेल्स आपके पास हैं। माननीय मंत्री जी को अभी रिप्लाई भी करना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2010 में होने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पचास हजार कमरों की कमी महसूस की गई है। क्या सरकार इस विषय में चाहे वे रेलवे के सस्ते होटल बनाने के संबंध में हो या पांच शहरों में रेल रत्न के नाम पर होटल बनाने के संबंध में हो, इसके लिए आपने 20 से ज्यादा कंपनियों को टैंडर दिये हैं। रेल रत्न के नाम पर चालीस शहरों में जो सस्ते होटल बनाने का फैसला हुआ है, दसमें चार फाइव स्टार होटल ताज होटल के नाम से खोले जाने की आपने व्यवस्था की है। इसी प्रकार से डी.डी.ए. द्वारा भी इन्हें बनाने की आपने घोषणा की है। आपने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने हेतु जो तमाम विदेशी खिलाड़ी तथा अतिथि आयेंगे, उन्हें आप कैसे अकोमोडेट करेंगी। इसके लिए आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आपने कोई कारगर उपाय सोचे हैं?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, "माया से माया मिले कर कर लम्बे हाथ। तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात।"

सभापति महोदया : क्या यह आपका प्रश्न है?

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि फाइव स्टार होटलों की बात हो रही है और बजटरी होटल्स के लिए सरकार सहायता भी दे रही है। क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। हम लोग विदेशी पर्यटकों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देशी पर्यटकों के लिए भी सहज और सस्ती ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। अभी तक केवल हैरिटेज होटल्स या बजटरी होटल्स के नाम पर आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए जमीनें भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसा अभी कहा गया कि तीर्थाटन के लिए भी लोगों के झुंड के झुंड जाते हैं। उन लोगों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं की जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, उन परम्परागत विश्रामगृहों की सुविधा के लिए या उनके परिवर्धन के लिए आप क्या कर रही है, ताकि देशी पर्यटकों को भी प्रोत्साहन मिले। देशी पर्यटकों को भी प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सरकार की क्या कोई विशेष योजना है?

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री सी.के. चन्द्रप्पन उपस्थित नहीं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदया आपका धन्यवाद।

महोदया, आजकल भारत में पर्यटन पर जाने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ रही है। इसका कारण आयस्तर में बढ़ोतरी और उच्च आय वाले मध्यम वर्ग का अस्तित्व में आना है। राष्ट्रीय पर्यटन

[डा. के.एस. मनोज]

नीति, 2002 में घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया था। अत: एकीकृत पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए अधिकाधिक प्रयास किये गए।

महोदया, देश में पर्यटन अवसंरचना के प्रगतिशील विकास और विस्तार के उद्देश्य से वर्ष 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गयी जिससे भारत को पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रोत्साहन मिला। पूर्व में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रबन्धन के दृष्टिकोण से आई टी डी सी कई सितारा होटलों का संचालन कर रहा था परन्तु दुर्भाग्य से, राजग सरकार के कार्यकाल में विनिवेश नीति के कारण बहुत से सितारा होटलों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया।

सभापति महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डा. के.एस. मनोज : महोदया, अधिकाधिक पर्यटकों की संख्या और घरेलू पर्यटक गंतव्यों के उभरने के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जैसा कि मेरे सहयोगी पूर्व वक्ता ने कहा कि इस देश में पर्यटकों के लिए ठहरने के स्थान की कमी है। श्री शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2010 में इस देश में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा सस्ते होटल अथवा सस्ते आवासों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजनाएं विशेषकर चक्करदार परियोजनाएं स्वीकृत करता है तो क्या सस्ते होटलों का निर्माण भी उसमें शामिल किया जाता है या नहीं? यदि राज्य सरकारें सस्ते होटल बनाने का प्रस्ताव देती है तो क्या मंत्रालय उन परियोजनाओं को स्वीकृति देगा?

सभापति महोदया : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, श्री पंडा को एक या दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : बैलट के अनुसार केवल चार सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, बैलट अनुपूरक प्रश्नों के लिए नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : जी नहीं। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरी महताब : वह रोज सूचनाएं दे रहे हैं और अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए यहां बैठे हुए हैं। अब तक वह अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ भी लेते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : महोदया, हमारे प्रति भेदभाव हो रहा है। हम गत दो दिनों से इस पर बोलने के लिए सूचनाएं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : जैसा मैंने कहा है कि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। बैलट के अनुसार एक सदस्य के अतिरिक्त चार सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदया, क्योंकि हम पिछड़े हैं इसलिए हमारी उपेक्षा हो रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : महोदया, हम इसका विरोध करते हैं और बाहर जा रहे हैं।

(इस समय श्री ब्रह्मानन्द पंडा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : सभापति महोदया, यह बड़े गर्व और संतोष की बात है कि इस चर्चा को शुरू

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने वाले श्री गढ़वी ने पर्यटन मंत्रालय को उसके द्वारा उठाये गए कदमों और शुरू की गई योजनाओं के लिए बधाई दी है। यह भी सच है कि हमने इस आधे घंटे की चर्चा के लिए तीन दिन तक प्रतीक्षा की है। इससे प्रतीत होता है कि पर्यटन मंत्रालय का महत्व अथवा पर्यटन का महत्व बढ़ रहा है। यह भी सच है कि अधिक से अधिक लोग और सरकार भी पर्यटन को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है। संभवत: यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की सर्वाधिक नौकरियां सृजित करता है। यह उन मंत्रालयों में से एक है जो सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक सर्वाधिक संसाधन सृजित करता है और जुटाता है।

यह भी सच है कि पर्यटन सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.86 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। यह सब कहकर और यह मानकर कि देश की अर्थव्यवस्था आज प्रगति की ओर अग्रसर है, भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। लोग अवकाश के लिए और तीर्थयात्रा के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। इस सबसे सब प्रकार के उपलब्ध आवासों पर भारी दबाव पड़ा है। माननीय सदस्य अन्य माननीय सदस्यगण भी बिल्कुल कह रहे हैं कि अनुमानों और किए गए कुछ सर्वेक्षणों और हमारे आवास पर्यटन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हमारे पास लगभग 1,50,000 कमरों की मकी हैं, विशेषकर बजट श्रेणी अर्थात यात्री निवास, एक-सितारा होटल, दो-सितारा होटल, तीन-सितारा होटल और चार-सितारा होटल में 1,00,000 कमरों की कमी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि घरेलू पर्यटन पर अधिक जोर दिया जाए।

अपनी बात समाप्त करते हुए दुर्भाग्य से, उन्होंने एक टिप्पणी कि थी, कि संप्रग सरकार जो कि आम आदमी के वायदे के साथ आई थी वह अब पांच सितारा होटलों पर ही ध्यान दे रही हैं। मैं उनके प्रश्न के जवाब में जो कहने जा रही हूं उससे उन्हें समझ जाना चाहिए कि अभी भी आम आदमी और साधारण आदमी तथा घरेलू पर्यटक ही हमारी कार्यसूची में नम्बर एक पर हैं।

1,00,000 कमरों की पूर्ति करन के लिए हम महसूस करते हैं कि सरकार को होटल नहीं चलाने चाहिए। शायद जब आपकी सरकार थी तब ऐसा आपने सभी होटल बेच दिये थे। पर्यटन मंत्री बनने के पश्चात् मैंनें पाया कि भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के पास कुछ ही सस्ते होते थे। मैं समझती हूं कि दो-सितारा होटल और तीन-सितारा होटल 16 भी नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे होटल चल नहीं रहे है, हमने पहला निर्णय यह लिया कि हमें बजट श्रेणी में होटल चाहिए। इसलिए आई टी डी सी से कहा गया कि उन 16 होटलों, जोकि आई टी डी सी के पास हैं और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में हैं, को उनके स्तर को बनाए रखा जाए ताकि उसके बाद यह निर्णय लिया जा सके कि क्या उन्हें बाहर से चलवाया जाएगा अथवा आई टी डी सी द्वारा चलाया जाएगा। परन्तु हम उन होटलों को वापस पटरी पर लाकर लाभ अर्जित करना चाहते थे। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि दो होटलों को छोड़कर अधिकांश होटल वापस पटरी पर आ गए हैं और आई टी डी सी सहित लाभार्जित कर रहे हैं जिनका लाभ 130 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

भूमि राज्य का मामला है फिर भी मुझसे पूछा गया कि राज्य सरकारों द्वारा बजट होटलों के लिए कितनी भूमि दी गई।

श्री पी.एस. गढ़वी : मैंने केंद्र सरकार की भूमि के विषय में पूछा था।

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैं आपको पूरी बात बताऊंगी भूमि मूलत: राज्य का विषय है। केवल दिल्ली में ही ऐसा है कि दिल्ली सरकार का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है।

इसलिए, केंद्र की भूमि बहुत सीमित है, शायद दिल्ली तक ही है। चूंकि भूमि राज्य का विषय है और हमारी इच्छा है कि देश के सभी राज्यों में सभी तीर्थस्थलों सांस्कृतिक और पर्यटक रूचि वाले स्थानों पर बजट श्रेणी में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। मेरे पूर्ववर्ती मंत्री और मैंने इस कार्य को जारी रखा है और हमने सभी राज्य सरकारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए लिखा है। मैं सभी पत्रों की गहराई में नहीं जाना चाहती परन्तु हमने इस बात पर जोर दिया है कि काट श्रेणी में खुली नीलामी के माध्यम से भूमि प्रदान करने के बजाय, जिससे कीमतें बहुत अधिक हो जाएंगी, हमें इक्विटी की हिस्सेदारी, पट्टेदारी, दीर्घावधि पट्टों, संयुक्त उद्यम अथवा इन्ही सब बातों पर विचार करना चाहिए ताकि भूमि की कीमतें कम रखी जा सकें। हमें कुछ राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मिली है परन्तु बहुत अधिक नहीं।

जहां तक दिल्ली का प्रश्न है तो डी डी ए ने विशेषकर 2010 खेलों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सा ब्यौरा दिया हैं। हमने यह भी देखा है कि डी डी ए द्वारा नीलामी की गई भूमि के मामले में कीमतें आकाश छू रही हैं। कोई भी निजी कम्पनी जो उन ऊंची कीमतों पर भूमि के लिए बोली लगाती है वह वहां बजट होटल नहीं बनाना चाहती। यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होता। कभी-कभी

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

नीलामी में कोई भी उपस्थित नहीं होता। इसलिए परीक्षण के तौर पर हमने शहरी विकास मंत्रालय को लिखा है कि वे बजट होटल बनाने के लिए हमें कम से कम भूमि के तीन टुकड़े देने पर विचार करें और पर्यटक मंत्रालय इसे उचित मूल्य पर अर्थात सरकारी मूल्य पर शहरी विकास मंत्रालय से लेगा और फिर आई टी डी सी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के माध्यम से उन लोगों को बजट होटल बनाने के लिए इसे दीर्घावधि के लिए पट्टे पर देंगे। यह एक परीक्षण सुझाव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दिल्ली में ही इस प्रस्ताव पर कार्य कर सकेंगे...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी : संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : आप पांडिचेरी, दमन एवं दीव और अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात कर रहे हैं। हमें दमण एंव दीव से उत्तर मिला है। वहां बहुत मांग है परन्तु कुछ प्रतिबंध हैं। इस देश में ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए, हमें पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। इन चीजों में लम्बा समय लगता है। बहुत जोर देकर इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

डी डी ए ने 2010 के खेलों को ध्यान में रखकर कुछ प्रस्ताव किए हैं। उन्होंने 1831 कमरों के लिए 10 स्थलों की नीलामी की है। यदि आपको पूरा ब्यौरा चाहिए तो इसमें बहुत समय लगेगा। हरियाणा सरकार ने 8,000 कमरों की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन-सितारा और चार-सितारा तथा पांच-सितारा होटलों के लिए 25 स्थानों की पहचान की है। इसके अतिरिक्त रेलवे ने बहुत सकारात्मक कार्य किया है। बजट होटलों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सौ स्थानों की पहचान की गई है। मुझे इस सभा में यह घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रेल मंत्रालय पर्यटन हेतु बड़े साझीदार के रूप में आगे आ रहा है और उन्होंने रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों के पास 20 होटलों के लिए निविदाएं पेश कर दी हैं जहां बजट होटल बनाए जा सकते हैं।

मैं समझती हूं कि प्रो. रासा सिंह रावत ने उल्लेख किया है कि ताज समूह इसमें आ रहा है। यह सच है। मैं आपको बताती हूं कि बहुत सी निजी कंपनियां जो अभी तक पांच-सितारा होटल बनाती थी वह अब हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर रही हैं और बजट होटलों की इस देश की मांग को पूरा कर रही हैं और इन बजट होटलों के लिए बोली भी लगा रहे हैं। ताज और अन्य समूह भी हैं जो पूर्णतया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मैडम, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और धर्मशालाएं होती थीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप इस बारे में कुछ कहने की कृपा करें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैंने नोट किया हुआ है। धर्मशाला का जो कंसेप्ट था, वह अभी भी है, लेकिन देश बदलता जा रहा है। आप भी जानते हैं कि हरेक की आशाएं एंव आकांक्षएं बदलती जा रही हैं।...*(व्यवधान)* हम लोग यात्री निवास की बात भी कर रहे हैं, अब एक स्टार होटल तो धर्मशाला के मुताबिक ही है। हम डारमेट्री की बात कर रहे हैं, अब एक स्टार होटल तो धर्मशाला के मुताबिक ही है। हम डारमेट्री की बात कर रहे हैं, जहां एक परिवार के छः लोग एक बड़े कमरे में रह सकें। हमारा मकसद है कि आम आदमी टूरिज्म के दृष्टिकोण से, तीर्थयात्रा के दृष्टिकोण से अजमेर शरीफ जाएं, वैष्णों देवी जाएं, गोवा जाएं या हरमंदिर साहब जाएं, जहां भी वह जाना चाहें, वहां जाएं और वहां उसे यात्री निवास या धर्मशालाएं नहीं बल्कि उसके रहने के लिए डारमेट्रीज हर होटल में अवेलेबल हों।

महोदय, गुजरात सरकार ने भी कुछ प्रपोजल्स की घोषणा की है। हालांकि हमें उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन घोषणा में बताया गया है कि गुजरात राज्य में जो बजट होटल्स बनाएंगे, उन्हें बिजली मुफ्त दी जाएगी और कार्पोरेशन टैक्स माफ किया जाएगा। इसी प्रकार से हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, राजस्थान सरकार पर्यटन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : राजस्थान सरकार हैरिटेज होटल को बढ़ावा दे रही है। हम उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण इनीशिएटिव हमारे मंत्रालय ने लिया है और वह है ब्रैड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम चलाने का। पहले से भी कुछ इस प्रकार की स्कीम्स अलग-अलग स्टेट्स में चलती आई हैं। लेकिन लोग तंग करते

थे। यह एक परेशानी वाली बात हुआ करती थी। परमीशन मिल रही है, नहीं मिल रही है आदि अनेक प्रकार की प्राब्लम्स रहती थीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने इसे स्ट्रीम लाइन किया है और एक कमेटी बनाई है। उसमें एक पुलिस इंस्पैक्टर को रखने का प्रस्ताव है। दो तरह की एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है- एक सिल्वर कार्ड एवं दूसरी गोल्ड कार्ड। इनके लिए बहुत साधारण सी कंडीशन्स रखी गई हैं। इनके तहत एक कमरे से पांच कमरे वाले ओनर ब्रैड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें एक शर्त यह है कि मकान मालिक या मकान की गृहिणी को उस मकान में रहना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो भी डौमैस्टिक या बाहरी विजिटर रहे उसे एक भारतीय परिवार के साथ रहने को मिले, उसे हमारी संस्कृति एवं परम्पराओं की जानकारी मिले, उनसे वह अवगत हो सके। हमें आशा है कि आने वाले समय में इस प्रकार से हमें 10 हजार कमरे तक उपलब्ध हो सकेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में सारी जानकारी हमारी वैबसाइट पर उपलब्ध हो। फिलहाल तो यह सब जावकारी टूरिज्म मिनिस्ट्री की साइट पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

आप परिवार के लिए उचित मूल्य पर कमरा ले पाएंगे। 2010 के खेलों तक धीरे-धीरे हम इसे वाणिज्यिक रूप प्रदान करने की आशा करते हैं जिसमें उन लोगों से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा जिनके पास भाड़े पर उठाने के लिए कमरे हैं। परन्तु यह सब कार्य उन होटलों अथवा अन्य संगठनों द्वारा किया जाएगा, जो भुगतान कर सकते हैं और भाड़ा कम रखेंगे।

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि ब्रैड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का एक और फायदा होने वाला है और वह है जो मीडियम वर्ग के परिवार हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या भारत में अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं और उनके यहां दो कमरे खाली हैं, तो उन्हें किराए पर चढ़ाकर, वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। एक गृहिणी जो अपने घर में ही रहना चाहती है, कहीं बाहर नहीं जाना चाहती है, जिसकी अपने घर को चलाने की 24 घंटे की जिम्मेदारी है, उसे कुछ हद तक आर्थिक सहायता इस स्कीम से मिल सके।

सभापति महोदया : महिलाओं के लिए यह योजना बहुत अच्छी है।

श्रीमती अम्बिका सोनी : धन्यवाद, सभापति जी। मैं घर की गृहिणी की बात कर रही हूं। इस योजना के माध्यम से यदि हम उसे आर्थिक तौर पर कुछ हद तक सक्षम बनाने में सफल हो सके, तो मैं इसे बहुत बड़ी सफलता मानूंगी। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मंत्रालय बड़े-बड़े शहरों में नहीं, लेकिन छोटे-छोटे शहरों में दो और तीन स्टार के होटल बनाने के लिए 10 प्रतिशत सब्सिडी देता है जिसकी अपर लिमिट 75 लाख रुपए है।

श्री पी.एस. गढ़वी : महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन होटलों को आप सब्सिडी देती हैं, उनके टैरिफ कंट्रोल होने चाहिए। वे कमरों का जो किराया वसूल करें, वह आपकी सहमति से होना चाहिए।

क्या टैरिफ पर कोई कन्ट्रोल होगा। वे हद से ज्यादा वसूल रहे हैं।

सभापति महोदया : वे पहले ही बता चुकी हैं कि कम से कम जो रेंट देगा।

श्रीमती अम्बिका सोनी : अभी तो सरकारी डिक्टा से कीमत तय की जाये तो यह आज के वातावरण में मैं समझती हूं कि सम्भव नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कई जगहों पर हमने कहा है कि एक हजार रुपये तक कमरा मिलना चाहिए। अब ये कुछ नोर्म्स हैं, जो हम अपनी स्कीम को प्रमोट करते वक्त परिचालित करेंगे। हम अंदाज जरूर देंगे, जब सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी की बात हो रही है तो यह बात जाहिर होती है कि अलग-अलग कैटेगरीज का हम कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिछले 6-8 महीनों में मैंने वित्त मंत्रालय को कई पत्र लिखे हैं। पहले तो हम यह देखते हुए कि एक लाख 50 हजार कमरों की आवश्यकता है। सब होटलों के लिए किया था, लेकिन वह सम्भव नहीं था, उन्होंने इन्कार कर दिया। अब मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से, बहुत जोरों से।

[अनुवाद]

मैं वित्त मंत्रालय के साथ मामले को आगे बढ़ा रही हूं कि जो बजट होटल, एक तारा, दो तारा और तीन तारा होटलों के निर्माण अब प्रारम्भ करने जा रहे हैं और 2010 के खेलों से पहले निर्माण पूरा कर लेंगे, वित्त मंत्रालय उन्हें अवसरचना की घोषित करके और कर प्रोत्साहन देना उन्हें कर प्रोत्साहन पर बिचार करे। मैं इसी बात पर जोर दे रही हूं।

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

[हिन्दी]

अगर मुझे पूरे सदन का सहयोग मिलेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वित्त मंत्री हमारा प्रपोजल मान लेंगे।

अन्त में मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे टूरिज्म को आज जो बढ़ावा मिल रहा है, हम कोशिश यह कर रहे हैं कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहे। इसमें सरकार की बात तो चल नहीं सकेगी। जहां-जहां से हमें सम्भव है, सरकारों की मदद करना, एक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में हम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आप यह दिलचस्पी दिखाते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता से बढ़ेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री जी का जवाब बहुत अच्छा रहा।

सायं 6.57 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापस लिया गया

देश के सभी भागों के संतुलित और साम्यपूर्ण विकास के लिए उठाये गए कदम

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा मद सं. 28 - श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा को लेगी।

श्री मणि चारेनामै - उपस्थित नहीं।

अब, श्री अब्दुल रशीद शाहीन बोलेंगे।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदया, मैं चाहता हूं कि प्रस्तुतकर्ता श्री सर्वानन्द सोनोवाल को इसके बारे में पहले बोलना ही चाहिए। संकल्प प्रस्तुत करना है।

सभापति महोदय : श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था और हम इस पर चर्चा जारी रख रहे है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : सभापति महोदया, मैं इस संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

इस माननीय सभा के समक्ष कुछेक बातें उद्धृत करने के उद्देश्य से, मैं उस असंतुलित विकास के बारे में अत्यत सुस्पष्ट रूप से उल्लेख करूगा, जिससे देश के विभिन्न राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में अप्रसन्नता पैदा होती है और अन्ततोगत्वा उससे उन क्षेत्रों की शांति भंग होती है। मैं सीधे जम्मू-कश्मीर के बारे में उल्लेख करूंगा।

महोदया, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बारामूला में वास्तविक सीमा-रेखा के समीप हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें पिछले 58 वर्षों से अवसंरचना और सड़कों के विकास की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है ताकि उन क्षेत्रों को वर्ष भर शेष विश्व के साथ जोड़ा जा सके। मैं गुरेज वेली की बात करना चाहता हूं। इस समय हम पर्यटन के बारे में चर्चा कर रहे थे। गुरेज इस पृथ्वी के अद्भुत स्थानों में से एक है और कहा जा सकता है कि यह स्थान स्वर्गों का स्वर्ग है। परन्तु सड़कों के न होने से यह क्षेत्र छह माह से अधिक समय तक कटा रहता है तथा इन क्षेत्रों में थोड़-थोड़ा करके अवसंरचना का विकास होने के कारण अन्ततः वहां के लोग कल्याणकारी राज्य से सहायता मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं।

मैं नहीं जानता कि यदि ऐसे क्षेत्रों में विकास की रफ्तार इसी गति से चलती रही तो इनका क्या होगा? अन्ततः लोगों में अप्रसन्नता है और कभी-कभी वे अपने गुस्से का इजहार भी करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, यदा कदा यह अप्रसन्नता उग्र रूप धारण कर लेती है।

सायं 7.00 बजे

मैं भारत सरकार से यह पूछता और मांग करता हूं कि वह पूर्वोत्तर के क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान दें। मैं कहना चाहता हूं कि इस श्रेणी के राज्य और इन राज्यों में स्थित दूरस्थ क्षेत्र अत्यन्त गरीब क्षेत्र हैं और इस देश ने आर्थिक विकास के सुविख्यात नए युग में अवसंरचना के विकास की प्रतीक्षा कर रहे है, जबकि हम सभ्यता के तीसरे दौर में तेजी से प्रवेश कर रहे है। अभी भी कालाहांडी और अन्य ऐसे हैं, जो विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि इस संकल्प को प्रस्तुत करके माननीय सदस्य श्री सोनोवाल ने इन क्षेत्रों का भला किया है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह भारत के संविधान की गारन्टी से एक ऐसा तंत्र सामने लाएं जिससे कि हमारे पास उन क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए एक विकास योजना हो, ताकि वे देश के बाकी क्षेत्रों के स्तर पर आ सके।

मैं संसाधनों के अव्यपगत पूल के बारे में उल्लेख करूंगा जिसे पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान किया गया है। मैं पिछले आठ वर्षों से मांग कर रहा हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य, जिसकी मौसम और सुरक्षा स्थिति समान है, को आबंटन की धन राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके 'संसाधनों के अव्यपगत पूल' में सम्मिलित किया जाए। परन्तु सरकार हमारी बात को हमेशा अनसुना कर देती है। हमें पैकेजों के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और फिर सारे देश के लोग कहते हैं कि यह राज्य (जम्मू व कश्मीर) हमारे संसाधनों की बर्बादी है। मैं चाहता हूं कि हमें जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए सम्मान जनक और स्थायी विकास प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू व कश्मीर में मौसम की समस्या है। हमारे यहां पांच महीनों तक ही काम करने का मौसम होता है। इसलिए, ऐसे क्षेत्रों की समस्या का एक मात्र समाधान अव्यपगत पूल है। हमें उस अवधारणा की कार्यप्रणाली को भी नया रूप देना होगा, ताकि इन राज्यों को इससे लाभ मिल सके।

मैं संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं करूंगा श्री सोनोवाल ने जिसके बारे में आपने संकल्प में उल्लेख किया है। वह बहुत बड़ा विषय है। हम अगले सत्र में इस सभा की नियमावली के अन्तर्गत इस संबंध में अलग से एक पूर्ण प्रस्ताव लाएंगे ताकि इस पर चर्चा की जा सके, क्योंकि अब इस देशा के लिए सहकारी संघवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस संबंध में हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें करनी हैं।

मैं इस संकल्प और इस देश में संघवाद की अवधारणा को मजबूत करने का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसका संकल्प में उल्लेख किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस श्रेणी के राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों का विकास की देखरेख करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी ताकि उन्हें अन्य विकसित क्षेत्रों के साथ समान रूप से पटरी पर वापस लाया जा सके।

सभापति महोदया : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य, श्री सर्वानन्द सोनोवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दा अर्थात सन्तुलित और एकसमान विकास का मुद्दा उठाया है, जिसके बारे में हमारी सरकार बहुत अधिक चिंतित है यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस समस्या के निवारण करने के प्रयास किए गए हैं, फिर भी धर्मादा संसाधन, ऐतिहासिक व भौगोलिक विकास और अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता में अन्तर जैसे विभिन्न कारकों के कारण क्षेत्रीय विकास में असंतुलन बना हुआ है।

मैं संसद सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने उस विषय पर वाद-विवाद में इतनी सक्रियता से भाग लिया है, जो इस समय हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा उसके लिए धनराशि का आबंटन प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से केन्द्रीय सहायता विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों और विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा अन्य योजनाओं के वितरण हेतु प्रयुक्त सूत्र में महत्व देकर राज्य सरकारों के प्रयासो को अनुपूरित करती है।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु सूत्र इस समस्या का निवारण करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है। इस सूत्र के अनुसार, कुल सहायता का 30 प्रतिशत विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है। शेष 70 प्रतिशत सहायता का वितरण गैर विशिष्टता वाली श्रेणी के राज्यों में एक निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाता है जिसके अनुसार इस का 60 प्रतिशत 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाता है; आबंटन प्रति व्यक्ति आय का 25 प्रतिशत कार्य निष्पादन का 7.5 प्रतिशत महत्व दिया जाता है और शेष 7.5 प्रतिशत विशेष समस्याओं के लिए निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो 25 प्रतिशत सहायता दी जाती है, उसमें से 20 प्रतिशत का आबंटन अनन्य रूप से सबसे निर्धन उन राज्यों को किया जाता है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होती है। इसलिए, माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि केन्द्रीय सहायता के वितरण सिद्धान्तों में क्षेत्रीय असमानताओं का ध्यान रखा गया है। जैसा कि माननीय सदस्यों-श्री प्रसन्न आचार्य और डा. करण सिंह यादव ने बताया है कि इस फार्मूले में परिवर्तन किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए है। लेकिन आप मेरी इस बात को समझेंगे और सहमत होंगे कि जब तक इस विषय पर राज्यों के बीच सर्वसम्मति नही हो तब तक इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।

अत: मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि योजना आयोग विभिन्न राज्यों की योजनाओं को मंजूरी देते समय उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है; इनमें जम्मू और कश्मीर राज्य भी शामिल है जिसका

[श्री एम.वी. राजशेखरन]

माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया है। सामान्यत: सभी राज्य अपनी योजनाएं स्वयं तैयार करते हैं। वार्षिक योजना तैयार करने का लक्ष्य यही होता है कि योजनाओं की प्रभाविता सुनिश्चित की जाए और सर्वोत्तम रीतियों पर विचार-विनिमय हो, साथ ही प्रत्येक राज्य की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की जाए। वास्तव में, योजना आयोग ने तो राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करें जिसमें वैसे सरोकारों पर खास ध्यान दिया जाए- जिनका श्री सोनोवाल ने अभी प्रभावकारी ढंग से उल्लेख किया है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके।

जैसा कि आपको विदित ही है कि दसवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजनाओं को सुबद्ध करने के लिहाज से 'राष्ट्रीय समविकास योजना' शुरू की गई थी जिससे असंतुलन दूर करने और विकास प्रक्रिया तेज करने में सहायता मिलने की बात थी। इस कार्यक्रम के तहत 31 मार्च, 2006 तक 950 करोड़ रु. के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना हेतु जारी किए गए थे; 1,417 करोड़ रु. बिहार की विशेष योजना हेतु तथा 2854 करोड़ रु. पिछड़े जिलों की पहल हेतु - जिसमें 147 जिलों को शामिल किया गया है- जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम की जगह पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष बना दिया गया है ताकि योजनाओं की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन में ग्रामस्तर से लेकर जिलास्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जा सके, जैसी हमारे संविधान में परिकल्पना की गई है।

जैसा माननीय सदस्या श्रीमती तेजस्विनी श्री रमेश ने जिक्र किया है सं.प्र.ग. सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि पंचायती राज संस्थाएं इन सभी योजनाओं के नियोजन एंव कार्यान्वयन में शामिल हों। इसीलिए पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में उनका परिवर्तन किया गया है। इस कार्यक्रम का विस्तार भी किया गया है और अब 250 जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा इसके अलावा, बिहार के लिए विशेष योजना और के.बी.के. जिलों के नाम से जाने वाले उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुर जिलों के लिए विशेष योजना को भी इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाएगा। माननीय सदस्य श्रीमती अर्चना नायक ने के.बी.के. जिलों हेतु वित्त प्रवाह का मुद्दा उठाया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि के.बी.के. जिलों के लिए आंबटन की पूर्ण राशि संरक्षित रखी जाएगी। दसवीं योजना में रा.एम वि.यो. के अंतर्गत के.बी.के जिलों को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रु. की राशि मिल रही है। ग्यारवहीं योजना के दौरान भी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के अंतर्गत आने वाले इन जिलों के लिए इतनी ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आश्वस्त कर रहा हूं। राशि उपलब्धं कराई जाएगी।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, श्री कीरेन रिजीजू और श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक सहित कई माननीय सदस्यों ने इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विषय में बताया है। हमारी सरकार इन समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न मुख्य योजनाएं लाने पर विचार कर रही है जिन्हें रोजगार, गरीबी और भौतिक तथा सामाजिक आधार संरचना में अभाव इत्यादि की समस्याओं हेतु तैयार किया गया है।

जैसाकि आपको विदित ही है कि सितम्बर, 2005में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए) बनाया गया था। इस अधिनियम में एक वित्त वर्ष में ऐसे किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी करने के इच्छुक हो। यह अधिनियम प्रथमत: केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में लागू होगा और पांच वर्षों के भीतर देश भर में लागू हो जाएगा। प्रथम चरण में इस अधिनियम को 2 फरवरी, 2006 को शुरू किया गया। अक्टूबर, 2006 तक तीन करोड़ इक्यावन लाख आवेदन पंजीयनार्थ प्राप्त हुए थे और तीन करोड़ ग्यारह लाख कार्ड आबंटित किए जा चुके थे।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास के अन्य कई कार्यक्रम भी चल रहे है, जैसे: स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बजट भूमि विकास कार्यक्रम, इत्यादि। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मार्ग निदेशों के अनुसार संसद-सदस्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और शासी निकायों के सदस्य होते हैं। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सतर्कता और निगरानी समितियों में भी उनकी भूमिका होती है।

चौधरी लाल सिंह जी ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की है। उनकी इस चिंता का हल सरकार के 'सर्व-शिक्षा अभियान' में हैं जिसे सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु शुरू किया गया है। इस योजना से देश के 12.31 लाख पर्यावासों 9.73 लाख प्राथमिक और प्राथमिकोत्तर स्कूलों तथा अनौपचारिक शिक्षा-केंद्रों सहित शिक्षा-गारण्टी योजनाओं और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केंद्रों के 20 करोड़ बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी। इस योजना को विकेंद्रीकृत, सहभागितापरक और परामर्श युक्त आयोजना के रूप में लक्षित किया

गया है स्कूली-प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के अधीन लाना इसमें मुख्य बात है जिसकी आयोजना कार्यान्वयन और निगरानी में प्रमुख भूमिका होगी।

मैं आपको 'सर्वशिक्षा अभियान' की कुछ उपलब्धियां बताना चाहूंगा। देश में 31 मार्च, 2006 तक कुल 1.03 लाख स्कूल-भवन निर्मित किए गए, 3.26 लाख अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष बनाए गए, 5.87 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई और 5.02 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके वितरित की गई।

इसके अतिरिक्त, बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की घटना कम हो इस लिहाज से प्राथमिक स्तर तक मध्याह्न-भोजन योजना का व्यापकीकरण किया गया है जिससे 12 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे अब सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा काफी सारे केंद्रों-विशेषत: ईजी.एस./ए.आई.जी.एस. केंद्रों में पका हुआ मध्याह्न-भोजन बच्चों को वितरित किया जाएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी इसका वितरण जारी रहेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) में देश की ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य-सुविधाएं देने का उद्देश्य है और इस वास्ते ऐसे 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मापक कमजोर दिखें हैं या जहां संबंधित आधार भूतढांचा कमजोर है...*(व्यवधान)* अनेक सदस्यों ने अनेक प्रकार के मुद्दे उठाए हैं। मंत्री के लिए सभी का उत्तर देना आवश्यक नहीं है...*(व्यवधान)* विशेष ध्यान वाले राज्यों में इस योजना के जो घटक होंगे उनमें प्रमुख हैं: प्रत्येक ग्राम में एक स्त्री स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ता की नियुक्ति, एक स्थानीय दल जिसमें वहां की पंचायत की स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी समितियां भी शामिल हों- द्वारा ग्राम स्वास्थ्य-योजना का निर्माण; प्रभावी उपचार हेतु ग्रामीण अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण; आधार भूत ढांचे तथा वित्तीय सहायता के इष्टतम उपयोग के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का आमूल एकीकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्यचर्या की सेवा का सुदृढ़ीकरण।

वस्तुत: इस मिशन का उद्देश्य है: स्वास्थ्य हेतु जिलास्तर पर एक योजना बनाते हुए स्वास्थ्यगत-सरोकारों के साथ स्वच्छता, साफ-सफाई, पोषाहार और सुरक्षित पेयजल जैसे स्वास्थ्य-निर्धारक तत्त्वों का समन्वय करना।

जहां तक जल का संबंध है वह एक राज्यगत विषय है और जल-संरक्षण योजनाओं, जैसे:- सिंचाई (उच्च, मध्यम और लघु), कमान क्षेत्र विकास, बाढ़-नियंत्रण, जल-आपूर्ति और स्वच्छता; की आयोजना, वित्तपोषण, कार्यपालन, प्रचालन तथा अनुरक्षण मूलत: राज्य सरकारों का दायित्व है। अंत:राज्यीय नदियों के मामले में सिंचाई-परियोजनाओं को मंजूर करने के अधिकार योजना आयोग ने राज्यों को प्रत्यायोजित कर दिए हैं। तथापि, अंत:राज्यीय नदियों से संबंधित परियोजनाओं की मंजूरी केंद्र से भी ली जानी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपयोग की मात्रा पंचाटों और अंतर्राज्यीय समझौतों में किए गए आबंटन के समनुरूप ही है। केंद्र सरकार अग्रलिखित क्षेत्रों में भी राज्यों की सहायता कर रही है: उच्च, मध्यम और लघु सिंचाई-परियोजनाओं को पूरा करना तथा सिंचाई क्षमता-निर्माण; कृषि से सीधे जुड़े मत-निकायों का पुनर्रक्षण और देश में कमान क्षेत्र विकास एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के संरक्षण के जरिए, सृजित सिंचाई क्षमता तथा प्रयुक्त सिंचाई-क्षमता के बीच का अंतर कम करना।

इसके अलावा, केंद्र 1996-97 से जारी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के जरिए उच्च और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं को पूरा करने में भी राज्यों की सहायता कर रहा है। पहले यह कार्यक्रम पूर्णत: केंद्रीय ऋण के आधार पर तैयार किया गया था; माननीय सदस्य अवगत होंगे कि 2004-05 से इसे रीति सम्मत बनाते हुए सामान्य केंद्रीय सहायता पैटर्न पर ले आया गया है जिसमें अनुदान और ऋण के मिश्रित रूप में राशि प्रदान की जाती है। देश भर में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 178 परियोजनाएं ली गई हैं जिनमें से 46 के पूरा हो जाने की खबर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य, 2006 तक राज्यों को 19,437 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराना दसवीं योजना का एक लक्ष्य है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी यह कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराना और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता तय करना सं.प्र.ग. सरकार की सर्वोच्य प्राथमिकता है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम जिसके माध्यम से केन्द्र राज्यों की मदद कर रहा है के लिए आवंटन में निरन्तर वृद्धि की जा रही हैं। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2005-06 में 4050 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 के लिए 5200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री सुखराम सुधाकर रेड्डी द्वारा उठाए गए नालगोंडा में पेयजल में फ्लोराइड के पाए जाने के संबंध में यह बताया गया है कि भारत निर्माण कार्यक्रम के अधीन देश में जल गुणत्तवा से प्रभावित 2.17 लाख, बसावटों में से वरीयता देश में आर्सेनिक, 'फलोराइड और खारेपन से प्रभावित बसावटों को दी जा रही हैं।

[श्री एम.वी. राजशेखरन]

देश में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 32 प्रतिशत है ग्रामीण स्वच्छता के मामले केन्द्र सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों की मदद कर रहा है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसके अधीन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अभी तक 540 जिलों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए आवंटन वर्ष 2005-06 में 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गांवों को पूर्ण स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और प्रतिवर्ष "निर्मल ग्राम पुरस्कार" दिया जाता है।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जब सभी पिछडे हुए क्षेत्रों को पर्याप्त आधारभूत न्यूनतम सुविधाए दी जाएगी तो भारत चमकेगा। ग्रामीण भारत की क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार ने भारत निर्माण नामक एक समयबद्धयोजना शुरू की है जो 2005से लेकर 2009 तक लागू की जाएंगी।

भारत निर्माण के अधीन छः घटकों अर्थात सिंचाई, पेयजल विद्युतीकरण, सड़क, आवास और ग्रामीण दूरभाष को शामिल किया गया है। वास्तविक लक्ष्यों में 10 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, 1000 से अधिक तथा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाली प्रत्येक बसावटों में पक्की सड़कों का निर्माण शामिल है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे मित्रों को यह जानकर प्रसन्नता होगी। इसमें वर्ष 2009 तक शेष 1,25,000 गांवों को बिजली प्रदान करना, 60 लाख मकानों का निर्माण आदि ऐसी 55067 बसावटों में पेयजल की व्यवस्था करना शामिल है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सुविधा सभी बसावटों में उपलब्ध करायी जाएगी जहां जल स्रोत कामग़ाब नहीं है और जल गुणवत्ता की समस्या है। इसके अलावा वर्ष 2007 तक शेष 66822 गांवों में दूरभाष सुविधा मुहैया करायी जाएगी।

ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री है, भारत निर्माण कार्यक्रम की निगरानी कर रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण के लिए मार्च 2005 में आरम्भ की गई थी ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित पांच वर्षों में सभी घरों को बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। विद्युत क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण योजना त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम शुरू की गई है जिसे वितरण क्षेत्र में त्वरित सुधारों के लिए मार्च 2003 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तकनीकि और वाणिज्यिक घाटे में कमी लाना, विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाना बिजली बंद रहने की अवधि तथा इसमें में कमी लाना उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि में बढ़ोत्तरी करना है। इस कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए एक कृतिक बल गठित किया गया है ताकि कार्यनिष्पादन को सुधारा जा सके और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यूपीए सरकार ने ये कुछ कार्य किए हैं। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। पूरे राष्ट्र को इस पर गर्व होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर परम्परागत उर्जा विकास के लिए कई छोटी योजनाएं, है। सोल्लर फोटोवालटिक डमेंस्टेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, लघुपन विद्युत कार्यक्रम आदि शुरू की गई है।

इसी प्रकार कृषि और इससे संबंद्ध कार्यकलापों उद्योगों, ग्रामीण और लघु उद्योगों, परिवहन और सड़क निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कृषि मंत्रालय के अधीन तीन विभागों के लिए परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए कृषि और सहकारिता विभाग का परिव्यय 2004-05 में 2650 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 4800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। परिव्यय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निसन्देह प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हमारे यहां विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले देश के लगभग 400 मिलियन लोग और बड़ी संख्या में गरीबी रेखा में ऊपर रहने वाले लोग (ए पी एल) कवर होते है वी पी एल परिवारों को लगभग 5 लाख उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न 50 प्रतिशत से भी कम लागत मूल्य पर दिया जाता है और एपीएल परिवारों को 70 प्रतिशत लागत मूल्य पर दिया जाता है। यह विश्व के बड़े नेटवर्कों में से एक है।

श्री लक्ष्मण सिंह जी ने नदियों को परस्पर जोड़ने का मामला उठाया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है कि यह कार्य पूरी तरह से आपस में विचार-विमर्श करके और देश की नदियों को परस्पर जोड़ने की सम्भावना का व्यापक मूल्यांकन करके किया जाएगा। इसकी शुरूआत दक्षिण क्षेत्र की नदियों से की जाएगी। बिहार जैसे राज्यों में नदियों के सब-बेसिन को परस्पर जोड़ने की सम्भावना का भी पता लगाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे बिहार के मेरे मित्र निसन्देह प्रसन्न होंगें।

नदियों को परस्पर जोड़ने की शुरूआत 25.8.2005 को या जब भागीदार राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा केन-वेतवा का डी पी आर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके की गई। ऐसे अन्य प्रस्तावित सम्पर्कों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य से स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर हैं। बिहार राज्य ने भी राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी द्वारा आगे अध्ययन करने के लिए कुछ अन्त: राज्य सम्पर्कों का चयन किया हैं।

जहां तक संविधान का संबंध है, केन्द्र और राज्यों के बीच सरकारी शक्तियों विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय का व्यापक ढंग से वितरण किया गया हैं। जैसाकि हम सभी जानते हैं विधायी शक्तियां तीन सूचियों - संघ, राज्य और समवर्ती - में वर्गीकृत की गई है। सामान्यत: संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों के साथ समदेशव्यापी है। तथापि, समवर्ती सूची के मामलों में कार्यकारी शक्तियां राज्यों के पास है जब तक संविधान अथवा संसद विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धन करे (अनुच्छेद 73 और 162)

संविधान में कराधान की शक्तियों का वितरण संघ और राज्यों के बीच किया गया है। कराधान के कार्यक्षेत्र का विवरण संघ अथवा राज्य सूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में कराधान की बात नहीं कही गई है। संविधान इस बात को स्वीकार करता है कि राज्यों के वित्तीय संसाधन उनकी महती जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए, संविधान में परिकल्पना की गई है कि संघ द्वारा कुछ राजस्व करों की वसूली की जाएगी जिसको राज्यों के साथ बांटा जाएगा। इसमें संघ और राज्यों के बीच इनके वितरण का प्रावधान ही नहीं किया गया है अपितु वित्त आयोग (अनुच्छेद 268 और 281) की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण का प्रावधान भी किया गया है। यह प्रावधान समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इनमें संघ और संविधान की इकाइयों के बीच समय-समय पर उठने वाले हितों के संबंध में विवादों के संबंध में सामंजस्य स्थापित करने की भी काफी गुंजाइश है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए केन्द्र-राज्य संबंधों के विषय में आयोग स्थापित करने का निश्चय किया है।

इसलिए माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्र सरकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के सभी प्रयास कर रही है। आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि संविधान किसी राज्य अथवा क्षेत्र के विकास के रास्ते में बाधा नहीं है...*(व्यवधान)* कृपया इतने ज्यादा अधीर न हों और इतने समय में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनके बारे में सुनें।

माननीय सदस्य श्री किरिप चालिहा के ठीक ही कहा है कि संवैधानिक बदलावों के स्थान पर कार्यान्वयन के संबंध में समयबद्ध आर्थिक उपायों पर जोर दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न क्षेत्र एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और समान रूप से प्रगति कर रहे हैं। 73वें और 74वें महत्वपूर्ण संशोधन अधियिमों में कही गई बातों को कार्यरूप में शब्दश: परिणत किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार प्रदान किए जा सकें - इसकी आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी पंचायतों के निम्नतम स्तर पर की जानी चाहिए जिससे विकास का लाभ प्रत्येक गांव तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की दृष्टि से, मैं माननीय सदस्य, श्री सर्वानन्द सोनोवाल से संकल्प वापस लेने का निवेदन करता हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदया, इस संकल्प को पेश करने के पीछे मेरा इरादा था कि केन्द्र सरकार और इस माननीय सभा का ध्यान संवैधानिक उपबंधों पर नए सिरे से विचार करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये। मैं समझता हूं कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर विभिन्न राज्यों में सुदूर क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न असमानताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संवैधानिक प्रावधान ठीक तरह से कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इसलिए हमें देश में वर्तमान स्थिति पर विचार करना होगा। अलगाव और आक्रोश की भावना भी पनपती जा रही है। इसी कारण हमें संविधान के वर्तमान ढांचे पर नए सिरे से नजर डालने की आवश्यकता है। हम हमेशा दावा करते रहते हैं कि हमारा ढांचा संघात्मक हैं सच्चे अर्थों में देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है। अभी भी केन्द्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। आप जानते हैं कि आर्थिक आयोजना को केन्द्रीय नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। राजस्व के प्रमुख स्रोतों पर केन्द्र सरकार का एकाधिकार बरकरार है। योजित आर्थिक विकास और सुगठित वित्तीय सहायता द्वारा क्षेत्रीय विषमताएं कम होने के बजाय और अधिक बढ़ रही है। देश के कुछ राज्यों जैसे असम, जो कि खनिज संसाधनों से संपन्न हैं लगातार गरीब होते जा रहे हैं। जब तक हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे देश का संतुलित विकास संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कई अलगाववादी गुट उभर आए हैं। बेशक सरकार उनके साथ शांति वार्ता करने के

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

लिए बहुत साकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है। लेकिन उन लोगों को मुख्य धारा में कैसे वापस लाया जाए? यह विशेष ढांचा उनकी शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक हम सच्चे अर्थों में नया ढांचा, यानी संघात्मक ढांचा नहीं बनाते तब उन लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए राजी करना संभव नहीं है। इसी कारण मुझे विनम्र निवेदन करना है।

मुझे एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना है। वर्तमान संविधान के फेडरल कांस्टीट्यूशन अनुच्छेद-दो में नागरिकता महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें नागरिकता ग्रहण करने और समाप्त करने तथा नागरिकता से जुड़े सभी अन्य मामलों के संबंध में कोई उपबंध बनाने के लिए संसद को पूरी तरह अधिकृतकिया गया है। इस संबंध में ऐसा महसूस किया गया है कि संघीय सिद्धांतों के अनुरूप संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान करने हेतु नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों की पूरी तरह से संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। यह भी विचार करने योग्य महत्वपूर्ण भाग है।

तब, मैं असमानताएं दूर करने के लिए सभी राज्यों से समान प्रतिनिधित्व की बात करूंगा। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को एकसमान बना देते हैं तब ऐसा कोई प्रारूप जरूर बनाया जाना चाहिए ताकि समानता के अर्थ में लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो। इस बात पर विचार करना होगा।

इसके पश्चात् राज्यों में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षरण की बात आती है। अनुच्छेद 347 में असम के मूल लोगों के व्यापक हित की बात कही गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार राज्य विधानमंडल की सिफारिश के अध्यधीन लाया जाना चाहिए। इस विषय पर अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 244 ''क' (छठी अनुसूची के अनुसूची 21 के साथ), राज्यों और संघ के बीच वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 273, 275, 280, 280'क' 352, 355, 356, 163(2) और 368 जैसे कई अनुच्छेद हैं। ये सभी वैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनपर पुनर्विचार करना होगा ताकि सच्चा संघीय राष्ट्र कायम किया जा सके।

चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने भाषण को लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं माननीय मंत्री से केवल निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास राज्य सूची और केन्द्रीय सूची है जो इस माननीय सभा में इस विशेष संकल्प को पेश करने के हमारे इरादे का विवरण देगी। लिखित निवेदन का यह विशिष्ट भाग मेरी मन:स्थिति के बारे में बताएगा कि हम क्यों इस देश में सच्चा संघवाद लाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। हर जगह लोग मांग कर रहे हैं कि वे देश में सच्चा संघवाद लाना चाहते हैं।

देश को एक जुट रखने के लिए हमें असंतुलन दूर करना होगा और विषमताओं को कम करना होगा। बड़े राज्य हैं तो छोटे राज्य भी हैं। छोटे राज्य बड़े राज्यों की उपस्थिति में असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए ये विषमताएं न्यूनतम की जानी चाहिएं ताकि देश एक साथ आगे बढ़ सके। हमें लोगों के विचारों और आक्रोशों पर विचार करना होगा। इसी कारण मैं निवेदन करता हूं कि यदि हम इन सभी लोगों के विचारों आक्रोशों और शिकायतों पर गंभीरता से विचार करें तो हम संतुलित रूप से विकास कर सकते हैं। भारत को एक साथ समृद्ध होने दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश का एक भाग उन्नति करे जबकि अन्य भाग उपेक्षित महसूस करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भारत को एकजुट नहीं रख सकते।

अब हमें सीमापार से खतरा प्राप्त हो रहा है। हमें विभिन्न एजेंसियों से भी धमकियां मिल रही हैं। इस कारण, भारत को अभी सुरक्षा की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। जब तक हम समुचित और अनुशासित प्रणाली में एकसाथ आगे नहीं बढ़ते तो एक अरब लोगों को एकजुट रखना संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह माननीय सभा इन सभी विंदुओं पर विचार करेगी।

मैं अभी भी इस संकल्पना की वकालत करता हूं कि केन्द्र को अपने पास केवल चार विषय रक्षा, संचार विदेश मामले और मुद्रा रखना चाहिए। अन्य शक्तियां राज्य के पास रहने दें। राज्यों को स्वयं अपने संसाधनों से विकास करने दें। इसलिए केन्द्र को इन्हीं चार विषयों को अपने पास रखना चाहिए और शेष विषयों को राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। राज्यों को उनके खुद के उपलब्ध संसाधनों के बूते पर विकसित होने दें। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का खुद संचार करने दें।

सभापति महोदया : श्री सोनोवाल, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन देने का गंभीरता पूर्वक निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है उनपर गंभीरता से विचार किया जाए।

श्री एम.वी. राजशेखरन : सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं

कि भारतीय संघ का मौजूदा संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान चुनौतियों का सामना करने में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मैं आश्वासन देता हूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भेदभाव नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस ले लेंगे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि सरकार देश में संघवाद को दृढ़ता प्रदान करने के सभी संभव उपाय करेगी

सभापति महोदया : श्री सोनोवाल, क्या आप संकल्प वापस ले रहे है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय मंत्रीजी को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : सभापति महोदया, इस संकल्प का सार है कि "असंतुलनों को दूर किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने उन कदमों के बारे में बताया जो सरकार ने उठाए हैं। ये कैसे किया जाता है देखना है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए विकास पर ध्यान केंद्रीत किया गया है। इसी कारण मैंने सभी कार्यक्रमों की सूची दी है। मैं आशा करता हूं कि अब माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सायं 07.39 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—*विचाराधीन*

व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना का निर्माण और कार्यान्वयन

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब सभा मद संख्या 29 पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे।"

मै माननीय सभापति महोदया, आपका अभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया। मैं संकल्प करता हूं कि सरकार पूरी तरह से देश से भुखमरी को मिटाने के लिए व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे। आज यह सदन जिस विषय पर चर्चा कर रहा है उसका संबंध देश के सबसे गरीब तबके से है। आप सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज के परिवेश में सभी लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान आवश्यक है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है कि दो वक्त की रोटी मिले। जैसे कहा गया है-भूखे भजन न होई गोपाला। यानी भूखे पेट व्यक्ति भजन भी नहीं कर सकता और पंजाब में एक कहावत है- "पेट न पड़ी रोटियां ते सभी गल्लां खोटियां।"

सभापति महोदया, मैं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या, जो सात सौ करोड़ है, उसमें से लगभग 85 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं। इसमें 22 करोड़ लोग भारत में कुपोषण का शिकार हैं। विकासशील देशों के अंदर जो सबसे ज्यादा मृत्यु होती हैं, वह एड्स या किसी अन्य बीमारी से नहीं, बल्कि कुपोषण के कारण होती है। दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन के अनुसार यदि भूख पर काबू पाना है तो उसके लिए हमें आवश्यक धन, ठोस राजनीतिक संकल्प व सही नीतियों की आवश्यकता है। हमारे देश में अन्न की कमी नहीं हैं। लेकिन त्रुटिपूर्ण वितरण प्रणाली और अज्ञानता के चलते आज भी हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वे नम्बर तीन....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : जिंदल साहब, आपने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसके बाद आपको दो-तीन घंटे खूब बोलने का समय मिलेगा। इसे अब बजट सैशन में लीजिए, आज तो कृपा कीजिए। आपका बिल एज इट इज रहेगा।

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया) : महोदया, मेरा एक निवेदन है। अब आज थोड़ी देर हो गयी है। आज, सभा की कार्य-सूची बहुत लंबी थी। इसलिए यदि सभा की इच्छा हो तो हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के समय में कटौती कर इसे स्थगित कर देते हैं और इस संकल्प पर चर्चा अगले सत्र में जारी रह सकती है। इसलिए अब यदि सभा की इच्छा हो तो हम शून्य काल में उठाए जाने वाले मामलों पर चर्चा करें।

सभापति महोदया : मैं समझती हूं कि सभा की सहमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदया : श्री नवीन जिंदल, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : जीरो आवर के बारे में हाउस का क्या विचार है, क्या जीरो आवर लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जीरो आवर लिया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। पूरे देश में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा में, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में मनमाने ढंग से फीस की वसूली हो रही है। सरकारी स्कूलों के बारे में मैं नहीं कहता, राज्य सरकारें इस बारे में बराबर पहल करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा थी कि उसे राज्य सरकार ने थोड़ा कम किया है। मेरी सदन से मांग है कि मनमाने ढंग से जो फीस की वसूली होती है, चाहे वह भवन निर्माण के नाम पर हो, विकास के नाम पर हो या सैन्ट्रली ए.सी. लगाने के नाम पर हो, तमाम ऐसे शुल्क अभिभावकों से लिये जाते हैं। खासकर यह भी देखा गया है कि कभी-कभी इन शिक्षण संस्थाओं में छः महीने या साल भर की फीस इकठ्ठी ली जाती है। हमारे देश में ऐसे बहुत अधिक परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे सारी फीस एकदम देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए सरकार एक विशेषज्ञ समिति गठित करे, ताकि वह प्रति साल यह मूल्यांकन करे कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक फीस का क्या निर्धारण हो, मेरी मांग है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में वह सदन को कुछ आश्वासन दें तथा सरकार की एक कमेटी बनायें, ताकि वह साल दर साल जब नया सत्र शुरू हो तो उसका पुनर्मूल्यांकन करे कि कितनी फीस प्राइमरी, माध्यमिक, इंटर, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीज में ली जाए, कृपया सरकार यह सुनिश्चित करायें।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नूर (धारवाड़ दक्षिण) : महोदया, यह मामला गन्ने के समर्थन मूल्य और कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थित संगूर शुगर फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज से संबंधित है।

विगत वर्ष कर्नाटक में गन्ने की खरीद 1200 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से की गई। इस वर्ष का खरीद मूल्य केवल 900 रु. प्रति मीट्रिक टन है। चीनी के कारखानों के मालिक कर्नाटक में इससे अधिक मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में, इस मूल्य का निर्धारण जल, खाद, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम इत्यादि जैसे आदानों पर होने वाले समस्त व्यय का परिकलन करने के बाद किया जाना चाहिए। इसे वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए।

यह अजीब बात है कि महाराष्ट्र में मिल-मालिक 1500 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से गन्ना खरीद रहे हैं क्यों कि इन मिलों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिलती है। इससे हावेरी, बेलगाम, बगलकोट और बीजापुर जिलों तथा अन्य स्थानों पर शेष प्रदर्शन किए गए। गन्ने के लिए क्षतिपूर्ति मूल्यों को देने के लिए मांग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गन्ना उत्पादक समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में केन्द्र से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे तथा इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए गन्ना उत्पादक किसानों का बचाव करे और न्यूनतम 1400 रु. प्रति मीट्रिक टन का गन्ना मूल्य दिवाने में उनकी सहायता करे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि केन्द्र इस मामले में तत्काल कदम उठाएगा।

संगूर शुगर फैक्ट्री, कर्नाटक स्थित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हावेरी जिले में पड़ती है। किसानों ने इस क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन लाख टन गन्ना उत्पादन किया है। पिछले वर्ष, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड ने गन्ने के खेतों से गन्ने की कटाई के लिए 80 रु. प्रति मीट्रिक

टन मूल्य सहित 1200 रु. प्रति मी. टन के हिसाब से गन्ने के मूल्य का भुगतान किया था। श्री रेणुका शुगर्स और संगूर शुगर फैक्ट्री के बीच अनुबंध हुआ है कि फैक्ट्री को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा और यह अनुबंध तीन वर्षों तक रहेगा। इस वर्ष, श्री रेणुका शुगर्स द्वारा इस अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है और उन्होंने जून 2006 से 680 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने अपने अनुबंध के अनुसार संगूर शुगर फैक्ट्री को 3 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है और फैक्ट्री को चालू नहीं किया है।

सभापति महोदया : अब आप क्या मांग कर रहे हैं?

श्री मंजुनाथ कुन्नूर : मैं केवल यही मांग करता हूं कि इस फैक्ट्री को तत्काल चालू किया जाए और केन्द्र द्वारा इसे विशेष पैकेज दिया जाए। इस कारण से, किसान गन्ने की पेराई नहीं कर रहे हैं। गन्ना उत्पादक बहुत अधिक परेशान हैं। ऐसी परिस्थितियों में, संगूर शुगर फैक्ट्री को तुरन्त चालू करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि किसानों का जीवन बचाया जा सके। गन्ना उत्पादकों के लिए यह बहुत कठिन हो गया है।

इसलिए मैं भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और ऐसे रूग्ण उद्योगों के लिए विशेष पैकेज देने का अनुरोध करता हूं। संगूर शुगर फैक्ट्री के लिए भी तुरन्त राहत दी जाए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदया, मैंने चालू सत्र में प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार एक नयी स्पाइसिस प्रोक्योरमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी स्थापित करने के संबंध में विचार करेगी। इस देश में इलायची, काली मिर्च, वलिल्ला इत्यादि जैसे मसालों के मूल्यों में भारी गिरावट के लिए मैंने यह मामला उठाया था। मैंने इस संबंध में माननीय वाणिज्य मंत्री से जो उत्तर प्राप्त किया वह "नहीं" में था। डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें से एक सिफारिश यह है कि सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को अपने द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर लाभ अथवा निवल आय हो। मसालों के मामले में, केरल में जो कुछ हो रहा है वह इस प्रकार है। उदाहरण के लिए, जब वहां इलायची को मिलने वाला मूल्य मात्र 100-150 रु. प्रति किग्रा. था, तब राजधानी दिल्ली और अन्य महानगरों में भी इसे 700-800 रु. तथा 1000 रु. प्रति किग्रा का मूल्य भी मिल रहा था। इसलिए, वहां उचित मूल्य उपलब्ध हैं। इस देश में भी उचित मूल्य प्राप्त करना संभव है। समस्या यह है कि जो धन किसानों की जेब में जाना चाहिए था वह बिचौलियों की जेब में जा रहा है। इसलिए सरकार को प्रापण और व्यापार कम्पनी खोलनी चाहिए ताकि किसानों से उचित मूल्य पर उत्पाद खरीदे जा सकें और उन्हें अपनी मेहनत की निवल आय हो सके। सरकार को देश में सभी महानगरों, बड़े नगरों और शहरों में खुदरा दुकानें खोलनी चाहिए। इससे, हम किसानों को बचा सकते हैं और मसाला-उत्पादक किसानों की सहायता कर सकते हैं। इसलिए, पहले से ही प्रचालनरत स्पाइसिस बोर्ड की सहायता से, विशेष स्पाइसिस प्रोक्योरमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी स्थापित की जाए। अत: भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय इस बारे में बताए।

सभापति महोदय : इसके बारे में आप केवल कुछ शब्द कह सकते हैं। कृपया आप ही मांग बताइए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मेरी मांग है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस पर पुन: विचार करे ताकि इस देश के किसानों विशेषतया मसाला उत्पादक किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदया, मैं इस देश के सबसे ज्यादा पिछड़े क्षेत्र अर्थात के बी के क्षेत्र के संबंध में लोक महत्व का बहुत ही जरूरी और अत्याधिक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। के बी के क्षेत्र, जिसका आकार केरल राज्य के बराबर है, देश में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से है जहां अनूसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए इस क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जानी चाहिए।

भारत सरकार ने पहले भी कई बार पिछड़े क्षेत्रों और विशेष श्रेणी के राज्यों में उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है। इसमें सम्मिलित हैं दिसम्बर, 1997 की उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति, दिसम्बर, 2002 की सिक्किम औद्योगिक नीति, जून, 2002 की जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति और जनवरी, 2003 की उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति के आधार पर ये प्रोत्साहन दिए जाएं। हमारी मांग है कि विकास केन्द्रों तथा औद्योगिक अवसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन दिए जाएं। के बी के में स्थापित अवसंरचना विकास केन्द्रों को कम से कम 10 वर्षों तक के लिए पूर्णतया कर-मुक्त जोन घोषित किया जा सकता है। संयंत्र एवं मशीनरी में किए गए निवेश की 15 प्रतिशत राशि पर अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति इकाई की पूंजी निवेश राजसहायता दी जा सकती है। इसके

[श्री भर्तृहरि महताब]

अतिरिक्त, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संबंध में निर्धारित अधिनियम आयु की 35 वर्ष की सीमा को उस विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए बढ़ाकर 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 45 वर्ष तक किया जा सकता है। इसके अलावा, परियोजना लागत की 15 प्रतिशत धनराशि की राजसहायता को प्रत्येक लाभार्थी के लिए 7500 रु. से बढ़ाकर अधिकतम 15,000 रु. किया जा सकता है।

माननीय प्रधान मंत्री ने उड़ीसा का दौरा किया था और उन्हें उनके पिछले उड़ीसा दौरे के दौरान इन मांगों को अवगत कराया गया था। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करे।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : सभापति महोदया, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने की आवश्यकता के संबंध में, मैं लोक महत्व का बहुत ही जरूरी और अत्याधिक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

हम जितना समझते हैं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की समस्या उससे कहीं अधिक बड़ी है। विश्व में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। हमारी जनसंख्या में ऐसे बच्चों का प्रतिशत 3 है और सच पूछिए तो, देश में ऐसे बच्चों की सर्वाधिक संख्या केरल में है।

महोदय, 8 दिसम्बर, को ''मानसिक रूप से विकलांग बच्चा दिवस'' के रूप में मनाने की घोषणा की गई और समारोह आयोजित किए गए। इन समारोहों के अतिरिक्त, सरकार और पूरे समाज को इन बच्चों, इनकी शिक्षा और इनके व्यावसायिक पुनर्वास के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए अधिकाधिक संख्या में विशेष विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे जिले अलेप्पी में ऐसे 14 संस्थान हैं, जिनमें से एक आवासीय संस्थान है। इनमें से 13 संस्थानों को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाया जाता है। परन्तु सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को दी जाने वाली सहायता बिल्कुल अपर्याप्त और नाममात्र की है। जिले में ऐसे दो ही संस्थानों को सामाजिक न्याय और अधिकार्यता मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता दी जाती है। ऐसा होने से, अनेक योग्य संस्थानों को केन्द्रीय सहायता देने से मना कर दिया जाता है।

इसलिए मैं सरकार, विशेषतया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से मांग करता हूं कि वह स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इन विशेष शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता देने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जो बात उठाने जा रही हूं, मुझे यह भी अच्छा लग रहा है, सदस्य कम हैं, लेकिन आप चेयर पर बैठी हो, उस समय मैं यह बात उठाने जा रही हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने जा रही हूं, वैसे तो पूरे विश्व में सेरोगेटेड मदर का विषय चर्चा में आया है, कोख उधार देने की चर्चा है। आज हिन्दुस्तान में हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हिन्दुस्तान में इस चीज की भी कहीं न कहीं शुरूआत हो गई है। मैं यहां यह बात इसलिए उठा रही हूं, क्योंकि इस बात पर बहुत बड़ा चिन्तन आवश्यक है। अगर हम दूसरे देशों का उदाहरण लें तो जैसे साऊथ कोरिया में एथलिट्स, फिलोस्फर्स को बुला कर, इस बात पर चर्चा करके उन्होंने कुछ नियम बनाएं कि कितनी बार एक मां अपनी कोख उधार दे सकती है, तीन से पांच तक दे सकती है, उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं। हमारे यहां की परिस्थिति बहुत अलग है, हमारे यहां मातृत्व की धारणा है और वह बहुत भावना से जुड़ी हुई है। हमारे यहां के जो फैमिली रिलेशंस हैं, वह बहुत ही स्ट्रोंग हैं, इसलिए एनीमिया भी हमारे यहां एक महिला में बहुत बड़ी समस्या है। यह जो कोख उधार दी जाएगी, हो सकता है कि यह पैसे से भी उधार ली जा सकती है। एक आधी-अधूरी कल्पना भी चर्चा में है और प्रयोग में कहीं न कहीं आ रही है। इसके सोशल एवं इकोनोमिक अलग-अलग प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। मैं इसलिए यह बात उठा रही हूं और थोड़ी सी विस्तृत बात कर रही हूं, क्योंकि प्रीनेटल टेस्ट कह बहुत शुरूआत हो गई थी। उसके पीछे भी भाव अच्छा था और जो संशोधन हुआ था, वह इसलिए था कि जो बच्चा पेट में कोख में है, वह किसी डिफारमिटी के साथ, डेफिशिएंसी के साथ पैदा न हो, उसकी कोई डिसेबिल्टी न हो, पहले ही मालूम हो जाए ताकि उसमें सुधार किया जाए। ये सब बातें सोच करके प्रीनेटल टेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या किस तरीके से, बड़े वेग से चल पड़ी और उसके कितने उल्टे रिपरकशंस हिन्दुस्तान में हो गए। मैं इसलिए यह बात आज इस समय उठा रही हूं, क्योंकि सेरोगेटेड मदर की चर्चा शुरू हो गई है और कहीं न कहीं इस बात पर अमल भी शुरू हो गया है।

इसलिए मैं सरकार से चाहूंगी कि पहले ही हमारे यहां के धर्मज्ञ, नीतिशास्त्र, सोशल वर्कर्स, कानूनविद एवं डाक्टर्स, इन सबसे एक व्यापक

चर्चा करके हम इस संदर्भ में या तो कोई कानून लाएं या इन चीजों का नियमन करें, लेकिन एक बहुत ठीक तरीके से इस पर विचार-विमर्श इस देश में शुरू हो जाए और सरकार इस बात पर चिन्तन करे। इसके कुछ उल्टे परिणाम आने के पहले चिन्तन करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैडम, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो आज देश में फ्रीडम फाइटर के साथ हो रहा है, उसे आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कुर्बानियां दीं, उनकी स्थिति आज देश में बहुत ही दयनीय चल रही है। आर्थिक, सामाजिक एवं हर दृष्टि से उनकी उपेक्षा हो रही है। हमें बहुत से फ्रीडम फाइटर्स मिले, वैसे तो बहुत गिनती के ये रह गए हैं, ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स भगवान को प्यारे हो गए हैं, गिनती के गिने चुने ही बचे हैं। ये लोग मुझे मिले और इन्होंने मुझे कहा कि सरकार के नोटिस में लाएं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। उन्होंने यह मांग की है कि एक तो जो पेंशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलती है, उनके मरने के बाद उनके आश्रित जो बच्चे हैं, आटोमेटिकली उनकी पैंशन उन्हें ट्रांसफर हो जाए ताकि उन्हें दर-दर के धक्के न खाने पड़ें। दूसरा, जब हर वर्ग के लोगों को विशेष पैकेज मिल रहे हैं तो इन्हें भी मिले। फ्रीडम फाइटर्स की जो केटेगिरी है, यह देश के लिए गर्व की बात है। इनकी स्थिति को देख कर भी इन्हें विशेष पैकेज मिलना चाहिए। अगली बात नौकरी की है, ये कितने लिमिटेड परिवार हैं तो आज तक हम फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को नौकरी में कोई आरक्षण नहीं दे सके।

रात्रि 8.00 बजे

महोदया, फ्रीडम फाइटर को एक्स-सर्विसमैन के साथ आरक्षण दे रखा है। इन्हें उस कैटेगरी में डाल रखा है। वे कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर का अलग से आरक्षण होना चाहिए। उनके मान-सम्मान के लिए सरकार उनके परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित करे ताकि वे अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर सकें और वे समझ सकें कि हम राष्ट्रीय धरोहर हैं। उन्हें देखकर हर आदमी आइडेंटीफाई कर सके कि यह परिवार फ्रीडम फाइटर का परिवार है और राष्ट्र का सम्मान है।

महोदया, माननीय मंत्री हांडिक जी यहां बैठे हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को "वन रैंक वन पैंशन" देने का मामला सदन में बार-बार उठता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : सांगवान जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फ्रीडम फाइटर के साथ एक्स-सर्विसमैन को आप क्यों जोड़ रहे हैं। फ्रीडम फाइटर में एक्स-सर्विसमैन नहीं आता है।

श्री किशन सिंह सांगवान : सभापति महोदया, फ्रीडम फाइटरों से ही यह मामला भी जुड़ा हुआ है। इस बारे में मेरी मंत्री जी से बात हुई है और इन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि "वन रैंक वन पेंशन" का सिद्धान्त लागू तो हुआ है, लेकिन ऊपर की कैटेगरीज में ही अभी लागू हुआ है, जो जूनियर आफीसर्स हैं उन पर वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में पूरा ध्यान देकर इसे जूनियर आफीसर्स पर भी लागू कराएं।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : सभापति महोदया, आज विश्वभर के चाय उत्पादक देश अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना रहे है। ताकि सरकार और नागरिको का ध्यान चाय व्यापार कर्मकारों, छोटे-छोटे चाय उत्पादको, उपभोक्ताओं और उद्योग के प्रभाव की ओर दिलाया जा सके।

भारत में चाय उद्योग की दयनीय स्थिति को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। कई चाय बागानों या तो चाय का उत्पादन बन्द कर दिया गया है या मालिकों ने उनमें चाय उगाना छोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षो में चाय के उत्पादन मैं काफी गिरावट आयी है और हजारों हजार कर्मकार बेरोजगार हुए हैं।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस क्षेत्र की महिलाओं पर इसका विपरीत प्रभार पड़ा हैं क्योंकि 50 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं श्रमिक हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से इस संबंध में मास्टर प्लान तैयार करने की मांग करती हूं ताकि चाय उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। और उन बागानों में चाय की खेती की जा सके जिसमें चाय का उत्पादन बंद कर दिया गया है और अत्यधिक विपणन के मार्फत भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको अपना स्थान मिल सकें।

महोदया, मैं यह मांग भी करती हूं कि चाय की बिक्री शत प्रतिशत चाय नीलामी केन्द्रों के माध्यम से की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएं ताकि नए स्थापित चाय नीलामी केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदया, मैं अपने चुनाव क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र चन्द्रपुर में अनेक स्पांज आयरन ओर के संयंत्र लगे हुए हैं। इन संयंत्रों में लगने वाले कच्चा माल आयरन ओर व कोयले की आपूर्ति एन.एम.डी.सी. व कोल मंत्रालय/सी.आई.एल. द्वारा की जाती है, लेकिन बार-बार मांगने पर भी कच्चे माल की आपूर्ति इन संयंत्रों को नहीं की जा रही है। इस कारण ये संयंत्र बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये संयंत्र हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और इनके बंद होने से हजारों परिवार आर्थिक तंगी से गुजरेंगे।

महोदया, एन.एम.डी.सी. आयरन ओर भारी मात्रा में निर्यात करती है, लेकिन छोटे उद्योगों को आयरन ओर आपूर्ति हेतु आबंटन नहीं करती है और न सी.आई.एल. कोयला आबंटित करती है क्योंकि उनकी ज्यादा दिलचस्पी निर्यात करने में है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एन.एम.डी.सी. निर्यात करने से पहले अपने देश के छोटे-छोटे उद्योगों को पहले आपूर्ति करे और सी.आई.एल. इन्हें कोयले का कोटा आबंटित करे, ताकि इन उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से मांग करना चाहूंगा। राजस्थान विधान सभा ने लगभग 2-3 वर्ष पूर्व सर्व-सम्मति से संकल्प पारित कराया था और केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था।

राजस्थानी भाषा को बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, 2500 वर्ष पुराना इतिहास है, समृद्ध भाषा है, इसमें बहुत साहित्य लिखा गया, सैंकड़ों वर्षों से साहित्य लिखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स भी हैं, बोर्ड के अन्दर भी एक पाठ्यक्रम के रूप में यह विषय है, इसलिए आपके माध्यम से मैं राजस्थान के साहित्य, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोक-नृत्य, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताएं, इन सब को जीवित रखने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को अवश्य शामिल किया जाये।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदया, हमारे देश में जहां एक ओर लाखों लोग मकान नहीं होने से चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड एवं बरसते पानी में आसमान की खुली छत के नीचे रातें गुजारने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में वैस्टर्न कोलफील्ड्स मिलिटेड द्वारा कोयला खदान क्षेत्र रावनवाड़ा से लेकर दमुआ तक 70 किलोमीटर लम्बी सड़क के किनारे ऐसी कई कालोनियां हैं, जहां तक तक चहल-पहल थी, किन्तु अब सन्नाटा फैला है। यह कालोनियां वैस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा अपने अफसरों एवं कर्मचारियों के लिए बनाई गई थीं। लेकिन कुछ सालों बाद खदानें बन्द होने से इन्हें ढहाया जा रहा है। इस कदम से भारत सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि स्थानीय जनपद पंचायतों सहित अन्य स्थानीय निकाय इन मकानों को जरूरतमंदों को देने और सामाजिक गतिविधियों के उपयोग के लिए लेने को तैयार हैं। लेकिन आफिसर इस मुद्दे पर चुप हैं। पेंच खदान क्षेत्र में लाखों रुपये की लागत से बने स्कूल भवन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भवन केन्द्र को भी गिराया गया है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वैस्टर्न कोलफील्ड्स की इन कालोनियों के मकानों को पंचायतों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को दिया जाये।

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई) : सभापति महोदया, बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित का मामला है। पिछले दिनों देश में बाल श्रम विरोधी कानून लागू हुआ था। इसमें किसी भी बच्चे द्वारा कोई भी कार्य करवाना गैरकानूनी है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है और इसके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह इन बच्चों पर आश्रित परिवारों द्वारा निर्भरता। लाखों घर ऐसे हैं, जो इन बच्चों की कमाई पर ही चलते हैं, इसलिए कि उनके माता-पिता अशक्त हो गये हैं और वे कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे कमाकर लाते हैं, उसी से उन परिवारों की रोजी-रोटी चलती है। ऐसे में उनके माता-पिता, जो अशक्त हैं, वे स्वयं नहीं कमा सकते हैं तो उनकी रोजी-रोटी कैसे चलेगी और उनके घरों में जो बीमार सदस्य हैं, उनका इलाज कैसे होगा या उनकी बहनों की शादी कैसे होगी, यह इस देश की बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह आग्रह करूंगा कि सरकार इस पहलू पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदया, मैं एक गम्भीर घटनाक्रम की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अंडमान निकोबार आईलैंड में जो द्वीप है, उनमें से

एक टापू का नाम कचाल है। उस टापू पर सारे ही ट्राइबल आदमी बसे हुए हैं और उस टापू के अन्दर सुनामी के टाइम में आधी पोपुलेशन पानी में बहकर चली गई थी। अभी मुझे खबर मिली है कि उस टापू में जो ट्राइबल, आदिवासी हैं, वे बहुत ही नाराज हो गये हैं, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, उनको कोई सामान नहीं मिलता, आने-जाने को बोट का साधन नहीं है और बहुत कुछ कोशिश करने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उचित होगा कि वे भारत सरकार के सामने इस समस्या को इम्मीडिएटली लायें, नहीं तो उस जगह में बहुत भारी हंगामा होगा और उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। यह आदिवासियों का मसला है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से यह निवेदन किया है। इस पर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : सभापति महोदया, सभा में इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख संगठन है जो इस देश में बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बीमा करा रहा है। आज देश के भीतर और बाहर निजी क्षेत्र की ऐजन्सियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह बीमा क्षेत्र में एक प्रमुख कम्पनी के रूप में उभरा हैं। एल आई सी की वर्तमान स्थिति इसके फील्ड कर्मकारों की दिन रात की कडी मेहनत का परिणाम है। निसन्देह इसके शुरू आत में इसके फील्ड कर्मकारों ने ही इस, देश के कोने-कोने में जीवन बीमा का सन्देश पहुंचाया था। आज लगभग 14 लाख एल आई सी ऐजन्ट हैं जिन्होंने इस संगठन को मजबूत और लाभकारी बनाया है। उन्हें जनता और एल आई सी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाना चाहिए।

दुर्भाग्य की बात है कि एल आई सी ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कडी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन्हें यह मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा इनके कार्य को महत्वहीन समझने के कारण एल आई सी इन भूतपूर्व स्तम्भों को नजर अन्दाज करके भारी गलती कर रही हैं।

ये ऐजेन्ट 5 मई 2006 के अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के परिपत्र से काफी क्षुब्ध हैं। उनकी ये मांगें कि (1) आर.एन. मल्होत्रा समिति द्वारा सुझाए गए वरिष्ठ एजेन्सी प्रणाली को शुरू किया जाए, (2) प्रत्यक्ष एजेन्टों के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, (3) ऐजेन्ट विनियम अधिनियम 1972 की धारा 16 और 19 में संशोधन किया जाए, (4) पेंशन और कल्याण कारी कोष की स्थापना की जाए, (5) नियमित कर्मचारियों के समान उपदान में वृद्धि की जाए, (6) उचित पारिश्रमिक दिया जाए, सही है और ये उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं।

अत: मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह उनकी इन सभी न्याय संगत मांगों को स्वीकार करे ताकि उन्हें उचित लाभ मिल सके और इनके साथ ही त्रिपक्षीय बैठक का प्रबन्ध करे जिससे वे अपना पक्ष रख सकें।

डा. के.एस. मनोज : महोदय, मैं भी डा. सेनथिल के विचारों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदया : अब सभा 18 दिसम्बर 2006 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं।

रात्रि 8.12 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 18 दिसम्बर 2006/ 27 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

1	2	3
27.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3406
28.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3545
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3425, 3480, 3506
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3410, 3413
31.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	3481, 3570
32.	गेहेन, श्री राजेन	3438, 3477
33.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3423, 3508
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	3408
35.	जय प्रकाश, श्री	3397, 3465
36.	झा, श्री रघुनाथ	3558, 3559
37.	जिन्दल, श्री नवीन	3385, 3556
38.	कचीरिया, डा. वल्लभभाई	3425, 3480
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3400, 3468, 3494
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3399, 3467, 3509, 3528, 3586
41.	कौशल, श्री रघुवरी सिंह	3458, 3516
42.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3551
43.	कृष्ण, श्री विजय	3541, 3547
44.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3455, 3480
45.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3447, 3501, 3576, 3585
46.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3532
47.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3474
48.	महताब, श्री भर्तृहरि	3454

1	2	3
49.	माने, श्रीमती निवेदिता	3410, 3413, 3553
50.	मनोज, डा. के.एस.	3552
51.	मसूद, श्री रशीद	3411, 3559
52.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3407
53.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3420, 3422
54.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3432, 3490
55.	मिश्रा, डा. राजेश	3548, 3563
56.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3480
57.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3418, 3491, 3525, 3533
58.	मोहिते, श्री सुबोध	3391, 3461, 3520, 3579
59.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3386
60.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3477
61.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3544
62.	नन्दी, श्री अमिताभ	3445, 3565
63.	निखिल कुमार, श्री	3479, 3514, 3571
64.	नायक, श्रीमती अर्चना	3561, 3577
65.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3470
66.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3457, 3566
67.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3543
68.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3537
69.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3434, 3592
70.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	3401, 3437, 3473, 3493, 3527

1	2	3
71.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3417, 3555
72.	पाठक, श्री ब्रजेश	3388, 3484, 3521, 3532, 3591
73.	पाठक, श्री हरिन	3425, 3429, 3480, 3485
74.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3562
75.	पाटील, श्री डी.बी.	3431
76.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3394, 3544
77.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3540
78.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3430
79.	पुन्नुस्वामी, श्री ई.	3497
80.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3546
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3478, 3513, 3529
82.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3444, 3481
83.	राजगोपाल, श्री एल.	3442, 3496, 3549, 3575
84.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3402
85.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3456, 3510, 3530, 3590
86.	राणा, श्री काशीराम	3480
87.	राव, श्री के.एस.	3459, 3512, 3571
88.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3414
89.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3398
90.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3463, 3488, 3524, 3583
91.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3522
92.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3433, 3478

1	2	3
93.	साई प्रताप, श्री ए.	3408
94.	सज्जन कुमार, श्री	3430, 3548
95.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3426, 3483, 3519, 3534, 3587
96.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3439
97.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	3487, 3523
98.	सरोज, श्री तूफानी	3413, 3502, 3567
99.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3412, 3504
100.	सत्यपथी, श्री तथागत	3513
101.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3469, 3526, 3535, 3588
102.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3538
103.	शिवन्ना, श्री एम.	3475, 3517, 3531
104.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3452
105.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3390, 3488
106.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3433, 3436, 3443, 3453, 3542
107.	सिंह, बृजभूषण शरण	3427, 3560
108.	सिंह, श्री गणेश	3462
109.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3422
110.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3410
111.	सिंह, श्री मोहन	3439
112.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3405, 3498, 3569, 3581
113.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3403
114.	सिंह, श्री राकेश	3550
115.	सिंह, श्री रेवती रमण	3416

1	2	3
116.	सिंह, श्री सीताराम	3420
117.	सिंह, श्री सुग्रीव	3437, 3493, 3527, 3536
118.	सिंह, श्री उदय	3592
119.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3425
120.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3448
121.	सुमन, श्री रामजीलाल	3428
122.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3419, 3489
123.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3396, 3480
124.	थामस, श्री पी.सी.	3441, 3522, 3564
125.	दुम्मर, श्री वी.के.	3436, 3507, 3578
126.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3537
127.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3482, 3518
128.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3480
129.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3585
130.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3404
131.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3417
132	यादव, श्री एम, अंजनकुमार	3453
133.	यादव, श्री बालेश्वर	3392, 3554, 3573
134.	यादव, श्री गिरिधारी	3529, 3542
135.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3430, 3452
136.	यादव, श्री राम कृपाल	3393, 3450, 3562
137.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3549

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।